पंचदश माला, खंड 36, अंक 10

बुधवार, 18 दिसम्बर 2013
27 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 90
Dated 2 April 2019

(खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

प्रभा सक्सेना
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

ललिता अरोड़ा
अपर निदेशक

कीर्ति प्रभा
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

ब्रजेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 **लोक सभा सचिवालय**

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 36, पंद्रहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 10, बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 (शक)

विषय — कॉलम

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक 1-8

प्रश्न का मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 181 8-13

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 200 14-164

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 165-852

सभा पटल पर रखे गए पत्र 853-894

रेल संबंधी स्थायी समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन 894

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(एक) 40वें से 43वां प्रतिवेदन 895

(दो) विवरण 895

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

246वें से 252वां प्रतिवेदन 896

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

78वां और 79वां प्रतिवेदन 897

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 987-901

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय एवं विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जेसुदासु सीलम 897-898

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 239वें और 244वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री के. एच. मुनियप्पा 898-899

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राजीव शुक्ला 900

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(चार) (क) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मिलिन्द देवरा 900-901

नियम 377 के अधीन मामले 901-910

(एक) आंग्ल भारतीय समुदाय की शिकायतों का निराकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस 902

(दो) प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस 902

(तीन) देश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए सरकारी खरीद केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 902-903

(चार) यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने और दिल्ली में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 903

(पांच) तमिलनाडु में पलानी और तिरूचेन्दुर के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 903-904

(छह) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए निधियां दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 904

(सात) गुजरात के हिम्मतनगर में केन्द्रीय विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने और साबरकांठा जिले में नए शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने तथा राज्य के अरावली जिले के मोडसा में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 904-905

(आठ) बिहार के सीतामढ़ी जिले में मनुष्यमारा (पुरानीधार) नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 905-906

(नौ) दिल्ली के द्वारका, सेक्टर-21 से चलने वाली मेट्रो का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित किए जाने और उत्तर प्रदेश के शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान 906-907

(दस) उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत माजरों के विद्युतीकरण को अनुमोदन प्रदान किए जाने और उक्त योजना के अंतर्गत गांवों में और विशेषकर देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल................ 907

(ग्यारह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के रखरखाव के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन................ 907-908

(बारह) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता

श्री बैजयंत पांडा................ 908-909

(तेरह) राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे में किसानों के स्वामित्व वाली सिंचित और गैर-सिंचित भूमि पर भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा के प्रावधान को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव................ 909-910

(चौदह) प्याज के मूल्यों में गिरावट के कारण प्याज की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी................ 910

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(एक) अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं................ 910-911

(दो) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक................ 911-913

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011................. 914-963

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल................ 914-927

श्रीमती सुषमा स्वराज................ 927-930

श्री राहुल गांधी................ 930-931

श्री मुलायम सिंह यादव................ 932-933

श्री दारा सिंह चौहान................ 934-936

श्री शरद यादव................ 936-938

श्री हरिन पाठक................ 938

श्री प्रेम दास राय................ 938-939

श्री अर्जुन राम मेघवाल................ 939

श्री पन्ना लाल पुनिया................ 939

श्री आर. ध्रुवनारायण................ 939-940

श्री वीरेन्द्र कुमार................ 940-941

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार................ 941-942

श्री कल्याण बनर्जी................ 942

विषय	कॉलम

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 942

डॉ. मिर्जा महबूब बेग 942

श्री रामशंकर राजभर 942-943

श्री जगदम्बिका पाल 943

श्री गुरूदास दासगुप्त 944

डॉ. तरूण मंडल 944-945

श्री नामा नागेश्वर राव 945

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन 945

श्रीमती सुप्रिया सुले 945

डॉ. संजीव गणेश नाईक 945

श्री प्रहलाद जोशी 945-946

श्री अनंत कुमार 946

श्री भक्त चरण दास 946-947

श्री थोल तिरूमावलावन 947-949

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 949

डॉ. एम. तम्बिदुरई 949-950

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 950-951

श्री बदरूद्दीन अजमल 951-952

संशोधन जिन पर सहमति व्यक्त की गई. 953-964

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी. 964-965

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013. 965

विचार करने के लिए प्रस्ताव 965

डॉ. शशी थरूर 966

खंड 2 से 13 और 1 966

पारित करने के लिए प्रस्ताव 966

सदस्यों द्वारा निवेदन. 966-981

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय उप महाकौशल के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में 966-981

राष्ट्रीय गीत 982

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 983-984

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 984-992

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 993-994

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 994-996

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बालशेखर

लोक सभा

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुईं]

(...व्यवधान)

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 जिसे लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर 2011 को हुई बैठक में पारित किया गया था, को दिनांक 17 दिसम्बर 2013 को हुई बैठक में राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया गया है:

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में शब्द "बासठवें" के स्थान पर शब्द "चौंसठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए।

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

खंड 3

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 4

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ङ) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेता-सदस्य।"

खंड 14

6. पृष्ठ 9, पंक्ति 18 में "या सहायता प्राप्त" शब्दों का लोप किया जाए।

7. पृष्ठ 9, पंक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपये के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।"

खंड 20

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"20(1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो निम्नलिखित के संबंध में आदेश कर सकता है-

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, अपने जांच

खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करना, या

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण करना"

9. पृष्ठ 11. पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि खंड (ख) के अंतर्गत किसी अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है:

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हों, के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

10. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

11. पृष्ठ 12, पंक्ति 9 में "अपने निष्कर्षों की अन्वेषण रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों का लोप किया जाए।

12. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13. पृष्ठ 12, पंक्ति 14 में "लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर "उस धारा के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में "और"–तथा पंक्ति 22 में "विनिश्चय कर सकेगी।" शब्दों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगी।" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र फाइल किए जाने की स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में निदेश देना;"।

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

"(क) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में सक्षम प्राधिकारी को निदेश देना।"

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में "सक्षम प्राधिकारी द्वारा" शब्दों का लोप किया जाए।

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 में शब्दों तथा कोष्ठक "अभियोजन खंड को" के पश्चात् "या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को" शब्दों का अन्तःस्थापित किया जाए।

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 में शब्दों तथा कोष्ठक "(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" का लोप किया जाएं।

खंड-23

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान करने के संबंध में लोकपाल की शक्ति।

"23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
1974 का 2 की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अंतर्विष्ट किस बात के होते हुए
1946 का 25 भी, लोकपाल को धारा 20 की
1966 का 49 उप-धारा (7) के अधीन अभियोजन

के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय दायित्व के निर्वहण में कार्य करते हुए या इस निमित, अधिनियम के प्रयोजन के कथित रूप से कारित किसी अपराध के दोषी लोक सेवक के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और कोई न्यायालय ऐसे कारित अपराध का, सिवाय लोकपाल की पूर्व मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।"

खंड 25

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(3) लोकपाल द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को, लोकपाल की अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, से सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित ऐसी निधियां उपलब्ध करा सकेगी और उक्त निदेशक ऐसे अन्वेषण की बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।"

खंड 37

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को- राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाए।"

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (2)" से पूर्व "इस संबंध में सिफारिशों की प्राप्ति या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम आदेश" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएं।

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 में शब्दों "रिपोर्ट की प्राप्ति" से पूर्व "अंतिम" शब्द अन्तःस्थापित किया जाए।

खंड 46

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 और 31 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"***स्पष्टीकरण***-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "सद्भावपूर्वक" शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतर्कता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य की गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।

खंड 63

28. पृष्ठ 24 और 25 में, खंड 63 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"भाग 3"

लोकायुक्त की स्थापना

लोकायुक्त की स्थापना

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत न किये जाने की स्थिति में इस

अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगा।"

खंड 64 से 97 का विलोपन

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए।

अनुसूची

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 में अंक "2011" के स्थान पर "2013" अेक प्रतिस्थापित किया जाए।

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"2 धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- (नई धारा 4ख क का अन्त:स्थापन।)

"4ख क(1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून एक अधिकारी होगा, की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा। (अभियोजन निदेशक।)

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्ण अधीक्षण एवं नियंत्रणाधीन, कार्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवाशर्तों से संबंधित नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जब वह अपना पद धारण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा।"

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए।

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए।

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए।

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए।

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. महोदया, मैं दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 को राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 को सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी, श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 181 लेंगे। श्री ए. सम्पत बोलेंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन

+
***181. श्री ए. सम्पत:**
श्री पी.के. बिजू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विषयवस्तु, गुणवत्ता, अनुसंधान, नवोन्मेष, संकाय विकास और सकारात्मक कार्रवाई जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस हद तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ङ) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में कार्यरत 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) की सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) संसद के संगत अधिनियमों के माध्यम से स्थापित स्वायतशासी निकाय हैं और अपने अधिनियमों, संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विनियमों और दिशानिर्देशों के अध्यधीन पाठ्यचर्या का निर्धारण, पाठ्यक्रमों की अवधि, मूल्यांकन एवं आकलन प्रणाली, अनुसंधान, नवाचार, संकाय विकास आदि जैसे सभी शैक्षणिक मामलों में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। यूजीसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/छात्राओं/ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए यथा निर्धारित सकारात्मक कार्रवाई जैसे आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा हेतु कोचिंग कक्षाएं, सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाएं आदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही हैं।

समय-समय पर कुलपतियों के सम्मेलन में और हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा फरवरी, 2013 में और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जुलाई, 2013 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, प्राथमिकता के आधार पर रिक्त शिक्षकों के पद भरना, संकाय विकास, स्थानीय समुदाय की समस्याओं का समाधान ढूढ़ने के लिए समीपस्थ क्षेत्रों में विस्तार कार्य, उद्योग और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग, नवाचार को बढ़ावा, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का कारगर उपयोग, अनिवार्य प्रत्यायन, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा में कौशल का समेकन, उचित उत्तरायित्व के साथ स्वायत्ता को सुदृढ़ करना आदि चर्चा में शामिल विषय थे। इन बैठकों में की गई अनुशंसाओं को समुचित कार्रवाई के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ साझा किया गया है।

(घ) एमएयू और जेएमआई को छोड़कर, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और साथ ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के स्तर पर तथा गैर-शिक्षण समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए क्रमशः 15 और $7^1/_2$ प्रतिशत पद आरक्षित हैं। समूह 'ग' पदों पर रोजगार के लिए संबंधित राज्य सरकारों की आरक्षण नीति लागू है।

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में युवा प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को बेहतरीन वेतनमान तथा प्रोन्नति के अवसर देना आरंभ किए हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यूजीसी द्वारा आरंभ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सेमेस्टर प्रणाली आरंभ करना,

(ii) पाठ्यचर्या का आवधिक उन्नयन,

(iii) रूचि-आधारित क्रेडिट प्रणाली आरंभ करना,

(iv) पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करना तथा छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करना,

(v) शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण,

(vi) अनिवार्य आकलन एवं प्रत्यायन आरंभ करना,

(vii) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करना,

(viii) अनुसंधान और शिक्षण संसाधनों को बढ़ाने के लिए फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम आरंभ करना,

(ix) मानक-आधारित वित्त-पोषण तथा उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय योजना के अधीन उदार वित्तीय सहायता, तथा

(x) विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग।

अनुबंध

मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्रम सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
1	2
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय
3.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय
4.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय
5.	असम विश्वविद्यालय
6.	तेजपुर विश्वविद्यालय
7.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय
8.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
9.	दिल्ली विश्वविद्यालय
10.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
11.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
12.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय
13.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
14.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
15.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
16.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
17.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय
18.	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
19.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय
20.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
21.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
22.	डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय
23.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
24.	मणिपुर विश्वविद्यालय
25.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
26.	मिजोरम विश्वविद्यालय
27.	नागालैंड विश्वविद्यालय
28.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
29.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय
30.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय
31.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1	2

32. सिक्किम विश्वविद्यालय
33. तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय
34. त्रिपुरा विश्वविद्यालय
35. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
36. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
37. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
38. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
39. हेमवती नन्दन बहुगुणा मढ़वाल विश्वविद्यालय
40. विश्व भारती

श्री ए. सम्पतः अध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लंबित रिक्त पद, जिसमें पिछले कई वर्षों में काफी बढ़ोतरी हो गयी है, भरे जाएंगे या नहीं। ...*(व्यवधान)* कई प्रेस ने यह बताया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 38 प्रतिशत शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं और अकादमी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या बहुत कम है ... *(व्यवधान)* क्या मंत्री महोदय इस संबंध में उत्तर देंगे? ... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यक सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ...*(व्यवधान)*

श्री एम.एम. पल्लम राजूः महोदया, माननीय सदस्य द्वारा पहले ही पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह तथ्य है कि हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है किन्तु अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े आरक्षित पद कहीं भी नहीं हैं और हम यथा संभव प्रभावी तरीके से इन रिक्त पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी-निजी भागीदारी संबंधी परियोजनाओं की निगरानी

*182. **श्री पशुपति नाथ सिंहः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/कार्यक्रमों को विनियमित करने/उनकी निगरानी करने वाले मौजूदा तंत्र/ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के संबंध में सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत चलाई जा रही इन परियोजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई समीक्षा कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सरकारी-निजी भागीदारी संबंधी परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) सरकार ने सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की निगरानी हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका सभी मंत्रालयों, विभागों, सांविधिक प्राधिकरणों तथा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को अनुसरण करना होता है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकारों पर भी ऐसी राज्य परियोजनाओं के मामले में लागू होते हैं जिन्हें केन्द्र सरकार से व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ) प्राप्त होती है। इन दिशानिर्देशों से एक सांस्थानिक ढांचा सृजित हुआ है जिससे पीपीपी परियोजनाओं के लिए रियायत समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके ताकि सरकारी राजकोष तथा उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा हो। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना प्राधिकरणों को पीपीपी परियोजनाओं के

निष्पादन की निगरानी हेतु द्विस्तरीय तंत्र सृजित करना चाहिए जिसमें निम्नांकित शामिल हो:

(i) परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर पीपीपी परियोजना निगरानी एकक (पीपीपी पीएमयू); और

(ii) मंत्रालय अथवा राज्य स्तर पर पीपीपी निष्पादन समीक्षा एकक (पीपीपी पीआरयू), जैसा भी मामला हो।

उक्त दिशानिर्देशों का मंत्रालयों द्वारा हो रहे अनुपालन की समीक्षा के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के समक्ष एक तिमाही रिपोर्ट रखी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। सड़क, बिजली, विमानपतन, पत्तन, शहरी अवसंरचना आदि जैसी अवसंरचना परियोजनाओं से, इसकी प्रकृति के अनुसार, कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी तबकों को लाभ पहुंचता है। कोई परियोजना विभिन्न तबकों को किस हद तक लाभान्वित करेगी, यह परियोजना पर निर्भर करता है न कि इस बात पर कि क्या उसे पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया गया है।

(घ) निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जून, 2013 में किया गया था ताकि अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के मामले में मंजूरी/अनुमोदन में तेजी लाई जा सके। यह समिति चिह्नित परियोजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण भी करती है तथा निर्धारित समय-सीमा से आगे जाने वाली विलम्बित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है ताकि उनका प्रभावी कार्यान्वयन हो सके।

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक कोटर्स

***183. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फास्ट ट्रैक कोटर्स संबंधी योजना के अंतर्गत किन-किन लक्ष्यों और उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है और इसके शुरू होने से लेकर अब तक वर्ष/राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने फास्ट ट्रैक कोटर्स का गठन किया गया और इनके द्वारा राज्य-वार कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय सहायता बंद किए जाने के पश्चात् से फास्ट ट्रैक कोटर्स को अपने ही संसाधनों से सहायता प्रदान करते आ रहे हैं और यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्यों को प्रतिपूर्ति करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या देश में फास्ट ट्रैक कोटर्स प्रणाली पुनःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना, भारत के संविधान के अधीन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है। त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे और 2000-01 से 2010-11 तक ग्यारह वर्ष की अवधि के लिए एफटीसी हेतु राज्यों को अनुदान किए गए थे। राज्यों को जारी किए गए अनुदानों को उपदर्शित करने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एफटीसी के लिए राज्यों को अनुदान स्कीम को 31.03.2011 तक चालू रखा गया था। कार्यरत रिपोर्ट की गई त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यवार संख्या और 31.03.2011 को उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी हां। कुछ राज्यों ने एफटीसी को स्वयं अपने संसाधनों पर 31.3.2011 से आगे जारी रखा है। प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों में कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यवार संख्या को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने, ब्रिज मोहन लाल *बनाम* भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेश का अनुसरण करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए जाने वाले न्यायाधीशों के 10% अतिरिक्त पदों के वेतनों के लिए तेरहवें वित्त आयोग अधिनिर्णय से तारीख 31.03.2015 तक अनुरूप आधार पर वित्तपोषित करने का विनिश्चय किया है। राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए भी इन स्थितियों का उपयोग कर सकेंगे।

7 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया है कि राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से परामर्श करके स्त्रियों, बालकों, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के सीमांत वर्गों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित उपयुक्त संख्या में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी और त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन और उनको जारी रखने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएंगी।

विवरण I

वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी केन्द्रीय अनुदान

(*लाख* रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2000-01 से 2004-05 के लिए जारी*	न्याय विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय अनुदान						कुल योग
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2250.00	550.50	412.80	412.80	142.40	-	1096.00	4864.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.69	19.20	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	143.89
3.	असम	530.10	128.00	96.00	96.00	91.20	96.00	96.00	1133.30
4.	बिहार	4766.40	960.30	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	9326.70
5.	छत्तीसगढ़	791.10	198.40	129.60	129.60	148.80	148.80	129.60	1675.90
6.	गोवा	125.10	32.00	24.00	24.00	19.20	14.40	24.00	262.70
7.	गुजरात	3226.68	1062.80	1355.90	571.20	580.80	-	777.60	7574.98
8.	हरियाणा	422.31	102.40	33.60	67.20	38.40	76.80	67.20	807.90
9.	हिमाचल प्रदेश	108.59	57.60	43.57	0	38.40	43.20	43.20	334.56
10.	जम्मू और कश्मीर	300.60	-	-	-	-	-	-	300.60
11.	झारखंड	2319.30	569.80	226.00	190.17	249.60	196.80	192.00	3943.67
12.	कर्नाटक	2431.80	595.40	610.80	230.40	182.40	446.40	441.60	4938.80
13.	केरल	815.25	198.40	148.80	148.80	148.80	148.80	148.80	1757.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	2223.90	422.50	215.40	259.80	312.00	316.80	316.80	4067.20
15.	महाराष्ट्र	4352.40	1197.20	1101.60	782.40	417.60	412.80	537.60	8801.60
16.	मणिपुर	90.00	12.80	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	150.80
17.	मेघालय	90.00	19.20	14.40	0	28.80	-	28.80	181.20
18.	मिजोरम	90.00	19.20	17.68	14.40	14.40	14.40	14.40	184.48
19.	नागालैंड	54.90	12.80	18.18	9.60	9.60	9.60	9.60	124.28
20.	ओडिशा	1866.60	262.40	196.80	158.40	158.40	168.00	168.00	2978.60
21.	पंजाब	746.10	115.20	48.00	51.20	0	163.20	81.60	1205.30
22.	राजस्थान	2238.05	531.40	753.64	398.40	398.40	398.40	398.40	5116.69
23.	सिक्किम	29.70	-	-	-	-	-	-	29.70
24.	तमिलनाडु	1151.90	313.70	235.20	235.20	0	470.40	235.20	2641.60
25.	त्रिपुरा	73.80	19.20	3.80	0	0	11.56	0	108.36
26.	उत्तर प्रदेश	6319.80	288.00	3075.69	495.52	1161.60	1161.60	1094.40	13596.61
27.	उत्तराखंड	1173.60	1549.80	216.00	129.60	0	-	99.62	3168.62
28.	पश्चिम बंगाल	3972.60	761.80	571.20	571.20	571.20	571.20	571.20	7590.40
	कुल	42613.27	10000.00	10292.66	5719.89	5456.00	5613.16	7315.62	87010.60

*वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 में राज्यों को जारी अनुदान।

विवरण II

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.03.2011 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	एफटीसी द्वारा प्रारंभ से 31.03.2011 तक निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	108	199953
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1660

1	2	3	4
3.	असम	20	55811
4.	बिहार	179	159105
5.	छत्तीसगढ़	25	76575
6.	गोवा	5	4017
7.	गुजरात*	61	434296
8.	हरियाणा**	6	33590
9.	हिमाचल प्रदेश	9	33427
10.	झारखंड	39	87789
11.	कर्नाटक#	87	184067
12.	केरल	38	95367
13.	मध्य प्रदेश**	84	317363
14.	महाराष्ट्र*	51	381619
15.	मणिपुर	2	2861
16.	मेघालय	3	843
17.	मिजोरम	3	1635
18.	नागालैंड	2	716
19.	ओडिशा	35	60441
20.	पंजाब**	15	46347
21.	राजस्थान	83	123024
22.	तमिलनाडु$	49	371336
23.	त्रिपुरा	3	5591
24.	उत्तर प्रदेश	153	411658
25.	उत्तराखंड	20	89791
26.	पश्चिम बंगाल	109	113903
	कुल	1192	3292785

* फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान

** दिसम्बर, 2010 को यथाविद्यमान

\# अगस्त, 2010 को यथाविद्यमान

$ दिसम्बर, 2008 को यथाविद्यमान

विवरण III

त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	निम्नलिखित तारीख को
1.	आंध्र प्रदेश	72	अगस्त, 13
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	दिसम्बर, 12
3.	असम	20	अक्तूबर, 12
4.	बिहार	183	दिसम्बर, 12
5.	दिल्ली	4	सितम्बर, 13
6.	गोवा	3	सितम्बर, 13
7.	हरियाणा	7	दिसम्बर, 12
8.	हिमाचल प्रदेश	9	दिसम्बर, 12
9.	कर्नाटक	93	दिसम्बर, 12
10.	केरल	38	जुलाई, 13
11.	महाराष्ट्र	100	दिसम्बर, 12
12.	मणिपुर	2	अक्तूबर, 12
13.	मेघालय	3	सितम्बर, 13
14.	मिजोरम	2	दिसम्बर, 12
15.	नागालैंड	2	अक्तूबर, 12
16.	ओडिशा	35	दिसम्बर, 12
17.	पंजाब	15	दिसम्बर, 12
18.	उत्तराखंड	22	जून, 12
19.	पश्चिम बंगाल	88	अगस्त, 13
	कुल	701	

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के दूरसंचार उपक्रमों का बाजार में हिस्सा

***184. श्री तूफानी सरोज:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड पर अत्यधिक कर्ज है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी दूरसंचार कंपनियों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के लैंडलाइन और मोबाइल दोनों सेवाओं के बाजार हिस्से में तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शन प्रयोक्ताओं की संख्या में आई कमी का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और इनके ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापरक सेवाएं मुहैया कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 तथा चालू वर्ष 2013-14 के दौरान दिनांक 30.09.2013 तक भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर

टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निम्न तारीख के अनुसार	बैंकों से लिया गया ऋण (करोड़ रुपये में)	
	बीएसएनएल	एमटीएनएल
31.3.2011	शून्य	7456
31.3.2012	1320	9647
31.3.2013	2561	11779
30.9.2013	1541	12587

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के ऋण भार में वृद्धि 3जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करने के कारण हुई जिनके लिए वर्ष 2010 में बीएसएनएल ने 18500 करोड़ रुपये और एमटीएनएल ने 11098 करोड़ रुपये अदा किए। एमटीएनएल द्वारा यह भुगतान ऋण लेकर और बीएसएनएल द्वारा यह भुगतान अपनी आरक्षित निधि से आहरण करके किया गया।

बीएसएनएल और एमटीएनएल के बढ़ते ऋण भार का कारण राजस्व में हुई कमी और व्यय में हुई वृद्धि है। राजस्व में हुई कमी के कारण निम्नानुसार है:-

- फिक्स्ड टेलीफोन के स्थान पर मोबाइल का उपयोग।
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- मोबाइल क्षेत्र में प्रति उपयोगकर्ता औसत (एआरपीयू) में कमी।

व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण बड़े पारंपरिक कार्य बल के वेतन का भुगतान किया जाना है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के वायरलाइन और वायरलेस टेलीफोनों की बाजार हिस्सेदारी का विवरण निम्नानुसार है:-

निम्न तारीख के अनुसार	बीएसएनएल की प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी		एमटीएनएल की प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी		सार्वजनिक क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों की प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी	
	वायरलाइन	वायरलेस	वायरलाइन	वायरलेस	वायरलाइन	वायरलेस
31.3.2011	72.63	11.32	9.97	0.67	82.6	11.99
31.3.2012	69.88	10.71	10.75	0.64	80.63	11.35
31.3.2013	67.69	11.66	11.44	0.58	79.13	12.24
30.9.2013	66.14	11.11	12.10	0.42	78.24	11.53

देश में लैंडलाइल कनेक्शनों की कुल संख्या मार्च, 2010 में 36.94 मिलियन से घटकर दिनांक 30.09.2013 की स्थिति के अनुसार 29.28 मिलियन रह गई। लैंडलाइन और मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या में हुई कमी में प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

लैंडलाइन

- फिक्स्ड लाइन टेलीफोनों के स्थान पर मोबाइल फोनों का उपयोग किया जाना जो उपभोक्ताओं को प्रयोग में बेहतर सुविधा प्रदान करते हैं।
- एक ही भवन में उपलब्ध कराए गए अनेक कनेक्शनों की स्थिति में अतिक्ति वायरलाइन कनेक्शन का अभ्यर्पण।

मोबाइल

- कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- प्रभावी बिक्री और विपणन उपायों की कमी।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों

की संख्या में विशुद्ध परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार है:-

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.09.2013 तक)
बीएसएनएल (लाख में)				
लैंडलाइन कनेक्शन में विशुद्ध परिवर्तन	(-)28.0	(-)27.5	(-)20.2	(-)10.8
मोबाइल कनेक्शन में विशुद्ध परिवर्तन	230.0	82.4	39.9	(-)30.3
एमटीएनएल (लाख में)				
लैंडलाइन कनेक्शन में विशुद्ध परिवर्तन	(-)0.32	(-)0.06	0.02	0.83
मोबाइल कनेक्शन में विशुद्ध परिवर्तन	3.79	3.59	(-)8.33	(-) 12.58

टिप्पणी: उपर्युक्त तालिका में (-) कनेक्शनों की संख्या में हुई कमी को दर्शाता है।

(ङ) बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नियमित तौर पर की जाती है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की वित्तीय स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पुनरुज्जीवन एवं पुनरुद्धार के लिए अल्पावधिक, मध्यावधिक और दीर्घावधिक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए दिनांक 17.04.2013 को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्री समूह की बैठक दिनांक 12.06.2013, 01.08.2013 और 12.09.2013 को आयोजित हुई। मंत्री समूह से सरकार के अनुमोदनार्थ निम्नलिखित अल्पावधिक उपायों की सिफारिश की है:-

- बीएसएनएल के समान ही एमटीएनएल के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान।
- बीएसएनएल द्वारा छह लाइसेंस सेवा क्षेत्रों और एमटीएनएल द्वारा दो सेवा क्षेत्रों (दिल्ली एवं मुबई) में ब्रॉडबैंड वायरलैस अभिगम स्पैक्ट्रम का अभ्यर्पण और इस स्पैक्ट्रम के लिए बीएसएनएल द्वारा चुकाई गई राशि को वापस किया जाना।
- बीएसएनएल के गठन के समय इसकी पूंजी संरचना के भाग के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड को दिए गए 7500 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ऋण के ब्याज सहित आदत्त हिस्से की माफी।

बीएसएनएल और एमटीएनएल अपनी सेवा-गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपनी सेवा की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आकर्षक प्रशुल्क योजना, नेटवर्क की निगरानी करने के लिए अधुनातन सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग, नई पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) की अधुनातन प्रौद्योगिकी वाले स्विचों में अंतरण, ड्राइव टेस्ट के माध्यम से रेडियो नेटवर्क को इष्टतमीकरण करने आदि जैसे कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

लाइसेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन

***185. श्री कमलेश पासवान:**
श्री खगेन दास:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने 3जी सेवाएं प्रदान करने में कथित रूप से लाइसेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे उल्लंघनों सहित चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे उल्लंघनों संबंधी जारी निर्देशों का सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंसिंग मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) कुछ सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारकों द्वारा बिना किसी विशिष्ट प्राधिकार के 3जी सेवाओं से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। इन सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारकों के लाइसेंस न तो 3जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु संशोधित किए गए हैं और न ही उन्हें 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है। इसकी जांच करने पर यह पता चला है कि ऐसे लाइसेंसधारक, उन सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारकों, के साथ अंतरा सेवा क्षेत्र रोमिंग नामक वाणिज्यिक करार करके अपने उपभोक्ताओं को 3जी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिनके लाइसेंस 3जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु संशोधित किए गए हैं और उनको उस सेवा क्षेत्र में 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन भी किया गया है।

ऐसी लाइसेंसधारक कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जो 3जी स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु अपने लाइसेंसों में बिना कोई विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त किए/संशोधन किए और 3जी नेटववर्क के रोल आउट हेतु 3जी स्पेक्ट्रम का बिना कोई आवंटन किए, ऊपर उल्लिखित तथा कथित अंतरा सेवा क्षेत्र रोमिंग व्यवस्था के तहत 3जी सेवाएं प्रदान कर रही थीं, को 3जी सेवाओं के प्रावधान को तत्काल समाप्त करने के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को अनुदेश जारी किए गए थे।

इन कंपनियों ने माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के उपर्युक्त उल्लिखित पत्र के तहत जारी अनुदेशों का खंडन किया है। टीडीएसएटी ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 के अपने अंतरिम आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया कि दूरसंचार विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2011 के इस संदेहास्पद आदेश को लागू करने के लिए इन कंपनियों के विरुद्ध कोई अवपीड़क कदम उठाने से मना किया गया है। इस मामले में दिनांक 3 जुलाई, 2012 को माननीय टीडीएसएटी द्वारा दिया गया निर्णय 1:1 के अनुपात में विभाजित था। इस निर्णय के अनुसार, टीडीएसएटी के अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह फैसला कि इन कंपनियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा समुचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता देते हुए दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के संदेहास्पद आदेश को अलग रखा जाता है। तथापि, टीडीएसएटी सदस्य ने अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसी कंपनियां, 3जी स्पेक्ट्रम धारित करने वाले सेवा प्रदाताओं के साथ अंतरा-क्षेत्रकरार निष्पादित करके उन क्षेत्रों में अपने उपभोक्ताओं को 3जी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती हैं जिनको किसी निश्चित सर्किलों में लाइसेंस प्रदाता द्वारा 3जी स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया गया है।

चूंकि इन कंपनियों ने माननीय टीडीएसएटी द्वारा खंडित निर्णय दिए जाने के उपरांत भी दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 के दूरसंचार विभाग के अनुदेशों के प्रति अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, अत:, मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को दिनांक 28 सितंबर, 2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि वह 60 दिनों के भीतर यह बताए कि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उस पर वित्तीय अर्थदंड क्यों न लगाया जाए और उन 7 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में कंपनी का लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए जहां कंपनी बिना किसी विशेष प्राधिकार के 3जी सेवाएं प्रदान कर रही थी। साथ ही, इसी नोटिस में कंपनी को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर इन 7 लाइसेंस सेवा

क्षेत्रों में 3जी सेवाएं प्रदान करना बंद करने का निर्देश दिया गया।

कंपनी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस को दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटान करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, आदेश दिया कि कंपनी दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के संदेहास्पद कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करे। उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकरण इस मामले में कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई किए जाने के उपरांत इसके समक्ष उठाए गए मुद्दों पर अपना निर्णय देगा। फैसला होने तक दूरसंचार विभाग कंपनी के विरुद्ध कोई अवपीड़क कदम नहीं उठाएगा।

इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित आदेश के आलोक में, मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया, मैसर्स एयरसेल लिमिटेड, मैसर्स डिशनेट वायरलैस लिमिटेड, और मैसर्स टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड को दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो कथित तौर पर समान लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने के दोषी थे।

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को प्रदत्त वैयक्तिक सुनवाई के परिणामस्वरूप, दिनांक 15 मार्च, 2013 को मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को 350 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाए जाने का मांग नोटिस जारी किया गया और मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ में उपर्युक्त नोटिस को चुनौती दी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम उपाय के तौर पर दिनांक 18 मार्च, 2013 को स्थगन आदेश पारित किया था। उक्त स्थगन आदेश को मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा दायर 2013 की लैटर पैटेंट अपील (एलपीए) संख्या 189 में दिल्ली उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2013 के आदेश के तहत रद्द कर दिया गया। मैसर्स भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ के इस अंतरिम आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा दायर अपील के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को एक आदेश पारित किया कि विभाग द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई अवपीड़क कदम न उठाया जाये और कंपनी को भी यह आदेश दिया कि वह अंतरा-क्षेत्र रोमिंग करार के आधार पर किसी नए उपभोक्ता को 3जी सेवाओं की सुविधा न प्रदान करे।

इसके अलावा, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को मैसर्स वोडाफोन को 550 करोड़ रुपये तथा मैसर्स आइडिया को 300 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाते हुए मांग नोटिस जारी किया गया। इन दोनों ही कंपनियों ने इस मांग नोटिस को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को इस मांग पर रोक लगा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2013 को मैसर्स भारती एयरटेल, लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के आदेश के समान ही आदेश पारित किया।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स भारतीय एयरटेल लिमिटेड *बनाम* भारत संघ की वर्ष 2013 की एसएलपी (सी) संख्या 14568 के कारण पेश आई सिविल अपील सं. 8448/2013 में दिनांक 23.09.2013 के अपने आदेश के तहत इस मामले को टीडीएसएटी को अन्तरित कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड *बनाम* भारत संघ की रिट याचिका (सी) सं. 2221/2013 में दिनांक 04.09.2013 के अपने आदेश और मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड *बनाम* भारत संघ की रिट याचिका (सी) सं. 2222/2013 में दिए गए दिनांक 05.08.2013 को अपने आदेश के तहत इस मामले को टीडीएसएटी को अन्तरित कर दिया है।

इसके अलावा कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने अपने साझेदार मैसर्स एयरसेल लिमिटेड के साथ 3जी/आईसीआर करार को जुलाई, 2012 में रद्द किए जाने की सूचना दी थी। इसी प्रकार, मैसर्स एयरसेल लिमिटेड, मैसर्स डिशनेट लिमिटेड ने सूचित किया था कि उन्होंने वाणिज्यिक तौर पर 3जी सेवाएं शुरू नहीं की थी और उन्होंने स्वयं ही मई-जुलाई, 2012 के दौरान 5 लाइसेंस सेवा क्षेत्रो में अपनी 'टेक्निकल कन्फिगरेशन पायलट टेस्टिंग" सेवा को भी वापस ले लिया है।

फिलहाल, यह मामला न्यायाधीन है।

विवरण

सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा

क्रम सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र जहां उल्लंघन पाया गया
1.	मैसर्स भारती एयरटेल	गुजरात, हरियाणा, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व)
2.	मैसर्स वोडाफोन (मैसर्स वोडाफोन का अर्थ है-मैसर्स वोडाफोन की विभिन्न कंपनियों, नामत: मैसर्स वोडाफोन एस्सार दक्षिण लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड तथा मैसर्स वोडाफोन एस्सार, डिजिलिंक लिमिटेड)	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
3.	मैसर्स आइडिया (मैसर्स आइडिया का अर्थ है-मैसर्स आइडिया की विभिन्न कंपनियां; नामत: मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड, मैसर्स आदित्य बिरला टैलीकॉम लि. और मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, जिसका अब मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड में विलय हो गया है। तथापि, मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन लिमिटेड के नाम से प्रदान किए गए लाइसेंस अभी मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड के नाम अंतरित किए जाते हैं।	असम, कोलकाता, मुंबई, पूर्वोत्तर, तमिलनाडु (चैन्ने सहित), पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली और राजस्थान
4.	मैसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड और मैसर्स एयरसेल लि.	हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान
5.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पूर्व), कोलकाता, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु (चैन्ने सहित), पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर

रूग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुद्धार

*186. **श्री नरेनभाई काछादिया:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत की कमी, धनराशि की अनुपलब्धता, मंहगे ऋण और आर्थिक मंदी के कारण अनेक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद कर दिए गए हैं/रूग्ण एककों में परिवर्तित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बंद किए गए/रूग्ण एककों में परिवर्तित हुए ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एककों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋण की मौजूदा बकाया देय राशि कितनी है;

(घ) पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत दी गई गैर-विवेकाधीन एक मुश्त निपटान पेशकश का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के कितने एककों द्वारा लाभ लिया गया है; और

(ङ) बंद/रूग्ण एककों के पुनरुद्धार हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकलित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2013 में रूग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 2,48,890 थी।

(ख) नवंबर, 2012 में आरबीआई द्वारा रुग्णता की परिभाषा में संशोधन के कारण मार्च, 2013 में रुग्ण एमएसएमई की संख्या मार्च, 2012 की 88,635 से बढ़ गई है। रूग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और रूग्ण मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) आरबीआई के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में एमएसएमई क्षेत्र का बकाया ऋण मार्च, 2013 के अंत में 8,55,658.52 करोड़ रुपये था।

(घ) आरबीआई ने 1 नवम्बर, 2012 को जारी अपने परिपत्र में बैंकों को अजीवनक्षम रुग्ण सूक्ष्म और लघु इकाइयों को गैर-विवेकाधीन एकमुश्त निपटान (ओटीएस) करने का निर्देश दिया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2013 के अंत तक 2,03,186 रूग्ण सूक्ष्म और लघु इकाइयों को संभावित रूप से अजीवनक्षम पाया गया है।

(ङ) रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए आरबीआई द्वारा 1 नवंबर, 2012 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रावधान है:

(i) रुग्णता की आरंभिक पहचान;

(ii) संभावित रूप से जीवनक्षम रुग्ण सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए पुनर्वास पैकेज का आधार बनाने के लिए जीवनक्षमता अध्ययन; और

(iii) एमएसई क्षेत्र के लिए गैर-विवेकाधीन एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना।

इसके अलावा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने "एमएसएमई के लिए समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों और पुनर्वास योजना का प्रबंधन/पुनर्गठन की योजना" भी शुरू की है। इस योजना में राहत और रियायतों (पुनर्योजन, ब्याज दर में कमी, विलंबित/भावी ब्याज का वित्तपोषण, और छूट, आदि के रूप में) के साथ-साथ रूग्ण एमएसएमई इकाइयों के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

आरबीआई द्वारा दिए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2013 के अंत तक 8836 रूग्ण सूक्ष्म और लघु इकाइयों को संभावित जीवनक्षम माना गया है, जिनमें से 4,460 उपचाराधीन हैं।

विवरण I

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मार्च माह के अंत में रुग्ण सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या		
		2011	2012	2013 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
01.	आंध्र प्रदेश	11305	3848	12044
02.	अरुणाचल प्रदेश	109	0	74
03.	असम	506	598	1710
04.	बिहार	4872	5633	5502
05.	छत्तीसगढ़	1052	594	2954

1	2	3	4	5
06.	गोवा	155	109	189
07.	गुजरात	4321	6257	20220
08.	हरियाणा	344	2976	3299
09.	हिमाचल प्रदेश	575	516	1901
10.	जम्मू और कश्मीर	1631	1202	1283
11.	झारखंड	1476	2201	4624
12.	कर्नाटक	7034	5655	15393
13.	केरल	5363	5425	8373
14.	मध्य प्रदेश	8124	3331	41854
15.	महाराष्ट्र	8815	10136	31322
16.	मणिपुर	23	143	148
17.	मेघालय	276	18	64
18.	मिजोरम	7	38	159
19.	नागालैंड	23	8	147
20.	ओडिशा	4967	5899	11488
21.	पंजाब	1478	1597	3584
22.	राजस्थान	1743	5188	20253
23.	सिक्किम	21	38	63
24.	तमिलनाडु	7106	8301	22886
25.	त्रिपुरा	13	12	16
26.	उत्तराखंड	362	305	19046
27.	उत्तर प्रदेश	4674	5366	3448
28.	पश्चिम बंगाल	7904	8816	11737
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	8	68

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	147	55	620
31.	दादरा और नगर हवेली	0	1	22
32.	दमन और दीव	0	17	25
33.	दिल्ली	4250	1150	2585
34.	लक्षद्वीप	–	–	0
35.	पुदुचेरी	1457	150	188
	अखिल भारतीय योग	90141	85591	247289

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

विवरण II

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रुग्ण मध्यम उद्यमों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मार्च माह के अंत में रुग्ण मध्यम उद्यमों की संख्या		
		2011	2012	2013 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	86	136	214
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3.	असम	1	6	26
4.	बिहार	28	112	52
5.	छत्तीसगढ़	3	168	14
6.	गोवा	3	0	0
7.	गुजरात	130	117	156
8.	हरियाणा	123	41	24
9.	हिमाचल प्रदेश	231	27	20
10.	जम्मू और कश्मीर	148	62	6
11.	झारखंड	7	15	14

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	154	116	211
13.	केरल	19	36	47
14.	मध्य प्रदेश	50	430	33
15.	महाराष्ट्र	168	144	152
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	10	0	0
18.	मिजोरम	3	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	18	33	24
21.	पंजाब	230	186	32
22.	राजस्थान	3	167	7
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	113	142	92
25.	त्रिपुरा	19	0	0
26.	उत्तराखंड	6	9	55
27.	उत्तर प्रदेश	19	122	3
28.	पश्चिम बंगाल	459	297	265
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	17	35
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	1	0
33.	दिल्ली	82	660	116
34.	लक्षद्वीप	–	–	0
35.	पुदुचेरी	0	0	2
	अखिल भारतीय योग	2117	3044	1601

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

[हिन्दी]

शहरी गरीबों को आवास हेतु राजसहायता

***187. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीबों को आवास हेतु ब्याज राजसहायता संबंधी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और लाभार्थियों के चयन हेतु आर्थिक मानदंड क्या हैं;

(ख) इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके शुरू होने से लेकर अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले निर्धन लोगों को आवास मुहैया कराने हेतु राजसहायता देने के संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती कीमतों को देखते हुए शहरी गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) आरंभ की थी जिसका उद्देश्य आवासों के निर्माण/अधिग्रहण के प्रयोजनार्थ स्लम वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्गों (एलआईजी) को लाख रुपये तक के आवासीय ऋण पर 5 प्रतिशत (500 आधार बिंदुओं) की दर से ब्याज पर ब्याज सब्सिडी मुहैया कराना है। आईएसएचयूपी के अंतर्गत 1,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों का आर्थिक पैरामीटर है और 1,00,001-2,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय एलआईजी लाभार्थियों के लिए आर्थिक पैरामीटर है।

आईएसएचयूपी स्कीम को अब वृद्धिगत क्षेत्र एवं कवरेज के साथ संशोधित किया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में "राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)" के रूप में शुरू किया गया है।

(ख) और (ग) आईएसएचयूपी के प्रारंभ से शामिल लाभार्थियों की संख्या और धनराशि का राज्यवार ब्यौरा (30.06.2013 की स्थिति के अनुसार विवरण-I में दिया गया है।

(घ) 'भूमि' और 'कॉलोनाइजेशन' राज्य के विषय है इसलिए किफायती आवास स्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यद्यपि, आवास की कीमत बाजार मूल्य पर आधारित होती है एवं मांग तथा आपूर्ति कारकों पर निर्भर करती है। तथापि, राज्यों के पहल प्रयासों को सहायता प्रदान करने एवं किफायती आवास स्टॉक की आपूर्ति करने और शहरी गरीबों के लिए कीमतें कम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भारत सरकार गरीब स्लम वासियों को आवास और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत शहर की आबादी के आधार पर आवासों की प्रति इकाई लागत के 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की सीमा तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की वर्ष-वार प्रगति विवरण-II में दी गई है।

(ii) भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नामक एक अन्य पहल-प्रयास वर्ष 2005 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 65 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों/स्लम वासियो के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित आवास और अवस्थापनात्मक सुविधाएं शुरू करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करना है। बीएसयूपी शहरों/कस्बों के अलावा अन्य शहरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया था। प्रारंभ में मिशन की अवधि 31.12.2012 तक थी जिसे मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2015 तक बढ़ाया गया था। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी स्कीमों की वर्ष-वार प्रगति विवरण-III में दी गई है।

(iii) भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) स्कीम;

(iv) क्रेडिट जोखिम गारंटी कोष ट्रस्ट (सीआरजीएफटी) का गठन;

(v) धारा 24बी, धारा 80सी, धारा 35एडी के अंतर्गत विभिन्न कर प्रोत्साहन एवं किफायती आवास इत्यादि में सेवाकर की छूट;

(vi) 25 लाख रुपये तक की लागत वाले मकान के लिए 15 लाख रुपये तक ऋण हेतु प्राथमिक क्षेत्र ऋण में आवास को शामिल करना;

(vii) केन्द्रीय बजट 2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की धनराशि के संग्रह से शहरी आवास कोष की उदघोषणा;

(viii) किफायती आवासीय परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बाह्य व्यवसायिक ऋण (ईसीबी) खोलना;

(ix) प्रत्येक नई सार्वजनिक/निजी आवासीय विकास परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए विकसित भूमि का 20-25 प्रतिशत आरक्षित करना और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत उपयुक्त क्रास सब्सिडाइजेशन द्वारा इस सुधार के कार्यान्वयन के लिए विकासकों को प्रोत्साहित करना।

विवरण I

शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) के अंतर्गत इसके प्रारंभ होने से अब तक की प्रगति

(लाख रुपये में)

वर्ष	शामिल राज्य	लाभार्थियों की संख्या	ब्याज सहायता की एनपीवी धनराशि	कुल लाभार्थियों की संख्या	जारी ब्याज सहायता की कुल एनपीवी
1	2	3	4	5	6
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	आंध्र प्रदेश	531	36.82	531	36.83
2010-11	आंध्र प्रदेश	5233	378.01	5859	476.64
	कर्नाटक	53	14.50		
	राजस्थान	27	7.84		
	छत्तीसगढ़	542	75.12		
	तमिलनाडु	4	1.17		
2011-12	आंध्र प्रदेश	2875	220.52	4308	473.86

1	2	3	4	5	6
	कर्नाटक	546	96.32		
	महाराष्ट्र	241	17.75		
	तमिलनाडु	220	56.5		
	असम	1	0.30		
	मध्य प्रदेश	9	1.55		
	राजस्थान	18	4.10		
	केरल	227	59.70		
	छत्तीसगढ़	170	16.83		
	उत्तर प्रदेश	1	0.29		
2012-13	आंध्र प्रदेश	270	24.34	3267	735.49
	कर्नाटक	623	77.21		
	महाराष्ट्र	157	12.77		
	तमिलनाडु	228	65.23		
	राजस्थान	685	234.28		
	केरल	1072	305.66		
	छत्तीसगढ़	232	16.00		
2013-14	आंध्र प्रदेश	50	4.45		
	कर्नाटक	130	9.67		
	केरल	41	8.80		
	तमिलनाडु	03	0.72	339	64.00
	राजस्थान	99	35.01		
	मध्य प्रदेश	16	5.35		
			कुल	14304	1786.82

विवरण II

राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत वर्षवार प्रगति/स्वीकृति/जारी धनराशि

क्रम	राज्य	परियोजना की संख्या	कुल परियोजना लागत	कुल केन्द्रीय सभा	आवासीय एककों की संख्या (नई+उन्नयन+ किराये/ अस्थायी)	वर्ष 2011-12 जारी	वर्ष 2012-13 जारी	वर्ष 2013-14 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार	संचयी	*वास्तविक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4	166.3665	73.2201	3155	7.4159	16.9907	--	24.4066	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	44.3140	38.7300	576	0.0000	0.0000	12.9097	12.9097	0
3.	असम					0.0000	0.0000		0.0000	0
4.	बिहार					0.0000	0.0000		0.0000	0
5.	छत्तीसगढ़	4	129.2626	59.0609	2940	0.0000	2.0293		2.0293	0
6.	गोवा					0.0000	0.0000		0.0000	0
7.	गुजरात	2	56.9231	26.1361	1339	0.0000	0.0000	2.4720	2.4720	0
8.	हरियाणा	4	311.0910	151.3987	3862	0.0000	0.0000	50.4662	50.4662	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	33.9965	27.6200	300	0.0000	0.0000	9.2074	9.2074	0
10.	जम्मू और कश्मीर	1	22.2188	17.8118	369	0.0000	0.0000		0.0000	0
11.	झारखंड					0.0000	0.0000		0.0000	0
12.	कर्नाटक	5	314.8359	146.5470	5549	0.0000	0.0000	19.5294	19.5294	0
13.	केरल	2	89.7212	42.1971	1297	11.5739	0.0000		11.5739	0
14.	मध्य प्रदेश	6	359.5648	160.6824	6317	31.4342	11.2118	10.9117	53.5577	0
15.	महाराष्ट्र					0.0000	0.0000		0.0000	0
16.	मणिपुर					0.0000	0.0000		0.0000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय					0.0000	0.0000		0.0000	0
18.	मिजोरम	1	11.2001	9.49000	142	0.0000	3.1634		3.1634	0
19.	नागालैंड					0.0000	0.000		0.000	0
20.	ओडिशा	6	260.6211	110.6193	5628	11.1203	15.8323		26.9526	0
21.	पंजाब	2	19.4290	9.4616	680	0.0000	0.0000		0.0000	0
22.	राजस्थान	21	922.4734	437.1062	17236	9.1990	18.8763	38.1681	66.2434	0
23.	सिक्किम					0.0000	0.0000		0.0000	0
24.	तमिलनाडु	3	134.3576	54.9738	1777	0.0000	11.5746	2.3336	13.9082	0
25.	त्रिपुरा					0.0000	0.0000		0.0000	0
26.	उत्तर प्रदेश	8	224.5953	95.0451	2584	0.0000	11.6223	20.0599	31.6822	0
27.	उत्तराखंड					0.0000	0.0000		0.0000	0
28.	पश्चिम बंगाल	2	22.9472	12.6669	397	0.0000	0.0000		0.0000	0
राज्य कुल		73	3123.9181	1472.7670	54148	70.7433	91.3007	166.0580	328.1020	0
29.	दिल्ली		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
30.	पुदुचेरी		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
31.	चंडीगढ़		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
33.	दादरा और नगर हवेली		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
34.	लक्षद्वीप		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
35.	दमन और दीव		0.0000	0.0000		0.0000	0.0000		0.0000	0
संघ शासित क्षेत्र कुल		0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
सकल योग		73	3123.9181	1472.7670	54148	70.7433	91.3007	166.0580	328.1020	0

*ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण III (क)

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बीएसयूपी और आईएचएसडीपी में पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में जारी धनराशि और पूर्ण रिहायशी इकाइयां

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी एसीए														
		2010-11			2011-12			2012-13			वर्तमान वर्ष			योग		
		बीएस-यूपी	आईएच एसडीपी	कुल	बीएस-यूपी	आईएच एसडीपी	कुल	बीएस-यूपी	आईएच एसडीपी	कुल	बीएस-यूपी	आईएच एसडीपी	कुल	बीएस-यूपी	आईएच एसडीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5	5.5
2.	आंध्र प्रदेश	325.1	96.7	421.8	197.3	1.8	199.2	95.0	68.2	163.3	-	8.2	8.2	1,382.6	656.4	2,039.0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.8	4.5	5.3	-	-	-	16.2	-	16.2	-	-	-	28.9	4.5	33.4
4.	असम	12.3	-	12.3	-	-	-	-	3.7	3.7	-	-	-	48.8	38.8	87.6
5.	बिहार	-	19.3	19.3	-	24.1	24.1	-	128.2	128.2	-	-	-	78.2	233.5	311.7
6.	चंडीगढ़	38.3	-	38.3	147.1	-	147.1	-	-	-	4.7	-	4.7	379.0	-	379.0
7.	छत्तीसगढ़	7.4	13.7	21.2	-	-	-	22.4	-	22.4	-	40.5	40.5	191.7	158.9	350.5
8.	दादरा और नगर हवेली	-	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.7
9.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
10.	दिल्ली	183.7	-	183.7	116.0	-	116.0	145.0	-	145.0	150.0	-	150.0	768.2	-	768.2
11.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	-	-	-	1.2	0.7	1.9
12.	गुजरात	158.4	6.5	164.9	23.4	19.9	43.4	65.9	54.3	120.3	57.5	4.3	61.7	803.5	204.3	1007.8
13.	हरियाणा	7.8	19.8	27.6	-	29.2	29.2	-	12.4	12.4	-	6.4	6.4	31.2	172.7	203.9
14.	हिमाचल प्रदेश	-	5.9	5.9	2.8	-	2.8	-	7.7	7.7	-	-	-	7.4	32.1	39.5
15.	जम्मू और कश्मीर	3.2	5.4	8.6	10.3	26.8	37.1	5.2	13.6	18.8	-	11.6	11.6	52.4	96.9	149.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	झारखंड	37.5	13.9	51.4	-	10.6	10.6	-	-	-	-	21.3	21.3	82.2	87.0	169.2
17.	कर्नाटक	50.0	37.8	87.8	102.3	69.4	171.7	16.3	-	16.3	20.1	-	20.1	353.2	218.6	571.8
18.	केरल	50.7	30.7	81.4	7.5	13.1	20.6	33.0	7.6	40.6	14.1	9.8	23.9	179.9	161.3	341.1
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	56.6	6.8	63.4	32.7	18.2	51.0	19.1	16.4	35.5	13.2	12.7	25.9	258.7	163.1	421.9
21.	महाराष्ट्र	293.9	84.1	378.0	313.4	52.1	365.5	118.1	260.9	379.0	27.1	77.2	104.3	1894.7	1064.7	2959.4
22.	मणिपुर	-	5.7	5.7	22.0	16.0	38.0	-	-	-	-	-	-	32.9	32.4	65.3
23.	मेघालय	-	-	-	10.1	-	10.1	10.1	-	10.1	-	-	-	36.2	11.2	47.4
24.	मिजोरम	7.2	-	7.2	12.8	14.9	27.7	12.8	-	12.8	6.9	-	6.9	59.8	29.8	89.6
25.	नागालैंड	26.4	-	26.4	-	-	-	26.4	-	26.4	-	-	-	105.6	29.9	135.5
26.	ओडिशा	9.9	4.7	14.7	7.7	22.8	30.5	8.5	33.5	42.0	6.0	6.5	12.5	45.7	155.7	201.4
27.	पुदुचेरी	1.1	-	1.1	7.0	-	7.0	8.1	-	8.1	-	-	-	38.0	2.7	40.8
28.	पंजाब	9.0	50.5	95.5	-	-	-	21.1	10.2	31.3	-	12.8	12.8	47.5	89.7	137.2
29.	राजस्थान	43.2	122.0	165.2	-	5.0	5.0	-	90.9	90.9	-	98.2	98.2	85.5	506.7	592.2
30.	सिक्किम	8.0	-	8.0	6.6	-	6.6	0.7	9.0	9.7	6.6	-	6.6	29.1	17.9	47.0
31.	तमिलनाडु	162.4	70.9	233.3	87.3	11.6	98.9	163.3	34.5	197.7	-	-	-	812.6	362.6	1,175.2
32.	त्रिपुरा	-	12.4	12.4	-	-	-	-	2.8	2.8	-	-	-	14.0	37.3	51.3
33.	उत्तर प्रदेश	284.5	198.2	482.7	184.0	199.0	383.0	27.0	4.7	31.7	-	0.4	0.4	850.5	688.3	1,538.8
34.	उत्तराखंड	10.6	16.8	27.5	1.3	17.5	18.8	2.4	7.5	10.0	2.9	-	2.9	24.2	70.3	94.5
35.	पश्चिम बंगाल	150.3	34.2	184.5	289.0	147.6	436.6	295.0	33.1	328.1	131.7	17.2	149.0	1,427.2	696.7	2,123.8
	सकल योग	1,938.3	861.9	2800.1	1580.6	699.7	2280.3	1111.5	799.9	1911.4	440.8	327.3	768.1	10150.3	6032.3	16182.7

जारी.........

1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	21,094	2,366	23,460	20,087	3,476	23,563	562	803	1,365	–	777	777	101,685	25,809	127,494
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	92	–	92	8	–	8	–	–	–	100	–	100
4.	असम	352	376	728	–	435	435	64	251	315	–	204	204	416	1,725	2,141
5.	बिहार	–	1,454	1,454	352	569	941	32	526	558	48	216	264	432	2,951	3,383
6.	चंडीगढ़	1,600	–	1,600	10,624	–	10,624	–	–	–	–	–	–	12,736	–	12,736
7.	छत्तीसगढ़	–	1,076	1,076	–	1,825	1,625	6,624	2,811	9,435	304	559	863	6,928	6,271	13,199
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	14
10.	दिल्ली	5,628	–	5,628	1,316	–	1,316	–	–	–	–	–	–	14,844	–	14,844
11.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	गुजरात	16,670	2,385	19,055	14,812	593	15,405	8,794	2,189	10,983	980	2,967	3,947	89,530	8,956	98,486
13.	हरियाणा	174	1,456	1,630	842	1,819	2,661	40	1,277	1,317	–	334	334	2,896	8,646	11,542
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	40	32	72	–	–	–	40	32	72
15.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	356	942	1,298	69	1,679	1,748	220	913	1,133	645	3,534	4,179
16.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	1,285	1,285	60	1,274	1,334	60	2,559	2,619
17.	कर्नाटक	3,588	2,639	6,227	10,896	7,082	18,778	1,804	–	1,804	1,573	1,553	3,126	22,026	16,200	38,226
18.	केरल	3,560	3,806	7,366	3,348	3,175	6,523	1,612	2,042	3,654	861	531	1,392	14,541	16,041	30,582

1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	1,679	122	1,801	4,161	448	4,609	3,462	2,660	6,122	1,230	2,229	3,459	13,773	6,432	20,205
21.	महाराष्ट्र	7,592	2,278	9,870	21,910	7,618	29,528	3,149	6,429	9,578	1,938	2,734	4,672	58,656	25,275	83,931
22.	मणिपुर	-	-	-	-	832	832	70	1,637	1,707	130	50	180	200	2,519	2,719
23.	मेघालय	16	-	16	48	48	96	112	-	112	-	-	-	176	48	224
24.	मिजोरम	65	347	412	70	473	543	-	384	384	235	400	635	370	1,604	1,974
25.	नागालैंड	750	480	1,230	520	-	520	-	-	-	930	-	930	2,200	480	2,680
26.	ओडिशा	627	1,352	1,979	254	1,211	1,465	1,23	1,165	1,288	176	1,367	1,543	1,217	5,596	6,813
27.	पुदुचेरी	207	-	207	151	-	151	72	-	72	-	-	-	430	-	430
28.	पंजाब	140	-	140	860	-	860	544	702	1,246	56	160	216	1,600	862	2,462
29.	राजस्थान	160	1,527	1,687	114	1,658	1,772	-	2,822	2,822	-	1,923	1,923	765	10,445	11,210
30.	सिक्किम	-	-	-	52	-	52	-	-	-	-	39	39	52	39	91
31.	तमिलनाडु	8,770	11,878	20,648	16,672	6,033	22,705	6,812	3,916	10,728	4,275	1,617	5,892	44,608	30,624	75,232
32.	त्रिपुरा	-	903	903	-	663	663	-	919	919	-	106	106	256	2,591	2,847
33.	उत्तर प्रदेश	6,582	3,214	9,796	13,786	6,777	20,563	3,445	4,360	7,805	-	-	-	31,557	17,168	48,725
34.	उत्तराखंड	45	336	381	9	666	675	97	264	361	-	-	-	151	1,272	1,423
35.	पश्चिम बंगाल	18,181	14,647	29,828	19,670	7,988	27,658	10,305	4,127	14,432	10,104	1,692	11,796	85,114	42,773	127,887
	सकल योग	97480	49644	147124	141002	55151	196153	47840	42280	90120	23120	21645	44765	508004	240466	748470

विवरण III (ख)

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान पूर्ण हो चुकी रिहायशी इकाइयां

क्रम सं.	राज्य का नाम	पूर्ण रिहायशी इकाइयां 2010-11			2011-12			2012-13			वर्तमान वर्ष		
		बीएसयूपी	आईएच एसडीपी	कुल	बीएसयूपी एसडीपी	आईएच	कुल	बीएसयूपी एसडीपी	आईएच	कुल	बीएसयूपी एसडीपी	आईएच	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	21,094	2,366	23,460	20,087	3,476	23,563	562	803	1,365	-	777	777
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	92	-	92	8	-	8	-	-	-
4.	असम	352	376	728	-	435	435	64	251	315	-	204	204
5.	बिहार	-	1,454	1,454	352	589	941	32	526	558	48	216	264
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	1,600	-	1,600	10,624	-	10624	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	-	1,076	1,076	-	1,825	1,825	6,624	2,811	9,435	304	559	863
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	दमन और दीव	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	दिल्ली	5,628	-	5,628	1,316	-	1,316	-	-	-	-	-	-
11.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	गुजरात	16,670	22,385	19,055	14,812	593	15,405	8,794	2,189	10,983	980	2,967	3,947
13.	हरियाणा	174	1,456	1,630	842	1,819	2,661	40	1,277	1,317	-	334	334
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	40	32	72	-	-	-
15.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	356	942	1,298	69	1,679	1,748	220	913	1,133
16.	झारखण्ड	-	-	-	-	-	-	-	1,285	1,285	60	1,274	1,334
17.	कर्नाटक	3588	2639	6227	10896	7882	18778	1804	-	1804	1573	1553	3126
18.	केरल	3,560	3,806	7,366	3,348	3,175	6,523	1,612	2,042	3,654	861	531	1,392
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	1,679	122	1,801	4,161	448	4,609	3,462	2,660	6,122	1,230	2,229	3,459
21.	महाराष्ट्र	7,592	2,278	9,870	21,910	7,618	29,528	3,149	6,429	9,578	1,938	2,734	4,672
22.	मणिपुर	-	-	-	-	832	832	70	1,637	1,707	130	50	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	मेघालय	16	-	16	48	48	96	112	-	112	-	-	-
24.	मिजोरम	65	347	412	70	473	543	-	384	384	235	400	635
25.	नागालैण्ड	750	480	1,230	520	-	520	-	-	-	930	-	930
26.	ओडिशा	627	1,352	1,979	254	1,211	1,465	123	1,165	1,288	176	1,367	1,543
27.	पुदुचेरी	207	-	207	151	-	151	72	-	72	-	-	-
28.	पंजाब	104	-	140	860	-	860	544	702	1,246	56	160	216
29.	राजस्थान	160	1,527	1,687	144	1,658	1,772	-	2,822	2,822	-	1,923	1,923
30.	सिक्किम	-	-	-	52	-	52	-	-	-	-	39	39
31.	तमिलनाडु	8,770	11,878	20,648	16,672	6,033	22,705	6,812	3,916	10,728	4,275	1,617	5,892
32.	त्रिपुरा	-	903	903	-	663	663	-	919	919	-	106	106
33.	उत्तर प्रदेश	6,582	3,214	9,796	13,786	6,777	20,563	3,445	4,360	7,805	-	-	-
34.	उत्तराखंड	45	336	381	9	666	675	97	264	361	-	-	-
35.	पश्चिम बंगाल	18,181	11,647	29,828	19,670	7,988	27,658	10,305	4,127	14,432	10,104	1,692	11,796
	सकल योग	97,480	49,644	147,124	141,002	55,151	196,153	47,840	42,280	90,120	23,120	21,645	44,765

शिक्षकों की कमी

***188. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री महाबली सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान हेतु वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई;

(ख) क्या बिहार सहित देश में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायक (पैरा) शिक्षकों की नियुक्ति के कारण छात्रों में शिक्षा के प्रति रूचि कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी निधियों और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I में दिया गया है।

प्रारंभिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2007-08 के 18.50 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में

19.97 करोड़ हो गया है जो दर्शाता है कि स्कूलों में अधिकाधिक बच्चों का नामांकन हो रहा है। प्रारंभिक स्कूलों में नामांकन और शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप देश भर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 19.84 लाख शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनकी तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों ने 14.80 लाख शिक्षक नियुक्त किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत पदों और भर्ती किए गए शिक्षकों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II मे दिया गया है। बिहार के मामले में, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 4.03 लाख शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनकी तुलना में अभी तक 2.36 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के सभी शिक्षकों का व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना जरूरी है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2012-13 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर 82.17% शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं। मुक्त दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए मौजूदा शेष 6.61 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत सेवाकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण I

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान जारी निधियां और व्यय

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	2010-11 भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	2010-11 व्यय*	2011-12 भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	2011-12 व्यय*	2012-13 भारत सरकार द्वारा जारी निधियां	2012-13 व्यय*	2013-14 भारत सरकार द्वारा (05.12.2013 की स्थिति के अनुसार) जारी निधियां	2013-14 व्यय* (31.10.2013)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	81000.00	144044.00	183551.72	337247.68	141049.46	255233.50	117614.28	132722.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	20401.77	20993.09	23880.1	26705.67	43764.67	47581.03	9325.85	10297.61
3.	असम	76854.35	85575.16	106921.15	124930.52	130881.60	158075.47	91429.44	45811.86
4.	बिहार	204789.63	349506.91	185108.2	408963.04	275462.25	537009.15	136508.94	144033.79
5.	छत्तीसगढ़	87863.00	123107.25	69870.22	133902.11	85015.73	158992.40	37738.59	74074.65
6.	गोवा	671.27	1459.10	1079.14	1934.35	1013.04	1729.03	718.80	920.98
7.	गुजरात	44065.01	82624.00	88027.79	141781.07	113918.08	223362.25	80559.63	48213.23
8.	हरियाणा	32786.11	64378.71	40461.41	77193.80	33810.35	70379.94	18017.26	19346.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	13786.66	21756.06	14192.78	25196.78	10737.30	25308.45	6144.00	9469.14
10.	जम्मू और कश्मीर	40348.79	64000.64	30070.5	104733.46	50805.85	88218.34	55866.21	61800.17
11.	झारखंड	89562.26	159246.86	57903.46	117232.77	56183.87	174457.09	45010.71	32177.62
12.	कर्नाटक	66903.00	114457.93	62788.35	124995.76	68450.58	154767.20	49519.38	59524.10
13.	केरल	19660.73	26071.88	17021.85	26046.45	13449.14	42970.40	16327.17	13291.13
14.	मध्य प्रदेश	176783.00	293543.00	190427.12	342831.85	135343.30	326932.33	107821.34	201993.97
15.	महाराष्ट्र	85537.00	143200.00	117962.58	181066.45	106854.62	159280.35	33659.48	46826.14
16.	मणिपुर	13253.77	10659.22	3940.55	8389.53	17362.44	11869.47	4195.99	4722.31
17.	मेघालय	18540.90	20050.00	14410.6	19782.59	18670.78	21572.59	10673.41	15107.73
18.	मिजोरम	10115.31	9073.47	10814.05	14084.57	15317.60	16364.23	10657.69	4781.79
19.	नागालैंड	8636.83	10349.83	9798.33	10315.05	11231.95	12941.93	9803.02	9370.11
20.	ओडिशा	73177.85	146508.08	92719.98	162570.06	104307.62	184811.77	53637.41	55304.47
21.	पंजाब	39612.74	55943.00	48112.44	64703.06	49472.68	80968.62	26181.72	26749.53
22.	राजस्थान	146182.29	270368.00	148580.86	313064.40	153520.11	335718.89	139490.15	216463.08
23.	सिक्किम	4469.19	3915.93	4022.84	4453.04	2693.85	3837.20	4195.08	2667.91
24.	तमिलनाडु	69068.57	119480.84	68141.96	116817.50	71637.13	110294.21	46919.64	68688.94
25.	त्रिपुरा	17121.48	14283.80	17493.76	24263.63	12010.11	14602.61	11749.29	9739.43
26.	उत्तर प्रदेश	310462.88	511096.00	263682.61	515804.16	375476.26	681527.15	346411.66	558101.06
27.	उत्तराखंड	25793.94	36831.60	20892.49	39936.44	17941.10	39452.84	16055.80	19278.09
28.	पश्चिम बंगाल	174703.17	305333.13	177652.74	298627.19	258056.58	455294.32	109269.42	180942.83
29.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	357.78	885.55	907.36	1606.37	1089.28	1720.26	440.39	439.29
30.	चंडीगढ़	2155.89	2566.09	1611.21	3301.27	1772.64	2021.22	2276.76	3546.95
31.	दादरा और नगर हवेली	413.78	692.07	564.35	796.36	652.76	1508.76	386.24	656.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	दमन और दीव	162.99	374.81	257.06	485.42	433.12	568.51	145.54	119.69
33.	दिल्ली	3552.71	4657.72	3783.29	8008.74	4293.24	7882.29	5822.82	3532.94
34.	लक्षद्वीप	127.39	292.95	127.86	363.28	57.62	228.50	0.00	64.95
35.	पुदुचेरी	485.38	1296.00	757.62	1275.50	918.91	1232.44	299.02	277.91
	कुल	1959407.42	3218622.68	2077538.33	3783409.92	2383655.62	4408714.74	1604872.13	2081059.3

*व्यय में राज्य का हिस्सा, 13वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि और अधशेष शामिल है।

विवरण II

दिनांक 30 सितम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक भर्ती की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संस्वीकृत शिक्षक पद	(30.09.2013 की स्थिति के अनुसार) भर्ती	भर्ती किए जाने हेतु शेष पद
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	215	198	17
2.	आंध्र प्रदेश	39354	38319	1035
3.	अरुणाचल प्रदेश	7262	6334	928
4.	असम	48808	41348	7460
5.	बिहार	403413	236536	174577
6.	चंडीगढ़	1390	1390	0
7.	छत्तीसगढ़	67507	57193	10314
8.	दादरा और नगर हवेली	958	427	531
9.	दमन और दीव	119	92	27
10.	दिल्ली	7104	3834	3270
11.	गोवा	169	169	0

1	2	3	4	5
12.	गुजरात	58688	31430	27258
13.	हरियाणा	13435	13435	0
14.	हिमाचल प्रदेश	6087	3653	2434
15.	जम्मू और कश्मीर	43471	42316	1155
16.	झारखंड	120396	80857	39539
17.	कर्नाटक	29055	24407	4648
18.	केरल	2925	2783	142
19.	लक्षद्वीप	38	17	21
20.	मध्य प्रदेश	173855	169591	4264
21.	महाराष्ट्र	42091	15484	26607
22.	मणिपुर	2871	2719	152
23.	मेघालय	13354	9050	4304
24.	मिजोरम	2502	2175	327
25.	नागालैंड	3464	3147	317
26.	ओडिशा	89901	87984	1917
27.	पुदुचेरी	48	37	11
28.	पंजाब	14090	10661	3429
29.	राजस्थान	114132	114132	0
30.	सिक्किम	726	405	321
31.	तमिलनाडु	33214	33214	0
32.	त्रिपुरा	6980	5711	1269
33.	उत्तर प्रदेश	423553	299357	124196
34.	उत्तराखंड	14316	5046	9270
35.	पश्चिम बंगाल	199107	136895	62212
	कुल	1984598	1480346	504252

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इंटरनेट और वाई-फाई योजना

***189. श्री पी.टी. थॉमस:**
श्री सोमेन मित्र:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान कराने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के निर्माण को अनुमोदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों को शामिल किया गया/किए जाने की संभावना है;

(ग) इसमें कुल कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है और इस प्रयोजनार्थ वित्तपोषण तंत्र क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित करने और इसमें अड़चनों को दूर करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से 'कनेक्ट' करने के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) को सृजित करने से संबंधित परियोजना को 25.10.2011 को मंजूर किया है।

(ख) राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (सीपीएसयू) नामत: भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलटेल और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए आप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों) को 'कनेक्ट करने और जहां भी आवश्यक हो वहां वृद्धिशील (इनक्रीमेंटल) फाइबर बिछाने की योजना है। अत: इस प्रकार सृजित किया गया डार्क फाइबर नेटवर्क उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ प्रकाशवान (लिट) होगा जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रर्याप्त बैण्डविड्थ सृजित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएं शुरू करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य अभिगम प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के नेटवर्क अभिगम प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)' द्वारा किया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन एक विशेष आशय वाहक (एसपीवी) नामत: भारत ब्रॉडबैंक नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा किया जा रहा है। बीबीएनएल इस परियोजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन केन्द्रीय उपक्रमों नामत: भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलटल, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से करवा रहा है।

राजस्थान के अजमेर में अरेन ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतें, त्रिपुरा के उत्तर त्रिपुरा जिले में पानी सागर ब्लाक की 15 ग्राम पंचायतों, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में पारावादा ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों को 'कवर' करने के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। इन तीन प्रायोगिक परियोजना ब्लाकों में 59 ग्रगाम पंचायतों को 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ प्रदान किया गया है।

वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों केन्द्रीय प्रतिष्ठानों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है और सामग्री की पूर्ति और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निविदा संबंधी कार्य बीबीएनएल और सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में किया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चिह्नित ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम पंचायत में किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत कवर की गई ग्राम पंचायतों/कवर किए जाने की संभावना वाली ग्राम पंचायतों की संख्या की राज्यवार जानकारी अनुबंध में दी गई है।

(ग) परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपये के खर्च होने का प्रारंभिक अनुमान लगाया है। इस परियोजना का वित्त पोषण सेवा दायित्व निधि द्वारा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नि:शुल्क मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं लेकिन इसमें हरियाणा, तमिलनाडु राज्य और चण्डीगढ़ तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र शामिल नहीं हैं। शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रयास जारी हैं।

विवरण

राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत कवर हुए/कवर होने की संभावना वाली ग्राम पंचायतों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत कवर की गई ग्राम पंचायतों की संख्या	राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत कवर होने की संभावना वाली ग्राम पंचायतों/ गांव परिषदों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	21813
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1756
3.	असम	–	2549
4.	बिहार	–	8474
5.	छत्तीसगढ़	–	10024
6.	गुजरात	–	14136
7.	हरियाणा	–	6285
8.	हिमाचल प्रदेश	–	3243
9.	जम्मू और कश्मीर	–	4009
10.	झारखंड	–	4423
11.	कर्नाटक	–	5631
12.	केरल	–	977
13.	मध्य प्रदेश	–	23024
14.	महाराष्ट्र	–	27899
15.	मणिपुर	–	2795

1	2	3	4
16.	मेघालय	–	1463
17.	मिजोरम	–	776
18.	नागालैंड	–	1123
19.	ओडिशा	–	6236
20.	पंजाब	–	12802
21.	राजस्थान	30	9169
22.	सिक्किम	–	165
23.	तमिलनाडु	–	12528
24.	त्रिपुरा	15	1023
25.	उत्तर प्रदेश	–	51974
26.	उत्तराखंड	–	7555
27.	पश्चिम बंगाल	–	3354
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	67
29.	चंडीगढ़	–	17
30.	दादरा और नगर हवेली	–	11
31.	दमन और दीव	–	14
32.	लक्षद्वीप	–	10
33.	पुदुचेरी	–	98

[हिन्दी]

निर्वाचन संबंधी सुधार

***190. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**
श्री उदय सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपराधमुक्त राजनीति सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर निर्वाचन संबंधी सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विधि आयोग को इस संबंध में ठोस सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकार से राजनीति को अपराधमुक्त करने हेतु कानून में युक्तियुक्त परिवर्तनों संबंधी 'विधि आयोग' को दिए गए विचारार्थ मुद्दे मांगे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) सरकार, निर्वाचन सुधार के एजेंडा को, जिसमें अन्य बातों के साथ, राजनीति का निरअपराधीकरण सम्मिलित है, अग्रेषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से साथ निर्वाचन सुधारों के मुद्दे को उसकी संपूर्णता में भारत विधि आयोग को, विगत में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग और अन्य पणधारियों के मतों पर विचार करने में पश्चात् मुद्दे पर विचार करने और विधि में परिवर्तनों के लिए व्यापक उपायों का सुझाव देने के अनुरोध के साथ, निर्दिष्ट किया गया है। विधि आयोग से शीघ्र ठोस सुझाव देने के लिए अनुरोध किया गया है। विधि आयोग द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। विधि आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति पर मामले की, पणधारियों के परामर्श से और समीक्षा की जाएगी।

(घ) और (ङ) पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन *बनाम* यूनियन ऑफ इंडिया, रिट याचिका (सिविल) सं. 2011 का 536) के मामले में सुनवाई के अनुक्रम के दौरान, भारत सरकार ने, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष राजनीति के निरअपराधीकरण और निर्वाचन सुधारों के उद्देश्य के लिए यह निवेदन किया कि मामले को विचार और समीक्षा किए जाने के लिए भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 25 नवंबर, 2011 के अपने आदेश के द्वारा विधि आयोग को भारत सरकार द्वारा किए गए निर्देश की प्रति को अभिलेख पर रखा है। भारत सरकार ने, भारत के विधि आयोग को उसके द्वारा किए गए निर्देश की प्रति को अभिलेख पर रखने के लिए अतिरिक्त शपथपत्र फाइल किया है।

भारतीय मिशनों की जासूसी

***191. श्री पन्ना लाल पुनिया:**
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुपक्षीय संगठनों सहित विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों को जासूसी के लिए निशाना बनाए जाने की रिपोर्टें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को संबंधित देशों की सरकारों के साथ उठाया है और क्या उसका विचार इस मामले में विधिक कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के विरुद्ध हमारे मिशनों की सुरक्षा हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) सरकार को मीडिया में छपी इन रिपोर्टों की जानकारी है, जिसमें उल्लेख है कि अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने विदेश स्थित 38 राजनयिक मिशनों की जासूसी की, जिनमें दो भारतीय मिशनों, वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास और न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन की बग्स लगाकर तथा विशेष एंटीना का प्रयोग करके जासूसी करना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने अमरीकी एजेंसियों द्वारा दो भारतीय मिशनों की निगरानी किए जाने संबंधी रिपोर्टों पर चिंता जताई है। हमने वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर अमरीकी पक्ष के साथ इस मामले को उठाया है। अमेरिका की ओर से वास्तविक प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

(ङ) सरकार अपने विदेश स्थित मिशनों को अंतर्राष्ट्रीय जासूसी से सुरक्षा प्रदान किए जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारी एजेंसियां मिशनों में संस्थापित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रणालियों की नियमित रूप से सुरक्षा संबंधी लेखा परीक्षा करती हैं। सरकार भी बेहतर साइबर तथा दूरभाष अवसरंचना तैयार करके और नई साइबर तथा दूरभाष सुरक्षा व्यवस्था करके आंकड़ों एवं सूचनाओं की सुरक्षा करने के प्रयोजनार्थ क्षमता वृद्धि हेतु निरंतर कार्य कर रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन

***192. श्री शिवराम गौडा:**
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "लैगशिप कार्यक्रमों सहित मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को 66 योजनाओं में पुनर्गठित करने के निर्णय को कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत विद्यमान कड़े/पेचीदा मार्गनिर्देशों ने निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जारी की गई धनराशि के पूरे उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में लचीलापन लाने के लिए संशोधित मार्गनिर्देशों में समाविष्ट किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य विशिष्ट मार्गनिर्देश बनाने के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) मंत्रिमंडल ने 20.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में, मौजूदा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को 66 स्कीमों में पुनर्गठित करने के योजना आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिनमें फ्लैगशिप स्कीमें शामिल हैं। यह निर्णय भी लिया गया कि ये निर्णय बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए प्रभावी होंगे। बैठक में लिए गए निर्णयों के ब्यौरे से संबंधित मंत्रालयों को दिनांक 11.07.2013 के पत्र संख्या एम-12043/03/2013-पीसी द्वारा अवगत करा दिया गया है तथा यह योजना आयोग की वेबसाइट के http://planningcommission.gov.in/reports/genrep/css_12thplan.pdf लिंक पर भी उपलब्ध है। इसमें मौजूदा सीएसएस तथा एसीए आधारित स्कीमों की उक्त 66 सीएसएस में मैपिंग भी शामिल है।

(ख) और (ग) विभिन्न सीएसएस के लिए दिशानिर्देश कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों द्वारा विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात् ही तैयार किये जाते हैं। केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लचीलेपन, व्यापकता तथा इनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने अपने सदस्य श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कियाा था जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 2011 में प्रस्तुत की। इसके अलावा, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी 27 दिसम्बर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में, सीएसएस के कार्यान्वयन में राज्यों को लचीलापन देने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया था। तदनुसार, इस समिति की सिफारिशों, राष्ट्रीय विकास परिषद् की टिप्पणियों तथा अन्य इनपुट्स के आधार पर, योजना आयोग ने सीएसएस के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जिसे मंत्रिमंडल ने ऊपर (क) में उल्लिखित अनुसार 20.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी दी। सीएसएस के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करने के लिए, अनुमोदित पुनर्गठन में अन्य के साथ व्यवस्था की गई कि (क) स्कीम के परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत फ्लेक्सी निधि के रूप में रखा जाएगा तथा (ख) स्कीम में राज्य विशिष्ट के लिए दिशानिर्देश शुरू करने का प्रावधान रखा जाएगा। फ्लेक्सी निधि के उक्त प्रावधान को प्रचालित करने के लिए, विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं तथा इन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) स्कीम में राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों के लिए राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए योजना आयोग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव की सह-अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन 15 जुलाई, 2013 को किया गया है। समिति का संघटन संलग्न विवरण में दिया गया है। तदनुसार, योजना आयोग ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में अंतर मंत्रालय समिति के विचारार्थ प्रस्ताव भेजें।

विवरण

एम-12043/03/2013-पीसी
योजना आयोग
(योजना समन्वय तथा प्रबंधन प्रभाग)

योजना भवन, योजना आयोग
15 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 12वीं योजना के लिए, केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) में राज्य विशिष्ट के लिए दिशानिर्देश रखने हेतु अंतर-मंत्रालय समिति का गठन

यह निर्णय लिया गया है कि स्कीमों की दक्षता तथा प्रभाव में वृद्धि के लिए, प्रत्येक सीएसएस/एसीए के लिए कुछ ऐसे मुख्य दिशानिर्देश होंगे जो सभी राज्यों पर लागू होंगे जिसके साथ यह प्रावधान भी होगा कि इन दिशानिर्देशों में आशोधनों की अनुमति दी जा सकेगी जो प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर होगी। इस प्रयोजनार्थ, एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

सचिव, योजना आयोग	सह-अध्यक्ष
सचिव, व्यय विभाग	सह-अध्यक्ष
संबंधित सीएसएस के कार्यान्वयनकर्ता प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
राज्य सरकार का मुख्य सचिव	सदस्य
सलाहकार (पीसीएमडी) योजना आयोग	संयोजक

2. समिति सह-अध्यक्षों के अनुमोदन से, किसी भी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

विचारार्थ विषय:

3. समिति

(i) राज्य विशिष्ट के दिशानिर्देशों के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(ii) संबंधित राज्य के लिए अनुप्रयोज्य राज्य वित्त मानकों में सीएसएस के लिए अनुप्रयोज्य राज्य विशिष्ट हेतु छूटों की सिफारिश करेगी।

4. समिति को योजना आयोग, भारत सरकार का योजना समन्वय तथा प्रबंधन प्रभाग अपनी सेवाएं देगा।

(राकेश रंजन)
सलाहकार (पीसीएमडी तथा एचयूए)
दूरभाष: 23096783

सेवा में,
भारत सरकार के सभी सचिव (सूची के अनुसार)
प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. उपाध्यक्ष के निजी सचिव
2. राज्यमंत्री (योजना) के प्रधान निजी सचिव
3. सदस्य (बीकेसी) के प्रधान निजी सचिव
4. सदस्य (एएस) के प्रधान निजी सचिव
5. सदस्य (एसएच) के प्रधान निजी सचिव
6. सदस्य (एससी) के प्रधान निजी सचिव
7. सदस्य (एनजे) के प्रधान निजी सचिव
8. सदस्य (एमएस) के प्रधान निजी सचिव
9. सदस्य (केके) के प्रधान निजी सचिव
10. सदस्य (एएम) के प्रधान निजी सचिव
11. सदस्य (पीसी) के प्रधान निजी सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. संयुक्त सचिव (बजट), बजट प्रभाग, व्यय विभाग
2. संयुक्त सचिव (पीएफ-I), व्यय विभाग
3. संयुक्त सचिव (पीएफ-II), व्यय विभाग
4. महालेखा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ:
सभी प्रभाग प्रमुख, योजना आयोग

विदेशों में गिरफ्तार किए गए भारतीय कामगार

***193. श्री एम. आनंदन:**
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुवैत सहित विदेशों/खाड़ी देशों में रह रहे/नियोजित भारतीय नागरिकों की संख्या का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कथित रूप से अनेक भारतीय कामगारों को वीजा मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें निर्वासन की धमकी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे व्यक्तियों के निर्वासन के संबंध में पालन की जा रही प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार/विदेशों और खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों ने कुवैत सहित उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं में उनकी दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया है तथा उन प्रभावित भारतीय नागरिकों को काउंसलर से संपर्क बनाने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त की गई है तथा उन्हें क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिससे वे सुरक्षित भारत पहुंच सकें?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) विदेश में 205 देशों में लगभग 10 मिलियन अनिवासी भारतीय (एनआरआई) निवास करते हैं। मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनिवासी आबादी के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कुछ भारतीय कामगारों को मुख्य रूप से सऊदी अरब की सल्तनत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत में वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया और निर्वासन हेतु धमकी दी गई है। विवरण निम्नानुसार हैं:-

सऊदी अरब की सल्तनत (केएसए) महामहिम शाह अब्दुल्ला द्वारा 6 अप्रैल, 2013 को घोषित रियायती अवधि के दौरान 1.4 मिलियन से अधिक भारतीयों ने सऊदी प्राधिकरणों द्वारा दी गई रियायतों का लाभ उठाया। अप्रैल, 2013 तक केवल 1,41,301 (27 नवम्बर, 2013 की स्थिति के अनुसार) भारतीय कामगार भारत के लिए वापसी पर बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई या कोई प्रतिबंध का सामना किए भारत लौट आए। रियायती अवधि के बाद भारतीय कामगारों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की कोई रिपोर्ट नहीं है हालांकि बड़ी संख्या वाले भारतीय समुदाय से भारतीयों के कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिन्होंने रियायती अवधि के दौरान रियायत का लाभ नहीं उठाया हो और उन्हें सऊदी अरब से निर्वासित किए जाने का डर हो।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

किसी भी प्रकार के अवैध कामगारों, कर्मचारियों आदि को, जो वीजा पर या किसी प्रकार के प्रवासी कामगार जिन्हें कुछ सिविल मामलों में/आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया हो, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दिसम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 के दौरान अवैध प्रवासियों के लिए 60 दिन आम माफी की घोषणा की थी। कुल 7923 भारतीयों ने इस माफी (राजक्षमा) का लाभ उठाया है।

काउंसल अधिकारी कैदियों को काउंसिलिंग सहायता प्रदान करने के लिए दुबई और शारजाह की जेलों में नियमित रूप से साप्ताहिक दौरा करते हैं और उत्तरी अमीरात स्थित अन्य जेलों में पाक्षिक/मासिक दौरा करते हैं। जरूरत अनुसार निर्वासितों को यात्रा दस्तावेज, टिकट और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ओमान

रॉयल ओमान पुलिस, समय-समय पर अलग-अलग देशों के वीजा मानकों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने, और उनको निर्वासित करने हेतु नजरबंद करने के लिए एक अभियान में जनशक्ति मंत्रालय के समन्वय से नियमित रूप से विशेष आपरेशनों का संचालन करती है।

ओमानी प्राधिकरण, वीजा मानकों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किए गए ऐसे भारतीय कामगारों के ब्यौरे मिशन को प्रदान नहीं करते हैं। वीजा मानकों का उल्लंघन करने वाले नजरबंदों को ओमानी प्राधिकरणों द्वारा थोड़ी अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है और फिर निर्वासित कर दिया जाता है।

किसी भी नजरबंद कामगार के यात्रा दस्तावेज उपलब्ध न होने के मामले में, जेल प्राधिकरण कांसूलर सहायता हेतु उनके बारे में भारतीय दूतावास को सूचित करते हैं। यदि भारतीय कामगार वापसी के किराए का प्रबंध करने में सक्षम नहीं होते हैं तो भारतीय दूतावास, भारत लौटने के लिए हवाई टिकटों का प्रबंध करने के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कुवैत

रिकार्ड के अनुसार, कुवैत में बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो निवास/वीजा नियमों का उल्लंघन करने के कारण देश-प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। जैसे ही स्थानीय प्राधिकरणों या स्वयं निवासी द्वारा अवैध प्रवासियों के मामले दूतावास के नोटिस में लाए जाते हैं तो दूतावास यह आश्वस्त करने हेतु कि वे सुरक्षित तरीके से भारत लौटें स्थानीय प्राधिकरणों के सहयोग/समन्वय से उनके देश प्रत्यावर्तन को सुगम बनाने हेतु तीव्र कार्रवाई करता है। वर्ष 2013 के शुरूआती महीनों में कुछ भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया था चूंकि उनके पास कुवैत में रहने के लिए वैध निवास वीजा नहीं थे। दूतावास ने उनको शीघ्र भारत वापस भेजने

के लिए 1,081 आयात प्रमाण-पत्र जारी किए। सुपात्र मामलों में देश-प्रत्यावर्तन को सुगम बनाने हेतु दूतावास द्वारा उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) भारत हमारे मिशनों और मंत्रालयी दौरों के माध्मम से सऊदी राजनेताओं के साथ उच्च स्तर पर जुड़ा रहता है। अप्रैल, 2013 में एक मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री, और प्रधानमंत्री के सलाहकार शामिल थे, ने सऊदी अरब का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री ने मई, 2013 में सऊदी अरब का दौरा किया और युवराज, द्वितीय डिप्टी प्रीमियर, विदेश मंत्री, घरेलू मामलों से संबंधित मंत्री और श्रम मंत्री से इस संबंध में अपील की। दूतावास में उप श्रम मंत्री और मिशन के उप प्रधान के स्तर पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था।

जो भारतीय समुदाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए सऊदी अरब प्राधिकरणों के साथ प्रतिदिन बातचीत करती है। मिशन, जेलों में बंद/निर्वासन केन्द्रों आदि पर भारतीयों के लिए कांसूलर पहुंच की मांग करने सहित सभी स्तरों पर, नियमित रूप से सऊदी अधिकारियों के साथ सम्पर्क में रहता है।

ओमान में जब भी उत्पीड़न का कोई मामला भारतीय दूतावास को रिपोर्ट किया जाता है तो, मामले के, निपटान हेतु तुरंत स्थानीय सरकार को रिपोर्ट किया जाता है। स्थानीय उच्च पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों और द्विपक्षीय बैठकों जैसे भारत-ओमान संयुक्त आयोग, जनशक्ति पर भारत-ओमान संयुक्त कार्य दल आदि की बैठकों में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा से संबंधित मामलों को भी चिह्नित किया जाता है। ओमानी प्राधिकरण, प्रभावित भारतीय नागरिकों के लिए कांसूलर पहुंच की अनुमति प्रदान करते हैं और मिशन से एक दल, नजरबंद भारतीय नागरिकों के कल्याण की देख-रेख करने और उनके यात्रा दस्तावेजों का प्रबंध कराने के लिए नियमित रूप से नजरबंद केन्द्र का दौरा करता है।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जांच और निर्वासन संबंधी मामले दूतावास द्वारा, कुवैत के संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाए जाते हैं। जुलाई, 2013 में, विदेश मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री द्वारा किए गए दौरे के दौरान, कुवैत में भारतीय प्रवासियों, जिन्होंने निवास कानूनों का उल्लंघन किया है, को बिना निर्वासन प्रक्रिया के भारत लौटने में सक्षम बनाने हेतु रियायत अवधि (राजक्षमा) प्रदान करने के मामलों को उठाया गया था।

इसी प्रकार के प्रबंध अन्य देशों में भी मौजूद हैं।

सऊदी अरब में, रियायत अवधि के दौरान 1.4 मिलियन से अधिक भारतीयों ने रियायत प्राप्त की। इसमें वे 4,34,667 भारतीय शामिल हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं अन्य फर्मों में स्थानान्तरित कर लीं, जो 'निताकत' के अनुपालक हैं। इसके अतिरिक्त, 4,81,233 भारतीयों ने अपनी नौकरियां/व्यवसाय बदल लिए। इसके अलावा, 4,70,000 से अधिक भारतीयों ने अपने लाइसेंस/नौकरी परमिटों का नवीकरण करवा लिया।

रियायत अवधि के दौरान, भारतीय दूतावास रियाद को आपात प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 66,729 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 41,283 को आपात प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, भारतीय महाकांसूलावास जेदा में 26,600 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 23,486 को आपात प्रमाण-पत्र जारी किए गए। उन भारतीयों को जिन्होंने रियायत अवधि का लाभ उठाकर अंतिम प्रस्थान किया, की संख्या (27 नवम्बर, 2013 को) 1,41,301 है।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, आपात प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु भारतीय समुदाय कल्याण कोष (क) आईसीडब्ल्यूएफ में अंशदान के लिए 7 सऊदी रियाद के शुल्क देने से छूट प्रदान कर दी है, (ख) मिशनों/पोस्टों को, आपात प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए प्रति व्यक्ति 40 सऊदी अरब रियाल की लागत को वहन करने और जरूरतमंद भारतीय कामगार को अस्थाई आवास, यातायात भत्ता, भोजन आदि प्रदान करने की अनुमति दे दी है, और (ग) कामगारों जिन्हें भारत वापस लौटने की अनुमति के लिए छोटे जुर्मानों/अर्थदंडों का भुगतान करना है, को पूरा करने हेतु भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।

स्थानीय प्राधिकरण यूएई से निर्वासन पर आंकड़ों का आदान प्रदान नहीं करते। तथापि, जनवरी, 2013 से अक्तूबर, 2013 की अवधि के दौरान कांसूलेट ने, भारतीय समुदाय

कल्याण कोष से 261 विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए हवाई टिकटों को सुकर बनाया है। कांसूलेट ने राजक्षमा की प्रार्थना करने वाले 2396 को भारत लौटने हेतु लगभग 12,44,007 आईएनआर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

पिछले एक वर्ष (दिसम्बर, 2012 से नवम्बर, 2013) के दौरान, भारतीय दूतावास, मस्कट ने 404 भारतीयों को भारत लौटने के लिए दस्तावेज और हवाई टिकटें प्रदान करके उन्हें देश प्रत्यावर्तन में सहायता की है।

विवरण

विभिन्न देशों में अप्रवासी भारतीयों की संख्या

क्र.सं.	देश	एनआरआई (अस्यूमड)
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	3502
2.	अल्बानिया	20
3.	अल्जीरिया	447
4.	एंडोरा	140*
5.	अंगोला	6000
6.	एंगुइल्ला	उपलब्ध नहीं
7.	एंटीगुआ और बारबुडा	20
8.	अर्जेंटीना	300
9.	अर्मेनिआ	445
10.	अरूबा	00
11.	ऑस्ट्रेलिया	213710
12.	ऑस्ट्रिया	12000
13.	आजरबाइजान	499
14.	बहमास	400
15.	बहरीन	350000
16.	बांग्लादेश	10000
17.	बारबाडोस	330
18.	बेलारूस	200
19.	बेल्जियम	7000
20.	बेलीज	1750
21.	बेनिन	उपलब्ध नहीं
22.	भूटान	33010
23.	बोलीविया	200
24.	बोनेयर और छोटे द्वीप	00
25.	बोस्निया और हर्जिगोविना	30*
26.	बोत्सवाना	9000
27.	ब्राजील	2000*
28.	ब्रुनेई दारुस्सलाम	10000
29.	बुल्गारिया	270
30.	बुर्किना फासो	100
31.	बुरून्दी	200
32.	कंबोडिया	1500
33.	कैमरून	उपलब्ध नहीं
34.	कनाडा	200000
35.	केप वर्डे द्वीप	12
36.	केमैन द्वीप	850

1	2	3
37.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	उपलब्ध नहीं
38.	चाड	उपलब्ध नहीं
39.	चिली	350
40.	चीन	14950
41.	चीन (हांगकांग)	23000
42.	चीन (ताइवान)	2500
43.	कोलंबिया	200
44.	कोमोरोज	50
45.	कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)	3600
46.	कांगो (गणराज्य)	उपलब्ध नहीं
47.	कुक द्वीप	उपलब्ध नहीं
48.	कोस्टा रिका	80
49.	कोटे डी लेवोटे	470
50.	क्रोएशिया	25
51.	क्यूबा	3
52.	करकाउ	00
53.	साइप्रस	3200
54.	चैक गणराज्य	400
55.	डेनमार्क	4889
56.	दिजिबोटी	350
57.	डोमिनिका (राष्ट्रमंडल)	30
58.	डॉमिनिक गणराज्य	3
59.	पूर्वी तिमोर	70
60.	इक्वेडोर	100
61.	मिश्र	3450
62.	एल सलावेडोर	99
63.	इक्वेटोरियल गिनी	100
64.	इरीट्रिया	00
65.	एस्तोनिया	200
66.	इथियोपिया	992
67.	फिजी	800
68.	फिनलैंड	3500
69.	फ्रांस	10000
70.	फ्रांस (रीयूनियम द्वीप)	200
71.	फ्रांस (ग्वाडेलोप, सैंट मार्टीनिक)	00
72.	गैबन	उपलब्ध नहीं
73.	जाम्बिया	329
74.	जॉर्जिया	200
75.	जर्मनी	42500
76.	घाना	10000
77.	ग्रीस	12000
78.	ग्रेनेडा	100
79.	ग्वाटेमाला	50
80.	गिनी (गणराज्य)	550

1	2	3
81.	गिनी बिसाऊ	31
82.	गिनी-बिसाऊ	200
83.	हैती	उपलब्ध नहीं
84.	होली सी	उपलब्ध नहीं
85.	होंडुरस	99
86.	हंगरी	30
87.	आइसलैंड	101
88.	इंडोनेशिया	1050
89.	ईरान	4000
90.	इराक	8995
91.	आयरलैंड	18018
92.	इजराइल	8000
93.	इटली	97719
94.	इवेरी कोस्ट	500
95.	जमैका	3500
96.	जापान	22500
97.	जॉर्डन	6975
98.	कजाखस्तान	2000
99.	केन्या	37500
100.	किरबाती	4
101.	कोरिया (डीपीआर)	17
102.	कोरिया (गणराज्य)	7900
103.	कुवैत	579058
104.	किर्गिस्तान	2500
105.	लाओ, पीडीआर	80
106.	लाटविया	40*
107.	लेबनान	10000*
108.	लेसोथे (किंगडम)	800
109.	लाइबेरिया	1500
110.	लीबिया	14995
111.	लिकटैंस्टीन की रियासत	03
112.	लिथुआनिया	280
113.	लक्जमबर्ग	500
114.	मकदूनिया	10
115.	मेडागास्कर	3000
116.	मलेशिया	150000
117.	मलावी	1500
118.	मालद्वीव	26000
119.	माली	200
120.	माल्टा	150
121.	मार्शल द्वीप (गणराज्य)	14
122.	मॉरिटानिया	30
123.	मॉरिशस	15000
124.	मेक्सिको	1750

1	2	3
125.	माइक्रोनेशिया	03
126.	मोलदोवा	15
127.	मंगोलिया	60
128.	मॉन्स्टेरॉट	10
129.	मोरक्को	300
130.	मोजाम्बिक	1500
131.	म्यांमार	3160
132.	नामीबिया	140
133.	नॉरू	4
134.	नेपाल	112500
135.	नीदरलैंड	20000
136.	नीदरलैंड एंटाइल्स	00
137.	न्यूजीलैंड	35000
138.	निकारागुआ	99
139.	नाइजर	60
140.	नाइजीरिया	00
141.	नॉर्वे	3865
142.	ओमान	718000
143.	पाकिस्तान	उपलब्ध नहीं
144.	पलाऊ (गणराज्य)	14
145.	फिलिस्तीन (पीएलओ)	80
146.	पनामा	15000
147.	पापुआ न्यू गिनीआ	00
148.	परागुआ	400
149.	पेरू	400
150.	फिलिपींस	47000
151.	पोलैंड	1800
152.	पुर्तगाल	11272
153.	कतर	500000
154.	रोमानिया	878
155.	रशियन फेडरेशन	14500
156.	रवांडा	1000
157.	सामोआ	40
158.	सैन मारिनो	उपलब्ध नहीं
159.	साओ टोम और प्रिंसिपे (गणराज्य)	04
160.	सऊदी अरब	1789000
161.	सेनेगल	412
162.	सर्बिया और मोंटेनेग्रो (राज्य)	13
163.	सेशेल्स	4000
164.	सिएरा लियोन	700
165.	सिंगापुर	350000
166.	स्लोवाक गणराज्य	200
167.	स्लोवेनिया	34
168.	सेलोमैन द्वीप	20

1	2	3
169.	दक्षिण अफ्रीका	18000
170.	स्पेन	15000
171.	श्रीलंका	1600
172.	सेंट किट्स और नेविस	300
173.	सेंट लूसिया	250
174.	सेंट मारटिन	00
175.	सेंट विन्सेंट और ग्रेनेजियन्स	50
176.	सूडान	3500
177.	सूरीनाम	300
178.	स्वाजीलैंड	200
179.	स्वीडन	4000
180.	स्विटजरलैंड	10785
181.	सीरिया	635
182.	ताजीकिस्तान	362
183.	तंजानिया	5300
184.	थाईलैंड	90000
185.	टोगो	500
186.	टोंगा	उपलब्ध नहीं
187.	त्रिनिदाद और टोबैगो	1500
188.	ट्यूनीशिया	199
189.	टर्की	200
190.	तुर्कमेनिस्तान	1650*
191.	तुर्क और कैकोस द्वीपसमूह	800
192.	टवालू	उपलब्ध नहीं
193.	यूगांडा	15000
194.	यूक्रेन	3850
195.	संयुक्त अरब अमीरात	1750000*
196.	यूके	1500000*
197.	अमेरिका	927283
198.	उरुग्वे	90
199.	उज़्बेकिस्तान	200
200.	वानातू	50
201.	वेनेजुएला	100*
202.	वियतनाम	750
203.	यमन	11000
204.	जाम्बिया	12500
205.	ज़िम्बाब्वे	500
	कुल	10037761

आधार संख्या/कार्ड

***194. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:**
श्री आधि शंकर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में रह रहा कोई अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी नागरिक आधार संख्या/कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश की आसूचना एजेन्सियों ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा विदेशियों और अन्य देशों से आए शरणार्थियों को आधार कार्ड जारी करने पर आपत्ति जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा आसूचना एजेन्सियों द्वारा जताई गई चिंताओं को दूर करने और देश के सभी निवासियों को भी आधार संख्या देने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ङ) सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के शासनादेश में भारत के निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएं (आधार संख्याएं) सृजित और जारी करना शामिल है। नामांकन के प्रयोजनार्थ, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (यूटीज) में, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक (एनपीआर) प्रक्रिया के तहत नामांकन के अतिरिक्त यूआईडीएआई द्वारा नामांकन किया जाएगा। शेष राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटीज) में, नामांकन का कार्य अनन्य रूप से एनपीआर प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। सरकार ने आगे यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक (एनपीआर) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरझा (यूआईडीएआई) डेटाबेस के बीच किसी विसंगति के मामले में, एनपीआर का डेटा अभिभावी होगा।

निवासियों का नामांकन करते समय यूआईडीएआई द्वारा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्ड का निर्गम) नियम 2003 के नियम 2(1) में उल्लिखित "जनसंख्या पंजी" की परिभाषा पर आधारित "निवासी" की परिभाषा का अनुसरण किया जाता है अर्थात् "निवासी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यतया भारत में किसी ग्राम या ग्रामीण क्षेत्र या नगर या वार्ड या किसी नगर या शहरी क्षेत्र में किसी वार्ड के अंतर्गत सीमांकित क्षेत्र (नागरिक पंजीकरण संबंधी महापंजीयक द्वारा सीमांकित) में रह रहा है। यूआईडीएआई और एनपीआर, दोनो एक ही श्रेणी के व्यक्तियों अर्थात निवासियों का नामांकन कर रहे हैं।

यूआईडीएआई द्वारा जनांकिकी डेटा का संग्रहण, जनांकिकी डेटा मानक एवं सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति (डीडीएसवीपी) द्वारा संस्तुत सत्यापन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है, इस समिति के अध्यक्ष श्री एन. विठ्ठल, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुत (भारत) थे और इसमें विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय और डाक विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। आवेदकों के जनांकिकी डेटा का निम्नलिखित आधार पर सत्यापन किया जाता है: (i) समर्थक दस्तावेजों के आधार पर, अथवा (ii) परिचायक प्रणाली के आधार पर; अथवा (iii) सार्वजनिक संवीक्षा की राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयक (एनपीआर) प्रक्रिया के आधार पर।

गृह मंत्रालय से प्राप्त, चर्चा के प्रारुप अभिलेख, जिसमें यह कहा गया है कि आसूचना ब्यूरो ने प्रस्तावित किया है कि निवासियों के नामांकन के लिए विशेषकर परिचायक प्रणाली के माध्यम से नामांकन के लिए एक सशक्त तंत्र लागू किया जाए, के प्रत्युत्तर में सूचित किया जाता है कि परिचायक-आधारित नामांकन प्रक्रिया में पर्याप्त रक्षोपाय पहले से ही विद्यमान हैं।

परिचायक-आधारित नामांकनों की कुल संख्या फिलहाल लगभग 1.87 लाख है जो कि पंजीयकों द्वारा नियुक्त किए गए लगभग 3700 परिचायकों द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं, ये सभी परिचायक, आधार संख्या धारक हैं और इन्होंने ऐसे परिचय से संबंधित लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, परिचायक-आधारित नामांकन, सृजित किए गए आधार की कुल संख्या, जो 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार 50.81 करोड़ है, के 0.04% से कम है। फिलहाल, यूआईडीएआई द्वारा प्रतिदिन 10 लाख से अधिक आधार संख्याएं सृजित की जा रही हैं (यह दैनिक अनुमान गत 3 माह में वास्तविक आधार सृजन की औसत पर आधारित है)।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि

***195. श्री संजय सिंह चौहान:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार के मामलों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में समय पर जांच, बेहतर दोषसिद्धि दर को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने और सरकार के कार्यकरण को सुधारने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ङ) सीबीआई द्वारा मुहैया करवाई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (30.11.2013 तक) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के क्रमशः 650, 600, 703 और 583 मामले दर्ज किए थे। आंकड़ों में कोई निश्चित समझने योग्य प्रवृत्ति नहीं है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच और पंजीकरण केन्द्रीय स्तर पर सीबीआई द्वारा तथा राज्य सरकारों के स्तर पर संबंधित राज्य पुलिस, राज्य भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो आदि द्वारा किया जा रहा है। समय पर जांच और बेहतर दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक सीबीआई का संबंध है, सरकार ने सीबीआई के कार्यसंचालन में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीबीआई का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, अवसंरचना में सुधार करना, कार्य की स्थितियां और कर्मचारियों के नियोजन में सुधार करना, सीबीआई और सीवीसी इत्यादि द्वारा जांच की गंभीरतापूर्वक निगरानी करना शामिल है। सीबीआई की दोषसिद्धि दर वर्ष 2010, 2011, 2012 एवं 2013 (31.10.2013 तक) के दौरान क्रमशः 71.90%, 64.70%, 67%, और 72.73% है। दोषसिद्धि दर में और सुधार करने के लिए, सरकार ने सरकारी अभियोजकों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया है, सरकारी अभियोजकों का प्रशिक्षण, सीएफएसएल इत्यादि का आधुनिकीकरण किया है।

भ्रष्टाचार से प्रभावी रूप से निपटने के लिए हाल के वर्ष में उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं:–

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(ii) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) संगठनों को मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के निदेश देते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना, मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है;

(iv) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना;

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्व संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन करना;

(vii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपत्ति विवरणी को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखना;

(viii) विभिन्न राज्यों में केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामालों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन करना।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हाल ही में संसद में अनेक विधायनों का पुर:स्थापन भी किया है:–

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011;

(ii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011;

(iii) विदेशी लोक पदधारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोक पदधारियों की रिश्वतखोरी निवारण विधेयक, 2011;

(iv) सामान एवं सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी हेतु नागरिक अधिकार तथा शिकायत निपटान विधेयक, 2011; तथा

(v) लोक प्रापण विधेयक, 2012

(vi) भ्रष्टाचार निरोधी (संशोधन) बिल, 2013

[अनुवाद]

मूलभूत अवसंरचना में सुधार लाने हेतु परियोजनाएं

***196. श्री ए.के.एस. विजयन:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेयजल, जल निकासी/जल मल व्ययन और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सुविधाओं में सुधार हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों/परियोजनाओं का परियोजना, वर्ष, शहर और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति सहित उक्त अवधि के दौरान परियोजना, वर्ष, शहर और राज्य-वार स्वीकृत प्रस्तावों/परियोजनाओं की संख्या कितनी है और कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई; और

(घ) परियोजना, शहर और राज्य-वार कितने प्रस्ताव लंबित हैं/अस्वीकृत किए गए और इसके क्या कारण हैं तथा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) से (घ) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक सुधार मूलक योजना है, जिसे 3 दिसम्बर, 2005 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य देशभर में नगरों का तीव्र विकास करना, शहरी संरचना में कार्यक्षमता पर फोकस करना, सेवा प्रदान करने की प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों तथ पैरास्टेटल एजेंसियों को उत्तरदायी बनाना और मिशन अवधि 2005-12 के दौरान चयनित 65 नगरों का सुस्थिर विकास सुनिश्चित करना है। मिशन ने अपना सामान्य कार्यकाल 31.03.2012 को पूरा कर लिया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा सुधारों को पूरा करने के लिए सरकार ने दो वर्ष अर्थात् 31.03.2014 तक अवधि बढ़ा दी है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 17.01.2013 को जेएनएनयूआरएम को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ताकि परिवर्ती व्यवस्था के साथ 31.03.2014 तक क्षमता विकास गतिविधियों तथा नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा सके।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जलापूर्ति, जल निकास, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकार्य घटक हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) उप-मिशन और छोटे एवं मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों/परियोजनाओं और उपयोग किए जाने हेतु जारी एसीए का परियोजना, वर्ष, शहर और राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम (एनईआर), सात मेगा शहरों के आस-पास के सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास (यूआईडीएसएसटी) स्कीम और पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को शहरी अवस्थापना के विकास के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है जिसमें पेयजल सुविधाएं, जल निकासी/सीवरेज और कचरा प्रबंधन शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 10% एकमुश्त प्रावधान संबंधी स्कीम, यूआईडीएसएसटी स्कीम एनईआरयूडीपी के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या और जारी धनराशियों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-III, IV और V में दिया गया है।

जेएनएनयूआरएम और अन्य स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत और प्राथमिकतज्ञ प्रदत्त परियोजनाओं पर अनुमोदनार्थ विचार किया जाता है बशर्ते कि ये दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, तकनीकी मूल्यांकन किया गया हो तथा धनराशि उपलब्ध हो।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के अनुसार जेएनएनयूआरएम के यूआईजी उपमिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की गयी परियोजनाओं का परियोजनावार, वर्षवार, शहरवार और राज्यवार ब्यौरा

वित्त वर्ष 2010-11

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध	*जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 3 मुख्य नालों नजफगढ़ अनुपूरक तथा शाहदरा के साथ इंटरसेप्टर सीवर बिछाना	135771.00	47520.00	11,880.00	45%	प्रगति पर है
2.	गुजरात	पोरबंदर	पोरबंदर से जलापूर्ति को बढ़ाना	2631.04	2104.84	526.21	0%	प्रगति पर है
3.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना	3336.24	1668.12	417.03	0%	प्रगति पर है
4.	तमिलनाडु	चेन्नई	कोयम्बेडू (फेज-2) चेन्नई में अतिरिक्त 120 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र निर्माण और संचालन करना	11610.00	4063.50	-	28%	प्रगति पर है
5.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	800.00	640.00	186.20	41%	प्रगति पर है
6.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जेड डी में सीवरेज व्यवस्था (कनखल और जोन डी-1 और आर्य नगर न्यू हरिद्वार)	2109.28	1687.40	-	42%	प्रगति पर है
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार के जान सी-2 में सीवरेज व्यवस्था	696.89	557.51	-	75%	प्रगति पर है
8.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कमारहाटी नगरपालिका, कोलकाता, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकासी स्कीम	6733.87	2356.85	591.24	50%	प्रगति पर है
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पनिहट्टी नगरपालिका कोलकाता यूए के लिए 24×7 जलापूर्ति स्कीम	24602.30	8610.81	2,152.70	28%	प्रगति पर है
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता यूए में उच्चतर बागजोला कैनाल का सुधार	5131.12	1795.89	-	5%	प्रगति पर है
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता यूए में बरानगर नगरपालिका क्षेत्र के लिए वर्षाजल निकासी	3587.39	1255.59	-	92%	प्रगति पर है
	उप कुल			197,009.13	72,260.51	15,753.38		
		*अप्रैल 2010 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी एसीए				15,753.38		
	कुल			197,009.13	72,260.51	15,753.38		

वित्त वर्ष 2011-12

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध	*जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	तिरूपति नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	2329.00	1863.20	-	0%	प्रगति पर है
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) के केन्द्रीय क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में छूटे हुए क्षेत्रों में 24x7 जलापूर्ति का कार्यान्वयन	8349.00	4174.50	-	0%	प्रगति पर है
3.	गुजरात	पोरबंदर	पोरबंदर मिश्यान शहर के लिए भूमिगत वर्षा जलनिकासी (सीवरेज) परियोजना	11180.65	8944.52	-	0%	प्रगति पर है
4.	गोवा	पणजी	गोवा में पणजी शहर के निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पणजी शहर और आसपास के क्षेत्र के लिए जलापूर्ति	7121.83	5697.46	-	0%	प्रगति पर है
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	गॉव भरियाल तहसील एवं जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनेट्री लैंडफिल स्थल	1050.62	840.50	-	0%	प्रगति पर है
6.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू सिटी के डिवीजन ए के फेज-2 के छूटे गए क्षेत्र के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	2032.03	1828.83	-	0%	प्रगति पर है
7.	कर्नाटक	मैसूर	श्री चमाराजेन्द्र जूलोजीकल गार्डन में सतही और वर्षाजल संचयन के जरिए जल प्रबंधन	330.00	264.00	-	72%	प्रगति पर है
8.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	अम्बेरनाथ नगरपालिका परिषद् वर्षा क्षेत्र के लिए सीवरेज प्रणाली	10941.57	3829.55	-		प्रगति पर है
9.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा शहर फेज-1 के लिए वर्षा जलनिकासी स्कीम	4026.10	3623.49	905.87	90%	प्रगति पर है
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में उलूबेरिया नगरपालिका के लिए जलापूर्ति परियोजना (फेज-2)	12478.23	4367.38	1,091.85	25%	प्रगति पर है
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यग्राम न्यू बैरिकपोर और बरासत के नगरपालिका कस्बे के लिए ट्रांस म्युनिसीपल जलापूर्ति परियोजना	44547.77	15591.72	-	8%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टीटागढ और खरदान के नगरपालिका कस्बे के लिए ट्रांस म्युनिसीपल जलापूर्ति परियोजना	19484.00	6819.40	-	2%	प्रगति पर है
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यग्राम नगरपालिका, कोलकाता के लिए वर्षाजल निकासी प्रणाली	7204.37	2521.53	-	80%	प्रगति पर है
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरासत नगरपालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत वर्षाजल निकासी प्रणाली	8548.33	2991.92	-	48%	प्रगति पर है
	उप योग			139,623.50	63,358.00	1,997.72		
	*अप्रैल 2011 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी एसीए					1,452.14		
	कुल			139,623.50	63,358.00	3,449.86		

वित्त वर्ष 2012-13

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध	*जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	उज्जैन नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन	3588.88	2871.10	-	0%	प्रगति पर है
2.	महाराष्ट्र	नांदेड	सीआईडीसीओ, हड्को क्षेत्र साउथ नांदेड में सीवरेज एकत्रीकरण	3126.94	2501.55	-	0%	प्रगति पर है
3.	महाराष्ट्र	नांदेड	जलापूर्ति वितरण प्रणाली हड्को क्षेत्र साउथ नांदेड	2198.37	1758.70	-	0%	प्रगति पर है
	उप योग			8,914.19	7,131.35	-		
	*अप्रैल 2012 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी एसीए					16,394.18		
	कुल			8,914.19	7,131.35	16,394.18		

वित्त वर्ष 2013-14

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध	*जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुजरात	अहमदाबाद	स्वचालन (एससीएडीए) आधारित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली	3,336.48	1,167.77	291.94	0%	प्रगति पर है
2.	गुजरात	सूरत	सूरत के पूर्वी जोन की जलापूर्ति प्रणाली के लिए डब्ल्यूटीपी ट्रांसमिशन लाइन और भण्डारण जलाशय	4,913.74	2,456.87	614.22	0%	प्रगति पर है
3.	गुजरात	सूरत	सूरत की पूर्वी ड्रेनेज जोन के अंतर्गत करंज सीवरेज शोधन संयंत्र का विस्तार	5,723.00	2,861.50	715.38	0%	प्रगति पर है
4.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए स्वचालित जलापूर्ति	7,296.66	3,648.33	912.08	0%	प्रगति पर है
5.	गुजरात	राजकोट	राजकोट ठोस कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण	4,172.54	2,086.27	521.57	0%	प्रगति पर है
6.	गुजरात	अहमदाबाद	स्वचालन (एससीएडीए) आधारित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली	2,773.69	970.79	242.70	0%	प्रगति पर है
7.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर में जोधपुर वार्ड के लिए जलापूर्ति प्रणाली	3,552.37	1,243.33	.	0%	प्रगति पर है
8.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर में नदरंगपुर स्टेडियम और जूना वार्डों के लिए जलापूर्ति प्रणाली	1,137.35	398.07	.	0%	प्रगति पर है
9.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद शहर के लिए जल पुनः चक्र और पुनः उपयोग परियोजना-नरोल उद्योगों के लिए 60 एमएलडी त्रिस्तरीय शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना	9,637.67	3,373.18	-	0%	प्रगति पर है
10.	गुजरात	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति	1,847.50	1,478.00	369.50	0%	प्रगति पर है
11.	गुजरात	नांदेड	नांदेड में अतिरिक्त नगर निगम के लिए सीवरेज स्कीम	7,642.96	6,114.37	1,528.59	0%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	महाराष्ट्र	पुणे	पीएमसी के अंतर्गत पुणे नगर सड़क के साथ वाले क्षेत्र के लिए जलापूर्ति संवर्द्धन प्रणाली	38,016.88	19,008.44	4,752.11	0%	प्रगति पर है
13.	महाराष्ट्र	पुणे	पीएमसी के अंतर्गत वाडगॉव (बुद्धरूक) में जलशोधन संयंत्र और दूषित जल पम्पिंग स्टेशन	11,807.01	5,903.50	1,475.87	0%	प्रगति पर है
14.	महाराष्ट्र	पुणे	500 एमएलडी जलशोधन संयंत्र और स्वच्छ जल पम्पिंग स्टेशन पुन: चक्र संयंत्र का निर्माण	17,108.27	8,554.13		0%	प्रगति पर है
15.	नागालैंड	कोहिमा	एनएच-61 से नॉर्थ फील्ड स्कूल रोड़ के साथ छोडी गयी दीवार का निर्माण	152.34	137.11	34.28	0%	प्रगति पर है
16.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर में जलापूर्ति सुधार और सुदृढ़ीकरण स्कीम	45,166.24	22,583.12		0%	प्रगति पर है
17.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरूईपुर नगरपालिका के लिए वर्षाजल निकासी परियोजनाएं	6,401.74	2,240.61	560.15	0%	प्रगति पर है
18.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	रिशरा नगरपालिका के लिए वर्षाजल निकासी परियोजना	5,107.31	1,787.56	446.89	0%	प्रगति पर है
19.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भदेश्वर नगरपालिका, कोलकाता के लिए जलापूर्ति स्कीम	8,877.28	3,107.05		0%	प्रगति पर है
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	साउथ दमदम नगरपालिका के लिए वर्षाजल निकासी	6,616.98	2,315.94		0%	प्रगति पर है
	उप योग			191,288.01	91,435.94	12,465.28		
*अप्रैल 2013 से पहले स्वीकृत परियाजनाओं के लिए जारी एसीए						6,763.77		
	कुल			191,288.01	91,435.94	19,229.05		
	सकल कुल			536,834.83	234,185.80	54,826.47		

विवरण II

दिनांक 15.12.2013 की स्थिति के अनुसार
राशि लाख रुपये में

जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत जल आपूर्ति, जल निकास, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजना और जारी धनराशि

वित्तीय वर्ष 2010-11

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	बचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	जल आपूर्ति	3,689.23	3,320.31	1,660.15	53%	प्रगति पर है
2.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	ठोस कचरा प्रबंधन	488.00	439.20	219.60	40%	प्रगति पर है
3.	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	ठोस कचरा प्रबंधन	242.00	217.80	108.90	40%	प्रगति पर है
4.	जम्मू और कश्मीर	गांदरबल	ठोस कचरा प्रबंधन	143.00	128.70	64.35	30%	प्रगति पर है
5.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	ठोस कचरा प्रबंधन	385.00	346.50	173.25	20%	प्रगति पर है
6.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर	ठोस कचरा प्रबंधन	242.00	217.80	108.90	35%	प्रगति पर है
	उप योग			5,189.23	4,670.31	2,335.15		
		अप्रैल, 2010 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि				115,746.86		
6.	कुल			5,189.23	4,670.31	118,082.01		

वित्तीय वर्ष 2011-12

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हिमाचल प्रदेश	सर्काघाट	जल आपूर्ति	3,964.36	3,171.49	1,585.74	0%	प्रगति पर है
2.	मध्य प्रदेश	बेतूल	जल आपूर्ति	3,262.07	2,609.66	1,304.83	25%	प्रगति पर है
3.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	जल आपूर्ति	5,732.87	4,586.30	2,293.15	10%	प्रगति पर है
4.	मध्य प्रदेश	चौरई	जल आपूर्ति	886.38	709.10	354.55	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
5.	मध्य प्रदेश	देवास फेज-II	जल आपूति	3,975.00	3,180.00	1,590.00	निविदा की स्थिति	प्रगति पर है
6.	मध्य प्रदेश	डोंगर परासिया	जल आपूर्ति	3,013.33	2,410.66	1,205.33	अनुमोदित ड्राईंग डिजाइन	प्रगति पर है
7.	मध्य प्रदेश	खुरई	जल आपूर्ति	3,662.82	2,930.26	1,465.13	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
8.	मध्य प्रदेश	मुलताई	जल आपूर्ति	1,929.60	1,543.68	771.84	अनुमोदित ड्राईंग डिजाइन	प्रगति पर है
9.	मध्य प्रदेश	पंधुरना	जल आपूर्ति	4,611.62	3,689.30	2,577.52	अनुमोदित ड्राईंग डिजाइन	प्रगति पर है
10.	मध्य प्रदेश	पिपरिया	जल आपूति	2,408.11	1,926.49	963.24	51%	प्रगति पर है
11.	मध्य प्रदेश	पिप्लानारायणवार	जल आपूर्ति	81.20	64.96	32.48	10%	प्रगति पर है
12.	मध्य प्रदेश	सौसर	जल आपूर्ति	1,930.22	1,544.18	772.09	41%	प्रगति पर है
13.	पश्चिम बंगाल	बालुरघाट	जल आपूर्ति	4,160.24	3,328.19	1,664.10	17%	प्रगति पर है
14.	पश्चिम बंगाल	बीरनगर	जल आपूर्ति	977.25	781.80	390.88	56%	प्रगति पर है
15.	पश्चिम बंगाल	चन्द्रकोना	जल आपूति	1,557.29	1,245.83	622.92	54%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	जल आपूर्ति	3,634.84	2,907.87	1,453.94	4%	प्रगति पर है
17.	पश्चिम बंगाल	एग्रा	जल आपूर्ति	1,496.78	1,197.42	598.71	56%	प्रगति पर है
18.	पश्चिम बंगाल	इंगलिश बाजार	जल आपूर्ति	4,140.00	3,312.00	1,656.00	4%	प्रगति पर है
19.	पश्चिम बंगाल	रामजीवनपुर	जल आपूर्ति	1,101.03	880.82	440.41	37%	प्रगति पर है
20.	पश्चिम बंगाल	सैंथिया	जल आपूर्ति	1,299.62	1,039.70	519.85	10%	प्रगति पर है
	उप योग			53,824.63	43,059.70	22,262.71		
		अप्रैल, 2011 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि				84,012.24		
20.	कुल			53,824.63	43,059.70	106,274.95		

वित्तीय वर्ष 2012-13

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	हरियाणा	अम्बाला	सीवरेज	3,728.00	2,982.40	1,491.20	0%	प्रगति पर है
2.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	जल आपूर्ति	6,485.19	5,188.15	2,594.07	0%	प्रगति पर है
3.	झारखंड	चाईबासा	जल आपूर्ति	3,217.80	2,574.24	1,287.12	0%	प्रगति पर है
4.	जम्मू और कश्मीर	गांदरबल	वर्षा जल निकास	1,827.24	1,644.52	822.26	25%	प्रगति पर है
5.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	वर्षा जल निकास	746.79	672.11	336.06	30%	प्रगति पर है
6.	महाराष्ट्र	गोंदिया	सीवरेज	8,233.70	6,586.96	3,293.48	0%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	मध्य प्रदेश	अमरवारा	जल आपूर्ति	1,609.30	1,287.44	643.72	प्राप्ति निविदा	प्रगति पर है
8.	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	जल आपूर्ति	1,521.22	1,216.98	608.49	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
9.	मध्य प्रदेश	बैकुंठपुर	जल आपूति	732.75	586.20	293.10	निविदा की स्थिति	प्रगति पर है
10.	मध्य प्रदेश	बारकुही	जल आपूर्ति	1,211.82	969.46	484.73	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
11.	मध्य प्रदेश	बेगमगंज	जल आपूर्ति	1,392.22	1,113.78	556.89	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
12.	मध्य प्रदेश	बीना	जल आपूर्ति	3,875.50	3,100.40	1,550.20	10%	प्रगति पर है
13.	मध्य प्रदेश	चित्रकूट	जल आपूर्ति	1,319.68	1,055.74	527.87	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
14.	मध्य प्रदेश	हिंडोरिया	जल आपूर्ति	1,138.34	910.67	455.34	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
15.	मध्य प्रदेश	खिरकिया	जल आपूर्ति	1,225.70	980.56	490.28	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
16.	मध्य प्रदेश	महीदपुर	जल आपूर्ति	1,683.75	1,347.00	673.50	25%	प्रगति पर है
17.	मध्य प्रदेश	मानावार	जल आपूर्ति	1,125.60	900.48	450.24	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
18.	मध्य प्रदेश	सतना	जल आपूर्ति	8,087.57	6,470.06	3,235.03	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
19.	मध्य प्रदेश	शाहगंज	जल आपूति	436.45	349.16	174.58	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
20.	मध्य प्रदेश	शामगढ़	जल आपूति	2,374.00	1,899.20	949.60	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
21.	मध्य प्रदेश	शमशाबाद	जल आपूर्ति	882.47	705.98	352.99	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है
22.	मध्य प्रदेश	सिधी	जल आपूर्ति	2,118.55	1,694.84	847.42	अनुमोदित ड्राईंग डिजाइन	प्रगति पर है
23.	मध्य प्रदेश	तेंदुखेडा	जल आपूर्ति	1,028.64	822.91	411.46	प्राप्त निविदा	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	मध्य प्रदेश	वारासेवनी	जल आपूर्ति	2,232.00	1,785.60	892.80	प्रगति पर	प्रगति पर है
25.	ओडिशा	झारसुगुडा	जल आपूर्ति	3,196.11	2,556.89	1,278.44	0%	प्रगति पर है
26.	तमिलनाडु	अट्टूर	जल आपूर्ति	458.97	367.18	183.59	15%	प्रगति पर है
27.	तमिलनाडु	कम्बम	जल आपूर्ति	1,852.65	1,482.12	741.06	0%	प्रगति पर है
28.	तमिलनाडु	धारापुरम	जल आपूर्ति	918.29	734.63	367.31	10%	प्रगति पर है
29.	तमिलनाडु	कराईकुडी	जल आपूर्ति	1,391.83	1,113.46	556.73	पूर्ण	पूर्ण
30.	तमिलनाडु	कयालपट्टिनम	जल आपूर्ति	2,967.00	2,373.60	1,186.80	0%	प्रगति पर है
31.	तमिलनाडु	काविलपट्टी	जल आपूर्ति	7,060.14	5,648.11	2,824.05	85%	प्रगति पर है
32.	तमिलनाडु	नागरकोइल	सीवरेज	6,556.47	5,245.18	2,622.59	0%	प्रगति पर है
33.	तमिलनाडु	थिरूचेगोड	जल आपूर्ति	603.55	482.84	241.42	15%	प्रगति पर है
34.	तमिलनाडु	वंदावासी	जल आपूर्ति	930.62	744.50	372.25	10%	प्रगति पर है
35.	उत्तर प्रदेश	बरेली	जल आपूर्ति	7,800.04	6,374.40	3,717.57	50%	प्रगति पर है
36.	पश्चिम बंगाल	रायगंज	जल आपूर्ति	4,401.23	3,520.98	1,760.00	2%	प्रगति पर है
	उप योग			96,371.18	77,488.73	39,274.24	1	1
		*अप्रैल, 2012 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि					91,764.66	
36	कुल			96,371.18	77,488.73	131,038.90	1	1

वित्तीय वर्ष 2013-14

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए	वास्तविक प्रगति	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरूणाचल प्रदेश	बसर	ठोस कचरा प्रबंधन	719.85	647.87	323.93	0%	प्रगति पर है
2.	अरूणाचल प्रदेश	बोमडिला	ठोस कचरा प्रबंधन	799.84	719.86	359.93	0%	प्रगति पर है
3.	छत्तीसगढ़	भिलाई-कारोडा	जल आपूर्ति	9,962.11	7,969.69	3,984.84	0%	प्रगति पर है
4.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	जल आपूर्ति	2,973.89	2,379.11	1,189.56	0%	प्रगति पर है
5.	जम्मू और कश्मीर	लेह	जल आपूर्ति	7,048.83	6,343.95	3,171.98	0%	प्रगति पर है
6.	जम्मू और कश्मीर	लेह	ठोस कचरा प्रबंधन	1,094.27	984.84	492.42	0%	प्रगति पर है
7.	जम्मू और कश्मीर	लेह	सीवेज	5,939.00	5,345.10	2,672.55	0%	प्रगति पर है
8.	कर्नाटक	हक्केरी	जल आपूर्ति	2,301.73	1,841.38	920.69	0%	प्रगति पर है
9.	कर्नाटक	चिकोडी	जल आपूर्ति	3,303.85	2,643.08	1,321.54	0%	प्रगति पर है
10.	कर्नाटक	बन्नूर	जल आपूर्ति	1,736.12	1,388.90	694.45	0%	प्रगति पर है
11.	कर्नाटक	बेनतवाल	जल आपूर्ति	4,204.35	3,363.48	1,681.74	0%	प्रगति पर है
12.	कर्नाटक	रामदुर्गा	जल आपूति	3,471.30	2,777.04	1,388.52	0%	प्रगति पर है
13.	कर्नाटक	गुरमीतकाल	सीवेज	1,842.75	1,474.20	737.10	0%	प्रगति पर है
14.	कर्नाटक	सदाल्गा	जल आपूर्ति	2,457.77	1,966.22	983.11	0%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	कर्नाटक	सेदम	जल आपूर्ति	2,464.19	1,971.35	985.67	0%	प्रगति पर है
16.	कर्नाटक	डोड्डाबल्लापुरा	जल आपूर्ति	3,315.45	2,652.36	1,326.18	0%	प्रगति पर है
17.	कर्नाटक	श्रीरंगापट्टना	जल आपूर्ति	2,071.09	1,656.87	828.43	0%	प्रगति पर है
18.	कर्नाटक	बिरूर	वर्षा जल निकास	2,131.82	1,705.46	852.73	0%	प्रगति पर है
19.	कर्नाटक	संकेश्वर	जल आपूर्ति	3,765.86	3,012.69	1,506.34	0%	प्रगति पर है
20.	महाराष्ट्र	शिरपुर वरवाडे	जल आपूर्ति	3,077.77	2,462.22	1,231.11	0%	प्रगति पर है
21.	महाराष्ट्र	शिरामपुर	सीवरेज	4,936.29	3,949.03	1,974.52	0%	प्रगति पर है
22.	महाराष्ट्र	कोरपर गांव	जल आपूर्ति	3,989.92	3,191.94	1,595.97	0%	प्रगति पर है
23.	महाराष्ट्र	गंगापुर	जल आपूर्ति	1,790.79	1,432.63	716.32	0%	प्रगति पर है
24.	महाराष्ट्र	मल्कापुर (कारद)	सीवरेज	4,091.47	3,273.18	1,636.59	0%	प्रगति पर है
25.	महाराष्ट्र	बारामती	सीवरेज	2,504.33	2,003.46	1,001.73	0%	प्रगति पर है
26.	महाराष्ट्र	कालमेश्वर	सीवरेज	2,076.74	1,661.39	830.69	0%	प्रगति पर है
27.	मध्य प्रदेश	गुना	जल आपूर्ति	7,140.42	5,712.34	2,856.17	0%	प्रगति पर है
28.	मध्य प्रदेश	रायगढ़	जल आपूर्ति	1,907.76	1,526.21	763.11	0%	प्रगति पर है
29.	मध्य प्रदेश	अमरवारा	ठोस कचरा प्रबंधन	128.80	103.04	51.52	0%	प्रगति पर है
30.	मध्य प्रदेश	पोर्सा	ठोस कचरा प्रबंधन	236.47	189.18	94.59	0%	प्रगति पर है
31.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी	ठोस कचरा प्रबंधन	649.76	519.81	259.91	0%	प्रगति पर है
32.	मध्य प्रदेश	करेली	जल आपूर्ति	3,550.77	2,840.62	1,420.31	0%	प्रगति पर है
33.	मध्य प्रदेश	मंडलेश्वर	जल आपूर्ति	799.29	639.43	319.72	0%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	मध्य प्रदेश	सिवनी	जल आपूर्ति	4,735.80	3,788.64	1,894.32	0%	प्रगति पर है
35.	मध्य प्रदेश	जिरान	जल आपूर्ति	549.92	439.94	219.97	0%	प्रगति पर है
36.	मध्य प्रदेश	मल्हारगढ़	जल आपूर्ति	548.92	439.14	219.57	0%	प्रगति पर है
37..	मध्य प्रदेश	पिपल्या मंडी	जल आपूर्ति	968.72	774.98	387.49	0%	प्रगति पर है
38	मध्य प्रदेश	जनूरदेव/जमाई	जल आपूर्ति	2,432.07	1,945.66	972.83	0%	प्रगति पर है
39.	मध्य प्रदेश	रामपुरा	जल आपूर्ति	1,956.37	1,565.10	782.55	0%	प्रगति पर है
40.	मध्य प्रदेश	सुवासरा	जल आपूर्ति	1,764.30	1,411.44	705.72	0%	प्रगति पर है
41.	मध्य प्रदेश	चंदामेटा	जल आपूर्ति	1,432.20	1,145.76	572.88	0%	प्रगति पर है
42.	मध्य प्रदेश	दमुआ	जल आपूर्ति	1,479.19	1,183.35	591.68	0%	प्रगति पर है
43.	मध्य प्रदेश	लोधिकेरा	जल आपूति	611.76	489.41	244.70	0%	प्रगति पर है
44.	मध्य प्रदेश	न्यूटोंचिकली	जल आपूर्ति	1,055.90	844.72	422.36	0%	प्रगति पर है
45.	मध्य प्रदेश	हर्राई	जल आपूर्ति	873.87	699.10	349.55	0%	प्रगति पर है
46.	मध्य प्रदेश	मोहगांव	जल आपूर्ति	848.87	679.10	339.72	0%	प्रगति पर है
47.	मध्य प्रदेश	दामोह फेज-II	जल आपूर्ति	3,715.95	2,972.76	1,486.38	0%	प्रगति पर है
48.	मध्य प्रदेश	सबालगढ़	वर्षा जल निकास	980.94	784.75	392.38	0%	प्रगति पर है
49.	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	जल आपूर्ति	7,795.24	6,236.19	3,118.10	0%	प्रगति पर है
50.	मध्य प्रदेश	कोलार	जल आपूर्ति	5,210.42	4,168.34	2,084.17	0%	प्रगति पर है
51.	राजस्थान	चिरावा फेज-I	सीवरेज	6,314.32	5,051.46	2,525.73	0%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	राजस्थान	लक्ष्मण गढ़	सीवरेज	6,963.55	5,570.84	2,785.42	0%	प्रगति पर है
53.	राजस्थान	नवल गढ़ फेज-I	सीवरेज	8,211.28	6,569.02	3,284.51	0%	प्रगति पर है
54.	राजस्थान	सूरतगढ़ फेज-I	सीवरेज	7,547.64	6,038.11	3,019.06	0%	प्रगति पर है
55.	राजस्थान	निम्बाहेड़ा	सीवरेज	7,773.21	6,218.57	3,109.28	0%	प्रगति पर है
56.	राजस्थान	जैरतन	सीवरेज	3,471.06	2,776.85	1,388.42	0%	प्रगति पर है
57.	राजस्थान	भद्रा फेज-I	सीवरेज	8,932.70	7,146.16	3,573.08	0%	प्रगति पर है
58.	तमिलनाडु	मेत्तूर	सीवरेज	5,651.66	4,521.33	2,260.67	0%	प्रगति पर है
59.	तमिलनाडु	तिरूपथूर	सीवरेज	7,682.91	6,146.33	3,073.17	0%	प्रगति पर है
60.	तमिलनाडु	अराक्कोनम	सीवरेज	7,745.16	6,196.13	3,098.07	0%	प्रगति पर है
61.	तमिलनाडु	जोलारपेट	सीवरेज	3,399.48	2,719.58	1,359.79	0%	प्रगति पर है
62.	तमिलनाडु	चिदमबदम	सीवरेज	5,738.37	4,590.70	2,295.35	0%	प्रगति पर है
63.	तमिलनाडु	सत्तूर	सीवरेज	2,957.53	2,366.02	1,183.01	0%	प्रगति पर है
64.	तमिलनाडु	पेरियाकुलम	सीवरेज	1,712.92	1,370.34	685.17	0%	प्रगति पर है
65.	तमिलनाडु	कंगेय्यम	जल आपूति	1,423.71	1,138.97	569.49	0%	प्रगति पर है
66.	तमिलनाडु	अरानी	जल आपूर्ति	3,228.05	2,582.44	1,291.22	0%	प्रगति पर है
67.	तमिलनाडु	पेरियाकुलम	जल आपूर्ति	1,349.68	1,079.74	539.87	0%	प्रगति पर है
68.	तमिलनाडु	तिरूवाथीपूरम	जल आपूर्ति	1,121.41	897.13	448.57	0%	प्रगति पर है
69.	तमिलनाडु	टिंडीवेनम	जल आपूर्ति	4,506.91	3,605.53	1,802.77	0%	प्रगति पर है
70.	उत्तर प्रदेश	अमेठी	जल आपूति	999.68	799.74	399.87	0%	प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.	उत्तर प्रदेश	औरैया	जल आपूर्ति	4,120.87	3,296.70	1,648.35	0%	प्रगति पर है
72.	उत्तर प्रदेश	कासया	जल आपूर्ति	1,045.23	836.18	418.09	0%	प्रगति पर है
73.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	जल आपूर्ति	10,618.46	8,494.77	4,247.39	0%	प्रगति पर है
74.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	जल आपूर्ति	3,369.29	2,695.43	1,347.72	0%	प्रगति पर है
75.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	जल आपूर्ति	7,383.14	5,906.51	2,953.26	0%	प्रगति पर है
76.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर पार्ट-II	जल आपूर्ति	4,830.90	3,864.72	1,932.36	0%	प्रगति पर है
77.	उत्तराखंड	हल्द्वानी	ठोक कचरा प्रबंधन	3,488.00	2,790.40	1,395.20	0%	प्रगति पर है
78.	उत्तराखंड	मुनी की रेती	वर्षा जल निकास	94.01	75.21	37.60	0%	प्रगति पर है
79.	पश्चिम बंगाल	जोयनरगर-माजलीपुर	जल आपूर्ति	1,866.28	1,493.02	746.51	0%	प्रगति पर है
80.	पश्चिम बंगाल	दुबराजपुर	जल आपूर्ति	2,316.75	1,853.40	926.70	0%	प्रगति पर है
81.	पश्चिम बंगाल	पंस्कूरा	जल आपूर्ति	3,525.10	2,820.08	1,410.04	0%	प्रगति पर है
82.	पश्चिम बंगाल	कालना	जल आपूर्ति	2,793.66	2,234.93	1,117.47	0%	प्रगति पर है
83.	पश्चिम बंगाल	रानाघाट	जल आपूर्ति	6,402.91	5,122.33	2,561.17	0%	प्रगति पर है
84.	पश्चिम बंगाल	नाबाद्वीप	जल आपूर्ति	7,851.68	6,281.34	3,140.67	0%	प्रगति पर है
	उप योग			291,882.60	235,066.27	117,533.38		
	अप्रैल, 2013 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि					6,552.48		
	कुल			291,882.60	235,066.27	124,085.86		
	सकल कुल			447,267.64	360,285.01	479,481.72		

विवरण III

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त स्कीम

(जलापूर्ति, सीवरेज/जलनिकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए जारी निधियां)

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम		परियोजना का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (13.12.2013)
मिजोरम	1.	वृहत्तर सैहा जलापूर्ति स्कीम मिजोरम का पुनरूद्धार एवं संवृद्धि	186.31	-	558.95	558.95
	2.	तलाबंद जलापूर्ति स्कीम मिजोरम का पुनरूद्धार एवं संवृद्धि	39.69	-	119.07	119.07
	3.	ग्रेटर ख्वाजॉल जलापूर्ति स्कीम मिजोरम	-	224.73	-	898.92
अरूणाचल प्रदेश	1.	लांगडिंग टाउनशिप, अ.प्र. में जलापूर्ति स्कीम	201.64	-	604.92	-
	2.	खोंसा, अ.प्र. में बरसाती जलनिकास का विकास	-	38.00	-	114.01
	3.	टालो बरसाती जलनिकास स्कीम (चरण-2) अ.प्र.	-	83.61	-	334.46
मणिपुर	1.	म्यांग जलापूर्ति स्कीम मणिपुर का उन्नयन	118.03	90.70	-	-
सिक्किम	1.	रवंगला बाजार दक्षिण सिक्किम में जलापूर्ति में वृद्धि	-	134.86	134.85	-
	2.	चाकुंग बाजार दक्षिण सिक्किम में जलापूर्ति में वृद्धि	-	305.56	-	-
	3.	सोरेंग सिक्किम में जलापूर्ति में वृद्धि	-	-	244.59	-
असम	1.	करीमगंज बरसाती जलनिकास स्कीम (चरण 1) का निर्माण, असम	355.07	-	-	-
	2.	धेमाजी कस्बा असम के लिए जलनिकास प्रणाली का निर्माण	-	365.10	-	-
	3.	तिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र में बरसाती जलनिकासी स्कीम, असम	-	-	418.00	-
		योग	545.67	755.85	1662.38	1576.94

कार्यान्वयन की स्थिति-धेमाजी कस्बा असम के लिए जलनिकासी प्रणाली के निर्माण की परियोजना पूर्ण हो चुकी है। अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 2014-15 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

विवरण IV

सात मेगा शहरों के आसपास सेटेलाइट कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसटी) (जलापूर्ति, सीवरेज/ड्रेनेज और ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि)

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (30.11.13)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	विकाराबाद कस्बे के लिए जलापूर्ति सुधार स्कीम	1402	-	1402	1402
	विकाराबाद कस्बा आंध्र प्रदेश, के लिए भूमिगत वर्षा जल निकासी स्कीम	1295.00	-	598.81	696.19
गुजरात	सानद कस्बे की जलापूर्ति वितरण प्रणाली	664.17	-	-	664.17
	सानद नगरपालिका गुजरात के लिए ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	41.72	-	-	43.72
	सानद कस्बे के लिए सीवरेज स्कीम	862.44	307.29	-	-
हरियाणा	रान्ने वेल-हरियाणा के जरिए सोनीपत के लिए जलापूर्ति का विस्तार	862.44	529.16	-	1391.60
	सोनीपत कस्बे के लिए नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	499.20	-	-	-
उत्तर प्रदेश	पिलखुवा कस्बा उ.प्र. में जलापूर्ति स्कीम	-	411.35	-	410.64
	का पुनगर्ठन		411.35		
	पिलखुवा सीवरेज स्कीम	737.50	737.50	364.66	-
			372.84		
	पिलखुवा कस्बे के लिए नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	-	179.54	-	-
तमिलनाडु	श्री पेरेम्बुदूर के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	-	814.20	-	-
	श्री पेरेम्बुदूर के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	-	1124.40	-	-

1	2	3	4	5	6
	श्री पेरेम्बुदूर के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना	-	88.75	-	-
महाराष्ट्र	वसई-विरार के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना	634.53	-	634.53	-
	वसई-विरार एसटीपी 2 के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	-	1324.52	-	-
कर्नाटक	होसकोर्ट के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	-	649.10	-	-
	कुल	6999.00	6950.00	3000.00	4608.32

कार्यान्वयन स्थिति: सभी परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है और 2014-15 तक पूरा किया जाने की संभावना है।

विवरण V

पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त और स्वीकृत की गई:

क्रम सं.	शहर (राज्य)	2011-12 में प्राप्त
1.	कोहिमा (नागालैंड)	जल आपूर्ति
2.	एजवाल (मिजोरम)	जल आपूर्ति और सीवरेज
3.	शिलांग (मेघालय)	ठोस कचरा प्रबंधन
4.	गंगटोक (सिक्किम)	जल आपूर्ति और ठोस कचरा प्रबंधन
5.	अगरतला (त्रिपुरा)	जल आपूर्ति

(ख) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और जारी धनराशि इस प्रकार है:

शहर (राज्य)	2012-13 के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों की सं.	जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवंबर, 13 तक)
1	2	3	4	5	6
कोहिमा (नागालैंड)	1	3.57	10.55	10.52	8.72
एजवाल (मिजोरम)	2	8.46	11.55	2.17	10.39

1	2	3	4	5	6
शिलांग (मेघालय)	1	3.37	6.18	3.48	2.69
गंगटोक (सिक्किम)	2	0.90	7.05	7.38	7.55
अगरतला (त्रिपुरा)	1	3.22	74.28	5.61	8.86

नोट: 1. 2010-11, 2011-12 और 2013-14 में कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

2. धनराशि जारी करना प्रतिपूर्ति अनुरोधों पर आधारित है।

कार्यान्वयन स्थिति: परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की पुनरीक्षा

***197. श्री पी. विश्वनाथन: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा हाल ही में राजस्थान स्थित रावतभाटा में परमाणु विद्युत संयंत्र की सुरक्षा की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो पाई गई खामियों और परिचालनों को और अधिक सुधारने के लिए सुरक्षा पुनरीक्षा दल द्वारा दिए गए सुझावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खामियों को दूर करने/परिचालनों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पुनरीक्षा दल ने वैश्विक परमाणु उद्योग के साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा साझा करने के लिए रावतभाटा में अनेक अच्छी प्रक्रियाओं की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में स्थित सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए भी ऐसी सुरक्षा पुनरीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) जी, हां।

(ख) रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस) यूनिट 3 तथा 4 की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा का काम, भारत सरकार के निमंत्रण पर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) के प्रचालन संरक्षा पुनरीक्षा दल (ओएसएआरटी) द्वारा 29 अक्तूबर से 14 नवम्बर, 2012 के दौरान किया गया था। ओएसएआरटी मिशन ने, निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें की/सुझाव दिए, केबलों और अग्नि द्वारों के रख-रखाव के क्षेत्र में वृद्धि, निगरानी के तौर पर परीक्षण, मूल कारण के विश्लेषण बिजलीघर की पुनरीक्षा की क्रियाविधियों, रसायनों के नियंत्रण, और स्थल आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र का अपग्रेडेशन आदि। ओएसएआरटी द्वारा की गई सिफारिशें/दिए गए सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) जी, हां। ओएसएआरटी दल ने, सार्वत्रिक नाभिकीय उद्योग के साथ मिलकर कार्य करने हेतु कई अच्छी प्रक्रियाओं का पता लगाया। इनमें निम्नलिखित शमिल हैं, संयंत्र के संबंध में संरक्षा-व्यवस्था, दक्षताओं और प्रशिक्षण में वृद्धि करने के अवसर, नाभिकीय संरक्षा तथा विकिरण के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण संबंधी प्रबंधन तथा प्राधिकरण व्यवस्था, संरक्षा में वृद्धि करने के लिए रख-रखाव संबंधी कार्यो को बेहतर बनाने के लिए परीक्षण सुविधाओं का प्रयोग और पूर्वाभ्यास करना।

(घ) वर्तमान में, सभी परमाणु बिजलीघरों में ऐसी ही पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ संरक्षा व्यवस्था के एक भाग के रूप में, भारतीय विद्युत संयंत्रों की आवधिक संरक्षा संबंधी पुनरीक्षा का काम, नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय पीयर पुनरीक्षा का काम भी किया जाता है। फुकुशिमा की घटना के बाद, सरकार ने, भारतीय नाभिकीय

विद्युत संयंत्रों की संरक्षा की और आगे पुनरीक्षा का काम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के ओएसएआरटी द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया था, और इस संबंध में, राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट 3 तथा 4 की पुनरीक्षा भी ओएसएआरटी द्वारा की गई।

कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन

***198. श्री अजय कुमार:**
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिविल सेवकों के लिए कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) भारत सरकार ने योजनेत्तर बजटीय बचतों में से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लक्षित कार्यनिष्पादन तथा कार्यनिष्पादन मापदण्डों के आधार पर नियमित वेतन के अतिरिक्त आर्थिक लाभ के रूप में कार्य निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीआरआईएस) की शुरूआत हेतु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ग) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

स्पैक्ट्रम का नियत मूल्य

***199. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2जी स्पैक्ट्रम (800/900/1800 मेगाहर्ट्ज) की शेयरिंग हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए व्यापक मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में हुई स्पैक्ट्रम नीलामियों को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी 2जी स्पैक्ट्रम नीलामियों हेतु स्पैक्ट्रम के नियत मूल्य को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि का संग्रहण होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) दिनांक 15.02.2012 को जारी प्रेस विवरण में स्पेक्ट्रम की हिस्सेदारी से संबंधित मुख्य दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया गया था जिसकी प्रति विवरण-I में संलग्न है।

(ख) और (ग) नवंबर, 2012 में 1800 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की गई थी। इस नीलामी में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के लिए पांच कंपनियों ने आवेदन किया थ और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए दो कंपनियों ने आवेदन किया। बाद में 800 मेगाहर्ट्सर्ज बैंड स्पेक्ट्रम के आवेदकों ने अपना नाम वापिस ले लिया। 1800 मेगाहर्ट्स बैंड के लिए तीन आवेदक नए थे नामत: मैसर्स टेलीविंग्स टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड और मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड। चार सेवा क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और कर्नाटक में कोई बोली नहीं लगाई गई। 18 सेवा क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम की बोली लगाई गई और केवल एक सेवा क्षेत्र (बिहार) को छोड़कर, जहां बोली आरक्षित कीमत से 9.22% अधिक थी, सभी क्षेत्रों में नीलामी आरक्षित कीमत पर बंद हो गई। कुल 54.55% स्पेक्ट्रम ब्लॉकों की बिक्री कुल 9407.64 करोड़ रुपये में की गई।

मार्च, 2013 में 1800 मेगाहर्ट्स, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी भी की गई। इस नीलामी में 1800 मेगाहर्ट्ज/800 मेगाहर्ट्ज/900 मेगाहर्ट्ज बैंडों के लिए कोई आवेदक नहीं था और 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए केवल एक कंपनी मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड (एसएसटीएल) ने आवेदन किया था। दिनांक 11.03.2013 को

आयोजित नीलामी तीन चरणों के बाद पूरी हुई और उसी दिन पूरी कर दी गई। मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड ने आठ दूरसंचार सेवा क्षेत्रों नामत: दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) प्रत्येक में 1.25 मेगाहर्ट्ज बैंड के तीन-तीन ब्लॉक जीते जिनकी कुल कीमत कुल 3639.48 करोड़ रुपये थी।

(घ) और (ङ) सरकार ने स्पेक्ट्रम की भारी नीलामी के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड और 900 मेगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत तय कर दी है। 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत विवरण-II में दी गई है। आरक्षित कीमत के आधार पर राजस्व की राशि लगभग 49.143 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

विवरण I

ट्राई की 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा लाइसेंसिंग ढांचा' विषय पर दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों तथा बाद में इसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2011 को दी गई सिफारिशों, दिनांक 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण औरा 03 नवंबर 2011 के प्रत्युत्तर पर दूरसंचार आयोग द्वारा दिए गए प्रेस विवरण का पाठ

"ट्राई की 'स्पेक्ट्रक प्रबंधन तथा लाइसेंसिंग ढांचा' विषय पर दिनांक 11 मई, 2010 की सिफारिशों तथा बाद में इसके द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2011 को दी गई सिफारिशों, 03 मई, 2011 के स्पष्टीकरण और 03 नवम्बर, 2011 के प्रत्युतर पर दूरसंचार आयोग द्वारा विचार किया गया। दूरसंचार आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

1. स्पेक्ट्रम से संबद्ध कोई और यूएएस लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा।

2. सभी भावी लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस होंगे और स्पेक्ट्रम के आवंटन को लाइसेंस से अलग कर दिया जाएगा। स्पेक्ट्रम, यदि अपेक्षित हो, पृथक रूप से प्राप्त करना होगा। एकीकृत लाइसेंस में सभी मौजूदा लाइसेंसों हेतु अंतरण व्यवस्था सहित एकीकृत लाइसेंस के संदर्भ में ट्राई से विस्तृत दिशा-निर्देशों तथा निबंधन और शर्तों के प्राप्त होने के बाद ही एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

3. एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्थ को अंतिम रूप दिए जाने तक स्पेक्ट्रम की किसी प्रकार की नीलामी होने की स्थिति में, बिना स्पेक्ट्रम के यूएएस लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो इस व्यवस्था के लागू होने की स्थिति में एकीकृत लाइसेंस में अंतरण संबंधी अपेक्षा के अध्यधीन होगा। बिना स्पेक्ट्रम के ऐसे यूएएस लाइसेंस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों को इस संबंध में ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

4. सभी दूरसंचार लाइसेंसों और सेवा क्षेत्रों के लिए एक समान लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा, जिसे उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 2012-13 से आरंभ होने वाली दो वर्षीय समयावधि में समायोजित सकल राजस्व के 8% के बराबर किया जाएगा।

5. ऐसे प्रत्येक लाइसेंसधारक द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार वास्तविक समायोजित सकल राजस्व के आधार पर होंगे, जो संभावित न्यूनतम समायोजित सकल राजस्व के अध्यधीन होगा। ट्राई इस न्यूनतम राशि की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करेगा।

6. आईपी-I सेवा प्रदाताओं, जो वर्तमान में बिना लाइसेंस के निष्क्रिय अवसंरचना प्रदाता हैं, को लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत लाने की सिफारिश पर निर्णय को भावी जांच हेतु आस्थगित कर दिया गया है।

7. दूरसंचार विभाग द्रुत व्यापक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करेगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज एवं टेलीघनत्व में वृद्धि करने संबंधी मुद्दों की जांच की जा सके तथा इसके साथ ही सेवा की सतत गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सिर्फ यूएसओएफ प्रक्रियातंत्र की पर्याप्तता तथा ग्रामीण विस्तार हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने संबंधी यूएसओएफ की स्कीमों को संवर्द्धित करने की आवश्यकता की जांच की जा सके।

8. समुचित निबंधनों एवं शर्तों सहित, एक्सटेंट लाइसेंसिंग प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा यूएस (एवं सीएमटीएस तथा बुनियादी सेवाओं) लाइसेंसों की वैधता का एक बार में

और 10 वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है ताकि मौजूदा लाइसेंस एवं किसी आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा और मूल्य सहित संबंधित शर्तें स्वत: ही जारी न रह सकें।

9. विस्तार होने पर, यूएस लाइसेंसधारक को शुल्क का भुगतान करना होगा जोकि महानगरों और 'क' सर्किलों के लिए 2 करोड़ रुपये, 'ख' सर्किलों के लिए एक करोड़ रुपये और 'ग' सर्किलों के लिए 0.50 लाख रुपये होगा। इस शुल्क में स्पेक्ट्रम का मूल्य शामिल नहीं है जिसका भुगतान अलग से किया जाएगा। लाइसेंस का विस्तार करते हुए लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा या विस्तार से पहले सौंपे गए स्पेक्ट्रम की मात्रा, जो भी कम हो, तक ही स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा। सरकार द्वारा लाइसेंसधारक को निर्धारित सीमा से अधिक आवंटित स्पेक्ट्रम को वापस ले लिया जाएगा।

10. स्पेक्ट्रम को रिफार्म करने की आवश्यकता को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। इस बारे में ट्राई की सिफारिशें मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

11. किसी सेवा प्रदाता को सौंपे गए स्पेक्ट्रम की निर्धारित सीमा दिल्ली एवं मुम्बई को छोड़कर सभी सेवा क्षेत्रों में सभी जीएसएम/सीडीएमए प्रौद्योगिकियों हेतु क्रमश: 2×8 मेगाहर्ट्ज/2×5 मेगाहर्ट्ज होगी जबकि दिल्ली और मुम्बई में यह 2×10 मेगाहर्ट्ज/2×6.25 मेगाहर्ट्ज होगी। तथापि, लाइसेंसों के विलय हेतु निर्धारित सीमा के मद्देनजर, स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की स्थिति में, लाइसेंसधारक खुले बाजार में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकता है।

12. एमएंडए तथा स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण सहित एकालिक स्पेक्ट्रम प्रभार के बारे में सभी मामलों में निर्णय अलग से लिया जाएगा।

13. सरकार द्वारा 2010 में स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार संशोधित किए गए और यह अब यह मामला न्यायाधीन है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के बाद ही दूरसंचार विभाग द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी।

14. सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

i. संगत बाजार में उपभोक्ता आधार और लाइसेंसधारक के समायोजित सकल राजस्व, दोनों की बाजार शक्ति, बाजार अंश का निर्धारण करने हेतु विचार किया जाएगा। बाजार अंश का निर्धारण करने के लिए समस्त अभिगम बाजार संगत बाजार होगा और इसे 'वायरलाइन' और 'वायरलैस' के रूप में अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जाएगा।

ii. एक साधारण, तीव्र प्रक्रिया के द्वारा परिणामात्मक निकाय के 35% तक बाजार अंश का विलय किया जाएगा। तथापि, किसी सेवा क्षेत्र में सीडीएमए स्पेक्ट्रम होल्डिंग हेतु 10 मेगाहर्ट्ज/जीएसएम स्पेक्ट्रम पर 25% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन किए बिना कुछ परिस्थितियों में बाजार अंश में 35% से आगे भी विलय करने संबंधी मामलों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्राई की इस सिफारिश, कि ऐसे मामलों में 60% तक बाजार अंश पर विचार किया जाए, को नोट कर लिया गया है। परिस्थितियों में स्पष्टता और यह सीमा जिस तक 35% से ऊपर बाजार अंश के विलय की अनुमति होगी, सुनिश्चित करने के लिए, समुचित प्राधिकारियों से परामर्श करने और ट्राई की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद विस्तृत पारदर्शी दृष्टिकोण निर्धारित किया जाएगा/अपनाया जाएगा।

iii. सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलय के परिणामस्वरूप, 900 और 1800 मेगाहर्ट्स बैंडों के मामले में संबंधित सेवा क्षेत्र में, परिणामात्मक निकाय द्वारा नीलामी या अन्यथा की मार्फत धारित कुल स्पैक्ट्रम, सौंपे गए स्पेक्ट्रम के 25% से अधिक नहीं होगा। 80 मेगाहर्ट्स बैंड के संबंध में ऊपरी सीमा 10 मेगाहर्ट्ज होगी। अन्य बैंडों में स्पेक्ट्रम के संबंध में, उस स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित संगत शर्तें लागू होंगी।

iv. यदि, विलय के परिणामस्वरूप, परिणामात्मक निकाय द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिशेष स्पेक्ट्रम को अनुमति दिए जाने के एक वर्ष के अन्दर अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। सरकार उस बैंड को निर्धारित कर सकती है जिसे अलग से घोषित की जाने वाली स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग नीति के अनुरूप अभ्यर्पित करने की आवश्यकता होगी।

v. परिणामात्मक निकाय की पर्याप्त इक्विटी और क्रास होल्डिंग यूएस लाइसेंस के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

vi. संबंधित सेवा क्षेत्र में परिणामात्मक निकाय के लाइसेंस की अवधि विलय की तारीख पर दो अवधियों में से अधिक वाली अवधि के समान होगी। तथापि, इससे परिणामात्मक निकाय को लाइसेंस की अवधि के बीतने तक समग्र स्पेक्ट्रम को रखने का अधिकार नहीं मिलेगा।

vii. विलय किए गए निकायों में से किसी निकाय की प्रारंभिक वैधता से अधिक नवीकृत वैधता की स्थिति में, 800/900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की होल्डिंग, स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों की तारीख या विलय के समय पर लाइसेंस की कम वैधता, जो भी बाद में हो, वाले विलयशील निकाय के विस्तार की संभावित तारीख से भविष्य में घोषित होने वाले लागू स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग दिशानिर्देशों के मद्देनजर होगी।

viii. परिणामात्मक निकाय द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्पेक्ट्रम मूल्य से संबंधित मुद्दों का अलग से निर्धारण किया जाएगा। विलय के बाद वायरलैस प्रचालक लाइसेंस के नवीकरण के मामले में भी यही लागू होगा।

ix. दो लाइसेसों के विलय होने पर दोनों निकायों के एजीआर का भी विलय किया जाएगा और परिणामस्वरूप कुल एजीआर पर उस सेवा क्षेत्र हेतु विनिर्दिष्ट दर पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। इसी प्रकार, स्पेक्ट्रम प्रभार के भुगतान हेतु दो लाइसेंसधारकों द्वारा धारित स्पेक्ट्रम को जोड़ा/विलय किया जाएगा और वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार इस कुल स्पेक्ट्रम पर लागू निर्धारित दर पर होगा। तथापि, विलय के बाद निकाय द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु स्पेक्ट्रम की होल्डिंग की स्थिति में, किसी अन्य यूएएस/सीएमटीएस लाइसेंसधारक के ही समान, स्पेक्ट्रम प्रभार एवं लाइसेंस शुल्क आदि या लाइसेंसप्रदाता द्वारा अपनाया जाने वाला कोई अन्य मानदंड लागू होगा।

x. इक्विटी के विक्रय/विलियन के लिए लॉक इन अवधि से संबंधित यूएस लाइसेंस में मौजूदा प्रावधान जारी रहेंगे।

15. अन्य बातों के साथ-साथ 2जी स्पेक्ट्रम (800/900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड) की साझेदारी के लिए व्यापक दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) स्पेक्ट्रम की साझेदारी करने की अनुमति होगी, परन्तु प्रत्येक मामले में यह उसी लाइसेंस सेवा क्षेत्र में होगी तथा लाइसेंसदाता की पूर्व अनुमति से होगी। इस उद्देश्यार्थ साधारण स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया की व्यवस्थ की जाएगी।

(ii) प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति प्रदान की जाएगी। सरकार निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, आगे वर्ष के लिए एक बार और अनुमति प्रदान कर सकती है।

(iii) स्पेक्ट्रम की साझेदारी केवल ऐसे दो स्पेक्ट्रम धारकों, जिनके पास या तो 900/1800 मेगा हर्ट्ज बैंड अथवा 800 मेगा हर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम है के बीच ही की जा सकती है।

(iv) स्पेक्ट्रम साझेदारी के परिणामस्वरूप, स्पेक्ट्रम की कुल मात्र लाइसेंसों के विलयन के मामले में यथा-निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(v) नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम के संबंध में, स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति केवल तब ही होगी जब इसके लिए नीलामी संबंधी शर्तों में व्यवस्था की गई हो।

(vi) स्पेक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार इससे संबंधित प्रभार के उद्देश्य से अपने पूर्ण स्पेक्ट्रम को साझा करने वाले पक्षकार माने जाएंगे।

(vii) दोनों पक्षकार लाइसेंस के तहत यथा-निर्धारित रॉल आउट दायित्वों के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता संबंधी दायित्वों को अपने-अपने स्तर पर पूरा करेंगे।

(viii) स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार दोनों प्रचालकों से अलग-अलग परन्तु दोनों प्रचालकों द्वारा धारित कुल स्पेक्ट्रम पर एक साथ वसूला जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि

4.4 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम रखने वाला 'x' प्रचालक अन्य 'y' प्रचालक के 4.4 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को साझा करता है तो 'x' और 'y' दोनों प्रचालक 8.8 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए लागू स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ix) स्पेक्ट्रम साझेदारी में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दोनों सेवा प्रदाता शामिल होंगे। स्पेक्ट्रम की पट्टेदारी की अनुमति नहीं दी गई है।

(x) स्पेक्ट्रम साझा करने के बाद स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारित करने वाले मामलों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।

(xi) 3जी स्पेक्ट्रम रखने वाले लाइसेंसधारकों के बीच स्पेक्ट्रम साझेदारी की अनुमति नहीं होगी।

16. इस स्तर पर भारत में स्पेक्ट्रम के व्यापार की अनुमति नहीं होगी। इसकी बाद में पुन: जांच की जाएगी।

17. उपलब्ध स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन के लिए, ट्राई नियमित स्पेक्ट्रम जांच कर सकता है। ट्राई उपलब्ध स्पेक्ट्रम के वर्तमान उपयोग की समीक्ष कर सकता है। दोनों मामलों में, ट्राई सरकार को सिफारिशें दे सकता है।

18. दूरसंचार आयोग की कुछ सिफारिशों के संबंध में 122 लाइसेसों को रद्द करने संबंधी 2 फरवरी, 2012 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ हैं। कानूनी और अन्य पहलुओं के संदर्भ में आगे ऐसी सिफारिशों की जांच की जा रही है तथा इस संबंध में बाद में निर्णय घोषित किया जाएगा।"

विवरण II

1800 मेगाहट्र्ज और 900 मेगाहट्र्ज में स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत

क्रम. सं.	दूरसंचार सर्किल/मेट्रो सेवा क्षेत्र का नाम	भारतीय कीमत प्रति मेगाहट्र्ज (भारतीय करोड़ रुपये में)
1	2	3
	1800 मेगाहट्र्ज की आरक्षित कीमत	
1.	आंध्र प्रदेश	163
2.	असम	7
3.	बिहार	37
4.	दिल्ली	219
5.	गुजरात	143
6.	हरियाणा	27
7.	हिमाचल प्रदेश	6
8.	जम्मू और कश्मीर	5
9.	कर्नाटक	155
10.	केरल	52
11.	कोलकाता	73

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	43
13.	महाराष्ट्र	173
14.	मुंबई	207
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	7
16.	ओडिशा	16
17.	पंजाब	54
18.	राजस्थान	26
19.	तमिलनाडु	208
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	61
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	62
22.	पश्चिम बंगाल	21
	कुल (अखिल भारत)	1765

900 मेगाहट्र्ज की आरक्षित कीमत

क्रम सं.	दूरसंचार सर्किल/मेट्रो सेवा क्षेत्र का नाम	भारतीय कीमत प्रति मेगाहट्र्ज (भारतीय करोड़ रुपये में)
1.	दिल्ली	360
2.	कोलकाता	125
3.	मुंबई	328

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग

***200. डॉ. मिर्जा महबूब बेग:**
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में मलिन बस्तियों/मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के पास मलिन बस्ती निवासी के रूप में शासकीय दर्जा और कानूनी संरक्षण/नगरपालिका सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न शहरों में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आबंटित की गई धनराशि/प्रदान किए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विशेषरूप से महानगरों में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इसके लिए बारहवीं योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) स्लम-2011 भारत की जनगणना हेतु प्राथमिक जनगणना सार-2011 के अनुसार जनगणना 2011 में 4041 सांविधिक कस्बों में से 2613 स्लम वाले शहरों/कस्बों में स्लम ब्लॉकों के रूप में कुल 108277 आवास सूचीबद्ध ब्लॉक (एचएलबी) की पहचान की गई है। देश के 31 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैले स्लमों में 65.5 मिलियन लोग रह रहे हैं।?

जनगणना-2001 के अनुसार, 1743 स्लम वाले कस्बों में 52.37 मिलियन लोग रह रहे हैं। जनगणना 2001 और 2011 के लिए स्लम जनसंख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

10 वर्षों में एक बार स्लम जनसंख्या आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

स्लमों के अस्तित्व में आने के विभिन्न कारण हैं जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं:

(i) शहरीकरण में वृद्धि के कारण विशेषतया गरीबों के लिए उपलब्ध भूमि और अवसंरचना पर दबाव।

(ii) शहरी गरीबों की जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों में प्रवसन।

(iii) भूमि के लिए बढ़ती मांग और भूमि की आपूर्ति बाधाओं के कारण भूमि की आसमान छूती कीमतें।

(iv) अधिकांश राज्यों में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास के कार्यक्रमों का न होना।

(v) निम्न आय आवास हेतु ऋण राशि की उपलब्धता की कमी।

(vi) निर्माण की बढ़ती लागत।

(ग) और (घ) जनगणना 2011 के अनुसार, तीन प्रकार के स्लम हैं-अधिसूचित मान्यता प्राप्त और पहचान किए गए। 37072 अधिसूचित स्लम प्रगणना ब्लॉक, 30845 मान्यता प्राप्त स्लम प्रगणना ब्लॉक और 40307 पहचान किए गए स्लम प्रगणना ब्लॉक हैं। आवास और 'कालोनाइजेशन' राज्य का विषय होने के कारण, यह संबंधित राज्यों का दायित्व है कि वे अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर चयनित शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित करें और उन्हें कानूनी संरक्षण और बुनियादी नागरिक सुख सुविधाएं मुहैया करायें।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 65 चयनित शहरों में शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं/सुख सुविधाओं सहित आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएं आरंभ कराने में सहायता प्रदान करने के लिए, 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया है। अन्य शहरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मिशन की अवधि 31.3.2012 तक थी जिसे मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु मार्च 2015 तक बढ़ा दिया गया है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित धनराशियों का संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारत सरकार ने दिनांक 03.09.2013 को 2013-2022 तक की अवधि के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राजीव आवास योजना (आरएवाई) शुरू की है। आरएवाई दिशानिर्देशों में "ऐसे स्लम वासियों को जो बंधक योग्य एवं नवीकरणीय, दीर्घ अवधि (15 वर्ष) की वंशानुगत योग्य पट्टा अधिकार देने के लिए वचनबद्ध एवं इच्छुक हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से स्लमों में रहे हैं" एक अनिवार्य सुधार के रूप में निर्धारित किया गया है। स्कीम के अंतर्गत सभी शहर/शहरी समूह पात्र हैं। आरएवाई में दो चरणों की कार्यान्वयन कार्यनीति अर्थात स्लम मुक्त शहर कार्य योजना (एसएफसीपीओए) की तैयारी एवं चुनिंदा स्लमों हेतु परियोजनाओं की तैयारी की परिकल्पना की गयी है। स्कीम के अंतर्गत शहरों/शहरी समूहों का चयन केन्द्र के परामर्श से राज्यों द्वारा किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों के लिए परियोजना लागत का 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) में उनकी आबादी पर ध्यान दिए बिना परियोजना लागत का 80 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। स्कीम का लक्ष्य 12वीं योजना के दौरान आरएवाई के अंतर्गत 1 मिलियन परिवारों को लाभ प्रदान करना है।

सरकार ने मौजूदा स्कीम को अधिक कार्यान्वयन योग्य बनाने के लिए दिनांक 03.09.2013 को भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) भी अनुमोदित की है। किफायती आवासीय स्टॉक में वृद्धि करने के लिए निवारक कार्यनीति के एक भाग के रूप में इस स्कीम के भाग के रूप में भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) का कार्यान्वयन किया जाएगा। निजी भागीदारी सहित विभिन्न प्रकार की भागीदारियों के अंतर्गत आरंभ की गई किफायती आवास परियोजनाओं में 40 वर्ग मी. तक के आकार की ईडब्ल्यूएस/एलआईजी रिहायशी ईकाइयों (डीयू) के लिए प्रति इकाई 75,000 रुपये की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम 250 रिहायशी इकाइयों वाली परियोजना पर विचार किया जाएगा। रिहायशी इकाइयों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजीए/एलआईजीबी/उच्चतर श्रेणियां/वाणिज्यिक इकाइयां शामिल होंगी जिसमें फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर)/एफएसआई का कम से कम 60 प्रतिशत भाग उन रिहायशी इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनका कॉरपेट क्षेत्र 60 वर्ग मी. से अधिक न हो।

शहरी गरीबों को क्रेडिट सक्षमता एवं किफायती आवास हेतु सांस्थानिक वित्त का प्रवाह राजीव आवास योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 23 मार्च 2012 की अपनी बैठक में 1000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ क्रेडिट जोखिम गारंटी कोष (जीआरजीएफ) ट्रस्ट की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम का प्रस्ताव ईडब्ल्यूएस/एलआईजी व्यक्तियों को 5 लाख रुपये का ऋण बिना किसी तृतीय पक्ष गारंटी अथवा ऋणाधार के दिए जाने वाले ऋणों हेतु ऋणदाता एजेंसियों को गारंटी देना है। सीआरजीएफ के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक निर्दिष्ट एजेंसी है। सीआरजीएफटी को 31 अक्तूबर 2012 को शुरू किया गया था।

उपरोक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न शहरों में स्लमवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आबंटित धनराशि/उपलब्ध कराये गए अनुदान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

विवरण I

जनगणना 2011 और 2001 में भारत में राज्यवार स्लम आबादी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना 2011		जनगणना 2001	
	@स्लम आबादी	समग्र स्लम में राज्य अंश प्रतिशत में	#स्लम आबादी	समग्र स्लम में राज्य अंश प्रतिशत में
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	10186934	15.55	6268945	11.97
अरूणाचल प्रदेश	15562	0.02	एनएस	एनएस
असम	197266	0.30	89962	0.17
बिहार	1237682	1.89	818332	1.56
छत्तीसगढ़	1898931	2.90	1097211	2.1
गोवा	26247	0.04	18372	0.04
गुजरात	1680095	2.57	1975853	3.77
हरियाणा	1662305	2.54	1681117	3.21
हिमाचल प्रदेश	61312	0.09	एनएनएस	एनएस

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	662062	1.01	373898	0.71
झारखंड	372999	0.57	340915	0.65
कर्नाटक	3291434	5.03	2330592	4.45
केरल	202048	0.31	74865	0.14
मध्य प्रदेश	5688993	8.69	3776731	7.21
महाराष्ट्र	11848423	18.09	11975943	22.87
मणिपुर	एनएस	एनएस	एनएस	एनएस
मेघालय	57418	0.09	109271	0.21
मिजोरम	78561	0.12	एनएस	एनएस
नागालैंड	82324	0.13	एनएस	एनएस
ओडिशा	1560303	2.38	1089302	2.08
पंजाब	1460518	2.23	1483574	2.83
राजस्थान	2068000	3.16	1563063	2.98
सिक्किम	31378	0.05	एनएस	एनएस
तमिलनाडु	5798459	8.85	4240931	8.1
त्रिपुरा	139780	0.21	47645	0.09
उत्तर प्रदेश	6239965	9.53	5756004	10.99
उत्तराखंड	487741	0.74	350038	0.67
पश्चिम बंगाल	6418594	9.80	4663806	8.91
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14172	0.02	16244	0.03
चंडीगढ़	95135	0.15	107125	0.2
दमन और दीव	एनएस	एनएस	एनएस	एनएस
दादरा और नगर हवेली	एनएस	एनएस	एनएस	एनएस
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1785390	2.73	2029755	3.88
लक्षद्वीप	एनएस	एनएस	एनएस	एनएस
पुदुचेरी	144573	0.22	92095	0.18
भारत	65494604	100.00	52371589	100

नोट: 'एनएस' गैर सूचित स्लमों को दर्शाते हैं

@ जनगणना 2011 के अनुसार 4041 सांविधिक कस्बों में से 2613 स्लम वाले शहरों/कस्बों के लिए अनुमानित स्लम जनसंख्या

जनगणना 2001 के अनुसार 20,000 जनसंख्या वाले 1743 स्लमयुक्त शहरों/कस्बों के लिए अनुमानित स्लम जनसंख्या।

स्रोत: भारत की जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2001 के मुख्य जनगणना उद्धरण।

विवरण II

जेएनएनयूआरएम संयुक्त वित्तीय प्रगति

(2 दिसम्बर, 2013 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	7-वर्षीय नया आबंटन			अनुमोदित परियोजना लागत			वचनबद्ध एसीए			वचनबद्ध एसीए का प्रतिशत	जारी एसीए			जारी एसीए का प्रतिशत
		बीएसयूपी	आईएचएस डीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएस डीपी	कुल	बीएसयूपी	आईएचएस डीपी	कुल		बीएसयूपी	आईएचएस डीपी	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	27.29	27.29	0.00	15.15	15.15	0.00	13.64	13.64	50%	0.00	5.53	5.53	20%
2.	आंध्र प्रदेश	1547.42	764.57	2311.99	3559.51	1003.53	4563.03	1605.31	675.45	2280.76	99%	1382.64	656.35	2038.99	88%
3.	अरूणाचल प्रदेश	43.95	24.52	68.47	66.81	9.95	76.76	59.60	8.96	68.55	100%	28.91	4.48	33.39	49%
4.	असम	121.94	67.25	189.19	108.44	84.99	193.43	97.60	70.22	167.81	89%	48.80	38.81	87.61	46%
5.	बिहार	531.54	168.07	699.61	709.99	757.89	1467.87	312.76	380.79	693.55	99%	78.19	233.51	311.70	45%
6.	चंडीगढ़	446.13	0.00	446.13	1033.03	0.00	1033.03	444.93	0.00	444.93	100%	379.02	0.00	379.02	85%
7.	छत्तीसगढ़	385.21	158.83	544.04	461.50	225.60	687.10	362.08	158.83	520.90	96%	191.66	158.85	350.51	64%
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	20.56	20.56	0.00	5.74	5.74	0.00	3.34	3.34	16%	0.00	1.67	1.67	8%
9.	दमन और दीव	0.00	21.97	21.97	0.00	0.69	0.69	0.00	0.58	0.58	3%	0.00	0.29	0.29	1%
10.	दिल्ली	1481.28	0.00	1481.28	3244.98	0.00	3244.98	1472.72	0.00	1472.72	99%	768.24	0.00	768.24	52%
11.	गोवा	11.43	35.79	47.22	10.22	4.10	14.32	4.60	1.40	6.00	13%	1.15	0.70	1.85	4%
12.	गुजरात	1015.56	256.25	1271.81	2067.09	425.71	2492.81	1015.47	254.65	1270.12	100%	803.48	204.32	1007.81	79%
13.	हरियाणा	57.31	209.70	267.01	64.23	303.98	368.20	31.18	231.85	263.03	99%	31.18	172.73	203.91	76%
14.	हिमाचल प्रदेश	31.29	37.07	68.36	24.01	75.11	99.11	18.27	50.09	68.35	100%	7.37	32.09	39.46	58%
15.	जम्मू और कश्मीर	140.18	117.34	257.52	162.39	147.60	310.00	134.44	114.32	248.76	97%	52.38	96.86	149.24	58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	झारखंड	351.09	136.00	487.09	530.38	217.93	748.31	328.74	131.33	460.06	94%	82.18	86.98	169.17	35%
17.	कर्नाटक	407.97	222.69	630.66	854.64	410.30	1264.94	412.64	222.58	635.22	101%	353.20	218.60	571.81	91%
18.	केरल	250.00	198.83	448.83	343.67	273.32	616.98	233.56	201.60	435.17	97%	179.86	161.29	341.15	76%
19.	लक्षद्वीप	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
20.	मध्य प्रदेश	351.10	276.64	627.74	705.08	376.28	1081.36	344.26	257.42	601.68	96%	258.74	163.11	421.86	67%
21.	महाराष्ट्र	3372.56	1130.60	4503.16	5837.94	2533.69	8371.62	2818.83	1581.61	4400.44	98%	1894.67	1064.74	2959.41	66%
22.	मणिपुर	43.91	32.35	76.26	51.23	70.21	121.44	43.91	52.20	96.11	126%	32.93	32.35	65.28	86%
23.	मेघालय	40.35	28.97	69.32	51.74	41.48	93.22	40.35	22.43	62.78	91%	36.21	11.21	47.42	68%
24.	मिजोरम	80.11	29.78	109.89	91.02	56.07	147.10	79.73	41.05	120.77	110%	59.80	29.78	89.58	82%
25.	नागालैंड	105.60	44.14	149.74	133.08	101.86	234.94	105.60	60.99	166.59	111%	105.60	29.92	135.52	91%
26.	ओडिशा	78.74	176.33	255.07	74.62	289.50	364.12	54.18	194.53	248.71	98%	45.68	155.74	201.42	79%
27.	पुदुचेरी	83.20	26.95	110.15	135.98	17.03	153.01	83.20	5.48	88.67	81%	38.02	2.74	40.75	37%
28.	पंजाब	444.46	172.56	617.02	168.86	340.12	508.98	84.37	145.64	230.00	37%	47.49	89.71	137.19	22%
29.	राजस्थान	383.46	424.56	808.02	289.21	1012.78	1301.99	172.67	613.64	786.31	97%	85.47	506.74	592.21	73%
30.	सिक्किम	29.06	20.90	49.96	33.58	19.91	53.49	29.06	17.92	46.98	94%	29.06	17.92	46.98	94%
31.	तमिलनाडु	1107.80	349.38	1457.18	2334.28	566.11	2900.39	1045.28	400.45	1445.73	99%	812.62	362.62	1175.25	81%
32.	त्रिपुरा	23.66	28.36	52.02	16.73	43.64	60.37	13.96	38.05	52.01	100%	13.96	37.35	51.31	99%
33.	उत्तर प्रदेश	1165.22	854.41	2019.63	2295.37	1295.84	3591.21	1121.52	826.41	1947.94	96%	850.48	688.34	1538.82	76%
34.	उत्तराखंड	97.84	63.58	161.42	75.32	177.55	252.88	56.47	97.92	154.39	96%	24.17	70.30	94.47	59%
35.	पश्चिम बंगाल	2126.98	681.04	2808.02	4177.38	944.36	5121.74	2045.44	709.02	2754.46	98%	1427.17	696.67	2123.84	76%
सकल योग		16356.35	6828.31	23184.66	29712.30	11848.03	41560.33	14672.72	7584.36	22257.08	96%	10150.33	6032.34	16182.67	70%

जेएनएनयूआरएम निगरानी प्रकोष्ठ

[हिन्दी]

जैविक हथियार

2071. **श्री अर्जुन राम मेघवालः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न देश जैविक हथियारों और उनके मारकों का विकास कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जैविक तथा जहरीले हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भण्डारण तथा उन्हें नष्ट करने संबंधी अभिसमय (बीटीडब्ल्यूसी), 1972 के तहत जैविक हथियारों को विकास, उत्पादन तथा भण्डारण प्रतिबंधित है। 170 देश इस अभिसमय के तहत पत्रकार के रूप में शामिल हैं। इस अभिसमय को अभी सर्वव्यापकता हासिल करनी है। यद्यपि, इस अभिसमय के तहत आक्रामक जैविक हथियार प्रतिबंधित हैं परन्तु रोगनिरोधक, सुरक्षात्मक अथवा अन्य शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए इसकी अनुमति है। भारत बीटीडब्ल्यूसी का एक पक्षकार है और इस अभिसमय के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व में कहीं भी जिनमें आतंकवादी भी शामिल हैं, जैविक हथियारों का निर्माण न किया जाए अथवा इनका उपयोग न हो, हम बीटीडब्ल्यूसी तथा अन्य मंचों के साथ जुड़े हैं।

[अनुवाद]

अवैध परमाणु व्यापार

2072. **श्री के. सुगुमारः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही की एक रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया और सीरिया सहित एक दर्जन देशों को अवैध परमाणु व्यापार आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी में रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान (आईएसआईएस), जोकि संयुक्त राज्य अमरीका का थिंक-टैंक है, ने ईरान में गुप्त नाभिकीय प्रचुरोदभवन नेटवर्क स्थापित करने में सहायता करने के संबंध में भारत के शामिल होने का आधारहीन आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट भ्रामक है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारत के नाभिकीय संबद्ध निर्यात विनियमन, नाभिकीय संभरक वर्ग की नियंत्रण सूची के साथ संगत हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों का कार्य निष्पादन

2073. **श्री पोन्नम प्रभाकरः**
श्री एम. कृष्णास्वामीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों का उनकी संस्था की प्रगति में योगदान के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मानकों का सुझाव देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) परिषद् में 16 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रत्येक आईआईटी की अपनी भिन्न विशेषताएं होने के कारण आईआईटी परिषद् की स्थायी समिति (एससीआईसी) ऐसे व्यापक मानकों के सुझाव देगी जिनके आधार पर निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकेगा। एससीआईसी ने 21.10.2013 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि निम्नलिखित कुछ मुख्य मानदंडों और संस्थान के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए शासी बोर्ड

द्वारा उपयुक्त समझे गए मानदंडों के आधार पर निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है:–

1. शैक्षिक नेतृत्व, नीतिगत आयोजना और सांस्थानिक निर्माण;
2. मुख्य कार्मिक/संकाय हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम को साध्य बनाना;
3. नए शैक्षिक कार्यक्रम, विशेष रूप से सहयोगी, अंतर-विषयक शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना;
4. संकाय की भर्ती, उसको बनाए रखना और संकाय का विकास करना;
5. अवसंरचनात्मक विकास, विशेष रूप से प्रयोगशालाओं का विकास, उनमें भी, अवर स्नातक प्रयोगशालाओं का विकास करना;
6. अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अंतरण सहित अनुसंधान और नवाचार;
7. राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के प्रति योगदान;
8. उद्योग-अकादमिया इंटरफेस;
9. अंतर्राष्ट्रीयकरण;
10. छात्र-कल्याण;
11. ऐसे पर्यावरण को सुनिश्चित करना जो महिला-पुरुष संवेदनशील हो और समानता का संवर्धन करे;
12. सतत विकास के संवर्धन में पहल करना और ग्रीन एजेंडा को लागू करना, जिसमें प्रदान किए गए शैक्षिक कार्यक्रम परिलक्षित होते हों, सांस्थानिक प्रबंधन और कैम्पस का विकास करना;
13. आंतरिक राजस्व का उत्पादन और अक्षय निधियां;
14. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: विशेष रूप से, संस्थान/आईआईटी परिषद् वेबसाइट के माध्यम से प्रापण और निर्माण जैसी विवेचनात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूल सक्रिय प्रकटन के लिए ई-सक्षम प्रौद्योगिकी का उपयोग;
15. समीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली;
16. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार (टीईक्यूआईपी) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में योगदान;
17. आईआईटी सिस्टम में सुधार (पहले, ऊपर उल्लिखित मुद्दों के अतिरिक्त, अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं) पर काकोदकर समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन;
18. प्रभावशीलता और अभिगम्यता (पहुंच योग्य): छात्रों/संकाय और अन्य हितधारकों के साथ इंटरफेस की गुणवत्ता, परेशानी निवारण प्रक्रिया तंत्र और फीड बैक प्रणालियां।

हीरा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक महिला विश्वविद्यालय

2074. श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरूपति, आंध्र प्रदेश में हीरा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय के किस समय तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के पास तिरूपति, आंध्र प्रदेश में हीरा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों में धार्मिक ट्रस्ट

2075. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राज्य विधि और न्याय विभाग ने धार्मिक स्थानों के काम-काज के प्रबंधन के लिए किन्हीं ट्रस्टों की स्थापना की है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे धार्मिक ट्रस्टों द्वारा कथित अनियमितताओं/अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद भी ऐसे धार्मिक ट्रस्टों द्वारा चूककर्ता ट्रस्टों के स्थान पर नए ट्रस्टों की स्थापना न करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को धार्मिक स्थानों के प्रबंधन हेतु ट्रस्टों की स्थापना के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं या जारी किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बालिका छात्रावासों और कॉलेजों की स्थापना

2076. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में देश में मुस्लिम समुदाय में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न जिलों, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल जिलों में, उनकी साक्षरता दर में और बढ़ोतरी करने हेतु अधिक बालिका छात्रावास और मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य व स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन छात्रावासों और कॉलेजों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, मुस्लिमों (पुरुषों) की साक्षरता दर 67.6 प्रतिशत और मुस्लिमों (महिलाओं) की साक्षरतज्ञ दर 50.1 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में अब तक कुल 291 बालिका छात्रावास अनुमोदित किए गए हैं। राज्य-वार विवरण संलग्न है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) से अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक बहुल जिलों सहित शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 60 ब्लॉकों में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन कॉलेजों की अवस्थिति तथा स्थापना संभावित योजनाओं पर आधारित होगी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथासमय तैयार की जाएगी।

(घ) कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि, छात्रावासों के निर्माण के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं।

विवरण

अल्पसंख्यक बहुत जिलों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में संस्वीकृत बालिका छात्रावासों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में अनुमोदित बालिका छात्रावासों की संख्या
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	7
2.	असम	47
3.	बिहार	72

1	2	3
4.	जम्मू और कश्मीर	3
5.	झारखंड	34
6.	कर्नाटक	10
7.	मध्य प्रदेश	2
8.	महाराष्ट्र	8
9.	मणिपुर	2
10.	मेघालय	6
11.	ओडिशा	7
12.	उत्तर प्रदेश	56
13.	उत्तराखंड	7
14.	पश्चिम बंगाल	30
	कुल	291

विदेशों में भारतीय मजदूरों का शोषण

2077. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से हजारों मजदूर रोजगार के लिए विभिन्न देशों में जाते हैं और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मजदूरों के शोषण संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे शोषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि): (क) भारतीय कामगार कम कौशल से लेकर उच्च कौशल तक रोजगार की सभी श्रेणियों में रोजगार के लिए उत्प्रवास करते हैं। उत्प्रवास स्वीकृति, उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय द्वारा उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) उन पासपोर्ट धारकों को दी जाती है जो रोजगार के वास्ते 17 अधिसूचित उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों नामशः अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, सऊदी अरब के राज्य, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में से किसी एक में जा रहे हैं।

पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई उत्प्रवास स्वीकृति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय कामगारों से प्राप्त शिकायतें सामान्यतः वेतन का भुगतान न करने/देर से करने या कम भुगतान करने, लंबे समय तक काम करने के घंटे, रहने की खराब स्थितियां, शारीरिक उत्पीड़न वीजा और श्रम कार्ड का समय पर नवीकरण न करना, चिकित्सीय उपचार के लिए भुगतान करने से मना करना, संविदा की संविदात्मक अवधि समाप्त होने पर गृह नगर जाने के लिए छुट्टी और हवाई टिकट देने से मना करना, छुट्टी या निकास/पुनः प्रवेश परमिट/अंतिम वीजा देने से मना करना आदि से संबंधित होती हैं।

(ग) सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण की सुरक्षा करने हेतु विभिन्न पहलें की हैं इस प्रकार की पहलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई उत्प्रवास स्वीकृति का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	2010	2011	2012	2013 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		93	97	172
2.	आंध्र प्रदेश	72,220	71,589	92,803	85,493

1	2	3	4	5	6
3.	अरूणाचल प्रदेश	188	175	153	212
4.	असम	2,133	2,459	3,384	3058
5.	बिहार	60,531	71,438	84,078	80313
6.	चंडीगढ़	831	861	823	982
7.	छत्तीसगढ़	81	114	111	90
8.	दमन और दीव	11	13	31	27
9.	दिल्ली	2,583	2,425	2,842	2461
10.	दादरा और नगर हवेली	11	53	20	30
11.	गोवा	1,380	1,112	1,338	2461
12.	गुजरात	8,245	8,369	6,999	7374
13.	हरियाणा	958	1,058	1,196	1413
14.	हिमाचल प्रदेश	743	739	847	1060
15.	जम्मू और कश्मीर	4,080	4,137	4,737	3815
16.	झारखंड	3,922	4,287	5,292	5634
17.	कर्नाटक	17,295	15,394	17,960	14647
18.	केरल	1,04,101	86,783	98,178	71232
19.	लक्षद्वीप	18	11	13	61
20.	मध्य प्रदेश	1,564	1,378	1,815	1716
21.	महाराष्ट्र	18,123	16,698	19,259	16452
22.	मणिपुर	22	11	07	16
23.	मेघालय	11	16	39	42
24.	मिजोरम	4	0	03	01

1	2	3	4	5	6
25.	नागालैंड	2	39	03	12
26.	ओडिशा	7,344	7,255	7,478	8157
27.	पुदुचेरी	223	211	257	301
28.	पोर्ट ब्लेयर	0	0	0	0
29.	पंजाब	30,974	31,866	37,472	40009
30.	राजस्थान	47,803	42,239	50,295	42662
31.	सिक्किम	8	8	13	18
32.	तमिलनाडु	84,510	68,732	78,185	67871
33.	त्रिपुरा	454	465	514	416
34.	उत्तर प्रदेश	1,40,826	1,55,301	1,91,341	179584
35.	उत्तराखंड	1,177	1,441	2,470	2165
36.	पश्चिम बंगाल	28,900	29,795	36,988	33347
	कुल	6,41,356	6,26,565	7,47,041	672504

विवरण II

सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के कल्याण की सुरक्षा करने हेतु विभिन्न पहलें की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) उत्प्रवासियों/भावी उत्प्रवासियों को सूचना प्राप्त करने और भर्ती एजेंटों/विदेशी नियोक्ताओं के विरूद्ध शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने हेतु दिल्ली में प्रवासी भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) नामक एक 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन स्थापित की गई है।

(ii) कोच्ची, हैदराबाद और पंचकुला (हरियाणा) में उत्प्रवास स्रोत केन्द्र।

(iii) भावी उत्प्रवासियों को वैध और अवैध उत्प्रवास के क्रमशः लाभों और जोखिमों के बारे में शिक्षित करने हेतु मीडिया के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता-सह-प्रचार अभियान।

(iv) सभी उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत उत्प्रवास स्वीकृति प्रणाली मौजूद है। अब पासपोर्ट पर भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ता का नाम, व्यवसाय, वेतन, बीमा, पॉलिसी नम्बर, पासपोर्ट/वीजा और हेल्पलाइन के बारे में सूचना देने वाले स्टीकर्स चिपकाएं जाते हैं।

(v) सभी भारतीय मिशनों में, उत्प्रवासियों के यथा-स्थान कल्याण हेतु भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है। विगत

तीन वर्षों में लगभग 28,000 उत्प्रवासियों ने योजना से लाभ उठाया है और इस प्रयोजन हेतु 37 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

(vi) दुबई स्थित स्रोत केन्द्र (आईडब्ल्यूआरसी) में भारतीय कामगारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक 24×7 बहु-भाषायी हेल्पलाइन है। अन्य मिशनों में भी भारतीय कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हेल्पलाइन/हेल्पडेस्क हैं।

(vii) जब कभी शिकायत प्राप्त होती है, यदि वह पंजीकृत भर्ती एजेंट के विरूद्ध है तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। अवैध एजेंटों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को जांच के लिए और स्थानीय कानून के अंतर्गत प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को भेजा जाता है। जब विदेशी नियोक्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे नियोक्ता को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने हेतु कार्यवाही शुरू की जाती है। भारतीय मिशन भी ऐसे मामलों को विदेशी नियोक्ता/स्थानीय सरकार के साथ उठाते हैं ताकि समस्याओं का निपटान किया जा सके और कामगारों के कल्याण को संरक्षण प्रदान किया जाए।

(viii) इसके अतिरिक्त 17 अधिसूचित देशों में उत्प्रवास करने के लिए, ईसीआर (उत्प्रवास जांच अपेक्षित) श्रेणी की महिला कामगारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) ईसीआर पासपोर्ट पर ईसीआर देशों में उत्प्रवास करने हेतु महिलाओं के लिए 30 वर्ष की आयु का प्रतिबंध।

(ii) उत्प्रवासियों के लिए मिशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम रेफरल मजदूरी।

(iii) विदेशी नियोक्ता द्वारा 2500 अमरीकी डालर की सिक्यूरिटी डिपॉजिट का भुगतान किया जाना।

(iv) सभी महिला उत्प्रवासी कामगारों के लिए संबंधित भारतीय मिशन द्वारा रोजगार दस्तावेजों का पूर्व सत्यापन अनिवार्य।

(v) घरेलू नौकरानियों के लिए विदेशी नियोक्ता द्वारा प्री-पेड मोबाईल फोन सुविधा।

(vi) भारतीय मिशनों द्वारा व्यथित उत्प्रवासियों के लिए शरण-स्थलों का संचालन।

(vii) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ श्रम संबंधी द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों से प्रवास के प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग और श्रम कल्याण के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। समझौता ज्ञापनों के तहत संयुक्त कार्य दलों का गठन किया गया है ताकि जैसे ही मामले प्रकाश में आएं तो उनके निपटान हेतु नियमित रूप से संयुक्त कार्य दल की बैठकें आयोजित की जा सकें।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन शिक्षा

2078. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आपदा प्रबंधन शिक्षा में स्कॉउट्स और गाइड्स शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ)-2005 की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकें तैयार करती है। पाठ्य-पुस्तकों में आपदा प्रबंधन की विषय-वस्तु एकीकृत की गई हैं जिनमें स्काउट और गाइड संबंधी कार्यकलाप भी शामिल किए गए हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा IX और X में मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के तहत स्काउट्स और गाइड्स कार्यकलापों को भी सम्मिलित किया है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण

2079. श्री रवनीत सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण को निर्दिष्ट करने हेतु संविधान में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित संशोधन कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकारी नौकरियों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने हेतु संविधान में संशोधन करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों का प्रवेश

2080. श्री महाबल मिश्रा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के कारण कई अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संचालित विभिन्न कोर्सों में प्रवेश से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आरक्षण नीति, दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार है। माननीय, उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा सभी अ.ज./अ.ज.जा. छात्रों को दाखिले के लिए दी गई अनुमति के अनुसार, उन्हें प्रवेश दिया गया था।

(ख) गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है और दिल्ली सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि

2081. श्री एन. धरम सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित राशि ज्यादातर संबंधित विभागों के पास अप्रयुक्त पड़ी रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंत्रालय-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वास्तविक यथार्थ की स्थिति को धयान में रखे बिना निर्धारित किए गए कठोर मानदंडों और दिशानिर्देशों के कारण निधि खर्च नहीं हो पाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और योजनाओं को लागू करवाने में लचीलापन लाने हेतु कौन से उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को आवंटित निधियां स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप, राज्यों अथवा उनकी एजेंसियों/सोसायटियों को उनके उपयोग की गति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न किस्तों में जारी की जाती हैं। किंतु, यदि निर्धारित बजट के अनुसार कुछ निधियां जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें संशोधित आकलनों में घटाया अथवा विनियोजित अथवा प्रत्यर्पित किया जा सकता है। अप्रयुक्त निधियां विभागों

में नहीं रखी जाती। किन्तु, राज्य तथा उनकी एजेंसियां अप्रयुक्त निधियों को उनका उपयोग किए जाने तक के लिए रख सकती हैं।

(ग) और (घ) निधियों के उपयोग की गति धीमी रहने के कई कारण हैं जिनके चलते केन्द्र और राज्यों द्वारा विभिन्न सीएसएस के अंतर्गत जारी की गई निधियां राज्यों अथवा उनकी एजेंसियों द्वारा अप्रयुक्त रह जाती हैं। कुछेक स्कीमों के मानदंडों/दिशानिर्देशों का सख्त होना भी उपयोग की गति धीमी होने की एक वजह हो सकता है। हाल ही में निर्णय लिया गया है कि अधिकतर सीएसएस की 10 प्रतिशत निधियां राज्यों को फ्लेक्सी निधि के रूप में दी जाएंगी ताकि स्कीमों की डिजाइन और कार्यान्वयन में लचीलापन और नवप्रवर्तन लाया जा सके।

एससीपी और टीएसपी का कार्यान्वयन

2082. श्री रामसिंह राठवा:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च और निधि के आबंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के लिए इस घटक के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा जारी किए जाने वाली बकाया राशि क्या है; और

(घ) निधियां कब तक जारी कर दी जाएंगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश वर्ष 2005 में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और 2006 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को जारी किए गए थे। योजना आयोग द्वारा गठित नरेन्द्र जाधव कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को 2011-12 से एससीएसपी और टीएसपी के लिए योजना निधियां निर्धारित करने हेतु बाध्यता की विभिन्न डिग्री के साथ 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए एससीएपी और टीएसपी के अंतर्गत आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। एससीएसपी औरा टीएसपी के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित आबंटन और व्यय का ब्यौरा 2011-12 से शुरू करते हुए क्रमश: व्यय बजट खंड-I के विवरण 21 और 21-क पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत योजना आयोग के पास ऐसी कोई राशि उपलब्ध नहीं है।

विवरण I

वार्षिक योजना 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान एससीएसपी परिव्यय/व्यय

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वार्षिक योजना 2010-11					वार्षिक योजना 2011-12				वार्षिक योजना 2012-13		
		अ.आ. का जनसंख्या % (2001 जनगणना)	कुल राज्य योजना व्यय	एससी एसपी परिव्यय	कॉलम 4 से 5 का प्रतिशत	एससी एसपी वास्तविक व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससी एसपी परिव्यय	कोलम 8 से 9 का प्रतिशत	एससी एसपी संभावित व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससी एसपी परिव्यय	कॉलम 12 से 13 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16.20	36800.00	6131.39	16.66	3739.00	43000.0	7233.35	16.82	4915.21	48934.90	8378.18	17.12
2.	असम	6.90	7645.00	140.27	1.83	117.60	9000.00	165.52	1.84	165.52	10500.00	724.50	6.90
3.	बिहार	15.70	20000.00	3375.12	16.88	1731.85	24000.00	4245.72	17.69	4245.72	28000.00	5446.17	19.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	छत्तीसगढ़	11.60	13230.00	1612.13	12.19	1073.45	16710.00	1847.77	11.06	1287.92	23480.00	2434.00	10.37
5.	गोवा	1.80	2710.00	22.48	0.853	13.31	3320.00	30.86	0.93	8.03	4700.00	94.00	2.00
6.	गुजरात	7.10	30000.00	1331.80	4.44	1174.75	38000.00	2084.04	5.48	1577.14	51000.00	2865.59	5.62
7.	हरियाणा	19.30	18260.00	2309.65	12.65	1904.61	20358.00	2599.45	12.77	2015.88	26485.00	2843.34	10.74
8.	हिमाचल प्रदेश	24.70	3000.00	742.00	24.73	737.65	3300.0	834.10	25.28	830.35	3700.00	914.64	24.72
9.	जम्मू और कश्मीर	7.60	6000.00	455.65	7.59	एनआर	6600.00	535.78	8.12	535.78	7300.00	732.14	10.03
10.	झारखंड	11.80	9240.00	956.24	10.35	740.24	15300.00	1446.05	9.45	1446.05	16300.00	1714.53	10.52
11.	कर्नाटक	16.20	31050.00	3866.59	12.45	2926.01	38070.00	4632.99	12.17	4632.99	42030.00	5125.00	12.19
12.	केरल	9.80	10025.000	983.45	9.81	862.07	12010.00	1178.18	9.81	1178.18	14010.00	1374.38	9.81
13.	मध्य प्रदेश	15.20	19000.00	2918.00	15.36	2708.12	23000.00	3575.58	15.55	3418.17	28000.00	4284.00	15.30
14.	महाराष्ट्र	10.20	37916.00	3867.11	10.20	2478.13	42000.00	4233.00	10.08	3938.36	45000.00	4590.00	10.20
15.	मणिपुर	2.80	2600.00	62.40	2.40	42.40	3210.00	89.62	2.79	71.82	3500.00	79.71	2.28
16.	ओडिशा	16.0	11000.00	1868.37	16.99	1600.16	15200.00	2842.16	18.70	2124.59	17250.00	2953.86	17.12
17.	पंजाब	28.90	9150.00	2640.00	28.85	1881.07	11520.00	3323.52	28.85	1902.59	14000.00	4039.00	28.85
18.	राजस्थान	17.20	24000.00	3798.30	15.83	3364.35	27500.00	4344.10	15.80	3877.44	33500.00	5568.38	16.62
19.	सिक्किम	5.02	1175.00	10.13	0.86	10.13	1400.00	10.27	0.73	10.27	1877.00	94.27	8.02
20.	तमिलनाडु	19.00	20068.00	4240.73	21.13	4210.00	23535.00	5007.50	21.28	4491.97	28000.00	6114.50	21.84
21.	त्रिपुरा	17.40	1860.00	365.53	19.65	196.57	1950.00	328.67	16.85	251.95	2250.00	822.63	36.56
22.	उत्तर प्रदेश	21.10	42000.00	8881.00	21.15	8657.89	47000.00	9938.15	21.15	8725.16	57800.00	12203.80	21.11
23.	उत्तराखंड	17.90	6800.00	1226.25	18.03	493.23	7800.00	1404.00	18.00	501.06	8200.00	1476.00	18.00
24.	पश्चिम बंगाल	23.00	17985.00	4142.40	23.03	2698.34	22214.00	5118.98	23.04	5118.98	25910.00	5966.69	23.03
25.	चंडीगढ़	17.50	462.73	81.20	17.55	81.33	661.89	115.85	17.50	118.05	737.22	131.43	17.83
26.	दिल्ली	16.90	11400.00	1901.56	16.68	2064.99	15133.00	2419.95	15.99	2390.88	15862.00	2760.46	17.40
27.	पुदुचेरी	16.20	2500.00	291.83	11.67	206.99	2750.00	209.48	7.62	208.34	3000.00	493.68	16.46
	कुल	16.20	395876.73	58221.58	14.71	45714.24	474541.89	69794.64	14.71	59988.40	561326.12	84224.83	15.00

स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा राज्य सरकारों के एससीएसपी दस्तावेज

एनआर:सूचना प्राप्त नहीं हुई

वर्ष 2012-13 के संबंध में व्यय संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण II

वार्षिक योजना 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान टीएसपी आवंटन एवं व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अ.ज.जा. का जनसंख्या % (2001 जनगणना)	वार्षिक योजना 2010-11				वार्षिक योजना 2011-12				वार्षिक योजना 2012-13		
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	प्रतिशत	टीएसपी व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	प्रतिशत	टीएसपी संभापित व्यय	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	6.6	36800.00	2529.20	6.87	1576.78	43000.00	2973.13	6.91	2172.10	48935.00	3591.39	7.34
2.	असम	12.4	7645.00	53.53	0.70	54.99	9000.00	77.46	0.86	77.46	एनएफ	एनएफ	
3.	बिहार	0.9	20000.00	222.49	1.11	80.01	24000.00	300.21	1.25	300.21	28000.00	393.86	1.41
4.	छत्तीसगढ़	31.8	13230.00	4207.14	31.80	3994.98	16710.00	5561.44	33.28	4229.53	23480.00	7356.00	31.33
5.	गोवा	12.1	2710.00	153.10	5.65	118.80	3320.00	235.91	7.11	226.75	4700.00	566.42	12.05
6.	गुजरात	14.8	30000.00	4148.45	13.82	4446.68	38000.00	5103.03	13.43	5103.03	51000.00	6682.41	13.10
7.	हिमाचल प्रदेश	4.0	3000.00	270.00	9.00	270.00	3300.00	297.00	9.00	297.00	3700.00	333.00	9.00
8.	जम्मू और कश्मीर	10.9	6000.00	673.75	11.23	एनआर	6600.00	743.45	11.26	743.45	7300.00	1254.77	17.19
9.	झारखंड	26.3	9240.00	4657.72	50.41	4200.34	15300.00	6027.37	39.39	5749.39	एनएफ	एनएफ	
10.	कर्नाटक	6.6	31050.00	1517.94	4.89	1185.08	38070.00	1866.95	4.90	1866.95	42030.01	2075.00	4.94
11.	केरल	1.1	10025.00	200.50	2.00	200.50	12010.00	284.19	2.374	284.19	एनएफ	एनएफ	
12.	मध्य प्रदेश	20.3	19000.00	4244.10	22.34	4402.30	23000.00	4964.90	21.59	5062.73	28000.00	6178.91	22.07
13.	महाराष्ट्र	8.9	37916.00	3147.89	8.30	2323.15	42000.00	3693.50	8.79	3106.00	एनएफ	एनएफ	
14.	मणिपुर	34.2	2600.00	10174.50	39.13	620.32	3210.00	1071.85	33.39	1030.00	3500.00	1358.53	38.82
15.	ओडिशा	22.1	11000.00	2463.08	22.39	2602.55	15200.00	3603.43	23.71	3282.63	17250.00	4316.40	25.02
16.	राजस्थान	12.6	24000.00	28574.41	11.91	2565.50	27500.00	3568.18	12.98	3339.75	33500.00	4321.19	12.90
17.	सिक्किम	20.6	1175.00	92.74	7.89	54.56	1400.00	40.90	2.92	97.50	1877.00	एनएफ	
18.	तमिलनाडु	1.0	20068.00	208.88	1.04	225.42	23535.00	253.92	1.085	245.20	28000.00	353.93	1.26
19.	त्रिपुरा	31.1	1860.00	830.27	33.89	568.48	1950.00	607.47	31.15	629.36	2250.00	एनएफ	
20.	उत्तर प्रदेश	0.1	42000.00	31.00	0.07	21.23	47000.00	31.85	0.07	26.46	एनएफ	एनएफ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	उत्तराखंड	3.0	6800.00	204.00	3.00	114.49	7800.00	234.00	3.00	117.60	8200.00	246.00	3.00
22.	पश्चिम बंगाल	5.5	17985.00	1127.28	6.27	851.70	22214.00	1470.29	6.62	1470.29	25910.00	1657.52	6.40
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.3	924.97	80.73	8.73	48.92	1434.84	173.92	12.12	115.15	एनएफ	एनएफ	
24.	दमन और दीव	8.8	169.23	14.99	8.86	2.18	324.95	28.79	8.86	2.18	568.25	50.29	8.85
	कुल	8.2	355198.20	34751.69	9.78	30528.96	425878.79	43213.14	10.15	39514.91	358200.26	40735.62	11.37

स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र तथा राज्य सरकारों के एससीएसपी दस्तावेज

एनआर:सूचना प्राप्त नहीं हुई

एनएफ:+ अंतिम रूप नहीं दिया गया।

मतदाता पहचान पत्र

2083. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार देश में मतदाताओं को पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई सलाह जारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों को प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि देश में लगभग 95 प्रतिशत कुल निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह और जानकारी दी है कि 100% या लगभग 100% समावेशन को 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्राप्त कर लिया गया है। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर ने निम्न समावेशन का कारण यह है कि इन राज्यों में ईपीआईसी के लिए स्थानीय विरोध था। तथापि, अब स्थानीय लोग आश्वस्त हैं और कार्यक्रम को तेजी के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। अन्य राज्यों में निम्न समावेशन के लिए कारण, दूरी और कतिपय क्षेत्रों में कठिनाई से पहुंचना है। निर्वाचन आयोग ने, यह भी जानकारी दी है कि 100% समावेशन के लिए यथासंभव शीघ्र, प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत रूप में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचकों को जारी किए गए ईपीआईसी की प्रास्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) भारत सरकार ने राज्यों को कोई सलाहकारी जारी नहीं की है। तथापि निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि उसने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारी को सभी निर्वाचकों के लिए ईपीआईसी जारी करने के लिए कहा है।

(घ) और (ङ) किसी अभिकरण द्वारा पहचान के सबूत के रूप में ईपीआईसी को स्वीकार करने के लिए उसे अभिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना होता है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक को ईपीआईसी जारी करने का एकमात्र प्रयोजन, मतदान के समय मतदान केन्द्र पर निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना है।

विवरण

ईपीआईसी, 2013 की प्रास्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा (अर्हक तारीख के रूप में अर्थात् 01.01.2013 को अंतिम प्रकाशन के समय पर)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	साधारण निर्वाचन, 2013 को कुल संख्या	जारी ईपीआईसी की कुल संख्या	ईपीआईसी कवरेज %
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	58143670	58143670	100.00
2	अरूणाचल प्रदेश	741680	737670	99.46
3	असम	19043470	0	0.00
4	बिहार	59222225	52884279	89.30
5	छत्तीसगढ़*	16796174	16596300	98.81
6	गोवा	1054371	1054371	100.00
7	गुजरात	38077453	37948644	99.66
8	हरियाणा	14684233	14684233	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	4515602	4515602	100.00
10	जम्मू और कश्मीर	6839055	5880327	85.98
11	झारखंड	19146829	17561366	91.72
12	कर्नाटक	41838541	41409485	98.97
13	केरल	23548090	23548090	100.00
14	मध्य प्रदेश*	46457724	46457724	100.00
15	महाराष्ट्र	79918631	68426438	85.62
16	मणिपुर	1747889	1747889	100.00
17	मेघालय	1488719	1488719	100.00
18	मिजोरम*	686305	686305	100.00
19	नागालैंड	1192377	0	0.00

1	2	3	4	5
20	ओडिशा	29675289	27646607	93.16
21	पंजाब	18426185	18415037	99.94
22	राजस्थान*	40608056	40376590	99.43
23	सिक्किम	346763	346763	100.00
24	तमिलनाडु	51568994	51568994	100.00
25	त्रिपुरा	2352505	2352505	100.00
26	उत्तराखंड	6559869	6543915	99.76
27	उत्तर प्रदेश	129721457	128763797	99.26
28	पश्चिम बंगाल	60014867	59730604	99.53
29	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	253110	221111	87.36
30	चंडीगढ़	556942	556534	99.93
31	दमन और दीव	94494	92846	98.26
32	दादरा और नगर हवेली	171055	171055	100.00
33	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली*	11507113	11507113	100.00
34	लक्षद्वीप	46230	46230	100.00
35	पुदुचेरी	850475	850475	100.00
	योग	787896442	742961287.6	94.30

*सितम्बर, 2013 को यथाविद्यमान।

टिप्पणः सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 01.01.2014 तक पुनरीक्षित नामावली जनवरी 2014 में प्रकाशित की जाएगी।

प्रारंभिक पूछताछ

2084. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा टाटा, बिरला, जिंदल और भारतीय समूह की कंपनियों के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक पूछताछ/प्राथमिकी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र कब तक दायर किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी):

(क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 08 मामले दर्ज किए हैं। वर्तमान स्थिति सहित इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

टाटा, बिड़ला, जिंदल और भारती समूह की कंपनियों के आरोपित व्यक्ति (व्यक्तियों)/कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले

क्रम सं.	मामला आईडी	आरोपित व्यक्ति (व्यक्तियों)/कंपनी का ब्यौरा	आरसी/पीई की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आरसी 24(ए) 2011-एसीबी दिल्ली	मैसर्स भारती सेल्युलर लि. वर्तमान में भारती एयरटेल लि. नई दिल्ली और अन्य	आरोप पत्र दायर
2.	पीई 219 2012 ई0002-ईओ।	169 निजी कंपनियां टाटा, बिड़ला और जिंदल समूह की कंपनियों सहित	13 नियमित मामले दायर किए गए हैं।
3.	पीई 219 2012 ई 0004/ईओ.I/ईओ	निजी कंपनियां जिन्हें वर्ष 1993 से 2005 तक कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया 1. हिंडालको इंडस्ट्रीज तत्कालीन इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी 2. जिंदल स्टील एवं पावर लि. तत्कालीन जिंदल स्ट्रिप लि. 3. जिंदल पावर लि. 4. टिस्को 5. जिंदल थर्मल पावर लि/जिंदल विजयनगर लि. 6. जिंदल स्टैंनलेस स्टील लि. 7. श्याम डीआरआई लि. और अन्य	पीई दर्ज की गई है।
4.	पीई 1/ई/2013-ईओ-डब्ल्यू चेन्नई	1) मैसर्स टाटा मोटर्स 2) रवि कांत 3) सुश्री नीरा राडिया	पीई दर्ज की गई है।
5.	पीई 4(क)/13-एसीबी , हैदराबाद	1. मैसर्स टाटा पावर कंपनी लि. (टीपीसीएल)	अन्वेषण के बाद पीई को बंद कर दिया गया।
6.	आरसी-11/2013/ईओयू-IV/ईओ	1. मैसर्स आदित्य बिड़ला समूह के श्री कुमार मंगलम बिड़ला 2. मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लि. सैच्युरी भवन, तृतीय तल, डॉ. एनी बेसेन्ट रोड, वर्ली, मुम्बई और	आरसी दर्ज की गई है।
7.	आरसी-221/2013/ई0001/ईओ-1/ईओ-III	1. मैसर्स भारती एअरटेल लि. प्लाट सं. 16, उद्योग बिहार, फेज-IV, गुडगांव 2. मैसर्स सिंगापुर टेलिकम्यूनिकेशन लि. 31 एक्सटर रोड, 21.00 कमसेंटर, सिंगापुर-239732)	आरसी दर्ज की गई है।

1	2	3	4
		3. मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन लि., टावर-सी, प्लाट नं. सी-21 एवं सी-36, जी-ब्लॉक, विद्या नगरी, पीओ- बांदा कुली कॉम्पलेक्स, मुम्बई-400098 और अन्य	
8.	आरसी 219 2013 ई0006-ईओ।	जिंदल समूह की कंपनियों के विरूद्ध	आरसी दर्ज की गई है।
		1. श्री नवीन जिंदल, पुत्र स्व. श्री ओ.पी. जिंदल, पता जिंदल हाऊस, 6 पृथवीराज रोड, नई दिल्ली।	
		2. मैसर्स जिंदल स्टील एवं पावर लि., जिंदल सेंटर 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	
,		3. मैसर्स जिंदल रिएलिटी प्रा.लि. फ्लैट सं. 1104, 11वां तल, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	
		4. मैसर्स गगन स्पंज आयरन प्रा.लि. मैसर्स जिंदल स्टील एवं पावर लि. मैसर्स जिंदल रिएलिटी प्रा. लि., नई दिल्ली एक्जिम प्रा.लि. और मैसर्स सौभाग्य मीडिया लि. के निदेशक	

[हिन्दी]

दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम

2085. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली अपार्टमेंट अधिनियम, 2011-13 सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिनियम को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ङ) 1-12-1987 को अधिनियमित दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1986 आज की तिथि में भी प्रभावी है। इस अधिनियम का स्थान किसी नए अधिनियम ने नहीं लिया है और इस स्तर पर किसी नए विधेयक को लाने की कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

कॉलेजों को तकनीकी विश्वविद्यालयों का दर्जा

2086. श्री कादिर राणा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान देश के कतिपय कॉलेजों को तकनीकी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य एवं कॉलेज-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। सभी विश्वविद्यालय, या तो केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं। इसी तरह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा किसी संस्था को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987 में किसी कालेज को 'तकनीकी विश्वविद्यालय दर्जा' प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यों से संबद्ध कालेजों के प्रकार या प्रदान किए जा रहे कार्यक्रमों के स्वरूप

पर नामों में और अनेक राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों के नाम में तकनीकी या प्रौद्योगिकी शब्द शामिल किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार

2087. **श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी शैक्षणिक अभिलेखों का डाटा बेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 5.9.2011 को संसद में राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉस्टरी विधेयक, 2011 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय डाटाबेस में शैक्षिक उपाधियों और प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में रखना और उनका रखरखाव करने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं, विद्यार्थियों और नियोक्ताओं द्वारा शैक्षिक उपाधियों का सहज ऑनलाइन प्रयोग करने में उनको समर्थ बनाना और किसी व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता का समाप्त करना है जिसमें उसको सत्यापन आदि के लिए ऐसे प्रमाणपत्रों और अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु शैक्षिक संस्थाओं में जाना पड़े। इससे ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करके प्रमाण-पत्रों और अंक तालिकाओं की जालसाजी को भी समाप्त किया जा सकेगा।

(ग) यह राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉस्टरी, संसद द्वारा विधेयक के पारित करने एवं राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद लागू होगा।

विश्वविद्यालयों का भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में उन्नयन

2088. **श्री पी. कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों का भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के उन्नयन का मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। आनंद कृष्णन समिति जिसका गठन उच्च स्तर की प्रौद्योगिकीय राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में रूपांतरित करने के लिए कुछ चुनिंदा संस्थाओं की क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु किया गया था, ने संसद के एक अधिनियम के जरिए भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) के रूप में परिवर्तित किए जाने हेतु 05 (पांच) संस्थानों की अनुशंसा की है। जिन पांच संस्थानों की अनुशंसा की गई थी वे हैं: (1) बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज-शिबपुर (पश्चिम बंगाल) (इस समय बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू)-शिबपुर), (2) प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू)-वाराणसी (उत्तर प्रदेश), (3) कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी)-कोच्चि (केरल), (4) आंध्र यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग-विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) और (5) यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय (यूसीई), उस्मानिया विश्वविद्यालय-हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके बीईएचयू शिबपुर और

सीयूएसएटी-कोच्चि को भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईईएसटी) के रूप में पहले अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू (उत्तर प्रदेश) को पहले ही अधिकार में ले लिया गया है और इसे दिनांक 29.06.2012 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ई-गवर्नेंस में अनियमितताएं

2089. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन, विशेषकर कम्प्यूटरों की खरीद में कथित अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

फर्जी विदेशी विश्वविद्यालय

2090. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारतीय विद्यार्थियों को लुभाया है और बाद में ये विश्वविद्यालय फर्जी पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ठगे गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा इन विद्यार्थियों को किस प्रकार भारत सरकार द्वारा सहयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास इन विदेशी विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता जांचने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय विद्यार्थियों को ऐसे फर्जी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) भारतीय छात्रों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करना व्यक्तिगत इच्छा और चुनाव का मामला है जिनमें छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सूचना के आधार पर दाखिला चाहते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्थापित मानदंडों को न अपनाने की कुछ घटनाएं, जिनसे भारतीय छात्र प्रभावित हुए, सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) अब तक बताए गए मामलों में यूएसए की ट्राईवैली यूनिवर्सिटी ओर नार्दर्न वर्जीनिया यूनिवर्सिटी तथा यूनाइटेड किंग्डम में लंदन मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी हैं। विश्वविद्यालय का एक ही मामला जो बंद किया गया था वह ट्राईवैली यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का था जिसे यूएस प्राधिकारियों द्वारा अप्रवास में धोखाधड़ी के आरोपों के कारण बंद कर दिया था जिससे लगभग 1800 भारतीय छात्र प्रभावित हुए थे। भारत सरकार ने भारतीय छात्रों के हित के संरक्षण के लिए यूएस प्राधिकारियों के साथ मामले को शक्तिशाली ढंग से उठाया और यूएस में अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण कराकर उनमें से 1260 छात्रों की सहायता की।

(ग) से (ङ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) फोन पर दी जाने वाली सहायता प्रदान करता है और भारतीय छात्रों को संदर्भ के लिए सभी कार्य दिवसों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन जैसे "इन्टरनैशनल हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटीस", "वर्ल्ड लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीस", "कॉमनवेल्थ ईअरबुक" तथा शिक्षा के बारे में अमरीकी परिषद द्वारा प्रकाशित "अक्रेडिटिड इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ पोस्ट-सेकेन्डरी एजुकेशन" भी प्रदान करता है जिससे वह विश्वविद्यालय की प्रत्यायन स्थिति का मूल्यांकन कर सकें।

परिणामों की घोषणा

2091. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम घोषित करने में राज्य बोर्डों से पीछे रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को कॉलेजों में दाखिला लेने में मदद करने हेतु 10वीं और 12वीं के परिणाम सही समय पर घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, नहीं। परीक्षा आयोजित करना और परिणाम घोषित करना सतत प्रक्रिया का अंग है। प्रत्येक बोर्ड अपनी समय सारणी का अनुपालन करता है और यह कहना गलत है कि एक बोर्ड दूसरे बोर्ड से पीछे है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा-आयोजन और परिणामों की घोषणा के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन करता है। परीक्षाएं निरपवाद रूप से प्रतिवर्ष 01 मार्च से आरम्भ होती हैं और मई के अंत तक परिणाम घोषित किए जाते हैं। गत शैक्षिक सत्र अर्थात् 2012-13 में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः 27.05.2013 और 30.05.2013 को घोषित किए गए थे।

अनुसंधान संस्थानों की स्थापना

2092. **श्री आर. ध्रुवनारायण:**
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में अनुसंधान संस्थानों का निर्माण करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा

2093. **श्री हेमानंद बिसवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास स्कूलों और कॉलेजों में सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में छात्रों को शिक्षा देने के लिए कोई कार्य-योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शशी थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा-2005 (एनसीएफ-2005) में पाठ्यपुस्तकों के विकास हेतु दिशा-निर्देशों की व्यवस्था है। पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु में छात्रों के बीच सामुदायिक सदभाव के संवर्धन हेतु मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता तथा शांति शिक्षा की अध्ययन सामग्री शामिल है। विश्वविद्यालय पाठ्यचर्चा और सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक सदभाव का संवर्धन भी करते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों द्वारा छात्रों के बीच सामुदायिक सदभाव के संवर्धन हेतु रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। गृह मंत्रालय जिला स्तर पर स्कूली बच्चों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर कॉलेज छात्रों की निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

[हिन्दी]

जल संकट

2094. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में बढ़ रही पानी की कमी पर चिंता जताई है और राष्ट्रीय संपदा के रूप में जल संसाधन को घोषित करने हेतु अपने नियमों में संशोधन करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आने वाले वर्षों में होने वाली जल की कमी का आकलन करने के लिए कोई अधययन किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में, बढ़ रही पानी की कमी पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि उपलब्ध पानी की मात्रा लगभग अपरिवर्तनीय है। बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास की वजह से बढ़ती मांग के फलस्वरूप मांग-आपूर्ति के संतुलन पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। तथापि, जल संसाधनों को राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में घोषित करने हेतु अपने नियमों में संशोधन करने के लिए राज्यों से आग्रह नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में यह कहा गया है कि "जल संसाधनों की आयोजना विकास और प्रबंधन को मानवीय सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय रूप से सशक्त आधार वाले स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए साझे एकीकृत परिप्रेक्ष्य द्वारा शासित करने की आवश्यकता है"।

(ग) और (घ) देश के लिए औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) अनुमानित की गई है। तथापि, स्थलाकृतिक जलविज्ञान संबंधी तथा अन्य बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए प्रयोज्य जल संसाधन लगभग 1121 बीसीएम अनुमानित किए गए हैं जिसमें सतह जल से 690 बीसीएम और पुनर्भरणीय भूजल से 431 बीसीएम शामिल है।

राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) ने वर्ष 1999 में अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2010, 2025 और 2050 में वार्षिक जल आवश्यकता क्रमशः लगभग 710 बीसीएम, 843 बीसीएम और 1180 बीसीएम होगी।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक

2095. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः
श्री एन. पीताम्बर कुरूपः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय नोटरी/नोटरी पब्लिक के चयन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं और नोटरी अधिनियम के अनुसार केंद्रीय नोटरी/नोटरी पब्लिक को प्रत्यायोजित शक्तियों तथा निर्धारित सेवा अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) नोटरी की नियुक्ति के संबंध में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार के पास लंबित आवेदनों और लंबित रहने के कारणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में नए प्रावधानों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए नोटेरियों के वचन की प्रक्रिया के लिए मानदंड, नोटेरियों की शक्ति तथा पदावधि के साथ, नोटेरी अधिनियम, 1952 और उसके अधीन विरचित नियमों में अधिकथित किए गए हैं।

(ख) 30.11.2013 तक चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान, नोटेरियों की नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्ष और 30.11.2013 तक चालू वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नोटेरियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्ष तथा 30.11.2013 तक चालू वर्ष के दौरान सरकार के साथ लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है। लंबित रहने के लिए कारण है कि नोटेरी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरण अंतर्वलित हैं तथा अधिक समय लगता है।

(ङ) इस संबंध में कोई विनिर्दिष्ट समय सीमा नहीं नियत की जा सकती है।

विवरण I

नोटरियों की नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010	2011	2012	2013*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	161	176	25	20
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–
असम	02	–	–	–
बिहार	34	70	43	23
छत्तीसगढ़	03	11	01	10
गोवा	01	–	03	03
गुजरात	417	788	698	896
हिमाचल प्रदेश	03	01	06	10
हरियाणा	168	202	152	184
झारखंड	17	17	07	08
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
केरल	173	176	121	86
कर्नाटक	297	334	202	187
मेघालय	–	–	–	–
महाराष्ट्र	466	764	500	503
मणिपुर	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	19	42	26	33
नागालैंड	–	01	–	–
ओडिशा	10	15	08	17
पंजाब	98	123	79	103
राजस्थान	182	286	237	372
सिक्किम	–	–	–	–
तमिलनाडु	469	519	463	331
त्रिपुरा	05	11	02	01
उत्तर प्रदेश	282	441	241	299
उत्तराखंड	15	08	12	04
पश्चिम बंगाल	19	23	10	08
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
चंडीगढ़	15	30	08	13
दिल्ली	56	79	71	92
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–
पुदुचेरी	08	10	06	04

*तारीख 30.11.2013 तक।

विवरण II

30.11.2013 तक नियुक्त किए गए नोटरियों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	24	74	–	–
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–

1	2	3	4	5
असम	–	–	–	–
बिहार	09	11	–	20
छत्तीसगढ़	–	01	–	04
गोवा	02	01	–	01
गुजरात	74	132	180	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	
हरियाणा	20	60	–	78
झारखंड	01	01	–	05
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
केरल	34	69	–	78
कर्नाटक	49	125	–	154
मेघालय	–	–	–	–
महाराष्ट्र	120	168	–	305
मणिपुर	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	05	08	–	14
नागालैंड	–	–	–	01
ओडिशा	03	02	–	06
पंजाब	18	37	–	62
राजस्थान	10	45	–	107
सिक्किम	–	–	–	–
तमिलनाडु	105	163	–	–
त्रिपुरा	–	04	–	05

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	29	72	169	–
उत्तराखंड	–	09	–	–
पश्चिम बंगाल	09	04	–	09
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
चंडीगढ़	02	02	–	14
दिल्ली	13	11	–	–
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
दमन और दीव	–	--	–	–
लक्षद्वीप	–	--	–	–
पुदुचेरी	11	01	–	–

विवरण III

लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010	2011	2012	2013*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	–	176	25	20
अरूणाचल प्रदेश	–		–	–
असम	–	–	–	–
बिहार	–	–	22	23
छत्तीसगढ़	–	–	–	10
गोवा	–	–	–	03
गुजरात	–	–	339	896
हिमाचल प्रदेश	–	–	02	10
हरियाणा	–	–	66	184
झारखंड	–	–	02	08

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
केरल	–	–	69	86
कर्नाटक	–	–	97	187
मेघालय	–	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	259	503
मणिपुर	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	–	13	33
नागालैंड		–	–	–
ओडिशा	–	–	06	17
पंजाब	–	–	43	103
राजस्थान	–		136	372
सिक्किम	–	–	–	–
तमिलनाडु	..	519	463	331
त्रिपुरा	–	--	01	01
उत्तर प्रदेश	–	–.	241	299
उत्तराखंड	–	08	12	04
पश्चिम बंगाल	–	–	07	08
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	05	13
दिल्ली	–	79	71	92
दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
दमन और दीव	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–
पुदुचेरी	–	10	06	04

*तारीख 30.11.2013 तक।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को राशि का आबंटन

2096. श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) बोर्ड को आबंटित/जारी राशि का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए आबंटन किया गया है;

(ग) के.वी.आई. बोर्ड को राशि जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान के.वी.आई. की इकाइयों की स्थापना हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने आवेदनों को मंजूरी दी गयी तथा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान के.वी.आई. में कितनी नयी इकाइयां स्थापित की गयी हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं, तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) विभिन्न स्कीमों के तहत केवीआईबी को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान केवीआईसी द्वारा केवीआईबी को दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केवीआईसी विभिन्न स्कीमों जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विपणन विकास सहायता (एमडीए), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम, पारंपरिक उद्योगों के पुनरूज्जीवन के लिए निधि की स्कीम (स्फूर्ति), खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की स्कीम, खादी कारीगरों तथा विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा विपणन अवसंरचना के लिए सहायता हेतु वर्कशेड स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केवीआईबी को धनराशि प्रदान करती है। पीएमईजीपी के संबंध में सामान्यत: मार्जिन मनी सब्सिडी की 30 प्रतिशत राशि केवीआई बोर्डो की आबंटित की जाती है।

(ग) केवीआईसी द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्कीमों के तहत राज्यों के केवीआई बोर्डो को (i) स्कीम की गाइडलाइंस की शर्तों को पूरा करने, (ii) के प्रस्ताव के गुण-दोष, (iii) पहले जारी की गई धनराशि में से अप्रयुक्त बकाया राशि की उपलब्धता आदि के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

(घ) और (ङ) पीएमईजीपी एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसके तहत गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों/नई इकाईयों की स्थापना के लिए बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम केवीआईसी, केवीआईबी तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर केवीआईसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दोरान पीएमईजीपी के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, जिन्हें जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीटीएफसी) द्वारा अनुशंसा कर बैंकों को अग्रेषित किया गया तथा निपटाए गए मामलों की संख्या और प्रदान की गई मार्जिन मनी सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	डीटीएफसी द्वारा बैंकों को अनुशंसित और अग्रेषित आवेदन पत्र	बैंकों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या*	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
2010-11	3,09,780	1,55,370	49,064	891.18
2011-12	1,64,522	74,715	55,135	1057.84

1	2	3	4	5
2012-13	2,62,598	90,026	57,884	1080.66
2013-14	3,04,753	76,454	5,875	134.83

(30.11.2013 तक)

*इसमें पिछले वर्ष के अंत तक भुगतान के लिए लंबित आवेदन पत्र शामिल है।

विवरण

केवीआईसी द्वारा केवीआईबी को दी गई राज्यवार धनराशि

(लाख रुपये में)

क्रम	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14 (30.11.2013 तक)		
		पीएमई जीपी#	अन्य स्कीम	कुल	पीएमई जीपी#	अन्य स्कीम	कुल	पीएमई जीपी#	अन्य स्कीम	कुल	पीएमई जीपी#	अन्य स्कीम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जम्मू और कश्मीर	1435.80	73.80	1509.60	1725.80	76.13	1801.90	1482.56	95.66	1578.22	384.00	21.40	405.40
2.	हिमाचल प्रदेश	347.60	2.84	350.44	282.34	154.45	436.79	424.09	7.39	431.48	139.03	0.00	139.03
3.	पंजाब	445.55	5.46	451.01	548.26	5.46	553.72	457.02	0.00	457.02	96.75	0.00	96.75
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00	13.97	0.00	13.97	1.50	0.00	1.50
5.	उत्तराखंड	335.00	0.00	335.00	268.00	0.00	268.00	593.56	31.08	624.64	86.21	0.00	86.21
6.	हरियाणा	568.03	0.00	568.03	427.61	0.00	427.61	344.72	0.00	344.72	55.01	0.00	55.01
7.	दिल्ली	161.47	0.00	161.47	176.40	0.00	176.40	121.25	0.00	121.25	42.54	0.00	42.54
8.	राजस्थान	1037.80	16.82	1054.70	1049.40	0.00	1049.40	1820.34	0.00	1820.34	59.72	0.00	59.72
9.	उत्तर प्रदेश	4310.70	2.50	4313.20	5117.50	0.00	5117.50	3155.25	3.25	3158.50	458.44	0.99	459.43
10.	बिहार	725.00	35.84	760.84	590.00	45.43	635.43	922.89	0.00	922.89	536.55	37.06	573.61
11.	सिक्किम	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.40	0.00	1.40
12.	अरूणाचल प्रदेश	129.32	0.00	129.32	104.78	0.00	104.78	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
13.	नागालैंड	214.25	0.00	214.25	208.64	0.00	208.64	585.51	0.00	585.51	299.95	0.00	299.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मणिपुर	181.37	0.00	181.37	189.12	0.00	189.12	404.64	0.00	404.64	246.41	0.00	246.41
15.	मिजोरम	135.46	0.00	135.46	152.40	0.00	152.40	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
16.	त्रिपुरा	160.95	0.00	160.95	860.41	0.00	860.41	562.46	0.00	562.46	5.60	0.00	5.60
17.	मेघालय	257.08	0.00	257.08	250.03	0.00	250.03	380.98	0.00	380.98	0.00	0.00	0.00
18.	असम	1329.60	7.30	1336.90	1439.60	12.41	1452.00	1423.06	0.00	1423.06	21.70	14.13	35.83
19.	पश्चिम बंगाल	2531.60	0.00	2531.60	1295.00	0.00	1295.00	2870.45	851.30	3721.75	393.61	1732.83	2126.44
20.	झारखंड	317.13	35.61	352.74	398.04	36.23	434.27	429.41	22.84	452.25	69.35	7.73	77.08
21.	ओडिशा	1512.10	0.00	1512.10	1166.30	0.00	1166.30	2331.54	24.16	2355.70	25.57	14.90	40.47
22.	छत्तीसगढ़	2984.00	0.00	2984.00	3183.00	0.00	3183.00	1274.60	0.00	1274.60	58.53	8.33	66.86
23.	मध्य प्रदेश	1557.00	80.60	1637.30	1551.90	75.25	1627.20	2239.96	21.13	2261.09	234.91	28.45	263.36
24.	गुजरात*	378.10	1910.50	2288.60	1857.90	1223.10	3080.90	1529.51	1088.47	2617.98	87.19	278.17	365.36
25.	महाराष्ट्र**	2309.60	0.00	2309.60	1433.30	0.00	1433.30	2324.75	0.00	2324.75	32.52	0.00	32.52
26.	आंध्र प्रदेश	3315.00	11.51	3326.50	1757.80	16.75	1774.60	2537.39	25.71	2563.10	51.07	13.17	64.24
27.	कर्नाटक	1036.90	64.25	1101.10	1165.70	51.78	1217.50	1149.20	468.93	1618.13	569.26	496.77	1066.03
28.	गोवा	256.14	4.41	260.55	171.64	5.05	176.69	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	केरल	992.75	269.34	1262.10	889.54	334.84	1224.40	824.77	128.18	952.95	120.50	56.24	176.74
31.	तमिलनाडु	989.21	270.90	1260.10	842.73	127.80	970.53	254.51	95.97	350.48	51.67	0	51.67
32.	पुदुचेरी	86.00	4.36	90.36	167.32	11.36	178.68	50.41	2.35	52.76	4.32	0	4.32
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	64.03	0.00	64.03	171.75	0.00	171.75	69.48	0.00	69.48	47.26	0.00	47.26
	कुल	30334.42	2796.04	33130.18	29442.21	2176.04	31618.25	30950.17	2866.42	33816.59	4180.57	2710.17	6890.74

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

आंकड़े मार्जिन मनी सब्सिडी दर्शाते हैं

@केवीआईबी द्वारा प्रायोजित मामलों के संबंध में उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्यों का संशोधन

2097. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्यों को संशोधित किया गया है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समीक्षा कब तक की जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा 2011 में यथानुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में 12वीं योजनावधि के दौरान 9 प्रतिशत औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य का अनुमान लगाया गया था। तथापि, विश्व भर में आर्थिग्क अनिश्चितता में वृद्धि और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की वजह से 2012 में अंतिम रूप से अनुमोदित बारहवीं योजना में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य को संशोधित करके 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के लिए लक्ष्यों का सामान्यतया मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के समय पुन: आकलन किया जाता है। 12वीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन 2014-15 में किया जाना निर्धारित है।

[हिन्दी]

विनियमों का उल्लंघन

2098. श्री रतन सिंह:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न विनियमों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कुछ निजी दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं और ऐसी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा जारी नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने वाली उन कंपनियों के खिलाफ कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओ के विरूद्ध नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कुछ शिकायतें दायर की हैं:

विवरण

क्र.सं.	सेवा प्रदाता	अभियुक्ति
1	2	3
1.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	ट्राई द्वारा मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के विरूद्ध (i) सेवा की समाप्ति और उपभोक्ता की शिकायत की डॉकेट सं. से संबंधित निर्देश सं. 303-6/2006 और (ii) प्रतिभूति जमा की वापसी से संबंधित निर्देश सं. 303-1/2004-ईको दिनांक 8.7.2005 का अनुपालन न करने की शिकायत दायर की गई थी।

1	2	3
2.	मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लि.	ट्राई द्वारा मैसर्स लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड के विरूद्ध दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, 2009 (2009 का 8) के प्रावधानों का अनुपालन न करने की शिकायत दायर की गई थी।
3.	मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड	ट्राई द्वारा मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के विरूद्ध दूरसंचार मोबाइल नंबर पोटैबिलिटी 2009 (2009 का 8) के प्रावधानों का अनुपालन न करने की शिकायत दायर की गई थी।
4.	मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड	ट्राई द्वारा मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड के विरूद्ध दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, 2009 (2009 का 8) के प्रावधानों का अनुपालन न करने की शिकायत दायर की गई थी।
5.	मैसर्स आइडिया सेलुलर लिमिटेड मैट्रोपॉलिटन न्यायालय दिल्ली में लंबित	ट्राई द्वारा मैसर्स आइडिया सेलुलर तथा अन्य के विरूद्ध, ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 30 और 34 के साथ पठित धारा 29 के तहत अपराधों से संबंधित दंड प्रक्रिया, 1973 की धारा 190/200 के अंतर्गत शिकायत दायर की गई है। यह शिकायत वर्ष 2006-07 की मीटरिंग और बिलिंग पद्धति और सेवा-गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए प्रक्रिया संहिता) विनियम 2006 (2006 का 5) दिनांक 21 मार्च, 2006 और दूरसंचार टैरिफ आदेश (चवालीसवां संशोधन) आदेश, 2007 दिनांक 24 जनवरी, 2006 के प्रावधानों के बार-बार/लगातार उल्लंघन से संबंधित लेखा-आपत्तियों के बारे में है।

तथापि, ट्राई ने क्रम सं. 1 से 4 पर उल्लिखित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है और उपर्युक्त क्रम सं. 2, 3 एवं 4 पर दिए गए मामलों की वापसी से संबंधित मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतियां ट्राई द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

सिविल सेवा परीक्षा का नया प्रारूप

2099. श्रीमती रमा देवी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बदला हुआ प्रारूप शुरू करने के कारण सिविल सेवा आकांक्षी नाराज हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सिविल सेवा आकांक्षियों के लिए और अधिक प्रयासों और आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) सिविल सेवा परीक्षा के प्रारूप

में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) नियमावली, 2013 में नियत ऊपरी आयु सीमा और प्रयासों की संख्या में छूट मांगने के लिए विभिन्न पक्षों से कुछ अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

संशोधित स्कीम में उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले पेपरों की कुल संख्या समान है। वैकल्पिक विषयों की संख्या दो से घटाकर एक कर दी गई है और इस प्रकार से पेपरों की संख्या चार से घटकर दो हो गई है और सामान्य अध्ययन के पेपरों की संख्या दो से बढ़कर चार हो गई है। इस प्रकार से इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। प्रयासो में और छूट देने तथा इसके फलस्वरूप ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एल.टी.सी. नीति की समीक्षा

2100. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मीडिया में यथा उल्लिखित केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा फर्जी एल.टी.सी. का दावा, बढ़े हुए हवाई यात्रा बिलों और विदेशी यात्राओं पर रोक लगाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत नीति की समीक्षा करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो किस प्रकार से फर्जी दावों को रोकने की सरकार की योजना है और निजी ट्रैवल एजेंसियों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रस्तावित दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी नारायणसामी): (क) से (घ) भारत सरकार, कर्मचारियों की विभिन्न सेवा आवश्यकताओं और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियों और स्कीमों का निर्माण करती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग और अन्य स्वतंत्र एजेंसियां इन नीतियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। समय-समय पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है और समय की मांग के अनुसार इनमें संशोधन भी किया जाता है।

धोखाधड़ी के क्रिया-कलाप वाले छुट्टी यात्रा रियायत के मामले, मनोनीत निकाय/एजेंसियों के ध्यान में आने पर, इन अनियमितताओं की सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के नियम 16 के अनुसार जांच-पड़ताल की जाती है और धोखाधड़ी करने के आरोप पर सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सेवक पर सीसीएस (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अभिरोपित की जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सरकारी सेवक को पहले से ही रोकी गई एलटीसी के अतिरिक्त अगले दो या अधिक एलटीसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एनसीईआरटी पैटर्न पर पुस्तकें

2101. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों का ही उपयोग करने संबंधी निदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूलों के कुछ प्रबंधकों तथा निजी प्रकाशकों द्वारा उक्त निदेशों का उल्लघंन किया जा रहा है और एनसीईआरटी की पद्धति के अनुसार पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं तथा उन्हें छात्रों को ऊंचे मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2005-06 में अपने सभी मान्यताप्राप्त स्कूलों को उच्चतम माध्यमिक स्तर तक विभिन्न विषयों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की सिफारिश न करने के निदेश दिए थे। अब केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा IX से XII तक के लिए केवल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित पुस्तकें निर्धारित करता है।

(ग) बोर्ड को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मानव विकास रिपोर्ट

2102. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011 की प्रमुख टिप्पणियां क्या हैं; और

(ख) मानव विकास का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) द्वारा प्रकाशित भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011 में, देश के मानव विकास सूचकांक में 21 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्शाई गई है अर्थात् इसका मूल्य 1999-2000 के 0.387 से बढ़कर 2007-08 में 0.467 हो गया। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) एक समेकित सूचकांक है जिसमें तीन सूचक हैं-उपभोग व्यय (आय की प्रोक्सी के रूप में), शिक्षा तथा स्वास्थ्य। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में सुधार आय सूचकांक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सूचकांक अथवा इन तीनों सूचकांकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण हुआ है। मानव विकास सूचकांक में भारत के ऊपर बढ़ने का मूल कारण 1999-2000 और 2007-08 की अवधि के दौरान शिक्षा सूचकांक में 28.5 प्रतिशत का सुधार है। आय सूचकांक में परिवर्तन तो मानव विकास सूचकांक में हुए समग्र परिवर्तन जितना ही है, किन्तु 1999-2000 से 2007-2008 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य सूचकांक में हुआ सुधार (13 प्रतिशत) देश के मानव विकास सूचकांक में समग्र सुधार के काफी नीचे है।

(ख) वर्ष 1999-2000 तक 2007-2008 के लिए मानव विकास सूचकांक के राज्यवार मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्यवार मानव विकास प्रोफाइल

राज्य	मानव विकास मूल्य		मानव विकास रैंकिंग	
	1999-2000	2007-08	1999-2000	2007-08
1	2	3	4	5
केरल	0.677	0.79	2	1
दिल्ली	0.783	0.75	1	2
हिमाचल प्रदेश	0.581	0.652	4	3
गोवा	0.595	0.617	3	4

1	2	3	4	5
पंजाब	0.543	0.605	5	5
(असम को छोड़कर पूर्वोत्तर)	0.473	0.573	9	6
महाराष्ट्र	0.501	0.572	6	7
तमिलनाडु	0.48	0.57	8	8
हरियाणा	0.501	0.552	7	9
जम्मू और कश्मीर	0.465	0.529	11	10
गुजरात	0.466	0.527	10	11
कर्नाटक	0.432	0.519	12	12
पश्चिम बंगाल	0.422	0.492	13	13
उत्तराखंड	0.339	0.49	16	14
आंध्र प्रदेश	0.368	0.473	15	15
असम	0.336	0.444	17	16
राजस्थान	0.387	0.434	14	17
उत्तर प्रदेश	0.316	0.38	18	18
झारखंड	0.268	0.376	23	19
मध्य प्रदेश	0.285	0.375	20	20
बिहार	0.292	0.367	19	21
ओडिशा	0.275	0.362	22	22
छत्तीसगढ़	0.278	0.358	21	23

स्रोतः भारत मानव विकास रिपोर्ट, 2011, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

2103. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शिक्षा और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई रूपरेखा तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पर्याप्त अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता यूजीसी द्वारा अपने विनियमों, योजनाओं और अनुदानों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। यूजीसी द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को अवसंरचना में सुधार करने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यचालन की समीक्षा समय-समय पर कुलपतियों के सम्मेलन में और हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा फरवरी, 2013 में और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जुलाई 2013 में की गई है। चर्चा में शामिल विषय थे, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, रिक्त शिक्षण पदों को भरना, संकाय विकास, उद्योग और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग, नवाचार को बढ़ावा, अनिवार्य प्रत्यायन, स्वायत्ता को सुदृढ़ करना आदि।

(ख) और (ग) सीयू के कार्य निष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने शिक्षण व्यवसाय में युवा प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए सीयू के शिक्षकों के लगभग बेहतरीन वेतनमान तथा प्रोन्नति अवसर आरंभ किए हैं। सीयू में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यूजीसी द्वारा आरंभ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं; सेमेस्टर प्रणाली आरंभ करना, पाठ्यचर्या का आवधिक उन्नयन, रुचि-आधारित क्रेडिट प्रणाली आरंभ करना, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करना तथा छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करना, शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्णारण, अनिवार्य आकलन एवं प्रत्यायन आरंभ करना, आंतरिक गुणवत्ता आवश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करना, अनुसंधान और शिक्षण संसाधनों को बढ़ाने के लिए संकाय रिचार्ज कार्यक्रम आरंभ करना, मानक-आधारित वित्तपोषण तथा उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय योजना के अधीन उदार वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विदेशी शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग। यूजीसी निजी विश्वविद्यालयों, सरकारी विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों में शिक्षण और अध्ययन के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विनियमों का निर्धारण करती है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

2104. श्री एस. अलागिरी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का राज्य-वार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया/कराने का विचार है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए नीति और कार्यक्रम का आधार तैयार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों का कोई राज्य-वार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया है और न ही कराने का विचार है। तथापि, सरकार ने देशभर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवारों के लिए सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को सृजित करने के लिए देश में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011 प्रारंभ की है जिसमें भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए), भारत के महापंजीयक, जनगणना आयुक्त और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशों में चिकित्सा उपचार

2105. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न गंभीर बीमारियों और

हृदय शल्य चिकित्सा के विदेशों में उपचार के लिए अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) विदेशों में चिकित्सा उपचार सुविधा ऐसी विनिर्दिष्ट बीमारियों, जिनके लिए देश में उपचार उपलब्ध नहीं होता है, के लिए केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1944 के अंतर्गत केन्द्रीय सेवाओं के लिए उपलब्ध थी। केन्द्रीय सेवाओं के साथ समानता स्थापित करने के लिए, इसे अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों में शामिल किया गया था। तथापि, मामला समीक्षाधीन है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा नौकरशाहों के विरुद्ध कार्रवाई

2106. श्री के. पी. धनपालन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राज्य सरकारों से राज्य के सिविल सेवा संवर्गों के नौकरशाहों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उनके अधिकार को समाप्त करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कुछ राज्य सरकारों द्वारा बेवजह शोषण से नौकरशाहों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न संवर्गों/राज्यों में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के राज्य सरकार द्वारा अनुचित उत्पीड़न को रोकने के लिए अखिल भारतीय सेवा (डीएवंए) नियमावली, 1969 में समुचित निवारण तंत्र सन्निहित हैं।

[हिन्दी]

कश्मीर में पर्यवेक्षक

2107. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस्लामिक देशों के संगठन से जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार पर्यवेक्षकों द्वारा तथ्यान्वेषण मिशन को अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) कोनाकी गिनी गणराज्य में दिनांक 9-11 दिसंबर, 2013 के दौरान आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के विदेश मंत्री परिषद के 40वें सत्र द्वारा स्वीकृत राजनैतिक मामले संबंधी एक संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ भारत से आग्रह किया गया कि वह जम्मू व कश्मीर में तथ्यान्वेषण मिशन भेजने की अनुमति प्रदान करे।

संपूर्ण जम्मू व कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। भारत का हमेशा से ही यह पक्ष रहा है कि भारत के आंतरिक मामलों, जिनमें जम्मू व कश्मीर भी शामिल है, में इस्लामिक सहयोग संगठन का कोई अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों का कार्यकरण

2108. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना और विनियमन के लिए कोई मानदंड तय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सरकार ने सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों सहित कुछ विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में पाई गई कमियों के बारे में न्यायालय में अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त सम विश्वविद्यालय के दर्जे से की जा सकती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस आधार पर की गई थी कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो।

यूजीसी ने निजी विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए विनियमों अर्थात् यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2010 और यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों के स्तरो की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 तैयार और अधिसूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम स्तर संबंधी विनियम भी जारी किए हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि सरकार ने विप्लव शर्मा मामले [रिट याचिका (ग) 2006 की संख्या 142] रिट याचिका में 44 श्रेणी ग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा समिति द्वारा उल्लिखित सम विश्वविद्यालयों की कमियों का मूल्यांकन करते हुए 18.01.2010 और 24.02.2010 को प्रति-शपथ पत्र दायर किए थे। उपर्युक्त दोनों शपथ पत्रों के उत्तर में 25 सम विश्वविद्यालय संस्थाओं ने आपत्तियां उठाई हैं और सरकार ने अपना उत्तर 24.06.2013 को दायर किया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा आयोजित समीक्षा के अनुसार ये 44 संस्थाएं न तो विगत निष्पादन के अनुसार, न ही भविष्य के लिए किए गए अपने वायदे के अनुसार सम विश्वविद्यालयी संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के गुण रखती हैं। वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। तीनों सम विश्वविद्यालय, जिनमें कमी पाई गई थी, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित हैं।

(घ) वर्तमान में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

नए राज्यों की कार्ययोजना और वित्तीय आवंटन

2109. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे नव गठित राज्यों के संपूर्ण और त्वरित विकास के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है और वित्तीय आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आवंटन की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को अब तक जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि जारी की जानी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखंड राज्य जिनका गठन कुछ वर्षों पूर्व किया गया है, ने 12वीं योजना की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप समग्र तीव्र विकास के लिए अपनी राज्य-वार 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली है। इन राज्यों की 12वीं योजना का आकार इन राज्यों के अपने संसाधनों

से वित्तपोषित होगा जिसमें उधार और केन्द्रीय संसाधन शामिल है जो कि निम्नानुसार है:

छत्तीसगढ़	1,31,728 करोड़ रुपये
झारखण्ड	1,10,240 करोड़ रुपये
उत्तराखण्ड	46,580 करोड़ रुपये

(ग) 12वीं योजना (2012-13) के प्रथम वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनागत विकास स्कीमों के अंतर्गत इन राज्यों को निम्नानुसार निधियां जारी की:

छत्तीसगढ़	7,779 करोड़ रुपये
झारखण्ड	6,143 करोड़ रुपये
उत्तराखण्ड	4,717 करोड़ रुपये

सरकारी कॉलेजों के निर्माण के लिए धनराशि

2110. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी कॉलेजों के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त मध्य प्रदेश को जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि धनराशि की अंतिम किस्त नहीं दिए जाने के कारण कई निर्माण कार्य अब तक अधूरे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम किस्त कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) देश के प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मध्य प्रदेश में 39 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में पहचान की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी 39 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 11वीं योजना के दौरान कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक भवनों आदि के निर्माण और नवीकरण के लिए मध्य प्रदेश के कॉलेजों को जारी किया गया अनुदान 2067.94 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के 400 कॉलेज विभिन्न योजनाओं के तहत शामिल किए गए हैं जैसे सामान्य विकास अनुदान (अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर), पुराने कॉलेजों में अवसंरचना का कायाकल्प, नए कॉलेजों को कैच-अप अनुदान, कॉलेजों में क्षमता निर्माण की पहल को आगे बढ़ाने हेतु विशेष अनुदान, पिछड़े क्षेत्रों में कॉलेज। 400 कॉलेजों में से पहली किस्त 378 कॉलेजों के लिए जारी की गई है, जबकि दूसरी किस्त 20 कॉलेजों के लिए जारी की गई है और अंतिम किस्त दो कॉलेजों के लिए जारी की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित अनुदान का 50% योजना और अनुमानों के विश्वविद्यालय अनुदान के अनुमोदन पर जारी किया जाता है। अनुमोदित अनुदान का लगभग 40% निर्माण के सतर को दर्शाने वाली पहली किस्त की प्रगति रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षित व्यय के विवरणों की प्राप्ति पर जारी किया जाता है। अनुदान का शेष 10% अंतिम दस्तावेजों अर्थात (i) अंतिम लागत यदि कोई हो, तो उसे दर्शाने वाले संशोधित अनुमान, (ii) कुल लागत के लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र, (iii) लेखापरीक्षित आय और व्यय विवरण, (iv) लेखापरीक्षित संपत्ति प्रमाणपत्र, (v) मुख्य और अर्हता प्राप्त इंजीनियर और अंदरूनी दृश्य को दर्शाने वाले छायाचित्र की प्राप्ति पर जारी किया जाता है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कॉलेजों के लिए निर्माण की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ा दी गई है। निधियों को समय से जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग ने उन शैक्षिक संस्थाओं के साथ इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की है जो बाद की किस्तों को जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

[अनुवाद]

डीएमआरसी द्वारा परामर्श

2111. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) देश और विदेश में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता का कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीएमआरसी द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या डीएमआरसी का मेट्रो रेल को सौर ऊर्जा से चलाने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसके कार्य में विस्तार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि वर्तमान में वे निम्नलिखित परामर्शी कार्यो से जुड़े हुए हैं:–

(i) चेन्नई मेट्रो के लिए मुख्य परामर्शी कार्य

(ii) कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के लिए मुख्य परामर्शी कार्य

(iii) केरल मोनोरेल हेतु, सामान्य परामर्शी कार्य

(iv) दिल्ली मेट्रो चरण-IV के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

(v) नागपुर मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार करना

(vi) केरल में उच्च गति रेल हेतु डीपीआर तैयार करना

(vii) अमृतसर एमआरटीएस हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करना

(viii) लखनऊ मेट्रो चरण-II का तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन करना

(ix) जयपुर मेट्रो चरण 1क के लिए टर्न-की/निक्षेप कार्य परामर्शी कार्य करना

(x) जयपुर मेट्रो 1ख के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य करना

(xi) कोच्चि मेट्रों के लिए टर्न-की/निक्षेप कार्य परामर्शी कार्य करना

(xii) निप्पॉन कोई, मोट और डीडीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में ढाका जनद्रुत परिवहन विकास परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा।

गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान डीएमआरसी द्वारा उपार्जित राजस्व इस प्रकार है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	सकल राजस्व
2010-11	2145.37
2011-12	2550.25
2012-13	3422.56
2013-14 (आज की तारीख तक)	2504.95
योग	10623.13

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मेट्रो ट्रेन के प्रचालन के लिए ऊर्जा की भारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के सृजन हेतु विद्यमान प्रौद्योगिकी इष्टतम समाधान नहीं है।

[हिन्दी]

डाकघरों के लिए नए विधान

2112. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग की स्थापना संबंधी विधानों का सेट काफी पुराना है जोकि डाकघरों के आधुनिकीकरण की गति में बाधक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा डाकघरों के कार्यकरण को शासित करने वाले विधान का ब्यौरा क्या है तथा ये कब से लागू हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संशोधित कानूनों के उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार डाकघर अधिनियम की समीक्षा और इसके स्थान पर नया विधान लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. श्रीमती क्रुपारानी किल्ली): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य

(घ) जी, हां।

(ङ) मौजूदा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को प्रतिस्थापित करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण

2113. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति/प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप/सूनामी से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्ष-वार और संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए, आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपी) सहित विभिन्न संयंत्र प्रक्रियाओं के संबंध में संयंत्र कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। आपातकालीन प्रक्रियाओं में, बाढ़, सुनामी, चक्रवाती तूफान, भूकंप और आग लगने से उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियां शामिल हैं। सुनामी और चक्रवाती तूफान, भूकंप और आग लगने से उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियां शामिल हैं। सुनामी और चक्रवाती तूफान, तटवर्ती स्थलों के संगत हैं, और तटवर्ती स्थलों पर कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण में इन पहलुओं को शामिल किया गया है। सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत संयंत्र कार्मिकों के लिए असामान्य परिस्थितियों हेतु आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं से संबंधित संगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से बैचों में आयोजित किया जाता है। प्रचालन कार्मिकों को लाइसेंसिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, इन विषयों पर नियमित रूप से पुनः प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। आपातकालीन स्थिति/प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, वर्ष वार और स्थल-वार आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

बिजलीघर	प्राकृतिक आपदाओं संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वर्षवार संख्या			
	2010	2011	2012	2013 आज की तारीख तक
1	2	3	4	5
टीएपीएस-1 तथा 2	5	5	7	11

1	2	3	4	5
टीएपीएस 3 तथा 4	15	6	12	26
आरएपीएस 1 तथा 2	13	41	20	9
आरएपीएस 3 तथा 4	21	34	40	6
आरएपीएस 5 तथा 6	6	28	20	6
एमएपीएस	12	37	11	32
एनएपीएस	3	11	6	33
केएपीएस	6	12	8	21
कैगा 1 से 4	4	21	17	50

टीएपीएस-तारापुर परमाणु बिजलीघर, तारापुर, महाराष्ट्र
आरएपीएस-राजस्थान परमाणु बिजलीघर, रावतभाटा, राजस्थान
एमएपीएस- मद्रास परमाणु बिजलीघर, कलपाक्कम, तमिलनाडु
एन एपीएल-नरोरा परमाणु बिजलीघर, नरोरा, उत्तर प्रदेश
केएपीएस-काकरापार परमाणु बिजलीघर, काकरापार, गुजरात
कैगा-कैगा उत्पादन केन्द्र, कैगा, कर्नाटक

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान की भागीदारी पद्धति

2114. श्री सी.आर. पाटिल:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान के केन्द्रीय हिस्से में व्यापक कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अपने निर्णय की समीक्षा और गुजरात सहित राज्यों के अतिरिक्त भार की प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु निधीयन पद्धति जो 11वीं योजना के आरंभ में 65:35 थी, उसे 11वीं योजना के अंत तक कम होकर 50:50 हो जाना था। तथापि, केन्द्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों को ध्यान में रखकर प्रावधान में संशोधन किया तथा 2010-11 से लागू 65:35 की केन्द्र/राज्य भागीदारी पद्धति (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए 90:10) को 2014-15 तक जारी रखने का निर्णय लिया।

(ग) से (ङ) गुजरात राज्य भी एसएसए के अंतर्गत 65:35 (केन्द्र राज्य) की पद्धति के आधार पर केन्द्रीय निधियां प्राप्त कर रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

2115. श्री सज्जन वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में अनेकों पद अनुबंध आधार पर रखे गए कर्मचारियों द्वारा भरे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुबंध आधार पर रखे गए कर्मचारियों पर सीसीएम नियम लागू होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। वर्तमान में, विद्यमान रिक्तियों के विरूद्ध लगभग 7700 शिक्षक संविदा आधार पर काम कर रहे हैं।

(ख) नियमित रिक्तियों को भरने की भर्ती प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। नियमित शिक्षकों के उपलब्ध होने तक, छात्रों के नियमित अध्ययन में किसी व्यवधान को रोकने के लिए संविदात्मक शिक्षकों को लगाया जाता है।

(ग) और (घ) संविदात्मक कर्मचारी, उनकी नियुक्ति के समय दोनों पक्षों के बीच हुए करार की शर्तों द्वारा अभिशासित होते हैं।

[अनुवाद]

टाइटैनियम के निष्कर्षण हेतु प्रौद्योगिकी

2116. श्री पी. करूणाकरन: क्या **परमाणु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुर्लभ भूमि से टाइटैनियम के निष्कर्षण के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में टाइटैनियम डाइआक्साइड से धातु निकालने के लिए उपलब्ध सुविधा का ब्यौरा क्या है और उत्पादन क्षमता/उत्पादन आदि से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस संबंध में आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। टाइटेनियम धातु का उत्पादन, टाइटेनियम युक्त खनिजों से किया जाता है।

(ग) टाइटेनियम धातु का उत्पादन, इल्मेनाइट से किया जाता है, जिसमें लगभग 50-60% टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड (टीआईओ2) मौजूद होता है। इसे सिंथेटिक रूटाइल, जिसमें लगभग 90% टाइटेनियम डाई-ऑक्साइड मौजूद होता है, के रूप में अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ती है। रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल), हैदराबाद ने, टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन करने के लिए चार टन प्रति वर्ष (टीपीए) क्षमता वाला एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया है। अंतरिक्ष विभाग ने, मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड (केएमएमएल) के सहयोग से चवारा, केरल में केरल मिनरल्स एंड मैटल्स लिमिटेड सुविधा में 500 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एक टाइटेनियम स्पंज संयंत्र स्थापित किया है। मिश्र धातु निगम लि. (मिधानी) में उपलब्ध सुविधा में 300 टन प्रति वर्ष धातु रूप का उत्पादन करने की क्षमता है।

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों के कर्मचारियों की मांगें

2117. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों के शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की कुछ मांगों को स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के विचाराधीन मांगें क्या हैं;

(ग) कर्मचारियों की उक्त विचाराधीन मांगों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त कर्मचारियों को पेंशन सह जीपीएफ लाभ प्रदान करने के संबंध में सरकार की क्या राय है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) अखिल भारतीय नवोदय कर्मचारी संघ ने 23 भागों का एक मांगपत्र प्रस्तुत किया था। इनमें से 16 मांगों का समाधान पहले ही हो चुका है।

(ग) इन मांगों के निपटान के लिए कोई कड़ी समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, जिनमें अंतर-मंत्रालीय परामर्श की आवश्यकता है।

(घ) सरकार ने उन कर्मचारियों जो 01.01.2004 से पहले जवाहर नवोदय विद्यालयों में भर्ती हुए थे, के लिए पेंशन एवं जीपीएफ स्कीम लागू करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। इस संबंध में अंतर-मंत्रालयीय परामर्श पहले ही कर लिए गए हैं परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

राजघाट में हरित क्षेत्र

2118. श्री अब्दुल रहमानः
श्री एस.आर. जेयदुरईः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजघाट की यात्रा करने वाले और वहां पर पेड़ लगाने वाले विश्व के नेताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकतर पेड़ गायब हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है तथा राजघाट में हरित क्षेत्र बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राजघाट का दौरा करने वाले विश्व स्तर के किसी नेता ने कोई पेड़ नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। जहां तक राजघाट पर हरित क्षेत्र बनाए रखने का संबंध है, इस उद्देश्य हेतु एक समर्पित बागवानी दल इस कार्य पर लगाया गया है और राजघाट पर हरित क्षेत्र उत्कृष्ट अवस्था में है।

न्यायिक पैनल

2119. श्री एन. पीताम्बर कुरूपः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने न्यायिक पैनलों का गठन किया गया है;

(ख) इनमें से कितनों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है तथा ऐसे प्रत्येक पैनल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे न्यायिक पैनलों का ब्यौरा क्या है जिनके अध्यक्ष/सदस्य उच्चतम/उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं;

(घ) क्या ऐसे पैनलों में वर्तमान न्यायाधीशों को शामिल करने से न्यायालयों में बड़ी मात्रा में मामले लम्बित हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ऐसे पैनलों में पदासीन न्यायाधीशों को लगाया जाना, न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामलों के लंबित रहने में सहायक हुआ है।

स्पैक्ट्रम की बैंड विड्थ

2120. श्री ताराचन्द भगोराः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मोबाइल आपरेशन संचालन के लिए जीएसएम मानक का उपयोग करने वाली कंपनियों के वैश्विक संघ ने भारत सरकार से विभिन्न अंतरालों में फैली कुल 200 मेगाहट्र्ज बैंड-विड्थ से ही काम चलाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्पैक्ट्रम को स्वतंत्र करने तथा दूरसंचार के लिए 700-900 मेगाहट्र्ज के बीच की संपूर्ण रेंज का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जीएसएम संघ ने अपने पत्रों में, अन्य बातों के साथ, मोबाइल सेवाओं के लिए 900 मेगाहट्र्ज बैंड में रिफार्मिंग, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण तथा समूचे 700 मेगाहट्र्ज बैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन करने संबंधी मुद्दे उठाए हैं।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 (एनटीपी-2012;) में, अन्य बातों के साथ, वर्ष 2017 तक आईएमटी सेवाओं हेतु 300 मेगाहट्र्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने तथा वर्ष 2020 तक 200 मेगाहट्र्ज और स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) दूरसंचार क्षेत्र हेतु 806-824/851-869 मेगाहट्र्स, 824-844/869-889 मेगाहट्र्ज और 890-915/935-960 मेगाहट्र्ज के आवर्ती बैंड उपलब्ध हैं। दूरसंचार क्षेत्र के लिए 698-806 मेगाहट्र्ज का आवर्ती बैंड भी निर्धारित किया गया है जिसमें से 15 मेगाहट्र्ज की गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु पहचान की गई है। इस बैंड में स्पेक्ट्रम की रिफार्मिंग की जा रही है। इससे नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग सुनिश्चित होगा और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

अजा/अजजा विद्यार्थियों को शुल्क में छूट

2121. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अजा/अजजा के विद्यार्थियों को स्व वित्तपोषण कालेजों सहित कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय शुल्क अदा करने में छूट दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों सहित, महाविद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के समय शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी जाती है। तथापि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टीएमए पई प्रतिष्ठान के मामले और उसके बाद के मामलों में, देश में, उच्च शिक्षा को वहन करने योग्य बनाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। संस्थानों का शुल्क, संबंधित राज्य सरकार के राज्य-शुल्क-नियतन प्राधिकरण द्वारा नियत की जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों सहित व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश देने के समय पर, शुल्क के भुगतान से छूट देने का मामला भी राज्य सरकारों से संबंधित है। शिक्षाशुल्क और अन्य शुल्क लेने के लिए मानक नियत करने और दिशानिर्देशों की सिफारिश के लिए राष्ट्रीय स्तर की शुल्क-नियतन समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

सी.बी.एस.ई. विद्यालयों द्वारा शुल्क वसूलना

2122. श्रीमती तबस्सुम हसनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से सम्बद्ध निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क वसूलने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं/नियम निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शुल्क में वृद्धि के संबंध में मानदंड और मद जिसके अंतर्गत शुल्क वसूला जा सकता है निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो निजी विद्यालयों द्वारा अनियमितताओं के संबंध में सरकार के समक्ष कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होने के नाते अपने संबद्ध निजी स्कूलों के शुल्क मानदंड निर्धारित करता है। सीबीएसई संबंधन की उप-विधियों में उल्लेख किया गया है कि स्कूल द्वारा लिए जाने वाले शुल्क उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के समरूप होने चाहिए।

(ग) और (घ) सीबीएसई को तथाकथित अधिक शुल्क लेने वाले स्कूलों के विरूद्ध छिटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर चूककर्ता स्कूलों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में बोर्ड स्कूलों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी करता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नए छात्रावास

2123. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छात्रावासों की कमी के मद्देनजर इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नए छात्रावासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए छात्रावासों का निर्माण कब तक होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि XIIवीं योजना से इसने सामान्य विकास योजना के अंतर्गत एक ब्लाक अनुदान पद्धति शुरू की है। इस पद्धति के अंतर्गत, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना आबंटन के भीतर अपनी प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार, छात्रावासों सहित भवन परियोजनाओं के निर्माण की स्वतंत्रता है।

[अनुवाद]

वीजा समस्या

2124. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियों को विदेशों में कार्य वीजा मिलने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारतीय फर्मों को जो अंगोला, ब्राजील, बुरूण्डी, कनाडा, मिश्र, इथोपिया, फ्रांस, जोर्जिया, जर्मनी, रवान्डा, सऊदी अरब, स्टाकहोम, तुर्कमेनिस्तान, युगाण्डा, यूएसए, वेनेजुएला और जिम्बावे देशों में कार्य कर रही है, उन्हें तत्संबंधी देशों में वर्क परमिट प्राप्त करने में कठिनाई होने की सूचना प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से समस्या कार्यविधि में देरी और वर्क परमिट जारी करने के कारण आ रही है। इन देशों में हमारे मिशनों ने संबंधित देशों की सरकारों से इस मुद्दे को उठाया है। भारतीयों द्वारा कार्य वीजा और परमिट प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विभिन्न देशों के साथ नियमित रूप से संयुक्त आयोग बैठकें, विदेश कार्यालय परामर्श और वीजा/कांसुलर परामर्श किए जा रहे हैं।

गिरवी जोखिम गारंटी निधि

2125. श्री नवीन जिन्दल: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों को बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से ऋण लेने को सुकर बनाने के लिए गिरवी जोखिम गारंटी निधि (एमआरजीएफ) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कायिक निधि कितनी है;

(ग) निधि के कब तक प्रचालित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि महानगरों में वहनीय आवासों की भारी कमी है और इन शहरों में आवासों की भारी लागत के कारण 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा की गारंटी पर्याप्त नहीं होगी;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) ईडब्ल्यूएस और एलआईजी समूहों को रियायती ब्याज दरों पर बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से पर्याप्त ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) जी, हां। भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 मई 2012 को निम्न आय आवास हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है।

(ख) इस स्कीम में बिना किसी तृतीय पक्ष की गारंटी अथवा आनुषंगिक सिक्योरिटी के ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए 5 लाख तक के ऋणों के लिए गारंटी का प्रावधान है। राष्ट्रीय आवास बैंक सीआरजीएफ के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। आज की स्थिति के अनुसार, 39 सदस्य ऋण प्रदाता संस्थाओं ने इस स्कीम में भाग लेने के लिए समझौता ज्ञापन (एओयू) निष्पादित किया है। ट्रस्ट की कुल कॉरपस राशि 1000 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने कॉरपस राशि के रूप में अभी तक 150 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

(ग) निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम पहले से ही चल रही है। इस स्कीम को भारत के राजपत्र में (7-13 जुलाई) अधिसूचित किया गया था और यह 31 अक्तूबर 2012 को आरंभ की गई थी।

(घ) और (ङ) 40 वर्ग मीटर के मकानों के लिए औसत ऋण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह वर्गों में लोगों की अदायगी क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारंटी की सीमा 5 लाख निर्धारित की गई है।

(च) भारत सरकार ने किफायती आवास की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें आरंभ की हैं:-

(i) राजीव आवास योजना (आरएवाई): भारत सरकार ने जून, 2011 में राजीव आवास योजना (रे) दो चरणों में आरंभ की थी; आरंभिक चरण दो वर्षों के लिए था, जो जून 2013 में समाप्त हो गया। भारत सरकार ने वर्ष 2013-2022 तक की अवधि के लिए राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन चरण को सितंबर 2013 में अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार की एजेंसियों को, नए आवासों, इन्क्रीमेंटल आवासों, किराए के आवासों, ट्रांजिट आवास तथा आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक अवसंरचना के विकास/सुधार आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता ग्राहय होगी।

(ii) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम): सरकार ने स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 चुनिंदा शहरों और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों/स्लम निवासियों को आवास और बुनियादी नागरिक सेवाएं जैसे जल, स्वच्छता इत्यादि प्रदान करने में राज्य सरकारों को सहायता के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया था। मार्च 2012 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जेएनएनयूआरएम को मार्च 2015 तक बढ़ा दिया गया है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 3 गरीब हितैषी सुधारों में से एक आवास सुधार अवधि की सुरक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा सहित शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान करना है। जेएनएनयूआरएम के परिणामस्वरूप सुधार की परिकल्पना की गई है और इसका कार्यान्वयन अन्य मंत्रालयों कार्यक्रमों के संयोजन से मिशन अवधि (31.03.2005 तक बढ़ायी गई) में अलग-अलग समय में किया जाएगा।

(iii) भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी): आरएवाई के अभिन्न अंग के रूप में सक्षम प्राधिकारी ने भागीदारी में किफायदी आवास (एएचपी) स्कीम के कार्यान्वयन का कार्य जारी रखने के लिए भी अनुमोदन किया है। इस स्कीम में आवास और आंतरिक विकास घटकों के लिए 40 वर्ग मी. आकार की रिहायशी इकाई के लिए प्रत्येक आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग को 75,000 रुपये की राशि मुहैया कराने के लिए संशोधन किया है जिसका उद्देश्य किफायती आवास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

(iv) राजीव ऋण योजना (आरआरवाई): भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 2013 से राजीव ऋण योजना का कार्यान्वयन किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवास ऋण लेने वालों जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एचएफसी आदि से ऋण का लाभ उठाया है, को 15-20 वर्ष की अवधि हेतु 5 लाख रुपये तक के ऋणों पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

समेकित कार्य-योजना

2126. श्री निशिकांत दुबे: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के 82 चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए समेकित कार्य-योजना (आईएपी) के अंतर्गत आरम्भ की गई प्रत्येक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड में चिह्नित जनजातीय जिलों में वास्तविक निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने आईएपी के अंतर्गत कुछ और जिलों को चिह्नित किया है; और

(घ) यदि हां, तो झारखंड से चिह्नित जिलों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत प्रत्येक जिले द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण एमआईएस http://pcserver.nic.in/iapmis पर उपलब्ध है। आरंभ किए एवं पूर्ण किए गए कार्यो के प्रकारों का सार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत झारखण्ड के सत्रह जिले शामिल हैं। जिलों द्वारा एमआईएस पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, कुल 16942 कार्य आरंभ किए गए जिनमें से 14825 कार्यों के पूर्ण होने की सूचना दी गई है। झारखण्ड में आरंभ किए गए और पूर्ण कर लिए गए कार्यों के प्रकारों का सार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत पहले से चिह्नित 82 जिलों के अतिरिक्त "एलडब्ल्यूई जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)" स्कीम के अंतर्गत हाल ही में छह अन्य जिलों-छत्तीसगढ़ से चार जिले अर्थात् सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद और बलरामपुर और महाराष्ट्र से दो जिले अर्थात् भन्डारा और चन्द्रापुर को शामिल किया है। झारखंझ से किसी जिले को चिह्नित नहीं किया गया है।

विवरण I

समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत राज्यों के 82 जिलों में आरम्भ किए गए कार्यों (संख्या में) और पूर्ण किए गए कार्यों के प्रकारों का सार

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	आरंभ किए गए कार्य	पूर्ण किए गए कार्य
1	2	3	4
1.	आंगनवाड़ी केन्द्र	13056	9740
2.	आश्रम विद्यालय	1877	1745
3.	समुदाय भवन	1234	863
4.	पेयजल सुविधाएं/जल निकास एवं स्वच्छता	21490	19342

1	2	3	4
5.	विद्युत लाइटें	9378	8047
6.	गोदाम	1143	785
7.	स्वास्थ्य केन्द्र/सुविधाएं	2939	2392
8.	आजीविका गतिविधियां	1216	1037
9.	लघु सिंचाई कार्य	5424	4421
10.	विद्यालय भवन/विद्यालय अवसंरचना	12175	9753
11.	कौशल विकास और प्रशिक्षण	896	783
12.	पशु चिकित्सालय	182	159
13.	ग्रामीण सड़कें	21001	17656
14.	अन्य	11890	9843
	कुल	103901	86566

विवरण II

समेकित कार्य योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में आरम्भ किए गए कार्यों (संख्या में) और पूर्ण किए गए कार्यों के प्रकारों का सार

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	आरंभ किए गए कार्य	पूर्ण किए गए कार्य
1	2	3	4
1.	आंगनवाड़ी केन्द्र	2484	1979
2.	आश्रय विद्यालय	226	226
3.	समुदाय भवन	124	79
4.	पेयजल सुविधाएं/जल निकास एवं स्वच्छता	3648	3440
5.	विद्युत लाइटें	768	746
6.	गोदाम	12	10
7.	स्वास्थ्य केन्द्र/सुविधाएं	455	339

1	2	3	4
8.	आजीविका गतिविधियां	108	81
9.	लघु सिंचाई कार्य	2053	1710
10.	विद्यालय भवन/विद्यालय अवसंरचना	2702	2522
11.	कौशल विकास और प्रशिक्षण	120	106
12.	पशु चिकित्सालय		
13.	ग्रामीण सड़कें	2678	2090
14.	अन्य	1564	1497
	कुल	16942	14825

[हिन्दी]

ग्रेड तीन और चार पदों में कमी

2127. डॉ. संजय सिंह:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेड तीन और चार पदों की संख्या में कमी हो रही है जबकि ग्रेड क और ख पदों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिसके कारण सरकारी कार्यालयों के कार्य-निष्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 2001 और आज की तिथि में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी-वार तुलनात्मक संख्या कितनी है;

(घ) क्या ग्रेड क और ग्रेड ख के अधिकारी अपने वेतन को न्यायोचित ठहराने के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिकारियों के कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) दिनांक 01.03.2001 और 01.03.2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार और संघ शासित प्रशासनों में केन्द्रीय सरकार के नियमित सिविलियन कर्मचारियों की श्रेणी-वार अनुमानित संख्या निम्नलिखित अनुसार है:-

	1.3.2001 की स्थिति के अनुसार	1.3.2012 की स्थिति के अनुसार
समूह 'क'	73174 (2.10)	90905 (2.89)
समूह 'ख'	151727 (4.35)	202262 (6.42)
समूह 'ग'	2227233 (63.87)	
समूह 'घ'	1034826 (29.68)	2856615 (90.69)*

*पूर्व के समूह 'घ' पदों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के उपरांत समूह 'ग' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

यह दृष्टव्य है कि समूह 'ग' और पूर्व के समूह 'घ' कर्मचारियों की संख्या प्रतिशतता के संदर्भ में आंशिक रूप से कम हुई है। पदों का सृजन कार्यकारी आवश्यकताओं के

अनुसार हुआ है और पदों की आवश्यकता का संवर्ग समीक्षाओं तथा कार्य मापन अध्ययनों द्वारा आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक अपने सरकारी कार्यों में समय व्यर्थ गंवाने वाली चालें अथवा उसे दिए गए कार्य को निष्पादित करने में जानबूझकर देरी करने और एक सरकारी सेवक, उसे दिए गए कार्य को निष्पादित करने में उस कार्य के प्रयोजनार्थ निर्धारित समय अवधि तथा उससे अपेक्षित निष्पादन गुणवत्ता पर खरा उतरने में यदि असफल रहता है, तो इसे कार्य के प्रति निष्ठा में कमी माना जाएगा और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पद आधारित रोस्टर

2128. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर. के. सब्बरवाल *बनाम* पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत पद आधारित रोस्टर के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश सेनाओं और विभिन्न राज्यों के अंतर्गत पदों में लागू नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों को उक्त कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रतिवर्ष मंत्रालय और राज्य द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन के उल्लंघन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो उपर्युक्त राज्यों में आर.के. सब्बरवाल *बनाम* पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) आर.के. सब्बरवाल के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार पर लागू हैं।

(ग) जी नहीं। राज्य के अंतर्गत सेवाएं संविधान की सूची-II अर्थात् 'राज्य-सूची' के अंतर्गत आती हैं और यह संबंधित राज्य सरकारों पर है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक आदेश/अनुदेश जारी करें। इसीलिए सेवा मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन भी संबंधित राज्य सरकारों से संबंध रखता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के संबंध में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों द्वारा पद आधारित रोस्टर के कार्यान्वयन न करने के विरूद्ध समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों को यदि कोई हों तो, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिए जाते हैं।

अवसंरचना का अभाव

2129. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश कालेजों की अवसंरचना में गिरावट आ रही हैं और विज्ञान पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगशालाएं काफी छोटी हैं और उनके पास काफी पुराने उपस्कर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कालेजों में अवसंरचना के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार इसके द्वारा अनुरक्षित कॉलेजों में प्रयोगशालाओं एवं उपस्करों सहित अवसंरचना की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कॉलेजों में राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। केन्द्र सरकार भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत पात्र कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत अनुदानों के माध्यम से निधियों प्रदान करती है। कुछ राज्य कॉलेजों में विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए अवसंरचना की कमी सामने आ रही है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूलभूत अवसंरचना के स्तरोन्नयन एवं सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि के माध्यम से मानकों में सुधार के लिए पात्र कॉलेजों को विकास एवं अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्र सरकार ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने की केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है। इस केन्द्र प्रायोजित योजना को नई केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में समाहित कर लिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करके उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने की अभिकल्पना की गई है। इनमें राज्यों की संदर्शी योजनाओं के आधार पर नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना करना और मौजूदा कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेजों में स्तरोन्नत करना शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत अन्य संघटकों में नए कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना एवं मरम्मत तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं इत्यादि के स्तरोन्नयन के लिए अनुदानों सहित कॉलेजों को अवसंरचनात्मक अनुदान देना शामिल है।

एकसमान प्रवेश नीति

2130. श्री थांगसो बाइते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कक्षा दस के विद्यार्थियों के संबंध में सरकारी विद्यालयों की समान प्रवेश नीति है और निजी विद्यालयों द्वारा भी इनका पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समान प्रवेश नीति के अंतर्गत कुछ विद्यालयों/कक्षाओं को छूट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रारंभिक स्कूलों के लिए सभी बच्चों को प्रवेश की अनुमति देते हैं। इसमें समाज के लाभवंचित समूहों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के प्रारंभिक स्तर पर 25% सीटों की व्यवस्था है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो आवासीय स्कूल हैं, में ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आवासीय स्कूल हैं, में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले बच्चों के लिए 75% सीटें और शेष सीटें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए हैं। केन्द्रीय विद्यालय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के वर्ग को प्राथमिकता देता है।

सी.ओ.सी.एस. को प्रोत्साहन

2131. श्री एंटो एंटोनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों में केरियर ओरिएंटिड कोर्स को प्रोत्साहन की योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में चलाए जा रहे सीओसी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में और पाठ्यक्रम चलाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को और सीओसी आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार की सीओसी के प्रोत्साहन हेतु कोई वित्तीय सहायता देने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में स्किल ओरिएंटिड वैल्यू एडिड एड-ऑन-कोर्स को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) "इंटरोडक्शन ऑफ कैरियर ओरिएंटिड कोर्स (सीओसीएस)" नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अधीन यूजीसी बीए/बी. कॉम./बी. एससी जो परम्परागत डिग्रियों के साथ-साथ चलती हैं; प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/अग्रिम डिप्लोमा के स्तर पर सीओएस को आरंभ करने के लिए, यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों ने सीओसी आरंभ कर दिए हैं उन्हें मानविकी और कॉमर्स के लिए पांच वर्षों के लिए 'सीड मनी' के रूप में 7.00 लाख रुपये और विज्ञान विषय के लिए पांच वर्ष के लिए "सीड मनी" के रूप में 10.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के ब्यौरे www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं। सीओसी की सूची जिन्हें यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, हां। विश्वविद्यालय/कॉलेज अपने स्वयं के "नीड बेस्ड" सीओसी/अंतर-विषयक पाठ्यक्रमों का निर्धारण करते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से यूजीसी को प्राप्त 782 प्रस्तावों में से 522 प्रस्ताव उपयुक्त पाए गए तथा यूजीसी द्वारा स्वीकार किए गए थे।

(घ) जी, हां। वर्ष 2013-14 के दौरान यूजीसी को इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से 60 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) विगत तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

यूजीसी द्वारा अनुमोदित सीओसीएस की सूची

कला/सामाजिक विज्ञान

क्रम सं.	अनुमोदित पाठ्यक्रमों का नाम
1	2
1.	कार्यात्मक अंग्रेजी
2.	खेल मनोविज्ञान
3.	स्पोकन इंग्लिश
4.	बेसिक कूकिंग + केटरिंग प्रबंधन
5.	कार्यात्मक संस्कृत
6.	ड्राफ्टिंग एण्ड क्रिएटिव राइटिंग कोर्स
7.	एडवरटाइजिंग सेल्समेनशिप एण्ड पब्लिशिंग
8.	टूर एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट
9.	फैशन डिजाइनिंग
10.	लाइब्रेरी आटोमेशन एण्ड नेटवर्किंग
11.	फ्रूट प्रोसेसिंग एण्ड वाइन टेक्नोलॉजी
12.	क्लिनीकल न्यूट्रिशन एण्ड डाइटेटिक्स
13.	प्रिपरेशन ऑफ टूरिस्ट गाइड
14.	स्पोकन हिन्दी
15.	पब्लिक रिलेशन एण्ड एडवरटाइजिंग
16.	टी.वी. एण्ड वीडियो प्रोडक्शन
17.	इंश्योरेंस प्रेक्टिस
18.	ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट
19.	पंचायती राज प्रशासन

1	2
20.	सेल्फ डिफेंस एण्ड सिक्योरिटी गार्ड
21.	इकोनामिक्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप
22.	बालवाड़ी सेविका ट्रेनिंग कोर्स
23.	अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड डेवलपमेंट
24.	टेक्सटाइल डिजाइनिंग
25.	अपेरल एण्ड ड्रेस डिजाइनिंग
26.	हॉस्पिटेलिटी
27.	एकरिंग रिपोटिंग एण्ड न्यूज रीडिंग
28.	फाइल आर्ट्स
29.	एप्लाइड साइकोलॉजी
30.	ज्योतिष
31.	सौंदर्य प्रसाधन
32.	योगा + मानसिक स्वास्थ्य
33.	योगा प्रबंधन और स्वास्थ्य केस
34.	कम्युनिकेशन स्किल्स
35.	इंग्लिश कम्युनिकेशन
36.	भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन
37.	महिला एवं बाल देखभाल
38.	ट्रांसलेशन प्रोफिसिएंसी
39.	हेल्थ क्लब एण्ड मैनेजमेंट
40.	वेब डिजाइनिंग एण्ड आटोमेशन
41.	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन
42.	कम्युनिकेटिव इंग्लिश
43.	एविएशन मैनेजमेंट
44.	मोबाइल फोन सर्विसिंग एण्ड रिपेयरिंग
45.	एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट
46.	एप्लाइड सोसियालॉजी
47.	फोटो जर्नलिज्म एण्ड वीडियोग्राफी
48.	एड्स एण्ड फैमिली काउंसलिंग
49.	ह्यूमन राइट्स एजुकेशन
50.	कटिंग एण्ड टेलरिंग
51.	लैंग्वेज एलबी
52.	ड्रामाटिक्स
53.	डिजास्टर मैनेजमेंट
54.	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
55.	गारमेंट कंस्ट्रक्शन
56.	वास्तु
57.	इवेन्ट मैनेजमेंट
58.	एनजीओ मैनेजमेंट
59.	कर्म काण्ड
60.	चाइल्ड साइकोलॉजी
61.	ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू अरेबिक
62.	प्रिंट एण्ड विजुअल मीडिया
63.	रेडियो प्रोडक्शन एण्ड प्रोग्रामिंग
64.	उर्दू इलेक्ट्रानिक मीडिया
65.	स्पोर्ट मैनेजमेंट

1	2
66.	सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश
67.	मॉडर्न संस्कृत
68.	टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी
69.	बेसिक ऑफ म्यूजिक
70.	रेडियो एण्ड टेलीविजन
71.	ज्योतिष एण्ड एस्ट्रोलॉजी
72.	वेद
73.	इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
74.	लाइब्रेरी साइंस
75.	इंग्लिश फॉर स्पेशियल परपज
76.	इंग्लिश कंजरवेशन
77.	मल्टी लिंग्अल ट्रांसलेशन
78.	इफेंट एण्ड चाइल्ड केयर ट्रेनिंग
79.	रूरल हैण्डीक्राफ्ट्स
80.	परसनालिटी डेवलपमेंट
81.	मोबाइल फोन सर्विसिंग एण्ड रिपेयर्स
82.	कारपोरेट कम्युनिकेशन
83.	परफार्मिंग आटर्स
84.	कंजरवेशन एण्ड रेस्टोरेशन ऑफ आर्ट्स वर्क्स ऑन पेपर सपोर्ट
85.	टिशू कल्चर
86.	ब्यूटी कल्चर
87.	गाइडेंस एण्ड काउंसलिंग
88.	एनिमेशन एण्ड ग्राफिक्स
89.	नर्सरी टीचर ट्रेनिंग
90.	हेल्थ क्लब मैनेजमेंट
91.	पंचायत राज एण्ड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन
92.	क्रिसिस एण्ड कान्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट
93.	स्ट्रेस मैनेजमेंट
94.	मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन
95.	फिटनेस एण्ड सेल्फ डिफेंस
96.	ब्यूटी पार्लर
97.	मल्टीमीडिया स्किल्स
98.	फिल्म जर्नलिज्म, डीटीपी-फोटोशॉप माल+ इंग्लिश
99.	ईडीपी
100.	ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
101.	साफ्ट स्किल्स
102.	अपेरल मेकिंग एण्ड ट्रेडिशनल एनरिचमेंट
103.	3 डीएस मेक्स फोटोशॉप फॉर डिजाइनर
104.	थियेटर एण्ड टेलीविजन
105.	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन
106.	वीडियो रिपोर्टिंग
107.	न्यूट्रिशन एण्ड डिजास्टर मैनेजमेंट
108.	ट्रेवल मैनेजमेंट
109.	कार्यात्मक हिन्दी
110.	वास्तु शास्त्र

1	2
111.	कर्मकाण्ड एण्ड पुरोहित्य
112.	ट्रांसलेशन टेक्निक एण्ड क्रिएटिव राइटिंग इन संस्कृत एण्ड रीजनल लैंग्वेजेस
113.	सर्टिफिकेट कोर्स इन कनाडा लैंग्वेज
114.	आफिस आटोमेशन
115.	एंटरप्रेनरशिप एण्ड कैरियर डेवलेपमेंट
116.	ह्यूमन राइट्स
117.	प्रक्षाध्यान, जीवन विज्ञान एण्ड योगा
118.	अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजुकेशन
119.	टी हसबेंड्री
120.	ट्रेडिशनल आर्ट्स एण्ड कल्चर ऑफ बोडोस
121.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड एप्लीकेशन
122.	वर्मी-कम्पोस्टिंग
123.	वाटर एण्ड स्वाइल एनालिसिस
124.	ह्यूमन वैल्यू एण्ड सॉफ्ट स्किल्स
125.	लाइब्रेरी इंफारमेशन
126.	वीडियोग्राफी
127.	ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
128.	ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन
129.	टेम्पल आर्ट्स
130.	आर्ट ऑफ कुकिंग
131.	एजुकेशन एण्ड केयर फॉर डिफरेंटली-एबल्ड चिल्ड्रन
132.	कैरियर स्पेसिफिक एचआरडी स्किल्स

1	2
133.	लीगल प्रोसेस
134.	योगा थेरेपियुटिक्स एण्ड ट्रेनिंग
135.	ओवरब्यू ऑफ एडीआर एण्ड एडीआर एप्रोचस
136.	इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एण्ड डांस
137.	जेंडर सेंसिटाईजेशन
138.	बोडो
139.	अपेरल कंस्ट्रक्शन
140.	होलिस्टिक योगा
141.	अपेरल डिजाइनिंग एण्ड गारमेंट कंस्ट्रक्शन
142.	काउंसलिंग
143.	डेकोरेटिव आर्ट्स
144.	अंडरस्टेंडिंग कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स
145.	लॉ रिलेटिंग टू पेशेंट्स
146.	परफार्मिंग आर्ट
147.	एजुकेशन एण्ड केयर ऑफ फिजिकली चैलेन्ज्ड चिल्ड्रन
148.	कुकिंग एण्ड बेकरी
149.	लाइब्रेरी एण्ड आफिस आटोमेशन
150.	फूड प्रोडक्शन बेकरी एण्ड कंफेक्शनरी
151.	टैटिंग क्रोकेट, नीटिंग, वर्किंग
152.	मल्टीमीडिया एण्ड एनीमेशन
153.	योगा एण्ड नेचुरोपैथी
154.	जर्नलिज्म

विज्ञान, जैवविज्ञान, कृषि, प्रौद्योगिकी और बहुविषयी

क्रम सं.	पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों का नाम
1	2
1.	सूचना एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी
2.	फल तथा सब्जी संरक्षण
3.	कम्प्यूटर अनुरक्षण नेटवर्किंग
4.	मशरूम की खेती और उत्पादन
5.	कम्प्यूटर हार्डवेयर
6.	इलेक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक्स वस्तु अनुरक्षण
7.	जैव-विविधता में जैव-सूचना प्रणाली
8.	अस्पताल अपशिष्ट प्रबंध
9.	वाटर शेड प्रबंध
10.	कम्प्यूटर भाषा जावा और सी++
11.	अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में परिकलन संबंधी तकनीकें
12.	माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
13.	जल गुणवत्ता और मृदा परीक्षण
14.	बीज परीक्षण और पादप रोग विज्ञान (पेथोलॉजी)
15.	नेटसिम के प्रयोग के जरिए नेटवर्किंग
16.	दैनिक आवश्यकता उत्पादों और उनके अनुप्रयोग का फार्मुलेशन
17.	बागवानी प्रौद्योगिकी
18.	स्वास्थ्य सहायक
19.	औद्योगिक यंत्र विश्लेषण
20.	कम्प्यूटर जागरूकता
21.	डेयरी विज्ञान
22.	मेडिकल लैब तकनीशियन
23.	वस्त्र रसायन विज्ञान
24.	कम्प्यूटर आधारभूत सिद्धांत और इंटरनेट अनुप्रयोग
25.	हार्डवेयर और अनुरक्षण
26.	रेफ्रिजिरेशन
27.	एक्वाकल्चर
28.	हेमेटलॉजी, रोग प्रतिरक्षण तकनीकें, आणविक, जीव विज्ञान तकनीकें
29.	होमस्टीड, खेती और स्व सहायता समूह
30.	पादप संसाधन विकास और प्रबंध
31.	ग्राफिक डिजाइन
32.	मेटिरियल विज्ञान
33.	क्लिनिकल नैदानिक तकनीकें
34.	खाद्य संसाधन
35.	इम्बेडिड (अंर्तस्थापित) प्रणाली डिजाइन
36.	वाटर शेड प्रबंध
37.	जैव-प्रौद्योगिकी
38.	जैविक खेती और कीटनाशक
39.	पिस्सी संस्कृति और औषधीय पौधे
40.	आहार विज्ञान
41.	औद्योगिक यंत्र विश्लेषण
42.	औषधीय पादप संसाधन
43.	पर्यावरण मॉनीटर्स और ऑडिशन

1	2
44.	औद्योगिक रसायन विज्ञान
45.	सौर ऊर्जा
46.	पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण
47.	कम्प्यूटर रखरखाव और वेब पेज डिजाइनिंग
48.	जड़ी बूटी ओर हर्बल उत्पाद
49.	रासायनिक विश्लेषण और औद्योगिक सुरक्षा
50.	जियोइंफोरमेटिक्स
51.	प्लांट टिशू कल्चर
52.	औद्योगिक मछली और मत्स्य
53.	भूगोलीय सूचना प्रणाली
54.	फूलों की खेती
55.	गार्डन और नर्सरी प्रबंधन
56.	फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी
57.	बेसिक क्लीनिकल लैब टेक
58.	मेडिकल प्रतिलेखन
59.	वेब संचार
60.	रत्न विज्ञान
61.	बागवानी और नर्सरी प्रबंधन
62.	सजावटी मछली कल्चर
63.	प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा शिक्षा
64.	डीटीपी/फोटोशॉप और सहायक कौशल
65.	रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक तकनीकें

1	2
66.	किण्वन (फर्मेंटेशन) प्रौद्योगिकी
67.	कैटरिंग मैनेजमेंट और आहार विज्ञान
68.	ऑपरेशन रिसर्च
69.	फेब्रिकेशन अभियांत्रिकी
70.	इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके उपकरण रखरखाव
71.	फार्मास्युटिकल कैमिस्ट्री
72.	फोरेंसिक विज्ञान
73.	क्लीनिकल पैथोलॉजी और सामुदायिक स्वास्थ्य
74.	औषधीय, सुगंधित पादप और पादप प्रवर्धन तकनीक
75.	विश्लेषणात्मक तकनीक
76.	कार्यालय स्वचालन उपकरण
77.	खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी
78.	एनिमेशन प्रौद्योगिकी
79.	सर्वेक्षण सर्टिफिकेट कोर्स
80.	मृदा जल परीक्षण और फसल प्रबंधन
81.	कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग
82.	शराब प्रौद्योगिकी
83.	डिजिटल फोटोग्राफी
84.	इलेक्ट्रॉनिक सामान मरम्मत
85.	एंबेडेड सिस्टम
86.	पर्यावरण विज्ञान
87.	सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी
88.	भौगोलिक सूचना टेक्नोलॉजीज

1	2
89.	पीसी संयोजन और ट्रबल शूटिंग
90.	पर्यावरण प्रदूषण और प्रबंधन शिक्षा
91.	विश्लेषणात्मक तकनीकों और यंत्र विश्लेषण में एडवांसड डिप्लोमा
92.	सांख्यिकी और एसपीएसएस
93.	जैव-चिकित्सा यंत्र
94.	एक्वाकल्चर
95.	फाइबर ऑप्टिक्स संचार
96.	कम्प्यूटर समर्थित ड्रग डिजाइनिंग और संश्लेषण
97.	प्रकृति से सौंदर्यबोध उपचार
98.	कम्प्यूटर नेटवर्किंग
99.	जैव विविधता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में औषधीय पौधों की भूमिका
100.	घरेलू उपकरणों का रखरखाव
101.	नवीकरण ऊर्जा
102.	ऑनलाइन मैपिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली
103.	फिजियोथेरेपी
104.	स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रबंधन
105.	खाद्य संरक्षण
106.	मल्टीमीडिया और नेटवर्किंग
107.	हर्बल औषधि प्रौद्योगिकी
108.	जलीय कृषि और मत्स्य विज्ञान
109.	जैव सूचना
110.	नेटवर्किंग डिजाइन और इंटरनेट

1	2
111.	वेब डिजाइनिंग और इंटरनेट
112.	आधुनिक उपकरण और चिकित्सा उद्योग और प्रदूषण में इसके अनुप्रयोग
113.	अस्पताल प्रबंधन
114.	साइबर सुरक्षा
115.	कम्प्यूटर ऐनिमेशन
116.	पर्यावरण लेखा-संपरीक्षण
117.	मेडिकल लैब प्रौद्योगिकी
118.	खाद्य प्रौद्योगिकी
119.	हाउस वायरिंग, कॉयल वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर्स का निर्माण
120.	अस्पताल उपकरणों की मरम्मत
121.	औद्योगिक और जैव-सांख्यिकी के अनुप्रयोग
122.	औद्योगिक माइक्रोबायोलॉजी
123.	एडवांस जैविक तकनीक में सी.सी.
124.	वनस्पति विज्ञान
125.	वर्मिकम्पोजिंग
126.	भूतल कोटिंग प्रौद्योगिकी
127.	औषधीय एवं सुगंधित पौधे नर्सरी प्रबंधन और संरक्षण
128.	औषोगिक सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण के विश्लेषणात्मक तरीके
129.	ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आरएफआईडी और इंटीग्रेशन
130.	मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन
131.	पर्यावरण संरक्षण

1	2
132.	रसायन विज्ञान विश्लेषण में उपकरण पद्धतियां
133.	सिस्को प्रमाणित नेटवर्क
134.	जैव विविधता और संरक्षण
135.	मिट्टी और पीने योग्य पानी और इसके महत्व का विश्लेषण
136.	किण्वन (फरमेंटेशन) और अल्कोहल प्रौद्योगिकी
137.	कम्प्यूटर वेब और प्रोफाइल
138.	विश्लेषणात्मक और कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान
139.	पोल्ट्री मैनेजमेंट
140.	मेडिकल फिजिक्स
141.	संग्रहालय नमूना संरक्षण
142.	पीसी हार्डवेयर
143.	क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री
144.	कम्प्यूटरीकृत वाणिज्यिक खातों और व्यापार कराधान
145.	सजावटी मछलियों के वाणिज्यिक उत्पादन
146.	रबड़ प्रौद्योगिकी
147.	संचालन अनसंधान और लिंडो/लिंगो पैकेज
148.	फूलों की खेती और बोनसाई
149.	सुअर-पालन
150.	कम्प्यूटर एडेड आंतरिक डिजाइन
151.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन
152.	रिमोट सेंसिंग और जीआईएस
153.	कम्प्यूटर हार्डवेयर और रखरखाव
154.	जैव सूचना
155.	जैव उर्वरक
157.	सूचना प्रौद्योगिकी
158.	पर्यावरण विज्ञान
159.	कुकुट पालन
160.	कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग
161.	शहतूत की खेती
162.	रेशम उत्पादन
163.	रासायनिक पोषण
164.	ई कंटेंट जेनरेशन
165.	बायो एजेंट उत्पादन प्रौद्योगिकी
166.	मैपिल का उपयोग करते हुए अंकगणितीय मॉडलिंग
167.	3डी एनीमेशन और ग्राफिक्स
168.	सर्वेक्षण तकनीकें और मानचित्रकारी
169.	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
170.	प्लेहाउस प्रौद्योगिकी
171.	भौगोलिकीय सूचना प्रणाली
172.	फाउंड्री प्रौद्योगिकी
173.	कॉटेज उद्योग
174.	औषधि विश्लेषण
175.	वर्मीकम्पोजिंग तथा जैव कृषि
176.	औषधीय और सुगंधीय पादप
177.	रसायन उपकरण ऑपरेटर

1	2
178.	स्वास्थ्य देखभाल सूचना और प्रबंध
179.	अनुप्रयुक्त विश्लेषणात्मक रसायन-विज्ञान
180.	पर्यावरणीय प्रबंध
181.	आईसीटी
182.	इंटरप्राइज संसाधन नियोजन
183.	ला टैक्स टाईप सैटिंग तथा विज्ञान पत्रकारिता
184.	अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी
185.	नैनोविज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी
186.	इलेक्ट्रॉनिक सहित सृजनात्मकता
187.	लेटेक्स
188.	कृषि अर्थशास्त्र
189.	मत्स्य पालन
190.	पर्यायवरणीय संरक्षण
191.	वस्त्र डिजाइनिंग
192.	भौगोलीय सूचना प्रणाली,
193.	कम्प्यूटर विज्ञान में अनुप्रयोग
194.	वर्मीकल्चर
195.	सौंदर्यपरक मत्स्य पालन
196.	वानिकी
197.	वेब पेज डिजाइनिंग
198.	कम्प्यूटर शिक्षण और मरम्मत
199.	स्थानीय जड़ी-बूटियां और उनके उत्पाद
200.	कृषि

1	2
201.	कम्प्यूटर रखरखाव और नेटवर्किंग
202.	बरसाती प्रबंधन
203.	कृषि बाजार प्रबंधन
204.	विभिन्न सांख्यिकी तकनीकी का आवेदन
205.	औषधि पौधों की खेती
206.	महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता
207.	3डी ऐनीमेशन और ग्राफिक
208.	मोटर रिवाइंडिंग
209.	एग्रो फॉम प्रबंधन
210.	अग्निशमन सेवा (मल्टी डैक)
211.	कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी
212.	खुद्रा बाजार
213.	मधुमक्खी पालन
214.	बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत
215.	मशरूम की खेती
216.	ऐरोबिक
217.	कम्प्यूटर की प्रारंभिक जानकारी
218.	खेल मनोविज्ञान में डिप्लोमा
219.	ऊर्जा संरक्षण और अपारम्परिक और रिन्यूएवल एनर्जी की जाएगी
220	मैट लैब प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन
221.	ओरगनिक फार्मिंग तकनीक (मल्टी डिस्क)

वाणिज्य एवं प्रबंधन

क्रम सं.	प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का नाम
1	2
1.	कम्प्यूटर अकाउंटिंग
2.	ग्राहक सेवा प्रबंधन
3.	बैंकिंग और बीमा
4.	वेब डिजाइनिंग और ऑफस ऑटोमेशन
5.	पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन
6.	विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन
7.	वित्तीय लेखा प्रणाली
8.	सामान्य बीमा
9.	एक्चुरियल साइंस
10.	विपणन प्रबंधन
11.	बिजनिस एकाउंटेंट
12.	इंशोरेन्स प्रैक्टिस
13.	इंटरप्रेनरशिप में डिप्लोमा
14.	स्टाक मार्केटिंग आपरेशन में निवेश प्रबंधन
15.	लेखांकन
16.	प्रबंध कौशल
17.	लघु उद्योग प्रबंधन
18.	विज्ञापन और विक्रय का कार्य
19.	रूरल मार्केटिंग
20.	गारमेंट उत्पादन और फैशन डिजाइन प्रबंधन
21.	आयात निर्यात प्रबंधन
22.	ई मैथमेटिकल टूल
23.	कार्यालय प्रबंधन
24.	रिटेल मैनेजमेंट
25.	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन
26.	विदेश व्यापार
27.	निर्यात व्यापार प्रबंधन
28.	ई-कॉमर्स
29.	कराधान प्रैक्टिस
30.	ऑडियो प्रोडक्शन, साउंड रिकॉर्डिंग और एडिटिंग
31.	बिजनिस लेखा
32.	कम्प्यूटर आईटी कम्प्यूटरीकृत फाइनेंसिंग
33.	ई कॉमर्स
34.	आफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस
35.	टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट
36.	ऑफिस ऑटोमेशन और लेखा टैली
37.	इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट
38.	हार्डवेयर और नेटवर्किंग
39.	कराधान और लेखा
40.	वित्त प्रबंधन
41.	अकाउंटिंग ओर ऑडिटिंग
42.	बीपीओ में व्यक्तित्व और कैरियर विकास
43.	कम्प्यूटर रखरखाव
44.	कम्प्यूटर आधारित लेखांकन
45.	रिटेल मार्केटिंग और प्रबंधन

1	2
46.	टैक्स कंसल्टेंसी
47.	डीटीपी और टेली
48.	आपदा प्रबंधन
49.	ई-बैंकिंग
50.	कनड़ में प्रशासन और प्रबंधन
51.	इवेंट मैनेजमेंट
52.	बिजनिस अंग्रेजी और कैरियर स्किल
53.	आपूर्ति शृंखला प्रबंधन
54.	टैली प्रोग्राम
55.	यात्रा और पर्यटन प्रबंधन
56.	बीमा के सिद्धांत और परम्परा
57.	निवेश प्रबंधन
58.	कम्प्यूटर और व्यावहारिक लेखांकन
59.	बीमा
60.	अकाउंटेंसी
61.	शेयर बाजार परिचालन
62.	ई-अकाउंटिंग
63.	डाटा बेस प्रशासन
64.	सैद्धांतिक और व्यावहारिक बैंकिंग
65.	औद्योगिक प्रबंधन
66.	औद्योगिक फ्लोरीकल्चर एंड गार्डिनिंग
67.	डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस
68.	कार्मिक प्रशासन प्रणाली और प्रक्रिया
69.	कॉर्पोरेट सैक्रिटेरियल स्किल
70.	डिजिटल फोटोमिक्सिंग और वाणिज्यिक प्रकाशन
71.	एयर टिकटिंग और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली
72.	सामरिक वित्तीय प्रबंधन
73.	इको टूरिजम + वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी
74.	ई लर्निंग
75.	कार्यालय सचिव
76.	ग्रामीण बैंकिंग और माइक्रोफाइनेंस प्रबंधन
77.	डीबीए (व्यापार प्रशासन में डिप्लोमा)
78.	एयरलाइंस सेवाएं
79.	आतिथ्य प्रशासन
80.	सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन
81.	सुरक्षा प्रबंध
82.	कॉर्पोरेट भर्ती प्रशिक्षण
83.	कॉरपोरेट सेक्टर
84.	पोर्ट मैनेजमेंट
85.	बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
86.	सैन्य विज्ञान
87.	कम्प्यूटर आधारित लेखांकन
88.	वेब डिजाइन और विकास

*अनुमोदित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या

कला/सामाजिक विज्ञान	=	154
विज्ञान	=	221
कॉमर्स	=	88
		....
कुल	=	463
		....

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदान राशि

क्रम सं.	राज्य	2010-11	2011-12 (रु.)	2012-13 (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	-	2,99,70,000/-	64,80,000/-
2.	असम	-	4,29,30,000/-	2,87,10,000/-
3.	बिहार	-	1,03,50,000/-	1,23,30,000/-
4.	हरियाणा	-	1,90,80,000/-	21,60,000/-
5.	हिमाचल प्रदेश	-	30,60,000/-	36,90,000/-
6.	कर्नाटक	-	4,59,00,000/-	33,30,000/-
7.	केरल	-	3,98,70,000/-	33,30,000/-
8.	महाराष्ट्र	-	20,26,80,000/-	21,60,000/-
9.	मणिपुर	-	94,50,000/-	72,90,000/-
10.	मेघालय	-	49,50,000/-	6,30,000/-
11.	पुदुचेरी	-	21,60,000/-	15,30,000/-
12.	पंजाब	-	4,81,50,000/-	40,50,000/-
13.	तमिलनाडु	-	6,24,60,000/-	79,21,000/-
14.	उत्तर प्रदेश	-	4,59,90,000/-	68,40,000/-
15.	पश्चिम बंगाल	-	1,37,70,000/-	86,40,000/-
16.	गोवा	-	12,60,000/-	-
17.	दिल्ली	-	12,60,000/-	-
18.	जम्मू और कश्मीर	-	34,20,000/-	-
19.	मध्य प्रदेश	-	15,30,000/-	-
20.	राजस्थान	-	15,30,000/-	-
21.	ओडिशा	-	58,00,000/-	-
22.	छत्तीसगढ़	-	27,90,000/-	-
23.	मिजोरम	-	18,90,000/-	-
24.	नागालैंड	-	12,60,000/-	-
	सकल योग	-	60,15,10,000/-	9,90,91,000/-

टिप्पणी: वर्ष 2010-11 के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए थे, अतः वर्ष 2010-11 के दौरान विश्वविद्यालय/कॉलेजों को कोई अनुदान जारी नहीं किए गए।

कुंभ मेले हेतु दूरसंचार सुविधाएं

2132. **श्री समीर भुजबल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुंभ मेले के दौरान विशेष दूरसंचार व्यवस्था करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 2015 में नासिक कुंभ मेले हेतु इस प्रकार की व्यवस्था और मोबाइल टावर लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. श्रीमती कृपारानी किल्ली): (क) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने पिछले कुंभ मेलों के दौरान मेला क्षेत्र में बेहतर कवरेज उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) संस्थापित किए थे। यह प्रक्रिया वर्ष 2015 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले के दौरान भी जारी रहेगी।

डाटा सिक्योरिटी और क्षमता सृजन

2133. **श्री अशोक तंवर:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के डाटा केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय डाटा केन्द्रों में डाटा सिक्योरिटी व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में डाटा सिक्योरिटी और डाटा कैपेसिटी सृजन हेतु मानदंड अधिदिष्ट किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। एनईजीपी में एसडीसी योजना के अंतर्गत बनाए गए राज्य डेटा केन्द्रों (एसडीसी) में ऐसे डेटा केन्द्र हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं।

(ख) से (च) एनईजीपी के अंतर्गत एसडीसी योजना के भाग के रूप में राज्य डेटा केन्द्रों (एसडीसी) में सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं (सुविधाएं) जैसे नेटवर्क फायरवाल, एंटी-वायरस, इंट्रूशन प्रीवेंशन सिस्टम (आईपीएस), आईएसओ 27001 आदि की गई हैं। एसडीसी के संपूर्ण प्रचालनों के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित रूप से जांच की जाती है।

[हिन्दी]

थोरियम आधारित रिएक्टर

2134. **श्री पी.सी. मोहन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से थोरियम आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकल्प पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन थोरियम भंडारों को चिन्हित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीक और प्रौद्योगिकीय शोध हेतु सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है ने, पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के साथ-साथ मौजूद पुलिन

बालुका प्लेसर निक्षेपों में, और केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के हिस्सों में मौजूद इनलैंड प्लेसरों में पाए जाने वाले खनिज मोनाजाइट में विद्यमान थोरियम भंडारों की प्रचुर मात्रा का पता लगाया है।

सितंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने, भारत में प्लेसर निक्षेपों में मोनाजाइट के 11.93 मिलियन टन स्व-स्थाने स्रोतों का पता लगाया है, जिसमें लगभग 1.07 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। भारतीय मोनाजाइट में औसतन लगभग 9-10 प्रतिशत थोरियम आक्साइड मौजूद होता है।

(घ) थोरियम आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी के संबंध में अनुसंधान करने के लिए पूरे कार्यक्रम का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इन-हाउस किया जा रहा है, और किसी एजेंसी को कोई सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है।

[अनुवाद]

कार्यवाही का डिजिटलीकरण

2135. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी उच्च न्यायालयों को कार्यवाही के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उन उच्च न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जिनका डिजिटलीकरण हो गया है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय से डिजिटलीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु अन्य उच्च न्यायालयों के कार्मिकों की सहायता करने को कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्च न्यायालयों को कम्प्यूटर प्रणाली के हैकिंग की समस्या और दर्ज मामलों से फर्जीवाड़ा करने से बचाने के लिए कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, लक्षित 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में से, अब तक 13,211 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियों का डिजटलीकरण, ई न्यायालय परियोजना की परिधि में नहीं आता है। तथापि, कुछ उच्च न्यायालयों ने स्वयं अपनी कार्यवाहियों और अभिलेखों का डिजटलीकरण आरंभ कर दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) अधिकतर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले एनआईसी वेब आधारित सर्वर, सुरक्षित डाटा केन्द्रों में अवस्थित हैं। ये ऐसी स्टेट-आफ-आर्ट प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से सुरक्षित हैं अर्थात् नेटवर्क फायरवाल, एप्लीकेशन फायरवाल, इन्ट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम (आई पीए), एंटी वायरस/एंटी मलवेयर सोल्यूशन और पैच मैंनेजमेंट सोल्यूशन। सर्वर होस्ट करने वाली वेबसाइटों को दोषपूर्णता तथा कठिनाईयों के लिए स्कैन किया जाता है। डाटा केन्द्रों में होस्ट किए गए एप्लीकेशनों का लोक पहुंच के लिए डाले जाने से पूर्व सुरक्षा की प्रक्रिया की जाती है। होस्ट की गई वेबसाइटें संभव दोषपूर्णता और तत्काल उपचार कार्यवाई के लिए अचानक जांच के अधीन होती हैं। सुरक्षा की घटनाओं का प्रत्युत्तर देने के लिए 24x7 सुरक्षा मानीटरी रहता है। एनआईसीएनईटी पर विभिन्न सुरक्षा समाधानों से उत्पन्न हुई सुरक्षा घटनाओं की उपचारात्मक उपायों को करने के लिए हर समय मानीटरी की जाती है। उच्च न्यायालयों में, जहां एनआईसी ने अपना लोकल एप्लीकेशन लगाया हुआ है, वहां वह केवल उच्च न्यायालयों के आंतरिक प्रयोग के लिए है तथा बाहरी व्यक्तियों के लिए कोई पहुंच प्रदान नहीं की गई हैं। एप्लीकेशन और स्तरों पर प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों के प्रयोग द्वारा फाइल किए गए मामले के साथ छेड़छाड़ न करने के लिए देखभाल भी की जाती है।

[हिन्दी]

निधियों के आवंटन हेतु मानदंड

2136. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक क्षेत्र योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन का मानदंड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र को कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया और इसमें से कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या मंत्रालय की मांगों की तुलना में वास्तव में कम आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) सामाजिक क्षेत्रक योजनाएं जिसमें पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं समय संसाधनों की उपलब्धता, पूर्ववर्ती वर्षों में निधियों के प्रयोग का निष्पादन और विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वियन योजनाएं शामिल हैं, के अंतर्गत योजना निधियों के आवंटन के मानदंड को सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) कहा जाता है।

(ख) तीन वर्षों जिनमें चालू वर्ष भी शामिल है, के लिए केन्द्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्रक योजनाओं के लिए परिनियोजित जीबीएस निम्नानुसार:

2011-12 (वास्तविक)	1,29,609 करोड़ रुपये
2012-13 (संशोधित अनुमान)	1,49,379 करोड़ रुपये
2013-14 (बजट अनुमान)	1,90,575 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) प्रशासनिक मंत्रालयों को आबंटित की गई निधियों की तुलना में उनकी निधियों की मांगे सामान्यत: अधिक है। मांग और आबंटन के मध्य भिन्नता के दो मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता और आमेलन क्षमता है।

(ङ) मंत्रालयों से निधियों के बेहतर उपयोग के लिए निगरानी करने, राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत एस.एस.आई.

2137. श्री मानिक टैगोर:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार, क्षेत्र-वार विशेषकर लघु उद्योगों के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं/इकाई स्थापित की गई है;

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने संबंधी प्रक्रियागत प्रविधि क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों की कुल आवश्यकता की तुलना में प्रदान की गई धनराशि अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके देश में रोजगार सृजन के लिए 2008-09 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमईजीपी के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी व सीमा क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत हैं। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। लाभार्थी अपने आवेदन केवीआईसी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें इसके पश्चात् जिला स्तर की कार्य बल समिति (डीटीएफसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद डीटीएफसी इसकी जांच करती है और अनुशंसित मामलों को ऋण की स्वीकृति के लिए बैंकों को अग्रेषित करती है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने और वितरित होने के बाद सब्सिडी की रिलीज सामान्य रूप में होती है। नोडल बैंकों को वित्तीय शाखाओं के सब्सिडी दावों को निर्धारित मानकों के अनुसार निपटान करने का स्थायी निर्देश है। लाभार्थियों को सब्सिडी की रिलीज के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीएमईजीपी के तहत ग्रामोद्योग कार्यकलापों को सात समूहों में वर्गीकृत किया गया है नामत: (i) कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) (ii) वन आधारित उद्योग (एफबीआई), (iii) खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), (iv) पोलिमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री (पीसीबीआई), (v) ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईबीटीआई), (vi) हैंडमेड पेपर एंड फाईबर इंडस्ट्री (एचएमपीएफआई) और (vii) सेवा और वस्त्र।

2008-09 से 2012-13 तक पीएमईजीपी के तहत स्थापित राज्यवार और उद्योग वार इकाइयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्मुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये)
2010-11	877.20	891.18
2011-12	1010.24	1057.84
2012-13	1228.44	1080.66

#पिछले वर्ष की अनप्रयुक्त शेष राशि सहित

(घ) जी हां।

(ङ) पीएमईजीपी के तहत लक्ष्य निर्धारित करते समय बजटीय संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है। तथापि देश के प्राय: सभी राज्यों में प्राप्त हो रहे आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीएमईजीपी के तहत अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने की आवश्यकता है ताकि इसके द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को कम करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के रोजगार सृजन कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा सके।

विवरण

पीएमईजीपी के तहत राज्यवार और उद्योगवार सहायता प्रदत्त ग्रामोद्योग इकाइयां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एबीएफ-पीआई	एफबीआई	एमबीआई	पीसीबी-आई	आरईबी-टीआई	एचएमपी-एफआई	सेवा और वस्त्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू और कश्मीर	995	493	364	149	1166	149	5022	8338
2.	हिमाचल प्रदेश	333	85	80	49	679	74	2187	3487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	पंजाब	517	122	147	323	886	80	1802	3877
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	5	1	3	6	27	11	122	175
5.	उत्तराखंड	975	346	168	139	714	129	1967	4438
6.	हरियाणा	432	224	272	265	1008	103	1361	3665
7.	दिल्ली	33	5	5	23	22	7	497	592
8.	राजस्थान	1283	449	1804	462	992	143	3991	9124
9.	उत्तर प्रदेश	8121	668	3654	826	3170	378	4637	21454
10.	बिहार	4324	1779	613	416	1575	201	1572	10480
11.	सिक्किम	51	23	5	3	25	1	153	261
12.	अरूणाचल प्रदेश	209	122	33	11	101	4	660	1140
13.	नागालैंड	153	80	177	10	324	0	555	1299
14.	मणिपुर	209	162	195	10	352	0	711	1639
15.	मिजोरम	101	70	99	38	334	10	819	1471
16.	त्रिपुरा	635	277	352	329	498	29	2393	4513
17.	मेघालय	340	160	272	42	183	9	868	1874
18.	असम	3449	916	1626	348	2830	222	11639	21030
19.	पश्चिम बंगाल	5241	1937	1458	1195	4082	626	14673	29212
20.	झारखंड	1378	147	568	342	1613	124	3055	7227
21.	ओडिशा	2622	527	1301	430	1683	408	5236	12207
22.	छत्तीसगढ़	658	121	1073	147	702	45	3136	5882
23.	मध्य प्रदेश	1931	200	1254	256	856	176	3138	7811
24.	गुजरात*	620	135	290	476	636	79	3719	5884
25.	महाराष्ट्र**	3331	614	2075	612	2698	311	6523	16164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	आंध्र प्रदेश	1470	215	2609	340	1333	490	3610	10067
27.	कर्नाटक	1529	225	1098	426	1445	121	2913	7757
28.	गोवा	42	4	35	29	26	12	275	423
29.	लक्षदीप	11	5	4	2	9	4	23	58
30.	केरल	1083	270	828	405	1109	369	3240	7304
31.	तमिलनाडु	2313	415	2013	735	1111	872	4603	12062
32.	पुदुचेरी	23	17	41	34	62	17	269	463
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	0	32	2	30	1	644	789
	कुल	44497	10743	24548	8880	32281	5205	96013	222167

*दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

[हिन्दी

कृषि/ग्रामीण उद्योग

2138. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
प्रो. राम शंकरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए गांवों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का है जिससे कि उन्हें बैंकों को उच्च ब्याज दर अदा न करनी पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के माध्यम से खादी, ग्रामोद्योग ओर कयर के विकास के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वियन करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम शामिल है। जो 2008-09 से राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी के साथ गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके देश में रोजगार सृजन के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमईजीपी के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी

सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी व सीमा क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत हैं। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष मे राज्यवार जारी मार्जिन मनी सब्सिडी, जिले लक्ष्य और उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में उपलब्धि भी माना जाता है, की तुलना में सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और सृजित अनुमानित रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लघु उद्योग आरंभ करने के लिए सीधे ग्रामीणों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सरकार पहले ही आकर्षक सब्सिडी स्तर के साथ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम पीएमईजीपी कार्यान्वित कर रही है जो पहले ही काफी लोकप्रिय है।

विवरण

पीएमईजीपी के तहत राज्यवार जारी एवं उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी, सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार

2010-11

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जारी मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख में)	सहायता की गई परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	2544.81	2941.29	1920	15360
2.	हिमाचल प्रदेश	1374.78	1339.72	961	4781
3.	पंजाब	1833.28	1755.06	823	8234
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	63.98	28.96	30	302
5.	उत्तराखंड	1120.18	1190.26	974	8769
6.	हरियाणा	1887.82	1886.64	915	10508
7.	दिल्ली	173.83	109.72	149	1490
8.	राजस्थान	4401.64	3904.93	2481	24085
9.	उत्तर प्रदेश	13848.08	13360.58	4462	45019
10.	बिहार	3504.32	3207.20	1428	8316

1	2	3	4	5	6
11.	सिक्किम	173.77	154.24	78	321
12.	अरुणाचल प्रदेश	248.00	342.44	232	2320
13.	नागालैंड	466.00	546.35	242	1396
14.	मणिपुर	0.00	304.55	204	1691
15.	मिजोरम	306.00	546.51	380	3658
16.	त्रिपुरा	811.25	1098.76	733	2583
17.	मेघालय	515.00	574.00	305	1609
18.	असम	5538.00	4808.10	4756	38473
19.	पश्चिम बंगाल	6719.17	6719.06	5679	56790
20.	झारखंड	1562.68	2429.68	1707	15363
21.	ओडिशा	4949.26	4983.97	2581	25842
22.	छत्तीसगढ़	2983.58	3643.65	1576	18213
23.	मध्य प्रदेश	5440.13	5196.18	1180	17467
24.	गुजरात*	3042.54	3229.02	1354	16483
25.	महाराष्ट्र**	4793.82	5244.46	4848	36592
26.	आंध्र प्रदेश	7443.94	7750.24	2743	53808
27.	कर्नाटक	3696.02	3681.27	1871	14000
28.	गोवा	391.71	294.79	133	2456
29.	लक्षदीप	77.00	26.08	32	84
30.	केरल	3164.19	3141.21	1641	11375
31.	तमिलनाडु	4389.80	4475.04	2247	31895
32.	पुदुचेरी	85.64	103.24	216	757
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	171.83	101.06	183	573
	कुल	87722.05	89118.26	49064	480613

गत वर्ष के अप्रयुक्त शेष राशि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

2011-12

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जारी मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख में)	सहायता की गई परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	2780.57	2983.42	1920	15360
2.	हिमाचल प्रदेश	1141.28	1152.51	809	4248
3.	पंजाब	1695.61	1756.94	899	4622
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	0.00	39.98	38	144
5.	उत्तराखंड	1123.74	1059.62	894	6942
6.	हरियाणा	1396.25	1353.79	786	7418
7.	दिल्ली	213.02	189.69	195	906
8.	राजस्थान	3684.10	3518.29	2075	14955
9.	उत्तर प्रदेश	18851.45	18599.43	5569	59901
10.	बिहार	7417.30	9873.73	4887	35193
11.	सिक्किम	0.00	113.87	64	253
12.	अरुणाचल प्रदेश	349.25	431.63	375	1516
13.	नागालैंड	695.46	1155.94	556	6545
14.	मणिपुर	630.42	869.51	564	3142
15.	मिजोरम	508.00	723.57	418	3404
16.	त्रिपुरा	2868.06	2539.45	1812	16079
17.	मेघालय	833.42	1228.13	712	3273
18.	असम	4035.14	5544.99	5280	44205
19.	पश्चिम बंगाल	5581.67	5581.67	5806	61092
20.	झारखंड	3620.64	3486.33	2372	7116

1	2	3	4	5	6
21.	ओडिशा	4220.87	4194.51	2259	20905
22.	छत्तीसगढ़	3182.97	3306.12	1510	10345
23.	मध्य प्रदेश	5172.54	5419.41	1943	16256
24.	गुजरात*	6101.97	6147.35	1863	18662
25.	महाराष्ट्र**	4730.07	4548.95	2705	24661
26.	आन्ध्र प्रदेश	5568.30	5497.37	1672	37336
27.	कर्नाटक	3863.96	3872.13	1852	14971
28.	गोवा	215.22	296.12	155	2467
29.	लक्षद्वीप	0.00	10.52	12	25
30.	केरल	2910.66	2928.85	1629	9195
31.	तमिलनाडु	7383.44	7164.15	3228	43473
32.	पुदुचेरी	164.32	79.22	72	361
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	83.22	116.47	204	552
	कुल	101022.92	105783.66	55135	495523

गत वर्ष के अनुप्रयुक्त शेष राशि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

2012-13

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जारी मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख में)	सहायता की गई परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	3667.37	3413.99	2036	17452
2.	हिमाचल प्रदेश	1449.60	1350.84	916	4522

1	2	3	4	5	6
3.	पंजाब	1691.03	1417.92	770	5206
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़	135.38	68.63	55	239
5.	उत्तराखंड	1979.18	2043.16	1426	8368
6.	हरियाणा	1898.29	1511.38	927	4867
7.	दिल्ली	368.98	133.52	161	1284
8.	राजस्थान	6737.25	6223.97	2623	21252
9.	उत्तर प्रदेश	14789.65	12968.42	4529	49883
10.	बिहार	7234.44	7669.08	3150	19106
11.	सिक्किम	216.09	88.49	49	283
12.	अरुणाचल प्रदेश	290.74	296.50	261	2364
13.	नागालैंड	1049.83	1101.32	436	5570
14.	मणिपुर	1057.31	1098.49	660	3541
15.	मिजोरम	724.52	545.82	517	3201
16.	त्रिपुरा	2867.73	2441.35	1604	10228
17.	मेघालय	1194.87	869.07	458	2160
18.	असम	6614.04	5801.15	7336	26976
19.	पश्चिम बंगाल	7326.41	7382.49	6632	52624
20.	झारखंड	3396.37	3423.46	2297	11466
21.	ओडिशा	7937.60	7518.67	3735	29937
22.	छत्तीसगढ़	4456.80	3714.39	1748	12026
23.	मध्य प्रदेश	9831.73	9097.43	3201	27825
24.	गुजरात*	5640.48	3304.67	1066	11095
25.	महाराष्ट्र**	6875.19	6794.14	3640	22358
26.	आंध्र प्रदेश	7190.36	5655.41	1968	17982

1	2	3	4	5	6
27	कर्नाटक	6318.62	3580.73	1251	10103
28	गोवा	387.68	83.87	46	355
29	लक्षदीप	0	0	0	0
30	केरल	3265.49	3343.35	1872	12396
31	तमिलनाडु	6084.27	4916.28	2244	32723
32	पुदुचेरी	17.00	83.79	54	294
33	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	149.75	124.62	216	560
	कुल	122844.05	108066.40	57884	428246

गत वर्ष के अनुप्रयुक्त शेष राशि सहित

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

2013-14

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जारी मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख में)#	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख में)	सहायता की गई परियोजनाओं की संख्या#	अनुमानित सृजित रोजगार# (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	1684.42	379.78	184	1221
2.	हिमाचल प्रदेश	870.62	186.81	103	581
3.	पंजाब	1496.69	410.54	202	920
4.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	-	14.41	17	85
5.	उत्तराखंड	1123.02	213.79	157	877
6.	हरियाणा	1550.64	208.59	124	488
7.	दिल्ली	-	42.54	33	236
8.	राजस्थान	3331.20	202.55	71	517
9.	उत्तर प्रदेश	9381.67	889.78	283	2716
10.	बिहार	5536.60	2161.77	547	4188

1	2	3	4	5	6
11.	सिक्किम	–	15.64	6	29
12.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.00	0	0
13.	नागालैंड	796.39	0.00	0	0
14.	मणिपुर	855.91	375.83	190	1109
15.	मिजोरम	448.46	0.00	0	0
16.	त्रिपुरा	693.79	4.55	3	10
17.	मेघालय	759.19	0.00	0	0
18.	असम	3619.41	73.13	122	375
19.	पश्चिम बंगाल	3988.51	622.08	515	3858
20.	झारखंड	3208.29	269.08	194	970
21.	ओडिशा	3629.32	8.74	1	10
22.	छत्तीसगढ़	2559.67	124.41	72	462
23.	मध्य प्रदेश	4847.27	1036.43	375	3007
24.	गुजरात*	2522.22	301.83	82	656
25.	महाराष्ट्र**	4327.19	209.27	98	795
26.	आंध्र प्रदेश	3036.32	749.26	274	2393
27.	कर्नाटक	2647.71	1543.91	603	3982
28.	गोवा	–	0.00	0	0
29.	लक्षदीप	–	0.00	0	0
30.	केरल	1679.01	637.10	318	1672
31.	तमिलनाडु	2919.89	396.30	179	1505
32.	पुदुचेरी	.	4.32	8	18
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	137.02	35.92	59	123
	कुल	67650.43	11118.36	4820	32803

14.11.2013 तक

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के संबंध में ए.आर.सी. की सिफारिशें

2139. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे के संबंध में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में 'अभियोजन के लिए स्वीकृति', 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई में तेजी लाना', 'भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना', 'लोकायुक्त' तथा 'लोकपाल' जैसे मुद्दों पर सिफारिशें की गई हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे से भी संबंधित है।

(ग) सरकार ने विगत कुछ समय में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने तथा सरकारी काम-काज में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निविदा और ठेका देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी किया गया है जिसमें संगठनों से प्रमुख सरकारी प्रापण कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा वचन-पत्र का पालन करने के लिए कहा गया है, राज्य सरकारों को भी प्रमुख प्रापणों में सत्यनिष्ठा वचन-पत्र का अनुपालन करने की सलाह दी गई है;

(iv) ई-गवर्नेंस की शुरुआत करना और प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण;

(v) नागरिक चार्टर जारी करना;

(vi) वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए हाल ही में संसद में अनेक विधान पेश किए हैं। इनमें कतिपय इस प्रकार हैं:–

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(ii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011

(iii) विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011

(iv) नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011

(v) सार्वजनिक प्रापण विधेयक, 2012

(vi) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता

2140. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.एस.ई. से निजी विद्यालय की सम्बद्धता हेतु संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के अनिवार्य प्रावधान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नई व्यवस्था निजी विद्यालयों के तथ्यों और विश्वसनीयता के सत्यापन में बाधक सिद्ध नहीं होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.बी.एस.ई. द्वारा निजी विद्यालयों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सीबीएसई ने अपनी संबंधन उप-विधियों को संशोधित किया है जिनमें उल्लिखित है कि बोर्ड से अंतरिम सम्बद्धन प्राप्त करने के इच्छुक स्कूल के पास राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की पूर्व मान्यता होनी चाहिए। इस संबंध में स्कूल को यह साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने बोर्ड से संबंधन प्राप्त करने के लिए सीबीएसई को भेजे गए आवेदन के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंधित शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया है। स्कूल के आवेदन पर कार्रवाई के दौरान किसी आपत्ति की स्थिति में बोर्ड संबंधित स्कूल से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' देने के लिए कह सकता है। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) और (घ) नया संशोधित प्रावधान निजी स्कूलों के तथ्य और प्रत्यायन का अधिप्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है क्योंकि, आवेदक स्कूल को बोर्ड को संबंधन के लिए आवेदन करने से पहले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है। बोर्ड भी संबंधन से पहले उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आवेदक स्कूल का वास्तविक रूप से निरीक्षण करेगा।

[हिन्दी]

कॉल ब्यौरे का प्रावधान

2141. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड को निदेश दिए हैं कि एक निश्चित समय के बाद उपभोक्ताओं को कॉल ब्यौरा नहीं दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कॉल ब्यौरों का अभिलेख रखने के लिए नियत की गई अवधि को संशोधित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना समय निर्धारित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) बीएसएनएल सहित दूरसंचार प्रचालकों की लाइसेंस शर्तों अथवा किसी अन्य निदेश में, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को कॉल ब्यौरों का रिकार्ड उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012" विषय पर ट्राई द्वारा जारी किए गए दिनांक 06.01.2012 के विनियमों के अनुसार, बीएसएनएल सहित सभी प्रचालकों द्वारा प्री-पेड उपभोक्ता के अनुरोध पर, तर्कसंगत कीमत पर, अन्य बातों के साथ-साथ उनकी सभी कॉलों के मदवार उपयोग प्रभार लगाए जाने हैं। इस प्रकार की सूचना, किए गए अनुरोध की तारीख से अधिकतम छह माह की पूर्ववर्ती अवधि के लिए प्रदान की जानी है।

तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा इस संबंध में बीएसएनएल को अलग से कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन

2142. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय संकाय संख्या या शैक्षणिक अवसंरचना में वृद्धि किए बिना उनकी प्रवेश क्षमता से 5 से 6 गुना अधिक छात्रों का प्रवेश ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी शैक्षणिक संस्थाएं विदित नियमों का कड़ाई से अनुपालन कर रही हैं, के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नियमों के उल्लंघन के लिए कितनी निजी संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी निजी संस्थाओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के नाते और अधिकांश स्कूल और कॉलेज राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाने के कारण, इस संबंध में इस स्थिति की निगरानी करने और उपयुक्त कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधन प्रदान करने से पहले प्रति अनुभाग 1:5 के निर्धारित शिक्षक अनुपात पर शिक्षकों की उपलब्धता और कक्षा-कक्ष सहित अन्य अपेक्षित अवसंरचना सहित स्कूलों का मूल्यांकन करने के लिए उनका निरीक्षण करता है।

(ग) और (घ) सीबीएसई स्वतंत्र स्कूलों के लिए तीन वर्ष की अवधि हेतु अनंतिम संबंधन प्रदान करता है जिसे बाद में पांच वर्ष की अवधि का विस्तार दिया जाता है। बोर्ड संबंधन से पहले इस प्रकार के स्कूलों के संबंधन विस्तार के आवेदनों की जांच करते समय शिक्षकों, कक्षा-कक्षों आदि सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

(ङ) और (घ) गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा संकाय की संख्या या शैक्षणिक अवसंरचना बढ़ाए बिना उनकी दाखिला क्षमता से पांच से छह गुणा अधिक प्रवेश दिए जाने संबंधी कोई मामला बोर्ड के ध्यान में नहीं आया है।

गुम हुए भारतीय पासपोर्ट

2143. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय पासपोर्ट के विदेशों में गुम होने की सूचना मिली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) हाल ही में सरकार के नोटिस में विदेश में बहुत से मामलों में भारतीय पासपोर्टों के खोने का कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक की योजना/स्कीम

2144. श्री डी.के. सुरेश: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग को स्वीकृति हेतु कितनी योजना/स्कीम प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक को कुल कितनी निधियां आबंटित और जारी की गई हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा इसके अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) कर्नाटक समेत सभी राज्यों की वार्षिक योजना में ऐसी कई योजना स्कीमें हैं जो ग्यारह व्यापक क्षेत्रक से संबंधित हैं जो पुनः विभिन्न उप-क्षेत्रकों में विभाजित हैं। कर्नाटक सहित सभी राज्यों की वार्षिक योजनाओं को योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकार से परामर्श कर अनुमोदित किया जाता है।

(ख) योजना आयोग द्वारा कनार्टक के लिए अनुमोदित कुल योजना परिव्ययों के ब्यौरे तथा भारत सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को जारी कुल अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मंत्रालय निर्धारित दिशानिर्देशों तथा राज्यों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर निधियां जारी करते हैं और उनके पास कई अनुवीक्षण तंत्र हैं जिनमें

वेब-आधारित एमआईएस, समीक्षा बैठकें, यात्राएं, तीसरे पक्ष के मॉनीटर और समवर्ती मूल्यांकन शामिल हैं। साथ ही, योजना आयोग वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान व्यापक वार्षिक समीक्षाएं भी करता है।

विवरण

कर्नाटक के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय तथा जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय सहायता सहित राज्य के संसाधनों से अनुमोदित वार्षिक राज्य योजना परिव्यय	वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित केन्द्रीय सहायता	योजना के लिए जारी कुल निधि		
			राज्य की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता*	केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए जारी अतिरिक्त संसाधन	कर्नाटक के लिए जारी कुल केन्द्रीय सहायता
2013-14*	47,000.00	3,600.36	2,644.07	5,293.79	7,937.86
2012-13	42,030.00	3,413.00	4,081.66	7,191.99	11,273.65
2011-12	38,070.00	3,405.18	4,483.10	6,096.28	10,579.38
2010-11	31,050.00	2,798.70	4,133.95	7,511.83	11,645.78
12.12.2013 तक*					

*जारी निधियों में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के अंतर्गत पास-थ्रू सहायता जबकि आवंटन (केन्द्रीय सहायता की) में ऋण अंश शामिल नहीं है।
स्रोत: (i) अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय योजना आयोग, (ii) जारी की गई कुल योजना
राशि: सीपीएसएमएस वेबसाइट 13.12.2013 के अनुसार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम हेतु हिस्सेदारी पैटर्न

2145. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा आबंटित 65% अनुदान का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया है और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को बड़ा वित्तीय बोझ वहन करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो मामले के तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों द्वारा किए गए/किए जाने वाले व्यय का 100 प्रतिशत वहन करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का आगामी वर्ष के दौरान 13वें वित्त आयोग के अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर 8% व्यय बढ़ाने की शर्त को वापस लेने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की संवर्धित वित्तीय अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य सर्व शिक्षा अभियान के निधि भागीदारी पैटर्न को वर्ष 2010-11 में अनुमोदित स्लाइडिंग स्केल पर घटाकर पांच वर्ष के लिए 65:35 के अनुपात को और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के संबंध में निधि भागीदारी पैटर्न के 90:10 के अनुपात को बनाए रखा गया है। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर वर्ष 2010-15 से पांच वर्ष की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए 24,068 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। ये निधियां राज्यों को उपलब्ध करा दी गई हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें लिया नहीं गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों का बराबर का उत्तरदायित्व होगा। निधियों के प्रावधान के उत्तरदायित्व में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रदान की गई राशि के लिए अनिवार्य है कि राज्य अपने प्रारंभिक शिक्षा के परिव्यय में वार्षिक तौर पर 8% की वृद्धि करें और इस शर्त को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एस.टी.पी.आई. द्वारा आई.टी. इकाइयों को प्रोत्साहन

2146. श्री अनंत कुमार:
श्री एस. अलागिरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या और भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स (एस.टी.पी.आई.) के अंतर्गत निर्यात इकाइयों की संख्या में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एस.टी.पी.आई. द्वारा संवर्धित ऐसी इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान एस.टी.पी.आई. के लिए स्वीकृत और व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस गिरते हुए रुझान के लिए कमियों/विसंगतियों के क्या कारण हैं; और

(ङ) कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) एसटीपीआई द्वारा अपनाई गई आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार एसटीपी की ऐसी यूनिटें जिनका वार्षिक टर्न-ओवर 25 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें एमएसएमई का दर्जा दिया जाता है। रुझान और आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार आईटी निर्यात करने वाली 80% यूनिटें एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एसटीपीआई द्वारा संवर्धित निर्यातक एमएसएमई यूनिट का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एसटीपीआई के लिए मंजूर किए गए अनुदान एवं उस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) एसटीपीआई का मुख्य उद्देश्य देश के सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है। सॉफ्टवेयर निर्यातकों को एसटीपीआई द्वारा प्रदान की गई मुख्य सेवाएं सांविधिक सेवाएं, डेटाकॉम सेवाएं और उदभवन सेवाएं हैं। एसटीपीआई से पंजीकृत एमएसएमई यूनिटें भी उपर्युक्त सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। तथापि 1 अप्रैल, 2011 से धारा 10क/10ख के अंतर्गत आयकर लाभ को वापस लेने के कारण निर्यातक एमएसएमई यूनिटों की संख्या में भारी गिरावट हुई है।

(ङ) सरकार देश में आईटी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन देती है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना जिसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) द्वारा शासित किया जाता है, के अंतर्गत आईटी और आईटीईएस/बीपीओ इकाइयां विभिन्न

लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं जैसे आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट, घरेलू विनिर्मित वस्तुओं की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एमडीए) और बाजार अभिगम प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन के कार्यकलापों के लिए निर्यातकों विशेषकर लघु और मझौले उद्यमों की सहायता करता है। वाणिज्य विभाग ने 235 आईटी-आईटीईएस विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिसूचित किए हैं। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 10कक में एसईजेड में स्थित इकाइयां चरणबद्ध तरीके से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर लाभ के पात्र है। इसके अलावा, आईटी क्षेत्र की विशेष विशेषताओं को पूरा करने के लिए एसईजेड नियमों को भी संशोधित किया गया था। हाल ही में आईटी/आईटीईएस के लिए एसईजेड की स्थापना हेतु न्यूनतम भूमि आवश्यकता को भी सरकार ने हटा दिया है और न्यूनतम प्रक्रियात्मक क्षेत्र की आवश्यकता शहरों की श्रेणी के अनुसार लागू की गई है।

विवरण I

एसटीपी योजना के अंतर्गत निर्यातक एमएसएमई यूनिटें

क्रम सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	872	700	615	453
2.	गुजरात	160	63	51	44
3.	कर्नाटक	716	744	603	480
4.	असम	4	4	2	2
5.	मेघालय	1	1	1	1
6.	मणिपुर	0	0	0	0
7.	सिक्किम	0	0	0	0
8.	ओडिशा	40	40	31	31
9.	झारखंड	1	6	4	4
10.	बिहार	0	1	1	1
11.	पश्चिम बंगाल	139	125	75	57
12.	केरल	141	113	88	78
13.	उत्तर प्रदेश	312	228	190	160
14.	दिल्ली	179	134	102	83
15.	हरियाणा	230	196	181	167
16.	उत्तराखंड	9	8	6	12

1	2	3	4	5	6
17.	पंजाब	98	104	68	27
18.	राजस्थान	74	57	29	20
19.	मध्य प्रदेश	42	34	27	27
20.	चण्डीगढ़	6	5	7	7
21.	जम्मू और कश्मीर	3	1	1	1
22.	तमिलनाडु	705	563	467	414
23.	आंध्र प्रदेश	690	504	440	360
24.	पुदुचेरी	5	3	6	4
25.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	1
	कुल	4427	3635	2996	2434

विवरण II

नये एसटीआई केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकृत और खर्च की गई निधियां

वर्ष	केन्द्र का नाम/राज्य	डीईआईटीवाई द्वारा स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि
2010-11	जमशेदपुर (झारखंड)	50 लाख रुपये	डीईआईटीवाई को वापस किए गए ब्याज के साथ जीआईए
2011-12		शून्य	शून्य
2012-13	आइजोल (मिजोरम)	1.5 करोड़ रुपये	शून्य
2013-14		शून्य	शून्य

[हिन्दी]

दक्षिण चीन सागर विवाद

2147. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री अर्जुन राय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में इसके क्षेत्रीय दावों पर नम्य दृष्टिकोण अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने उक्त क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करने के लिए कोई आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) दक्षिण चीन समुद्री क्षेत्र पर संप्रभुता के मामले में चीन सहित उस क्षेत्र के कई देशों में विवाद है। भारत इस विवाद का पक्षधर नहीं है और उसका मानना है कि संबंधित देशों द्वारा इस विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। भारत ने कई अवसरों पर अपने पक्ष को दुहराया है कि वह दक्षिण चीन सागर सहित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे संबंधी स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप आवाजाही का अधिकार तथा निर्बाध करोबार का समर्थन करता है। इन सिद्धांतों का सभी देशों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) वर्ष 1988 से ही दक्षिणी चीन समुद्र में अन्वेषण कार्य-कलापों में लगा हुआ है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वियतनाम तट से लगे दक्षिणी चीन समुद्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उपयोग संबंधी उसकी परियोजनाएं पूर्णत: वाणिज्यिक स्वरूप की हैं और इनका कोई राजनैतिक अर्क नहीं है।

[अनुवाद]

शिक्षकों के लिए वेतन समानता

2148. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन आदि में पंजाब पैटर्न पर सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों से परम्परागत रूप में समानता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या चंडीगढ़ में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को चंडीगढ़ में लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) जी, हां। संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पंजाब वेतनमान दिनांक 1.1.2006 से उन्हीं निबंधन एवं शर्तों के आधार पर लागू किए गए थे, जैसाकि संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सरकारी स्कूलों में उनके समकक्षों के मामलों में किया गया है।

यूरेनियम का अवैध निष्कर्षण

2149. श्री विन्सेंट एच. पाला:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु और केरल सहित देश के विभिन्न भागों में यूरेनियम और मेग्नेटाइट का निजी कम्पनियों द्वारा अवैध रूप से निष्कर्षण और निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर के मद्देनजर, ये प्रश्न ही नहीं उठते।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक

2150. श्री राम सुन्दर दास:
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी पहचान और उत्थान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षणों से प्राप्त उपभोग ब्यौरे के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। परिवारों के उपभोग व्यय संबंधी डेटा संग्रह करने की प्रक्रिया में, एनएसएसओ परिवार की सामाजिक समूह तथा धार्मिक संबद्धता के ब्यौरे भी जुटाता है। सामाजिक समूह के मामले में, सभी सामाजिक समूहों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर तथा प्रमुख राज्यों के स्तर पर ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में निष्कर्ष उपलब्ध हैं जिनके आधार पर विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं। तदनुसार, एनएसएसओ द्वारा 2011-12 के दौरान जुटाए गए नवीनतम उपभोग व्यय सर्वेक्षण ब्यौरे के आधार पर, योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 22.6 और शहरी क्षेत्रों में 15.4 है।

किंतु, धार्मिक समूहों के मामले में निष्कर्षों की संख्या अखिल भारतीय स्तर पर भी कुछ धार्मिक समूहों के संदर्भ में इतनी संतोषजनक नहीं है कि उनसे कोई भरोसेमंद अनुमान लगाया जा सके। अत:, योजना आयोग ने समस्त अल्पसंख्यक समुदायों के लिए गरीबी अनुपातों का अनुमान नहीं लगाया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून, 2011 में, सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर-घर जाकर जनगणना शुरू की है ताकि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए परिवार आधारित आंकड़े जुटाए जा सकें। इस जनगणना (एसईसीसी, 2011) में देशभर की जातिगत जनगणना भी शामिल है।

अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, सरकार विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है, जैसे-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास निगम, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां।

इसी प्रकार, अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है, जैसे-प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रय, बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति स्कीम, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एमएईएफ) को अनुदान सहायता, अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त शिक्षण तथा संबद्ध योजना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी अंशदान के लिए अनुदान सहायता। साथ ही, बारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु कई स्कीमें चिह्नित की गई हैं, जैसे-अल्पसंख्यकों में युवा नेताओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण की प्रायोगिक योजना, सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को समर्थन, अल्पसंख्यक बहुल 100 शहरों/नगरों में शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना, शहरी युवा समर्थन लाइनों के लिए प्रायोगिक योजना, अल्पसंख्यक संस्कृति तथा धरोहर के संरक्षण और विकास की योजना।

इनके अलावा, सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने तथा देश में गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने संबंधी प्रत्यक्ष अंत:क्षेप के माध्यम से विभिन्न उपाय शुरू किए हैं, जैसे-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएलएम), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), मध्यान्ह भोजन स्कीम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता

आर्यक्रम (एनएसएपी) आदि। अनुमान है कि इन कार्यक्रमों/स्कीमों से आगे चलकर हर वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पुनर्वास परियोजना

2151. **श्री वरूण गांधी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना जो मुम्बई विमानपत्तन के विस्तार हेतु भूमि मुक्त करने के लिए मलिन बस्तियों में रहने वालों को स्थानान्तरित करने और उन्हें पुनः आवास देने के लिए है, में विगत दो वर्षों में कोई खास प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मुम्बई इण्टरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (एम.आई.ए.एल.) द्वारा आवासीय विकास और अवसंरचना लिमिटेड (एच.डी.आई.एल.) को दिए गए मलिन बस्ती पुनर्वास ठेका के निरस्त होने के कारण मुम्बई विमानपत्तन के प्रस्तावित विस्तार और आधुनिकीकरण में और विलम्ब होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया में गति लाने और मलिन बस्ती के निवासियों का पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रा. लि. (एमआईएएल) ने विमापत्तन की भूमि से स्लम वासियों को अन्यत्र भेजने के लिए तथा करार के प्रावधानों के अनुसार स्लम पुनर्वास परियोजना को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु और एसआईएएल को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण/हरमेंटस से मुक्त विमानपत्तन की भूमि उपलब्ध कराने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के साथ एक संविदा निष्पादित किया है। यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से मुंबई एयरपोर्ट परियोजना को महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना के रूप में घोषित किया था, तदुनसार एयरपोर्ट के स्लमवासियों के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के रूप में टेनामेंटों के निर्माण हेतु एचडीआईएल द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया था तथा एचडीआईएल का अनुमेय स्थानान्तरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रदान कर दिए थे। इस प्रकार एचडीआईएल को 27401 टेनामेटों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई जिसमें से लगभग 9000 वास्तविक रूप से पूर्ण हो गए थे। पूर्ण किए टेनामेंटों में से पीएपी के पुनर्वास हेतु मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को 644 टेनामेंट उपलब्ध कराए गए। तथापि, एचडीआईएल के साथ हुए करार को एमआईएएल ने निरस्त कर दिया है। इससे खिन्न होकर एचडीआईएल ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक मध्यस्ता याचिका प्रस्तुत की थी जिसका निपटान 23.8.2013 को कर दिया गया था। तत्पश्चात् इस मामले का भी 28.11.2013 को निपटान कर दिया गया था जिसमें एचडीआईएल को मामले में दोबारा हार हुई। शहरी विकास/स्लम राज्य का विषय होने के नाते स्लमवासियों के पुनर्वास हेतु एमआईएएल के समन्वय से नीति का निर्माण करने का दायित्व महाराष्ट्र सरकार का है।

सी.एस.एस. का वित्तपोषण पैटर्न

2152. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सभी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु वही 90:10 वित्तपोषण के आधार पर धन आवंटित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सहित सभी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए चल रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण के पैटर्न में समानता लाने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को निदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में राज्य के हिस्से का निर्धारण संबंधित प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार स्कीम के दिशानिर्देश द्वारा होता है। जबकि 11वीं योजना में कार्यान्वित की गई अधिकांश सीएसएस के दिशानिर्देशों में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था शामिल थी परंतु विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों विशेषकर उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के मामले में सीएसएस में राज्य के हिस्से की आवश्यकता के बारे में कोई एकरूपता नहीं थी।

उपर्युक्त समाधान के लिए सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/एसीए स्कीमों की पुनर्सरचना के संबंध में योजना आयोग का प्रस्ताव अनुमोदित करते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुमोदित किया है कि प्रत्येक नई सीएसएस/एसीए फ्लैगशिप स्कीम के लिए कम से कम 25 प्रतिशत निधियां सामान्य श्रेणी राज्यों द्वारा और 10 प्रतिशत निधियां विशेष श्रेणी राज्यों जिनमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, द्वारा योगदान किया जा सकता है इस उपाय से 12वीं योजना अवधि में नई सीएसएस में राज्य के हिस्से के प्रावधान में एकरूपता लाने की उम्मीद की जाती है।

मुख्य सलाहकार (लागत) का रिक्त पद

2153. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के सचिव के ग्रेड और वेतनमान में मुख्य सलाहकार (लागत) का पद पिछले छह वर्षों से अधिक समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त पद हेतु कई बार विज्ञापन प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस रिक्त पद को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) मुख्य सलाहकार (लागत) के पद से श्री डी.सी. बजाज की मानित सेवानिवृत्ति के कारण 20/08/2013, से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधीन भारतीय लागत लेखा सेवा में मुख्य सलाहकार (लागत) का पद रिक्त पड़ा है।

(ग) और (घ) मुख्य सलाहकार (लागत) के पद के लिए 20.08.2013 अर्थात् जिस तारीख से पद खाली पड़ा है, से विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। मुख्य सलाहकार (लागत) का पद भारतीय लागत लेखा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2012 के अनुसार भरा गया है।

लघु बचत योजनाएं

2154. श्री वैजयंत पांडा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही लघु बचत योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्राहकों हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह पाया है कि कठोर मानदंडों के कारण समाज के कमजोर तबके के लोग लघु बचत योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि "समाज के कमजोर तबके के लोग इससे लाभान्वित हों", क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): (क) निवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं सहित देश में चल रही लघु बचत योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	योजना का नाम	निवेश/लेन-देन के लिए न्यूनतम आवश्यकता (रुपये में)
1	2	3
1	मूल बचत खाता	0.00
2	आवर्ती जमा खाता	10.00

1	2	3
3	बचत खाता	20.00
4	राष्ट्रीय बचत पत्र (VIIIवां निर्गम)	100.00
5	राष्ट्रीय बचत पत्र (IXवां निर्गम)	100.00
6	सावधि जमा खाता (1, 2, 3 एवं 5 वर्ष)	200.00
7	लोक भविष्य निधि	500.00
8	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	1000.00
9	मासिक आय खाता	1500.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मॉडल पॉलीटेक्निक

2155. श्री जोस के. मणि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मॉडल पॉलीटेक्निक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को केरल सहित विभिन्न राज्यों से ऐसी पॉलीटेक्निक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा राज्य-वार और प्रस्ताव-वार क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। देश के विभिन्न भागों में मॉडल पॉलीटेक्निक स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। हालांकि, "कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के अधीन पॉलीटेक्निकों का उप-मिशन" की योजना के तहत यह मंत्रालय देश के 300 असेवित तथा कम-सेवित जिलों में नए राज्यकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है बशर्ते, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए और 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय वहन करे। योजना के तहत पहचान किए गए 300 जिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है और इसमें अनेक जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना के तहत 300 में से 291 जिलों में नए पॉलीटेक्निक स्थापित करने के लिए संबंधित राज्यों को आंशिक वित्तीय सहायता पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि, मॉडल पॉलीटेक्निक स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

विवरण

नए पॉलीटेक्निक स्थापित किए जाने हेतु पहचान किए गए जिलों की संख्या

क्र.स.	राज्य	नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना के लिए पहचान किए गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	05 जिले
2.	हरियाणा	07 जिले
3.	हिमाचल प्रदेश	05 जिले
4.	जम्मू और कश्मीर	18 जिले
5.	पंजाब	07 जिले
6.	राजस्थान	15 जिले
7.	उत्तर प्रदेश	41 जिले
8.	उत्तराखंड	01 जिला
9.	आंध्र प्रदेश	01 जिला

2	3	3
10.	तमिलनाडु	07 जिले
11.	लक्षदीप	01 जिला
12.	दमन और दीव	01 जिला
13.	गुजरात	05 जिले
14.	छत्तीसगढ़	11 जिले
15.	मध्य प्रदेश	21 जिले
16.	महाराष्ट्र	02 जिले
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02 जिले
18.	बिहार	34 जिले
19.	झारखंड	17 जिले
20.	ओडिशा	22 जिले
21.	पश्चिम बंगाल	11 जिले
22.	अरुणाचल प्रदेश	14 जिले
23.	असम	21 जिले
24.	मणिपुर	08 जिले
25.	मेघालय	04 जिले
26.	मिजोरम	06 जिले
27.	नागालैंड	08 जिले
28.	सिक्किम	02 जिले
29.	त्रिपुरा	03 जिले
	कुल	300 जिले

[हिन्दी]

सरकारी आवासों में सौर पैनल

2156. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में संसद सदस्यों और मंत्रियों के आवास सहित सरकारी आवासों में स्थापित किए गए सौर पैनलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्थापित किए गए सभी पैनल ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त फ्लैट्स में स्थापित पैनलों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) दिल्ली में ससंद सदस्यों और मंत्रियों के आवासों सहित सरकारी आवासों में कुल 857 सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए गए हैं।

(ख) 28 सौर ऊर्जा पैनलों को छोड़कर, सभी सौर ऊर्जा पैनल ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 28 सौर ऊर्जा पैनलों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और दिनांक 24.12.2013 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व

2157. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2010-11 में केन्द्र सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 10.18% लोग नियोजित थे;

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कम होकर 7.73% हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) 71 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए उपलब्ध आंकड़े विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) 70 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए उपलब्ध आंकड़े विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की भर्ती में आई कमी के निमित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना निम्नानुसार हैं:

1. अल्पसंख्यक समुदाय की भर्ती में बढ़ोत्तरी और कमी प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या पर तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के प्रतिशत पर निर्भर करती है।
2. अल्पसंख्यकों के लिए भर्ती में आरक्षण नहीं है।
3. परम्परागत/धार्मिक शिक्षा पर निर्भरता।
4. निम्न साक्षरता स्तर और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुलब्धता।
5. अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में चयन प्रक्रिया अर्थात् पीएसटी/पीईटी/लिखित परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं और और लिखित परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों इत्यादि की मैरिट में स्थान नहीं प्राप्त करते हैं।

(ङ) सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने के लिए दिनांक 17.09.2011 के पत्र संख्या 39016/2 (एस)/2009-स्था. (ख) द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं:

(i) चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य रखना अनिवार्य हो।

(ii) जहां ऐसी रिक्तियों, जिनके विरुद्ध चयन किया जाना है की संख्या 10 से कम हो, वहां ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी और एक अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारी रखने के लिए प्रयास किए जाएं।

(iii) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में होने वाली सभी नियुक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए। विज्ञापन अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की बहुसंख्यक जनता द्वरा बोली जाने वाली भाषा (भाषाओं) में जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, समूह ग एवं घ स्तर के पदों के लिए, केवल मूलभूत अर्हता अपेक्षाओं को क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से प्रसार किया जाए।

(iv) जहां स्थानीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अधिक हो वहां रिक्ति परिपत्र को स्थानीय भाषा में उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा उन क्षेत्रों में वितरित किए जाए।

इन अनुदेशों को समय-समय पर पुन: दोहराया गया है।

विवरण I

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण, वर्ष 2010-11 के दौरान कुल नियुक्त कर्मचारी एवं अल्पसंख्यक समुदायों से नियुक्त कर्मचारी

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग विवरण	समूह क			समूह ख			समूह ग			समूह घ			कुल		
		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	विनिवेश विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	157	2	0	307	7	1	546	7	0	117	4	0	1127	20	1
3.	नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय	116	0	0	121	0	0	64	0	0	116	0	0	417	0	0
4.	संसदीय कार्य मंत्रालय	12	0	0	37	0	0	34	3	0	22	1	1	105	4	1
5.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	542	2	0	195	0	0	218	0	0	162	1	0	1117	3	0
6.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	37	3	0	33	0	0	16	0	0	9	0	0	95	3	0
7.	भूमि संसाधन विभाग	20	0	0	38	0	0	14	0	0	18	0	0	90	0	0
8.	मंत्रिमंडल सचिवालय, सचिव (सुरक्षा) का कार्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	विदेश मंत्रालय (01.01.2006 से समूह 'घ' को समूह 'ग' में विलयित कर दिया है)	1176	24	7	2731	18	0	2008	8	2				5915	50	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	27	0	0	51	0	0	23	0	0	20	0	0	121	0	0
12.	पर्यटन मंत्रालय	92	8	1	138	7	0	315	0	0	91	0	0	636	15	0
13.	रक्षा मंत्रालय/डीआरडीओ (समूह 'ग' में शामिल)	10768	356	20	5872	221	11	10759	202	25				27399	779	56
14.	पंचायती राज मंत्रालय	20	2	0	30	3	0	15	0	0	0	0		65	5	0
15.	परमाणु ऊर्जा विभाग	10113	396	19	13434	382	23	13723	538	29	980	14	1	38250	1330	72
16.	वाणिज्य विभाग	310	42	19	1297	86	18	1991	112	17	273	28	3	4271	268	57
17.	अल्पसंख्यक कार्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	153	16	1	305	3	0	393	2	0	34	0	0	885	21	1
19.	रासायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	218	16	3	184	2	0	398	51	9	41	6	4	841	75	16
20.	उर्वरक विभाग	38	0	0	98	0	0	52	0	0	53	0	0	241	0	0
21.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	106	0	0	335	5	0	344	1	0	353	0	0	1138	6	0
22.	योजना आयोग	206	2	1	297	0	0	551	6	1	0	0	0	1054	8	2
23.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	39	0	0	17	0	0	219	0	0	120	0	0	395	0	0
24.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	42	8	2	116	16	1	47	0	0	41	0	0	246	24	3
25.	वस्त्र मंत्रालय	1236	30	9	2375	17	14	3985	44	538	823	0	121	8329	91	112
26.	शहरी विकास मंत्रालय	860	29	2	6391	174	18	12176	171	32	8627	891	23	28054	1264	75
27.	वित्तीय सेवाएं विभाग	315121	26400	1678	0	0	0	311770	31676	2433	159118	5780	591	786009	63856	4702
28.	मंत्रिमंडल सचिवालय	1198	66	0	2839	286	37	3862	550	25	437	31	4	8336	933	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.	व्यय विभाग	107	3	0	350	34	1	422	12	0	47	0	0	926	49	1
30.	डाक विभाग	572	10	1	5754	48	7	166270	14840	1175	30242	744	110	202836	15642	1293
31.	जल संशाधन मंत्रालय	1297	48	1	2948	330	7	4447	103	2	811	2	0	9603	482	10
32.	अंतरिक्ष विभाग	8851	381	35	3733	155	14	2931	210	25	1	0	0	15516	746	74
33.	रक्षा मंत्रालय	2605	149	9	14919	207	27	157907	4792	393	79110	171	70	254541	5319	499
34.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	639	46	4	1323	147	9	2219	63	2	1112	10	0	5293	266	15
35.	रेल मंत्रालय	6280	28	3	6611	422	41	1058754	12205	978	233013	5596	569	1304658	18251	1591
36.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/आयुष	930	71	6	230	22	3	1441	57	4	1163	0	0	3764	150	13
37.	विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)	61	2	0	131	1	0	88	1	0	71	1	0	351	5	0
38.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4483	82	13	1981	115	11	1193	65	8	373	4	0	8030	266	32
39.	दूरसंचार विभाग	2939	15	2	996	42	1	872	12	0	21	14	0	4828	83	3
40.	पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय	63	1	0	112	1	0	143	2	0	69	0	0	459	4	0
41.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा मंत्रालय	1733	90	5	906	15	1	2240	83	3	860	12	0	5739	200	9
42.	इस्पात मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)	8264	834	134	3219	112	38	8276	282	145	6499	13	0	26258	1241	317
44.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/एड्स नियंत्रण संगठन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.	गृह मंत्रालय	11459	739	47	49538	3324	174	699274	45223	4317	6852	19	1	767123	49305	4539
46.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं एनएचएआई	817	205	21	547	42	6	511	5	2	166	0	4	2116	236	29
47.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रायल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	उपभोक्ता कार्य मंत्रालय	633	36	2	729	30	0	711	39	0	492		0	2565	105	2
49.	विधि कार्य विभाग	187	2	0	143	0	0	469	22	9	442	38	8	1241	62	17
50.	खान मंत्रालय	6198	502	56	3950	8	5	13639	517	2432	2922	106	4	14745	12450	7802
51.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	346	12	0	850	18	0	3651	11	1	2834	10	3	7681	51	4
52.	संस्कृति मंत्रालय (अनंतिम)	59	2	0	214	0	0	446	2	0	395	0	0	1123	9	0
53.	पोत परिवहन मंत्रालय	2466	57	1	1323	49	1	28904	372	22	23754	563	11	56547	1041	35
54.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1131	16	3	6142	47	8	15477	124	13	5371	58	12	28033	183	36
55.	राजभाषा विभाग	10	0	0	213	0	0	89	0	0	93	0	0	405	0	0
56.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	871	9	0	964	30	6	1403	30	5	821	1	2	956	70	13
57.	कोयला मंत्रालय	58	3	1	109	0	0	873	1	0	222	0	0	1265	4	1
58.	रक्षा उत्पादन विभाग	1782	98	23	23658	279	20	75197	3295	158	6722	305	13	107359	3977	214
59.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समूह 'घ' पदों का प्रोन्नयन किया कया और समूह 'ग' में शामिल किया गया	874	44	7	700	9	3	2236	23	6	1462	2	0	5272	78	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60.	विद्युत मंत्रालय	22439	1493	106	14328	373	15	21257	167	2	9585	32	0	57758	2065	123
61.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4369	337	20	6660	79	6	30232	675	74	6190	232	20	46451	1323	120
62.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	14	नियुक्ति प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		7	0	0	52	1	0	53	0	0	126	1	0
63.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1142	46	5	1069	15	2	3448	23	0	339	2	0	5889	86	7
64.	विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग	गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है														
65.	रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	175	7	0	149	6	0	249	0	0	182	0	0	755	12	1
67.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	211	12	19	196	5	2	678	29	21	842	0	4	1927	46	46
68.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	378	69	2	360	20	0	583	13	0	151	0	0	1472	102	2
69.	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	18	0	0	23	0	0	16	0	0	8	0	0	65	0	0
70.	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	6969	351	25	42334	1691	128	43252	1624	143	5703	135	26	98258	3801	310
71.	सीपीएसई 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17332	1218
	कुल	444037	33202	2313	234660	8903	659	2713373	118294	13051	600448	14826	1605	3967070	203798	23567

अल्पसंख्यक समुदायों से 11.56% अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

विवरण II

31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की स्थिति दर्शानेवाला विवरण, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल नियुक्त कर्मचारी एवं अल्पसंख्यक समुदायों से नियुक्त कर्मचारी

क्रम सं	मंत्रालय/विभाग विवरण	समूह क			समूह ख			समूह ग			समूह घ			कुल		
		31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी	वर्ष के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान नियुक्त अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	728	22	2	1488	60	5	2294	51	1	723	3	1	5233	133	9
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	8464	678	45	2859	59	1	3813	66	0	6960	0	0	22196	803	46
3.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	550	43	4	426	21	3	2109	82	6	410	8	3	3495	154	16
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग	10946	309	21	13563	395	31	12969	628	32	116	52	0	38594	1384	84
5.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग														0	
6.	उर्वरक विभाग	41	0	0	94	0	0	40	0	0	50	0	0	225	0	0
7.	विधायी विभाग														0	
8.	औषध निर्माण विभाग	40	6	0	38	0	0	24	0	0	7	0	0	109	6	0
9.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	109	8	0	131	1	0	324	0	0	95	0	0	659	9	0
10.	कोयला मंत्रालय	65	0	1	110	0	0	904	11	1	141	13	2	1220	24	4
11.	वाणिज्य विभाग	3036	138	18	3789	103	14	4513	172	21	1488	4	1	12826	417	54
12.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग	932	71	2	969	39	3	1330	67	0	557	0	0	3802	184	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	दूर संचार विभाग	3001	142	11	893	28	3	1032	13	0	28	0	0	4954	183	14
14.	डाक विभाग	516	20	1	5985	147	18	158411	2642	222	23278	1241	112	167857	4283	366
15.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4372	57	5	2247	64	6	1455	39	4	177	0	0	8251	160	15
16.	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	403	44	3	456	25	1	613	1	0	0	0	0	1472	70	4
17.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	107	0	0	269	5	1	502	5	0	शून्य	शून्य	शून्य	878	10	1
18.	उपभोक्ता मामले विभाग	660	79	6	722	21	1	674	5	0	392	0	0	2448	105	7
19.	संस्कृति मंत्रालय														0	
20.	रक्षा विभाग	1764	64	5	12664	155	14	134235	4473	376	15878	909	90	164541	5601	485
21.	रक्षा उत्पादन विभाग	2111	87	4	33212	210	19	68414	4246	283	0	0	0	103738	4543	306
22.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग	10808	107	12	7217	356	41	8199	481	56	0	0	0	26224	944	109
23.	पूर्व सैनिक कल्याण विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय														0	
25.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	19	1	0	34	0	0	19	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	72	1	0
26.	भूमि विज्ञान मंत्रालय	411	57	0	192	8	1	128	5	1	44	1	0	775	71	2
27.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय														0	
28.	विदेश मंत्रालय	1215	38	10	2167	167	12	1987	85	5	56	0	0	5425	290	27
29.	वित्तीय सेवाएं विभाग														76670	5844
30.	आर्थिक कार्य विभाग	180	17	3	292	3	1	169	1	0	167	0	0	808	20	4
31.	व्यय विभाग	410	16	0	2867	1	0	342	51	0	9	1	0	3628	69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.	राजस्व विभाग														0	
33.	विनिवेश विभाग	17	0	0	19	0	0	13	0	0	0	0	0	49	0	0
34.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	63	25	3	4	0	0	36	8	1	8	0	0	111	33	4
35.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	761	53	6	2246	206	57	2623	219	55	1820	12	2	7450	490	120
36.	आयुष विभाग	854	49	6	235	12	1	1146	46	3	763	18	1	2998	122	10
37.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2	0	0	1	0	0	21	0	0	4	0	0	28	0	0
38.	एड्स नियंत्रण विभाग														0	
39.	भारी उद्योग विभाग	20170	581	39	12921	42	5	36440	1883	170	16689	578	97	86220	3049	306
40.	लोक उद्यम विभाग (सीपीएसयू)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13399	1030
41.	गृह मंत्रालय (अर्द्धसैनिक)	13600	914	103	52586	3483	224	771876	61622	3156	675	1	0	838737	66020	3483
42.	राजभाषा विभाग	131	0	0	193	4	0	259	6	1	9	3	0	592	13	1
43.	सीमा प्रबंधन विभाग														0	
44.	अंतर्राज्यीय परिषद् सचिवालय विभाग	13	0	0	13	0	0	19	0	0	0	0	0	45	0	0
45.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा+स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	18881	2194	394	37388	2216	219	32762	1924	703	19268	375	74	108299	6709	1390
46.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	514	1	0	239	0	0	354	0	0	230	0	0	1337	1	0
47.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1544	53	21	6591	319	36	17715	857	141	5424	208	25	31274	1437	223
48.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	4030	377	45	10423	205	15	36709	3829	257	2051	373	22	53178	4784	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49.	विधि कार्य विभाग														0	
50.	विधायी विभाग	61	1	0	120	3	0	59	2	0	77	0	0	317	6	0
51.	खान मंत्रालय	2379	205	32	2317	97	1	2459	391	10	1810	0	0	8965	693	43
52.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	25	0	0	36	0	0	12	0	0	1	0	0	74	0	0
53.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1028	98	9	1332	84	7	3444	229	26	387	109	13	6193	521	53
54.	नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय	120	0	0	122	0	0	82	0	0	92	0	0	416	0	0
55.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	संसदीय कार्य मंत्रालय	12	0	0	36	4	1	53	3	0	0	0	0	101	7	1
57.	पंचायती राज मंत्रालय	27	11	1	30	2	0	13	0	0	0	0	0	70	13	1
58.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	104	0	0	568	56	1	316	12	1	0	0	0	988	68	2
59.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	27	0	0	49	0	0	15	0	0	16	0	0	107	0	0
60.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	11	0	0	24	0	0	9	0	0	6	0	0	53	0	0
61.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय														4000	310
62.	योजना आयोग	226	11	0	298	0	0	404	11	0	0	0	0	928	22	0
63.	विद्युत मंत्रालय	57	11	1	118	39	2	115	4	0	1	0	0	291	54	3
64.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	794	92	1	536	3	1	345	4	0	182	3	2	1857	102	4
65.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	86	29	5	157	23	7	132	4	1	0	0	0	375	56	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66.	भूमि संसाधन विभाग	32	4	1	53	7	0	24	0	0	19	0	0	109	8	1
67.	पोत परिवहन मंत्रालय															
68.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	316	1	0	803	8	0	3238	18	0	2416	9	0	6773	36	0
69.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	5472	205	12	4355	124	11	4057	83	2	955	22	0	14839	434	25
70.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	426	34	4	338	22	0	218	10	1	24	0	0	1106	56	3
71.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग															
72.	नि:शक्त कार्य विभाग															
73.	अंतरिक्ष विभाग	8922	424	25	3827	196	20	2948	487	82	1	0	0	15698	1107	127
74.	सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय														0	
75.	इस्पात मंत्रालय	36	0	0	91	7	1	83	0	0				210	7	1
76.	वस्त्र मंत्रालय														0	
77.	पर्यटन मंत्रालय														0	
78.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	70	3	2	94	शून्य	शून्य	143	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	307	13	2
79.	शहरी विकास मंत्रालय	2324	66	2	8637	514	8	18448	140	8	10608	28	1	40017	748	19
80.	जल संसाधन मंत्रालय	1434	66	2	2737	330	17	4467	101	5	717	54	1	9355	551	25
81.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	168	8	0	347	30	2	494	16	1	58	10	1	1067	64	4
82.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	585	2	0	210	4	1	1291	4	0	1660	1	0	3746	11	1
83.	रेल मंत्रालय														61562	4210
84.	गृह मंत्रालय	14233	940	105	54645	3642	243	774913	61806	3170	810	5	0	844601	66393	3518
	कुल	150443	8500	972	297423	13550	1055	2122355	146853	8802	117357	4041	448	2668311	328723	22674

अलपसंख्यक समुदाय से 6.89% अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

सुश्री ममता कुन्द्रा
सयुक्त सचिव (स्थापना)
दूरभाषाः (011) 23094276
फैक्स न. (011) 23092869

डी.ओ.सं. 39016/2 (एस) 2009-स्था. (ख)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर, 2011

महोदया/महोदय,

यह भर्ती में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान देने के संबंध में अल्पसंख्यकों के कल्याण के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में है।

2. इस विभाग ने दिनांक 08.01.2007 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और रेलवे सहित सरकारी रोजगार में अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उक्त मद के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। उक्त कार्यालय ज्ञापन में अनुदेशों में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने के लिए अनुदेश दिया जाए।

(i) चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य रखना अनिवार्य हो।

(ii) जहां ऐसी रिक्तियों, जिनके विरुद्ध चयन किया जाना है की संख्या 10 से कम हो, वहां ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी और एक अल्पसंख्यक समुदाय अधिकारी रखने के लिए प्रयास किए जाएं।

(iii) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में होने वाली सभी नियुक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए। विज्ञापन अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा (भाषाओं) में जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त, समूह ग एवं घ स्तर के पदों के लिए, केवल मूलभूत अर्हता अपेक्षाओं को रखते हुए, भर्ती के लिए रिक्तियों के बारे में सूचना का भी सामान्य माध्यमों के अतिरिक्त, उस क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों के माध्यम से प्रसार किया जाए।

(iv) जहां स्थानीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या अधिक हो वहां रिक्ति परिपत्र को स्थानीय भाषा में उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा उन क्षेत्रों में वितरित किया जाए।

3. सचिव समिति, जो उक्त नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षाएं करती है, ने संस्तुति की थी कि सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती की सकारात्मक कार्रवाई पर सूचना का प्रसार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभियानों का आयोजन किए जाए। इस आशय के लिए, प्रत्येक मंत्रालयों/विभाग को इस विभाग के दिनांक 09.06.2008 के अर्धशासकीय सं. 39016/3(एस)2008-स्था. (ख) के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग में कार्रवाई योजना का समन्वय करने के लिए एक संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी को नामित करना अपेक्षित था। विशेष रूप से नामित अधिकारी, मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर सकारात्मक कार्रवाई पर सूचना का प्रसार करने के लिए आयोजित किए जाने वाले अभियानों के लिए तथा सम्पूर्ण मंत्रालय के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में अल्पसंख्यकों की भर्ती के वार्षिक आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। नामित अधिकारी को मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित किए गए अभियानों संबंधी ब्यौरों को सूचित करना भी अपेक्षित था। मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा आयोजित किसी अभियानों पर कोई फीडबैक मंत्रालय में इस प्रयोजनार्थ नामित अधिकारी से प्राप्त नहीं की जा रही है। रिपोर्टिंग अवधि 01.04.2009 से 31.09.2010 के दौरान अल्पसंख्यकों की भर्ती की समीक्षा करते समय, सचिव समिति ने नोट किया था कि भर्ती में अल्पसंख्यक समुदाय उम्मीदवारों का अंश पिछली रिपोर्टिंग अवधि की तुलना में घट गया है।

4. यह अनुरोध है कि भर्ती करते समय इस विभाग के दिनांक 08.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन में समाहित दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने के लिए आपके मंत्रालय में सभी संबंधितों को अनुदेश जारी किए जाएं। मंत्रालय में नामित नोडल अधिकारी को भी मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों में अल्पसंख्यक की भर्ती की सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में अभियानों को आयोजित करने में विगत में हुई चूकों की ओर ध्यान देने तथा तत्काल उपचारी उपाय करने के लिए भी सलाह दी जाए। इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय को प्रति सहित इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

धन्यवाद,

भवदीया,

(ममता कुन्द्रा)

[हिन्दी]

खादी उद्योग

2158. श्रीमती अश्वमेध देवी:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चे मालों को कम दर पर देने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए कोई नीति बनायी है/कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" के तहत खादी बुनकरों को लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) खादी संस्थानों की कच्चे सामान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश में छह सेंट्रल स्लिवर प्लांट (सीएसपी) तथा दौसा, सुरेन्द्रनगर, बिजनौर, कुरूक्षेत्र, मेटापल्ली, कान्हेवली, मुर्शीदाबाद और तिरुवनंतपुरम में आठ गोदाम स्थापित किए हैं। केवीआईसी की नीति के अनुसार संस्थान मार्जिन मनी के रूप में वार्षिक ऋण अपेक्षाओं की केवल 20 प्रतिशत राशि के भुगतान पर इन सीएसपी क्रेडिट पर कच्चा सामान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी संस्थानों को कम दरों पर बेहतर गुणवत्ता का कच्चा सामान उपलब्ध कराने के लिए अपने दो सीएसपी में केवीआईसी के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी भी शुरू की है। सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों के संवर्द्धन/प्रदर्शन के लिए उठाए गए कदमों में (i) अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के सीधे निर्यात पर केवीआई संस्थानों को जहाज तक निष्प्रभार मूल्य (एफओबी) में 5 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन प्रदान करना, (ii) निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए केवीआईसी को निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसी) के समकक्ष दर्जा प्रदान करना और (iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवसर प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा अन्य कार्यक्रमों में केवीआईसी को केवीआई इकाइयों सहित सहभागिता प्रदान करना शामिल है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत खादी को शामिल करना व्यवहार्य नहीं पाया गया था क्योंकि इस अधिनियम का फोकस अकुशल श्रम कार्य पर है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों को दुकानों और स्टालों का आवंटन

2159. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री पूर्णमासी राम:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों को रियायती दर पर आवंटित की गई दुकानों और स्टालों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संपदा निदेशालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अंतर्गत शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बहुत सी आरक्षित दुकानें खाली पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को इन दुकानों/स्टालों को आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित और खाली पड़ी दुकानों, इसके कारण और किये गये उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर आवंटित की गई दुकानों और स्टालों का स्थान-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	आबंटन वर्ष	संख्या	दुकानों/स्टालों का ब्यौरा
1	2	3	4
क.	2010-11	24	1. दुकान सं. 10 पंचशील में एलएससी
			2. दुकान सं. 3 पॉकिट-।, सेक्टर-17, द्वारका फेज-।। में सीएससी
			3. दुकान सं. 6 पॉकिट-। सेक्टर-17, द्वारका फेज-।। में सीएससी
			4. दुकान सं. 25 परिवहन केन्द्र, रोहतक रोड में सीएससी
			5. दुकान सं. 18 पॉकिट-7, सेक्टर-बी4, नरेला में सीएससी
			6. दुकान सं. 4, ग्रुप-1, जोन-ए, टीकरी कलां
			7. दुकान सं. 17 इंडियन एक्सपो सीबीएचएस के नजदीक चिल्ला/दल्लुपुरा में सीएससी
			8. प्लेटफार्म सं. 7 गुजरांवाला टाउन, फेज-4, मयूर विहार में देरवाल नगर में एलएससी
			9. प्लेटफार्म सं. 14 जीएचएस, मयूर विहार, फेज-। में एलएससी
			10. दुकान सं. 9 सीएससी, पॉकिट-ए, लोकनायकपुरम
			11. दुकान सं. 9 सीएसी, पॉक्टि-बी2, लोकनायकपुरम
			12. दुकान सं. 16 ब्लाक-बी, दिलशाद गार्डन, स्कीम 575 में एलएससी
			13. दुकान सं. 22 ब्लाक-बी, दिलशाद गार्डन, स्कीम 575 में एलएससी
			14. दुकान सं. 6 सेक्टर-10 एचएएफ, पॉकिट-बी, द्वारका में सीएससी
			15. दुकान सं. 32 सीएससी-2, रोहिणी, सेक्टर-11
			16. कियोस्क सं. 18 सीसी अलॉग रोड नं.-44, पीतमपुरा
			17. कियोस्क सं. 27 सीसी अलॉग रोड नं. 44, पीतमपुरा
			18. वेज स्टॉल सं. 3 पंचशील में एलएससी
			19. दुकान सं. 2 प्रियदर्शनी विहार में सीएससी
			20. दुकान सं. 1 ग्रुप-।।, जोन-।, टिकरी कलां में दुकानें

1	2	3	4
			21. दुकान सं. 1 सीएससी सं.-6 सेक्टर-3, रोहिणी
			22. दुकान सं. 7 प्लाट सं. 18/12 पर सेक्टर-5, द्वारका फेज-। में एलएससी
			23. दुकान सं. 3 सीएससी पॉकिट-बी-1, लोकनायकपुरम
			24. दुकान सं. 7 सीएससी सेक्टर-10, एचएएफ पॉकिट-बी, द्वारका
ख.	2011-12	शून्य	
ग.	2012-13	शून्य	
घ.	2013-14 (30-11-2013 तक)	शून्य	

विवरण II

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित और खाली पड़ी दुकानों, इसके कारण और किये गये उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	दुकानों/स्टॉलों का ब्यौरा	कारण	किये गये/किये जा रहे उपाय
1	2	3	4
1.	दुकान सं. 7 सीएससी सेक्टर-10 एचएएफ पॉकिट-बी, द्वारका	इन दुकानों को चालू वित्तीय वर्ष में आबंटित किया जाना है।	(1) मूल्य निर्धारण समिति की बैठक की गई है। (2) आबंटित की जाने वाली दुकानों की पहचान की गई है। (3) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है
2.	दुकान सं. 112 एलएससी सं. 2 चिल्ला/दल्लूपुरा		
3.	दुकान सं. 118 एलएससी सं. 2 चिल्ला दल्लूपुरा		
4.	दुकान सं.-125 एलएससी सं.-2 चिल्ला दल्लूपुरा		
5.	प्लेटफार्म सं.-14 मयूर विहार, फेज-1 में जीएचएस में एलएससी		

1	2	3	4
6.	दुकान सं. 2 प्रियदर्शनी विहार में सीएससी		
7.	दुकान सं. 3 जहांगीरपुरी में 656 एमआईजी हाउस में सीएससी		
8.	दुकान सं.-18 पॉकिट-7, सेक्टर-बी4, नरेला		
9.	दुकान सं. 4 ग्रुप-1, जोन-ए, टिकरी कलां में दुकानें		
10.	दुकान सं. 1 ग्रुप-2, जोन-ए, टिकरी कलां में दुकानें		
11.	प्लेटफार्म सं. 3 डिफेंस कालोनी फ्लाई ओवर मार्किट के अंतर्गत एलएससी		
12.	दुकान सं. 10 पंचशील में एलएससी		
13.	दुकान सं. 2 सेक्टर-डी पॉकिट-6 वंसत कुज में सीएससी		
14.	दुकान सं. 19 हरीनगर में सब डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में सीएससी		
15.	दुकान सं. 25 परिवहन केन्द्र, रोहतक रोड में सीएससी		
16.	दुकान सं. 32 परिवहन केन्द्र, रोहतक रोड में सीएससी		

[हिन्दी]

भारतीयों के साथ विदेशों में दुर्व्यवहार

2160. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ हुई भेदभाव/हमलों की घटनाओं का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में रहने वाले भारत के नागरिकों की सुरक्षा और पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

आपात स्थिति के दौरान संचार नेटवर्क

2161. श्री हरिन पाठक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों के दौरान टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क सामान्य तौर पर ठप्प हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी स्थितियों में कौन-सी अन्य संचार प्रणाली शुरू की गई/शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) कभी-कभी, मानव जन्य अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी नेटवर्क के महत्वपूर्ण घटक क्षतिग्रस्त/प्रभावित हो जाते हैं तो उस दूरसंचार नेटवर्क का कोई भाग गैर-प्रचलनशील हो जाता है। इन परिस्थितियों में, सामान्य दूरसंचार सेवाओं के पुन: प्रारंभ होने तक सेटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है।

उच्च न्यायालयों की स्थापना

2162. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्रीमती तबस्सुम हसन:
श्रीमती दर्शना जरदोश:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में नयी उच्च न्यायालय पीठों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार को राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों, यदि कोई हों, सहित उक्त प्रस्तावों की स्थान-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों की राय लेने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त पीठों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 379/2000 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय पर विचार करते हुए उच्च न्यायालयों की न्यायपीठ (न्यायपीठों) को राज्य सरकार से, जिसको अवसंरचना को प्रदान तथा व्यय की पूर्ति की जानी है, पूर्ण प्रस्ताव पर, जिस पर संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की, जिससे उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल की अपेक्षा की जाती है, सहमति भी होनी चाहिए, सम्यक् विचार करने के पश्चात् स्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों की प्रास्थिति निम्न प्रकार है:

1. कर्नाटक: कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो स्थायी न्यायपीठें अगस्त, 2013 में धारवाड़ और गुलबर्गा में स्थापित की गई थीं।

2. पश्चिमी बंगाल: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि जलपाईगुड़ी में सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए अवसंरचना सुविधाएं, वर्तमान में पर्याप्त नहीं हैं। किसी सर्किट न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए कुछ और समय लगेगा। तद्नुसार, माननीय राष्ट्रपति को अवगत कराया गया है और उनका अनुमोदन, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सभी अवसंरचना की सूचना के पश्चात् आवश्यक अधिसूचना/आदेश जारी करने के लिए अभिप्राप्त किया गया है।

3. केरल: केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की, तिरुवंतपुरम में स्थापना के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उपयुक्त या साध्य नहीं पाया गया था।

4. हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश की न्यायपीठ की, धर्मशाला में, स्थापना के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

5. ओडिशा: ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में उड़ीसा उच्च न्यायालय की दो न्यायपीठों की स्थापना के प्रस्ताव को मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया था। मुख्य न्यायमूर्ति, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि मामले की सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सम्यक् अनुक्रम में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।

लोक अदालतें

2163. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित की गई लोक अदालतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) लोक अदालतों ने किस सीमा तक निचली अदालतों का भार कम किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक लोक अदालतों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को क्या सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) प्रत्येक पिछले तीन कलैण्डर वर्ष अर्थात् वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। लोक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या से संबंधित जानकारी अनुरक्षित नहीं की जाती है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुक विधिक सेवा समिति के माध्यम से लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। लोक अदालतें, कम अवधि के भीतर विवादों का निपटान करने का अवसर प्रदान करती है जिससे विभिन्न न्यायालयों पर बोझ कम होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिक प्रभावी रूप से लोक अदालतों को आयोजित करने और लोक अदालतों के नेटवर्क को व्यापक करने के लिए नाल्सा द्वारा

मार्गदर्शक सिद्धांत/निदेश जारी किए है। नाल्सा, विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को, भारत सरकार द्वारा उसको प्रदान किए गए सहायता अनुदान में से निधियां जारी करता है। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित, 2010-2015 की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम, लगभग 10 मेगा लोक अदालतें प्रति उच्च न्यायालय प्रति वर्ष और प्रत्येक 1500 न्यायालय अवस्थानों के लिए लगभग 5 लोक अदालतें प्रतिवर्ष आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जारी करने के लिए आबंटित की गई है। तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 तक लोक अदालतों द्वारा प्रतिवर्ष 15 लाख मामलों के निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

पिछले प्रत्येक तीन कलैन्डर वर्ष अर्थात् 2010, 2011 और 2012 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित किए गए लोक अदालतों की और निपटाए गए मामलों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010 आयोजित लोक अदालतों की संख्या	2010 निपटाए गए मामलों की संख्या	2011 आयोजित लोक अदालतों की संख्या	2011 निपटाए गए मामलों की संख्या	2012 आयोजित लोक अदालतों की संख्या	2012 निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14,272	90,770	15,921	81,704	15,298	1,97,615
2.	अरुणाचल प्रदेश	70	530	20	100	10	100
3.	असम	293	42,839	47	4,091	52	4.670
4.	बिहार	4,195	1,93,332	4,595	1,04,027	4,768	1,08,824
5.	छत्तीसगढ़	1,037	9,877	1,053	6.597	1,045	6,787
6.	गोवा	76	458	99	711	114	801
7.	गुजरात	9,940	4,35,489	10,266	3,65,078	10,411	1,74,197
8.	हरियाणा	1,701	50,941	2,979	66,668	8,068	90,251
9.	हिमाचल प्रदेश	359	2,848	449	10,992	356	5,088
10.	जम्मू और कश्मीर	333	16,582	516	13,474	569	10,883
11.	झारखंड	273	7,684	344	38,897	372	39,157
12.	कर्नाटक	14,414	25,179	29,470	25,301	14,581	27,023
13.	केरल	3,005	25,179	3,272	25,301	3,533	27,023

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश (वित्तीय वर्षवार)	1,602	834,444	1,314	14,16,931	1,130	27,90,169
15.	महाराष्ट्र (वित्तीय वर्षवार)	3,377	1,19,319	3,228	2,16.348	3,227	5,60,365
16.	मणिपुर	13	723	6	93	4	77
17.	मेघालय	18	493	19	474	11	245
18.	मिजोरम	46	54	32	49	16	64
19.	नागालैंड	37	195	44	248	58	276
20.	ओडिशा	1,110	2,10,933	698	2,40,367	702	1,85,389
21.	पंजाब	480	40,663	721	68,283	645	2,10,284
22.	राजस्थान	13,441	1,29,917	23.078	6,73,010	26,460	4,34,276
23.	सिक्किम	163	409	139	713	172	950
24.	तमिलनाडु	5,469	39,039	5.188	79,714	4,966	78,291
25.	त्रिपुरा	251	15,144	344	13,659	175	19,884
26.	उत्तर प्रदेश	4,335	6,62,029	4,220	6,56,476	4,269	7,42,210
27.	उत्तराखंड	126	91,228	142	47,327	155	34,484
26.	पश्चिम बंगाल	2,175	34,329	1.323	28,473	1,462	3,71,153
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	161	2	2,129	4	4,713
30.	संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	1,706	48,972	961	32,459	830	47,828
31.	दादरा और नगर हवेली	2	225	7	157	9	231
33.	दमन और दीव	3	81	7	173	6	64
33.	दिल्ली	1,123	1,45,362	1,165	1,53,656	1,260	1,63,572
34.	लक्षद्वीप	54	14	84	27	64	10
35.	पुदुचेरी	106	5,700	107	10,092	102	1,266

परमाणु संयंत्रों में सुरक्षोपाय

2164. श्री एम.आई. शानवास: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संयंत्र-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) देश के सभी परमाणु संयंत्रों के सुरक्षा पैरामीटरों की निगरानी हेतु स्थापित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्र तट के निकट स्थित परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए किए गए तटीय सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में परमाणु संयंत्रों की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन सुरक्षोपायों की विभिन्न तकनीकी पैरामीटरों के अधीन नियमित आधार पर समीक्षा और पुनःजांच की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सभी नाभिकीय बिजलीघरों में, अतिरिक्तता (आवश्यकता से अधिक संख्या में) और विविधता (विभिन्न सिद्धांतों पर प्रचालित) के सिद्धांतों के आधार पर सुरक्षा संबंधी आधुनिकतम उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं- रिएक्टर को सुरक्षित रूप से शट डाउन करने के लिए दोषरहित शट डाउन प्रणाली, क्रोड से किसी भी समय उष्मा का अपनयन करने के लिए सक्रिय और निश्चेष्ट (प्राकृतिक परिघटना पर काम करने वाली प्रणालियां और जिनके लिए किसी गतिदायी शक्ति अथवा प्रचालक द्वारा कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता न पड़े) शीतलक प्रणालियों का संयोजन और सभी परिस्थितियों में विकिरणसक्रियता को उन्मुक्त होने से रोकने के लिए एक सुदृढ़ संशोधन। इसके अतिरिक्त, सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का डिजायन इस तरह से तैयार किया जाता है कि वे अत्यधिक प्राकृतिक घटनाओं जैसेकि भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि का सामना कर सकें।

(ख) सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा का मानीटरन करने के लिए, एक बहु-चरणीय सुरक्षा संबंधी व्यवस्था स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के भीतर सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा समितियां, और नियामक प्राधिकरण (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड-एईआरबी) की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा समितियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आवधिक सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा, लेखा परीक्षा और निरीक्षण संबंधी एक व्यवस्था मौजूद है।

(ग) तटवर्ती क्षेत्रों पर स्थापित किए जाने वाले नाभिकीय विद्युत केन्द्रों का डिजायन, प्रत्येक स्थल पर भूकंप, सुनामी, तूफानी प्रोत्कर्ष, बाढ़ आदि से संबंधित तकनीकी प्राचलों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तारापुर, कलपाक्कम और कुडनकुलम स्थलों पर समुद्र तट की संरक्षा के लिए उपयुक्त बांध बनाए गए हैं।

(घ) और (ङ) समुद्र तट के सरंक्षण संबंधी उपाय प्राकृतिक घटनाओं के संभावित प्रभाव का सामना करने की दृष्टि से तैयार तथा निर्मित किए गए हैं। संरक्षण संबंधी इन उपायों पर आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है। फुकुशिमा घटना के बाद, सभी नामिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कृतिक बलों और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई। सुरक्षा संबंधी इन पुनरीक्षाओं से यह पता चला है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्र सुरक्षित हैं और उनके डिजायन में भूकंप और सुनामी जैसी अत्यधिक घटनाओं का सामना करने की गुंजाइश और विशिष्टताएं मौजूद हैं।

भारत-म्यांमार सीमा विवाद

2165. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और म्यांमार के बीच सीमा विवाद का ब्यौरा क्या है;

(ख) विवाद के समाधान की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस मुद्दे को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच आयोजित वार्तालापों/विचार-विमर्श/बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीमा समस्याओं को सुलझाने और सीमा का संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ङ) भारत तथा म्यांमार के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। तथापि, मणिपुर क्षेत्र में भारत म्यांमार सीमा के साथ

नौ अनसुलझे सीमा स्तंभ हैं। दोनों पक्षकार विदेश कार्यालयीन विचार-विमर्श, राष्ट्रीय स्तरीय बैठकों तथा क्षेत्रीय स्तरीय बैठकों जैसे संस्थाकृत तंत्रों के माध्यम से सीमा निर्धारत तथा सीमा प्रबंधन से संबंधित मामलों पर नियमित रूप से वार्ता करते हैं। संरक्षण विभाग के अध्यक्षों तथा निदेशक, सर्वेक्षण के स्तर पर भी बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा निर्धारण, संयुक्त सर्वेक्षण, सीमा स्तंभों के निरीक्षण एवं अनुरक्षण से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है। दोनों पक्षों के सर्वेक्षण विभाग नियमित रूप से सीमा स्तंभों का संयुक्त सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा अनुरक्षण करते हैं। भारत ने म्यांमार के साथ संयुक्त सीमा कार्यसमूहों के गठन की पेशकश भी की है ताकि व्यापक तरीके से सीमा से संबंधित सभी मुद्दों की जांच की जा सके।

मीडिया में हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य के विरोधों की रिपोर्टे आई हैं जो इस बात पर आधारित थीं कि ये बाड़ भारतीय भूभाग के काफी भीतर लगाई जा रही हैं। मणिपुर सरकार तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में मोरे, मणिपुर के निकट बीपी का स्थल निरीक्षण किया था।

[हिन्दी]

अदोहित क्षमता का विकास

2166. श्री कीर्ति आजाद:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रें में विद्यालयों और कॉलेज स्तर पर गरीब छात्रों की दोहित क्षमता के विकास हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट निधि की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जवाहर नवोदय विद्यालय योजना (जेएनवी) में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा का अवसर देने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कक्षा-6 से उच्च माध्यमिक स्तर तक आवासीय सह-शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, जो राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ भागीदारी में कार्यान्वित की जाती हैं, भी ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना करती हैं जिनसे उन क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक शिक्षा में सहभागिता करने में समर्थ बनाया जा सके। मॉडल स्कूल योजना में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक की दर से 6000 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना के कार्यान्वयन की दो प्रणालियां है, नामत:-(1) 3500 मॉडल स्कूल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाने हैं; और (2) शेष 2500 मॉडल स्कूल सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत उन ब्लॉकों में जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में स्थापित किए जाने हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) हाल ही में चलाया गया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौते

2167. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छह माह के दौरान पड़ोसी देशों के साथ किए गए द्विपक्षीय सहयोग समझौतों का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किए जा चुके समझौतों और किए जाने वाले समझौतों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ हुए हैं या होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है।

विवरण

पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय करार

क्र.सं.	पिछले छह महीनों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सहयोग करारों का देशवार विवरण	किए गए करारों तथा देशवार संबद्ध किए जाने की समय सीमा का विवरण	इसके परिणामस्वरूप प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले लाभ
1	2	3	4
1.	**बांग्लादेश:** भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 28 जनवरी, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 23 अक्तूबर, 2013 को लागू हुई थी।	शून्य	इस संधि में भगोडें अपराधियों का प्रत्यर्पण प्राप्त करने के लिए एक ठोस विधिक संरचना की व्यवस्था है, जिसमें वित्तीय अपराधों के लिए वांछित व्यक्ति भी शामिल हैं। इससे भारत तथा बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
2.	**भूटान:** वर्ष 2013-18 की अवधि के लिए भूटान की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार की सहायता पैकेज में 4500 करोड़ रुपए की योजनागत सहायता तथा 31 अगस्त, 2013 को भूटान के माननीय प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान घोषित उनके आर्थिक उत्प्रेरक योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।	भावी करारों की समय-सीमा का निर्णय द्विपक्षीय रूप से लिया जाना है तथा अभी ज्ञात नहीं है।	इससे भूटान के साथ हमारे अनन्य, विशेष तथा रणनीतिक संबंध और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
3.	**श्रीलंका:** (i) लघु एवं मध्यम उद्यमों, हथकरघा, विद्युत चालित करधा वस्त्र के लिए संमझौता ज्ञापन पर सितंबर, 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। (ii) त्रिभाषाई श्रीलंका के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के समर्थन में तकनीकी सहायता के	शून्य	इससे भारत तथा श्रीलंका के बीच सहयोग का स्तर तथा आदान-प्रदान संवर्धित करने में सहायता मिलेगी।

1	2	3	4
	लिए समझौता ज्ञापन पर अक्टूबर, 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे।		
4.	**म्यांमार:** भारत सरकार तथा म्यांमार संघीय गणराज्य की सरकार के बीच सूचना प्रौद्योगिकी कौशल संवर्धित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 31 अक्टूवर, 2013 को नेईपेईताव में हस्ताक्षर किए गए थे।	शून्य	इस करार से म्यांमार के साथ पहले से ही मौजूद मैत्रीपूर्ण संबंधों को विस्तृत तथा प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।
5.	**चीन:** 22-24 अक्तूबर, 2013 के दौरान, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की चीन यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों तथा करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे: 1. सीमा सुरक्षा सहयोग करार 2. नालंदा विश्वविद्यालय पर समझौता ज्ञापन 3. अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर सहयोग सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन 4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2013-15 5. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 6. भारत में विद्युत उपस्कर सेवा केन्द्रों पर समझौता ज्ञापन 7. दिल्ली-बीजिंग के बीच समरूप नगर संबंध स्थापित करने से संबंधित करार 8. बेंगलुरु चेंगड के बीच समरूप नगर संबंध स्थापित करने से संबंधित करार 9. कोलकाता-कुनमिंग के बीच समरूप नगर संबंध स्थापित करने से संबंधित करार	शून्य	इससे दोनों देशों के बीच संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को संवर्धित एवं विकसित करने में सहायता मिलेगी।

विसंक्रमित जोन

2168. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक परमाणु संयंत्र के आस-पास विसंक्रमित जोनों की सीमाएं क्या हैं;

(ख) क्या विसंक्रमित जोनों की सीमाओं में वृद्धि, मुआवजे में वृद्धि और ग्रामीणों के पुनर्स्थापन के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करने और प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्स्थापन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) संयंत्र की चारदीवारी और रिएक्टरों से पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की "नाभिकीय विद्युत संयंत्र के स्थल निर्धारण के संबंध में सुरक्षा" संबंधी संहिता प्रक्रिया में वर्तमान में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार निर्जर्मीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्जर्मीकृत क्षेत्र में, लोग अपनी आजीविका को जारी रख सकते हैं, और नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के बाद और उसके प्रचालन के दौरान भी वे अपने सामान्य कार्यकलाप कर सकते हैं। निर्जर्मीकृत क्षेत्र में जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होने पर कोई रोक नहीं है।

(ख) और (ग) निर्जर्मीकृत क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, निर्जर्मीकृत क्षेत्र में पड़ी भूमि का अधिग्रहण करने और वहां रहने वाले लोगों का पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि मौजूदा निर्जर्मीकृत क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने, अथवा निर्जर्मीकृत क्षेत्र की सीमा का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अत: निर्जर्मीकृत क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पेंशनभोगियों की शिकायतें

2169. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई सरकारी प्रणाली उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेंशनभोगियों के कुछ संगठनों, यदि कोई हों, को पेंशनभोगियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई विधिक प्राधिकार प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) पेंशनभोगियों की शिकायतों का पंजीकरण एवं उनकी निगरानी केन्द्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपेनग्राम्स) के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है, जोकि राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एनईजीपी) के तहत आरंभ की गई एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्रदान करने और पेंशन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने देशभर में 30 पेंशनभोगी संघों की पहचान की है। मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करके लंबित शिकायतों की निगरानी की जाती है और चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसी 7 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप वर्तमान कैलेंडर वर्ष के दौरान (दिनांक 12/12/2013 तक) कुल 29,000 शिकायतों में से 22,000 का निवारण किया जा चुका है।

ये पेंशनभोगी संघ, एक तरफ पेंशनभोगियों के बीच सुविधा प्रदान करने वाले की और दूसरी ओर पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों की भूमिका निभा रहे हैं। पेंशनभोगियों

से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष में दो बार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वयंसेवी संघों की स्थायी समिति (स्कोवा), जिसके कुछ संघ सदस्य हैं, की बैठकों का आयोजन भी किया जाता है।

[हिन्दी]

चल रही केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

2170. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का निष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन करने हेतु मोटे तौर पर निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या इन आबंटनों की गणना करते समय राज्यों की आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके कार्य-निष्पादन को भी पर्याप्त महत्व दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ड.) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि के आबंटन के मानदंडों का निर्धारण संबंधित मंत्रालय द्वारा संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकार इन दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन करती है। राज्यों को निधियों की निर्मुक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकारों के प्रस्तावों, पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग के कार्य-निष्पादन और दिशा-निर्देशों के पालन आदि के आधार पर की जाती है। राज्य सरकारों से भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संबंधित राज्य का हिस्सा उपलब्ध कराना अपेक्षित है। वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य वार जारी केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार जारी केन्द्रीय निधि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
	विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)				
1.	अरुणाचल प्रदेश	814.66	1329.19	1219.86	1675.09
2.	असम	5158.87	7112.67	7733.23	6336.09
3.	हिमाचल प्रदेश	1242.47	1913.94	1858.26	1276.42
4.	जम्मू और कश्मीर	1690.86	2400.78	3392.57	3069.31
5.	मणिपुर	1007.63	1191.29	1375.65	1485.33

1	2	3	4	5	6
6.	मेघालय	739.16	1070.45	981.78	1066.86
7.	मिजोरम	759.71	925.14	1020.87	1000.10
8.	नागालैंड	1107.66	1174.51	1437.46	1444.76
9.	सिक्किम	306.17	413.75	471.78	527.09
10.	त्रिपुरा	1537.51	1509.88	2088.58	1872.90
11.	उत्तराखंड	1138.39	1781.98	1933.72	1598.76
	उप जोड़ एससीएस	15503.09	20823.58	23513.76	21352.71
	गैर विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)				
12.	आंध्र प्रदेश	9601.34	15424.26	11867.19	10979.72
13.	बिहार	7627.46	13698.96	12970.26	12209.09
14.	छत्तीसगढ़	3389.01	5147.90	6019.59	5560.01
15.	गोवा	74.25	106.15	90.48	105.57
16.	गुजरात	4014.09	5311.22	5614.47	5879.25
17.	हरियाणा	1965.86	2094.05	2556.73	2350.40
18.	झारखंड	3251.55	5123.87	5069.17	3432.18
19.	कर्नाटक	7199.85	7556.67	6033.94	7175.61
20.	केरल	2095.67	2769.88	3570.49	3485.37
21.	मध्य प्रदेश	9435.12	11213.40	11681.51	9512.81
22.	महाराष्ट्र	6327.85	9161.49	11287.24	11111.52
23.	ओडिशा	4562.14	7962.32	7661.00	5506.51
24.	पंजाब	1589.42	2082.07	2214.31	2439.05
25.	राजस्थान	11539.07	10189.08	9351.19	9584.52
26.	तमिलनाडु	5277.90	6898.41	7702.13	9154.39
27.	उत्तर प्रदेश	18275.14	20449.21	18222.34	16475.77
28.	पश्चिम बंगाल	7021.69	9320.23	10519.88	11203.60
	उप जोड़ (एनएससीएस)	103247.41	134509.17	132431.92	126165.37
	कुल राज्य (एससीएस+एनएससीएस)	118750.50	155332.75	155945.68	147518.08

स्रोत: सीपीएसएमएस

न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे

2171. **प्रो. रामशंकरः**
श्री राजेन्द्र अग्रवालः
श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों के चैम्बरों के इर्दगिर्द सहित न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों के सचिवों के चैम्बरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सरकार को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से न्यायालयों से सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों के चैम्बर के चारों ओर लगाया जाना भी है, कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) न्यायाधीशों के चैम्बर के चारों तरफ, जिसके अंतर्गत न्यायालय हैं, न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने के लिए, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों के चैम्बर के चारों ओर लगाया जाना भी है, विधि को अधिनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

2172. **श्रीमती दर्शना जरदोशः**
श्री रामसिंह राठवाः
श्री एन.एस.वी. चित्तनः
श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों के विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहियों में उनकी अपनी क्षेत्रेय भाषाओं के प्रयोग को प्राधिकृत किए जाने हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च-न्यायपालिका में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में संविधान में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उच्च न्यायालयों में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और जहां अभी भी उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है; और

(च) अंग्रेजी को उच्चतम न्यायालय की शासकीय भाषा रखनें के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) सरकार को छत्तीसगढ़, मद्रास और गुजरात उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में क्रमशः हिन्दी, तमिल और गुजराती के प्रयोग के संबंध में राज्य छत्तीसगढ़ तमिलनाडु और गुजरात सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 11 अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में उच्च न्यायालयों में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग के प्रस्तावों पर विचार किया है और 1997 तथा 1999 में अंगीकृत, प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करने के पूर्ण पीठ न्यायालय के पूर्व के समान संकल्पों को दोहराया है। सरकार ने, इसका पालन करने का विनिश्चय किया है।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उन उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में, जिनका मुख्य स्थान उस राज्य

में है, हिन्दी या किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। उपबंध के अनुसार चार राज्यों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने राज्यों में उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। अन्य राज्यों में, उनके संबंधित उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है।

(च) उच्चतम न्यायालय ने 1990 और 1996 में पूर्ण पीठ में यह संकल्प किया था कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी को पुर:स्थापित करना व्यावहारिक नहीं था।

अवसंरचनात्मक उन्नयन

2173. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010-11 और 2012-13 के बीच विद्यालयों के अवसंरचनात्मक उन्नयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान बजट में 52 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद शिक्षा का अधिकार मानकों का पालन करने वाले विद्यालयों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान किए गए विद्यालयों के अवसंरचनात्मक उन्नयन का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2013-14 के बजट में इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(घ) विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुधारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के वार्षिक डाटाबेस के अंतर्गत संग्रहित प्रारंभिक स्कूल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में पिछले दो वर्षों की तुलना में सरकारी प्रारंभिक स्कूलों की संख्या में 22116 की वृद्धि हुई है।

स्कूल अवसंरचना और इमारतों के सृजन में समय लगता है और प्रगति बाद में आने वाले वर्षों में परिलक्षित होती है। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 33768 प्राथमिक स्कूल भवन, 10,827 उच्च प्राथमिक स्कूल भवन, 691230 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों (उच्च प्राथमिक स्कूलों के स्थान पर और छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार), 546513 शौचालयों और 34671 पेय जल सुविधाओं को संस्वीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2013-14 के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु 27258.00 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान दर्शाया गया है जो वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमान से 14.17% अधिक है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानकों के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आबंटित निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने और अवशिष्ट अंतराल को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पूर्णता की गहन मॉनीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

2174. श्री राकेश सिंह:
श्री पी. कुमार:
श्री भीष्म शंकर *ऊर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के सर्वश्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों में नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग हेतु दिशानिर्देश और पैरामीटर विकसित करने के लिए कोई परियोजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) भारतीय विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशेष ध्यान देने और उन्हें विश्व-स्तरीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) ही, हां।

(ख) ऐसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग पद्धतियां है जो उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को दर्जा देने के लिए विभिन्न मूल्यों, पैरामीटरों का प्रयोग करती हैं। ये मानदंड न तो सर्वत्र स्वीकृत हैं और न ही मान्यताप्राप्त हैं और इसलिए कभी-कभी शैक्षिक समाज में इनकी आलोचना होती है। इसलिए ये रैंकिंग, भारतीय संस्थाओं की बैंचमार्किंग के लिए आवश्यक वैधिक आधार नहीं बन सकती हैं। विशेषतया, अधिकांश रैंकिंग, शोध उत्पादन को अधिक वेटेज देते हैं जबकि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय शोध संस्थानों के स्थान पर शिक्षण की ओर प्रवृत्त रहे हैं।

जबकि शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में नाम आना एक वांछनीय उद्देश्य हो सकता है, ये सरकार की नीति निर्माण एवं सुधार कार्यक्रम को मार्गनिर्देश नहीं दे सकता, जो गुणवत्ता के साथ-साथ समानता एवं समावेशन दोनों पर बल देता है।

(ग) और (घ) जी, हां। एनएएसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की रैंकिंग के लिए दिशानिर्देशों और पैरामीटरों को विकसित करने हेतु एक परियोजना पर विचार किया है। इस परियोजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से कुछेक योजनाएं कार्यान्वयन कर रहा है और शैक्षिक सुधारों के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे एक सेमेस्टर पद्धति को शुरू करना और पाठ्यचर्या एवं चयन आधारित क्रेडिट पद्धति (सीबीसीएस) इत्यादि को नियमित अद्यतन करना आदि। यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानदंडों को सुधारने के लिए "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखना, 2010" पर विनियम भी जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन विनियम, 2012 भी जारी किया है जहां सभी पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को स्वयं को प्रत्यायित कराना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाएं जैसे उत्कृष्टता वाले संभावित विश्वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता वाले संभावित कॉलेज (सीपीई), विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु सहायता (एएसआईएसटी), "मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु सहायता" (एएसआईएचएसएस), बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) इत्यादि, कार्यान्वित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अपने कार्यक्रम "विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विज्ञान एवं विज्ञान उत्कृष्टता का सवंर्धन" (पीयूआरएसई), अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए विज्ञान खोज में नवाचार (आईएनएसपीआईई), उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में एस एवं टी अवसंरचना के सुधार (एफआईएसटी) के लिए निधि इत्यादि के माध्यम से अनुसंधान, स्टाफ लागत, उपस्कर एवं परिकलना सुविधाओं का संवर्धन, अनुसंधान उपभोज्य तथा सुविधाओं इत्यादि के रखरखाव के लिए सहायता प्रदान करता है।

रेल परियोजनाओं को स्वीकृति

2175. श्री हर्ष वर्धनः
श्री महेश्वर हजारीः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या योजना आयोग ने केवल उन राज्यों के नयी रेल लाइन प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में स्वीकृति दिए जाने का निर्णय किया है जो निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएंगे और वर्ष 2013-14 के बाद से निर्माण की लागत के 50 प्रतिशत हिस्से को वहन करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारण अनेक राज्यों के प्रस्ताव लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों से विचार-विमर्श किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) अगस्त 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आई.पी.ए) प्रदान करने के लिए योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह शर्त लगाई गई कि राज्य सरकारों की भागीदारी से रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के लिए लागू किए जाने वाली उपयुक्त स्कीम तैयार की जा सकती है जिसमें राज्य द्वारा भूमि और वित्तपोषण उपलब्ध कराए जाने की प्रतिबद्धता का उल्लेख होगा। इन दिशानिर्देशों में राज्य द्वारा भूमि और वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचनानुसार, ऐसी 37 रेलवे परियोजनाएं हैं जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों की भागीदारी में पहले ही मंजूर किया जा चुका है और वर्तमान में ये परामर्शों के बाद तय किए गए अनुसार वित्तपोषण और भूमि के प्रावधान हेतु विभिन्न वचनबद्धताओं के साथ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। जहां तक राज्य सरकारों की भागीदारी में नई और भावी परियोजनाओं का संबंध है मौजूदा दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्टेक होल्डरों की प्रतिबद्धता अपेक्षित परामर्शों के बाद निर्धारित समझौता (एम.ओ.यू.) के रूप में होगी।

त्रि-स्तरीय आरक्षण नीति

2176. **श्री मधुसूदन यादवः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा करायी जा रही अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में त्रि-स्तरीय आरक्षण नीति को अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग उक्त आरक्षण नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति में इन परिवर्तनों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) पिछली पांच परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर सभी तीनों स्तरों पर आरक्षण प्राप्त करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत चुने गए आरक्षित वर्ग के छात्रों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) इस प्रश्न में उल्लिखित "श्री टियर आरक्षण" नामावली की सरकार को जानकारी नहीं है और न ही इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं।

अखिल भारतीय सेवा के सीधी भर्ती कोटा की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग, संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा किसी वर्ष विशेष में संबंधित सेवाओं के आरक्षण श्रेणी वार भेजी गई मांग के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश करता है।

मांग को भेजते समय सीसीए यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के मौजूदा अनुदेशों के आधार पर 200 बिन्दु आधारित रोस्टर को संचालित करके विनिर्दिष्ट आरक्षण अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का पालन किया गया है। इस आरक्षण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण

2177. **श्री प्रदीप माझीः**
डॉ. एम. तम्बिदुरईः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयात की गयी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का वर्ष-वार और मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विकसित देशों के समान गुणवत्तापरक वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में शुरू किए गए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए कोई नीतिगत पहल किए जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी समीक्षा कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) ही, हाँ। 2009 में उद्योग जगत के नेतृत्व में स्थापित कार्यबल ने रिपोर्ट किया कि वर्ष 2020 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग 400 बिलियन यूएस डालर तक पहुंचने का अनुमान है जबकि इनका उत्पादन 2020 तक 104 बिलियन यूएस डालर तक ही बढ़ने की आशा है।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी आदि से संबंधित उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल हैं। अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग और उत्पादन संबंधी विवरण डीईआईटीवाई द्वारा नहीं रखे जाते हैं। हालांकि व्यापक पैमाने पर आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटमों से संबंधित डाटा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास के विवरण इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं। हालांकि अनुसंधान और विकास निधियन योजना, प्रौद्योगिकी समावेशन और उद्यमियों का विकास योजना, आईसीटीएण्डई, आरएण्डई नवोदभव फ्रेमवर्क, 2013 जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग ने इलेक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान और विकास किया है। डीईआईटीवाई द्वारा वित्तीय सहायता के जरिए विकसित की गई कुछ प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं:

(i) वायरलैस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (वाईट्रेक)

(ii) मेडिकल लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनेक)

(iii) ईथरनेट रूटर

(घ) और (ङ) देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति (एनपीई), 2012 को अधिसूचित किया है। इस नीति में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अंतरराष्ट्रीय बाजार की पूर्ति करने के लिए एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम उद्योग को सृजित करने की परिकल्पना की गई है। अक्षमताओं को दूर करने और ईएसडीएम उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम.सिप्स), ईएसडीएम सेक्टर के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना जैसे नीति के भागों; जिन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की देश के प्रति सुरक्षा बाध्यताएं हैं, उनकी खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की नीति: तथा और विशिष्ट भारतीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अनिवार्य पंजीकरण के लिए योजना को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। भारत में दो सेमीकंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन (फैब) विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए "सैद्धान्तिक" अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण सेक्टर में 100% तक पूरे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया ऑटोमैटिक रूट में है।

विवरण

आयात संबंधी आंकड़े (करोड़ रु. में)

आईटीसीएचएस	आइटम विवरण	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-सितम्बर)
1	2	3	4	5
85171290	सेलुलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलैस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन	25189.87	22461.18	16643.94
85177090	टेलीफोन/टेलीग्राफ उपकरणों के अन्य कल-पुर्जे	12256.17	15156.22	7137.89
85414011	सोलर सेल/फोटोवोल्टेइक सैल चाहे उन्हें मॉडयूल/पैनल में असेम्बल किया हो अथवा नहीं	6541.00	4494.90	2312.78
84713010	पर्सनल कम्प्यूटर (लैपटॉप, पामटॉप आदि)	6512.33	8527.09	6796.99
85423100	मोनोलिथिक एकीकृत सर्किट-डिजीटल	5736.58	6626.76	3084.22

1	2	3	4	5
85176290	वीडियोफोन	4514.66	5150.98	3288.15
84715000	डिजीटल प्रोसेसिंग यूनिट	3201.85	3870.82	2269.48
85176990	कैरियर/डिजीटल लाइन सिस्टम के लिए अन्य उपकरण	3152.49	3589.45	1523.70
84733010	माइक्रोप्रोसेसर के कलपुर्जे और एसेसरीज	3095.91	3139.45	1695.84
84717020	हार्ड डिस्क ड्राइव	2752.17	3622.75	1603.01
85171210	पुश बटन वाले टेलीफोन	2525.96	3373.97	1260.82

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उपलब्धियां

2178. श्री शिवकुमार उदासी:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और माध्यमिक शिक्षा हेतु संबंधित मांग को पूरा करने में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये माध्यमिक विद्यालयों को खोलने और विद्यमान विद्यालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच सुलभ बनाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 2009 में आरंभ किया गया। किसी बस्ती की पर्याप्त दूरी पर उच्च-प्राथमिक स्कूलों के स्तरोन्नयन द्वारा नए माध्यमिक स्कूल (कक्षा IX और X) स्थापित किए गए। अन्य उद्देश्यों में सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाते हुए माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लैंगिक, सामाजार्थिक और नि:शक्तता बाधाओं को दूर करना, 2017 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच बनाना और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण प्राप्त करना शामिल है। आरएमएसए के तहत XIवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों और अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की मॉडल स्कूल योजना में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक की दर से 6000 मॉडल स्कूल (कक्ष VI-XII तक) स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना के कार्यान्वयन की दो प्रणालियां है।, नामत: (i) 3500 मॉडल स्कूल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाने हैं; और (ii) शेष 2500 मॉडल स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत उन ब्लॉकों में जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में स्थापित किए जाने हैं। आज की तिथि तक, राज्य सरकारों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाने के लिए 2266 मॉडल स्कूल अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से 1084 कार्यात्मक हैं।

(ग) और (घ) 12वीं योजनावधि के दौरान, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आरएमएसए के तहत नए स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं और मौजूदा स्कूलों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आज की तिथि तक, आरएमएसए के तहत 10230 नए स्कूलों का अनुमोदन किया गया है और 35256 मौजूदा स्कूलों के सुदृढ़ीकरण का अनुमोदन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	11वीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा के लिए वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	11,000 (अनुमानित) नए विद्यालय	10230 नए विद्यालय संस्वीकृत किए गए थे जिनमें से 9219 विद्यालय कार्यात्मक हैं (31 अक्टूबर 2013 की स्थिति के अनुसार)
2.	विद्यमान 44,000 विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	वर्तमान 34891 विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण अनुमोदित कर दिया गया है
3.	1,79,000 अतिरिक्त शिक्षक	41507 अतिरिक्त शिक्षकों को अनुमोदित कर दिया गया है जिनमें से 21936 अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है।
4.	प्रति नए माध्यमिक स्कूल में 5+1 शिक्षक की दर से अनुमोदित नए स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती	नए माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में 64215 शिक्षकों को संस्वीकृत कर दिया गया है जिनमें से 24184 शिक्षकों को भर्ती कर लिया गया है।
5.	88,500 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	49,356 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष अनुमोदित कर दिए गए हैं जिनमें से 9516 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का कार्य पूरा हो गया है और 8220 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के संबंध में कार्य प्रगति पर है। (31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार)
6.	प्रत्येक वर्ष सभी शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षकों सहित सभी सरकारी शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण संस्वीकृत कर दिया गया है।

विदेशों में स्थित आई.सी.सी.आर. के केन्द्र

2179. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक शिष्टमंडल पर किये गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक शिष्टमंडल के वर्ष-वार कितने व्यक्तियों ने दौरा किया;

(ख) क्या आई.सी.सी.आर. ने सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रों की अपेक्षा विदेशों में अधिक केन्द्र खोले हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत किये गए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में कितने केन्द्र खोले गए और प्रत्येक केन्द्र पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.अहमद): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा पिछले तीन वर्षों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों के ब्यौरे तथा प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल पर खर्च की गई धनराशि और प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्षवार संलग्न विवरण-I से विवरण-III में दी गई है।

(ख) और (ग) विदेश स्थित सभी केन्द्र विदेश मंत्रालय के विधिवत अनुमोदन के पश्चात् तथा आईसीसीआर द्वारा विदेश स्थित संबंधित मिशनों से परामर्श करके खोले गए हैं।

विवरण I

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल अप्रैल 2010 से मार्च 2011

क्रम सं.	भ्रमण किए गए देश	समूह का नाम	दिनांक	दौरे का कारण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	रियूनियन आईलैंड	सुश्री इंदिरा देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय "मेटी परंपरागत नृत्य" मणिपुरी नृत्य समूह	4-19 अप्रैल, 2010	रियूनियन आईलैंड में तमिल नव वर्ष समारोह में भाग लेना	रुपये 10,26,803/-
2.	यूएसए	प्रो. टी.आर. सुब्रमणियम तथा डॉ. राधा वेंकटचलम (कार्नेटिक वोकल), तमिलनाडु	14 अप्रैल-29 जून, 2010	जीएन बालासुब्रमणियम वैश्विक सहस्राब्दी समारोहों के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 1,22,478/-
		दो यात्री अनुदान			
3.	सिंगापुर	सुश्री अरीत कोर, पंजाब के नेतृत्व में "अमृतसर नाटक कला केन्द्र" का 10 सदस्यीय पंजाबी थियेटर समूह	22-24 अप्रैल, 2010	बैसाखी मेले में भाग लेना	रुपये 2,38,473/-
4.	मलेशिया	श्री दविन्दर सिंह, पंजाब के नेतृत्व में "जुगनी कल्चरल एण्ड यूथ" का 10 सदस्यीय भांगड़ा तथा गिद्दा समूह	22-26 अप्रैल, 2010	बैसाखी समारोह में प्रदर्शन	रुपये 4,05,052/-
5.	कंबोडिया	सुश्री रीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 6 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	24 अप्रैल-1 मई, 2010	सीम रीप, कंबोडिया में "ट्रायल ऑफ सिविलाइजेशन" समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 3,65,425/-
6.	जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका	श्री भोये शिवाजी कपरुभाई, गुजरात के नेतृत्व में "युवक मंडल गधावी" 12 सदस्यीय गुजराती फोल्क डांस समूह	25 अप्रैल-9 मई, 2010	जिम्बाब्वे में हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला समारोह (एचआईएफए) में भाग लेना तथा साउथ अफ्रीका में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 11,55,567/-

1	2	3	4	5	6
7.	जर्मनी	बेंगलोर संगीत स्कूल, कर्नाटक से बच्चों के समूह को 14 यात्री अनुदान	1-10 मई, 2010	बाल वृन्दगान महोत्सव में भाग लेना	रुपये 4,17,200/-
		चौदह यात्रा अनुदान			
8.	सिंगापुर मलेशिया	श्री प्रबुधा राहा, वेस्ट बंगाल की अगुवाई में 4 सदस्यीय रबिन्द्र संगीत समूह	10-15 मई, 2010	"एन एज इन मोशन: द एशियन वोयज आफ रबिन्द्रनाथ टेगोर" सम्मेलन के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 1,42,184/-
9.	इटली तुर्की	श्री हरी मोहन श्रीवास्तवा, उत्तर प्रदेश की अगुवाई में 3 सदस्यीय बांसुरी समूह	12-20 मई, 2010	ईटली के तूरीन अंतर्राष्ट्रीय बुक मेले में प्रदर्शन तथा तुर्की में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 2,77,104/-
10.	ट्रिनिडाड एवं टोबेगा सूरीनाम	सुश्री गंगाबाई कमाड, राजस्थान की अगुवाई में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह	25 मई-8 जून, 2010	इंडियन अराइवल डे में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 12,70,451/-
11.	म्यांमार	"आइबोजेनिसेस म्यूजिक ग्रुप" का 5 सदस्यीय संगीत बैंड समूह का श्री मोआसुबोंग, नागालैंड द्वारा नेतृत्व	27-31 मई, 2010	नेशनल थियटर, यांगून तथा नेशनल थियेटर, मांडले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति	रुपये 3,58,655/-
12.	जापान	श्री कालाकृष्णा, आंध्र प्रदेश का 5 सदस्यीय कुचीपुडी डांस समूह	28 मई-10 जून, 2010	वेदांता सोसाइटी के स्वर्णजयन्ती समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 5,97,798/-
13.	यूके	"लोक रंग परिषद" के 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक संगीत समूह की श्री समादन खान मंगानिअर, राजस्थान द्वारा अगुवाई	2-21 जून, 2010	प्रेस्टन मेला, ब्रैडफोर्ड मेला तथा ग्लासगो मेले में भाग लेने के लिए	रुपये 7,51,482/-
14.	वियतनाम	वेस्ट बंगाल के 5 सदस्यीय ओडिसी डांस समूह की सुश्री अरुंधती रॉय द्वारा अगुवाई	5-13 जून, 2010	ह्यू महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 2,21,376/-

1	2	3	4	5	6
15.	साइपरस	सुश्री सुकन्या रामगोपाल (ताल वाडया केचरी के साथ घातम), कर्नाटक द्वारा 5 सदस्यीय महिला ताल वाड्या केचरी समूह की अगुवाई	6-11 जून, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 3,57,068/-
16.	मलेशिया	सुश्री उर्मिला सत्यानारायनन, तमिलनाडु द्वारा 5 सदस्यीय भरतनाट्यम डांस समूह का नेतृत्व	10-14 जून, 20101	"द्वितीय भरतनाट्यम महोत्सव" में भाग लेने तथा व्याख्यान देने तथा कार्यशालाएं संचालित करने के लिए	रुपये 1,10,490/-
17.	इटली	श्री सय्यद सलाउद्दीन पाशा, नई दिल्ली द्वारा 9 सदस्यीय भरतनाट्यम डांस समूह का नेतृत्व	10-20 जून, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 8,57,236/-
18.	मलेशिया	सुश्री सुब्रा भारद्वाज, महाराष्ट्र द्वारा 7 सदस्यीय बॉलीवुड समूह की अगुवाई	11-17 जून, 2010	क्वींस बेटन रेली में प्रस्तुति करने के लिए	चीन में आयोजित भारत महोत्सव शीर्ष से विनियोजन
19.	कोंगो किंशासा	श्री अशोक शर्मा, राजस्थान द्वारा "ब्रिज लोक कला मंच एवं जाग्रति मंडल" के 12 सदस्यीय यूपी लोक समूह का नेतृत्व	22-28 जून, 2010	किंशासा की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 10,13,530/-
20.	यूएसए	सुश्री श्रेयासी मित्रा, (रबिन्द्रा संगीत) पश्चिम बंगाल	26 जून-8 जुलाई 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 1,85,898/-
		तीन यात्री अनुदान			
21.	यूएसए	श्री रंगापुथाली रघुनंदन, कर्नाटक	28 जून-20 जुलाई, 2010	नाविका विश्व प्रथम कन्नड शिखर सम्मेलन में प्रस्तुति	रुपये 78,500/-
		एक यात्री अनुदान			
22.	इटली यूके	सुश्री इलीयना सिटारिसिट, ओरिसा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय ओडिसी डांस समूह	30 जून-16 जुलाई, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 8,55,525/-
23.	दक्षिण अफ्रीका	श्री गुलाम सबीर तथा श्री गुलाम वारिस, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	1-20 जुलाई, 2010	सब्री उर्स महोत्सव में भाग लेने हेतु	रुपये 12,59,224/-

1	2	3	4	5	6
24.	रूस	सुश्री अनुरूपा रॉय, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कठपुतली समूह	2-20 जुलाई, 2010	"चीर छांया" (धरती की रूह) नामक कठपुतली थिएटर का ईको-ऑथेंटिक महोत्सव	रुपये 4,65,984/-
25.	नॉर्वे	सुश्री ज्योसना शोरी (भरतनाट्यम), नई दिल्ली को चार यात्री अनुदान	8-11 जुलाई, 2010	नार्वे में फोर्डे नृत्य तथा संगीत महोत्सव में भाग लेने हेतु	रुपये 1,34,600/-
		चार यात्री अनुदान			
26.	ओमान दोहा यूएई (दुबई, आबू धाबी)	सुश्री चरनजीत सोनी तथा श्री फरीद अहमद खान, नई दिल्ली का 6 सदस्यीय संयुक्त संगीत समूह	10-25 जुलाई, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 6,52,748/-
27.	वियतनाम	श्री अरूनांग्शु चौधरी, दिल्ली के नेतृत्व में "इम्पल्स" का 6 सदस्यीय फ्यूजन बैंड/ हिंदुस्तानी इंस्ट्रुमेंटल समूह	21-26 जुलाई, 2010	हो ची मिन सिटी में बीच महोत्सव में भाग लेने हेतु	रुपये 3,47,350/-
28.	आयरलैंड	श्री मुदानीदंबूर संजीवा पुजारी, कर्नाटक के नेतृत्व में" संजीवा सुवार्णा" 12 सदस्यीय यक्षगान समूह	22-28 जुलाई, 2010	विश्व संस्कृति महोत्सव में भाग लेने हेतु	रुपये 7,90,285/-
29.	उज्बेकिस्तान	श्री सुरंजन दास, कोलकाता विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के उप कुलपति	25-30 जुलाई, 2010	उज्बेकिस्तान में "भारत वर्ष" के एक भाग के रूप में भारत-उज्बेक मैत्री विषय पर व्याख्यान देने हेतु	रुपये 32,484/-
30.	कनाडा	श्री कादरी गोपालनाथ (सेक्सोफोन), चेन्नई	28 जुलाई-3 अगस्त, 2010	श्रृंगेरी विद्या भारती द्वारा आयोजित एसबीवीएफ के महापवित्रिकरण (कुंभ अभिशेखम) के दौरान प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 3,27,500/-
		पांच यात्री अनुदान			
31.	मॉरिशस	श्री जोहर अली, नई दिल्ली के नेतृत्व में "सरगम" 7 सदस्यीय फ्यूजन समूह	28 जुलाई-4 अगस्त, 2010	ग्रैंड पोर्ट की नौसेना लड़ाई के द्विवार्षिकी समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 5,01,724/-

1	2	3	4	5	6
32.	इजरायल	श्री राज कुमार भट्ट, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कठपुतली समूह	1-9 अगस्त, 2010	35वें अंतर्राष्ट्रीय कला एवं शिल्प मेला-2010 में भाग लेने के लिए	रुपये 3,97,500/-
33.	मालदीव	श्री मुथुकाड, केरल का 15 सदस्यीय मैजिक समूह	2-6 अगस्त, 2010	भारत-मालदीव मैत्री माह समारोह मनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 11,96,200/-
34.	ओमान	श्री संदीप खिवा, पंजाब के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भांगड़ा समूह	5-9 अगस्त, 2010	सलाला, ओमान में खरीफ महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 4,45,929/-
35.	भूटान	श्री शुजात हुसैन खान, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय सितार समूह	13-16 अगस्त, 2010	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 2,92,255/-
36.	श्रीलंका	सुश्री शर्मिला बिस्वास, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	13-21 अगस्त, 2010	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 3,44,392/-
37.	यूएसए कनाडा	गुरु राधामोहन, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कथकली समूह	14-22 अगस्त, 2010	अमेरिका में "इरेसिंग बॉर्डर्स फेस्टिवल ऑफ इंडियन डांस 2010" में भाग लेने के लिए और कनाडा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 8,40,190/-
38.	तुर्कमेनिस्तान	श्री अश्वनी कुमार, दिल्ली के नेतृत्व में "फील्स इंटरनेशनल" 11 सदस्यीय, पंजाबी समूह	14-22 अगस्त, 2010	"आवाजा 2010" नामक संगीत, गायन तथा नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 4,87,391/-
39.	ग्रीस	श्री डी. बालाराम रेड्डी, ओडिशा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय ओडिशी लोक नृत्य समूह	20-30 अगस्त, 2010	48वें अंतर्राष्ट्रीय लेफका लोक नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 4,95,710/-
40.	इजिप्ट	मो. रफीक लंगा, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह	23 अगस्त-5 सितम्बर, 2010	सूफी समा महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 4,48,588/-
41.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री मेत्रेयी पहाड़ी, दिल्ली द्वारा 20 सदस्यीय लोक नृत्य	28 अगस्त-3 सितंबर, 2010	इंडियन शो में भाग लेने के लिए	रुपये 12,28,789/-

1	2	3	4	5	6
42.	दक्षिण अफ्रीका	मोहिनीअट्टम संस्थान केन्द्र, दिल्ली से 18 सदस्यीय मोहिनीअट्टम नृत्य समूह	6-20 सितंबर, 2010	साझा इतिहास महोत्सव-2010 के दौरान "स्वान लेक" निर्माण की प्रस्तुति	रुपये 9,10,600/-
		(सामूहिक कार्य)-यात्री अनुदान			
43.	आस्ट्रेलिया	प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कार्नेटिक वायलीन समूह	9 सितंबर-5 अक्तूबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 9,27,244/-
44.	यूएसए	श्री उदय भालवाल्कर (ध्रुपद), महाराष्ट्र	9 सितंबर-9 नवंबर	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,26,576/-
		दो यात्री अनुदान			
45.	यूएसए	सुश्री लुशीन दूबे (थियेटर), नई दिल्ली	10 सितंबर-13 अक्तूबर, 2011	सलाम भारत नामक संगीत नाटक का मंचन करने के लिए	रुपये 4,60,000/-
		आठ यात्री अनुदान			
46.	मालदीव	श्री सुरिंदर सागर एंड पार्टी, पंजाब के नेतृत्व में 14 सदस्यीय पंजाबी लोक नृत्य समूह	15 सितंबर-20 सितंबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 4,63,528/-
47.	यूके	श्री कलामंडलम गोपी, केरल के नेतृत्व में कथकली समूह	15 सितंबर-3 दिसंबर, 2010	यूके में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए	रुपये 1,70,000/-
		पांच यात्री अनुदान			
48.	बांग्लादेश	सुश्री निवेदिता पार्थसारथी, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	15-24 सितंबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 2,15,831/-
49-51	कतर मस्कट यूएई (आबू धाबी)	(1) श्रीमती गोवर्धन कुमारी, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लोकनृत्य समूह	25 सितंबर-5 अक्तूबर, 2010	दोहा में भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 2,06,717/-
	कतर मस्कट यूएई (आबू धाबी)	(2) निजामी बंधुओं (श्री चंद निजामी), नई दिल्ली का 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	25 सितंबर-8 अक्तूबर, 2010		रुपये 7,04,000/-
	कुवैत कतर	(3) सुश्री रेखा मेहरा, नई दिल्ली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	25-29 सितंबर, 2010		रुपये 2,04,193/-

1	2	3	4	5	6
52-54	इजिप्ट	(i) श्री रितेश रंजन सहाय, उत्तर प्रदेश द्वारा पांच सदस्यीय तलाश संगीत बैंड की अगुवाई की गई (ii) श्री अमरजीत सिंह, मणिपुर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह "रंग निकेतन" (iii) श्री जे. सी. जडेजा, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह "हलार लोक कला केन्द्र"	26 सितंबर-4 अक्तूबर,2010	मिश्र में भारत सप्ताह में भाग लेने के लिए	रुपये 1,84,575/- रुपये 15,50,679/-
55.	दक्षिण कोरिया थाइलैंड	पंडित बिरजू महाराज, नई दिल्ली द्वारा नृत्य निर्देशित 21 सदस्यीय बैले समूह जिनमें निम्नलिखित शामिल थे: (i) सुश्री दीपिका रेड्डी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कुच्चिपुड़ी नृत्य समूह (ii) सुश्री वेंकटरमन के नेतृत्व में 3 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह (iii) सुश्री पार्वती दत्ता के नेतृत्व में तीन सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह (iv) सुश्री परमिता मोइत्रा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कथक नृत्य समूह (v) सुश्री बिंबावती देवी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	28 सितंबर-18 अक्तूबर, 2010	थाईलैंड में 12वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव और दक्षिण कोरिया में जियोंजू अंतर्राष्ट्रीय सोरी महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 31,37,560/-
56.	भूटान	श्री अभिजीत मोहंकर, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 6 सदस्यीय फ्यूजन समूह	29 सितंबर-6 अक्तूबर, 2010	इम्त्रात स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए	रुपये 3,22,728/-
57.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री चेतना जालान, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह "पदतिक"	30 सितम्बर-5 अक्तूबर, 2010	डर्बन में चौथे क्षेत्रीय पीबीडी कंवेंशन में भाग लेने के लिए	रुपये 6,67,000/-

1	2	3	4	5	6
58.	यूएसए	श्री सदानम हरिकुमार बसंतम, केरल के नेतृत्व में कथकली समूह "सतविकम कलासदनम"	30 सितंबर-8 अक्तूबर, 2010	"ट्रेडिशंस एंगेज्ड" नामक भारतीय कलात्मक नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 4,23,500/-
		सात यात्रा अनुदान			
59.	वियतनाम ताईवान	श्री गोपा कुमार कुम्मान, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कलारी पयुट्टु समूह "सीवीएन कलारी नाडा कावू कलीकट"	1-17 अक्तूबर, 2010	नान यींग अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 6,25,600/-
60.	नेपाल	श्री प्रहलाद ब्रह्मचारी, पश्चिम बंगाल द्वारा पांच सदस्यीय बाउल समूह	2-6 अक्तूबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,61,256/-
61-62.	न्यूजीलैंड	(i) श्री गाजी खान, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी समूह	13 अक्तूबर-3 नवंबर, 2010	दिवाली के अवसर पर प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 14,20,900/-
		(i) श्री उदय जादूगर, कर्नाटक के नेतृत्व में चार सदस्यीय जादू समूह			रुपये 10,46,000/-
63.	केन्या दक्षिण अफ्रीका	श्री उमाकांत सिंह नमिरकपम, मणिपुर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह "एन बोहानबी"	13 अक्तूबर-1 नवंबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 12,52,022/-
64.	नॉर्वे	सुश्री रुकमणी चटर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व में भरतनाट्यम	15-23 अक्तूबर, 2010	राष्ट्रीय नोर्वेजियन ओपेरा तथा बैले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	रुपये 1,80,545/-
		चार यात्रा अनुदान			
65.	दुबई	श्री नील रंजन मुखर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व में तीन सदस्यीय हिंदुस्तानी गायन समूह "आहंग"	13-17 अक्तूबर,2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 53,100/-
		तीन यात्रा अनुदान			
66.	सीरिया	श्री हरीश गंगानी, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय नृत्य समूह	17-22 अक्तूबर, 2010	सीरिया में पामिरा महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 2,61,500/-

1	2	3	4	5	6
67.	त्रिनिडाड एवं टोबेगो	श्री शहादत हुसैन, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कव्वाली समूह	19-28 अक्तूबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 8,61,745/-
68.	उज्बेकिस्तान रूस	श्री आफताब सब्री तथा श्री हाशिम सब्री, महाराष्ट्र के नेतृत्व मं 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	19-25 अक्तूबर, 2010	उज्बेकिस्तान में "भारत वर्ष" के एक भाग के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 6,09,000/-
69.	मैक्सिको	सुश्री मंगलाभट्ट, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	20 अक्तूबर-5 नवम्बर, 2010	सर्वांटिनों महोत्सव तथा लानाओ महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 8,01,800/-
70.	आस्ट्रेलिया	श्री रहमत खान लंगा, नई दिल्ली का 15 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	27 अक्तूबर-13 नवंबर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 12,47,635/-
71.	इटली	सुश्री सर्वपल्ली माधवी माला, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कुचिपुड़ी नृत्य समूह	29 अक्तूबर-4 नवंबर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 4,63,505/-
72.	त्रिनीडाड एवं टोबेगो सूरीनाम यूएसए	श्री जोरावर सिंह जादव, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भावी बेहरूपी तथा एक्रोबेटिक समूह	29 अक्तूबर-14 नवंबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 14,57,411/-
73.	क्यूबा सेंट डोमिनिगो	श्री रमेशन मराकर वलापिल, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मार्शल आर्ट समूह "हिंदुस्तानी कलारी संगम"	1-10 नवंबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 12,14,000/-
74.	रूस	श्री बच्चू खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	4-11 नवंबर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 5,72,760/-
75.	इथोपिया दक्षिण अफ्रीका	श्री सुभाष गोयल तथा सुश्री अंजू गोयल, नई दिल्ली के नेतृत्व में 16 सदस्यीय पंजाबी संगीत (विविध) समूह	5-23 नवम्बर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 13,79,995/-

1	2	3	4	5	6
76.	चीन	सुश्री ऐश्वर्या नित्यानंद, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	10-16 नवंबर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 88,890/-
77.	जापान इंडोनेशिया रूस	सुश्री राजश्री काले नागरकर, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लावणी समूह	11-25 नवम्बर, 2010	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 22,36,350/-
78.	वियतनाम	श्री सुबीर मलिक, नई दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय बैंड समूह 'परिक्रमा'	12-16 नवंबर, 2010	दिवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 6,88,352/-
79.	चीन	श्री बाबू खान, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	15-29 नवंबर, 2010	गुआंजाऊ, चीन में द्वितीय फुबाओ ग्रामीण सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 6,85,632/-
80.	इजराइल	उस्ताद इकबाल अहमद खान, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय हिंदुस्तानी गायन समूह	20-22 नवंबर, 2010	ओयूडी महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 2,94,620/-
81-85.	बांग्लादेश	(i) श्री राजेन्द्र गंगानी (कथक)x7, दिल्ली	26 नवंबर-3 दिसंबर, 2010	बांग्लादेश में "आनंद यज्ञ" नामक भारतीय महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 3,00,556/-
		(ii) सुश्री रीटा गांगुली (हिंदुस्तानी गायन) x7, दिल्ली			रुपये 3,35,841/-
		(iii) श्री देबोज्योती बोस (सरोद)x3, पश्चिम बंगाल			रुपये 78,937/-
		(iv) श्री सुभाष गोयल तथा सुश्री अंजू गोयल (पंजाबी लोक संगीत)x15, दिल्ली			रुपये 2,52,000/-
		(v) श्री मनोज मित्रा (थियटर)x20, पश्चिम बंगाल			रुपये 2,37,970/-
86.	नाइजीरिया	सुश्री राखी सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	27-30 नवंबर, 2010	"आबूजा कार्निवल" में भाग लेने के लिए	रुपये 9,46,500/-
87.	यूके	श्री मुज्जफर अली, नृत्य निर्देशक, नई दिल्ली	1-8 दिसम्बर, 2010	"जहां-ए-खुसरो" परियोजना हेतु अग्रिम दौरा	रुपये 2,96,042/-

1	2	3	4	5	6
		दो यात्रा अनुदान			
88.	सेनेगल	(i) सुश्री सिद्दी रोमानाबेन छोटुभाई, गुजरात के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सिद्दी गोमा समूह	21-26 दिसंबर, 2010	विश्व श्याम कला तथा संस्कृति महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 7,22,104/-
89.	म्यांमार	श्री अनव सबरी भाई, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कव्वाली समूह	11-19 जनवरी, 2011	म्यांमार के विभिन्न शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 4,00,308/-
90.	मॉरिशस	श्री गोविंदराजन इलान गोवन, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कर्नाटक गायन समूह	11-21 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 5,42,860/-
91.	सिंगापुर	सुश्री शोभना नारायण, दिल्ली के नेतृत्व में 13 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	12-15 जनवरी, 2011	"इंडिया शो" में भाग लेने के लिए	रुपये 4,83,400/-
92.	भूटान	श्री परविंदर सिंह, पंजाब के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भांगड़ा तथा गिद्दा समूह	22-27 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 3,56,134/-
93.	कतर (दोहा)	श्री राजिन्द्र टोंक, नई दिल्ली के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भांगड़ा समूह	24-27 जनवरी, 2011	एशियाई फुटबाल कप खेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 3.38,400/-
94.	श्रीलंका	श्री कोटाकल चंद्रशेखरन, केरल के नेतृत्व में आठ सदस्यीय कथकली समूह	24 जनवरी-2 फरवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 3,34,160/-
95.	नेपाल	श्री सतीश बब्बर, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय गायन समूह	24-28 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,50,564/-
96-97	यूएई (आबू धाबी)	दो सांस्कृतिक समूह: (i) श्री जयपू खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह (ii) उस्ताद एम. जफर निजामी, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	25 जनवरी-2 फरवरी, 2011	भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह तथा गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए	रुपये 7,84,428/-

1	2	3	4	5	6
98.	थाईलैंड	सुश्री श्वेता मिश्रा, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	25-28 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,43,721/-
99.	यमन (सेनाआ)	श्री भुगरा खान, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	25-29 जनवरी, 2011	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 5,18,200/-
100.	चीन	सुश्री नम्रता पमनानी, दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कथम नृत्य समूह	25-29 जनवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 6,76,200/-
101.	तुर्की	सुश्री मंजरी चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	2-5 फरवरी, 2011	वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री की यात्रा के दौरान भारत शो में भाग लेने के लिए	रुपये 4,64,723/-
102.	जर्मनी पोलैंड	सुश्री सीमा तिवारी, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भोजपुरी समूह	8-15 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 7,08,637/-
103.	किर्ग्रिस्तान रूस	सुश्री अनीता शर्मा, असम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सत्रिया समूह	9-21 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 9,78,300/-
104.	आस्ट्रेलिया	श्री एन. नारायण सिंह, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय पुंग तथा ढोल चोलम समूह	11-19 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 6,45,700/-
105-106.	फिलिपिंस	(i) श्री जुनैन हलीम खान (सितार)x3, महाराष्ट्र (ii) श्री अभिजीत रॉय चौधरी (सरोद)x4, उत्तर प्रदेश	12-26 फरवरी, 2011	तीसरे अंतर्राष्ट्रीय रोंडाला महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 7,35,000/-
107.	हंगरी स्लोवानिया रोमानिया	सुश्री प्रिय दर्शनी शोम, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समकालीन समूह	14-23 फरवरी, 2011	27वें सरायेवो शीतकालीन महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 11,48,267/-
108.	नेपाल	सुश्री जिला खान, दिल्ली के नेतृत्व में चार सदस्यीय सुगम संगीत (सूफी) समूह	17-21 फरवरी, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,98,891/-

1	2	3	4	5	6
109.	मॉरिशस	सुश्री पियोशा कैलाश अनुज दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय भक्ति गान समूह	25 फरवरी-3 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 6,23,500/-
110.	बांग्लादेश	सुश्री विद्या शाह, दिल्ली के नेतृत्व में चार सदस्यीय हिंदुस्तानी गायन (भक्ति) समूह	1-5 मार्च, 2011	गणतंत्र दिवस समरोह के अवसर पर "वूमेन ऑन रिकोर्ड" कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,51,016/-
111.	न्यूजीलैंड	श्री राजेन्द्र प्रसन्ना, दिल्ली को 04 यात्रा अनुदान	03-23 मार्च, 2011	श्री मोहिन्दर सिंह डिल्लो, अध्यक्ष नटराज सांस्कृतिक केन्द्र के आमंत्रण पर "2010 स्पिरिट ऑफ इंडिया" नामक कंसर्ट दौरा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	रुपये 3,29,684/-
112.	मॉरीशस	सुश्री फर्नांडा मारिया, मेलिटा, मेनेजेस ई-डायस, गोवा के नेतृत्व में गोवा कला अकादमी का 12 सदस्यीय सांस्कृतिक समूह	6-14 मार्च, 2011	"कार्निवल ऑफ विक्टोरिया इंटरनेशनल" में भाग लेने के लिए	रुपये 6,57,420/-
113.	मैक्सिको बेलाइज	सुश्री काकोली बोस, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	11-24 मार्च, 2011	"भारत सप्ताह" में भाग लेने के लिए	रुपये 8,68,435/-
114.	त्रिनिडाड एवं टोबेगो	श्री कार्तिकेश्वर राणा, ओडिशा के नेतृत्व में "दक्षिणा साही छाउ नृत्य मंदिर" नामक 10 सदस्यीय मयूरभंज छाउ समूह	14-24 मार्च, 2011	होली/फगवा और सेंट पैट्रिक्स दिवस समारोह में भाग लेने के लिए	रुपये 13,51,173/-
115.	यूएसए	श्री शिवानी वजीर पसरीच, नई दिल्ली, आईसीसीआर के पैनल में शामिल एक कलाकार	मध्य मार्च, 2011	"द्रौपदी" नाटक का मंचन करने के लिए	परिषद ने 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की
116.	बांग्लादेश	पंडित जसराज, नई दिल्ली के नेतृत्व में पांच सदस्यीय गायन समूह	16-20 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 4,28,427/-
117.	आस्ट्रिया स्वीट्जरलैंड	सुश्री विधा लाल, नई दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समकालीन कथक नृत्य समूह	17-27 मार्च, 2011	आस्ट्रिया में भारत सांस्कृतिक सप्ताह में भाग लेने और बेसल, स्वीटज़रलैंड में रत्न एवं	रुपये 8,07,292/-

1	2	3	4	5	6
				आभूषण निर्यात प्रोन्नयन परिषद्, द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए	
118-119.	जर्मनी	श्री जोहर अली, नई दिल्ली के नेतृत्व में 6 सदस्यीय वायलिन समूह	18-21 मार्च, 2011	मिटलड्यूशर, रंडफंक (एमडीआर)-मिडल जर्मन रेडियो स्टेशन द्वारा आयोजित "रेही इंस-फर्स्ट रो" नामक कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 4,79,209/-
	जर्मनी अल्जीरिया स्वीट्जरलैंड	सुश्री सरोजा वैद्यनाथन, नई दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	18 मार्च-4 अप्रैल, 2011		रुपये 11,16,179/-
120.	आस्ट्रिया उक्रेन	श्री अनवर खान, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	19-30 मार्च, 2011	आस्ट्रिया में भारत सांस्कृतिक सप्ताह में भाग लेने के लिए	रुपये 8,47,163/-
121.	स्वीट्जरलैंड	सुश्री लैशराम बीना देवी, मणिपुर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	22-27 मार्च, 2011	बेसल, स्वीट्ज़रलैंड में रत्न एवं आभूषण निर्यात प्रोन्नयन परिषद् द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए	रुपये 5,20,385/-
122.	उक्रेन इंडोनेशिया	सुश्री अनुराग वर्मा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय समकालीन कथक समूह	23-29 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 4,18,945/-
123.	यूएसए फ्रांस	श्री वजीफुद्दीन डागर (भक्ति संगीत) दिल्ली **पांच यात्रा अनुदान**	28 मार्च, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 1,93,729/-
124.	यूएसए	सुश्री विजय लक्ष्मी (मोहिनी अट्टम), नई दिल्ली **पांच यात्रा अनुदान**	30 मार्च-8 अप्रैल, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 3,52,459/-
125.	ओमान	श्री राजेश उपाध्याय, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8 सदस्यीय भोजपुरी समूह	30 मार्च-2 अप्रैल, 2011	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए	रुपये 2,56,370/-

विवरण II

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

1 अप्रैल, 2011-31 मार्च, 2012

क्र.सं.	दौरा किए गए देश	समूह का नाम	दिनांक	यात्रा का प्रयोजन	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	वियतनाम	श्री शेरिंग सोनम सोपारी, जेएण्डके के नेतृत्व में 13-सदस्यीय जम्मू और कश्मीर लोक नृत्य समूह उत्तरी कला और संस्कृति	5-13 अप्रैल, 2011	बुद्धिस्ट सम्मेलन और टैगोर सम्मेलन में भाग लेना	रुपये 8,50,820/-
2-9.	यू.के.	(i) श्री हंस राज हंस, पंजाब के नेतृत्व में 8-सदस्यीय सूफी समूह	14-17 अप्रैल, 2011	जहां-ए-खुसरू महोत्सव में भाग लेना	रुपये 5,05,900/-
		(ii) सुश्री मंजरी चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 2-सदस्यीय सूफी कथक समूह			रुपये 1,00,500/-
		(iii) श्री वजहत हुसैन, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 6-कव्वाली समूह			रुपये 3,30,000/-
		(iv) सुश्री मालिनी अवस्थी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 7-सदस्यीय सुगम शास्त्रीय संगीत समूह			रुपये 3,10,556/-
		(v) सुश्री मालविका सरूकाई, तमिलनाडु के नेतृत्व में 4-सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह			रुपये 2,81,500/-
		(vi) श्री नवतेज सिंह जोहर, दिल्ली के नेतृत्व में 8-सदस्यीय भरतननाट्यम नृत्य समूह			
		(vii) श्री गुलाम नबी नामथाहली, जम्मू एण्ड कश्मीर के नेतृत्व में 5-सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह			रुपये 3,70,300/-
		(viii) रूमी फाउंडेशन, दिल्ली को 11 यात्रा अनुदान			रुपये 3,45,770/-

1	2	3	4	5	6
10.	जिम्बाब्वे	सुश्री संगाथिया सोनालबेन हंसदेवजी, गुजरात के नेतृत्व में 12-सदस्यीय गुजराती लोक समूह 'कंकण'	25 अप्रैल-5 मई, 2011	हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव (एचआईएफए) में भाग लेना	रुपये 8,96,022/-
11.	यूएसए	श्री सईद सलमान क्रिस्टी (शाही कव्वाली समूह, राजस्थान के नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली समूह	25 अप्रैल-17 मई, 2011	स्मिथसोनियन जादूघर में सूफी सम्मेलन में भाग लेना	रुपये 5,44,000/-
12.	आस्ट्रेलिया	सुश्री स्नेहा चक्रधर, दिल्ली के नेतृत्व में 6-सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	28 अप्रैल-8 मई, 2011	वार्षिक उगादी महोत्सव में भाग लेना	रुपये 4,82,712/-
13-15.	इज़्राइल	कार्य दल को यात्रा अनुदान- (i) सुश्री अदीती मंगलदास, दिल्ली के नेतृत्व में 11-सदस्यीय कथक नृत्य समूह (ii) पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 5-सदस्यीय यांत्रिकीय समूह (ii) चार विद्वान: सुश्री अल्का पांडे (क्यूरेटर), सुश्री नमिता गोखले, श्री तरूण तेजपाल तथा सुश्री उर्वशी बुटालिया (लेखक)	2-23 मई, 2011	इज़्राइल में "भारत महोत्सव में" भाग लेने के लिए	रुपये 10,63,202/-
16-17.	ईरान	(i) श्री बूंदू खान, राजस्थान के नेतृत्व में 8-सदस्यीय राजस्थानी लोक संगीत समूह	10-17 मई, 2011	"भारतीय संस्कृति के दिन" नामक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	रुपये 4,08,739/-
		(ii) श्री अभय रूसतम सोपोरी, दिल्ली के नेतृत्व में 06 सदस्यीय संतूर समूह	09-18 मई, 2011		रुपये 3,44,966/-
18.	मॉरीशस	श्री उमराव खान, राजस्थान के नेतृत्व में 10-सदस्यीय राजस्थानी समूह	12-19 मई, 2011	महाराणा प्रताप दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	रुपये 5,29,297/-
19.	यूएसए	सुश्री लीलेट दुबे, दिल्ली के नेतृत्व में प्राइट टाइम थियेटर समूह को 8 यात्रा अनुदान	12-23 मई, 2011	"वेडिंग एल्बम" नामक नाटक में कला मंचन हेतु	रुपये 4,94,880/-

1	2	3	4	5	6
20.	स्लोवेनिया	सुश्री राधिका शाह, दिल्ली के नेतृत्व में 12-सदस्यीय कथक समूह	23-26 मई, 2011	"हारमोनी एमोंगस्ट कल्चर" नामक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	रुपये 7,54,000/-
21.	ट्रीनीदाद और टोबैगो ग्रेनाडा बारबाडोस सूरीनाम	श्री संदीप शर्मा के नेतृत्व में 16-सदस्यीय "नक्श विरसा" भांगड़ा और गिद्दा समूह दिल्ली	28 मई-18 जून, 2011	ट्रीनीदाद और टोबैगो में 166वें भारतीय आगमन दिवस में भाग लेना और क्षेत्र में सांस्कृतिक कला प्रदर्शन	रुपये 26,18,679/-
22.	सूरीनाम बारबाडोस	श्री शिवा प्रसाद दास के नेतृत्व में 14-सदस्यीय बिहू समूह "असोम ज्योती सांस्कृतिक गोष्ठी" असम	28 मई-18 जून, 2011	"भारतीय आगमन दिवस" के महोत्सव को मनाने में भाग लेना	रुपये 23,31,058/-
23.	यूएसए	श्री रजित कपूर को आर्थिक सहायता (नाट्यशाला समूह)- रेज प्रोडक्शन	6-12 जून, 2011	पुणे हाइवे नाटक का मंचन (श्री रजित कपूर को 12,77,712 रुपये का भुगतान किया गया था	रुपये 12,77,712/-
24.	जर्मनी	श्री प्रेम कुमार मल्लिक, उत्तर प्रदेश द्वारा ध्रुपद समूह को 05 यात्रा अनुदान	6 जून-5 जुलाई, 2011	उनके कंसर्ट टूर के लिए मलिक पारिवारिक ड्रीम टूर 2011-नई पीढ़ी के लिए एक मंच	रुपये 1,84,270/-
25.	साउथ अफ्रीका	श्री अभिजीत अजय पोहांकर, महाराष्ट्र की अगुवाई वाला 8-सदस्यीय फ्यूजन बैंड समूह	16-26 जून, 2011	दक्षिणी अफ्रीका के विभिन्न शहरों में भारत के लघु त्योहारों में भाग लेना	रुपये 3,80,640/-
26.	अजरबैजान	श्री अमन अली बंगश, दिल्ली के नेतृत्व में 5-सदस्यीय सरोद समूह	23 जून-3 जुलाई, 2011	गांजा और शेखी में आयोजित किए जाने वाले द्वितीय संगीत महोत्सव (सिल्क वे) में भाग लेना	रुपये 3,56,308/-
27.	साउथ अफ्रीका मॉरीशस	श्रीमती उमा शर्मा, दिल्ली के नेतृत्व में 15-सदस्यीय कथक नृत्य समूह	23 जून-10 जुलाई, 2011	दक्षिणी अफ्रीका के विभिन्न शहरों में भारत के लघु त्योहारों में भाग लेना	रुपये 20,52,036/-
28.	मलेशिया	श्री मोहसीन अली खान के नेतृत्व में 4-सदस्यीय सितार समूह	24-28 जून, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 1,79,434/-
29.	इंडोनेशिया	श्री बालाकृष्णन नैयर, दिल्ली के नेतृत्व में 10-सदस्यीय कथकली समूह	1-4 जुलाई, 2011	एकल अंतर्राष्ट्रीय अभिनीत कला (सीपा) में भाग लेना	रुपये 4,57,156/-

1	2	3	4	5	6
30.	साउथ अफ्रीका	श्री यार मोहम्मद लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में 12-सदस्यीय राजस्थानी फोल्क समूह	1-8 जुलाई, 2011	ग्राह्मस्टाउन महोत्सव में भाग लेना	रुपये 10,81,093/-
31.	तुर्की रूस	श्री सिंधव करणभाई भयाबी, गुजरात के नेतृत्व में 14-सदस्यीय गुजराती समूह	7-12 जुलाई, 2011	अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कारागोज लोक नृत्य प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कला प्रदर्शन	रुपये 11,23,163/-
32.	यूएसए	श्री नीतीन नाथ हर्ष, राजस्थान के नेतृत्व में राजस्थानी लोक समूह राजस्थानी धुन को 07 यात्रा अनुदान	8 जुलाई-30 अगस्त	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 4,79,500/-
33.	स्पेन अल्जीरिया	श्री रीदमल खान, राजस्थान के नेतृत्व में 14-सदस्यीय राजस्थानी समूह	10-22 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 19,56,527/-
34.	फिनलैंड एस्टोनिया	श्रीमती मोनीमाला बोराह असम के नेतृत्व में 12-सदस्यीय बिहू नृत्य समूह "दक्षिवणी सांस्कृतिक गोष्ठी"	20-30 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 10,04,028/-
35.	आस्ट्रेलिया	श्रीमती कोमकली, (हिन्दुस्तानी वोकल) पुणे को 03 यात्रा अनुदान	19-26 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 1,60,218/-
36.	यूके	श्री कैटनो फ्रांसिस्को नेपोलियो बटेटो मार्टिन्स, गोवा के नेतृत्व में गोवा कला अकादमी से 14-सदस्यीय गोवा सांस्कृतिक समूह	22-24 जुलाई, 2011	ग्लोबल गांव कन्वेन्शन 2011 में भाग लेना	रुपये 8,98,901/-
37.	मलेशिया सिंगापुर	श्रीमती सुमन देवगन, दिल्ली के नेतृत्व में 5-सदस्यीय लाइट क्लासिकल (गजल)	22-26 जुलाई, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 3,81,172/-
38.	मस्कट	श्रीमती संगीता सोनाल्बेल हंसादेवी, गुजरा के नेतृत्व में 10-सदस्यीय गुजराती समूह "कंकण"	27 जुलाई-2 अगस्त, 2011	"खरीफ महोत्सव" में भाग लेना	रुपये 5,19,667/-

1	2	3	4	5	6
39.	नीदरलैंड्स	श्री राकेश उपाध्या, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8-सदस्यीय भोजपुरी समूह	29 जुलाई-1 अगस्त, 2011	हेग में "मिलन महोत्सव" में भाग लेना	रुपये 6,21,523/-
40.	साउथ अफ्रीका	श्री अमीत चौधरी, पश्चिम बंगाल को 04 यात्रा अनुदान	29 जुलाई-2 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 1,99,688/-
41.	फ्रांस	पृथ्वी नाट्यशाला समूह श्री गोपाला और श्रीमती कनी कस्तुरी, महाराष्ट्र को 02 यात्रा अनुदान	2-21 अगस्त, 2011	फूटबर्न वार्षिक नाट्यशाला कार्यशाला में भाग लेना	रुपये 34,882/-
42.	ट्रीनीदाद और टोबैगो ग्रेनाडा	श्रीमती मरीयेनला पी मैस्केरेनस एडियस, गोवा के नेतृत्व में 14-सदस्यीय गोवा फोल्क नृत्य समूह "गोएंचीम नोकेट्रम"	6-16 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 23,42,585/-
43.	इजीप्ट	श्रीमती उर्मीला देवी, दिल्ली के नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली समूह "चंचल भारती"	11-26 अगस्त, 2011	"समा"-सूफी महोत्सव में सांस्कृतिक कला प्रदर्शन	रुपये 6,56,191/-
44.	यूएसए	श्री आशीश खोखर, दिल्ली को 05 यात्रा अनुदान	11 अगस्त-11 सितम्बर, 2011	मोहन खोखर के नृत्य प्रदर्शन अनुभव को दिखलाने के लिए 5 नर्तकों द्वारा लाइव कोस्टयूम प्रदर्शन, 3 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य नीधियों का प्रदर्शन	रुपये 3,06,560/-
45.	भूटान	श्री मौनुंगसैंग सुबोंग, नागालैंड के नेतृत्व में 4-सदस्यीय बैंड समूह "एबियोजेंसिस"	12-20 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 3,06,200/-
46.	श्रीलंका	श्रीमती नलिनी और कमालिनी, दिल्ली के नेतृत्व में 10-सदस्यीय कथक नृत्य समूह	13-21 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 6,00,959/-
47.	फीजी	श्रीमती मीरा दास, ओडिशा के नेतृत्व में 12-सदस्यीय ओडीसी नृत्य समूह	13-23 अगस्त, 2011	भारतीय संस्कृती केन्द्र की स्थापना के 40 वर्ष होने के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 21,13,720/-
48.	हंगरी	श्रीमती शिप्रा गोयल, दिल्ली के नेतृत्व में 12-सदस्यीय बॉलीवुड समूह	14-22 अगस्त, 2011	वार्षिक फूल महोत्सव में भाग लेना	रुपये 20,04,192/-

1	2	3	4	5	6
49.	साउथ अफ्रीका	श्री ठेक्के वीदु मनीकंदन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5-सदस्यीय कार्नेटिक भोकल समूह	14-23 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 2,02,500/-
50.	नेपाल	श्रीमती शोभना नारायण दिल्ली के नेतृत्व में 12-सदस्यीय कथक नृत्य समूह	15-20 अगस्त, 2011	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 6,92,195/-
51.	कनाडा	श्री एल्के सिन्हा, मेघालय के नेतृत्व में शिलांग चैम्बर कोयर समूह को 19 यात्रा अनुदान	18-22 अगस्त, 2011	टोरंटो महोत्सव में भाग लेना	रुपये 11,34,454/-
52.	वियतनाम	श्रीमती मोहिनी रूपनाथ, राजस्थान के नेतृत्व में 12-सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह	18-29 अगस्त, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 10,83,900/-
53	उज्बेकिस्तान	श्री नजीर और श्री नासीर अहमद खान, आन्ध्र प्रदेश के नेतृत्व में 6-सदस्यीय कव्वाली समूह "वारसी ब्रदर्स"	25-30 अगस्त, 2011	"शराक तरनालारी" (ओरिएंट की स्वरलहरियों) में भाग लेना	रुपये 5,79,042/-
54.	नेपाल	श्रीमती दीपमाला मोहन, दिल्ली के नेतृत्व में 5-सदस्यीय गायन समूह	30 अगस्त-9 सितम्बर, 2011	सांस्कूतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 5,99,216/-
55.	यूएसए	श्री अमोल पालेकर और उनकी पत्नी सुश्री संध्या गोखले, महाराष्ट्र को 02 यात्रा अनुदान	1-3 सितम्बर, 2011	एक गैर-लाभकारी संगठन नाट्य भारती, के लिए दो नाटकों का निर्देशन करना	रुपये 3,22,000/-
56-57.	बांग्लादेश	(i) सुश्री शरमिष्ठा मुखर्जी, नई दिल्ली के नेतृत्व में 11-सदस्यीय कथक नृत्य समूह (ii) सुश्री ज्याती घोष, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 5-सदस्यीय गायन समूह	6-8 सितम्बर, 2011	सार्क बैठक के संबंध में सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 4,96,933/-
58.	किर्गिस्तान	सुश्री सोनल सगाथिया, गुजरात के नेतृत्व में 11-सदस्यीय गुजराती समूह	6-11 सितम्बर, 2011	विश्व के लोगों का महाकाव्य "दूसरे विश्व महोत्सव" में भाग लेना	रुपये 5,19,667/-
59.	तंजानिया केन्या	श्री गुलाम क़ादिर, दिल्ली के नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली समूह	14-23 सितम्बर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपयं 9,78,810/-

1	2	3	4	5	6
60-62.	साउथ अफ्रीका	(i) श्री सलीम खान राजस्थानी लोक समूह, राजस्थान को 08 यात्रा अनुदान	2-12 सितम्बर, 2011	ई/आई एवं कार्यदल द्वारा आयोजित साउथ अफ्रीका में भारतीय अनुभव सांझें इतिहास के पांचवें संस्करण में भाग लेना	रुपये 4,94,880/-
		(ii) लीलेटे दुबे, दिल्ली को 6 हवाई यात्रा टिकट	7-16 सितम्बर, 2011		
		(iii) श्री असताद देबो (कंटेम्पोररी नृत्य)× 10, दिल्ली	13-24 सितंबर, 2011		
63-64.	यूएसए यू.के.	सुश्री कौशल्या रेड्डी, दिल्ली को 02 यात्रा अनुदान	18 सितम्बर-6 अक्तूबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना और व्याख्यान आयोजित करना	रुपये 1,33,457/-
	यूएसए	सुश्री भावना रेड्डी (कुच्चीपुड़ी), दिल्ली	18 सितम्बर-17 मार्च, 2011		
65.	यू.के.	गायन कलाकार श्री सतीश बब्बर और वानी बब्बर दिल्ली को 02 यात्रा अनुदान	22 सितम्बर-22 अक्तूबर, 2011	गांधी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्र समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 87,900/-
66.	जोर्जिया	श्री विक्रम अय्यंगर, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में "रनन" समूह को 09 यात्रा अनुदान	23-30 सितम्बर, 2011	अंतर्राष्ट्रीय तब्लीसी नाट्यशाला महोत्सव में भाग लेना	रुपये 6,06,000/-
67.	यू.के.	गुलाम फकीर, बाबू फकीर, अकास फकीर, गोपन देवनाथ और नूरआलम, वाले बाउल फकीरी समूह, पश्चिम बंगाल को 05 यात्रा अनुदान	26 सितम्बर-9 अक्तूबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 1,74,835/-
68.	अर्मेनिया	डॉ. युमनम सदानंदा सिंह, मणिपुर के नेतृत्व में कांगलेई माइम नाट्यशाला सूचीपत्र समूह को 15 यात्रा अनुदान	28 सितम्बर-9 अक्तूबर, 2011	अंतर्राष्ट्रीय उच्च भोज कला प्रदर्शन महोत्सव 2011 में भाग लेना	रुपये 8,25,000/-
69.	यूएसए	सुश्री लीला सैमसन, तमिलनाडु का 10-सदस्यीय कलाक्षेत्र समूह	28 सितम्बर-13 अक्तूबर, 2011	भारत के वर्ष के भाग में सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 11,09,283/-

1	2	3	4	5	6
70.	फ्रांस	श्री जी.एस. रंजन (बांसुरी), तमिलनाडु को 04 यात्रा अनुदान	30 सितम्बर-12 अक्तूबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 2,05,148/-
71.	श्रीलंका	श्री टी.एम. कृष्णा (कर्नाटिक गायन), तमिलनाडु को 04 यात्रा अनुदान	1-8 अक्तूबर, 2011	नवरात्री महोत्सव के साथ-साथ सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 55,909/-
72.	आस्ट्रेलिया	श्रीमान रोएस्टन अबेल, दिल्ली के नेतृत्व में मंगानियर विलोभन समूह को 15 यात्रा अनुदान	3-10 अक्तूबर, 2011	मेलबोर्न महोत्सव में भाग लेना	रुपये 8,81,115/-
73.	जर्मनी	श्री जयचंद्रन पलाजी, कर्नाटक के नेतृत्व में अटाकालारी समूह के आंदालेन कला अटाकालारी केन्द्र को 09 यात्रा अनुदान	5-16 अक्तूबर, 2011	"ट्रेसेस" और "ध्वनि" नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत करना	रुपये 3,40,200/-
74.	भूटान	श्री संजीव भार्गव दिल्ली के नेतृत्व में 'शीर' के द्वारा 3-सदस्यीय समूह	10-14 अक्तूबर, 2012	भूटान नरेश एचएम की शाही शादी के साथ-साथ सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 15,00,000/-
75-76.	न्यूजीलैंड	(i) सुश्री सीथालाकाशिमी साहूकारू, तमिलनाडु का 4-सदस्यीय पपेट समूह (ii) सुश्री अमुसाना देवी नोनगथोम्बन, मणिपुर के नेतृत्व में 11-सदस्यीय नृत्य समूह	6-17 अक्तूबर, 2011	दीवाली उत्सव में भाग लेना	रुपये 7,28,167/- रुपये 18,74,140/-
77.	मेक्सिको	श्री अमृत नटराज, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 6-सदस्यीय आघात समूह 'लाया नादअमृत'	10-25 अक्तूबर, 2011	कार्वेनटिनो के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के 9वें संस्करण में भाग लेना	रुपये 10,42,385/-
78.	बेरूत तुर्कमेनिस्तान फिनलैंड और रूस	श्री सुरेश के. नैय्यर, दिल्ली के नेतृत्व में 14-सदस्यीय बॉलीवुड 'मैट्रीक्स' समूह	10 अक्तूबर-7 नवम्बर,2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 30,67,325/-
79.	ताईवान	श्री रती कंटा मोहापात्रा, ओडिशा के नेतृत्व में "सृजन" ओडीसी नृत्य समूह	12-23 अक्तूबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 7,60,400/-
80.	ट्रीनीदाद और टोबैगो सूरीनाम	श्री इफ्तार अहमद, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली समूह	13-23 अक्तूबर, 2011	ईद महोत्सव में भाग लेना	रुपये 20,15,035/-

1	2	3	4	5	6
81.	जर्मनी	सुश्री अल्केया पुंजाला, तमिलनाडु के नेतृत्व में 6-सदस्यीय कुचीपड़ी नृत्य समूह	15-21 अक्तूबर, 2011	"भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह" में भाग लेना	रुपये 9,09,707/-
82.	कनाडा	सुश्री शर्मिष्ठा मुखर्जी, दिल्ली के नेतृत्व में 6-सदस्यीय कथक नृत्य समूह	15-23 अक्तूबर, 2011	"भारतीय प्रदर्शन" में सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 3,14,500/-
83.	आस्ट्रिया	रंजीत सेनगुप्ता (सरोद), पश्चिम बंगाल को 01 यात्रा अनुदान	15-31 अक्तूबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 47,700/-
84.	भूटान	सुश्री रीला होटा, दिल्ली के नेतृत्व में 5-सदस्यीय ओडीसी नृत्य समूह	18-23 अक्तूबर, 2011	इमत्राट उदीयमान दिवस महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 3,25,193/-
85.	कतर	श्री इल्वीस गोज, गोवा के नेतृत्व में गोवा लोक समूह को 15 यात्रा अनुदान	19-25 अक्तूबर, 2011	"विश्व गोवा दिवस" पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 4,86,000/-
86.	चेक रिपब्लिक	श्री सलीम खान लंगा, राजस्थान के नेतृत्व में 12-सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह	19-22 अक्तूबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 8,96,389/-
87.	आस्ट्रिया कतर	श्री नीलय खान मो-सीद्दकी, पंजाब के नेतृत्व में 8-सदस्यीय कव्वाली समूह	19-25 अक्तूबर, 2011	सलाम ओरिएंट महोत्सव में भाग लेना	रुपये 7,79,398/-
88.	इथोपिया	श्री अकबरमिया मुलमाली कादरी, गुजरात के नेतृत्व में 12'-सदस्यीय गुजराती लोक समूह "सिदी धमाल गोमा"	21-29 अक्तूबर, 2011	सास्कृतिक कला प्रदर्शन करना।	रुपये 9,73,133रु-
89.	आस्ट्रिया	श्री संतोष कुमार नायर, दिल्ली के नेतृत्व में 13-सदस्यीय कंटेमपरोरी "संध्या"	25-31 अक्तूबर, 2011	पोंजगऊ महोत्सव में भाग लेना	रुपये 7,23,920/-
90.	आस्ट्रिया	श्री सुभाषचन्द्रा पारेख, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 5-सदस्यीय इल्यूजन जादू समूह	25-31 अक्तूबर, 2011	पोंजगउ महोत्सव में भाग लेना	रुपये 3,27,322/-

1	2	3	4	5	6
91.	कनाडा यू.के. यूएई	सुश्री सोहिना चरनालिया (कपूर), दिल्ली के नेतृत्व मे 20-सदस्यीय नाट्य समूह "माहिम जंक्शन"	31 अक्तूबर-21 नवम्बर, 2011	नाट्य कला प्रदर्शन करना	रुपये 32,90,977/-
92.	इंडोनेशिया फिजी	श्री संजय कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 23-संदस्यीय रामायण समूह "ब्रज लोक कला रामायण"	2-16 नवम्बर, 2011	भारत और इंडोनेशिया के मध्य 60 वर्ष के राजनयिक संबंधों की यादगार के रूप में योग्यकर्ता में कला प्रदर्शन करना	रुपये 45,18,697/-
93.	कोलम्बिया	श्री कल्पेश दलाल, गुजरात के नेतृत्व में 9-सदस्यीय गुजराती लोक समूह "अविष्कार"	7-26 नवंबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 21,93,561/-
94.	स्पेन	सुश्री गीतांजली लाल, दिल्ली के नेतृत्व में कथक केन्द्र निर्माण "रीतू रंग"	11-13 नवम्बर, 2011	भारतीय कासा दे ला की 5वीं वर्षगांठ के महोत्सव पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 11,07,585/-
95.	अल्जीरिया	(i) सुश्री रानी खनम, दिल्ली के नेतृत्व में 7-सदस्यीय सूफी कथक समूह (ii) श्री अनीस सीद्की, अराबीक कैलीग्राफिस्ट, दिल्ली (iii) श्री मोहम्मद बाबा मोइदिन, ओडिशा	21-28 नवम्बर, 2011	वर्ष 2011 के लिए विश्व की तलेमसेन-दी इस्लामिक सांस्कृतिक राजधानी में "भारतीय सप्ताह" में भागीदारी करना	रुपये 10,66,251/-
96.	हांग कांग	श्री मधु मार्गी, केरल के नेतृत्व में कोडीयत्तम समूह को 04 यात्रा अनुदान	22-29 नवंबर, 2011	इटैनजिबल विरासत कार्यक्रम की दसवीं वर्षगांठ के महोत्सव पर	रुपये 1,52,000/-
97.	तनजानिया	श्री पुरन भट्ट, दिल्ली के नेतृत्व में 7-सदस्यीय पपेट समूह और एक जादूगर	23-28 नवंबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 7,52,488/-
98.	नाइजीरिया, बेनिन	श्री चारू पानीकर, केरल के नेतृत्व में "अनुष्ठान केन्द्र कोवल का 15-सदस्यीय थाइयान समूह"	25 नवम्बर-4 दिसंबर, 2011	'अबुजा कार्निवल-2011, में भाग लेना	रुपये 12,56,583/-
99.	यूएई	श्री तेहल सिंह खीया, पंजाब के नेतृत्व में 15-सदस्यीय रंगला पंजाब समूह	26 नवम्बर-6 दिसम्बर, 2011	40वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेना	रुपये 10,12,913/-

1	2	3	4	5	6
100.	नेपाल	श्री सेरिंग दार्जी मेगी, हिमाचल प्रदेश 10-सदस्यीय अजी लाह्मू मास्क नृत्य समूह	2-5 दिसम्बर, 2011	"हिमालयन ओडीसी समारोह" पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 4,29,548/-
101.	थाईलैंड	श्री रमन कुट्टी नैय्यर, दिल्ली के नेतृत्व में 15-सदस्यीय कथकली समूह	3-10 दिसम्बर, 2011	अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में भाग लेना	रुपये कला 7,24,758/-
102.	मॉरीशस	सुश्री पायल रामचंदानी, दिल्ली के नेतृत्व में 06-सदस्यीय कुचीपड़ी नृत्य	4-10 दिसबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 6,21,335/-
103.	तनजानिया	श्री जी.सी. जदेजा, गुजरात के नेतृत्व में 10-सदस्यीय गुजराती समूह	6-14 दिसंबर, 2011	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 7,76,885/-
104.	क्यूबा	श्री जो ओल्वेरस, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में नाद ब्रह्म बैंड समूह को 06 यात्रा अनुदान	14-20 दिसंबर, 2011	विश्व संगीत महोत्सव में भाग लेना	रुपये 6,80,574/-
105.	मलेशिया फिजी	श्री परमजीत सिंह नरूला, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 15-सदस्यीय बॉलीवुड समूह "कार्मिक संयोजन"	22 दिसंबर, 2011- 6 जनवरी, 2012	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के 40 वर्ष होने के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना 2011-2012	रुपये 43,47,758/-
106.	म्यामार	श्री गुलाम हुसैन, दिल्ली के नेतृत्व में नियाजी भाई का 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	23 दिसम्बर, 2011 -2 जनवरी, 2012	यूआरएस महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 7,14,846/-
107.	ब्राजील	श्री एन. रविकिरण, तामिलनाडु के नेतृत्व में 4-सदस्यीय विचित्र वीणा	11-20 जनवरी, 2012	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 11,18,687/-
108.	चीन	सुश्री किरण सेहगल, दिल्ली के नेतृत्व में 13-सदस्यीय ओडिसी नृत्य	12-19 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 6,89,478/-
109.	बांग्लादेश	मोनालिषा घोष, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 07-सदस्यीय ओडिशी नृत्य	20-20 जनवरी, 2012	सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 3,26,879/-
110.	श्रीलंका	सुश्री अदीती मंगलदास, दिल्ली के नेतृत्व में 12-सदस्यीय कंटेम्परोरी नृत्य	20-31 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 6,61,918/-

1	2	3	4	5	6
111.	अल्जीरिया	सुश्री रविन्द्र कौर, दिल्ली के नेतृत्व में 14-सदस्यीय भांगड़ा और गिद्दा समूह	22 जनवरी-5 फरवरी, 2012	गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कला प्रदर्शन करना	रुपये 14,78,364/-
112.	मालदीव	श्री अभिषेक माथुर, दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय "अद्वेत" बैण्ड समूह	24-27 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तूति	रुपये 4,87,827/-
113.	जाम्बिया तंजानिया	"पंजाब पुलिस सांस्कृतिक दस्ता", पंजाब के 14 सदस्यीय भांगड़ा और गिद्दा समूह	24 जनवरी-2 फरवरी, 2012	गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तूति	रुपये 14,58,882/-
114.	फिजी	सुश्री सबिता देवी, दिल्ली के नेतृत्व में 6-सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन संगीत समूह	24 जनवरी, 7 फरवरी, 2012	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के 40 वर्ष के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 24,47,579/-
115.	यूएई	सुश्री अवानी मर्कण्डभाई रुशी, गुजरात के नेतृत्व में "समन्वय" के 12 सदस्यीय के गुजराती लोक नृत्य समूह	25 जनवरी-6 फरवरी, 2012	भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह में भाग लेना	रुपये 8,39,643/-
116.	पाकिस्तान	पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, महाराष्ट्र के 6 सदस्यीय यांत्रिक (बांसुरी) समूह	26-30 जनवरी, 2012	गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 4,24,505/-
117.	मॉरीशस	सुश्री लहरी कोलाचेला, आंध्र प्रदेश के 6 सदस्यीय कन्नड़ गायन समूह	30 जनवरी, 10 फरवरी 2012	कावेरी महोत्सव में भाग लेना	रुपये 6,15,994/-
118.	मॉरीशस	कारी वासिफ रजा नूरी नटखवन, महाराष्ट्र को 1 यात्रा अनुदान	3-15 फरवरी, 2012	ईद मिलाद उन नवी के समारोह के अवसर पर भाग लेना	रुपये 48,187/-
119.	जापान	सुश्री शुभ्रा भारद्वाज, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 25 सदस्यीय बॉलीवुड नृत्य समूह	4-9 फरवरी, 2012	भारत-जापान राजनयिक संबंध के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 29,48,949/-
120-121.	पाकिस्तान	(i) श्री परमजीत सिंह नरूला (मिकी नरूला) महाराष्ट्र के नेतृत्व में "कार्मिक कनेक्शन" के 24 सदस्यीय बॉलीवुड समूह (ii) सुश्री कुमुदिनी लखिया, गुजरात के नेतृत्व में "कदम्ब" के 11 सदस्यीय कत्थक समूह	12-14 फरवरी, 2012	लाहौर में आयोजित "इंडया शो" में दोनों भागीदारों को आईसीसीआर ने सहायता प्रदान की	आईसीसीआर द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

1	2	3	4	5	6
122.	मॉरीशस साऊथ अफ्रीका	उमराव सलोदिया, राजस्थान के 8 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह	12-27 फरवरी, 2012	महाशिवरात्रि महोत्सव में भाग लेना	रुपये 12,99,739/-
123.	थाईलैंड	सुश्री प्रीति, दिल्ली के नेतृत्व में पंजाबी अकादमी के 14 सदस्यीय भांगड़ा व गिद्धा समूह	15-27 फरवरी, 2012	सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 8,87,166/-
124.	आस्ट्रेलिया	श्री बंधु प्रसाद, पं. बंगाल के नेतृत्व में अभिनव थियेटर अनुसंधान केन्द्र को 9 यात्रा अनुदान	19-27 फरवरी, 2012	हैनरिक इबसेन के "लेडी फ्रॉम द सी" के अनुकूलन "सागर कन्या" नाटक की प्रस्तुति	रुपये 5,67,000/-
125.	यूएसए	श्री ए. लक्ष्मनास्वामी (भरतनाट्यम) तमिलनाडु को 5 यात्रा अनुदान	23 फरवरी-31 मई 2012	संस्कृत्यालय संस्थान के संगीत कार्यक्रम में आमंत्रण	रुपये 2,75,000/-
126.	अर्जेंटीना	डॉ. मुस्तफा रजा, दिल्ली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विचित्र वीणा समूह	25 फरवरी-5 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 14,04,208/-
127.	मैक्सिको	सुश्री रजकी, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	27 फरवरी-3 मार्च 2012	भारत व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेना	रुपये 35,70,745/-
128.	नेपाल	सुश्री प्रतीक्षा शर्मा, दिल्ली के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रकाश शास्त्रीय समूह	01-05 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 65,252/-
129.	सेशल्स	सुश्री चम्पा सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह	1-5 मार्च, 2012	सेशल्स महोत्सव में भाग लेना	रुपये 16,41,071/-
130.	थाईलैण्ड	सुश्री रंजना गौहर, दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय ओडिशी नृत्य समूह	4-7 मार्च, 2012	"चित्रांगदा" नाटक की प्रस्तुति	रुपये 3,16,729/-
131.	इण्डोनेशिया	सुश्री वास्वति मिश्रा, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कत्थक समूह	4-8 मार्च 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 8,28,065/-

1	2	3	4	5	6
132.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री स्वाती सिन्हा, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सूफी कत्थक नृत्य समूह	6-12 मार्च, 2012	"जीवन के आनन्दोत्सव उत्सव" में भाग लेना	रुपये 6,14,060/-
133.	ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड	पं. शिवकुमार शर्मा (संतूर), महाराष्ट्र को 4 यात्रा अनुदान	7-23 मार्च, 2012	"भारत में संगीत कार्यक्रम की भावना" में भाग लेना	रुपये 2,63,869/-
134.	यूगाण्डा	श्री हयात मोहम्मद, राजस्थान के नेतृत्व में 14 सदस्यीय राजस्थानी समूह	8-12 मार्च, 2012	होली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 10,33,982/-
135.	यू.के.	सुश्री शिवानी वजीर पसरिच और दो सहयोगियों दिल्ली के लिए 3 यात्रा अनुदान	9-11 मार्च, 2012	दक्षिण बैंक केन्द्र में विश्व महिला उत्सव में प्रदर्शन करना	रुपये 1,36,500/-
136.	श्रीलंका	डॉ. कुमुद दिवान, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रकाश संगीत समूह	13-20 मार्च 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 2,04,032/-
137.	इण्डोनेशिया	सुश्री मालविका सरोकई, तमिलनाडु के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	17-22 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 8,75,695/-
138.	न्यूजीलैण्ड	पं. देबू चौधरी, दिल्ली को 1 यात्रा अनुदान	22-24 मार्च, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 59,691/-
139.	इण्डोनेशिया	सुश्री मनीषा गुलयानी, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय (कत्थक नृत्य और राजस्थानी लोक गीत)	28 मार्च-2 अप्रैल 2012	बाली उत्सव में भाग लेना	रुपये 7,59,360/-
140.	यूएसए, इटली	गुनदेचा ब्रदर्स, मध्य प्रदेश को 5 यात्रा अनुदान	28 मार्च-6 मई 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 7,21,496/-

विवरण III

बाहर जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

अप्रैल, 2012-मार्च 2013

क्रम सं.	दौरा किया गया देश	दल का नाम	तिथि	दौरा का प्रयोजन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	वियतनाम	"ठाकुर बारिर शाज पोशाक", पश्चिम बंगाल के प्रोडक्शन के साथ सुश्री शर्मिला बिस्वास ×21	4-18 अप्रैल-2012	हू उत्सव में भाग लेना और सांस्कृतिक प्रदर्शन करना	रुपये 14,97,453/-
2.	फ्रांस जर्मनी स्पेन	श्री अनुज मिश्रा, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 04 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	5-29 अप्रैल, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 6,92,495/-
3.	यूएसए	श्री तरूण भट्टाचार्य (संतूर), पश्चिम बंगाल के लिए चार यात्रा अनुदान **यात्रा अनुदान**	6 अप्रैल-21 मई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,44,000/-
4.	यू.के.	दक्षिण बैंक केन्द्र, यूके के लिए तैंतीस यात्रा अनुदान (i) बिक्रम घोष और अंगारम मोहनता (पापन एक्स) ×2 राजस्थानी लोक, पश्चिम बंगाल (ii) पीट लॉकेट 12 राजस्थान × (iii) रघु दीक्षित (टक्कर समूह) कर्नाटक 6× (iv) शंकर महादेवन (बॉलीवुड समूह) और पूर्वायन चटर्जी 7 सितार, महाराष्ट्र (v) एक्स 6 डॉ. एल. सुब्रमण्यम (सितार) तमिलनाडु **यात्रा अनुदान**	7-22 अप्रैल, 2012	जियो@एलकेमी उत्सव में भाग लेना	रुपये 23,42,806/-
5.	यूके	सुश्री रंजना गौहर, दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	8-23 अप्रैल, 2012	चित्रागंदा मं सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 14,27,460/-

1	2	3	4	5	6
6.	यूके	श्री राजीव सेठी, एशियाई विरासत फाउंडेशन, दिल्ली को सत्रह यात्रा अनुदान	10-23 अप्रैल, 2012	जियो@एलकेमी उत्सव में भाग लेना	रुपये 10,11,803/-
		यात्रा अनुदान			
7.	तुर्कमेनिस्तान	श्री रंजीत भट्ट, दिल्ली के नेतृत्व में 14-सदस्यीय कठपुतली समूह	12-16 अप्रैल, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 10,43,293/-
8.	रूस	8 सदस्यीय श्री गुलाम वारिस और श्री गुलाम साबिर, दिल्ली के नेतृत्व में कव्वाली समूह तीन दरवेश नर्तक दिल्ली आर जड़ें, दिल्ली रूट के लिए दो हवाई टिकट	12-20 अप्रैल, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 17,67,428/-
9.	स्वीट्जरलैंड	श्री सुखविन्दर सिंह, पंजाब के नेतृत्व में सदस्यीय 10 भांगड़ा समूह	13-22 अप्रैल, 2012	स्विट्जरलैंड में मुबा उत्सव में भाग लेना	रुपये 10,79,141/-
10.	पेरू (लीमा)	सुश्री मसाको ओनो, ओडिशा के नेतृत्व में 2 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	15 अप्रैल- 8 मई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 5,07,559/-
11.	यूएसए	(सिमी भाटिया के अनुरोध पर) श्री राहुल शर्मा (संतूर), महाराष्ट्र के लिए एक यात्रा अनुदान	19-21 अप्रैल, 2012	समा महोत्सव के लिए सुश्री सिमी भाटिया के अनुरोध पर संस्कृति प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,63,869/-
		यात्रा अनुदान			
12.	सिंगापुर	श्री गगनदीप सिंह, पंजाब के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भांगड़ा और गिद्धा समूह	20-23 अप्रैल, 2012	बैशाखी समारोह में भाग लेने के लिए	रुपये 3,97,610/-
13.	न्यूजीलैण्ड	ताजमहल नृत्य नाटिका सुश्री रीता शशिधरन, न्यूजीलैंड	31 मार्च, 2012	ऐश्वर्या मनोरंजन द्वारा ताजमहल नृत्य नाटिका का मेगा शो और एएसबी रंगमंच ऑकलैण्ड, न्यूजीलैंड में मंचन करने के लिए 5,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता	रुपये 5,00,000/-

1	2	3	4	5	6
14.	फिनलैण्ड (हेलंसिकी)	श्री परीथ पवितरन, श्री राजू के. कमातकार और श्री राजकुमार पंजाबी, कर्नाटक को तीन यात्रा अनुदान	22-29 अप्रैल, 2012	विश्व बधिर उत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 2,30,500/-
		यात्रा अनुदान			
15.	दक्षिण कोरिया	श्री पूर्ण दास बाउल, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय बाउल समूह	1-8 मई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 8,27,784/-
16.	यूएसए कनाडा यूएसए	श्री वनराज भाटिया (आर्केस्टा/संगीतकार) सुश्री रानी दिन बुरा, महाराष्ट्र के लिए दो हवाई टिकट सुश्री अमल अल्लाना और श्री निसार अल्लाना (रंगमंच), दिल्ली को दो एयर टिकट	2 मई-8 जून, 2012 2-20 मई, 2012	कार्नेल विश्वविद्यालय ने संगीत का जूडिथ केलोक प्रो. द्वारा निर्देशित गिरीश कर्नाड की अग्निवर्षा पर आधारित एक ओपेरा का प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 8,03,432/-
		यात्रा अनुदान			
17.	जिम्बाबे	श्री मेजर सिंह, पंजाब के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भांगड़ा समूह	2-9 मई, 2012	हरारे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव कला में भाग लेने के लिए	रुपये 11,10,215/-
18.	त्रिनिदाद टोबैगो ड्रोमिनिका रिपब्लिक	श्री जया भास्कर पैरावली, आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में 09 सदस्यीय टक्कर समूह "ताल वाद्य कचैरी"	6-21 मई, 2012	इस्पात उत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 21,52,733/-
19.	इजरायल	तेरह टीम वर्क प्रोडक्शन, दिल्ली की टीम के लिए अनुदान श्री चुगें खान के नेतृत्व में 08 सदस्यीय राजस्थानी जोश समूह श्री रजत कपूर के नेतृत्व में 04 सदस्यीय कलाउन लेअर थियेटर ग्रुप डॉ. एल. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में 05 सदस्यीय कर्नाटक वायलिन समूह	6-11 मई, 2012	"इजरायल में भारत" उत्सव का सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 7,28,868/-

1	2	3	4	5	6
		यात्रा अनुदान			
20.	जापान	श्री आरिफ खान (तबला), पश्चिम बंगाल के लिए एक यात्रा अनुदान	10-22 मई, 2012	जापान में सुनामी और भूकंप से पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 45,141/-
		यात्रा अनुदान			
21.	मारीशस	श्री लाखनसी मेलोडियोड्रेडरा, गुजरात के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गुजराती लोक समूह	10-16 मई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 11,87,591/-
22.	दक्षिण अफ्रीका	श्री शाहिद नियाजी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कव्वाली समूह	16-27 मई, 2012	यूआरएस उत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 9,25,300/-
23.	दक्षिण अफ्रीका	डॉ. पद्मा सुब्रह्मण्यम, तमिलनाडु के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	19-26 मई, 2012	त्यागराज उत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 13,52,260/-
24.	इथोपिया डिजुबेती	श्री राजेश प्रसन्ना, दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सहवास फ्यूजन बैंड समूह	21-27 मई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 11,36,020/-
25.	फिजी	सुश्री मालिनी अवस्थी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 8 सदस्यीय लाइट शास्त्रीय संगीत समूह	22 मई-02 जून, 2012	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 16,90,525/-
26.	पोलैण्ड	पंडित हरिप्रसाद चौरसिया (बांसुरी) और उनके समूह, महाराष्ट्र को यात्रा अनुदान	11-17 मई, 2012	पंडित चतुर लाल मेमोरियल सोसाइटी के लिए समर्थन करने के लिए	
		यात्रा अनुदान			
27.	जापान	श्री गुरू दुर्गा चरण रणबीर, ओडिशा के नेतृत्व में 14 सदस्यीय ओडिसी नृत्य समूह	23-30 मई, 2012	भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष समारोह में भाग लेने के लिए	रुपये 14,56,040/-

1	2	3	4	5	6
28.	थाइलैण्ड	19 सदस्यीय ओडिसी "निर्वाण" नाट्य बैले सेंटर समूह श्री अनिरूद्ध दास, दिल्ली का नेतृत्व किया	29 मई-03 जून, 2012	बुद्ध सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 5,51,498/- (स्थानीय प्रायोजकों द्वारा 10 टिकट दिया गया)
29.	मलेशिया	सुश्री नंदनी कृष्णा, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 06 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	31 मई 04 जून, 2012	भरतनाट्यम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए	रुपये 3,33,248/-
30.	यूएसए	श्री भरत गंगानी, गुजरात के नेतृत्व में 08 सदस्यीय गुजराती लोक समूह	1-4 जून, 2012	"भारत शो" में भाग लेने के लिए	रुपये 12,04,740/-
31.	नेपाल	सुश्री माधवी मुद्गल, दिल्ली के नेतृत्व में 05 सदस्य ओडिसी नृत्य समूह	7-10 जून, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,58,086/-
32.	ईरान	श्री राकेश प्रसन्ना दिल्ली के नेतृत्व में 05 सदस्य सरोद समूह	7-12 जून, 2012	तेहरान में भारतीय सांस्कृतिक वीक में भाग लेने के लिए	रुपये 6,14,125/-
33.	जापान	भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक प्रदर्शन और भारतीय गुरुओं, जापान के साथ इस तरह सितार, संतूर जैसे वाद्ययंत्र बजाना कला उत्सव जापानी कलाकारों को वित्तीय सहायता	9 जून, 2012	भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक प्रदर्शन और भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल के उत्सव के अवसर पर भारतीय गुरुओं के साथ इस तरह सितार, संतूर जैसे वाद्ययंत्र बजाना जापानी कलाकारों के लिए 2,03,666/- रुपये की वित्तीय सहायता	रुपये 2,03,666/-
34.	फिनलैण्ड	श्री डब्ल्यू. अमरजीत सिंह, मणिपुर के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह "रंगानकितान"	11-20 जून, 2012	ग्रीष्म उत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 17,62,829/-
35.	किर्गीस्तान	श्री बलवंत ठाकुर, जम्मू एवं कश्मीर के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर से 13 सदस्यीय लोक समूह	11-13 जून, 2012	एशियाई भारत और मध्य वार्ता के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करे के लिए	रुपये 10,03,847/-
36.	इस्टोनिया	पांच यात्रा अनुदान "मानवोपासू" सुश्री रतनिका श्रीवास्तव, दिल्ली के नेतृत्व में फ्यूजन बैंड समूह **यात्रा अनुदान**	12-23 जून, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 5,45,000/-

1	2	3	4	5	6
37.	फ्रांस	श्री बहाबन्दा हजारिका, असम के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सतरिया समूह	13 जून-16 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 16,92,139/-
38.	पोलैण्ड	सुश्री गांग बाई कमाद, राजस्थान के नेतृत्व में राजस्थानी लोक समूह को छह यात्रा अनुदान	15 जून-7 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 4,92,000/-
		यात्रा अनुदान			
39.	स्पेन	पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 8 सदस्यीय बांसुरी समेह	18-26 जून, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 5,39,880/-
40.	स्पेन	सुश्री नर्मदा (कर्नाटक वायलिन), तमिलनाडु के नेतृत्व में 03 सदस्यीय समूह	19-27 जून, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 8,26,249/-
41.	स्पेन यूके	सुश्री मैत्रियी पहारी, दिल्ली के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लोक नृत्य समूह "लोक चन्दा"	19-26 जून, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 19,01,028/-
42.	जापान	सुश्री मोनिशा नायक, दिल्ली के नेतृत्व में 06 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	19-25 जून, 2012	"भारत शो" में भाग लेने के लिए	रुपये 5,58,869/-
43.	फ्रांस	पश्चिम बंगाल से लोक कलाकारों (फाकरिस) को चार यात्रा अनुदान	27 जून-1 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 8,26,249/-
		यात्रा अनुदान			
44.	बेलारूस	सुश्री प्रतिभा प्रहलाद, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 11 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह (प्रसिद्ध नृत्य रेपेरोटरी)	28 जून, 3 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 19,01,028/-
45.	ग्रीस	श्री राजेन्द्र कुमार बिल्ला, पुणे के नेतृत्व में 12 सदस्यीय लावणी लोक नृत्य समूह	28 जून-7 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 5,58,869/-

1	2	3	4	5	6
46.	मलेशिया सिंगापुर	पंडित बिरजू महाराज और उनके समूह, दिल्ली को सात यात्रा अनुदान	30 जून - 13 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 4,23,500/-
		यात्रा अनुदान			
47.	यूके	सुश्री प्रियदर्शिनी गोविंद (भरतनाट्यम), तमिलनाडु के लिए एक यात्रा अनुदान	03-08 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 1,23,983/-
		यात्रा अनुदान			
48.	फ्रांस कोलम्बिया	सुश्री मिमलू सेन और श्री पवन दास बाउल (बाउल/बंगाली लोकर), पश्चिम बंगाल के दो यात्रा अनुदान	03 जुलाई-21 नवम्बर,2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,88,000/-
		यात्रा अनुदान			
49.	यूएसए कनाडा	सुश्री शर्मिला टैगोर, बॉलीवुड (टीम वर्क के अनुरोध पर) के लिए एक यात्रा अनुदान	05-13 जुलाई, 2012	अमरीका फेस्टिबल में इंडियन समर, कनाडा और भारत पर आंखों में भाग लेने के लिए	रुपये 2,63,000/-
		यात्रा अनुदान			
50.	यूएसए	श्री हर्षद कोनेटकर, दिल्ली को दो यात्रा अनुदान सुश्री कुमुद दीवान (हिन्दुस्तानी गायन), दिल्ली	07 जुलाई से 19 अगस्त, 2012 18 जुलाई- 14 अगस्त, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,00,000/-
		यात्रा अनुदान			
51.	यूएसए कनाडा	श्री रजत कक्कड़ दिल्ली (टीम वर्क के अनुरोध पर) के नेतृत्व में मरिगया बैंड समूह को दस यात्रा अनुदान	12-23 जुलाई, 2012	अमरीका फेस्टिवल में इंडियन समर, कनाडा और भारत पर आंखों में भाग लेने के लिए	रुपये 9,63,000/-
		यात्रा अनुदान			

1	2	3	4	5	6
52.	ब्राजील मैक्सिको	पंडित हरि प्रसाद चौरसिया (बांसुरी), महाराष्ट्र के नेतृत्व में 05 सदस्यीय समूह	14-18 जुलाई, 2012 19-23 जुलाई, 2012	पंडित चतुर लाल मेमोरियल सोसाइटी के लिए समर्थन करने के लिए	रुपये 17,03,302/-
53.	नेपाल	श्री अमित किलाम, दिल्ली के नेतृत्व में 09 सदस्यीय भारतीय महासागर बैंड समूह	15-20 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 3,96,209/-
54.	कांगो बेनीन केन्या	सुश्री राधा सपेरा, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक समूह	18-29 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 18,22,738/-
55.	फ्रांस	डॉ. वी. जयाराजन, केरल के नेतृत्व में "थयाम समूह" के लिए आठ यात्रा अनुदान	18-31 जुलाई, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 5,04,552/-
		यात्रा अनुदान			
56.	फिजी	डॉ. लता मुंशी, मध्य प्रदेश के नेतृत्व में 10 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	24 जुलाई-05 अगस्त, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 18,62,986/-
57.	यूके	सुश्री विद्या लाल दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कथक नृत्य समूह	24-28 जुलाई, 2012	ओलंपिक समारोह में लाग लेने के लिए	रुपये 7,73,978/-
58.	दक्षिण कोरिया	सुश्री संगीता शर्मा, दिल्ली के नेतृत्व में 07 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह	25-28 जुलाई, 2012	भारत डे सियाल में भाग लेने के लिए	रुपये 6,25,859/-
59.	मिश्र	श्री अत्ता मोहम्मद, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	26 जुलाई-09 अगस्त, 2012	अंतर्राष्ट्रीय सामा समारोह में भाग लेने के लिए	रुपये 9,22,859/-
60.	यू.के.	ध्रुव कला को दस यात्रा अनुदान (1 सुश्री सुमा सुधीन्द्रा (वीणा) x3, कर्नाटक (2) डॉ. एम. बालामुरलीकृष्णा (कर्नाटक गायन), तमिलनाडु (3) श्री प्रकाश सोनताके (हिंदुस्तानी इंस्ट्रुमेंटल जुगलबंदी), कर्नाटक	27 जुलाई-20 अगस्त, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 6,19,600/-
		यात्रा अनुदान			

1	2	3	4	5	6
61.	जापान	श्री वासीफुदीन डागर ध्रुपद समूह, दिल्ली को चार यात्रा अनुदान	09-17 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,44,000/-
		यात्रा अनुदान			
62.	कनाडा	सुश्री उमा शर्मा, कथक, दिल्ली के लिए एक यात्रा अनुदान	9-13 अगस्त, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 1,30,500/-
		यात्रा अनुदान			
63.	यू.के.	मिताली प्रकाश और उसके समूह (भरतनाट्यम), तमिलनाडु को चार यात्रा अनुदान	12-26 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 2,82,788/-
		यात्रा अनुदान			
64.	बेलारूस	श्री सतीश व्यास, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 06 सदस्यीय संतूर समूह	12-16 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 7,81,143/-
65.	मारीशस	श्री राजू सिंह लैश्राम, मणिपुर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	12-18 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 17,87,344/-
66.	भूटान	श्री जयारामा राव, दिल्ली के नेतृत्व में 08 सदस्यीय कुचीपुड़ी नृत्य समूह	13-17 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 3,97,754/-
67.	थाईलैण्ड	श्री नितिन नाथ, राजस्थान के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह	14-18 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 7,87,731/-
68.	श्रीलंका	सुश्री कनक यतीन्द्र रैले, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मोहिनीअट्टम नृत्य समूह	14-20 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 4,81,669/-
69.	त्रिनिदाद और टोबैगो	श्री गुलाम दस्तीगर खान, दिल्ली के नेतृत्व में 07 सदस्यीय वाद्य समूह	14 अगस्त-01 सितम्बर, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 20,14,892/-

1	2	3	4	5	6
70.	रूस	श्री जॉन एंथोनी, तमिलनाडु के नेतृत्व में 08 सदस्यीय बैंड कामाट्रीक बैंड समूह	14-20 अगस्त, 2012	स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 8,06,935/-
71.	फिजी	श्री सुरेश कुमार नायर, दिल्ली के नेतृत्व में 14 सदस्यीय बॉलीवुड मैट्रिक्स समूह	20 अगस्त-03 सितम्बर, 2012	भारत 12-2011 के आईसीसी के त्योहार की 40वीं वर्षगांठ	रुपये 32,68,056/-
72.	यूएसए	श्री शांतनु बनर्जी (हिंदुस्तानी गायन) और उनके समूह, पश्चिम बंगाल के लिए चार यात्रा	20 अगस्त-01 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 4,76,000/-
		यात्रा अनुदान			
73.	यूएसए	सुश्री विद्या कोलयुर, तमिलनाडु के नेतृत्व में यक्षगान समूह "यक्ष मंजूशा" के लिए दस यात्रा अनुदान	30 अगस्त-04 नवम्बर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 14,27,500/-
		यात्रा अनुदान			
74.	नार्वे	सुश्री इला अरूण (बॉलीवुड), महाराष्ट्र को तीन यात्रा अनुदान	31 अगस्त-15 सितम्बर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 4,45,000/-
		यात्रा अनुदान			
75.	मलेशिया चीन हांगकांग वियतनाम	ओडिसी नृत्यांगना सुश्री सोनल मानसिंह और उसके साथ रहनेवाला दिल्ली को दो यात्रा अनुदान	31 अगस्त-13 सितम्बर, 2012	लेकडम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए	रुपये 1,72,967/-
		यात्रा अनुदान			
76.	नेपाल	श्री दादी पुदमजी (कठपुतली), दिल्ली के नेतृत्व में इशरा कठपुतली रंगमंच को वित्तीय सहायता	31 अगस्त, 2012	दो प्रदर्शन करने के लिए 45000/- रुपये की वित्तीय सहायता	रुपये 45,000/-

1	2	3	4	5	6
77.	यू.के.	श्री अजीत कपूर (रंगमंच), महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता	5-13 सितम्बर, 2012 सितम्बर, 2012	हार्ट संस्थान खोलने हेतु प्रदर्शन करने के लिए 3,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता	रुपये 3,00,000/-
78.	यूएसए	सुश्री नंदनी कश्मीर मेहता और श्री के. मुराली मोहन, कर्नाटक को दस यात्रा अनुदान	5 सितम्बर-2 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 14,27,650/-
		यात्रा अनुदान			
79.	म्यांमार	सुश्री सुधा रघुनाथन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 06 सदस्यीय हिन्दुस्तानी गायन समूह	6-11 सितम्बर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 5,12,035/-
80.	कनाडा यूएस	सुश्री रेखा सूर्या, दिल्ली के लिए एक यात्रा अनुदान	6 सितम्बर-3 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 1,27,845/-
		यात्रा अनुदान			
81.	दक्षिण अफ्रीका	टीम को उन्नीस यात्रा अनुदान (1) नृत्यग्राम डांस कंपनी (मोहिनीअट्टम नृत्य) x 4, कर्नाटक श्री अभिषेक माथुर x9, दिल्ली के नेतृत्व में (2) अद्वैत बैंड) (3) जोकर लेअर रंगमंच x5 श्री रजत कपूर, महाराष्ट्र के नेतृत्व में (4) कैलाश खेर (बॉलीवुड) x 1, महाराष्ट्र	07-24 सितम्बर, 2012	6वें साझा इतिहास के भारतीय अनुभव महोत्सव में भाग लेने के लिए	रुपये 12,12,552/-
		यात्रा अनुदान			
82.	फ्रांस	श्री शिव कुमार पिल्लई, गुजरात के लिए एक यात्रा अनुदान,	10-14 सितम्बर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए (रूकमणी चटर्जी के अनुरोध पर)	रुपये 61,946/-
		यात्रा अनुदान			

1	2	3	4	5	6
83.	यूक्रेन	श्री नितिन विजयनाथ, केरल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मोथरराजन बैंड समूह	14-24 सितम्बर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 9,84,405/-
84.	थाईलैंड	सुश्री अरूना मोहानटी, ओडिशा के नेतृत्व में 24 सदस्यीय नृत्य समूह	15-18 सितम्बर, 2012	संगीत और नृत्य के 14वें बैकांक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए	रुपये 6,27,972/-
85.	फ्रांस	सुश्री कलामंडलम कसेमेवती (मणिपुरी नृत्य) (सुश्री ब्रिजित चटागंर के अनुरोध पर) केरल के तीन यात्रा अनुदान	17 सितम्बर-05 अक्तूबर, 2012	मुसी गुमैत में भारतीय समर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए	रुपये 2,45,868/-
		यात्रा अनुदान			
86.	जापान रूस दक्षिण कोरिया	10 सदस्यीय कलारिपयाट्टू समूह जेबीआर मर्म कलारी संघम श्री बाबूरंजन यूसुफ, केरल के नेतृत्व में	20 सितम्बर-13 अक्तूबर, 2012	भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाते हुए ओसाका में ओसाका कला महोत्सव (जापान) में भाग लेने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन व्लादिवोस्तोक (रूस) और दक्षिण कोरिया में करने के लिए	रुपये 20,40,164/-
87.	फिजी	श्री वजाहत हुसैन, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 08 सदस्यीय कव्वाली समूह	20 सितम्बर-01 अक्तूबर, 2012	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के 40वें साल के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 16,35,978/-
88-89.	रियूनियन द्वीप मारीशस	श्री ओएस अरूण, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 06 सदस्यीय कर्नाटक गायन समूह श्री शशधर आचार्य, दिल्ली के नेतृत्व में 08 सदस्यीय छाऊ समूह	22 सितम्बर-14 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 17,22,612/-

1	2	3	4	5	6
90.	रूस	श्री आतिश मुखोपाध्याय (सरोद) पश्चिम बंगाल की यात्रा करने के लिए एक यात्रा अनुदान	25 सितंबर, 12 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 55,746/-
		यात्रा अनुदान			
91.	अर्मेनिया	सुश्री रेवती रामचंद्रन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 05 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	27 सितंबर-02 अक्तूबर, 2012	राजनयिक संबंधों की 20वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए	रुपये 1,64,500/-
92.	यू.के.	कलाकारों के लिए दरबार कला संस्कृति विरासत ट्रस्ट को यात्रा अनुदान; उस्ताद शुजात खान (दिल्ली) चितरविन रविकिरण (तमिलनाडु), प्रत्युश बनर्जी (पश्चिम बंगाल)	1-10 अक्तूबर, 2012	दरबार उत्सव में भाग लेने के लिए (5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता)	रुपये 5,00,000/-
93.	कुवैत	सुश्री पार्वती दत्ता, पुणे के नेतृत्व में 08 सदस्यीय कथक और ओडिसी नृत्य समूह	02-05 अक्तूबर, 2012	एशियाई सहयोग वार्ता (एएसडी) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए	रुपये 3,89,976/-
94.	बांग्लादेश	सुश्री मालाबीका सेन, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 02 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	03-11 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 1,56,818/-
95.	मैक्सिको	सुश्री मीरा प्रसाद, दिल्ली के नेतृत्व में 04 सदस्यीय सितार समूह	07-29 अक्तूबर, 2012	केरवेनटीनो उत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 11,70,500/-
96.	यू.के.	श्री अतर मोहम्मद, दिल्ली के नेतृत्व में 18 सदस्यीय रंगमंच समूह	8-12 अक्तूबर, 2012	नाटक "बाबर के बेटे" 'पेश करने के लिए	रुपये 9,80,439/-
97.	ताइवान	सुश्री तनुश्री शंकर, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय समकालीन नृत्य समूह	08-15 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 11,51,452/-
98.	न्यूजीलैण्ड	सुश्री अवनि पंडित, गुजरात के नेतृत्व मे 15 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह 'रंगश्री'	11-22 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 28,99,620/-
99.	डेनमार्क बेलारूस स्वीडन	10 सदस्यीय कथक और सुश्री मितुल सेनगुप्ता, बंगाल के नेतृत्व में जैज डांस ग्रुप	16-30 अक्तूबर, 2012	स्वान लेक में प्रस्तुति करने के लिए भारत आज कोपेन हेगन कल के लिए डेनमार्क में सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए	रुपये 14,74,201/-

1	2	3	4	5	6
100.	सिंगापुर	श्री बंगसीधर महतो, पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय पुरुलिया छाऊ समूह	20-23 अक्तूबर, 2012	दुर्गा पूजा उत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 6,32,728/-
101.	केन्या	श्री सुरजीत सिंह, दिल्ली के नेतृत्व में 15 सदस्यीय भांगड़ा और गिद्धा नृत्य समूह	21-28 अक्तूबर, 2012	सांस्कृतिक प्रदर्शन करने के लिए	रुपये 14,91,659/-
102.	कजाकिस्तान (अस्ताना)	इनाकू ए. एये., नागालैंड के नेतृत्व में 7 सदस्यीय रॉक बैंड समूह "मनोभ्रश"	24-26 अक्तूबर, 2012	भारतीय संस्कृति के दिनों में भाग लेने के लिए	रुपये 7,72,560/-
103.	मारीशस	सुश्री पल्लवी कृष्णन, केरल के नेतृत्व में 06 सदस्यीय मोहिनीअट्यम और कथकली नृत्य समूह	25 अक्तूबर-03 नवम्बर, 2012	आगामी मिनी प्रवासी भारतीय दिवस 2012 में भाग लेने के लिए	रुपये 9,74,415/-
104.	पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया	इमरान अकबर सिद्दी, गुजरात के नेतृत्व में 09 सदस्यीय सिद्दी गोमा दल	26 अक्तूबर-20 नवम्बर, 2012	दीवाली उत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 19,64,218/-
105.	स्विट्जरलैण्ड फ्रांस	कत्थक नृत्य दल को पांच यात्रा अनुदान (श्री हरि और सुश्री चेतना, कर्नाटक के नेतृत्व में नुपूर प्रस्तुति कला)	23 अक्तूबर-19 नवम्बर, 2012	सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 3,13,460/-
		यात्रा अनुदान			
106.	इण्डोनेशिया	सुश्री मालती श्याम, दिल्ली के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कत्थक नृत्य दल	29-अक्तूबर-12 नवंबर, 2012	आसियान कार रैली के संबंध में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 9,85,246/-
107.	यूएसए	सुश्री विदिशा राय तथा दल, दिल्ली को 5 यात्रा अनुदान	30 अक्तूबर-14 नवंबर, 2012	सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 3,48,400/-
108-112.	सऊदी अरब	5 दल- 1. श्री कुंदन कुमार खीवा, पंजाब के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भांगड़ा दल 2. श्री ताज मोहम्मद, राजस्थान के नेतृत्व में	2-9 नवंबर, 2012	रियाद में "भारतीय सांस्कृतिक सप्ताह" में प्रस्तुति देने के लिए	रुपये 35,96,664/-

1	2	3	4	5	6
		12 सदस्यीय राजस्थानी दल			
		3. श्री श्रीकुमार कदमपत नायर (श्रीकुमार कलामण्डलम), दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय पंचवादयन दल			
		4. श्री रमेश कुमार, पं. बंगाल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय "मनोरंजन छऊ एवं दल" छऊ समूह			
		5. 07 सदस्यीय मुशायरा कलाकार (दिल्ली, उत्तर प्रदेश)	3-9 नवंबर, 2012		
113.	दक्षिण अफ्रीका	मोहम्मद हनिफ भाई, गुजरात के नेतृत्व में 10 सदस्यीय सिद्दी गोमा दल	2-13 नवंबर, 2012	दीवाली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देना	रुपये 12,84,101/-
114.	मलेशिया	श्री रमेशभाई मंदनभाई, गुजरात के नेतृत्व में 10 सदस्यीय दल	4-11 नवम्बर ,2012	भारतीय सप्ताह में भाग लेना	रुपये 7,39,781/-
115.	त्रिनिदाद व टोबैगो	सुश्री शर्मिला पाण्डे, दिल्ली के नेतृत्व में 8 सदस्यीय भोजपुरी नृत्य समूह	5-13 नवंबर, 2012	दीवाली के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 17,83,929/-
116.	अल्जीरिया अल्बानिया .	श्री अमरजीत सिंह क्षेत्रीमगुम, मणिपुर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मणिपुरी थंगटा समूह	9-18 नवंबर, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 22,92,833/-
117.	वियतनाम	श्री चैतन्य पी. दवे, गुजरात के नेतृत्व में 15 सदस्यीय गुजराती लोक समूह "पंघाट"	15-21 नवम्बर, 2012	दीवाली पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 9,40,456/-
118.	जिम्बाब्वे	सुश्री अंचना देव प्रसाद अगरात, गुजरात के नेतृत्व में 10 सदस्यीय गुजराती लोक समूह	21-28 नवंबर, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 9,79,777/-
119.	कतर	सुश्री मनकरेनहस दियस मरिएनेला फिलीगिना, गोवा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय गोवा के लोक समूह "गोएनचिम नोकेट्रम"	22 नवम्बर-8 दिसंबर, 2012	विश्व गोवा दिवस के समारोह में भाग लेना	रुपये 13,42,627/-

1	2	3	4	5	6
120.	जापान	सुश्री पिनाज मनासी, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 12 सदस्यीय बालीवुड समूह	23-30 नवम्बर, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 9,93,744/-
121.	इण्डोनेशिया ब्रुनेई कम्बोडिया	सुश्री प्रीति मेहरोत्रा (पटेल), पं. बंगाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह	24 नवम्बर-6 दिसंबर, 2012	आसियान कार रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 15,88,747/-
122.	यूएसए	श्री हाजी सईद सलमान चिश्ती, राजस्थान के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कव्वाली समूह	25-27 नवंबर, 2012	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 8,55,757/-
123.	यू. के.	सुश्री लूसिन दूबे (थियेटर) और उनका ग्रुप, दिल्ली को तेरह यात्रा अनुदान	26 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2012	"सलाम भारत" में भाग लेना	रुपये 6,88,318/-
124.	थाईलैण्ड	मधुगोपीनाथ "केरल के नेतृत्व में "भारतीय समकालीन प्रदर्शन कला" समुद्र का 10 सदस्यीय दल	26 नवम्बर-1 दिसंबर, 2012	अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह में प्रस्तुति	रुपये 5,26,311/-
125.	यूएसए	डॉ. एल. सुब्रह्मण्यम (वायलीन), तमिलनाडु को दो यात्रा अनुदान	30 नवंबर-1 दिसंबर, 2012	सम्मा महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना (सिम्मी भाटिया के अनुरोध पर)	रुपये 8,24,400/-
126.	थाईलैण्ड कम्बोडिया	सुश्री लिला सैमसन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 6 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	1-6 दिसंबर, 2012	आसियान कार रैली में "चेरिसनू" पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 9,25,990/-
127.	कम्बोडिया वियतनाम लाओ पीडीआर	सुश्री अदिती मंगलदास, दिल्ली के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	3-10 दिसंबर, 2012	आसियान कार रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 7,93,436/-
128.	कम्बोडिया वियतनाम म्यांमार	सुश्री अरुणा मोहंती, ओडिशा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय ओडिशा नृत्य समूह	3-16 दिसंबर, 2012	आसियान कार रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 10,95,603/-
129.	कम्बोडिया	श्री. उमामकेश विनयाकरम, तमिलनाडु के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आघात वाद्ययंत्र	3-6 दिसंबर, 2012	आसियान कार रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 1,93,690/-
130.	कम्बोडिया	श्री सदानम पी. बालाकृष्णन, तमिलनाडु के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मोहनीअट्टम और कथकली नृत्य समूह	3-6 दिसंबर, 2012	आसियान कार रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 3,41,085/-
131.	फिलीपीन्स	उस्ताद गुलाम सबीर, दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय आघात वाद्ययंत्र "सौरंग इनसेम्बल"	8-12 दिसंबर, 2012	नौकायन अभियान के संबंध में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 5,86,087/-

1	2	3	4	5	6
132.	वियतनाम कम्बोडिया थाईलैण्ड	श्री राजेश प्रसन्ना और सुश्री सोनम कालरा, दिल्ली के नेतृत्व में बैण्ड समूह "श्वास"	1-20 जनवरी, 2013	नौकायन अभियान के संबंध में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 20,62,110/-
133.	तस्मानिया	श्री बकरम घोष (तबला), महाराष्ट्र को 6 यात्रा अनुदान	15-19 जनवरी, 2013	सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति	रुपये 6,42,000/-
134.	बांग्लादेश	श्री अशिम बंधु, कोलकाता के नेतृत्व में 2 सदस्यीय कत्थक समूह	22-28 जनवरी, 2013	गणतंत्र दिवस समरोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 2,68,112/-
135.	श्रीलंका	श्री आर. रमाचन्द्रन नायर, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कलारीपयाट्टू "माधव मदाम सीवीएम कलारी और मइमा चिकिलसलायम" समूह	23 जनवरी-2 फरवरी, 2013	गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 2,79,052/-
136.	अल्जीरिया ट्यूनीशिया	श्री अंकुर गुप्ता, दिल्ली के नेतृत्व में 12 सदस्यीय बालीवुड समूह	23 जनवरी-10 फरवरी, 2013	गणतंत्र दिवस समरोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 20,85,639/-
137.	मॉरीशस	अंसारी मोहम्मद रशीद रिजवी (नाथखान), महाराष्ट्र को एक यात्रा अनुदान	23 जनवरी-5 फरवरी, 2013	ईद मिलाद उन नबी के समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 43,890/-
138.	चीन	सुश्री जयालक्ष्मी ईश्वर, दिल्ली के नेतृत्व में 9 सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य समूह	25 जनवरी-2 फरवरी, 2013	गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 7,26,600/-
139.	तंजानिया	सुश्री प्रणामे भवगती व सुश्री जयंता भगवती, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कत्थक नृत्य समूह	25-29 जनवरी, 2013	गणतंत्र दिवस समारोह में सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना	रुपये 3,31,561/-
140.	हांग कांग सिंगापुर	सुश्री लक्ष्मीरानी देवी अरिबम, मणिपुर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय फ्यूजन बैंड समूह "रिदिम ऑफ मणिपुरी"	2-7 फरवरी, 2013	आसियान नौकायन अभियान के संबंध में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 14,66,962/-
141.	सेशल्स	सुश्री सेलिना अजवेदो, गोवा के नेतृत्व में 12 सदस्यीय गोवा लोक समूह	6-11 फरवरी, 2013	विक्टोरिया अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेना	रुपये 9,32,006/-
142.	आस्ट्रेलिया	श्री एच.0 कृष्णा भटट्, कर्नाटक में 10 सदस्यीय यक्षगान समूह	7-11 फरवरी, 2013	बहुसांस्कृतिक उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 12,06,791/-
143.	थाईलैण्ड	सुश्री प्रीति, दिल्ली के नेतृत्व में 14 सदस्यीय भांगडा और गिद्धा समूह "पंजाबी अकादमी"	15-27 फरवरी, 2013	सांस्कृतिक प्रदर्शन करना	रुपये 7,44,023/-

1	2	3	4	5	6
144.	थाईलैण्ड	इबाहुबा मेसनम सिंह, मणिपुर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मणिपुरी समूह	17-24 फरवरी, 2013	विश्व पृथ्वी संगीत महोत्सव के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धुन में भाग लेना	रुपये 7,44,023/-
145	मॉरीशिस दक्षिण अफ्रीका	श्री त्रिलोकी प्रसाद, महाराष्ट्र के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भक्ति संगीत समूह	5-11 मार्च, 2013 11-20 मार्च, 2013	महाशिवरात्रि उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 18,2,290/-
146.	म्यांमार	श्री सत्यनारायण, केरल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सीवीएन कालरी समूह	6-9 मार्च, 2013	आसियान नौकायन अभियान के संबंध में सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 3,87,484/-
1147.	ऑस्ट्रेलिया	6 यात्रा अनुदान (i) सुश्री सुधा रघुनाथन (हिन्दुस्तानी स्वर) x3, तमिलनाडु (i) सुश्री मंजिरी केलकर x3, महाराष्ट्र	7-8 मार्च, 2013	श्री मोहिन्दर ढिल्लन, नटराज सांस्कृतिक केन्द्र आईएनसी के अनुरोध पर भारत के उत्साह समारोह में भाग लेना	रुपये 5,85,000/-
148	मॉरीशस	सुश्री शिवानी कश्यप, दिल्ली के नेतृत्व में 15 सदस्यीय बॉलीवुड समूह	8-17 मार्च, 2013	मारीशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में, जहां भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर उपस्थित थे, में सांस्कृतिक प्रस्तुति करना	रुपये 6,59,900/-
149.	यूएसए	भिरावी ललित कला, दिल्ली को वित्तीय सहायता	17 मार्च-26 अप्रैल, 2013	भिरवी ललित कला को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता	रुपये 2,50,000/-
150.	यूएसए	सुश्री कौशल्या रेड्डी को 4 यात्रा अनुदान	19 मार्च-9 अप्रैल, 2013	सांस्कृतिक प्रस्तुति	रुपये 5,11,000/-
151.	आस्ट्रिया	श्री आशीष कार झारखंड के नेतृत्व में प्रदीपकार स्मारक न्यास के सेरईकेल्ला छाउ समूह को 11 यात्रा अनुदान	20-25 मार्च, 2012	"भारत के महाराजा" और नृत्य सृजन-पौराणिक विगत एवं आज के बीच एशिया नामक प्रदर्शनी के दौरान कलामंचन हेतु	रुपये 6,59,900/-
152.	मोंसेराट त्रिनिडाड व टोबैगो	श्री वसावा बच्चुभाई सोमाभाई, गुजरात के नेतृत्व में 9 सदस्यीय गुजराती नृत्य समूह	22-30 मार्च, 2013	मोंसेराट में सेंट पैट्रिक्स दिवस समारोह में भाग लेने और होली समारोह के अवसर पर कलामंचन करने हेतु	रुपये 22,89,178/-
153.	मॉरीशस	श्री अर्जुन बुद्धिराजा, दिल्ली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय होली समूह	22-29 मार्च, 2013	होली समारोह के अवसर पर "ब्रज की होली" का कलामंचन करने हेतु	रुपये 14,54,870/-
154.	दक्षिण अफ्रीका	सुश्री राजकुमारी, राजस्थान के नेतृत्व में 10 सदस्यीय राजस्थानी नृत्य समूह	22 मार्च से 02 अप्रैल, 2013	बीच महोत्सव में भाग लेने और साथ ही पांचवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु	रुपये 15,26,768/-

द्विपक्षीय श्रम समझौते

2180. श्री सुल्तान अहमदः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों में रहने वाले/कार्यरत भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के लिए उनके साथ कोई सामाजिक सुरक्षा/सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समझौतों की प्रमुख विशेषताओं का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किसी अन्य देश के साथ चर्चा कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय देशों द्वारा उक्त समझौतों का उल्लंघन किए जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार, देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) भारत सरकार ने बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्वीट्जरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, हंगरी, चेक गणराज्य, नार्वे, फिनलैंड, कनाडा, जापान, स्वीडन, आस्ट्रिया, पुर्तगाल के साथ सामाजिक सुरक्षा सरकार पर और क्यूबेक (कनाडा का प्रांत) के साथ सामाजिक सुरक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

व्यापक सामाजिक सुरक्षा करार की मुख्य विशेषताएं सामान्यतः निम्नानुसार है:-

(i) लघु अवधि संविदा के लिए भारतीय कामगारों को इन देशों में कोई सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि, वे भारत में अंशदान करते रहें।

(ii) भारतीय कामगार यदि भारत में वापस पुनर्वास करते हैं तो वे सामाजिक सुरक्षा लाभ को अपने साथ ले जाने के पात्र होंगे।

(iii) सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता का निर्धारण करते समय एक संविदाकारी राज्य में किए गए अंशदान की अवधि को दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अंशदान की अवधि में जोड़ा जाएगा।

उपरोक्त (iii) पर वर्णित विशेषता बेल्जियम, स्वीट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और चेक गणराज्य के साथ किए गए सामाजिक सुरक्षा करारों में शामिल नहीं है।

(ग) रूस, थाईलैंड, स्पेन और श्रीलंका के साथ इस संबंध में चर्चा चल रही है और आस्ट्रेलिया के साथ पूर्ण हो चुकी है।

(घ) उल्लंघन का कोई उदाहरण रिपोर्ट नहीं किया गया है या मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आया है।

(ङ) उपरोक्त उत्तर के भाग (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत समावेशी नवाचार निधि

2181. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारत समावेशी नवाचार निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयास की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, हां। सामाजिक प्रतिफल एवं अच्छे आर्थिक प्रतिफल सहित आधारभूत नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 'इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड के नाम से एक प्रतिबद्ध कोष बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह कोष सामाजिक निवेश पर फोकस सहित लाभकारी संस्था के रूप में संचालित होगा। इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड उन उद्यमों की सहायता करेगा जो भारत के आर्थिक पिरामिड में निचले अर्द्ध भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए नवप्रवर्तन समाधान विकसित करने में लगे हैं जिनकी मूलभूत सेवाओं तक सीमित वास्तविक एवं संस्थागत पहुंच है। इस कोष की कुल राशि प्रारंभ में न्यूनतम 500 करोड़ रुपए और अधिकतम 5,000 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार का आरंभिक योगदान 100 करोड़ रुपए होगा।

(ग) मंत्रिमंडल ने इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

आवास परियोजनाएं

2182. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री नलिन कुमार कटीलः

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राज्य-वार आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है और लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्ताव-वार आबंटित राशि कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) वर्ष 2005 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 65 चुनिंदा शहरों में शहरी गरीबों/स्लम वासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित आवास और अवस्थापनात्मक सुविधाएं शुरू करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करना है। अन्य शहरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू किया गया था। मिशन की अवधि 31.12.2012 तक थी जिसे मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्णता के लिए मार्च 2015 तक बढ़ाया गया है। गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राज्यवार अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। चूंकि, स्कीम के तहत परियोजनाओं के लिए अनुमोदन मार्च, 2012 तक था इसलिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

भारत सरकार ने दो चरणों में जून, 2011 में आरएवाई प्रारंभ किया है, इसका प्रारंभिक चरण दो वर्षों की अवधि का था, जो जून, 2013 में समाप्त हो गया है। भारत सरकार ने सितम्बर, 2013 में आरएवाई के कार्यान्वयन चरण को 2013 से 2022 की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से मंत्रालय को आरएवाई के तहत 165 डीपीआर प्राप्त हुए हैं। गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरएवाई के तहत अनुमोदित महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे तथा उनकी परियोजना लागत संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी) की स्कीम हेतु निर्दिष्ट एसीए के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। स्कीम के परियोजना-वार ब्यौरे इस मंत्रालय के वैबसाइट www.mhupa.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक तथा कुल (2005-2012) के दौरान शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (उप-मिशन-II) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या और परियोजना लागत

(करोड़ रुपये में)

दिनांक 02.12.2013 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-2011		2011-2012		कुल (2005-12)	
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश			2	172.27	39	3559.51
2.	अरुणाचल प्रदेश			2	17.55	4	66.81

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम					2	108.44
4.	बिहार					18	709.98
5.	छत्तीसगढ़			4	218.77	10	461.5
6.	चंडीगढ़ (यूटी)			1	11.55	4	1033.03
7.	दिल्ली	7	1905.13	3	741.92	17	3244.98
8.	गोवा					1	10.22
9.	गुजरात	2	27.61	7	401.52	27	2067.09
10.	हरियाणा					2	64.23
11.	हिमाचल प्रदेश					2	24.01
12.	जम्मू और कश्मीर					5	162.39
13.	झारखंड	3	159.71			14	530.38
14.	कर्नाटक			1	10.96	19	854.64
15.	केरल					7	343.67
16.	मध्य प्रदेश					22	705.08
17.	महाराष्ट्र			11	638.74	62	5837.94
18.	मेघालय					3	51.74
19.	मणिपुर					1	51.23
20.	मिजोरम					3	91.02
21.	ओडिशा					6	74.62
22.	पंजाब			2	96.42	4	168.86
23.	पुदुचेरी					3	135.98
24.	सिक्किम					3	33.58
25.	नागालैंड					1	133.08
26.	राजस्थान	2	181.50			3	289.21
27.	तमिलनाडु			1	15.79	51	2334.28
28.	त्रिपुरा					1	16.73
29.	उत्तर प्रदेश	अतिरिक्त	11.67	1	11.28	66	2295.37
30.	उत्तराखंड					11	75.32
31.	पश्चिम बंगाल	12	710.67	15	558.67	112	4177.38
		26	2996.29	50	2895.44	523	29712.30

विवरण II

दिनांक 02.12.2013 की स्थिति के अनुसार

राजीव आवास योजना(आरएवाई)

राजीव आवास योजना के अंतर्गत परियोजना का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-2012		2012-2013		2013-14		कुल	
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1	58.75	3	107.62			4	166.37
2.	अरुणाचल प्रदेश					1	44.31	1	44.31
3.	असम							0	0.00
4.	बिहार							0	0.00
5.	छत्तीसगढ़			1	13.60	3	115.66	4	129.26
6.	चंडीगढ़ (यूटी)							0	0.00
7.	दिल्ली							0	0.00
8.	गोवा							0	0.00
9.	गुजरात					2	56.92	2	56.92
10.	हरियाणा					4	311.09	4	311.09
11.	हिमाचल प्रदेश			1	34.00			1	34.00
12.	जम्मू और कश्मीर			1	22.22			1	22.22
13.	झारखंड							0	0.00
14.	कर्नाटक			3	194.73	2	120.11	5	314.84
15.	केरल	1	71.87			1	17.85	2	89.72
16.	मध्य प्रदेश	4	213.55	2	146.01			6	359.56
17.	महाराष्ट्र							0	0.00
18.	मेघालय							0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	मणिपुर							0	0.00
20.	मिजोरम			1	11.20			1	11.20
21.	ओडिशा	1	44.77	4	205.96	1	21.51	6	272.24
22.	पंजाब			2	19.43			2	19.43
23.	पुदुचेरी							0	0.00
24.	सिक्किम							0	0.00
25.	नागालैंड							0	0.00
26.	राजस्थान	1	57.29	6	363.20	14	547.75	21	968.24
27.	तमिलनाडु			3	134.36			3	134.36
28.	त्रिपुरा							0	0.00
29.	उत्तर प्रदेश			8	224.60			8	224.60
30.	उत्तराखंड							0	0.00
31.	पश्चिम बंगाल					2	22.95	2	22.95
		8	446.23	35	1476.93	30	1258.15	73	3181.31

विवरण III

जेएनएनयूआरएम: संयुक्त वित्तीय प्रगति

(2 दिसम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	7-वर्ष नया आबंटन			अनुमोदित परियोजना लागत			वचनबद्ध एसीए			एसीए की% वचन-बद्धता	जारी एसीएं			जारी एसीए का %
		बीएस-यूपी	आईएच-एसडीपी	कुल	बीएस-यूपी	आईएच-एसडीपी	कुल	बीएस-यूपी	आईएच-एसडीपी	कुल		बीएस-यूपी	आईए-एसडीपी	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	27.29	27.29	0.00	15.15	15.15	0.00	13.64	13.64	50%	0.00	5.53	5.53	20%
2.	आंध्र प्रदेश	1547.42	764.57	2311.99	3559.51	1003.53	4563.03	1605.31	675.45	2280.76	99%	1382.64	656.35	2038.99	88%
3.	अरुणाचल प्रदेश	43.95	24.52	68.47	66.81	9.95	76.76	59.60	8.96	68.55	100%	28.81	4.48	33.39	49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	असम	121.94	67.25	189.19	108.44	84.99	193.43	97.60	70.22	167.81	89%	48.80	38.81	87.61	46%
5.	बिहार	531.54	168.07	699.61	709.99	757.89	1467.87	312.76	380.79	693.55	99%	78.19	233.51	311.70	45%
6.	चंडीगढ़	446.13	0.00	446.13	1033.03	0.00	1033.03	444.93	0.00	444.93	100%	379.02	0.00	379.02	85%
7.	छत्तीसगढ़	385.21	158.83	544.04	461.50	225.60	687.10	362.08	158.83	520.90	96%	191.66	158.85	350.51	64%
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	20.56	20.56	0.00	5.74	5.74	0.00	3.34	3.34	16%	0.00	1.67	1.67	8%
9.	दमन और दीव	0.00	21.97	21.97	0.00	0.69	0.69	0.00	0.58	0.58	3%	0.00	0.29	0.29	1%
10.	दिल्ली	1481.28	0.00	1481.28	3244.98	0.00	3244.98	1472.72	0.00	1472.72	99%	768.24	0.00	768.24	52%
11.	गोवा	11.43	35.79	47.22	10.22	4.10	14.32	4.60	1.40	6.00	13%	1.15	0.70	1.85	4%
12.	गुजरात	1015.56	256.25	1271.81	2067.09	425.71	2492.81	1015.47	254.65	1270.12	100%	803.48	204.32	1007.81	79%
13.	हरियाणा	57.31	209.70	267.01	64.23	303.98	368.20	31.18	231.85	263.03	99%	31.18	172.73	203.91	76%
14.	हिमाचल प्रदेश	31.29	37.07	68.36	24.01	75.11	99.11	18.27	50.09	68.35	100%	7.37	32.09	39.46	58%
15.	जम्मू और कश्मीर	140.18	117.34	257.52	162.39	147.60	310.00	134.44	114.32	248.76	97%	52.38	96.86	149.24	58%
16.	झारखंड	351.09	136.00	487.09	530.38	217.93	748.31	328.74	131.33	460.06	94%	82.18	86.98	169.17%	35%
17.	कर्नाटक	407.97	222.69	630.66	854.64	410.30	1264.94	412.64	222.58	635.22	101%	353.20	218.60	571.81	91%
18.	केरल	250.00	198.83	448.83	343.67	273.32	616.98	233.56	201.60	435.17	97%	179.86	161.29	341.15	76%
19.	लक्षदीप	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%
20.	मध्य प्रदेश	351.10	276.64	627.74	705.08	376.28	1081.36	344.26	257.42	601.68	96%	258.74	163.11	421.86	67%
21.	महाराष्ट्र	3372.56	1130.60	4503.16	5837.94	2533.69	8371.62	2818.83	1581.61	4400.44	98%	1894.67	1064.74	2959.41	66%
22.	मणिपुर	43.91	32.35	76.26	51.23	70.21	121.44	43.91	52.20	96.11	126%	32.93	32.35	65.28	86%
23.	मेघालय	40.35	28.97	69.32	51.74	41.48	93.22	40.35	22.43	62.78	91%	36.21	11.21	47.42	68%
24.	मिजोरम	80.11	29.78	109.89	91.02	56.07	147.10	79.73	41.05	120.77	110%	59.80	29.78	89.58	82%
25.	नागालैंड	105.60	44.14	149.74	133.08	101.86	234.94	105.60	60.99	166.59	111%	105.60	29.92	135.52	91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.	ओडिशा	78.74	176.33	255.07	74.62	289.50	364.12	54.18	194.53	248.71	98%	45.68	155.74	201.42	79%
27.	पुदुचेरी	83.20	26.95	110.15	135.98	17.03	153.01	83.20	5.48	88.67	81%	38.02	2.74	40.75	37%
28.	पंजाब	444.46	172.56	617.02	168.86	340.12	508.98	84.37	145.64	230.00	37%	47.49	89.71	137.19	22%
29.	राजस्थान	383.46	424.56	808.02	289.21	1012.78	1301.99	172.67	613.64	786.31	97%	85.47	506.74	592.21	73%
30.	सिक्किम	29.06	20.90	49.96	33.58	19.91	53.49	29.06	17.92	46.98	94%	29.06	17.92	46.98	94%
31.	तमिलनाडु	1107.80	349.38	1457.18	2334.28	566.11	900.39	1045.28	400.45	1445.73	99%	812.62	362.62	1175.25	81%
32.	त्रिपुरा	23.66	28.36	52.02	16.73	43.64	60.37	13.96	38.05	52.01	100%	13.96	37.35	51.31	99%
33.	उत्तर प्रदेश	1165.22	854.41	2019.63	2295.37	1295.84	3591.21	1121.52	826.41	1947.94	96%	850.48	688.34	1538.82	76%
34.	उत्तराखंड	97.84	63.58	161.42	75.32	177.55	252.88	56.47	97.92	154.39	96%	24.17	70.30	94.47	59%
35.	पश्चिम बंगाल	2126.98	681.04	2808.02	4177.38	944.36	5121.74	2045.44	709.02	2754.46	98%	1427.17	696.67	2123.84	76%
	सकल योग	16356.35	6828.31	23184.66	29712.30	11848.03	41560.33	14672.72	7584.36	22257.08	96%	10150.33	6032.34	16182.67	70%

[अनुवाद]

व्यय को प्रकट करना

2183. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों को पेट्रोल की खपत, विदेशी और घरेलू दौरों सहित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय और सरकारी निजी भागीदारी के संबंध में ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अपेक्षित सूचना कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वत: प्रकटन की गुणता और मात्रा में सुधार के लिए भारत सरकार ने 15.04.2013 को अपने मंत्रालयों/विभागों को कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारियों के स्वत: प्रकटन और मंत्री/मंत्रियों तथा भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा किए जाने वाले विदेशी और घरेलू दौरों के ब्यौरे पर स्वत: प्रकटन पर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

दिशा-निर्देशों में आगे और प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण यह सुनिश्चत करे कि ये दिशा-निर्देश उनके जारी किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर पूरी तरह से लागू हो जाएं।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को दिनांक 10.12.2013 को उक्त दिशा-निर्देशों का शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन करने का पुन: अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों हेतु सहायता

2184. श्री लक्ष्मण टुडु:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पिछड़े जिलों के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थाओं से कोई सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त सहायता से चलाई जा रही परियोजनाएं/कार्यक्रम कौन-से हैं और इसके परिणामत: क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की सहायता उद्दिष्ट नहीं की जाती है। विश्व बैंक और एडीबी, भारत सरकार द्वारा उनके समक्ष रखी गई परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थानों से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रकों में कार्यान्वित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थानों से मिलने वाली अधिकांश सहायता, क्षेत्रक/परियोजना-विशिष्ट होती है और देश के पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में अनेक परियोजनाएं प्रचालनाधीन हैं। गरीबी उपशमन, आजीविका और ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाली कुछ परियोजनाओं में बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण आजीविका संबंधी परियोजनाएं, पश्चिम राजस्थान में गरीबी उपशमन, छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना, तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उपशमन परियोजना, झारखंड-छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम, ओडिशा जनजातीय अधिकारिता और आजीविका कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना आदि शामिल हैं।

(ग) हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संस्थानों से मिलने वाली सहायता हमारे विकास व्यय का एक बहुत ही छोटा भाग है परंतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करने से वैश्विक ज्ञान और सुविज्ञता का लाभ उठाने, विकास में नवप्रवर्तन को कार्यान्वित करने के साथ-साथ क्षमता निर्माण करने में मदद मिलती है। ये सभी, देश के पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में गरीबी को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों को समर्थन देने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं।

[अनुवाद]

संविधान पीठों द्वारा निर्णय

2185. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान पीठों द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय महत्व के कई तात्कालिक संवैधानिक पीठ संबंधी मामलों की सुनवाई होना बाकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निजी स्कूलों में अनियमितताएं

2186. श्री हरीश चौधरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्रीमती तबस्सुम हसन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने, बच्चों को प्रवेश से इंकार करने, भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से झूठे वायदे करने इत्यादि सहित विभिन्न अनुचित पद्धतियों को अपनाये जाने की सूचना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में उक्त कृत्य हेतु कितने स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार स्कूलों द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेने, बच्चों को प्रवेश से इंकार करने और झूठे दावे करने में संलिप्त स्कूलों को कदाचार करने से रोकने के लिए कोई विधान लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन स्कूलों द्वारा अपनाई जा रही अनुचित पद्धतियों को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने और चूंकि अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों द्वरा चलाए जा रहे हैं, इस संबंध में उपर्युक्त कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। हालांकि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों के विरुद्ध कैपीटेशन शुल्क और डोनेशन की मांग करने के संबंध में छिटपुट शिकायतें मिलती हैं।

(ख) और (ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतें और कृत कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्कूल शिक्षा क्षेत्र में कैपीटेशन शुल्क की वसूली, उच्चतर कक्षाओं में छात्रों के दाखिले के लिए स्कूलों द्वारा अपनाई गई भामक और अपारदर्शी प्रक्रियाओं तथा अपात्र एवं अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति सहित कदाचारों को दूर करने के लिए प्रारूप विधान तैयार किया गया है।

विवरण

निजी स्कूलों में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायते और कृत कार्रवाई

वर्ष	राज्य	शिकायतों की संख्या	स्कूलों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई
1	2	3	4
2011	केरल	01	00
	पंजाब	02	00
	तमिलनाडु	03	01
	दिल्ली	01	00
	महाराष्ट्र	01	00
	गुजरात	01	00
	कुल	09	01
2012	केरल	08	04
	उत्तर प्रदेश	05	02

1	2	3	4
	हरियाणा	01	00
	आंध्र प्रदेश	03	00
	कर्नाटक	01	00
	कुल	18	06
2013	छत्तीसगढ़	01	00
	असम	01	00
	कुल	02	00
	कुल योग	29	07

[अनुवाद]

निजी टेलीकॉम कंपनियों की निगरानी

2187. **श्री राजेन गोहैन:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निजी कंपनियों, जो मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं को सेवाएं दे रही हैं के कार्यकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कंपनियां देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को न्यूनतम सुनिश्चित/सांविधिक सेवा नहीं दे रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा निजी कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन सेवा में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) ट्राई, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही कार्य-निनष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पीएमआर) और मासिक सघनता रिपोर्टों की मार्फत, ट्राई द्वारा निर्धारित किए गए सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों के मद्देनजर सेवा प्रदाताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी करता है। ट्राई, स्वतंत्र एजेंसियों की मार्फत बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) एवं सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की मार्फत उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता का आवधिक वस्तुनिष्ठ आकलन और जांच करता है। ट्राई, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों की मार्फत सेवा की ग्राहक संकल्पना का आकलन भी करता है। इन सभी रिपोर्टों को आम जनता/स्टेकधारकों की सूचना के लिए ट्राई की वेबसाइट की मार्फत प्रकाशित किया जाता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार ने सफल बोलीदाता के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु एनआईए के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के कवरेज हेतु लाइसेंस की प्रभावी तारीख से 5वें वर्ष तक कम से कम 30% ब्लॉक मुख्यालयों का कवरेज करने हेतु रॉलआउट दायित्व निर्धारित किए हैं।

[हिन्दी]

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार

2188. **श्री लालजी टन्डन:**
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार ने दिनांक 03.09.2013 को 2013-2022 की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राजीव आवास योजना (आरएवाई) शुरू की है। आरएवाई दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनिवार्य सुधारों में से एक "ऐसे स्लम वासियों को बंधक योग्य एवं नवीकरणीय, दीर्घ अवधि (15 वर्ष) की वशांनुगति योग्य पट्टा अधिकार देने के लिए वचनबद्ध एवं इच्छुक है जो 5 वर्षो से अधिक समय से स्लमों में रहे हैं।" स्कीम के अंतर्गत सभी शहर/शहरी समूह पात्र हैं। आरएवाई में दो चरण कार्यान्वयन कार्यनीति है अर्थात स्लम मुक्त शहर कार्य योजना एसएफसीपीओए की तैयारी एवं चुनिंदा स्लमों हेतु परियोजनाओं की तैयारी की व्यवस्था की गयी है। स्कीम के अंतर्गत शहरों/पूल का चयन केन्द्र के परामर्श से राज्यों द्वारा किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/यूए के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों यूए के लिए परियोजना लागत का 75 प्रतिशत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरों एवं विशेष श्रेणी के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) को उनकी आबादी पर ध्यान दिए बिना परियोजना लागत का 80 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। स्कीम का लक्ष्य 12वीं योजना के दौरान आरएवाई के अंतर्गत 1 मिलियन परिवारों को लाभ प्रदान करना है।

[अनुवाद]

भारत निर्माण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन

2189. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्माण कार्यक्रम (बीएनपी) का लक्ष्य ग्रामीण अवसंरचना में वृहत् सुधार प्राप्त करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) बिहार, केरल और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत कार्यनिष्पादनता कैसी है;

(घ) क्या इन प्रत्येक राज्यों में कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी संघटक-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करने हेतु 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम (बीएनपी) नामक एक समयबद्ध योजना शुरू की है। बीएनपी के दो चरण हैं–इस कार्यक्रम के चरण-I को 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया था। चरण-II को 2009-10 से कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएनपी में ग्रामीण अवसंरचना के छः घटक शामिल हैं, नामत: ग्रामीण पेयजल (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम), आवास (इंदिरा आवास योजना), सिंचाई (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम), ग्रामीण सड़कें (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) (पीएमजीएसवाई), विद्युतीकरण (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) और ग्रामीण टेलीफोन सेवा।

(ग) से (ङ) बिहार, कर्नाटक और केरल सहित सभी राज्यों के लिए बीएनपी के छ: घटकों के संबंध में वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है। लक्ष्यों से संबंधित उपलब्धि में, राज्य-विशिष्ट और घटक-विशिष्ट भिन्नताओं को अधिसूचित किया गया है। कमी के कारण क्षेत्रक-विशिष्ट हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं (i) राज्यों में ठेकागत क्षमता की कमी (ii) वन और पर्यावरण मंजूरी में विलम्ब (iii) कानून और व्यवस्था की

समस्याएं और निजी भूमि की अनुपलब्धता (iv) राज्यों में पर्याप्त उप-पारेषण तंत्र की अनुपलब्धता (v) परियोजनाओं की निर्माण लागत में बढ़ोतरी और वितीय व्यवहार्यता (vi) इंदिरा आवास योजना के मामले में बीपीएल परिवारों के लिए वास स्थलों की अनुपलब्धता (vii) आवास की निम्न गुणवता और आवास की अपर्याप्त इकाई लागत (viii) पूरी की जा चुकी जलापूर्ति स्कीमों के अनुरक्षण और रख-रखाव में पंचायती राज संस्थानों की क्षमता में कमी और सामुदायिक जल उपयोगकर्ताओं की क्षमता संबंधी बाध्यताएं आदि।

विवरण

1. ग्रामीण पेयजल (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम)

(इकाइयों की संख्या)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लक्ष्य (01.04.2005 की स्थिति के अनुसार शेष)				व्याप्ति (कवरेज)			
		सुविधा रहित (अन कवर्ड)	स्लिपड बैक	गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित बस्तियां	कुल	सुविधा रहित (अन कवर्ड)	स्लिपड बैक	गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित बस्तियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	29744	4050	33794	0	28598	2611	31209
2.	अरुणाचल प्रदेश	668	2752	0	3420	668	870	401	1939
3.	असम	7375	10636	8119	26130	7375	8829	2478	18682
4.	बिहार	0	47597	776	48373	0	42705	6306	49011
5.	छत्तीसगढ़	0	19007	5021	24028	0	29547	1042	30589
6.	गोवा	6	0	0	6	6	1	0	7
7.	गुजरात	36	4389	8717	13142	36	6046	3551	9633
8.	हरियाणा	0	2506	361	2867	0	2860	205	3065
9.	हिमाचल प्रदेश	6891	9308	0	16199	6891	9653	0	16544
10.	जम्मू और कश्मीर	3211	3138	49	6398	3211	782	0	3993
11.	झारखंड	0	17225	168	17393	0	17005	457	17462
12.	कर्नाटक	5618	809	21008	27435	5618	8578	3238	17434
13.	केरल	7573	421	867	8861	7573	3946	691	12210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	0	37269	5381	42650	0	38512	559	39071
15.	महाराष्ट्र	17738	11579	3787	33104	17738	13987	3622	35347
16.	मणिपुर	0	80	37	117	0	517	0	517
17.	मेघालय	251	4341	160	4752	251	3562	98	3911
18.	मिजोरम	112	271	26	409	112	363	26	501
19.	नागालैंड	731	202	157	1090	731	614	46	1391
20.	ओडिशा	0	14900	32254	47154	0	39902	5124	45026
21.	पंजाब	1931	5247	2093	9271	1786	2198	703	4687
22.	राजस्थान	2300	33680	41072	77052	1871	26897	5355	34123
23.	सिक्किम	74	783	0	857	74	510	0	584
24.	तमिलनाडु	0	44080	5574	49654	0	33123	1300	34423
25.	त्रिपुरा	0	651	7031	7682	0	825	683	1508
26.	उत्तर प्रदेश	0	19886	5062	24948	0	24629	3853	28482
27.	उत्तराखंड	272	7567	0	7839	237	5611	0	5848
28.	पश्चिम बंगाल	0	3536	65156	68692	0	7635	7728	15363
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	102	0	26	128	94	0	0	94
30.	दादरा और नगर हवेली	60	0	0	60	60	0	0	60
31.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	10	0	0	10	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	108	0	16	124	108	57	91	256
35.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	55067	331604	216968	603639	54440	358362	50168	462970

2. आवास (इंदिरा आवास योजना)

राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या	लक्षित घरों की संख्या	निर्माण किए गए घरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आंध्र प्रदेश	130130	132521	138342	146403	192148	194861	192132	266654	371982	434733	257104	257104	249013	249013	270399	250945	207313	0
अरुणाचल प्रदेश	4603	5327	4939	4600	6765	6422	6770	7236	10873	6026	7726	9915	7548	1400	8339	1581	6870	0
असम	101790	104353	109214	125441	149593	150776	149699	112706	240446	181162	170849	156911	166913	143770	184408	96156	138695	0
बिहार	384111	331651	408350	349053	567171	430864	567125	484197	1098001	653214	758904	566148	737486	469885	816305	581762	605550	254
छत्तीसगढ़	20124	26578	21393	20818	29714	30093	29712	30023	57520	58449	39759	58419	37466	77485	41511	25438	48004	0
गोवा	801	615	852	1115	1183	735	1183	586	2291	1864	1584	667	1547	1087	1714	69539	107880	10
गुजरात	63819	65602	67846	65195	94234	110908	94226	122412	182429	166760	126090	167313	123168	111999	136470	10902	18029	181
हरियाणा	8960	9743	9526	10375	13231	13398	13229	13302	25611	24138	17703	18055	17293	17282	19163	6279	7064	0
हिमाचल प्रदेश	2873	3031	3054	3317	4242	4029	4242	4501	8212	9295	5793	5834	5659	6019	6271	3994	15952	0
जम्मू और कश्मीर	8924	8231	9487	10667	13177	15361	13176	13211	25508	18594	17995	19666	17578	9042	19476	62550	67153	4
झारखंड	34261	75403	36423	57246	50589	45936	50585	56180	97926	87524	167691	167254	63477	117343	69503	109923	87816	0
कर्नाटक	50136	56944	53299	49088	74029	39990	74023	87051	143311	158417	99055	95567	96760	26965	107210	43607	45738	288
केरल	27880	36413	29639	30817	41167	37094	41164	53133	79695	51590	55084	54853	53808	54499	59620	100277	112936	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मध्य प्रदेश	40022	59420	42548	54544	59096	60222	59091	74651	114396	96877	79073	79097	76135	98447	84358	105939	137314	970
महाराष्ट्र	78478	94274	83430	78427	115879	126117	115869	118611	224323	207695	155052	156575	151063	141479	167379	3018	8011	0
मणिपुर	3996	4962	4287	3460	5872	3379	5877	514	9439	3296	6707	4682	6552	2956	7238	5356	13865	84
मेघालय	6959	6678	7467	4183	10228	2271	10235	5619	16440	9875	11681	11439	11412	13147	12608	2308	3661	49
मिजोरम	1483	2182	1591	2178	2180	1918	2181	5179	3504	4851	2489	3517	2432	3227	2687	0	10439	0
नागालैंड	4605	7949	4941	6321	6768	7491	6773	24717	10878	11645	7730	15514	7552	13362	8343	116666	128057	1
ओडिशा	75465	87070	80228	81345	111431	140853	111422	62447	215715	170766	149100	171223	142082	141398	155363	5371	19531	0
पंजाब	11081	7868	11780	8250	16362	17992	16361	11700	31674	27108	21893	20483	21386	16622	23696	82994	85460	29
राजस्थान	32070	38471	34094	33397	47354	42517	47350	52654	91670	86992	63362	63464	61894	125642	68578	1410	1436	0
सिक्किम	881	1296	945	1554	1294	1533	1295	1774	2080	1819	1478	2739	1444	1805	1596	38242	88436	2448
तमिलनाडु	52101	66434	55389	27919	76932	103379	76925	94160	148929	169753	102939	96256	100553	91631	111410	0	13368	0
त्रिपुरा	8967	11902	9621	10612	13178	12945	13187	26389	21182	8322	15050	12310	14704	26529	16245	162435	297223	8
उत्तर प्रदेश	172527	185541	183414	165469	254750	264296	254729	267543	493156	483949	340868	305376	332804	307012	368322	12881	14012	0
उत्तराखंड	7863	21722	8359	17239	11611	18766	11610	12696	22476	20373	15856	15924	15488	15573	17162	158439	185594	0
पश्चिम बंगाल	104098	99259	110667	128838	153709	107575	153697	123808	297564	230155	205671	178832	199176	186224	219553	0	1065	0

3. सिंचाई [त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)]

(हजार हेक्टेयर में इकाइयां)

क्रम सं.	राज्य	भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत कृत्रिम सिंचाई क्षमता (अप्रैल 2005 के मार्च 2009 तक)	भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत सृजित सिंचाई क्षमता (2009 से 2013 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	799.262	1010.481
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.051	33.767
3.	असम	57.777	212.307
4.	बिहार	526.751	1494.981
5.	चंडीगढ़	167.446	256.062
6.	गोवा	12.581	16.336
7.	गुजरात	551.655	914.283
8.	हरियाणा	64.411	200.386
9.	हिमाचल प्रदेश	22.625	75.257
10.	जम्मू और कश्मीर	60.357	107.061
11.	झारखंड	83.899	176.107
12.	कर्नाटक	347.980	527.425
13.	केरल	34.514	76.324
14.	मध्य प्रदेश	403.320	771.625
15.	महाराष्ट्र	637.200	1028.323
16.	मणिपुर	16.140	24.112
17.	मेघालय	10.269	26.835
18.	मिजोरम	8.910	23.210
19.	नागालैंड	12.715	30.040

1	2	3	4
20.	ओडिशा	237.575	584.676
21.	पंजाब	137.498	179.269
22.	राजस्थान	424.640	573.190
23.	सिक्किम	3.891	9.877
24.	तलिमनाडु	483.624	2193.484
25.	त्रिपुरा	11.749	38.139
26.	उत्तर प्रदेश	1933.176	2202.817
27.	उत्तराखंड	109.079	199.124
28.	पश्चिम बंगाल	137.426	273.964
	कुल	7315.521	13259.460

$डीएमयू-पीएमओ को भेजी गई तिमाही रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बताये गए आंकड़े।

4. ग्रामीण सड़कें (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना)

जुलाई 2013 तक पीएमजीएसवाई के तहत मंजूर की गई और जोड़ी गई बस्तियां क्रमोन्नयन (नवीकरण सहित), लम्बाई कि. मी. में (आंकड़े फरवरी 2013 तक)

क्रम सं.	राज्य	पात्र बस्तियां**	जून, 2013 तक मंजूर की गई बस्तियां	जुलाई 2013 तक जोड़ी जा चुकी बस्तियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4819	1947	1386
2.	अरुणाचल प्रदेश	931	365	321
3.	असम	12205	8806	7038
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी एवं एनईए)	24804	20892	10719
5.	छत्तीसगढ़	10763	9109	6463
6.	गोवा*	20	20	2

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	3387	3024	2730
8.	हरियाणा	1	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3725	2427	1872
10.	जम्मू और कश्मीर	3892	1927	1220
11.	झारखंड	11613	7883	4086
12.	कर्नाटक	1766	269	269
13.	केरल	435	435	365
14.	मध्य प्रदेश	21168	16202	11636
15.	महाराष्ट्र	2159	1369	1178
16.	मणिपुर	1023	448	304
17.	मेघालय	793	290	156
18.	मिजोरम	246	162	152
19.	नागालैंड	191	91	90
20.	ओडिशा	22211	11962	7193
21.	पंजाब	441	425	410
22.	राजस्थान	16801	13191	11252
23.	सिक्किम	366	296	196
24.	तमिलनाडु	2203	1983	1934
25.	त्रिपुरा	1731	1997	1563
26.	उत्तर प्रदेश	13984	12664	11129
27.	उत्तराखंड	2684	1049	678
28.	पश्चिम बंगाल	13822	13265	8858
	कुल योग	178184	132499	93201

*मार्च 2009 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं।

**संशोधित किया जा रहा है। 24.08.2013

पीएमजीएसवाई की वास्तविक प्रगति की स्थिति (31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	नई सम्पर्कता (कि.मी.)		
		कुल अपेक्षित लम्बाई	जून, 2013 तक मंजूर की गई लम्बाई	जुलाई 2013 तक पूरी की गई लम्बाई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3326	6124	3862
2.	अरुणाचल प्रदेश	6095	5486	3752
3.	असम	14571	16549	13884
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी)	33544	23869	12639
	बिहार (एनईए)		13038	9849
5.	छत्तीसगढ़	37556	25135	17764
6.	गोवा*	40	26	2
7.	गुजरात	7453	5312	4654
8.	हरियाणा	26	2	2
9.	हिमाचल प्रदेश	12832	10782	7618
10.	जम्मू और कश्मीर	8412	16516	4122
11.	झारखंड	21445	9899	8319
12.	कर्नाटक	500	505	501
13.	केरल	439	789	612
14.	मध्य प्रदेश	60264	48043	36345
15.	महाराष्ट्र	4654	4381	3367
16.	मणिपुर	2131	4576	2771
17.	मेघालय	2662	1455	1037
18.	मिजोरम	2021	2902	2180
19.	नागालैंड	1789	2047	1991
20.	ओडिशा	29374	33321	19257
21.	पंजाब	979	825	830
22.	राजस्थान	36472	42385	36271

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	1107	2118	1073
24.	तमिलनाडु	4978	3538	3380
25.	त्रिपुरा	2980	3294	2288
26.	उत्तर प्रदेश	38600	17774	19301
27.	उत्तराखंड	10429	6617	4297
28.	पश्चिम बंगाल	22995	20609	12437
	कुल योग	367673	327917	234403

*मार्च 2009 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं। **संशोधित किया जा रहा है। 24.08.2013

5. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

क्रम सं.	राज्य	विद्युत सुविधा से वंचित गांवों का विद्युतीकरण	बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन जारी करना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	2663815
2.	अरुणाचल प्रदेश	1023	19562
3.	असम	7249	741241
4.	बिहार	21505	1873361
5.	छत्तीसगढ	336	482251
6.	गुजरात	0	779403
7.	हरियाणा	0	194104
8.	हिमाचल प्रदेश	39	9028
9.	जम्मू और कश्मीर	130	39395
10.	झारखंड	17398	1220965
11.	कर्नाटक	61	823751
12.	केरल	0	17238

1	2	3	4
13.	मध्य प्रदेश	447	567492
14.	महाराष्ट्र	0	1135238
15.	मणिपुर	337	12482
16.	मेघालय	334	44134
17.	मिजोरम	74	11681
18.	नागालैंड	75	25768
19.	ओडिशा	13612	2500223
20.	पंजाब	0	48397
21.	राजस्थान	3896	1014466
22.	सिक्किम	23	8855
23.	तमिलनाडु	0	498883
24.	त्रिपुरा	123	72685
25.	उत्तर प्रदेश	27759	900618
26.	उत्तराखंड	1510	229237
27.	पश्चिम बंगाल	4169	1719432
	कुल (राज्य)	100100	17653705

6. ग्रामीण टेलीफोन सेवा (आरटी)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	भारत निर्माण-1 के तहत वीपीटीज की सुविधा प्रदान किए जाने वाले गांवों की संख्या	उपलब्ध कराए गए वीपीटी
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	675	675

1	2	3	4
3.	असम	8775	8775
4.	बिहार	0	0
5.	झारखंड	1564	1564
6.	गुजरात	4097	4097
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1000	1000
9.	जम्मू और कश्मीर	1753	1748
10.	कर्नाटक	0	0
11.	केरल	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11854	11854
13.	छत्तीसगढ़	3509	3509
14.	महाराष्ट्र	6275	6270
15क.	मेघालय (एनई-I)	1504	1363
15ख.	मिजोरम (एनई-I)	93	93
15ग.	त्रिपुरा (एनई-I)	75	75
16.क	अरुणाचल प्रदेश (एनई-II)	646	646
16.ख	नागालैंड (एनई-II)	861	861
16.ग	नागालैंड (एनई-II)	28	28
17.	ओडिशा	4122	4122
18.	पंजाब	0	0
19.	राजस्थान	11924	11921
20.	तमिलनाडु	0	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0
23.	उत्तराखंड	3547	3500
24.	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	62302	62101

केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

2190. **श्री प्रेमदास राय:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) की तर्ज पर एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में आईजीएनटीयू के क्षेत्रीय कैम्पस स्थापित करने हेतु संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी नहीं। तथापि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) का मणिपुर में इम्फाल स्थित एक क्षेत्रीय केन्द्र है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और जम्मू और कश्मीर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसरों को स्थापित करने का अनुरोध राज्य सरकारों, सांसदों और अन्य वर्गों से प्राप्त हुआ है।

खतरनाक/असुरक्षित फ्लैट्स

2191. **श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक/असुरक्षित घोषित सरकारी आवासों/बंगलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन आवासों को खतरनाक घोषित करने के क्या कारण हैं और इसके परिणामत: सरकारी राजकोष को कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन फ्लैटों/बंगलों का नवीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस नवीकरण कार्य को कब से प्रारंभ करने और कब तक पूर्ण करने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 1234 सरकारी आवास/बंगलों को खतरनाक और असुरक्षित घोषित किया गया है।

(ख) इन मकानों में रहने योग्य समय-सीमा समाप्त हो चुकी है इसलिए सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं है।

(ग) 72 फ्लैटों का नवीकरण/मरम्ममत की जा रही है और शेष पुनर्विकास स्कीम के अंतर्गत हैं। डेमोलिशन के लिए प्रस्तावित हैं।

(घ) (i) दिल्ली में 58 फ्लैटों का पहले ही नवीकरण किया जा रहा है और 28.2.2014 तक आबंटन के लिए तैयार हो जाएंगे।

(ii) मुंबई में 14 फ्लैटों का नवीकरण 6 माह के भीतर शुरू किया जाएगा और 12 माह के भीतर पूरा हो जाएगा।

मध्याह्न भोजन योजना में हादसे

2192. **श्री बदरूद्दीन अजमल:**
श्री अब्दुल रहमान:
श्री शिवराम गौडा:
श्री सी. शिवासामी:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन खाने के बाद विद्यार्थियों को अपने जीवन से हाथ धोने/बीमार पड़ने और ऐसे भोजन को बनाते समय विद्यार्थियों का कड़ाही में गिरने के अनेक मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन को तैयार करने और इसकी गुणवत्ता के विनियमन हेतु कोई मानक प्रचालन कार्यविधियां तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के सुदृढ़ीकरण और इसके अंतर्गत गुणवत्ता सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक आदि विभिन्न स्तरों पर प्रबंध संरचनाओं की स्थापना के माध्यम से स्पष्ट भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ विस्तरित दिशा-निर्देश पुन: जारी किए हैं। राज्यों को ब्राण्डेड और एग्मार्क गुणवत्ता वाली दालें और खाद्य सामग्रियां प्राप्त करने और उनके सुरक्षित भण्डारण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ बच्चों को खाना परोसे जाने से पहले कम-से-कम एक शिक्षक द्वारा खाने को चखना अनिवार्य करने के लिए कहा गया है। मॉनीटरिंग को सुदृढ़ करने के लिए योजना की सामाजिक संपरीक्षा को आरम्भ किया गया है और राज्यों को जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक बुलाने के लिए कहा गया है। मध्याह्न भोजन के लिए वैब आधारित एमआईएस पोर्टल आरम्भ किया गया है और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने लगभग 12.12 लाख स्कूलों का वार्षिक डाटा इसमें डाल दिया है। पर्यटन मंत्रालय, चयनित विश्वविद्यालयों में गृह विज्ञान स्कूलों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खाद्यान्नों की सुरक्षा के प्रबंध और स्वच्छ कुकिंग को सुनिश्चित करने हेतु रसोइया-सह-सहायक के साथ-साथ जिला और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण/सीएसआईआर संस्थानों/प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से खाद्य नमूनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए भी राज्यों को कहा गया है।

इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर राज्यों का दौरा करने वाली संयुक्त समीक्षा मिशनों द्वारा किया जाता है। वर्तमान वर्ष में उत्कृष्ट पोषण-विशेषज्ञों के सहयोग से 16 संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर औचक दौरे किए गए हैं; वर्तमान वर्ष में महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, असम और ओडिशा में ऐसे चार दौरे किए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन खाने के पश्चात् बीमार पड़ने अथवा मरने वाले बच्चों की संख्या

राज्य	वर्ष में मामलों की संख्या				कुल	बच्चों की संख्या	
	2010	2011	2012	2013		बीमार पड़ने वाले (वर्ष)	मृत (वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	1	0	0	1	2	153 (2010)	1 (2013) भगौने में गिरने के कारण मृत्यु
तमिलनाडु				1	1	158 (2013)	-
दिल्ली	1	2	1		4	29 (2010)	-
मध्य प्रदेश						126-22(2011)	-
						12 (2012)	-
बिहार		1	1		2	9 (2011)	-
						85 (2012)	-

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	1		1	3	5	128 (2010)	-
						100 (2012)	-
						46; 113; 8(2013)	23 (2013) छपरा जिले में मध्याह्न भोजन खाने के पश्चात्
				1	1	78 (2013)	-
हरियाणा		2			2	22 और 3 (2011)	-
पश्चिम बंगाल			1		1	50 (2012)	-
ओडिशा				2	2	39 (2013)	1 (2013) भगौने में गिरने के कारण मृत्यु
कुल	3	5	4	8	20	1181	25

मोबाइल फोन प्रशुल्क

2193. श्री एम.के. राघवन:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों के मध्य प्रशुल्क स्पर्धा होने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दूरसंचार कंपनियां मोबाइल प्रशुल्क को बढ़ाने के लिए एकजुट हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे तटस्थ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या मोबाइल डाटा सेवाओं की गुणवत्ता बहुत घटिया है और प्रचालकों ने अनेक क्षेत्रों में 3जी नेटवर्क का विस्तार नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो ग्राहकों को मोबाइल डाटा सेवाओं हेतु मूल्यों में कटौती सहित गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) विद्यमान प्रशुल्क ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग एवं ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं को छोड़कर मोबाइल डाटा सेवाओं सहित दूरसंचार अभिगम सेवाओं के लिए प्रशुल्क फारबीयरेंस के अधीन है। सेवा प्रदाताओं को अपने प्रचालनों के अलग-अलग सेवा क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रशुल्क घटकों का निर्णय करने की सुविधा प्राप्त है। सेवा प्रदाताओं द्वारा आगत लागत, प्रतिस्पर्धा स्तर तथा अन्य वाणिज्यिक मुद्दों सहित अनेक तथ्यों पर विचार करते हुए प्रशुल्क में वृद्धि एवं प्रशुल्क में कमी की जाती है।

(ङ) और (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) वायरलेस डाटा सेवा विनियम, 2012 दिनांक 04.12.2012 के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानकों के माध्यम से ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी विभिन्न पैरामीटरों हेतु बेंचमार्क के मद्देनजर सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है। सितम्बर, 2013 को समाप्त

तिमाही के लिए सेवा प्रदाताओं से प्राप्त निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सेवा प्रदाता ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट बेंचमार्क को सामान्यतया पूरा कर रहे हैं। निम्नलिखित द्वारा बेंचमार्क का अनुपालन न किया जाना पाया गया है:

सेवा प्रदाता	पैरामीटर	बेंचमार्क	पीढ़ी	तिमाही निष्पादन	
वोडाफोन	सेवा संक्रियण/व्यवस्था	95% सफलता दर के साथ 4 घंटे के भीतर	सभी पीढ़ियां	कोलकता	79.23
भारतीय एयरटेल	सेवा संक्रियण/व्यवस्था	95% सफलता दर के साथ 4 घंटे के भीतर	सभी पीढ़ियां	गुजरात	94
				महाराष्ट्र	94
				मुंबई	93
				राजस्थान	91
यूनीनॉर	अन्तर्हितता	250 एमएस से कम डाटा	सभी पीढ़ियां	आंध्र प्रदेश	421.72
				गुजरात	447.56
				महाराष्ट्र एवं गोवा	482.94

सरकार द्वारा, त्वरित अनंतिम सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किसी भी समय, कहीं भी, सुरक्षित विश्वसनीय, वहनीय तथा उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से, दिनांक 31.05.2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 (एनटीपी-12) का अनुमोदन किया गया है।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का भारत दौरा

2194. श्री के. शिवकुमार *उर्फ* **जे.के. रितीश:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत का दौरा करने वाले विदेशी राष्ट्रपतियों/प्रधान मंत्रियों तथा भारत के राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री द्वारा विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में किसी देश के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हमारी विदेश नीति ने हमें पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में मदद की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है और, सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में सहायक रही है, जो कि बहुमुखी है तथा इसके तहत राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संबंध शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के क्रम में, भारत बड़े पैमाने पर पड़ोस में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा द्विपक्षीय सहयोग और सहायता के साथ-साथ विकासमूलक परियोजनाओं में शामिल है जिसने इस क्षेत्र में स्थित देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। भारत द्विपक्षीय तथा सार्क दोनों माध्यमों से अंतर-संबंध, व्यापार तथा निवेशों का नेटवर्क स्थापित करने से संबंधित नीतियों का अनुसरण कर रहा है ताकि विकास से होने वाले लाभों को पड़ोसी देशों के साथ बांटा जा सके।

अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति इस आधार-वाक्य द्वारा निर्देशित है कि एक स्थिर, समृद्ध, लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण पड़ोस भारत और इस क्षेत्र के देशों के आपसी हित में है। सरकार इस क्षेत्र के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखती है, खासतौर पर उन घटनाक्रमों पर जो देश की सुरक्षा तथा हितों पर प्रभाव डालने वाली होती है और इस संबंध में समुचित नीतिगत फैसले लेती है। जहां विशिष्ट मुद्दे मौजूद हैं, भारत इन मुद्दों को व्यापक वार्ता तंत्र और साथ ही नियमित रूप से परस्पर देशों की यात्राएं करके सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विवरण

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यात्राएं

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2194

18.12.2013 का उत्तर देने के लिए

माननीय सांसद श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश द्वारा पूछा गया

क्रम सं.	पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी देशों के प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति का भारत का दौरा तथा भारत से वहां के दौरे का विवरण	क्या हाल ही में सरकार ने किसी देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है	यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा
1	2	3	4
1.	**अफगानिस्तान**		
	12-15 दिसंबर, 2013 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति श्री हामिद करजई का दौरा	शून्य	----
2.	**आस्ट्रेलिया**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं	जी हां	नवंबर, 2013 में आशय से संबंधित निम्न समझौता ज्ञापन/वक्तव्य हस्ताक्षरित हुए हैं: (क) पारिस्थितिकी तंत्र तथा वातावरण विज्ञान पर एक केन्द्र से संबंधित सहयोग के लिए आस्ट्रेलिया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के बीच एक 'आशय का वक्तव्य' (ख) सीमा शुल्क से संबंधित मौजूद समझौता ज्ञापन में संशोधन
3.	**बांग्लादेश**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं	जी हां	28 जनवरी, 2013 को भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि 23 अक्तूबर, 2013 से लागू है।
4.	**बेल्जियम**		
	2-5 अक्तूबर, 2013 तक भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने बेल्जियम का दौरा किया	जी हां	राष्ट्रपति के दौरे के दौरान, अनुसंधान और नवीकरण पर भारतीय और बेल्जियम विश्वविद्यालयों के बीच पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए।

1	2	3	4
5.	**भूटान**		
	30 अगस्त से 04 सितंबर, 2013 तक भूटान के प्रधानमंत्री श्री योन चेन शेरिंग ने भारत की यात्रा की	जी हां	वर्ष 2013-18 अवधि के लिए भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार के सहायता पैकेज, जिसमें रुपये 4,500 करोड़ की योजना सहायता तथा रुपये 500 करोड़ उनके आर्थिक संवर्द्धन योजना शामिल है की घोषणा, 31 अगस्त, 2013 को भूटान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान की गई।
6.	**ब्राजील**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं	जी हां	15 अक्तूबर, 2013 को ब्रासीलिया में सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित करार पर भारत और ब्राजील के बीच हस्ताक्षर हुए।
7.	**ब्रूनेई**		
	9-10 अक्तूबर, 2013 तक ब्रूनेई में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 11वीं आसियान-भारत तथा 8वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया	शून्य	----
8.	**कंबोडिया**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रीय के स्तर पर कोई यात्रा नहीं	जी हां	जून, 2013 में एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुआ।
9.	**चीन**		
	22-24 अक्तूबर, 2013 तक एक द्विपक्षीय यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की	जी हां	23 अक्तूबर, 2013 को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान निम्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए: (क) नालंदा विश्वविद्यालय पर समझौता ज्ञापन (ख) सीमापार नदियों पर सहयोग को सुदृढ़ करने से संबंधित समझौता ज्ञापन (ग) 2013-15 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग पर सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (ङ) भारत में विद्युत उपकरण सेवा केन्द्रों से संबंधित समझौता ज्ञापन

1	2	3	4
10.	**क्यूबा**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई यात्रा नहीं	जी हां	30 अक्तूबर, 2013 को हवाना में प्रसार भारती तथा क्यूबन रेडियो व टीवी के बीच प्रसारण पर सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।
11.	**हंगरी**		
	16-18 अक्तूबर, 2013 तक हंगरी के प्रधानमंत्री श्री विक्टर आरबन ने भारत की यात्रा की	जी हां	उनके यात्रा के दौरान निम्न 6 समझौता ज्ञापनों/आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए: (क) हवाई सेवा करार के संशोधन से संबंधित आशय पत्र (ख) भारत-हंगरी सामरिक अनुसंधान निधि (2014-17 के लिए प्रत्येक यूरो 2 मिलियन का बढ़ा हुआ अंशदान) अनुसंधान के लिए आशय पत्र (ग) 2013-15 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (घ) सूक्ष्म जैविक तथा रेडियोधर्मी खोज और संरक्षा के रक्षात्मक पहलुओं के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (ङ) खेल के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (च) औषधि के पारंपरिक तंत्र के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन
12.	**इंडोनेशिया**		
	10 से 12 अक्तूबर, 2013 तक प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इंडोनेशिया की यात्रा की	जी हां	अक्तूबर, 2013 में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इंडोनेशिया दौरे के दौरान निम्न समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए: (क) स्वापक ओषधियों, नशीली वस्तु और इसके अग्रगामी अवैध तस्करी से निपटने पर समझौता ज्ञापन (ख) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (ग) स्वास्थ्य सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (घ) भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन

1	2	3	4
			(ङ) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय लोक प्रशासनिक संस्थान के बीच सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन
			(च) भारत के भारतीय विश्व कार्य परिषद और इंडोनेशिया के इंडोनेशियाई विश्व कार्य परिषद के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन
13.	**इराक**		
	अगस्त, 2013 में इराक के प्रधानमंत्री श्री नौरी अल मालिकी ने भारत की राजकीय यात्रा की	जी हां	इराक के प्रधानमंत्री के यात्रा के दौरान निम्न चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए: (क) ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (ख) दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन (ग) दोनों मंत्रालयों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन और (घ) जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन
14.	**जापान**		
	30 नवंबर से 3 दिसम्बर, 2013 तक जापान के महामहिम सम्राट अकिहितो और साम्राज्ञी मिचिको ने भारत की यात्रा की।	शून्य	-----
15.	**कुवैत**		
	7-10 नवंबर, 2013 तक कुवैत के प्रधानमंत्री श्री शेख जबर अल-मुबारक अल-हमद अल-शबह ने भारत की यात्रा की	जी हां	नवंबर, 2013 में यात्रा के दौरान निम्न 5 समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर हुए: (क) सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर करार (ख) एफएसआई और केडीआई के बीच समझौता ज्ञापन

1	2	3	4
			(ग) खेल और युवा मामले के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (घ) शिक्षा और अधिगम के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रम और (ङ) संस्कृति और सूचना आदान-प्रदान में कार्यकारी कार्यक्रम
16.	**लेबनान**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	लेबनान में 30 जून, 2013 को द्विपक्षीय शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (ईईपी) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
17.	**लाइबेरिया**		
	लाइबेरिया की राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती ऐलेन जॉनसन सरलीफ सरलीफ 11-13 सितंबर, 2013 को भारत राज्य दौरे पर आई	हां	दौरे के दौरान निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए: (क) भारत और लाइबेरिया के बीच संयुक्त आयोग स्थापित करने पर करार; (ख) भारत के विदेश सेवा संस्थान तथा लाइबेरिया के बीच समझौता ज्ञापन; (ग) भारत तथा लाइबेरिया के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (घ) लाइबेरिया में विद्युत पारेषण एवं आबंटन परियोजना के वित्तपोषण हेतु 144 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण शृंखला एग्जिम बैंक तथा लाइबेरिया की सरकार के बीच करार
18.	**लिचटेंस्टेन**		
	प्रंसिपेलिटि ऑफ लिचटेंस्टेन के राष्ट्राध्यक्ष पदासीन युवराज एचएसएच हंस आदम-II, ने कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष एचएसएच हेरिडेटरी प्रींस एलोयज़ के साथ मिलकर 13-19 अक्तूबर, 2013 तक निजी 'दौरे' पर रहे।	शून्य	--
19.	**मलेशिया**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	(क) जून 2013 में भारत और मलेशिया के बीच सीमाशुल्क मामलों में सहयोग एवं आपसी सहायता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए

1	2	3	4
			(ख) नवंबर, 2013 में भारत तथा मलेशिया के बीच लोक प्रशासन एवं शासन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए
20.	**मोरक्को**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	8 अगस्त, 2013 को भारत तथा मोरक्को ने दोहरा कर परिहार करार (डीटीएए) में संशोधन करके एक नयाचार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए
21.	**म्यांमार**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	सीडैक के प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र में 3 वर्ष के लिए आईटी कौशलों के उन्नयन के लिए भारत म्यांमार केन्द्र (आईएमसीईआईटीएस) के स्तरोन्नयन हेतु 31 अक्तूबर, 2013 को एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
22.	**पेरू**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	(क) पेरू में 28 अक्तूबर, 2013 को संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (ख) सांस्कृतिक विरासत के उन्नयन के प्रसार और चल सांस्कृतिक संपत्ति के परिवर्तन, संग्रहालय विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्कृति के मंत्रालयों के मध्य आशय पत्र पर पेरू में 28 अक्तूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए। (ग) शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर विनिमय कार्यक्रम पर पेरू में 28 अक्तूबर, 2013 को हस्ताक्षर किए गए।
23.	**रूस**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	कौंसुलर, एसएमटी, जीव प्रौद्योगिकी, मानकीकरण और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्रों पर अक्तूबर 2013 में प्रधानमत्री यात्रा के दौरान पांच द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।
24.	**सिंगापुर**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	सेना प्रशिक्षण और अभ्यासों पर सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय करार जून 2013 में पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था।

1	2	3	4
25.	**श्रीलंका**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	(क) एसएमई का विकास, हथकरघा, पावरलूम और वस्त्र के लिए सितंबर, 2013 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। (ख) एक त्रैभाषीय श्रीलंका के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना के समर्थन हेतु तकनीकी सहायता के लिए अक्तूबर, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
26.	**सूडान**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	जुलाई, 2013 में निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए: (क) भूतकाल में सूडान गणराज्य की सरकार को भारत सरकार द्वारा एलओसी पर पूंजीकरण पर ब्याज पर करार किया गया। (ख) जुलाई 2013 में मशकोर शुगर कंपनी के लिए एलओसी के द्वितीय सत्र को जारी करने के लिए सूडान के गणराज्य की सरकार और एग्जिम बैंक के मध्य करार
27.	**थाईलैंड**		
	प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के स्तर पर कोई दौरा नहीं	हां	जून, 2010 में संस्कृत चेयर को जारी रखने के लिए सिल्पाकार्न विश्वविद्यालय, थाईलैंड और सांस्कृतिक संबंधों के लिए भारतीय परिषद के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
28.	**टर्की**		
	5-7 अक्तूबर 2013 के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने टर्की की यात्रा की	हां	छह करार/समझौता ज्ञापन यात्रा के दौरान संपन्न किए गए: (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, तुर्की सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन

1	2	3	4
			(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परिषद टर्की (टीयूबीआईटीएके) के मध्य नयाचार
			(ग) भारत सरकार और टर्की गणराज्य सरकार के मध्य अभिलेखागार क्षेत्र में सहयोग पर नयाचार
			(घ) दूरदर्शन और टर्की रेडियो टेलीविजन निगम के मध्य सहयोग के लिए नयाचार
			(ङ) अखिल भारत रेडियो और टर्की रेडियो टेलीविजन निगम (टीआरटी) का रेडियो कार्यक्रमों में सहयोग के मध्य नयाचार
29.	**यूके**		
	यूके के प्रधानमंत्री श्री डेविड केमरोन ने 13-14 नवम्बर, 2013 को भारत का दौरा किया	शून्य	----
30.	**यूएसए**		
	प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 26-30 सितंबर, 2013 को संयुक्त राज्य का दौरा किया	शून्य	
31.	**वियतनाम**		
	कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम के महासचिव श्री गुयेन फू त्रोंग ने नवंबर, 2013 में भारत का दौरा किया	हां	1. वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए: (क) वायु सेवा करार (ख) हनोई में इंदिरा गांधी उच्च तकनीकी अपराध प्रयोगशाला (आईजीएचसीएल) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन

1	2	3	4
			(ग) रक्षा मंत्रालयों के मध्य वर्गीकृत सूचना की सुरक्षा एवं करार (घ) दो वित्त मंत्रालयों के मध्य सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (ङ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद और हनोई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मध्य सहयोग करार (च) भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएमबी) और राजनीति और लोक प्रशासन की एचसीएम राष्ट्रीय अकादमी के मध्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन (छ) वियतनाम तेल और गैस समूह और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के मध्य समझौता ज्ञापन (ज) उद्योग और व्यपार मंत्रालय और सोकतरंग में लोंग फू दो थर्मल ऊर्जा परियोजना के विकास पर टाटा पावर लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन 2. नवंबर, 2013 में भारत के रक्षा सचिव की वियतनाम यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय करार का पांच वर्षों के लिए जमीनीकरण किया गया था। 3. वियतनाम के लोक सुरक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान सजायाफ्ता लोगों के पारगमन पर एक करार पर नवंबर 2013 में हस्ताक्षर किए गए। 4. जुलाई 2013 में वियतनाम के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान नाम तराई-4 हाइड्रोपावर परियोजना ओर बिनबो पंपिंग स्टेशन की स्थापना के लिए एक एलओसी (अमरीकी 19.5 मिलियन डॉलर्स) करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5. जुलाई 2013 में वियतनाम के सूचना और प्रसारण मंत्री की यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। (क) वियतनाम दूरसंचार प्राधिकरण (वीएनटीए) और भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मध्य समझौता ज्ञापन, (ख) रेडियो फ्रिक्वैंसी प्रबंधन प्राधिकरण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वियतनाम और बेतार योजना और सहयोग स्कंद, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत के मध्य स्पैक्ट्रम प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

केबल लैंडिंग स्टेशन विनियम

2195. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय दूर-संचार केबल लैंडिंग स्टेशन अधिगम सुविधा प्रभार और को-लोकेशन प्रभार विनियमन, 2012 जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर विभिन्न अंशधारकों की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ये विनियमन देश में लागू हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक नए विनियमनों से विभिन्न सेवा प्रदाता और ग्राहकों को किस स्तर तक लाभ हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अभिगम सुविधा प्रभारों (एएफसी) को वर्तमान लागत और उपयोग के अनुरूप बनाने के लिए दिनांक 22.3.2012 को एक परामर्शी पत्र जारी किया। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों एवं लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर, ट्राई ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार केबल लैंडिंग स्टेशन अभिगम सुविधा प्रभार और को-लोकेशन प्रभार विनियम, 2012 (वर्ष 2012 का 27) जारी किया है। इस विनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अभिगम सुविधा प्रभार विनिर्दिष्ट किए गए थे:

क्रम सं.	क्षमता	अभिगम सुविधा प्रभार प्रति इकाई क्षमता प्रतिवर्ष (रुपये में)	
		केबल लैंडिंग स्टेशन पर	वैकल्पिक स्थान पर
(क)	एसटीएम-1	36,000	1,11,000
(ख)	एसटीएम-4	93,000	2,88,000
(ग)	एसटीएम-16	2,40,000	7,50,000
(घ)	एसटीएम-64	6,25,000	19,50,000

ये प्रभार प्रचलित प्रभारों की तुलना में काफी कम हैं और इनसे निम्नलिखित परिणाम आने की संभावना है:

* बीपीओ/कॉल सेंटरों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रदाताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय निजी पट्टा सर्किटों (आईपीएलसी) के मूल्यों में कमी।
* तेजी से बढ़ती हुई ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को स्पर्धात्मक कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ की उपलब्धता।
* वॉयस/डाटा को स्पर्धात्मक कीमत पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना
* अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ क्षेत्र में स्पर्धा-वर्धन।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त विनियमों को मैसर्स टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड और मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड ने

मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.01.2013 और दिनांक 21.02.2013 के अपने आदेश के तहत ट्राई के विनियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।

[हिन्दी]

बाजार शेयर

2196. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री गोपाल सिंह शेखावत:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोग अपनी डाक/पार्सलों को भेजने के लिए डाक विभाग की तुलना में निजी कोरियर कंपनियों को वरीयता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग और कोरियर कंपनियों के बाजार हिस्से का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डाक विभाग के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है और डाक वितरण प्रणाली की निगरानी हेतु कोई तंत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पाई गई कमियां क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) जी, नहीं। लोग अपनी डाक/पार्सलों इत्यादि को भेजने के लिए डाक विभाग की तुलना में निजी कोरियर कंपनियों को वरीयता नहीं देते हैं। स्पीड पोस्ट के परियात और राजस्व, दोनों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है, जो कि इस सेवा में ग्राहकों के विश्वास की द्योतक है। विगत 3 वर्षों के दौरान, स्पीड पोस्ट के परियात तथा अर्जित राजस्व से संबंधित सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) चिह्नित सहभागी के माध्यम से स्पीड पोस्ट सेवा पर किया गया आंतरिक अध्ययन यह भी दर्शाता है कि समग्र कोरियर बाजार में भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा का शेयर वर्ष 2010-11 में 15.1% से बढ़कर 18.3% और वर्ष 2011-12 में 16.7% से बढ़कर 19.8% हो गया है वर्ष 2011-12 के दौरान स्पीड पोस्ट तथा कुछ प्रमुख कोरियर कंपनियों के बाजार शेयर का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां। भारतीय डाक ने स्वयं को एक सक्रिय तथा संवेदनशील संगठन के रूप में तब्दील करने के लिए 'प्रोजेक्ट ऐरो' नाम की एक गुणवत्ता सुधारात्मक परियोजना प्रारंभ की है। इसकी शुरुआत अप्रैल, 2008 में की गई है। प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत डाकघरों के कोर प्रचालनों में समग्र सुधार के साथ-साथ डाकघरों के रूप एवं परिवेश, जिसमें लेन-देन किया जाता है, को भी बेहतर बनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, देश भर में डाक प्रचालनों तथा डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से विभाग ने डाक नेटवर्क इष्टतमीकरण परियोजना कार्यान्वित की है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में स्पीड पोस्ट सेवा के लिए ऑनलाइन ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली को और सुदृढ़ किया गया है ताकि वेबसाइट (www.indiapost.gov.in) पर स्पीड पोस्ट वस्तुओं को ट्रैक करने से संबंधित सूचना प्रदान की जा सके। इसका प्रयोग डाक निदेशालय तथा सर्किल, दोनों स्तरों पर, स्पीड पोस्ट सेवा की प्रचालनात्मक कार्यक्षमता को मानीटर करने के लिए किया जाता है।

(घ) और (ङ) डाकघर के सर्वर से बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के डाटा सीधे ही प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित मानीटरिंग प्रणाली (डाटा एक्सट्रेक्शन टूल के माध्यम से) विकसित की गई है। डाक संवितरण की मानीटरिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन सूचकों (केपीआई) को चिह्नित किया गया था, जिसमें कार्यकलाप के स्वरूप को देखते हुए 0% से 5% तक का टॉलरेन्स स्तर (स्वीकार्यता)

निर्धारित किया गया था। डाटा एक्सट्रेक्शन टूल के माध्यम से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि कार्यान्वयन की खामियों की पहचान हो सके और उन्हें दूर करने के संबंध में कार्रवाई की जा सके।

स्पीड पोस्ट के संवितरण कार्य की मानीटरिंग के लिए, एक ऑनलाइन कार्यनिष्पादन मानीटरिंग प्रणाली विकसित की गई है, जो कि प्रचालनात्मक मानीटरिंग हेतु महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन सूचकों पर आधारित है। फील्ड इकाइयों के कार्यनिष्पादन का आकलन विभिन्न मानदंडों के अनुरूप किया जाता है, जिनमें स्पीड पोस्ट और पंजीकृत वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में ट्रांजिट समय (बुकिंग से वितरण के बीच लगने वाला समय) विभिन्न स्तरों पर डाक वस्तुओं की स्कैनिंग, संवितरण कार्य का निष्पादन, पिन कोड का प्रयोग तथा गलत प्रेषण इत्यादि के मामले शामिल हैं। विभिन्न रिपोर्टें ऑनलाइन उपलब्ध हैं ताकि इनकी मदद से फील्ड इकाइयां कमजोरियों की पहचान कर सकें और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। फील्ड इकाइयों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन शीर्षस्थ स्तर पर भी किया जाता है तथा इनके आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। स्पीड पोस्ट सेवाओं में गुणात्मक सुधार के अंतर्गत डाक नेटवर्कों को इष्टतम बनाना, बेहतर प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार तथा एंड टू एंड ट्रैकिंग सूचना शामिल है। ट्रैक एवं ट्रेस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अपनी डाक वस्तु को बुकिंग से वितरण तक ट्रैक कर सकता है।

एक वेब आधारित ग्राहक शिकायत निपटान एवं फीडबैक प्रणाली भी उपलब्ध है और ग्राहक अपनी शिकायतें तथा अपना फीडबैक ऑनलाइन भी भेज सकते हैं।

विवरण I

स्पीड पोस्ट का परियात तथा अर्जित राजस्व

वर्ष	परियात (करोड़ रुपये में)	राजस्व (करोड़ रुपये में)
2010-11	27.29	748.82
2011-12	39.19	889.64
2012-13	44.99	1261.47

विवरण II

*वर्ष 2011-12 के दौरान स्पीड पोस्ट और प्रमुख कोरियर कंपनियों का बाजार शेयर**

सेवा प्रदाता	मात्रा के आधार पर शेयर
1	2
स्पीड पोस्ट	31.5% से 32.5%
ब्लू डार्ट	7.8 से 2.8%
फर्स्ट फ्लाइट	6.9% से 7.1%
डीटीडीसी	4.9% से 5.3%
प्रोफेशनल कोरियर	4.8% से 5.2%
ओवरनाइट एक्सप्रेस	3.4% से .5%
एएफएल	1.9% से 2.1%

*स्रोत: स्पीड पोस्ट की बाजार शोध रिपोर्ट-2012

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बीआरटीएस परियोजनाएं

2197. **श्री भीष्म शंकर** *ऊर्फ* **कुशल तिवारी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत स्वीकृत बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निश्चित समयावधि के अंतर्गत पूरी नहीं हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और शहर एवं राज्य-वार इन प्रस्तावित बीआरटीएस को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में राज्य-वार बीआरटीएस के अंतर्गत निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा विचार किए जा रहे नए बीआरटीएस प्रस्तावों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) देश में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत स्वीकृत बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) परियोजनाओं का पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का, कार्य पूर्णता अनुसूची सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

(ii) प्रगति की समीक्षा उच्च स्तरीय बैठकों जैसे राज्यों के शहरी विकास सचिवों के साथ वार्षिक बैठकों, क्षेत्रीय, समीक्षा बैठकों इत्यादि द्वारा की जाती है तथा पत्राचार के माध्यम से भी लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(iii) यूएलबी/पैरास्टेटल के कर्मचारियों के लिए द्रुत प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य स्तर पर सहायक कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां पीएमयू तथा यूएलबी स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन यूनिट्स (पीआईयू) और राज्य स्तर पर स्वतंत्र समीक्षा तथा निगरानी प्राधिकरण (आईआरएमए) हेतु क्षमता निर्माण उपाय करना।

(iv) नई परियोजना अथवा दूसरी या बाद की किश्त की स्वीकृति के समय सीएसएमसी द्वारा राज्य/संघ शासितक्षेत्रों की पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के सुधारों और परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति पर विचार किया जाता है।

(घ) इन बीआरटीएस परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 72.50 कि.मी. है।

(ङ) पंजाब राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.10.2013 को बीआरटीएस अमृतसर की 31 कि.मी. लंबी तथा 494.03 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। जो मूल्यांकनाधीन है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बीआरटीएस परियोजनाएं

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	शहर	परियोजना का नाम	सीएसएमसी द्वारा अनुमोदन की तारीख	अनुमोदित लागत (अनुमानित)	प्रतिबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (अनुमानित)	2010-11 में उपयोग के लिए जारी एसीए	2011-12 में उपयोग के लिए जारी एसीए	2012-13 में उपयोग के लिए जारी एसीए	2013-14 में उपयोग के लिए जारी एसीए	डीपीआर के अनुसार पुरा करने की तारीख	नवीनतम क्यूपीआर के अनुसार पूर्ण करने की तारीख
1.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर बीआरटीएस चरण-1 का नदी किनारे का कोरिडोर	12 नव. 10	18000.00	9000.00	0.00	0.00	2250.00	0.00	लागू नहीं	मार्च, 15
2.	मध्य प्रदेश	भोपाल	बीआरटीएस पूरक डीपीआर, भोपाल	16 सित. 13	8276.00	4138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	मार्च, 15	मार्च, 15
3.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर में एबी मार्ग पायलट बीआरटी कोरिडोर के लिए आईटीएस विकास	16 सित. 13	5717.00	2858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	मार्च, 15	मार्च, 15
4.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर बीआरटीएस परियोजनाओं के लिए बीआरटीएस (पैकेज-IV) बहुमॉडल संयोजकता	16 सित. 13	17413.00	8706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	सित. 15	सित. 15
5.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर क्षेत्र में उल्टा डांगा से गोरिया तक बीआरटीएस	16 जून, 10	25291.00	8851.85	2212.96	0.00	0.00	0.00	मार्च, 12	मार्च, 14
			कुल		74697.00	33554.85	2212.96	0.00	2250.00	0.00		

[हिन्दी]

ग्राम शिक्षा समितियां

2198. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश में ग्राम शिक्षा समितियां (वीईसीएस) गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा के सुधार में इनकी क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार का विचार वीईसीएस के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ाने हेतु जागरूकता और प्रसार अभियान शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु निर्धारित निधियां कितनी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधिनियमन से पूर्व सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियां गठित की जा चुकी थीं। तथापि, आरटीई अधिनियम, 2009 अधिदेश के अंतर्गत प्रत्येक प्रारंभिक स्कूल के लिए स्कूल प्रबंध समिति (एसएमसी) गठित की जानी है।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) का गठन अधिसूचित किया है। आरटीई अधिनियम, 2009 के अंतर्गत स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) को स्कूल के कार्यकरण की मॉनीटरिंग, स्कूल विकास योजना की सिफारिश तथा उसे तैयार करने और स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत समुदाय जागरूकता समुदाय प्रशिक्षण और समुदाय लामबंदी के रूप में प्रदान की जाती है। एसएसए मानदंडों में प्रावधान है कि जला परिव्यय में से 0.5% आबंटन समुदाय लामबंदी जिसमें प्रसार तथा जागरूकता अभियान शामिल है, के लिए किया जाए।

[अनुवाद]

पीपीपी विधि के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय

2199. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सभी केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) में दूसरी पाली प्रारंभ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु चयनित किए गए स्थान कौन-से हैं और इसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। कुछ ही केन्द्रीय विद्यालय दूसरी पाली चला रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने दिनांक 19.01.2012 को हुई अपनी 91वीं बैठक में एक नीति निर्णय लिया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के अंतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना, इसके अधिदेश के अनुसार नहीं है।

नागरिक संहिता

2200. डॉ. रतन सिंह अजनाला:
श्री रतन सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों के लिए नागरिक संहिता के सिद्धान्त को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं नागरिक चार्टर की अवधारणा स्वैच्छिक है। तथापि, प्रबोधक प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2012 तक 131 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने अपनी-अपनी नागरिक चार्टर तैयार कर ली थी।

(ख) से (ङ) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संगठन अपनी स्वयं के नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है। सरकार ने लोक सभा में दिनांक

20.12.2011 को "नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011" पेश किया था। इस विधेयक में प्रत्येक लोक प्राधिकरण पर नागरिक चार्टर प्रकाशित करने की बाध्यता रखी गई है जिसमें प्रदान की जाने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की प्रदायगी संबंधी समय-सीमा का उल्लेख किया जाएगा तथा नागरिक चार्टर का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समीक्षा बैठकों के माध्यम से लंबित शिकायतों की गहन समीक्षा की जाती है। चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की 14 बैठकें आयोजित की गई हैं।

आरक्षण संबंधी नीति

2201. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी नीति उचित रूप में लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय ने फरवरी, 2007 में लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर पदों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति को नजरअंदाज किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंत्रालय को सूचित किया है कि केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के अनुसरण में इसने प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने हेतु सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त, इसने दिनांक 24.01.2007 के पत्र द्वारा सहायक प्रोफेसर/लेक्चरार के स्तर पर शिक्षण पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है।

(ग) और (घ) हैदराबाद विश्वविद्यालय ने मंत्रालय को सूचित किया है कि उसे दिनांक 9.2.2007 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दिनांक 24.1.2007 का पत्र प्राप्त हुआ था और इसी बीच, विश्वविद्यालय ने भर्ती के लिए 2007 के पदों को पहले ही विज्ञापित कर दिया था तथा अत: वह कोई भी 7 पद नहीं भर सका जो वास्तव में वर्ष 2007 हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होने थे।

(ङ) विश्वविद्यालय ने रोजगार अधिसूचना को जारी करते हुए वर्ष 2008 के रिक्त पदों की सूची में, वर्ष 2007 के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के 7 रिक्त पदों को शामिल करके कमी की प्रतिपूर्ति की है।

[हिन्दी]

जाली डिग्री/अंक तालिका

2202. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खुले विद्यालयों के अंक तालिका सहित जाली डिग्रियों/अंक तालिकाओं की बिक्री के उदाहरण/मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का देशभर में इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) ने सूचित किया है कि जाली प्रमाणपत्रों/अंक तालिकाओं के 23 मामले सामने आए हैं जिसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर से 11, मणिपुर से 2 और उत्तर प्रदेश से 10 मामले हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सत्यापन कराने वाले संगठन सत्यापन के लिए दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन करते हैं और यदि यह पाया जाता है कि अंक तालिका/प्रमाण-पत्र जाली है तो संगठन को नकारात्मक रिपोर्ट भेजी जाती है जिसने आवेदन किया है और थाने में शिकायत दर्ज की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि इसने अपनी वेबसाइट http://www.ugc.ac.in/page/fake-universities.aspx में 21 जाली विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित की है, जिनको डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। इनका राज्य-वार ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने कई उपाय किए हैं जैसे प्रमाणपत्रों के मुद्रण के लिए वॉटरमार्क पेपर का प्रयोग होलोग्राम का प्रयोग, प्रमाणपत्र की बारकोडिंग और सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा सत्यापन के लिए एनआईओएस की वेबसाइट पर मूल प्रमाणपत्रों के स्कैन किए गए प्रतिरूप को डालना है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जाली दस्तावेजों को बड़े

स्तर पर समाप्त करने के लिए केन्द्रीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी विकसित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है।

(घ) और (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी विधेयक 2011 प्रस्तुत किया है। विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट की शैक्षिक उपाधियों के राष्ट्रीय डाटाबेस को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक डिपॉजिटरी (एनएडी) नामक डिपॉजिटरी बनाने की व्यवस्था है।

व्यावसायिक शिक्षा

2203. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में विशेषकर महाराष्ट्र में व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत शामिल विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कीम के तहत शामिल किए गए विद्यालयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम में शामिल किए जाने वाले लक्षित नए विद्यालयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) ''उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण'' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु अब तक 1119 स्कूलों का अनुमोदन किया गया है जिनमें महाराष्ट्र के 35 स्कूल सम्मिलित हैं।

(ख) इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान तीन राज्यों नामत: हरियाणा (40 स्कूल), असम (60 स्कूल), पश्चिम बंगाल (93 स्कूल) में 193 स्कूल अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2012-13 के दौरान पांच राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश (100 स्कूल), उत्तर प्रदेश (100 स्कूल), आन्ध्र प्रदेश (46 स्कूल), कनार्टक (250 स्कूल), सिक्किम (44 स्कूल) में 540 स्कूल अनुमोदित किए गए थे तथा 2013-14 के दौरान चौदह राज्यों—महाराष्ट्र (35 स्कूल), ओडिशा (30 स्कूल), छत्तीसगढ़ (25 स्कूल), दिल्ली (22 स्कूल), उत्तराखंड (11 स्कूल), मणिपुर (9 स्कूल), मध्य प्रदेश (50 स्कूल), नागालैंड (5 स्कूल), अरुणाचल प्रदेश (10 स्कूल), जम्मू और कश्मीर (22 स्कूल), चण्डीगढ़ (5 स्कूल), झारखंड (24 स्कूल), बिहार (38 स्कूल) और हरियाणा (100 स्कूल) 386 स्कूल अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) बारहवीं योजना की शेष अवधि में योजना के तहत पहले से अनुमोदित 1119 स्कूलों के प्रति प्रतिबद्ध दायित्व पूरा करने का प्रस्ताव है। बारहवीं योजना की शेष अवधि में कोई भावी अनुमोदन राज्यों/संघ क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्तावों के मिलने व इनके लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

एमएसएमई के लिए आरक्षित उत्पाद

2204. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आरक्षित उत्पादों के संदर्भ में दिशानिर्देशों के उल्लंघन की कोई घटना सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का समय-वार और मामला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सरकार को कभी-कभी गैर-लघु उद्योग (गैर-एमएसई) इकाइयों द्वारा लघु उद्योग (अब एमएसई) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण नीति के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है। वर्तमान नीति के तहत एक गैर-लघु उद्योग इकाई (गैर-एमएसई), उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उत्पादन के न्यूनतम 50 प्रतिशत के निर्यात की बाध्यता का पूरा करने के अधीन एमएसई क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित सामग्रियों का विनिर्माण कर सकती है।

(ख) गत तीन वर्षों में लघु उद्योग (अब एमएसई) में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण की नीति के कथित उल्लंघन संबंधी 05 मामलों में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। वर्तमान वर्ष में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मामले तथा उन पर की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) न्यायालय में समय-वार एवं मामला-वार लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) सरकार, केन्द्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसल/सरकारी वकीलों के माध्यम से न्यायालय में मामलों का अननुशीलन करती है।

विवरण I

एमएसई में विशिष्ट विनिर्माण के लिए नीति के कथित उल्लंघन संबंधी मामले

क्रम सं.	इकाई का नाम	पता	विनिर्मित सामग्री (सामग्रियां)	की-गई-कार्रवाई	दर्ज कराने का वर्ष
1.	मैसर्स एरैको ऑटोमोटिव इंडिया (प्रा.) लि., बंगलौर	पता: 41, भिमेनाहाल्ली, पोस्ट बिडाडी, तहसील-रामानगरम, जिला-बंगलौर ग्रामीण, कर्नाटक-562109	पैसेंजर कारों के लिए सीटिंग सिस्टम और इंटीरियर (सीट कुशन, बसों और ट्रकों के लिए सीट और सन विज़र)	महानगरीय दण्डाधिकारी न्यायालय, बंगलौर में मुकदमा दर्ज किया गया है।	2010
2.	मैसर्स मैजिक इंटरनेशनल (प्रा.) लि., गुडगांव	वर्क्स प्लॉट सं. 28, सेक्टर 34, ईएचटीपी, गुडगांव-122001 (हरियाणा)	अभ्यास पुस्तिकाएं	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, गुडगांव में मुकदमा दर्ज किया गया है।	2012
3.	मैसर्स सनबीम हाई टेक मेडिकेयर	पता: प्लॉट सं. 148, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)-122050	एडजस्टेबल बेड्स-हास्पिटल, स्टील टेबल-हास्पिटल, ट्राली-लौह और इस्पात और अन्य सभी प्रकार का स्टील का फर्नीचर	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, गुडगांव में मुकदमा दर्ज किया गया है।	2012
4.	मैसर्स ग्रेट इस्टर्न इम्पेक्स (प्रा.) लि.	पता: 285, उद्योग विहार, फेज-II, गुडगांव, पिन-122016	पेपर लेबल प्राइस मार्किंग सिस्टम	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, गुडगांव में मुकदमा दर्ज किया गया था जहां न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों में प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।	2012
5.	मैसर्स बाल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएलटी)	पता: फर्स्ट इंडिया प्लेस, टॉवर-सी, मेहरौली-गुडगांव रोड, गुडगांव, हरियाणा-122002	अभ्यास पुस्तिकाएं	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला न्यायालय, गुडगांव में मुकदमा दर्ज किया गया है।	2012

विवरण II

न्यायालय में समय-वार तथा मामलावार लंबित मामले

क्रम सं.	इकाई का नाम	पता	विनिर्मित सामग्री (सामग्रियां)	न्यायालय का नाम	से लंबित
1.	मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लि. (पूर्व में डी.एस. फुड्स लि.)	वर्क्स: बी-19, सेक्टर-3, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	पिसे एवं प्रोसेस्ड मसाले	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	2009
2.	मैसर्स थिरूमालाई केमिकल्स लि.	फैक्टरी: सिपकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फेज-1, रानीपेट, वेल्लौर जिला- तामिलनाडु-632403	डीईपी (डाईथाईल फथैलेट/डीओपी (डायोसिटाइल फथैलेट)	उच्च न्यायालय, चेन्नै	2007
3.	मैसर्स जै.आर. पैकेजेस	पैक्टरी: 10वां के.एम. केलनांगलम रोड, ओंगोनडपल्ली, होसुर, जिला कृष्णागिरी, तमिलनाडु, पिन-635110	कोरूगेटेड बॉक्सेस	उच्च न्यायालय, चेन्नै	2007
4.	मैसर्स सिन्थेटिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स लि.	पताः फ्रेगरेन्स प्रभाग, 6/103, मारूदुर, कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु पिन कोड-641104	रेजिनॉएड्स, फ्लोरेल कार्नक्रेट्स और एब्सॉल्यूट्स नैचुरल एसेंसशियल ऑयल	उच्च न्यायालय, चेन्नै	2007
5.	मैसर्स पैपीरस प्रिंटिंग और पैकेजिंग प्रोड्क्ट, नागपुर	पताः सी-46, हिंगना, एमआईडीसी, नागपुर-440028	अभ्यास पुस्तिका	नागपुर में प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 9 के न्यायिक दण्डाधिकारी	2007
6.	मैसर्स एैको ऑटोमोटिव इंडिया (पी) लि., बंगलौर	पता: 41, भिमेनाहाल्ली, एमएन होंल, पोस्ट बिडाडी, तहसील-रामानगरम, जिला-बंगलौर ग्रामीण, कर्नाटक-562109	पैसेंजर कारों के लिए सीटिंग सिस्टम और इंटीरियर (सीट कुशन, बसों और ट्रकों के लिए सीट और सन विज़र)	महानगरीय दण्डाधिकारी न्यायालय, बंगलौर	2010
7.	मैसर्स शक्ति प्रेस लि., नागपुर	पताः यू-116, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, हिंगना रोड, नागपुर-440016	अभ्यास पुस्तिकाएं	नागपुर में प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या 9 के न्यायिक दण्डाधिकारी	2007

[अनुवाद]

हुडको द्वारा लेखापरीक्षा

2205. श्री संजय भोईः क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हुडको ने विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन योजना के संदर्भ में अपनी कोई लेखापरीक्षा करवाई है;

(ख) यदि हां, तो हुडको द्वारा पहचान की गई कमियों, खामियों, अंतरों का स्कीम-वार ब्यौरा क्या है और इन कमियों को दूर करने के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का इन खामियों/अंतरों के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन कमियों के लिए आवंटियों को क्षतिपूर्ति दे सकती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) जी हां! हडको, द्वारा सीजीईडब्ल्यूएचओ आवासीय योजना, चेन्नई, फेज-II की गुणता परीक्षा की गई है।

(ख) हडको ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार हडको द्वारा बताया गया है कि पाये गए दोषों में से अधिकतर कमियां सुधार योग्य हैं जबकि बाकी में सुधार योग्य नहीं हैं। परियोजना की लागत एवं पूर्णता की अवधि के मद्देनजर समग्र परिसज्जा उचित प्रतीत होती है। हडको ने कार्यनिष्पादन में कुछेक परिवर्तनों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्टियां पाई हैं।

(i) प्रेस्ड स्टील सिंगल रिबेटेड फ्रेमों के स्थान पर प्रीकास्ट आरसीसी/सीसी फ्रेमों का उपयोग किया गया है।

(ii) विद्युत फिटिंग्स के मामले में निर्धारित उंचाई में बदलाव।

(iii) चाइनावेयर सिस्टर्न के स्थान पर पीवीसी सिस्टर्न।

सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा सुधार योग्य कमियों को पूरा करने के लिए सभी संभव कार्रवाई आरंभ की है तथा दोष दायित्व अवधि के दौरान यदि कोई देखी गई तो उसे भी सीजीईडब्ल्यूएचओ नियमों के अनुसार ठीक किया जा रहा है। सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा वित्तीय भार की गणना की गई है ताकि उसे ठेकेदार के भुगतान में से काटा जा सके।

(ग) और (घ) इस मामले की गहनता जांच की जाएगी तथा यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

(ङ) और (च) इस मामले पर मंत्रालय विचार कर रहा है।

इग्नू में पत्राचार पाठ्यक्रम

2206. श्री चार्ल्स डिएसः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने शैक्षिक वर्ष 2012-13 में कुछ पत्राचार पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया है/इनमें कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) शैक्षिक वर्ष 2012-13 के दौरान इग्नू में उन रिक्तियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें भरा नहीं गया है; और

(घ) इग्नू में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने शैक्षिक वर्ष 2012-13 के दौरान दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए गए किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को बंद नहीं किया है।

(ग) शैक्षिक वर्ष 2012-13 के दौरान, शिक्षक/शैक्षिक और गैर-शिक्षण स्टाफ के संबंध में क्रमशः 15% और 46% पद रिक्त पड़े हुए थे।

(घ) विश्वविद्यालय ने रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठा लिए हैं और यह कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए अप्रैल, 2012 में एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया था जिसे अब पूरा कर लिया गया है और चयनित उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना आरंभ कर दिया है।

विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

2207. श्री रमेश राठौड़: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सरकारी और निजी विद्यालयों में लागू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने का प्रस्ताव है अथवा यह राज्यों के लिए छोड़ दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण' सितम्बर, 2011 से लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार के विभन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षित, रोजगार योग्य और प्रतिस्पर्धात्मक मानव संसाधन तैयार करना है। योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के माध्यम से उद्योग/नियोक्ता के सहयोग से मांग-आधारित मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की गई और इन्हें तैयार किया गया है। योजना घटकों में स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत सहित स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, अध्यापकों के क्षमता निर्माण, क्षमता आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास शामिल है। यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(घ) और (ङ) इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित स्कूल पहचान किए गए व्यवसायों में आवश्यकता-आधारित मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को इस ढंग से प्रदान करेंगे कि छात्रों को पाठ्यक्रम चुनाव में वांछनीय लचीलापन मिल सके। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को स्थानीय उद्योग आदि से परामर्श करके मानव संसाधन आवश्यकताओं की पहचान करनी होती है। राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पाठ्यक्रम का चयन अन्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कौशल-आवश्यकताओं, अपेक्षित संसाधनों जैसे उद्योग/संयोजन के लिए व्यवसाय ढांचा, शिक्षक/प्रशिक्षक, आवश्यक कच्ची सामग्री की उपलब्धता और विद्यमान तथा उभरते हुए रोजगार अवसरों के मूल्यांकन पर आधारित है।

[हिन्दी]

एआईसीटीई में प्रशासनिक बदलाव

2208. श्री जगदानंद सिंह:
श्री मनसुख भाई डी. वसावा:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के कारण तकनीकी शिक्षा में बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में लाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का एआईसीटीई में प्रशासनिक बदलाव लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एआईसीटीई ने संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंध में नियमों में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तकनीकी संस्थाओं की कमी को देखते हुए देश के प्रत्येक राज्य में इनकी स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के कारण तकनीकी शिक्षा में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कोई बड़ी घटना का उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है। तथापि, सरकार को एआईसीटीई के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार और छोटी अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग सभी शिकायतें निराधार हैं और बिना तथ्यपरक प्रमाण के प्रस्तुत की गई हैं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विद्यमान आदेशों के अनुसार की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) एआईसीटीई ने संस्थानों की मान्यता के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) अधिनियम, 1987 के खंड 10(ट) के प्रावधानों के अधीन नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए सोसायटियों/न्सायों/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत की गई कंपनियों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार आदि को उन आवेदक संस्थाओं को स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान करता है जो समय-समय पर निर्धारित किए गए मानकों और मानदंडों को पूरा करते हैं।

तकनीकी संस्थान

2209. श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी संस्थाओं को खोले जाने की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी संस्थाओं को खोले जाने में कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खोली जाने वाली तकनीकी संस्थाओं की कुल संख्या क्या है और खोली गई संस्थाओं की वास्तविक संख्या क्या है; और

(ङ) क्या तकनीकी संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों की संख्या में भी कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान, नई संस्थाएं खोलने में कुछ गिरावट आई है क्योंकि अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं में विद्यार्थियों के दाखिलों की तुलना में सीटें अधिक हैं। विगत तीन वर्षों में संस्वीकृत किए गए और खोले गए संस्थानों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	इंजीनियरिंग	प्रबंध	एमसीए	फार्मेसी	वास्तु शास्त्र	एचएमसीटी	वर्ष में जोड़े गए
2010-11	250	322	29	33	2	7	643
2011-12	171	123	30	23	8	2	357
2012-13	102	65	13	8	10	3	201

(ङ) जी, नहीं। तकनीकी संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है विगत तीन वर्षों में तकनीकी संस्थानों में दाखिला सीटें और दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

कार्यक्रम	2010-11		2011-12		2012-13	
	दाखिला	नामांकन	दाखिला	नामांकन	दाखिला	नामांकन
इंजीनियरिंग	1314594	1051675	1485894	1099562	1761976	1391961
प्रबंध	277811	216693	352571	260902	385008	296456
एमसीए	87216	61051	92216	63629	100700	68476
फार्मेसी	98746	80972	102746	88362	121652	102188
वास्तुशास्त्र	4991	4891	5491	5381	5996	5816
एचएमसीटी	7393	7023	7693	7385	8401	7897
योग	1790751	1422303	2046611	1519220	2236743	1872794

शैक्षणिक संस्थाओं में ग्रामीण छात्र

2210. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में व्यावसायिक, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं में ग्रामीण छात्रों का प्रतिशत बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण छात्रों के आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार 36.1 प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा 54.3 प्रतिशत कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कुल 66.1 प्रतिशत तकनीकी कॉलेज और 62.6 प्रतिशत पॉलिटेक्निक भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

(ग) सरकार ने हाल में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) आरम्भ किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ पहुंच के मुद्दे, विशेष रूप से देश के ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों, का समाधान करता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सम्भावित योजनाएं तैयार करने तथा राज्य के असेवित व लाभवंचित क्षेत्रों का पता लगाना अपेक्षित है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के विशिष्ट कारकों, जैसे उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण, नए व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेजों की स्थापना तथा स्वायत्त कॉलेजों व क्लस्टरिंग कॉलेजों के क्रमोन्नयन से नए विश्वविद्यालयों का निर्माण के उपयोग की आशा भी की जाती है।

[अनुवाद]

आसियान सम्मेलन

2211. श्री रमेन डेका: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रुनेई में हाल के आसियान के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़े जाने पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) प्रधान मंत्री तथा आसियान के नेताओं ने 10 अक्तूबर 2013 को ब्रुनेई दारूस्सलाम में 11वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में इसके सभी आयामों में भारत और आसियान के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के महत्व पर चर्चा की और म्यांमार व थाईलैण्ड के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाले भारत-म्यांमार-थाईलैण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग के कार्यान्वयन में प्रगति पर भी चर्चा की।

पासपोर्ट को जारी किए जाने में देरी

2212. डॉ. पी. वेणुगोपालः
श्रीमती तबस्सुम हसनः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने में अत्यधिक विलंब के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न श्रेणियों के तहत पासपोर्टों को जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या आवेदकों के आवेदनों और शिकायतों के समाधान के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और इसमें तीव्रता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार के अनुदेशों के अनुसार भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट, पासपोर्ट अधिनियम, 1976 और समय-समय पर संशोधित पासपोर्ट नियमावली, 1980 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है। पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी आवेदक की नागरिकता, पहचान और किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड न होने की जांच अनिवार्य तौर पर करता है, क्योंकि यह पासपोर्ट अधिनियम द्वारा अधिदेशित है। इसमें आवेदक की व्यक्तिगत जानकारियों का सत्यापन और उसके आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें समय लगता है।

2. सरकार को कुछेक ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें पासपोर्ट जारी करने में असाधारण विलंब हुआ है। सामान्यत: देरी होने के कारण निम्नानुसार हैं:

(i) 21 दिनों के निर्धारित समय के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्टों की प्राप्ति में देरी होना:

(ii) आवेदकों द्वारा अपूर्ण सूचना/दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के कारण अपूर्ण पुलिस रिपोर्टों की प्राप्ति;

(iii) पासपोर्टों की मांग में बढ़ोतरी; और

(iv) सेवाओं के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में जनशक्ति की कमी।

3. पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के अन्तर्गत सरकार ने स्वीकृति, पासपोर्ट जारी करने, भेजने की प्रक्रिया में लगने वाला समय सहित पासपोर्ट सेवाओं को सरल बनाने की कोशिश की है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, सरकार ने निम्नलिखित 'अपेक्षित सेवा स्तरों' के बारे में विचार किया है जिसमें पासपोर्ट जमा करने का दिन शामिल नहीं है:-

(i) 'बाद में पुलिस सत्यापन' या 'नहीं' श्रेणी के मामलों में सामान्य पासपोर्ट हेतु तीन कार्य दिवस

(ii) नये पासपोर्ट के ऐसे मामलों में जिनमें पूर्व पुलिस सत्यापन की आवश्यकता है, तीन कार्य दिवस + पुलिस सत्यापन में लिया गया समय

(iii) तत्काल पासपोर्ट सेवा के मामले में एक कार्य दिवस बशर्ते अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त हो जाएं।

(ग) 4. जी हां, पीएसपी के अन्तर्गत मंत्रालय ने सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की है जिसके अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के बारे में सूचनाएं देने और शिकायतों का निपटान करने और नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कॉल केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में एक टॉल मुक्त नम्बर (1800-258-1800) जोकि 17

भारतीय देशी भाषाओं में 24×7 के आधार पर लगातार कार्यरत रहता है। एक सहायता डेस्क की स्थापना की गई है और नागरिक www.passportindia.gov.in पोर्टल द्वारा पहुंच सकते हैं तथा उसमें सुझाव और शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

5. उपर्युक्त के अलावा मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) की स्थापना की गई है। यह दूरभाष, ई-मेल, पत्राचार के माध्यम से और विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों का निपटान भी करता है। इसके अतिरिक्त सभी पासपोर्ट कार्यालय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की वेबसाइट केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) द्वारा लोक शिकायतों का निपटान करते हैं। उनके आवेदनों की वर्तमान स्थिति तथा आगे की कार्रवाई हेतु निर्देश इस वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है, जिसे लोगों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है।

6. लोक शिकायत अधिकारियों के नाम, पते, और फोन नम्बर भी पासपोर्ट कार्यालयों में लगाए जाते हैं। पासपोर्ट कार्योलयों में महत्वपूर्ण स्थानों पर शिकायत/सुझाव बक्सों को भी स्थापित किया गया है। किसी नागरिक से प्राप्त किसी भी शिकायत की समय सीमा के अन्तर्गत जांच करने और सुनवाई करने के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण प्रणाली है। त्वरित गति से शिकायतों के निवारण के लिए और आवेदकों की सहायता के लिए सूचना और सुविधा काउन्टर, पीजी सैल और सहायता डेस्क स्थापित किए गए हैं।

(घ) 7. पासपोर्ट प्रक्रिया को और सरल करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की पहचान की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कई उच्च प्रभाव वाली ई-शासन पहल और परियोजनाएं शामिल हैं। पासपोर्टों से संबंधित एमएमपी, नामत: पासपोर्ट सेवा परियोजना का लक्ष्य है सरलीकृत प्रक्रियाओं और प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित और प्रेरक कार्य बल के माध्यम से नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सभी सेवाएं, पारदर्शी अधिक सुगम भरोसेमंद तरीके से एवं सुविधाजनक वातावरण में उपलब्ध कराना। पीएसपी में पासपोर्ट जारीकर्ता प्रणाली से संबंधित उत्तम वैश्विक पद्धतियों को शामिल किया गया है। पीएसपी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) नागरिकों को फ्रंट एण्ड सेवा प्रदान करने के लिए 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की स्थापना। (परियोजना को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है और 77 पीएसके को जून, 2012 से पहले चालू कर दिया गया था)।

(ii) पासपोर्ट सेवा प्रदान करने हेतु ऑनलॉइन पासपोर्ट पोर्टल का सृजन (www.passportindia.gov.in)।

(iii) पुलिस विभाग में नियत बिन्दुओं पर संपर्क प्रदान करना।

(iv) डाक विभाग से भेजने की प्रक्रिया के अतिरिक्त भार को बांटने के लिए केन्द्रीय पासपोर्ट प्रकाशन सुविधा (सीपीपीएफ) की स्थापना।

(v) बहुआयामी सूचना और शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत करना।

(vi) सभी पीएसके, पासपोर्ट कार्यालय, पुलिस और डाक विभागों को जोड़ते हुए एक केन्द्रीकृत आईटी प्रणाली का निर्माण करना।

(vii) सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू करना।

(viii) उपर्युक्त सभी के कार्यान्वयन और प्रचालन का प्रबंध करने के लिए एक समुचित कार्यक्रम अभिशासन ढांचे की स्थापना।

[हिन्दी]

सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि

2213. श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्रीमती पुतुल कुमारी:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी भवनों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्यों में आवंटित बड़ी संख्या में भूमि खाली पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में ऐसी खाली पड़ी भूमि/जमीन के टुकड़ों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) सूचना संबंधित एजेंसियों से एकत्रित की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संपत्ति संबंधी मुकदमा

2214. डॉ. बलीराम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों में भूमि संबंधी विवादों के कई मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है/जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संपत्ति संबंधी मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बी.एड. महाविद्यालयों की भरमार

2215. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में बी.एड. महाविद्यालयों की भरमार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन महाविद्यालयों में शिक्षा के स्तर और छात्रों की समय पाबंदी को नजर अंदाज किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् वर्ष 2009-2010 से 2016-2017 की अवधि के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा कराए गए मांग और आपूर्ति अध्ययन के आधार पर देश में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की संवृद्धि (विकास) को विनियमित करती है। इसके अतिरिक्त, उनके अपने क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का और विकास करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की राय (विचार) प्राप्त किया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 के लिए निजी संस्थाओं से आवेदन प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं, इसी प्रकार सत्र 2013-14 हेतु मौजूदा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सीटों में अतिरिक्त प्रवेश/वृद्धि सहित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। इसी लिए, अध्यापक शिक्षा कॉलेजों की संख्या में वृद्धि केवल राज्यों की आवश्यकता के अनुसार है और यह अनियंत्रित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 13 के तहत टीईपी की मॉनीटरिंग के लिए तंत्र विनिर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है। कि क्या ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाएं अधिनियम के उपबंध के अनुसार कार्य कर रही हैं अथवा नहीं। यदि ऐसी संस्थाओं को एनसीटीई, नियमावली और विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को एनसीटीई अधिनियम के खंड 17 के तहत अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता को वापस लेने का अधिकार प्रदान किया गया है, वर्ष 2007-2013 की अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों के आधार पर 784 अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति

2216. श्री गोपाल सिंह शेखावत:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा करने में सफलता पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा इसकी अनुपालना की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वैच्छिक क्षेत्र की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र की परस्पर बातचीत का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति 2007 के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य, स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) के लिए समर्थकारी वातावरण प्रदान करना और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए हैं, जो कि विभिन्न राष्ट्रीय विकास गतिविधियों/कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती भागीदारी से प्रदर्शित होते हैं।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्रक की शासन और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उन्हें स्व नियंत्रण के माध्यम से अपने मानदण्ड स्थापित करना अपेक्षित है। नीति की समग्र प्रगति की समीक्षा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी संचालन समिति द्वारा की गई थी और विभिन्न स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के साथ संयुक्त सलाहकार समूहों/मंचों की स्थापना के सुझाव सहित इसकी मुख्य सिफारिशों को 12वीं योजना के दस्तावेज में शामिल किया गया। स्वैच्छिक संगठनों के साथ पारस्परिक संबंध बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने 12वीं योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के साथ-साथ 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए इनमें से काफी स्वैच्छिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिनिधियों के साथ विकास पर जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान के लिए योजना आयोग की सिविल सोसायटी विंडो पहल के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को समय-समय पर आमंत्रित किया जाता है।

[अनुवाद]

एसएसए/आरएमएसए हेतु कार्यकारी समिति का पुनर्गठन

2217. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की अभिशासी परिषद् और कार्यकारी समिति के पुनर्गठन को अनुमोदन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) मिशन का शासी परिषद और कार्यकारी समिति के पुनर्गठन हेतु दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 को अधिसूचना संख्या 2-4/2000-ईई-3 के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना मंत्रालय विवरण-I में दी गई है। अंतिम पुनर्गठन के पश्चात कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक दिनांक 05.12.2013 को हुई है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशन (आरएमएसए) की शासी परिषद और कार्यकारी समिति का दिनांक 26 सितंबर 2011 के संकल्प संख्या 1-1/2009-स्कूल-I के द्वारा पुनर्गठन किया गया और इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशन की एक बैठक दिनांक 25.04.2011 को हुई थी।

विवरण-I

एसएसए/आरएमएसए हेतु कार्यकारी समिति का पुनर्गठन

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)
फा.सं.-2-4/2000-ई.ई.3
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

....

नई दिल्ली 11 अक्तूबर, 2013

अधिसूचना

विषयः राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति का पुनर्गठन।

इस मंत्रालय के दिनांक 02.01.2001 और 26.08.2003 के संकल्प सं.-फ. 2-4/2000-डेस्क (ईई) और दिनांक 02.07.2007, 01.10.2009, 05.09.2011 और 12.01.2012 की समसंख्यक अधिसूचना, जिसमें राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति की संरचना को अधिसूचित किया गया था, के अनुसरण में भारत सरकार, एतदद्वारा राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति में अगले दो वर्ष के लिए निम्नलिखित नामांकन करती है।

2. शासी परिषद् में निम्नलिखित शामिल होगें:-

क. शासी परिषद्

(i) भारत के प्रधानमंत्री - अध्यक्ष

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्री - उपाध्यक्ष

(iii) मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री

(iv) वित्त मंत्री, भारत सरकार

(v) उपाध्यक्ष, योजना आयोग

(vi) महिला तथा बाल विकास राज्य मंत्री

(vii) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री

(viii) जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(ix) ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(x) अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री

(xi) पंचायती राज राज्य मंत्री

(xii) युवा मामले तथा खेलकूद राज्य मंत्री

(xiii) पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री

(xiv) प्रमुख राष्ट्रीय दलों के सात वरिष्ठ स्तरीय राजनीतिक नेता (राजनीतिक) दलों, द्वारा नामित):

(क) श्री शमीम फैजी, सचिव, राष्ट्रीय भारतीय कम्युनिस्ट दल परिषद।

(ख) श्रीमती सुप्रिया सूले, संसद सदस्य, राष्ट्रवादी-कांग्रेस दल।

(अन्य राजनीतिक दलों नामत्, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआई (एम) और बीएसपी के नामांकन प्रतीक्षित हैं और प्राप्त होने पर अधिसूचित किए जाएंगे)

(xv) भारत सरकार द्वारा नामित तीन संसद-सदस्य (दो लोकसभा से और एक राज्यसभा से) निम्नानुसार होंगे:

(क) श्री संजय भोई, संसद सदस्य, लोकसभा।

(ख) श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसद-सदस्य, लोकसभा।

(ग) श्री अविनाश पांडे, संसद सदस्य, राज्यसभा।

(xvi) भारत सरकार द्वारा नामित प्रारंभिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी छह शिक्षा राज्य मंत्री निम्नानुसार होंगे:-

(क) आंध्रप्रदेश के शिक्षा मंत्री

(ख) हरियाणा के शिक्षा मंत्री

(ग) अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री

(घ) उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री

(ड.) बिहार के शिक्ष मंत्री

(च) कर्नाटक के शिक्षा मंत्री

(xvii) भारत सरकार द्वारा नामित शिक्षकों और शिक्षक संघों के छह प्रतिनिधि निम्नानुसार होंगे:

(क) श्री रामपाल सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक परिसंघ, 41 इंस्टिट्यूशनल एरिया, डी-ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110 058

(ख) श्री गडे श्रीनिवासुलू नायडू, एमएलसी उत्तर आंध्रा शिक्षक क्षेत्र, एपीएचबी-एमआईजी-132, बाबा मेट्ट, विजयनगरम, आंध्रप्रदेश

(ग) श्री मृणमोय भट्टाचार्य, विश्व शिक्षक संघ परिसंघ, नई दिल्ली के महासचिव

(घ) श्रीमती बुलबुल ढिल्लो, मुख्य-अध्यापिका, केन्द्रीय विद्यालय सं. 2, चंडी मंदिर कैंट, पंचकुला हरियाणा-134 107

(ङ) श्रीमती लता एलेक्जेंडर टी के एम सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, टीकेएमसी डाकघर, कारिकोड, कोल्लम, केरल

(च) श्रीमती एस. परमेश्वरी, मुख्य-अध्यापिका, पंचायत संघ मिडिल (माध्यमिक) विद्यालय, कडाल्डी, तालुक-कडालाडी, जिला-रामाअनंतपुरम, तमिलनाडु-623703

(xviii) भारत सरकार द्वारा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से नामित छह व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:

(क) सुश्री राधिका हर्जबर्गर, रिषि वैल्ली (घाटी) शिक्षा केन्द्र, चित्तूर जिला, आंध्रप्रदेश

(ख) श्री हृदय कांत दीवान, विद्या भवन सोसाइटी विद्या भवन शिक्षा केन्द्र, डॉ. मोहन सिंह मेहता मार्ग, देवली, उदयपुर-313 001, राजस्थान

(ग) डॉ. दीपक बी फाठक, सुब्बाराव एम. निलेकानी चेयर (अध्यक्ष) प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विभाग, कंवल रेखी बिल्डिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बोम्बे, मुंबई

(घ) प्रोफेसर अमिताभ मुखर्जी विज्ञान शिक्षा और संचार केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110 007

(ङ) श्री दिलीप रानजेकर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बंगलौर

(xix) भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों में से नामित छह व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:–

(क) डॉ. शांता सिंहा, पूर्व अध्यक्ष, एनसीपीसीआर, एमवी फाउंडेशन, 201 नारायण अपार्टमेंट्स, पश्चिम मरेंडपेल्ली, सिकंदराबाद-500 026, आंध्र प्रदेश।

(ख) श्री रामजी राघवन, अध्यक्ष, अगस्त्य फाउंडेशन, दूसरा क्रॉस रोड, बंगलौर, कर्नाटक

(ग) स्वामी व्याप्त आनंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन, दंतेवाडा, छत्तीसगढ़।

(घ) डॉ. जीन ड्रेज, विजिटिंग (अतिथि) प्रोफेसर, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, झूसी, इलाहाबाद-211019

(ङ) सुश्री सेहबा हुसैन, निदेशक, बीईटीआई (बेटी) परिसंघ, बी-86, सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(च) श्रीमती रूमा बनर्जी, निदेशक, सेवा-इन-एक्शन, 36 पहला मेन, एसटी बेड लेआउट, कोरामंगला, बंगलौर-560 034, कर्नाटक।

(xx) भारत सरकार द्वारा महिला संगठनों से नामित तीन व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:-

(क) सुश्री निशी महरोत्रा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय संसाधन समूह, 27, न्यू बेरी रोड, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश।

(ख) डॉ. शांता मोहन, फेलो (लैंगिक अध्ययन यूनिट), राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान परिसर, मल्लेशवरम, बंगलौर-560012, कर्नाटक।

(ग) सुश्री अंजली दवे, सहायक प्रोफेसर, महिला, बाल और परिवार समता केन्द्र, सामाजिक कार्य विद्यालय, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, वी.एन. पूरब मार्ग, देवनार, मुंबई-400048

(xxi) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच कार्य कर रहे तीन व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:-

(क) पद्मश्री सुश्री तुलसी मुंडा, ओडिशा के विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता।

(ख) सुश्री एन्नी नमाला, सामाजिक समता तथा समावेशन केन्द्र की कार्यकारी निदेशक, 8/24, प्रथम मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008

(ग) सुश्री बिन्नी यांगा, अध्यक्षा, ओजु कल्याण संघ, बी-सेक्टर (पुलिस स्टेशन के पास), नाहरलागुन-791110, अरुणाचल प्रदेश।

3. निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:–

(क) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग।

(ख) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।

(ग) उपकुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)

(घ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद।

(ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्।

(च) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(छ) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा तथा महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन सदस्य सचिव।

4.(क) इसके साथ ही राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन का अध्यक्ष परिषदों की बैठक में विशेष अतिथि के रूप में ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे वह नामित करना आवश्यक समझे।

(ख) कार्यकारी समिति

5. राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) मानव संसाधन विकास मंत्री-अध्यक्ष

(ii) मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री (प्रारंभिक शिक्षा प्रभारी), वरिष्ठ उपाध्यक्ष

(iii) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग - उपाध्यक्ष

(iv) सचिव, महिला तथा बाल विकास मंत्रालय

(v) सचिव, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

(vi) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय

(vii) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल तथा स्वच्छता विभाग)

(viii) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(ix) सचिव, पंचायती राज

(x) सचिव, युवा मामले तथा खेलकूद

(xi) सचिव, पूर्वोत्तर विकास विभाग मंत्रालय

(xii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

(xiii) उपकुलपति, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)

(xiv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(xv) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

(xvi) महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(xvii) वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(xviii) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग

(xix) भारत सरकार द्वारा नामित सात गैर-अधिकारिक सदस्य, जिनमें शिक्षक, एनजीओ के प्रतिनिधि, शिक्षा शास्त्री शामिल हैं, निम्नानुसार होंगे:

(क) डॉ. माधव चवान, प्रथम, 101, रॉयल क्रेस्ट, लोकमान्य बसन रोड-3, दादर, मुबई-400 014

(ख) प्रोफेसर फातिमा अली खान, पूर्व निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-500 007

(ग) सुश्री ऐन्नी नमाला, कार्यकारी निदेशक, सामाजिक समता तथा समावेशन केन्द्र, 8/24, प्रथम मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008

(घ) प्रोफेसर के. सुब्रह्मण्यम, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, टाटा फंडामेंटल अनुसंधान संस्थान, वी.एन. पूरब मार्ग, मान खुर्द, मुंबई-400 088

(ङ) सुश्री शाहीन मिस्त्री, सीईओ, टीच फोर इंडिया और संस्थापक, आकांक्षा संस्था मार्फत् गोदरेज इंडस्ट्रीज परिसर, गेट सं.-2, फिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे विखरोली (पूर्व) मुंबई-400 079

(च) डॉ. एम.एन. जी मनि, 3, प्रोफेसर्स कॉलोनी, पलामलाई रोड, समिशेट्टीपालयम शाखा कार्यालय, एस.आर.के.वी. पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641 020

(छ) सुश्री बिन्नी यांगा, अध्यक्षा, ओजु कल्याण संघ, बी-सेक्टर, (पुलिस स्टेशन के पास), नाहरलागुन-791 110, अरुणाचल प्रदेश।

(xx) भारत सरकार, द्वारा यथा नामित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित चार राज्यों के शिक्षा सचिव:

(क) केरल के शिक्षा सचिव

(ख) जम्मू और कश्मीर के शिक्षा सचिव

(ग) ओडिशा के शिक्षा सचिव

(घ) महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव

(xxi) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन सदस्य सचिव।

ह/-

(मनिंदर कौर द्विवेदी)

निदेशक

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद

प्रति प्रेषित:

(क) राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद् और कार्यकारी समिति के सभी सदस्य।

(ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शिक्षा सचिव।

(घ) स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुख।

(ङ) ईई-।। ब्यूरो/सभी अनुभागों के सभी प्रभागी प्रमुख।

(च) सचिव (स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।

ह/-

(मनिंदर कौर द्विवेदी)

निदेशक

विवरण II

एसएसए/आरएमएसए हेतु कार्यकारी समिति का पुनर्गठन

(भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 1, में प्रकाशनार्थ)

एफ संख्या 1-1/2009 स्कूल 1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2011

संकल्प

विषय: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति का पुनर्गठन।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन का गठन मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून, 2009 के संकल्प संख्या एफ 1-1/2009 स्कूल 1 के जरिए भारत सरकार द्वारा किया गया था। मिशन की एक शासी परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद है।

2. मिशन की कार्यकारी समिति के गठन को मौजूदा सदस्यों के अलावा निम्नलिखित नए सदस्यों को शामिल करने हेतु एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि।

(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल तथा स्वच्छता विभाग का प्रतिनिधि।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि।

ह./-

(अंशु वैश्य)

सचिव भारत सरकार

आदेश

आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

आदेश किया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

ह./-

(अंशु वैश्य)

सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद

भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ
सं.एफ. 1-1/2009-स्कूल-1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 26 जून, 2009

संकल्प

विषय: 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' से सम्बन्धित राष्ट्रीय मिशन का गठन।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एनपीई) तथा इसकी कार्ययोजना, 1992 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि विशेष रूप से विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन पर विशेष ध्यान देकर मध्यमिक शिक्षा की सुलभता का विस्तार किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता और प्रारभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में यह अनिवार्य हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने की ओर अग्रसर होने के लिए इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 'माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने' के सम्बन्ध में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट (जून, 2005) में निर्धारित मानदण्डों तथा पैरामीटरों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में तत्काल एक कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया था। योजना आयोग ने भी 10वी पंचवर्षीय योजना के मध्य-कालिक मूल्यांकन (जून, 2005) में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का अनुसरण करते हुए सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए नए मिशन का सुझाव दिया था।

3. जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15-16 वर्ष के आयु समूह के सभी युवाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली, वहनीय माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया है। तदनुसार, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार करने तथा इसे सभी को सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम शुरू की है।

4. इस स्कीम के उद्देश्य (i) प्रत्येक निवास स्थान से पर्याप्त दूरी के भीतर 5 वर्षो के अन्दर एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करके कक्षा IX-X के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करना। (ii) सभी मसध्यमिक विद्यालयों को यथा-निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, (iii) जैण्डर सम्बन्धी सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक तथा विकलांगता सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना (iv) वर्ष 2017 अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराना, और (v) वर्ष 2020 तक सभी विद्यार्थियों को विद्यालयों में बनाए रखना शामिल है।

5. स्कीम के सफल क्रियान्वयन को सुकर बनाने हेतु, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह मिशन मानव सांधान विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी विंग होगा, जिसमें इसके कार्य क्षेत्र की सभी कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां निहित होंगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों हेतु एक नोडल निकाय होगा।

6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे:-

(i) मानव संसाधन विकास मंत्री	-	अध्यक्ष
(ii) सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	-	उपाध्यक्ष
(iii) सचिव, योजना आयोग	-	सदस्य
(iv) सचिव, व्यय विभाग	-	सदस्य
(v) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	-	सदस्य

(vi) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	-	सदस्य
(vii) सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	-	सदस्य
(viii) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	-	सदस्य
(ix) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	-	सदस्य
(x) सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय	-	सदस्य
(xi) सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	-	सदस्य
(xii) सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा प्रभारी	-	सदस्य
(xiii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	-	सदस्य
(xiv) कुलपति, एन यू ई पी ए	-	सदस्य
(xv) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	-	सदस्य
(xvi) समय-समय पर मिशन में शामिल किए गए अन्य विशेषज्ञ	-	सदस्य
(xvii) संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा)	-	सदस्य सचिव

7. राष्ट्रीय मिशन को स्कीम के कार्यढांचे के अन्दर समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक मानदण्डों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसे योजना, क्रियान्वयन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पैरामीटरों में आवश्यक परिवर्तन करने का भी अधिकार होगा ताकि केन्द्र एवं/या राज्य कार्यक्रम का प्रभावी एवं बढ़िया ढंग से क्रियान्वयन कर सके।

8. परियोजना अनुमोदन बोर्ड

एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होगे:—

सचिव (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
सचिव, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी	सदस्य
पंचायती राज मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय	सदस्य

निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	सदस्य
अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	सदस्य
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान	सदस्य
मानीटरिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य	सदस्य
प्रभारी निदेशक, आर.एम.एस.ए., मानव संसाधन विकास मंत्रालय	संयोजक

9. कार्यकारी समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के सभी कार्यकलाप परिषद द्वारा निर्धारित नीति तथा दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी। कार्यकारी समिति की सहायता राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन तथा मानीटरिंग के लिए गठित तकनीकी सहायता समूह द्वारा की जाएगी।

10. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के पास अपने स्वयं के नियम तथा प्रक्रियाएं बनाने की शक्ति होगी। यह अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर 6 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा।

ह./-
(अंशु वैश्य)
सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./-
(अंशु वैश्य)
सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

अवैध नियुक्तियां

2218. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय को केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी में भर्ती नियमों का उल्लंघन करके सहायक महाप्रबंधक और लेखा अधिकारी की अवैध नियुक्ति किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय सरकार उपभोक्ता सहकारी सोसायटी (केन्द्रीय भण्डार) में नियुक्तियां भर्ती नियमों और केन्द्रीय भण्डार के उप-नियमों के अनुसार की जाती हैं। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय भण्डार को अनुदेश जारी किए हैं कि सभी नियुक्तियां विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिएं।

[हिन्दी]

शौचालयों की कमी

2219. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में यह कहा है कि लगभग 50 प्रतिशत भारतीय परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं और इसलिए उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) जी हां डीन स्पीयर्स और स्नेहा लाम्बा द्वारा इस संबंध में अर्थात् 'इफेक्टस ऑफ अर्ली लाइफ एक्सपोजर टू सेनीटेशन ऑन चाइल्डहुड कोग्निटीव स्किल्स: एवीडेंस फ्राम इंडियाज टोटल सेनीटेशन कम्पेन' पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 53% भारतीय परिवार शौचालयों के प्रयोग के बिना खुले में शौच करते हैं।

(ख) कम खर्च वाले पिट शौचालयों का निर्माण करने और उन्हें बढ़ावा देने में स्थानीय सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए इस रिपोर्ट में भारत के संपूर्ण स्वच्छता अभियान अब परिवर्तित नाम निर्मल भारत अभियान (एनबीए) प्रभावित प्रारंभिक जीवन की बाल्यकाल की संज्ञानात्मक उपलब्धियों पर प्रभावों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि भारत का संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी कम लागत वाली ग्रामीण स्वच्छता नीतियों से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सुधार लाया जा सकता है जिससे दीर्घकाल में भारतीय श्रमिक बल की मानव पूंजी में अधिक बढ़ोत्तरी होगी।

(ग) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 11वीं योजना के 6540 करोड़ रूपए की तुलना में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 12वीं योजना में 34677 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जोकि विशिष्ट रूप में एक उच्च आवंटन (11वीं योजना के आबंटन से 425% अधिक) है। इसका उद्देश्य निर्मल भारत अभियान के अधीन देश में वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी निवासियों को 100% स्वच्छता उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही निर्मल भारत अभियान के 12वीं योजना के उद्देश्य की 50% पंचायतों तहत वर्ष 2017 तक सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम बनाना है।

निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य, संपूर्ण समुदायों में निर्मल ग्राम के रूप में चरणबद्ध, सैचुरेशन मोड में स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान करके आदतों में स्थिर बदलाव लाना है। एनबीए के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

इसके अलावा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। जिसमें संबंधित राज्यों की मांगों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए सभी शुष्क शौचालयों की ट्विन पिट-पोर फ्लश शौचालयों में बदलना शामिल है।

[अनुवाद]

साक्षात्कार हेतु प्रत्याशियों का चयन

2220. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों विशेषकर हैदराबाद विश्वविद्यालय में समूह-क और शैक्षणिक पदों हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को छांटे जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेवा अवधि और अनुभव सहित अर्हता/पात्रता संबंधी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथाअधिसूचित "विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपायों संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के ब्यौरे वेबसाइट http://www.ug.ac.in/oldpdf.regulations/revised_final ugcregulationfinal10.pdf पर उपलब्ध है विश्विद्यालय अनुदान आयोग इस मंत्रालय के दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के पत्र संख्या 1-32/2006-यू.-II यू. I (ii) द्वारा सूचित समूह-क शिक्षणेत्तर पदों के लिए पात्रता शर्तों की अनुपालना करता है, जो मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mhrd.gov.in/ sites/upload_files/mhrd/files/Registrapayscale.pdf पर उपलब्ध है। न तो इस मंत्रालय ने और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की लघु सूची तैयार करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) स्वायत्त निकाय होने के कारण आवेदनों की संवीक्षा हेतु आवश्यक अध्यादेश/नियमों/विनियमों को तैयार करने में सक्षम हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों की अनुपालना करने हेतु बाध्य है। तथापि, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित अधिनियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय होने के कारण, संबंधित अधिनियमों, संविधियों एवं उनके अंतर्गत तैयार किए

गए अध्यादेशों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, इसलिए वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों से उच्चतर मानकों को बनाने में सक्षम है। इस संबंध में जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसे उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को अग्रेषित कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

एस.एस.ए./आर.टी.ई. अधिनियम हेतु निधियां

2221. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना आयोग ने उक्त निधियां जारी करने के संबंध में आपत्ति की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय निधियों के प्रावधान का मुख्य साधन है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन निधियों को जारी करने के संबंध में योजना आयोग द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

विवरण

2010-11 से 2013-14 के दौरान एसएसए के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां *(लाख रुपये में)*

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां			
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (05.12.2013 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	81000.00	183551.72	141049.46	117614.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	20401.77	23880.10	43764.67	9325.85
3.	असम	76854.35	106921.15	130881.60	91429.44
4.	बिहार	204789.63	185108.20	275462.25	136508.94
5.	छत्तीसगढ़	87683.00	69870.22	85015.73	37738.59
6.	गोवा	671.27	1079.14	1013.04	718.80
7.	गुजरात	44065.01	88027.79	113918.08	80559.63
8.	हरियाणा	32786.11	40461.41	33810.35	18017.26
9.	हिमाचल प्रदेश	13786.66	14192.78	10737.30	6144.00
10.	जम्मू और कश्मीर	40348.79	30070.50	50805.85	55866.21
11.	झारखण्ड	89562.26	57903.46	56183.87	45010.71
12.	कर्नाटक	66903.00	62788.35	68450.58	49519.38

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	19660.73	17021.85	13449.14	16327.37
14.	मध्य प्रदेश	176783.00	190427.12	135343.30	107821.34
15.	महाराष्ट्र	85537.00	117962.58	106854.62	33659.48
16.	मणिपुर	13253.77	3940.55	17362.44	4195.99
17.	मेघालय	18540.90	14410.60	18670.78	10673.41
18.	मिजोरम	10115.31	10814.05	15317.60	10657.69
19.	नागालैंड	8636.83	9798.33	11231.95	9803.02
20.	ओडिशा	73177.85	92719.98	104307.62	53637.41
21.	पंजाब	39612.74	48112.44	49472.68	26181.72
22.	राजस्थान	146182.29	148580.86	153520.11	139490.15
23.	सिक्किम	4469.19	4022.84	2693.85	4195.08
24.	तमिलनाडु	69068.57	68141.96	71637.13	46919.64
25.	त्रिपुरा	17121.48	17493.76	12010.11	11749.29
26.	उत्तर प्रदेश	310462.88	263682.61	375476.26	346411.66
27.	उत्तराखंड	25793.94	20892.49	17941.10	16055.80
28.	पश्चिम बंगाल	174703.17	177652.74	258056.58	109269.42
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	357.78	907.36	1089.28	440.39
30.	चंडीगढ़	2155.89	1611.21	1772.64	2276.76
31.	दादरा और नगर हवेली	413.78	564.35	652.76	386.24
32.	दमन और दीव	162.99	257.06	433.12	145.54
33.	दिल्ली	3552.71	3783.29	4293.24	5822.82
34.	लक्षद्वीप	127.39	127.86	57.62	0.00
35.	पुदुचेरी	485.38	757.62	918.91	299.02
	कुल	1959407.42	2077538.33	2383655.62	1604872.13

[अनुवाद]

बोडो भाषा को लागू करना

2222. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल में बोडो-मेक गांवों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बोडो भाषा को अभी तक शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री: (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी हां। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बोडो भाषा उत्तर बंगाल में शिक्षा का माध्यम नही है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से केन्द्र सरकार प्रारंभिक के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 29(च) में निर्धारित किया जाता है कि शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो, बालक की मातृभाषा में होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से संबंधित निर्णय लेना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता।

[हिन्दी]

विद्यालयी बच्चों में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति

2223. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों में बच्चों में विशेषकर 6-14 आयु वर्ग के बच्चों में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (घ) स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के बड़ी संख्या में बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 20 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल) में 2006-07 के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों और अध्यापकों की अनुपस्थिति पर एक अध्ययन किया था यह प्रतिवेदित किया गया था कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति क्रमश: 68.5% और 75.7% थी। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपायों का प्रावधान किया गया है यथा राज्य के आरटीई नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए स्कूल खोलना, विहित मानदंडों के अनुसार बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों और वर्दियों का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित शिष्य-शिक्षक अनुपात के अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी पुन: तैनाती, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ब्लॉक तथा कलस्टर संसाधन केंद्रों के माध्यम से शैक्षणिक सहायता, सभी बच्चों के लिए पर्याप्त कक्षा-कक्ष तथा अन्य सुविधाएं जिनमें पीने का पानी और शौचालय तथा नि:शक्त बच्चों की निर्बाध पहुंच के लिए रैम्प शामिल है, शिक्षण-अधिगम की संवृद्धि के लिए स्थानीय सामग्री के प्रापण हेतु स्कूल तथा अध्यापक अनुदान, बालिकाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शहरी वंचित/अल्पसंख्यकों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के नवाचर संघटक के अधीन अनुदान और कंप्यूटर की व्यवस्था। तदनुसार, कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अधीन 1,95,003 प्राथमिक स्कूल, 1,09,541 उच्च प्राथमिक स्कूल, 17,91,860 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 2,29,840 पेय जल सुविधाएं, 8,53,624 शौचालय और 19,82,904 शिक्षको के पद संस्वीकृत किए गए है। मध्याह्न भोजन योजना का उपस्थिति स्तरों पर लाभकारी प्रभाव है।

निजी ई-मेलों पर प्रतिबंध

2224. श्री सुदर्शन भगत: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का साइबर जासूसी को रोकने के लिए सरकारी विभागों में निजी ई-मेल सेवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई ई-मेल नीति का मसौदा तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा भारत सरकार की ई-मेल नीति तैयार की जा रही है। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के पश्चात सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रचालकों हेतु अर्थदंड संबंधी मानक

2225. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) का स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी शुरू होने के पूर्व दूरसंचार प्रचालकों के लिए निर्धारित शास्ति संबंधी मानकों के प्रति नया और अधिक उचित दृष्टिकोण अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भी दूरसंचार प्रचालकों के लिए शास्ति संबंधी मानक की भी अनुशंसा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डी.ओ.टी. के प्रस्ताव का अध्ययन कराने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) वर्तमान में दूरसंचार विभाग में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की शर्तो एंव निबंधनो का उल्लंघन करने पर दंड देने की मात्रा की सिफारिश करना है एक समिति कार्य कर रही है जिसका कार्य ''ट्राई'' ने ''एकीकृत लाइसेंस/वर्गीकृत लाइसेंस तथा विद्यमान लाइसेंस के अंतरण'' नामक विषय पर दिनांक 16.04.2012 को की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा 50 करोड़ रूपए के अधिकतम जुर्माने की राशि पर कम करके 10 करोड़ करने की भी सिफारिश की थी। ''ट्राई'' की इन सिफारिशों को स्वीकार नही किया गया था।

(घ) सरकार ने इस संबंध में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (इजीओएम) का गठन नहीं किया है।

(ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय भू-भाग का गलत चित्रण

2226. श्री भूदेव चौधरी:
श्रीमती मीना चौधरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय भू-भाग का पाकिस्तान और चीन के नक्शे में गलत रूप से चित्रण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या आपत्तियां की गई हैं और इस त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) जब भारतीय सीमाओं के रेखांकन का कोई ऐसा मामला सरकार के सम्मुख आया है। इन्होंने, ओ सही हेतु इस मुद्दे को जोरदार तरीके से संबंधित प्राधिकारियों के सम्मुख उठाया है। वर्तमान घटना में भी सरकार इस मुद्दे को विश्व बैंक के सम्मुख उठा रही है।

भ्रष्टाचार के मामलों को दर्ज करना

2227. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार के मामलों को दर्ज करने के लिए कोई केन्द्रीकृत कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी संस्थाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हालांकि शिकायतों के पंजीकरण हेतु कोई केन्द्रीकृत कंप्यूटरीकृत प्रबंध नहीं किया गया है तब भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो के पंजीकरण हेतु सतर्कता आयोग तंत्र पहले से ही विद्यमान है। ऐसी शिकायतें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी दर्ज कराई जा सकती हैं और इन्हे सीधा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भी दर्ज कराया जा सकता है। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अलग से कोई प्रबंध नही किया गया है। ऐसी शिकायतों पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है और जहां भी आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग से भी मामले में परामर्श लिया जाता है।

[अनुवाद]

विश्रांतिकाल

2228. प्रो. सौगत राय: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने नौकरशाहों के लिए राजनीतिक दल में शामिल होने/चुनाव लड़ने के लिए किसी विश्रांतिकाल की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके औचित्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सरकारी आधिकारियों के लिए 'उपशमन' अवधि तथा सेवानिवृति होने वाले या सरकारी सेवा छोड़ने वाले और किसी राजनैतिक दल में सम्मिलित होने वरले अधिकारियों के मध्य उचित उपबंध करने का सुझाव दिया है जिसमे उनके पद पर कार्य करने में उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखा जाए।

(ग) सरकार द्वारा भारत के माननीय महान्यायवादी के परामर्श से मुद्दे की समीक्षा की गई थी जिनका यह मत है कि ऐसा निर्बंधन, चाहे सेवा नियमों के द्वारा या निर्वाचन विधियों के संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन वैध वर्गीकरण की परीक्षा पर खरा नही उतर सकेगा अत:, प्रस्ताव समुचित या साध्य नही पाया गया था।

एयरपोर्ट मेट्रो

2229. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के निर्माण में पाई गई खामियों के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु गठित जांच समिति की रिपोर्ट को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) को प्रेषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डी.एम. आर.सी. ने इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या मंत्रालय ने रिलायंस इन्फ्रा लिमिटेड को समापन भुगतान (टरमिनेशन पेमेन्ट) के रूप में लगभग 1800 करोड़ का भुगतान करने के लिए डी.एम.आर.सी. को निदेश देने हेतु अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ई.जी.ओ.एम.) को नोट भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के निमार्ण में कमियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई थी तथा सीवीसी की सलाह के अनुसार, रिपोर्ट के निष्कर्षो के अनुसार डीएमआरसी के विभिन्न कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न परामर्शदाताओं एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए डीएमआरसी के बोर्ड द्वारा रिपोर्ट जांच करने हेतु डीएमआरसी को भेजी

गई है। डीएमआरसी को, भविष्य में इस तरह की गडबडियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न प्रणाली सुधारों की जांच करने का निदेश भी दिया गया है।

डीएमआरसी द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने तथा आगे की कार्रवाई हेतु उप समिति गठित की गई है।

डीएमआरसी ने भी सूचित किया गया है कि परामर्शदाता/ठेकेदारों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(1) सिविल ठेकेदारों (मै. आईजेएमआईआईजेवी) को फेज-III निविदाओं के लिए अयोग्य कर दिया है उन्हे फेज-III की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नही दी गई है। उनकी पूर्व अर्हता भी निलंबित कर दी गई है।

(2) मै. ओरिएंटल कन्सल्टेंटस जापान की एक अगुवाई में एक कन्सोर्टियम, एयरपोर्ट मेट्रो लाइन कन्सलटेन्ट की 5.8 करोड़ रूपये की निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली गई है।

(घ) और (ङ) द्रुत जन परिवहन प्रणाली पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह हेतु नोट पर अन्तर मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।

मेट्रो पार्किंग शुल्क में वृद्धि

2230. श्री संजय धोत्रे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) ने मार्च, 2013 से पार्किंग शुल्क में बढ़ोत्तरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आम आदमी पर ऐसी बढ़ोत्तरी का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) ने पार्किंग शुल्क में ऐसी वृद्धि के लिए सरकार/डी.एम.आर.सी. को सलाह दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो पार्किंग शुल्क में ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वाहन	पार्किंग शुल्क				रात्रि शल्क	
	6घंटे तक	12घंटे तक	12घंटे से अधिक	मासिक	प्रतिदिन	मासिक
कार/एसयूवी/टैक्सी	20	30	40	1000	40	1000
दुपहिया ऑटो रिक्शा	10	15	20	475	20	475
साइकिल	3	5	5	45	5	45

डीएमआरसी द्वारा पार्किंग प्रभारों में की गई बढ़ोतरी के कारण निम्नलिखित है:-

(i) डीएमआरसी का सीमित पार्किंग स्थान मेट्रो के यात्रियों के लिए है। चूँकि डीएमआरसी की पार्किंग दरें, अन्य नागरिक अभिकरणों द्वारा अनुरक्षित पार्किंग दरों से कम थी, इसलिए, मेट्रो से यात्रा न करने वाले यात्री भी स्थान का इस्तेमाल कर रहे थे

(ii) पार्किंग का प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। पार्किंग की पूर्व दरों पर पार्किंग का संचालन करना ठेकेदारों को व्यावहारिक नहीं लग रहा था।

(iii) पार्किंग स्थान के उचित प्रबंधन एवं विनियमन के लिए दरों में बढ़ोतरी आवश्यक थी।

(ग) मेट्रो स्टेशनों पर सीमित पार्किंग सैद्धांतिक रूप से मेट्रो यात्रियों के लिए उपलब्ध करायी जाती है। दरो में यह वृद्धि मेट्रो से यात्रा न करने वाले यात्रियों को डीएमआरसी पार्किंग स्थान का इस्तेमाल करने के लिए हतोत्साहित करने के लिए की गई है ताकि पार्किंग स्थान का उचित रूप से प्रबंधन करना संभव हो सके।

(घ) से (च) पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण ने तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के लिए पार्किंग नीति के अपने दिनांक 23.7.2012 के प्रारूप में, दुपहिया वाहनों के लिए उच्चत दरें प्रस्तावित की हैं।

विद्यालयों में रोगों के संबंध में चेतावनी

2231. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्यालयों में मुंह से संबंधित बीमारियों के बारे में चेतावनी जारी करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और इसे देखते हुए कि अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, इस संबंध में उपर्युक्त कार्रवाई करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। हालांकि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अपने संबंधित स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण शिक्षा के महत्व पर पर्याप्त रूप से बल देता है। बोर्ड स्वास्थ्य और कल्याण मैनुअल भी प्रकाशित करता है जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी देखभाल भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

भर्त्ती एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी

2232. श्रीमती मीना सिंह: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भर्त्ती एजेंसियों ने विदेशों में नौकरी चाहने वाले लोगों को बड़ी संख्या में धोखा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसी भर्त्ती एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध समय-समय पर उत्प्रवासियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं जोकि सामान्यत: अतिप्रभार, संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा न करने, विदेशी नियोक्ता द्वारा बुरा व्यवहार करने आदि से संबंधित होती हैं। इसी प्रकार अपंजीकृत एजेन्टों के विरूद्ध भी शिकायतें प्राप्त होती हैं जोकि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत पंजीकृत नही होतें हैं।

(ख) और (ग) प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि पिछले तीन वर्षो के दौरान पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की स्थिति और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:

विवरण

पिछले तीन वर्षो के दौरान पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति

वर्ष	कुल	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	पंजीकृत प्रमाण पत्र (आरसी)		बंद कर दिए गए/समाधान कर निपटाए गए
			निलंबित	रद किए गए	
2010	145	145	10	29	84
2011	212	212	20	44	94
2012	267	267	43	19	67
2013 (नवम्बर तक)	220	220	20	12	59

पिछले तीन वर्षों के दौरान अपंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति

वर्ष	शिकायतों की संख्या	राज्य सरकार/पीओई कार्यालयों को कार्रवाई हेतु भेजे गए मामलें	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अभियोजना संस्वीकृति	जारी की गई अभियोजना संस्वीकृति
2010	166	166	10	10
2011	225	225	9	9
2012	254	254	16	16
2013 (नवम्बर तक)	255	237	05	05

पॉलिटेक्निक संस्थानों का स्तरोन्नयन

2233. **श्री मंगनी लाल मंडल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में नए पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों के स्तरोन्नयन करने और नए बी.एड./डी.एड. शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी गई प्रतिभा छात्रवृत्ति का संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 500 सार्वजनिक वित्तपोषित पॉलिटेक्निकों में अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रति पॉलिटेक्निक 2.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता की योजना का अनुमोदन किया है। बिहार के 12 राजकीय पॉलिटेक्निकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस योजना के तहत् सभी 12 पॉलिटेक्निकों को अवसंरचना-उन्नयन हेतु आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अध्यापक शिक्षा अनुमोदन बोर्ड ने बिहार की वार्षिक कार्य-योजना प्रस्ताव पर विचार किया गया है और मूसापुर-कटिहार, दरियापुर-पूर्वी चंपारण, मधोपट्टी-दरंभगा, बाल्मिकी नगर-पूर्वी चंपारण में 4 नए अध्यापक शिक्षा ब्लॉक संस्थान (बी आई टी ई) स्थापित किए जाने की संस्वीकृत दी है और वित्त वर्ष 2013-14 में अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के तहत् राष्ट्रीय स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और राज्य/क्षेत्र के लिए कोई कोटा नही है। इसके अतिरिक्त, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के तहत्, 18-25 वर्ष की आयु के आयु वर्ग में जनसंख्या की औसत के अनुसार, प्रत्येक राज्य को छात्रवृत्तियों का कोटा आवंटित किया गया है। हालांकि, छात्रवृत्तियां सीधे संबंधित छात्रों को जारी की जाती हैं और संस्थाओं को कोई निधि जारी नही की जाती।

संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी

2234. **डॉ. भोला सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां संस्कृत विश्वविद्यालय जो सरकार द्वारा सीधे या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से वित्तपोषित किये जा रहे हैं, शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) संस्कृत विश्वविद्यालयों में संकाय-सदस्यों की स्थिति के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किया गया है, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, चयन में विलम्ब, उपयुक्त आवेदकों का न पाया जाना, स्वीकृत पदों की तुलना में विभाग में पर्याप्त छात्रों के न होने आदि के कारण पद रिक्त हैं।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर संजय ढ़ाडे, तत्कालिन निदेशक, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में संकाय सदस्यों की कमी पर कार्यदल की सिफारिशों के कार्यान्वयन निगरानी और निगरानी कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यान्वयन निगरानी समिति का गठन किया है। यूजीसी इन विश्वविद्यालयों में शिक्षको की रिक्तियां भरने की प्रगति पर निरंतर निगरानी रख रहा है। विश्वविद्यालयों से समय-समय पर रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया जाता है। शिक्षकों की कमी की स्थिति से बचने के लिए मंत्रालय ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष तक बढ़ा दी है। यहां तक कि सेवानिवृत्त शिक्षक, यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो 70 वर्ष की आयु तक पढ़ा सकते हैं। छठे वेतन आयोग के बाद शिक्षण के पेशे में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए शिक्षकों के वेतन और पदोन्नति की सम्भावना को और बेहतर बना दिया गया है।

क्र.सं.	संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान संख्या	रिक्त पद
1	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (आज की तिथि के अनुसार)	243	230	13
2	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (आज की तिथि के अनुसार)	120	81	39
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आज की तिथि के अनुसार)	85	71	14
4	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कलाड़ी (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)	210	178	32
5	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा (31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार)	349	179	170
6	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय (31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार)	35	20	15
7	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार)	112	60	52
	कुल	1154	819	335

[अनुवाद]

न्यायालयों में लंबित मामले

2235. श्री तकाम संजयः
श्री तूफानी सरोजः
श्री संजय सिंह चौहानः
श्री रतन सिंहः
श्री के. शिवकुमार *उर्फ* जे.के. रितीशः
श्री निशिकांत दुबेः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री गोपीनाथ मुंडेः
श्री विश्व मोहन कुमारः
राजकुमारी रत्ना सिंहः
डॉ. मिर्जा महबूब बेगः
श्री हर्ष वर्धनः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः
श्री ताराचन्द भगोराः
श्री बदरूद्दीन अजमलः
श्री गणेश सिंहः
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः
श्री महेश्वर हजारीः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले निपटान के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य और न्यायालय-वार कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा निपटाये गए मामलों की राज्य एवं न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(घ) न्याय परिदान प्रणाली में विलंब होने से किस वर्ग के लोग बहुत अधिक प्रभावित हैं; और

(ङ) विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) लंबित मामलों आंकड़े उच्चतम न्यायालय तथा न्यायालयों द्वारा रखे जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 01.12.2013 को उच्चतम न्यायालय में 65,661 मामले लंबित थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में निपटाए गए तथा लंबित मामलों के ब्यौरे संग्लन विवरण-I में दिए गए हैं और पिछले तीन वर्षो के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में निपटाए गए तथा लंबित मामलों के राज्य-वार ब्यौरे संग्लन विवरण-II में दिए गए हैं।

मामलों के निपटान में विलंब से समाज के सभी वर्ग प्रभावित होते हैं। न्यायालय के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए ऐसी प्रक्रियात्मक विधियों में विधायी परिवर्तन किए गए हैं जिसमें दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 309 और सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 17 में यथा अतर्विष्ट आपराधिक और सिविल मामलों में न्यायालय की प्रकिया के स्थगनों को सीमित करने के लिए उपबंध सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने (i) विलंबों और बकाया मामलों को कम करके न्याय तक पहुंच में वृद्धि करके; और (ii) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि करके और निष्पादन मानक तय करके तथा क्षमताओं में सुधार करके द्विलक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन स्थापित किया है। मिशन ने कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पदसंख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन देने, अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की सिफारिश करने तथा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं की पुन: इंजीनियरी का सुझाव देने सहित बेहतर न्याय अवसंरचना के लिए सहायता उपलब्ध कराकर न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों की संख्या को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने विधि और न्याय मंत्री से परामर्श करने के पश्चात् मई, 2012 में राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली (एनसीएमएस) स्थापित की है। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली (एनसीएमएस) को कार्यान्वित करने के लिए, 'नीति और कार्य योजना' दस्तावेज, 27.09.2012 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जारी किया गया था । राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली (एनसीएमएस) भारतीय न्यायालयों के

लिए मापीय निष्पादन मानक निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय उत्कृष्टता ढांचा (एनएफसीई) का विकास करने के लिए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिससे न्याय का समय से परिदान किए जाने को सुकर बनाने के लिए गुणवत्ता, उत्तरदायित्वता और सामयिकता के मुद्दों का समाधान किया जा सके।

केन्द्रीय सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग अधिनिर्णय के अधीन, वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए ऐसी पहलों के लिए 5000 करोड़ रूपए आबंटित किए हैं जैसे न्याय परिदान में सुधार और लंबित मामलों में कमी के लिए, प्राप्त:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालय, अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) केंद्र, लोक अदालतें, मध्यस्थों/सलाहकारों का प्रशिक्षण, न्यायिक अधिकारी और लोक अभियोजक तथा न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति।

विवरण I

वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान उच्च न्यायालयों में निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्र.स.	उच्च न्यायलय के नाम	2010		2011		2012	
		निपटाए गए	लंबित मामले	निपटाए गए	लंबित मामले	निपटाए गए	लंबित मामले
1.	इलाहाबाद	249380	967910	235869	1005527	247539	1008679
2.	आंध्र प्रदेश	61353	198084	67722	198214	66130	210101
3.	बम्बई	136913	351297	135510	362885	174020	341969
4.	कलकत्ता	73793	334901	69486	347154	78428	362131
5.	दिल्ली	41569	60054	43239	61212	35656	62352
6.	गुजरात	71247	89640	66563	82232	63778	76009
7.	गुवाहाटी	39900	53735	34161	53255	35713	52873
8.	हिमाचल प्रदेश	38707	45581	36512	49541	37772	55597
9.	जम्मू कश्मीर	13961	69887	19196	82223	16380	82306
10.	कर्नाटक	131637	222138	141544	172088	121624	183852
11.	केरल	60535	122986	73273	128777	78801	124061
12.	मद्रास	248164	448168	240767	473736	246200	500374
13.	मध्य प्रदेश	93294	216526	104307	229336	100281	248157
14.	ओडिशा	79747	280991	94435	301314	81388	332910
15.	पटना	84300	127875	93446	118964	91328	119191
16.	पंजाब और हरियाणा	119064	232919	1011978	243666	108266	251120
17.	राजस्थान	71172	292490	166124	281306	131277	292551
18.	सिक्किम	138	45	119	67	126	63
19.	उत्तराखंड	13178	18275	11344	19263	13616	20187
20.	छत्तीसगढ़	25785	55377	23215	50163	27817	47751
21.	झारखंड	24026	60465	25472	61277	300030	61957
	कुल	1677863	4249344	1784282	4322200	1786170	4434191

विवरण II

वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य-वार निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2010		2011		2012	
		निपटाए गए	लंबित मामले	निपटाए गए	लंबित मामले	निपटाए गए	लंबित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	585818	963190	604396	945737	606447	924943
2.	अरुणाचल प्रदेश	7474	6345	7854	6305	7355	6200
3.	असम	215826	244008	210480	259596	239706	253428
4.	बिहार	316503	1540250	287634	1607306	304786	1711380
5.	छत्तीसगढ़	229264	271558	156909	271406	162104	272523
6.	गोवा	32512	29240	23438	30057	33886	30131
7.	गुजरात	1135402	2178329	1035541	2183026	1072123	2174691
8.	हरियाणा	433149	562941	576094	588812	733591	564285
9.	हिमाचल प्रदेश	202763	176146	212662	189549	246052	224563
10.	जम्मू और कश्मीर	235876	189020	275193	206308	291100	191144
11.	झारखंड	97228	292592	114743	292215	123777	299265
12.	कर्नाटक	1055642	1143842	955321	1128996	1035706	11387,3
13.	केरल	1146439	980422	992374	1060056	1112342	1240164
14.	मध्य प्रदेश	1238753	1106012	1186416	1089195	1217733	1091221
15.	महाराष्ट्र	2392663	3904605	2624928	3275954	2048255	2977306
16.	मणिपुर	13252	8840	13530	9844	14572	14381
17.	मेघालय	5011	12591	1970	3181	2982	4103
18.	मिजोरम	14895	4193	9044	4412	11747	3569
19.	नागालैंड	2275	5060	2979	4405	3179	3586
20.	ओडिशा	295667	1111165	318634	1153517	300337	1185763
21.	पंजाब	490222	569345	678677	553202	758927	537064
22.	राजस्थान	849266	1528318	1244592	1451368	1150808	1446129
23.	सिक्किम	1654	1199	1862	1194	1913	1077
24.	तमिलनाडु	1693229	1241370	1656290	1183249	1499884	1232469
25.	त्रिपुरा	138225	52670	135571	48251	148688	55895
26.	उत्तर प्रदेश	2811237	5653441	2599715	5798048	2798690	5792331
27.	उत्तराखंड	261168	155593	195773	145734	178409	164495
28.	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	868212	2801306	1105367	2644869	992367	2605371
29.	चंडीगढ़	123158	80365	161785	60116	138558	49955

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2724	5974	3863	4977	8451	7249
31.	दिल्ली	726846	905228	1159545	758478	918683	656587
32.	लक्षद्वीप	138	197	0	239	96	291
33.	पुदुचेरी	37067	25826	43686	26705	33899	28941
	कुल	17659558	27751181	18596866	26986307	18197153	26889203

[हिन्दी]

अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2236. **श्री प्रेमदासः**
श्री तूफानी सरोजः
श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री पूर्णमासी रामः
श्री सुशील कुमार सिंहः
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषादः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को संपदा निदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इन शिकायतों की प्रकृति किस प्रकार की है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे अधिकारी जांच के दौरान भी कार्यरत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और ऐसी शिकायतों के निपटारों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां, संपदा निदेशालय के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के सभी मामलों में जाँच की गई है।

(घ) जी, हां, एक अधिकारी को उनके मूल विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है। ऐसे अघिकारियों में से कुछ अधिकारी प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अभी निदेशालय मे कार्यरत हैं जिनके विरूद्ध शिकायत के मामलों में अनिवार्य स्थानान्तरण का समुचित आधार नही है।

(ङ) इन मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

विवरण

शिकायतों की प्रकृति के साथ-साथ शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	संपदा निदेशालय के कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की कुल संख्या	शिकायतों की प्रकृति	
			सतर्कता	प्रशासनिक
1.	2010	03	01	02
2.	2011	02	-	02
3.	2012	07	03	04
4.	2013	05	-	05

चल न्यायालय

2237. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री नरेनभाई काछड़िया:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के लिए न्यायिक प्रणाली सुलभ बनाने के लिए राज्यों को ग्राम न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत चल न्यायालय आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चल न्यायालयों की स्थापना के लिए तैयार की गई प्रविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक देश में अधिसूचित और चल रहे ग्राम न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा आज तक आयोजित किये गये ग्राम न्यायालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अभी भी कई राज्यों ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना और चल न्यायालयों का आयोजन नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के निबंधनानुसार, राज्य सरकारें, नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय तक पहुंच का उपबंध करने की दृष्टि से संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9 के निबंधनानुसार न्यायाधिकारी अपनी अधिकारिता के अंतगर्त आने वाले ग्रामों का आवधिक रूप से दौरा करेगा और ऐसे किसी स्थान पर विचारण या कार्यवाहियां संचालित करेगा, जिसको वह उस स्थान के निकट समझता है जहां पक्षकार सामान्यता निवास करते हैं या जहां संपूर्ण वाद हेतुक या उसका कोई भाग उद्भूत हुआ था, परंतु जहां ग्राम न्यायालय अपने मुख्यालयों से बाहर चल न्यायालय आयोजित करने का विनिश्चय करता है वहां वह उस तारीख और स्थान के बारे में, जहां पर चल न्यायालय लगाने का प्रस्ताव करता है, व्यापक प्रचार करेगा। राज्य सरकार, ग्राम न्यायालय को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी जिनके अंतर्गत उसके मुख्यालयों से बाहर विचारण या कार्यवाहियां संचालित करते समय न्यायाधिकारी द्वारा चल न्यायालय आयोजित करने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी है।

केंद्रीय सरकार, विहित संनियमों के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए न्यायालय की स्थापना करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है। उपलब्ध जानकरी के अनुसार, नौ राज्य सरकारों द्वारा 172 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है जिसमें से 152 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रारंभ से तारीख 30.11.2013 तक स्कीम के अधिन वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को 3425 लाख रुपए की रकम प्रदान गई है। जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	राज्य	अधिसूचित	कार्यरत	जारी रकम (रुपये लाख में) 2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
1.	मध्य प्रदेश	89	89	632.00	745.40	156.80	0.00	284.80	1819.00
2.	राजस्थान	45	45	567.00	0.00	144.00	243.00	192.00	1146.00
3.	कर्नाटक	2	0	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20
4.	ओडिशा	14	8	15.80	0.00	110.60	0.00	0.00	126.40
5.	महाराष्ट्र	10	10	132.60	0.00	9.60	15.80	0.00	158.00
6.	झारखंड	6	0	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	75.60
7.	गोवा	2	0	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
8.	पंजाब	2	0	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
9.	हरियाणा	2	0	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
	कुल	172	152	1347.40	745.40	446.20	410.00	476.80	3425.80

केंद्रीय सरकार संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से नियमित अनुरोध करती रही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर, तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ, यह संकल्प लिया गया है कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को, जहां कहीं साध्य हों, उनकी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना के प्रश्न को विनिश्चित करना चाहिए।

एस.एस.आई. का विकास

2238. श्री इन्द्रराज सिंहः
श्री नरेनभाई काछड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री हरीश चौधरी:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों (एसएसआई) की प्रगति तथा विकास के लिए सरकार की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकृत/कार्यरत लघु उद्योगों की संख्या कितनी है तथा इनमें किए गये निवेश तथा इनसे सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने/विपणन करने के लिए राज्यों को सहायता/विशेष पैकेज प्रदान किया जा रहा है/किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में किये गये आकलन/शुरू की गई योजनाओं/किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लघु उद्यमियों की व्यवस्था की स्थापना करने/विस्तार करने तथा उनके कौशल में सुधार लाने के लिए सहायता देने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्यों/इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 में निम्नानुसार एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया है:

वर्गीकरण	संयंत्र व मशीनरी में निवेश	
	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
सूक्ष्म	25 लाख रुपये तक	10 लाख रुपये तक
लघु	25 लाख रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक	10 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक
मध्यम	5 करोड़ रुपये से अधिक और और 10 करोड़ रुपये तक	2 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई सहित देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। विशेष रूप से, भारत सरकार स्थानीय कच्चे माल और कौशल के इष्टतम इस्तेमाल पर आधारित उत्पादक रोजगार अवसरों के सृजन और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को सुधारने, कौशल में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बढ़ते बाजारों और उद्यमियों/कारीगरों तथा उनके समूहों के क्षमता निर्माण के लिए हस्तक्षेप करने सहित बहुत से उपायों द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को सुधारने की कोशिश कर रही है।

(ख) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित नवीनतम गणना (एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना), जिसमें 2009 तक आकड़े एकत्रित किए गए थे और 2011-12 में परिणाम प्रकाशित किए गए थे, देश में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या, किया गया निवेश और सृजित रोजगार के अवसर संग्लन विवरण में दिए गए हैं। गणना में वर्ष-वार आकड़े नही प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के द्वारा अपना निर्यात बढ़ाने के लिए एक विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना कार्यान्वित करती है। सरकार ने एक खरीद नीति भी अधिसूचित की है, जिसके अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वार्षिक खरीदों का न्यूनतम 20 फीसदी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदत सेवाओं से प्राप्त करेंगे।

एमएसएमई मंत्रालय में सरकार गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा देश में रोजगार के सृजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम भी कार्यान्वित की रही है। पीएमईजीपी के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोतर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र के लाभार्थियों, आदि के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये हैं। 2012-13 के दौरान, देश में अनुमानित रूप से 4. 28 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए 1080.25 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता के साथ 57078 सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं।

इस मंत्रालय के तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी तथा केवीआईसी, केयर बोर्ड विकास आयुक्त (एमएसएमई) की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों जिसमें 10 एमएसएमई टूल रूम शामिल हैं के माध्यम से कौशल/उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2012-13 के दौरान, 6 लाख लोगों के लक्ष्य के मुकाबले 5.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

विवरण

पंजीकृत चालू, उद्यमों, रोजगार और निवेश का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का कोड	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	उद्यमों की संख्या	रोजगार	प्लांट एवं मशीनरी का आरंभिक मूल्य (करोड़ रुपये में)	नियत निवेश का बाजार मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	14993	90158	557.65	7364.92
2.	हिमाचल प्रदेश	11931	65148	741.7	3085.72
3.	पंजाब	48110	415838	3825.13	22864.79
4.	चंडीगढ़	996	11705	61.86	424.92
5.	उत्तराखंड	23765	79941	801.97	3436.46
6.	हरियाणा	33150	381774	3179.08	18970.53
7.	दिल्ली	3754	58123	360.07	2464.25

1	2	3	4	5	6
8.	राजस्थान	54885	341690	3832.87	16158.73
9.	उत्तर प्रदेश	187742	754908	4829.37	33666.01
10.	बिहार	50036	147775	491.84	3674.46
11.	सिक्किम	122	1159	10.83	27.82
12.	अरूणाचल प्रदेश	417	5411	31.22	543.78
13.	नागालैंड	1332	16281	111.23	718.33
14.	मणिपुर	4492	19960	41.73	96.76
15.	मिजोरम	3715	26032	91.57	296.95
16.	त्रिपुरा	1343	23166	94.24	326.57
17.	मेघालय	3010	12701	63.55	134.54
18.	असम	19864	210507	1070.39	5867.4
19.	पश्चिम बंगाल	43259	360255	2470.04	11379.38
20.	झारखंड	18190	75134	674.19	3546.65
21.	ओडिशा	19606	173088	1041.89	5361.55
22.	छत्तीसगढ़	22768	75094	579.64	2193.57
23.	मध्य प्रदेश	106997	298047	1697.28	6834.2
24.	गुजरात	229830	1244981	42099.26	151868.8
25.	दमन और दीव	594	25518	326.81	1863.6
26.	दादरा और नगर हवेली	1716	26476	46.97	178.96
27.	महाराष्ट्र	86586	1088790	12384.89	54365.37
28.	आंध्र प्रदेश	45692	382977	3641.84	11752.16
29.	कर्नाटक	136186	789359	4608.04	14818.73
30.	गोवा	2621	33330	404.42	3250.39
31.	लक्षद्वीप	2	2	0	0
32.	केरल	150188	621423	3408.9	17217.1
33.	तमिलनाडु	233881	1426056	11112.59	43296.16
34.	पुदुचेरी	1451	21086	310.57	1051.48
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	750	5593	20.18	37.33
	अखिल भारतीय योग	1563974	9309486	105024.61	449138.40

देश में नाभिकीय विद्युत का उत्पादन

2239. **श्री सतपाल महाराज:**
श्री एम. आनंदन:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री के. शिवकुमार *ऊर्फ* **जे.के. रितीश:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश मे चल रहे नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एन.पी. पी.) की अधिष्ठापित क्षमता और उनके द्वारा उत्पादित वास्तविक विद्युत का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नाभिकीय संयंत्रों का विद्युत उत्पादन और क्षमता का उपयोग विश्व के औसत के समतुल्य नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में वद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने/विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से कितने एन.पी.पी. निर्माणाधीन है और स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ङ) किन-किन स्थानों पर उक्त संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं/किये जाने की संभावना है तथा संयंत्र-वार उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश में 20 नाभिकीय संयंत्र हैं जिनकी स्थापित क्षमता 4780 मेगावाट है। इनसें से, 19 रिएक्टर, जिनकी स्थापित क्षमता 4680 मेगावाट है, वर्तमान में प्रचालन हैं एक रिएक्टर, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1(100 मेगावाट) को निरंतर प्रचालन के लिए तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु विस्तारित अवधि के लिए शट-डाउन किया गया है।

वर्ष 2012-13 में इन रिएक्टरों द्वारा किए गए वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवस्थिति तथा राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2012-13 में किया गया उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4
तारापुर, महाराष्ट्र	टीएपीएस-1	160	577
	टीएपीएस-2	160	1007
	टीएपीएस-3	540	4373
	टीएपीएस-4	540	3866
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीएस-1*	100	
	आरएपीएस-2	200	1584
	आरएपीएस-3	220	1757
	आरएपीएस-4	220	1926
	आरएपीएस-5	220	1760

1	2	3	4
	आरएपीएस-6	220	1819
कलपाक्कम, तमिलनाडु	एमएपीएस-1	220	1485
	एमएपीएस-2	220	1257
नरोरा, उत्तर प्रदेश	एनएपीएस-1	220	1226
	एनएपीएस-2	220	1315
काकरापार, गुजरात	केएपीएस-1	220	1832
	केएपीएस-2	220	1639
कैगा, कर्नाटक	केएआईजीए-1	220	1464
	केएआईजीए-2	220	1270
	केएआईजीए-3	220	1447
	केएआईजीए-4	220	1259

*राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 को अक्तूबर, 2004 से विस्तारित अवधि के लिए शट-डाउन किया गया है

(ख) जी नहीं, वर्ष 2012 के लिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का वर्तमान समग्र क्षमता उपयोग विश्व की 80% और औसत तुलनीय है।

(ग) विगत में, भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रो की क्षमता के उपयोग में कमी होने का कारण, स्वदेशी ईंधन की मांग और आपूर्ति में अंतर होना था। तथापि, सरकार द्वारा स्वदेशी ईंधन की आपूर्ति में वृद्धि करने और अतंर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अंतर्गत रिएक्टरों में आयोजित ईंधन का उपयोग करने के संबंध में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप क्षमता का उपयोग, जोकि वर्ष 2008-09 में लगभग 50% था, में निरंतर सुधार हुआ है और यह चालू वर्ष में 80% तक हो गया है।

(घ) और (ङ) सात नाभिकीय विद्युत रिएक्टर निर्माण/कमीशनिंग के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से एक रिएक्टर, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) यूनिट-1 (1000 मेगावाट) को अक्तूबर, 2013 से ग्रिड के साथ पहले से ही जोड़ दिया गया है, और वह तब से अनिश्चित विद्युत उत्पादन कर रहा है।

निर्माणाधीन-कमीशनाधीन अन्य रिएक्टरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
केकेएनपीपी-2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	1×1000	कमीशनाधीन
केएपीपी 3 तथा 4	काकरापार, गुजरात	2×700	निर्माणाधीन
आरएपीपी 7 तथा 8	रावतभाटा, राजस्थान	2×700	निर्माणाधीन
पीएफबीआर	कलपाक्कम, तमिलनाडु	500	निर्माणाधीन

इनके अतिरिक्त, XIIवीं योजना के प्रस्तावों में, उन्नीस नए रिएक्टरों, जिनकी क्षमता 17,400 मेगावाट होगी, से संबंधित कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई है। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति	किस्म	क्षमता (मेगावाट)
स्वदेशी रिएक्टर			
जीएचएवीपी 1 तथा 2	गोरखपुर, हरियाणा	पीएचडब्ल्यूआर	2×700
सीएमएपीपी 1 तथा 2	चुटका, मध्य प्रदेश		2×700
माही बासंवाडा 1 तथा 2	माही बांसवाडा, राजस्थान		2×700
कैगा 5 तथा 6	कैगा, कर्नाटक		2×700
एफबीआर 1 तथा 2	कलपाक्कम, तमिलनाडु	एफबीआर	2×500
एएचडब्ल्यूआर	स्थल का निर्धारण अभी किया जाना है	एएचडब्ल्यूआर	300
विदेशी सहयोग से स्थापित रिएक्टर			
केकेएनपीपी 3 तथा 4	कुडनकुलम, तमिलनाडु		2×1000
जेएनपीपी 1 तथा 2	जैतापुर, महाराष्ट्र		2×1650
कोव्वाडा 1 तथा 2	कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश	एलडब्ल्यूआर	2×1500
छाया मीठी विरदी 1 तथा 2	छाया मीठी विरदी, गुजरात		2×1100

व्याख्या (लिजेंड): पीएचडब्ल्यूआर-दाबित भारी पानी रिएक्टर
एफबीआर-फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
एएचडब्ल्यूआर-प्रगत भारी पानी रिएक्टर
एलडब्ल्यूआर-साधारण जल रिएक्टर

[अनुवाद]

आई.आई.टी. में छात्र-शिक्षक अनुपात

2240. श्री नीरज शेखर:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री खगेन दास:
श्री यशवीर सिंह:
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यमान छात्र-शिक्षक अनुपात संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आई.आई.टी.-वार ब्यौरा क्या है और आई.आई.टी. में वर्तमान में छात्र-शिक्षक अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त अनुपात में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किए जाने का विचार है; और

(घ) आई.आई.टी. में छात्रों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी विशेषकर अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के विस्तार और शोधार्थियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा संकाय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्व भर में विभिन्न संस्थाओं में संकाय में विद्यार्थी अनुपात भिन्न-भिन्न है। ओईसीडी रिपोर्ट 'एजुकेशन एट ए ग्लांस' 2010 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में संकाय विद्यार्थी अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 15.1:1, यूके में 17.6:1, जापान में 10.6:1, जर्मनी में 12.1:1 और फ्रांस में 16.6:1 था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-वार विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात संग्लन विवरण में दिया है।

(ग) और (घ) रिक्तियां उत्पन्न होना और भरा जाना एक सतत् प्रकिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुणवत्तापरक संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हे प्रतिधारित करने के लिए समुचित कार्यनीतियों की योजना बनाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्ण वर्ष मुक्त विज्ञापन देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चयन समिति की बैठकें आयोजित करना, सक्षम उम्मीदारों तक पहुंचने के लिए पूर्व छात्रों,वैज्ञानिकों, भारत और विदेश के संकाय को निमंत्रित करना, विदेशों में व्यावसायिकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, उत्कृष्ट युवा संकाय को पुरस्कार प्रदान करना, आदि भी शामिल हैं। संस्थान संविदा आधार पर संकाय की नियुक्ति कर रहे हैं और कमी को पूरा करने के लिए अतिथि संकाय को आमंत्रित कर रहे हैं। संस्थानों को स्थायी संकाय पदों पर प्रवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	संस्थान	विद्यार्थियों की संख्या	संकायों की संख्या		विद्यार्थी: संकाय का अनुपात
			मंत्रालय के मानकों के अनुसार	वर्तमान स्थिति (अतिथि/सहायक/ अनुबंध आधार सहित)	
1	2	3	4	5	6
1.	आईआईटी बॉम्बे	8945	834	617	14:1
2.	आईआईटी दिल्ली	7827	770	421	19:1
3.	आईआईटी गुवाहाटी	4878	475	334	15:1
4.	आईआईटी कानपुर	6167	617	378	16:1
5.	आईआईटी खड़गपुर	10026	1020	564	18:1
6.	आईआईटी मद्रास	8186	500	538	15:1
7.	आईआईटी रूड़की	7524	752	393	19:1
8.	आईआईटी बीएचयू	5020	557	233	22.1
9.	आईआईटी भुवनेश्वर	779	90	86	9:1
10.	आईआईटी गांधीनगर	734	90	79	9:1
11.	आईआईटी हैदराबाद	1364	136	109	13:1

1	2	3	4	5	6
12.	आईआईटी इंदौर	670	90	80	8:1
13.	आईआईटी जोधपुर	711	90	56	13:1
14.	आईआईटी मंडी	564	90	57	10:1
15.	आईआईटी पटना	748	90	77	10:1
16.	आईआईटी रोपड़	556	90	57	10:1
	कुल	64699	6591	4079	16:1

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

2241. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
डॉ. मिर्जा महबूब बेग:
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री अशोक तंवर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के लिए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा कानून लाने का है जो उन्हें उनके समक्ष लंबित मामलों पर निर्णय देने के लिए तथा न्यायपालिका में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इरादा न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा न्यायिक प्रणाली में संरचनात्मक सुधार हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का उपबंध करने के लिए संविधान में 1997 में संशोधन किया गया था। ग्यारहवें विधि आयोग द्वारा उसकी 116वीं रिपोर्ट में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, केन्द्र राज्य संबंध समिति और विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में समर्थन किया गया है। तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अपनाने पर, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ हुए परामर्शो में सहमति संभव नही हुई है। प्रस्ताव को, 07 अप्रैल, 2013 को आयोजित, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचारार्थ रखा गया था। यह विनिश्चय किया गया है कि विषय पर अगला परामर्श, राज्यों और उच्च न्यायालयों के साथ किया जाना अपेक्षित होगा।

(ख) और (ग) विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। न्यायपालिका की सहायता करने के लिए सरकार ने (i) विलंबो और बकाया मामलों को कम करके न्याय तक पहुंच में वृद्धि करके; और (ii) संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में वृद्धि करके न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन स्थापित किया है। मिशन ने कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पदसंख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन देने और अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों की

सिफारिश करने तथा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सहायता प्रक्रियाओं की पुनः इंजीनियरी का सुझाव देने सहित बेहतर न्यायालय अवसंचरना के लिए सहायता उपलब्ध कराकर न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों की संख्या को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय मिशन द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के परिणाम, सम्यक समय में न्याय परिदान में सुधार के रूप में परावर्तित होंगे । तथापि, यहां यह उल्लेख किया जा सकेगा कि अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों, के लंबित रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि को नियंत्रित किया गया है और इन न्यायालयों में लंबित कुल मामले, 2010 में 2.77 करोड़ से 2012 में 2.68 करोड़ तक कम हुए हैं। मिशन, पांच वर्ष (2011-16) की समयावधि के लिए है।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की चयन प्रकिया में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया गया और राज्य सभा द्वारा संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2013 के रूप में पारित किया है। न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 संसदीय स्थायी समिति को निर्देशित किया गया है। जिसकी रिपोर्ट तारीख 9 दिसंबर, 2013 को राज्य सभा के पटल पर रख दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक" प्रस्तावित किया है जो उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलयों के न्यायाधीशों के विरूद्ध अभिकथित कदाचार और अक्षमता के आधारों पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे के लिए और अन्वेषण के पश्चात् उनको दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए व्यापक तंत्र का उपबंध करता है। विधेयक, न्यायिक मानकों को अधिकथित करता है और न्यायाधीशों के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे अपनी आस्तियों/दायित्वों की घोषणा करें। विधेयक को लोक सभा द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है और अब विचार के लिए सभा के समक्ष है।

[हिन्दी]

जघन्य अपराधों के लिए त्वरित न्यायालय

2242. श्री राजू शेट्टी:
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के हाशिए के वर्गों के विरुद्ध अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ऐसे स्थापित न्यायालयों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कितने मामले निपटाए गए;

(ग) इन न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान निपटाए गए बलात्कार के मामलों की संख्या क्या है तथा बलात्कार के कितने मामले झूठे पाए गए; और

(घ) बलात्कार के फर्जी मामले दर्ज कराने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) 7 अप्रैल, 2013 को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, यह संकल्पित किया गया है कि राज्य सरकारें, संबद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से महिलाओं, बालकों, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ट नागरिकों और समाज के सीमांत वर्गों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित त्वरित निपटान न्यायालयों की समुचित संख्या में स्थापना करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगी और त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन तथा उनको जारी रखने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करेंगी।

सरकार ने, बलात्संग के मामलों में विचारण समाप्त करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को लिखा है। राज्यों से इस प्रयोजन के लिए, ब्रिज मोहन

लाल मामले मे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायपालिका में सृजित किए गए न्यायाधीशों के अतिरिक्त पदों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने, 13वें वित्त आयोग अधिनिर्णय के अधीन प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के लिए 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध निधियों से इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के वेतन का 50% राज्य सरकारों को उपलब्ध करना भी अनुमोदित कर दिया है।

(ख) बलात्संग मामलों के विचारण के लिए स्थापित/अभिहित एफ टी सी की संख्या को दर्शित करने वाला ब्यौरा संग्लन विवरण-I में दिया गया है। इन न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों पर आंकड़े, केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध-2012" के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान निपटाए गए भा.द.सं. के मामलों की राज्य-वार संख्या संग्लन विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 2012 दौरान, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'भारत में अपराध 2012' के अनुसार विचारण, 14717 बलात्संग के मामलों में पूरे किए गए थे तथा तथ्य अथवा विधि की भूल के कारण 1833 मामलें मिथ्या घोषित किए गए थे।

(घ) भा.दं.सं. और द.प्र.सं. में ऐसे व्यक्तियों के लिए उपबंध हैं जो किसी अपराध के करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाते हैं।

विवरण I

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए

क्रम सं.	राज्य का नाम	बलात्संग के मामलों के विचारण के लिए स्थापित एफटीसी की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	9
2.	उत्तराखंड	42
3.	झारखंड	10
4.	ओडिशा	30
5.	कर्नाटक	10
6.	केरल	1
7.	पंजाब	20
8.	असम	3
9.	राजस्थान	9
10.	आंध्र प्रदेश	24
11.	दिल्ली	6
	योग	164

विवरण-II

वर्ष 2012 के दौरान निपटाए गए भा.दं.सं. के मामलों की राज्य-वार संख्या

क्रम.सं.	राज्य का नाम	भा.दं.सं. के मामलों की संख्या जिनमें वर्ष 2012 के दौरान विचारण पूर्ण थे
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	114732
2.	अरुणाचल प्रदेश	526
3.	असम	20244
4.	बिहार	57361
5.	छत्तीसगढ़	37901
6.	गोवा	1420
7.	गुजरात	66995
8.	हरियाणा	43343
9.	हिमाचल प्रदेश	6384
10.	जम्मू और कश्मीर	15915
11.	झारखंड	24777
12.	कर्नाटक	108153
13.	केरल	92305
14.	मध्य प्रदेश	122948
15.	महाराष्ट्र	104748
16.	मणिपुर	70
17.	मेघालय	210
18.	मिजोरम	1394
19.	नागालैंड	530
20.	ओडिशा	35744
21.	पंजाब	22138
22.	राजस्थान	75685
23.	सिक्किम	287
24.	तमिलनाडु	128570
25.	त्रिपुरा	6206
26.	उत्तर प्रदेश	82747
27.	उत्तराखंड	6895
28.	पश्चिम बंगाल	39790
	योग (राज्य)	1218018
संघ राज्यक्षेत्र		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	380
2	चंडीगढ़	1621
3	दादरा और नगर हवेली	231
4	दमन और दीव	94
5	दिल्ली	29700
6	लक्षद्वीप	65
7	पुदुचेरी	2029
	योग (संघ राज्यक्षेत्र)	34120
	योग (संपूर्ण भारत)	1252138

[अनुवाद]

दूरसंचार टावरों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

2243. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटिल खतगांवकर:
श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा से दूरसंचार टावर चलाने की परियोजना प्रारंभ की है जो ग्रिड रहित क्षेत्रों से शुरू होगी तथा देश में सभी दूरसंचार टावरों को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अनिवार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर बीएसएनएल द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा नवीकरणीय/संकर ऊर्जा आधारित कितने टावर अब तक राज्य एवं ऑपरेटर-वार चालू किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से हरित पहल हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग ने हरित ऊर्जा [सौर फोटो वॉल्टिक (एसपीवी) एवं एसपीवी-पवन संकर] का प्रयोग करते हुए इसकी तकनीकी साध्यता तथा वित्तीय व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से यूएसओएफ के पहले चरण के स्थलों में 20 प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की हैं।

दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की हरित दूरसंचार की ओर एक दृष्टिकोण नामक शीर्षक के अधीन दी गई दिनांक 12.04.2011 की सिफारिशों के आधार पर जनवरी, 2012 में दूरसंचार क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निर्देश दिए थे।

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए जिनमें यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 2015 तक कम से कम 50% सभी ग्रामीण टॉवर और 20% शहरी टॉवरों को संकट विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां (आरईटी) + ग्रिड विद्युत) द्वारा संचालित किया जाना है और वर्ष 200 तक 75% ग्रामीण टॉवर एवं 33% शहरी टॉवर संकर विद्युत से संचालित किए जाने हैं।

ये निर्देश केवल सौर ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए थे। ये लक्ष्य ग्रिड/गैर ग्रिड स्थलों में भेदभाव न करते हुए समग्र आधार पर निर्धारित किए गए थे।

(ग) बीएसएनएल द्वारा नवीकरणीय/संकट ऊर्जा से जिन टॉवरों को राज्य-वार कार्यशील बनाया गया था उन टॉवरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य दूरसंचार प्रचालकों द्वारा लगभग 2517 आरईटी परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है और उनका राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए शून्य।

विवरण

बीएसएनएल के नवीकरणीय/संकर ऊर्जा द्वारा संचालित दूरसंचार टावरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सौर ऊर्जा द्वारा संचालित टावरों की संख्या	हाइब्रिड द्वारा संचालित टावरों की संख्या	कुल टावर
1	2	3	4	5
1.	बिहार	01	00	01
2.	छत्तीसगढ़	01	00	01

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	00	01	01
4.	हरियाणा	06	00	06
5.	हिमाचल प्रदेश	18	00	18
6.	जम्मू और कश्मीर	16	00	16
7.	झारखंड	01	00	01
8.	कर्नाटक	03	01	04
9.	केरल	05	00	05
10.	पंजाब	04	00	04
11.	महाराष्ट्र	02	01	03
12.	राजस्थान	05	00	05
13.	सिक्किम	02	00	02
14.	तमिलनाडु	03	01	04
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	19	00	19
16.	ओडिशा	00	01	01
17.	पश्चिम बंगाल	01	00	01
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	05	00	05
19.	उत्तराखंड	26	00	26
	कुल	118	05	123

स्पीड पोस्ट सेवाएं

2244. श्री नलिन कुमार कटील:
श्री एन. धरम सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्पीड पोस्ट केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सेवा के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों तथा गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस सेवा के अंतर्गत बहुत से ग्राम ब्लॉक एवं हुबली सहित जिला मुख्यालयों को शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा शामिल नहीं किए गए ग्राम ब्लॉकों एवं जिलों में स्पीड पोस्ट सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सभी जिला मुख्यालयों एवं गांवों को कब तक स्पीड पोस्ट सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली): (क) डाक विभाग की डाक नेटवर्क का इष्टतम उपयोग परियोजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क और संख का पुनर्गठन किया गया है। स्पीड पोस्टर केन्द्र या तो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छंटाई हब हैं अथवा अंतरा-सर्किल छंटाई हब हैं। 89 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छंटाई हब हैं तथा 146 अंतरा-सर्किल छंटाई हब हैं। राष्ट्रीय छंटाई हबों और अंतरा-सर्किल हबों की, राज्य-वार, सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) स्पीड पोस्ट सेवा के तहत कवर किए गए जिलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विभागीय डाकघर स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तथा शाखा डाकघर स्पीड पोस्ट बुकिंग के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। तथापि ग्रामों के लिए निर्दिष्ट स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण देश भर में किया जाता है।

(ग) जी नहीं, सभी जिला मुख्यालयों को स्पीड पोस्ट सेवा के तहत शामिल किया गया है। ग्राम ब्लॉक स्तर में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं, तथापि कुछ डाकघरों को छोड़कर दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित सभी विभागीय डाकघर स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। हुबली के 47 ग्रामों में से 3 ग्रामों में स्पीड पोस्ट बुकिंग सुविधा उपलब्ध है तथा स्पीड पोस्ट वितरण की सुविधा सभी 47 ग्रामों में उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) ग्राम स्तर सहित देश में सभी स्तरों पर स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराना एक सतत् प्रक्रिया है। स्पीड पोस्ट सेवा ग्रामक की आवश्यकताओं, व्यवसाय की प्रत्याशित मात्रा, आर्थिक लाभ प्रदता, प्रचालनात्मक व्यवहार्यता और उपयुक्त परिवहन को ध्यान में रख कर प्रदान की जाती है।

विवरण I

स्पीड पोस्ट छंटाई हबों की राज्य-वार सूची

राज्य	क्र.सं.	छंटाई हब का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	हैदराबाद
	2	कुरनूल
	3	तिरूपति
	4	विजयवाड़ा
	5	विशाखापतनम
	6	वारंगल
अरुणाचल प्रदेश	-	-
असम	1	गुवाहाटी
बिहार	1	गया
	2	मुजफ्फरपुर

1	2	3
	3	पटना
	4	बरौनी
छत्तीसगढ़	1	रायपुर
दिल्ली	1	दिल्ली
गुजरात	1	अहमदाबाद
	2	राजकोट
	3	सूरत
	4	वड़ोदरा
गोवा	1	पणजी
हरियाणा	1	अंबाला
	2	गुड़गांव
	3	करनाल
	4	रोहतक
हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
	2	पठानकोट
जम्मू और कश्मीर	1	जम्मू
	2	श्रीनगर
झारखंड	1	धनबाद
	2	जमशेदपुर
	3	रांची
कर्नाटक	1	बंगलौर
	2	बेलगाम
	3	बिरूर
	4	गुलबर्गा
	5	हॉसपेट

1	2	3
	6	हुबली-धारवाड़
	7	मंगलौर
	8	मैसूर
केरल	1	कन्नूर
	2	कोच्चि
	3	कोझिकोड
	4	थिरूवल्ला
	5	त्रिसूर
	6	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	1	भोपाल
	2	ग्वालियर
	3	इंदौर
	4	जबलपुर
महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
	2	मुम्बई
	3	नागपुर
	4	पुणे
मणिपुर	1	इम्फाल
मिजोरम		-
मेघालय		-
नागालैंड		-
ओडिशा	1	भुवनेश्वर
	2	संबलपुर
	3	बरहामपुर

1	2	3
पंजाब	1	अमृतसर
	2	चंडीगढ़
	3	जालंधर
	4	लुधियाना
	5	पटियाला
राजस्थान	1	अजमेर
	2	जयपुर
	3	जोधपुर
सिक्किम		–
त्रिपुरा		–
तमिलनाडु	1	चेन्नई
	2	कोयम्बटूर
	3	मदुरै
	4	सलेम
	5	त्रिची
	6	वेल्लोर
	7	विल्लूपुरम
	8	तिरूनेलवेली
उत्तर प्रदेश	1	आगरा
	2	इलाहाबाद
	3	बरेली
	4	गाजियाबाद
	5	गोरखपुर
	6	कानपुर
	7	लखनऊ

1	2	3
	8	मुरादाबाद
	9	नोएडा
	10	वाराणसी
उत्तराखंड	1	देहरादून
पश्चिम बंगाल	1	बर्द्धवान
	2	हावड़ा
	3	खड़कपुर
	4	कोलकाता
	5	सिलिगुड़ी

स्पीड पोस्ट अंतरा-सर्किल हबों की राज्य-वार सूची

राज्य	क्र.सं.	अंतरा-सर्किल हब का नाम
आंध्र प्रदेश	1	राजामुंदरी
	2	अनंतपुर
	3	गुन्टूर
	4	इलुरू
	5	नेल्लोर
	6	निजामाबाद
	7	कुडप्पा
	8	अंगोले
	9	खम्मम
	10	करीमनगर
	11	नालगोंडा
	12	श्रीकाकुलम
अरुणाचल प्रदेश	1	ईटानगर
असम	1	जोरहट

1	2	3
	2	सिलचर
	3	तिनसुकिया
	4	तेजपुर
	5	नगांव
बिहार	1	क्यूल
	2	छपरा
	3	भागलपुर
छत्तीसगढ़	1	बिलासपुर
	2	जगदलपुर
	3	राजगढ़
	4	दुर्ग
गुजरात	1	भरूच
	2	भावनगर
	3	गोधारा
	4	हिम्मतनगर
	5	जामनगर
	6	जूनागढ़
	7	मेहसाणा
	8	आणंद
	9	भुज
	10	वलसाड
	11	पालनपुर
	12	सुरेन्द्रनगर
गोवा		–
हरियाणा	1	हिसार

1	2	3
	2	रिवाड़ी
	3	फरीदाबाद
हिमाचल प्रदेश	1	मंडी
	2	कांगड़ा
	3	सोलन
	4	हमीरपुर
जम्मू और कश्मीर		-
झारखंड	1	डाल्टनगंज
	2	बी. देवघर
	3	हजारीबाग रोड
कर्नाटक	1	रायचूर
	2	बागलकोट
	3	कुमता
	4	बीजापुर
केरल	1	पालाक्कड
मध्य प्रदेश	1	छिन्दवाड़ा
	2	सागर
	3	गुना
	4	खंडवा
	5	उज्जैन
	6	इटारसी
	7	बालाघाट
	8	सतना
	9	रतलाम
महाराष्ट्र	1	नासिक रोड

1	2	3
	2	भुसावल
	3	धुले
	4	रत्नागिरी
	5	कोल्हापुर
	6	सतारा
	7	अहमदनगर
	8	सोलापुर
	9	अमरावती
	10	अकोला
	11	चंन्द्रपुर
	12	परभणी
	13	मिरज
	14	पनवेल
	15	गोन्दिया
	16	मलकापुर
	17	यवतमाल
मणिपुर	–	
मिजोरम	1	आइजॉल
मेघालय	1	शिलांग
नागालैंड	1	दीमापुर
ओडिशा	1	कटक
	2	बालासोर
	3	राउरकेला
	4	जैपुर
	5	जाजपुर रोड

1	2	3
	6	बोलंगीर
	7	ढेकानाल
पंजाब	1	फिरोजपुर
	2	होशियारपुर
	3	भटिंडा
राजस्थान	1	उदयपुर
	2	बीकानेर
	3	कोटा
	4	सीकर
	5	अलवर
	6	फाल्ना
	7	भीलवाड़ा
	8	भरतपुर
	9	श्रीगंगानगर
	10	सवाईमाधोपुर
सिक्किम	1	रंगपो
त्रिपुरा	1	अगरातला
तमिलनाडु	1	इरोड
	2	करायकुडी
	3	तंझावुर
	4	तिरूपुर
	5	विरूधुनगर
	6	वृधाचलम
	7	मइलादुतुराय
	8	तूतीकोरन

1	2	3
	9	जोलारपेट्टेई
	10	नगरकोइल
उत्तर प्रदेश	1	अलीगढ़
	2	मऊ
	3	कासगंज आरएमएस
	4	इटावा
	5	झांसी
	6	गोंडा
	7	मेरठ
	8	मुजफ्फरनगर
	9	सहारनपुर
	10	शाहजहांपुर
	11	फैजाबाद
	12	रायबरेली
	13	खीरी
	14	बांदा
	15	बस्ती
	16	फरूखाबाद
	17	मिर्जापुर
	18	जौनपुर
उत्तराखंड	1	हरिद्वार
	2	रूद्रपुर
	3	रूद्रप्रयाग
	4	अल्मोड़ा
	5	पौड़ी

1	2	3
	6	पिथौड़ागढ़
पश्चिम बंगाल	1	बांकुरा
	2	बुरहमपुर
	3	पोर्ट ब्लेयर
	4	पुरूलिया
	5	रानाघाट
	6	सेंथिया
	7	सियाल्दह
	8	माल्दा
	9	आसनसोल

विवरण II

स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत कवर किए गए राज्य-वार जिलों की संख्या

क्रं. सं.	राज्य का नाम	स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	23
2.	असम	25
3.	बिहार	38
4.	छत्तीसगढ	27
5.	दिल्ली	11
6.	गोवा	02
7.	गुजरात एवं दमन और दीव	35
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	12
10.	जम्मू और कश्मीर	22
11.	झारखंड	24
12.	कर्नाटक	30
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	51
15.	महाराष्ट्र	35
16.	मणिपुर	09
17.	त्रिपुरा	08
18.	मिजोरम	08
19.	नागालैंड	11
20.	अरूणाचल प्रदेश	18
21.	मेघालय	12

1	2	3
22.	ओडिशा	30
23.	पंजाब और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़	23
24.	राजस्थान	33
25.	सिक्किम	04
26.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	33
27.	उत्तर प्रदेश	75
28.	उत्तराखंड	13
29.	पश्चिम बंगाल	21
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
	कुल	671

सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग

2245. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री दत्ता मेघे:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री वैजयंत पांडा:
डॉ. भोला सिंह:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रख्यात व्यक्तित्वों की छवि धूमिल करने तथा किसी की लोकप्रियता को बनावटी तौर पर बढ़ाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों/सोशल मीडिया के दुरुपयोग में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पाए गए ऐसे मामलों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी आईटी कंपनियों के विरुद्ध अश्लील सामग्री जैसे आपत्तिजनक एवं अश्लील सामग्री भी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पोस्ट की जाती है;

(घ) क्या भारत विरोधी भावनाओं एवं अश्लील सामग्री जैसे आपत्तिजनक एवं अश्लील सामग्री भी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पोस्ट की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी सामग्री पोस्ट करने के लिए ऐसे नेटवर्किंग साइटों एवं कंपनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) मीडिया में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि इनवेस्टिगेटिव वेबसाइट कोबरापोस्ट ने ऑपरेशन ब्लू वाइरस नामक एक स्टिंग आपरेशन किया है जिसके जरिए यह मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने कृत्रिम रूप से किसी की लोकप्रियता को बनावटी तौर पर बढ़ाकर विख्यात हस्तियों की छवि को धूमिल करने के लिए फेसबुक, टिवटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों का प्रयोग किया है।

तथापि, इस प्रकार की किसी गतिविधि के लिए किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विरुद्ध गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में सरकार को इस तरह की कोई विशिष्ट शिकायत/घटना के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) विशिष्ट प्रसंगो/घटनाओं के संबंध में विचारों, गतिविधियों तथा घटनाओं और विचारों/मतों को प्रकट करने और आपस में उन्हें साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटें प्रयोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए एक ऑनलाइन माध्यम/मंच के रूप में उभरी हैं। कुछ समूहों और व्यक्तियों ने विविध प्रयोजनों के लिए इन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सामग्री पोस्ट की है जिसे समाज के एक वर्ग से जोड़ा जा सकता है और फायदे के लिए इसका प्रयोग किया गया। कई समूहों ने इन साइटों पर राष्ट्र विरोधी भावनाओं और अश्लील सामग्री स्टॉक करने जैसे प्रयोजनों के लिए इनमें आपतिजनक सामग्री पोस्ट की है। अधिकांश नेटवर्किंग साइटें देश से बाहर होस्ट की जाती है।

सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कार्रवाईयां की है:

(i) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यम दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग साइटों समेत माध्यस्थों से यह अपेक्षित है कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए वे उचित सावधानी बरतेंगे और कम्प्यूटर संसाधनो के प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधन प्रकाशित, प्रेषण, अद्यतन और साझा नही करने की जानकारी देंगे, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक, आपत्तिजनक, नाबालिगों को प्रभावित करने वाली और गैर-कानूनी है। इस नियमों में यह भी अपेक्षित है कि माध्यस्थ प्रयोक्ताओं तथा प्रभावित व्यक्तियों/संगठनों से शिकायत प्राप्त होने पर उनका समाधान करने के लिए शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।

(ii) सरकार ने 17 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सोशल नेटवर्किंग साइटों समेत सभी माध्यस्थों को एक परामर्श जारी किया जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी वेबसाइटों पर होस्ट की गई हानिकारक और विद्वेषपूर्ण सूचना सामग्री को अशक्त करें।

(iii) सरकार ऐसी सूचना सामग्री को प्रभावी और सक्षम तरीके से अशक्त करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों समेत माध्यस्थों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

[हिन्दी]

विधिक सलाह के लिए लंबित फाइलें

2246. **श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत महत्वपूर्ण मामलों तथा विभागों के कार्यकरण से संबंधित बहुत सी फाइलें कई वर्षो से विधिक सलाह हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी ऐसी फाइलें लंबित हैं;

(ग) सेबी, भूमि अधिग्रहण, सड़क परिवहन तथा प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ी फाइलों के लंबन के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी फाइलों पर विधिक सलाह प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शहरी बेरोजगारी

2247. **चौधरी लाल सिंह:**
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री एम.के. राघवन:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति संबंधी कोई अध्ययन सरकार ने कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है तथा उनमें से कितने बेरोजगार एवं कितने अकुशल बेरोजगार हैं;

(ग) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित/हासिल किए गए हैं;

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों में रोजगार संवर्द्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के लिए पहचाने गए संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा देश के शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) और (ख) आवास एवं शहरी गरीबों उपशमन मंत्रालय द्वारा देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति संबंधी कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार-योजना (एसजेएसआरवाई) का एक घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम है। एसजेएसआरवाई के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप में रिलीज की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एसजेएसआरवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिलीज की गई निधियों तथा एसजेएसआरवाई के घटक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य संलग्न विवरण-। तथा विवरण-।। में दिए गए हैं।

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार-योजना (एसजेएसआरवाई) स्कीम संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत, कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने स्तर पर की जाती है। चूंकि योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, केन्द्रीय स्तर पर किसी भी कौशल प्रशिक्षण संस्थान की पहचान नहीं की गई है।

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एसजेएसआरवाई की स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-।।। में दिया गया है।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में विद्यमान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के स्थान पर 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)' 24 दिसंबर, 2013 से शुरू की है। एनयूएलएम का ध्यान शहरी गरीबों को स्वावलंबी समूह बनाने, बाजार आधारित रोजगार के लिए कौशल विकास के अवसर सृजित करने तथा सुगमता से ऋण सुनिश्चित कराकर उन्हें स्वरोजगार उपक्रम में सहायता करने पर होगा।

विवरण I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्यों के नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3790.43	6910.24	8457.92	4865.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	201.79	129.99	129.99	180.75
3.	असम	2869.96	3274.80	3413.28	2559.75
4.	बिहार	0.00	1579.36	0.00	1755.75
5.	छत्तीसगढ़	1201.95	1921.96	2024.30	795.84
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	123.75
7.	गुजरात	839.27	3843.37	4855.11	2114.64

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	654.37	1597.70	1866.07	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	25.00	109.54	335.61	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	67.61	293.30	296.27	453.75
11.	झारखंड	0.00	814.00	1782.29	0.00
12.	कर्नाटक	3940.45	4874.28	5058.16	2327.79
13.	केरल	474.03	1970.37	2634.58	0.00
14.	मध्य प्रदेश	4570.13	5719.08	4743.32	3526.50
15.	महाराष्ट्र	9028.52	10304.04	10271.98	2018.40
16.	मणिपुर	448.43	399.65	399.65	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	234.74	0.00
18.	मिजोरम	179.37	514.74	653.12	326.25
19.	नागालैंड	134.53	269.06	443.18	332.25
20.	ओडिशा	1650.75	2083.28	1669.30	1345.50
21.	पंजाब	0.00	2275.11	1344.04	0.00
22.	राजस्थान	2932.96	4187.60	1976.70	0.00
23.	सिक्किम	0.00	45.00	174.95	0.00
24.	तमिलनाडु	4267.63	6346.09	11221.33	4586.66
25.	त्रिपुरा	224.25	523.81	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	546.34	583.96	625.97	482.39
27.	उत्तर प्रदेश	7224.67	11119.01	4668.63	7011.00
28.	पश्चिम बंगाल	2169.31	5764.81	7500.54	2686.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.75	23.34	9.27	0.00
30.	चंडीगढ़	39.26	147.13	68.21	102.00
31.	दादरा और नगर हवेली	8.79	8.65	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	175.00	250.01	0.00
34.	पुदुचेरी	25.00	75.00	37.58	0.00
	कुल	47533.55	77883.27	77146.10	37594.25

विवरण II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम स्थापना (यूएसईपी) के लिए सहायित लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्यों के नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1900	9005	4417	12259	5770	9387	6600	3083
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	12	394	89	267	86	300	21
3.	असम	40	90	4598	126	3608	150	3500	0
4.	बिहार	1003	0	3515	1396	2908	35	2400	0
5.	छत्तीसगढ़	602	1862	1154	2687	1570	3068	1500	764
6.	गोवा	51	0	148	14	109	35	150	4
7.	गुजरात	841	8015	3604	8914	4727	2845	5400	605
8.	हरियाणा	328	1606	1355	1511	1709	1733	2100	98
9.	हिमाचल प्रदेश	7	24	50	68	519	169	200	69
10.	जम्मू और कश्मीर	68	200	247	85	532	488	650	152
11.	झारखंड	408	402	1337	81	1855	1541	1800	76
12.	कर्नाटक	1975	3527	4362	5080	5266	4476	5300	2282
13.	केरल	531	1065	1345	1668	2164	1914	3000	502
14.	मध्य प्रदेश	2291	16743	5299	11724	4980	15981	4800	3801
15.	महाराष्ट्र	4527	7449	9979	6708	12873	13043	11900	2345
16.	मणिपुर	6	8	1068	0	826	0	700	45
17.	मेघालय	5	52	565	0	335	34	450	6
18.	मिजोरम	5	216	501	359	495	372	500	94
19.	नागालैंड	4	130	376	296	514	120	500	0
20.	ओडिशा	827	5168	1950	2851	2011	3974	1900	535
21.	पंजाब	201	66	1478	59	2712	13	3000	34
22.	राजस्थान	1470	7305	3681	5727	4952	5607	3900	1325
23.	सिक्किम	1	80	63	106	118	73	150	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु	2139	3925	5272	5755	6777	5748	8500	4446
25.	त्रिपुरा	6	362	788	253	727	194	750	0
26.	उतराखंड	274	904	545	725	567	694	700	384
27.	उत्तर प्रदेश	3621	7402	11193	4605	9123	9503	9400	3033
28.	पश्चिम बंगाल	1087	4412	4978	6346	6135	3895	7400	1503
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	43	32	65	25	39	50	0
30.	चंडीगढ़	21	112	201	429	147	209	200	98
31.	दादरा और नगर हवेली	5	0	24	5	21	12	50	0
32.	दमन और दीव	4	0	17	0	86	0	50	0
33.	दिल्ली	690	2298	325	306	420	410	2000	48
34.	पुदुचेरी	49	497	139	478	152	230	200	0
	कुल	25000	82980	74999	80775	85000	86078	90000	25354

*समाप्त हो रहे माह अक्तूबर, 2013 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त एमपीआर के अनुसार।

विवरण III

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की स्थापना से ही इसके अन्तर्गत शामिल लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

(30.11.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्यों के नाम	व्यक्तिगत उद्यमों की स्थापना (यूएसईपी के लिए सहायित लाभार्थियों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण मुहैया किये गये लाभार्थियों की संख्या (एसटीईपी-यूपी)	समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना (यूडब्ल्यू एसपी) के लिए सहायित लाभार्थियों की संख्या	यूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत टी और सीएस के लिए आवर्ती निधि के माध्यम से सहायित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	135298	184739	69077	185000
2.	अरूणाचल प्रदेश	588	596	173	16

1	2	3	4	5	6
3.	असम	9008	9386	225	208
4.	बिहार	27888	211051	20571	894
5.	छत्तीसगढ़	21224	26968	1691	9192
6.	गोवा	595	1570	60	104
7.	गुजरात	81965	213541	2203	16180
8.	हरियाणा	30090	57395	8485	1681
9.	हिमाचल प्रदेश	2347	5593	456	39
10.	जम्मू और कश्मीर	13407	30297	304	49
11.	झारखंड	3735	24171	932	317
12.	कर्नाटक	79441	405523	52159	140826
13.	केरल	26827	60071	28147	13637
14.	मध्य प्रदेश	207943	466770	19709	43910
15.	महाराष्ट्र	107624	451762	203731	67856
16.	मणिपुर	302	11325	1315	88
17.	मेघालय	1978	2031	135	52
18.	मिजोरम	845	18038	434	10699
19.	नागालैंड	1483	414	215	747
20.	ओडिशा	72717	80138	45743	5925
21.	पंजाब	8918	23823	220	106
22.	राजस्थान	101368	107175	5851	7023
23.	सिक्किम	573	397	70	203
24.	तमिलनाडु	73786	186137	131699	52885
25.	त्रिपुरा	14010	20870	2230	1351

1	2	3	4	5	6
26.	उत्तराखंड	2914	4793	25	69
27.	उत्तर प्रदेश	218739	356984	16109	63023
28.	पश्चिम बंगाल	52899	167579	46140	38602
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	181	1	6	6
30.	चंडीगढ़	1584	8680	212	34
31.	दादरा और नगर हवेली	69	219	0	1
32.	दमन और दीव	68	0	0	0
33.	दिल्ली	1846	3835	114	76
34.	पुदुचेरी	4644	9645	4380	1526
	कुल	1306904	3151517	662821	662325

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2248. श्री यशवंत लागुरी:
श्रीमती रमा देवी:
श्री हरीश चौधरी:
श्री भीष्म शंकर ऊर्फ **कुशल तिवारी:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा किन मानदंडों का इस्तेमाल किया गया तथा मानदंडों के अनुसार पहचाने गए राज्य-वार जिले कौन से हैं;

(ख) इस उद्देश्य हेतु आवंटित/उपयोग की गयी राशि सहित इन क्षेत्रों के संतुलित विकास के राज्य-वार क्या प्रयास किए गए/कौन से कार्यक्रम लागू किए गए तथा तत्संबंधी परिणामस्वरूप हासिल उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड सहित देश में पिछड़े क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास हेतु नयी योजनाएं बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु संभावित आवंटित राशि कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) कार्यान्वयनाधीन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अतिरिक्त, देश में पिछड़े जिलों के विकास हेतु विशिष्ट स्कीम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का जिला घटक है, जिसे चिहि्नत जिलों में स्थानीय अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देने के मुख्य उद्देश्य के साथ 2006-07 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत 250 जिलों को शामिल करने हेतु चिहि्नत किया गया था। 250 जिलों की इस सूची में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) के प्रथम चरण के तहत आने वाले 200 जिले तथा बढ़ते क्षेत्रीय

असंतुलनों को दूर करने से संबंधित अंतर मंत्रालयी कार्यदल (आईएमटीजी) द्वारा 17 सामाजिक-आर्थिक परिवर्तकों के आधार पर चिह्नित किए गए 170 जिले शामिल थे। 120 जिले इन दोनों सूचियों में शामिल थे। आईएमटीजी द्वारा उपयोग किए गए 17 मानदंडों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। एनआरईजीपी जिलों को समान महत्व वाले तीन मानदंडों नामत: प्रति कृषि संबंधी कामगार उत्पादन मूल्य, कृषि मजदूरी दर और जिले की अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत, पर आधारित पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर चिह्नित किया गया था।

बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत आने वाले जिलों की संख्या को 2012-13 से, बढ़ाकर 272 कर दिया गया था, जो कि मुख्यतया मूल जिलों में से नए जिले बनाए जाने की वजह से किया गया था। 272 जिलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

बीआरजीएफ के जिला घटक के अतिरिक्त, बीआरजीएफ के राज्य घटक के तहत बिहार के लिए विशेष योजनाओं, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना तथा पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में यह निर्णय लिया गया है कि 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित, चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के तहत आने वाले 82 जिलों तथा "वामपंथ उग्रवाद से ग्रस्त जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" नामक स्कीम के माध्यम से छ: अतिरिक्त जिलों (कुल 88 जिलों) को सहायता देना जारी रखा जाए।

बीआरजीएफ के जिला घटक और बीआरजीएफ के राज्य घटक जिसमें बिहार, ओडिशा के केबीके जिलों और पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं तथा चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना के तहत राज्य सरकारों को किए गए आवंटन और जारी की गई राशि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

बीआरजीएफ के जिला घटक की निगरानी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की जा रही है और राज्य घटक के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी योजना आयोग द्वारा की जा रही है। आईएपी के तहत, प्रगति की सूचना एमआईएस http://pcserver.nic.in/iapmis पर उपलब्ध है जो यह दर्शाती है कि शुरू किए गए 103901 कार्यों में से आज की तारीख तक 86566 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) उत्तराखंड सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोई नई स्कीम तैयार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

पिछड़े जिलों की पहचान के लिए बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने हेतु अंतर मंत्रालयी कार्यदल द्वारा अपनाये गये 17 मानदण्डों की सूची

1. आर्थिक

    (i) प्रति व्यक्ति क्रेडिट

    (ii) प्रति व्यक्ति जमाएं

    (iii) कृषि श्रमिकों का %

    (iv) कृषि मजदूरी

    (v) प्रति कृषि मजदूर उत्पादन

2. सामाजिक और शैक्षणिक

(i) अनुसूचित जाति (अ.जा.) जनसंख्या का %

(ii) अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) जनसंख्या का %

(iii) महिला साक्षरता दर

(iv) विशेष आयु-वर्ग की जनसंख्या की तुलना में माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात

(v) सकल नामांकन अनुपात कक्षा I-VIII (आयु 6-13 वर्ष)

3. स्वास्थ्य

(i) क्रूड मृत्यु दर

(ii) नवजात मृत्यु दर

(iii) संस्थागत डिलीवरी

(iv) पूर्ण प्रतिरक्षण

4. सुविधाएं

(i) बिजली की सुविधा से वंचित परिवारों का %

(ii) बैंक सुविधा लेने वाले परिवारों का %

(iii) 500 मीटर से अधिक दूरी के पेयजल स्रोतों वाले परिवारों का %

विवरण II

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटकों के अंतर्गत शामिल 272 जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. अनन्तपुर
3. चितुर
4. कुड्डापाह
5. करीमनगर
6. खम्मम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नलगौंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजियानगरम
13. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. अपर सबन्सीरी

असम

1. बारपेटा
2. बोंगियागांव

3. कचार
4. धेमजी
5. गोलपाड़ा
6. हेलकान्डी
7. कार्बी अंनगलोंग
8. कोकराझार
9. लखीमपुर
10. मरीगांव
11. नार्थ कचार हिल्स
12. चिरंग
13. बक्सा

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बंका
4. बेगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर (भभुआ)
14. कटिहार
15. खगड़िया
16. किशनगंज
17. लखीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा
23. नवादा
24. पश्चिम चम्पारण
25. पटना
26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णिया
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुर
33. शिवहर
34. सितामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली
37. अरवल
38. सिवान

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर

3.	दंतेवाड़ा	4.	धमतारी
5.	जशपुर	6.	कबीरधाम
7.	कंकेर	8.	कोरबा
9.	कोरिया	10.	महासमुन्द
11.	रायगढ़	12.	राजनंदगांव
13.	सुरगुजा	14.	नारायणपुर
15.	बिजापुर		

गुजरात

1.	बनासकंठा	2.	दाहोद
3.	दंग	4.	नर्मदा
5.	पंच महाल्स	6.	साबरकंठा

हरियाणा

1.	महेन्द्रगढ़	2.	सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1.	चम्बा	2.	सिरमौर

जम्मू और कश्मीर

1.	डोडा	2.	कुपवाड़ा
3.	पूँछ	4.	रामबन
5.	किश्तवाड़		

झारखंड

1.	बोकारो	2.	चतरा
3.	देवगढ़	4.	धनबाद
5.	दुमका	6.	गढ़वा
7.	गिरीडीह	8.	गोड्डा
9.	गुमला	10.	हजारीबाग
11.	जमतारा	12.	कोडरमा
13.	लतेहार	14.	लोहरदग्गा

15. पाकुर
16. पलामू
17. राँची
18. साहेबगंज
19. सरायकेला खार्सवान
20. सिमडेगा
21. पश्चिमी सिंहभूम
22. खुंटी
23. रामगढ़

कर्नाटक

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. दावणगेरे
4. गुलबर्गा
5. रायचूर
6. यादगीर

केरल

1. पलक्काड
2. वायनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतुल
4. छतरपुर
5. दामोह
6. धार
7. डिंडोरी
8. गुना
9. झबुआ
10. कटनी
11. खंडवा
12. खरगांव
13. मांडला
14. पन्ना
15. राजगढ़
16. रीवा
17. सतना
18. सिओनी
19. सहडोल
20. शिवपुर
21. शिवपुरी
22. सिद्धी
23. टीकमगढ़
24. उमरिया
25. अशोकनगर
26. बुरहानपुर
27. अनुपपुर
28. छिंदवाड़ा
29. अलीराजपुर
30. सिंगरौली

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भंडारा
5. चंद्रापुर
6. धुले
7. गडचिरौली
8. गोंडा
9. हिंगोली
10. नांदेड
11. नंदुरबार
12. यवतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चुराचाँदपुर
3. तमेंगलांग

मेघालय

1. री भुई
2. दक्षिणी गारो हिल्स
3. पश्चिमी गारो हिल्स

मिजोरम

1. लवंगतलाई
2. सैहा

नागालैण्ड

1. मोन
2. त्वेनसांग
3. वोखा
4. लाँगलेंग
5. किफरी

ओडिशा

1. बोलनगीर
2. बौद्ध
3. देवगढ़
4. ढेंकानाल
5. गजापटी
6. गंजम
7. झारसुगड़ा
8. कालाहांडी
9. कंधमाल
10. क्योंझर

11. कोरापुट
12. मलकांगरी
13. मयूरभंज
14. नबरंगपुर
15. नौपाडा
16. रायगढ़
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़
20. बारगढ़

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1. बांसबाड़ा
2. बाड़मेर
3. चितौड़गढ़
4. डुंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जालौर
7. झालावाड़
8. करौली
9. सवाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टौंक
12. उदयपुर
13. प्रतापगढ़

सिक्किम

1. उत्तरी जिला

तमिलनाडु

1. कुड्डालोर
2. डिंडीगुल
3. नागापट्टनम
4. शिवगंगा
5. तिरूमल्लई
6. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. धलई

उत्तर प्रदेश

1. अम्बेडकर नगर
2. आजमगढ़
3. बहरूच
4. बलरामपुर

5. बंडा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदायूं
9. चंदौली
10. चित्रकुट
11. एटा
12. फरूखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोंडा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जालोन
19. जौनपुर
20. कौशम्बी
21. खेरी
22. कुशीनगर
23. ललीतपुर
24. महाराजपुर
25. महोबा
26. मिर्जापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीर नगर
30. श्रावस्ती
31. सिद्धार्थनगर
32. सितापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव
35. कांशीराम नगर

उत्तराखंड

1. चमोली
2. चम्पावत
3. टिहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. 24 परगना दक्षिण
2. बांकुरा
3. बिरभूम
4. दिनाजपुर दक्षिण
5. दिनाजपुर उत्तर
6. जलपाईगुडी
7. मालदा
8. मेदनीपुर पूर्व
9. मेदनीपुर पश्चिम
10. मुर्शीदाबाद
11. पुरूलिया

विवरण III

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के जिला और राज्य घटकों के अंतर्गत आबंटन और निर्मुक्तियां

क्रम सं.	राज्य	जिला घटक 2006-07 से 2012-13		राज्य घटक: बिहार के लिए विशेष योजना 2003-04 से 2012-13		ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना 2002-03 से 2012-13		पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना 2011-12 से 2012-13		चयनित जनजातीय एवं पिछड़े जिलों के लिए समेकित योजना 2010-11 से 2012-13	
		आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति	आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2421.97	1979.63	0	0	0	0	0	0	530.00	500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	107.94	63.62								
3.	असम	1201.71	520.32								
4.	बिहार	4489.19	3136.11	9985.54	9295.51					775.00	635.00
5.	छत्तीसगढ़	1745.97	1427.03							850.00	850.00
6.	गुजरात	747.92	371.79								
7.	हरियाणा	212.44	161.08								
8.	हिमाचल प्रदेश	212.83	168.05								
9.	जम्मू और कश्मीर	347.48	159.09								
10.	झारखंड	2418.10	1203.77							1370.00	1370.00
11.	कर्नाटक	765.18	515.78								
12.	केरल	239.39	134.07								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	मध्य प्रदेश	3248.47	2495.16							740.00	740.00
14.	महाराष्ट्र	1848.55	1079.34							170.00	160.00
15.	मणिपुर	293.91	185.63								
16.	मेघालय	279.55	171.61								
17.	मिजोरम	174.62	115.45								
18.	नागालैंड	301.85	231.57								
19.	ओडिशा	2272.02	1686.33			2100.00	2100.00			1455.00	1455.00
20.	पंजाब	116.14	61.83								
21.	राजस्थान	1845.39	1487.82								
22.	सिक्किम	97.57	66.55								
23.	तमिलनाडु	794.58	495.69								
24.	त्रिपुरा	92.30	61.03								
25.	उत्तर प्रदेश	4445.86	2566.86							205.00	175.00
26.	उत्तराखंड	312.99	123.34								
27.	पश्चिम बंगाल	1781.04	1332.57					8750.00	4263.46	205.00	205.00
	पिछली बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आबंटित	380.00	0.000								
	जोड़	33194.96	22001.12	9985.54	9295.51	2100.00	2100.00	8750.00	4263.46	6300.00	6090.00

[अनुवाद]

पासपोर्ट सेवा केन्द्र

2249. श्री एम.बी. राजेश:
श्री थांग्सो बाइते:
श्री चंद्रकान्त खैरे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संचालित राज्य-वार पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) का ब्यौरा क्या है;

(ख) शेष पीएसके स्थान-वार कब तक संचालित किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सहित देश में और पासपोर्ट कार्यालय एवं पीएसके खोलने का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पासपोर्ट जारी करने में समय कम लगने एवं आवेदकों को हो रही दिक्कतें कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) पासपोर्ट सेवा परियोजना के तहत, सभी योजनाबद्ध 77 (सतहत्तर) पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसकेज़) देश भर में कार्य करने लगे हैं। पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसकेज) का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में कोई नया पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केन्द्रों/पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्रों के माध्यम से पासपोर्ट प्रदायगी तंत्र के नेटवर्क का विस्तार करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करा रही है, यदि ऐसी आवश्यकता होने का पता केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलता है।

(घ) पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के पूर्ण कार्यान्वयन ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन सहित भारत में 38 पासपोर्ट प्रदाता प्राधिकारियों के साथ 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को जोड़कर पासपोर्ट निर्गम प्रणाली में बदलाव ला दिया है और आवेदनों को ऑनलाइन भरे जाने की शुरुआत की जा रही है। पासपोर्ट सेवा परियोजना में एक केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो सभी पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केन्द्रों, पुलिस तथा भारतीय पोस्ट को जोड़ती है। पासपोर्ट कार्यालय आवेदकों की सत्यापन रिपोर्टों के कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ नियमित बातचीत करता है। दस्तावेज की कमी तथा अपूर्ण रिपोर्टों के कारण लंबित पुराने मामलों को निपटाने के लिए समय-समय पर पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट अदालतें लगाई जाती हैं। पासपोर्ट सेवाएं प्राप्त करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर सप्ताहांत में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट मेलों का आयोजन भी किया जाता है। प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए पासपोर्ट आवेदनों की शीघ्र जांच तथा पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसकेज) का संचालन करने वाले कार्मिकों की भूमिका को परिभाषित करने हेतु दिशानिर्देश बनाए गए हैं। सरकार ने स्टॉफ कल्याणकारी उपायों की शुरुआत करके एक प्रेरित कार्यबल का सृजन करने के उद्देश्य से तथा प्रशिक्षण, काम-काज की परिस्थितियों व कैरियर उन्नयन में सुधार लाने हेतु भी कदम उठाए हैं।

विवरण

पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसकेज़) की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पीएसकेज की संख्या	अवस्थिति
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	7	हैदराबाद 1, 2, एवं 3, निजामाबाद, विजयवाड़ा तिरूपति, विशाखापत्तनम

1	2	3	4
2	असम*	1	गुवाहाटी
3.	बिहार	1	पटना
4.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	1	चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	हेराल्ड हाउस, शालीमार प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस
7.	गोवा	1	पणजी
8.	गुजरात	5	अहमदाबाद 1 और 2, बड़ौदा, राजकोट, सूरत
9.	हरियाणा	2	अम्बाला, गुडगांव
10.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
12.	झारखंड	1	रांची
13.	कर्नाटक	4	बंगलौर 1 और 2, हुबली 1, मंगलौर
14.	केरल	13	तिरूवनंतपुरम, तिरूवनन्तपुरम (ग्रामीण), कोल्लम, कोचीन, एर्नाकुलम ग्रामीण, अलापुझा, कोट्टायम, मालापुरम, त्रिचूर, कोजीकोड I और II, कन्नूर I और II
15.	मध्य प्रदेश	1	भोपाल
16.	महाराष्ट्र	7	मुंबई I, II और III, पुणे, नागपुर, थाणे, नासिक
17.	ओडिशा	1	भुवनेश्वर
18.	पंजाब	5	अमृतसर, लुधियाना, जालंधर I और II, होशियारपुर
19.	राजस्थान	3	जयपुर, जोधपुर, सीकर
20.	तमिलनाडु	8	चेन्नई I, II और III, त्रिची, तंजावुर, मदुरै, तिरूनेलवेली, कोयम्बटूर
21.	उत्तर प्रदेश	6	लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद
22.	उत्तराखण्ड	1	देहरादून
23.	पश्चिम बंगाल	2	कोलकाता, बरहामपुर
	कुल	77	

*इस क्षेत्र में छह अन्य पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अनुदान

2250. श्री भरत राम मेघवाल:
श्री महाबली सिंह:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे एवं मझोले शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लागू परियोजनाओं की योजना लागत बढ़ाने हेतु अनुदान प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में कोई निदेश भी दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीवीसी को सौंपे गए भ्रष्टाचार के मामले

2251. श्री बाल कुमार पटेल:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री यशवंत लागुरी:
डॉ. संजय सिंह:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सौंपे गए भ्रष्टाचार के मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है;

(ग) अपेक्षित साक्ष्य की कमी के कारण कितने मामले वापस किए गए हैं;

(घ) कुल कितने मामलों में व्यक्ति दोषी पाए गए हैं तथा कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की सिफारिश की गयी है; और

(ङ) अब तक कितने मामलों में कार्रवाई नहीं की गयी है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त संदर्भों पर अपनी सलाह प्रदान करता है। आयोग, सीवीओ अथवा सीबीआई की अन्वेषण रिपोर्टों पर विचार करने के उपरांत तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्य/रिकार्ड के आधार पर (क) संबंधित लोक सेवक (ओं) के विरुद्ध आपराधिक तथा/अथवा नियमित विभागीय कार्रवाई (बड़ी अथवा छोटी) की शुरुआत करने; (ख) संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई अथवा (ग) मामले को बंद करने की सलाह देता है एवं इन सलाहों को प्रथम स्तरीय सलाह माना जाता है। जांच के पश्चात्, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा ऐसे मामलों में जहां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती, आगामी सलाह हेतु आयोग से पुन: परामर्श किया जाता है। इस सलाह को द्वितीय स्तरीय सलाह माना जाता है। सीवीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान, विभिन्न संगठनों, द्वारा आयोग की सलाह हेतु क्रमश: 5573 एवं 5528 मामले भेजे गए थे। आयोग ने वर्ष 2011 तथा 2012 के दौरान प्रथम स्तरीय एवं द्वितीय स्तरीय सलाह (शास्ति सहित) प्रदान की।

वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान प्रदान की गई प्रथम स्तरीय सलाह

	2011	2012
आपराधिक कार्यवाही	105	80
बड़ी शास्ति कार्यवाही	544	616
छोटी शास्ति कार्यवाही	220	279
प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सचेत करना, इत्यादि	448	575
मामला बंद करना	1827	1559
कुल	3144	3109

वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान प्रदान की गई द्वितीय स्तरीय सलाह (शास्ति सहित)

	2011	2012
बड़ी शास्ति कार्यवाही	445	523
छोटी शास्ति कार्यवाही	208	270
प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सचेत करना, इत्यादि	87	106
निर्मुक्ति	287	216
कुल	1027	1115

सीवीसी की सलाह के आधार पर निर्णय लेने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी हैं। अनुशासनिक प्राधिकारी को सीवीसी की सलाह से असहमत होने की शाक्तियां भी प्राप्त हैं।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

2252. श्री गणेश सिंह:
श्री शिवकुमार उदासी:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय (एनवी) तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कार्यरत हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने एनवी खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार 12वीं योजनावधि में और एनवी खोलने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो स्थान सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार केवी में दी गई कुछ सुविधाएं एनवी में उपलब्ध कराने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इन विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का कोई मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) देश में इस समय कार्य कर रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी)/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षो तथा मौजूदा वर्ष के दौरान मणिपुर राज्य के उखरूल एवं सेनापति जिलों में केवल 2 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को कार्यात्मक किया गया है।

(ग) और (घ) 12वीं योजना अर्थात वर्ष 2012-17 में देश भर में कुल 378 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे प्रत्येक नए जवाहर नवोदय विद्यालय की वास्तविक संस्वीकृति एवं खोला जाना निधियों की उपलब्धता एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर होता है। नए जवाहर नवोदय विद्यालयों की अवस्थिति का निर्धारण जवाहर नवोदय विद्यालयों की संस्वीकृति के समय किया जाता है।

(ङ) जवाहर नवोदय विद्यालयों का अधिदेश केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के अधिदेश से भिन्न है। जवाहर नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है जो श्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभा को उभारने के लिए कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है तथा आवास एवं खानपान के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है। दूसरी तरफ केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना मुख्य तौर पर स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। इस प्रकार, जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की तुलना नहीं की जा सकती। तथापि, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय दोनों ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है तथा इन दोनों में ही केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित एक जैसा ही पाठ्यक्रम है।

(च) योजना आयोग द्वारा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को नवोदय विद्यालय योजना का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है।

विवरण

जवाहर नवोदय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		कार्यात्मक केजीबीवी की संख्या
		I	II	
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	22	2	743
3.	अरुणाचल प्रदेश	16		48
4.	असम	26	1	52
5.	बिहार	38	1	529
6.	चंडीगढ़	1	-	-
7.	छत्तीसगढ़	16	1	93
8.	दादरा और नगर हवेली	1		1
9.	दमन और दीव	2		-
10.	दिल्ली	2	-	-
11.	गोवा	2		-
12.	गुजरात	23		89
13.	हरियाणा	20		9
14.	हिमाचल प्रदेश	12		10
15.	जम्मू और कश्मीर	17		97
16.	झारखंड	22	2	203
17.	कर्नाटक	27	1	71
18.	केरल	14		
19.	लक्षद्वीप	1		
20.	मध्य प्रदेश	48	2	207
21.	महाराष्ट्र	32	1	43

1	2	3	4	5
22.	मणिपुर	9		11
23.	मेघालय	7	1	10
24.	मिजोरम	7		1
25.	नागालैंड	11		11
26.	ओडिशा	30	1	182
27.	पुदुचेरी	4		
28.	पंजाब	20	1	22
29.	राजस्थान	32	1	200
30.	सिक्किम	4		1
31.	त्रिपुरा	4		9
32.	तमिलनाडु	–	–	61
33.	उत्तराखंड	13		28
34.	उत्तर प्रदेश	68		746
35.	पश्चिम बंगाल	17	1	92
	कुल	570	16	–
	सकल योग		586	3569

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य ने नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है।

I-सामान्य योजना के अनुसार स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय।

II-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बहुल जिलों में स्थापित अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

2253. श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
श्री रूद्रमाधव राय:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:
श्री ताराचंद भगोरा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है तथा यदि नहीं, तो इसके मामले-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का अभिकथन करने वाले अभ्यावेदन समय-समय पर सरकार को प्राप्त हुए हैं। उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित 'आंतरिक तंत्र' के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, अपने न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है। इस दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार, ऐसी शिकायतों के अभिलेख नहीं रखती है और उस पर की गई कार्रवाई को मानीटर करने के लिए कोई तंत्र नहीं रखती है।

उच्चतर न्यायपालिका के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को लागू करने की दृष्टि से, सरकार ने "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक" प्रस्तावित किया है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभिकथित कदाचार और अक्षमता के आधारों पर नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निपटारे के लिए और अन्वेषण के पश्चात् दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए व्यापक तंत्र का उपबंध करता है। विधेयक, न्यायिक मानकों को भी अधिकथित करता है और न्यायाधीशों के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे अपनी आस्तियों/दायित्वों की घोषणा करे।

निजी कंपनियों की लेखापरीक्षा

2254. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री संजय धोत्रेः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में निजी कंपनियों के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) ऐसी कंपनियों के व्यय की लेखापरीक्षा के लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या पीपीपी परियोजनाओं के अंतर्गत उक्त कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए लागत वृद्धि की सत्यता को जांचने का कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस दिशा में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 में भारत की समेकित निधि से हुए सभी खर्चों; संघ के अथवा राज्य के किसी विभाग के व्यापार, उत्पादन, लाभ और हानि लेखों और तुलन पत्रों के साथ-साथ आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक लेखों से संबंधित संघ और राज्यों के लेन-देन की लेखापरीक्षा का प्रावधान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समाविष्ट संयुक्त उपक्रमों (जेवी) जिसमें सरकार/कोई सरकारी कम्पनी अन्य कम्पनियों/निगमों के संयोजन में संबंधित जेवी कम्पनी अथवा भारत के बाहर निगमित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी का 51 प्रतिशत से कम की धारिता है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के ढांचे के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के अध्यधीन नहीं है। पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा निविदाकर्ता प्राधिकार के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक प्राधिकार द्वारा निजी भागीदारों के चयन की प्रक्रिया पीपीपी परियोजनाओं के लिए निष्पादित

करारों और उनके कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा की जा सकती है। सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं का अवार्ड, पीपीपी परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा खर्च और सरकार द्वारा खर्च और सरकार द्वारा परियोजनाओं की निगरानी सरकार के लेखापरीक्षा के अध्यधीन है, तथापि, पीपीपी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निजी पक्षकारों द्वारा गठित विशेष प्रयोजन साधन सरकार की लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं है। आयकर अधिनियम/कम्पनी अधिनियम के अनुसार एसपीवी की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है तथा उनकी नियुक्ति प्रवर्तन/कार्यान्वयन प्राधिकरणों के परामर्श से की जाती है।

(घ) से (च) पीपीपी परियोजनाओं में लागत वृद्धि की प्रामाणिकता प्रायः प्रवर्तन प्राधिकार के परामर्श से एसपीवी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त पीपीपी परियोजनाओं में यदि कोई लागत वृद्धि हो तो उसका वहन परियोजना के ग्राही/निजी एंटिटी द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

शहरी गरीबों की पहचान करने के लिए समिति

2255. श्री सी. शिवासामी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.आर. हाशिम समिति ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए शहरी गरीबों की पहचान के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट में दिए गए सुझाव स्वीकार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी सुझावों/सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) और (ख) योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। हाशिम समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 24 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत की। हाशिम समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की पहचान करने के लिए पहचान की प्रक्रिया के तीन स्तरों की सिफारिश की जिनमें इस क्रम में शेष शहरी परिवारों का स्वतः अपवर्जन, स्वतः समावेशन और स्कोरिंग सूचकांक शामिल है। सिफारिश की गई कार्य प्रणाली में मुख्य रूप से आवासीय, सामाजिक और व्यावसायिक असमानताओं को पहचानने पर जोर दिया गया है।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञ समूह की अंतरिम रिपोर्ट में संस्तुत दृष्टिकोण (अप्रोच) के अनुसार सरकार ने जाति आधारित गणना और ग्रामीण सर्वेक्षण के साथ-साथ शहरी गरीब की पहचान के लिए सर्वेक्षण शुरू किया था जो संयुक्त सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी)-2011 के रूप में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पूरा किया जा रहा है। विशेषज्ञ समूह ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ शहरी परिवारों के संबंध में एसईसीसी डाटा में प्रयोग किए जाने वाले अपवर्जन और समावेशन के लिए संकेतनों की पहचान की थी। एमईसीसी 2011 पूरी नहीं हुई है और विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

किचन शेडों का निर्माण

2256. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री सी.आर. पाटील:
श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री अरविंद कुमार चौधरी:

प्रो. राम शंकर:
श्रीमती पुतुल कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की मंजूरी के बाद मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों के बीमार होने की कोई घटना न होने देने के मद्देनजर 'किचन-सह-स्टोर रूम' के निर्माण का कार्य सभी राज्यों ने प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया है;

(घ) कितने राज्यों ने स्कूलों में 'किचन-सह-स्टोर रूम' के निर्माण को पूरा किया है;

(ङ) उक्त योजना हेतु राज्यों को आवंटित राज्य-वार कुल राशि/जारी राशि कितनी है; और

(च) क्या सभी राज्यों में उक्त योजना को लागू करने के मद्देनजर सरकार राज्यों से रिपोर्ट मांग रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) आवधिक रिपोर्टों और स्थानीय स्तर पर स्कूल प्रबंध समितियों के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों के जरिये मॉनीटरिंग के माध्यम से योजना के पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत तंत्र। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार आईआईटी, चेन्नई, विश्वभारती और एक्सएलआरआई जैसे 41 मॉनीटरिंग संस्थानों के माध्यम से स्वतंत्र मॉनीटरिंग सुनिश्चित करती है। संयुक्त समीक्षा मिशन नियमित अंतराल पर राज्यों का दौरा करते हैं। वर्तमान वर्ष में 16 संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए तथा दो और का आयोजन किया जाना है।

कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान और जिला, राज्य और राष्ट्र स्तरीय संचालन-सह-मॉनीटरिंग समितियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की जाती है। जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति की बैठक को भी आरंभ किया गया है।

रसोई-सह-भंडारगृह के पूरा होने की अनुवर्ती कार्रवाई और योजना के समग्र प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि राज्य स्तरीय संचालन-सह-मॉनीटरिंग समिति की बैठकों में भी भाग लेते हैं।

विवरण

रसोई-सह-भंडारगृहों के निर्माण की वास्तविक प्रगति (प्राथमिक + उच्च प्राथमिक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2006-07 से 2013-14 के दौरान संस्वीकृत रसोई-सह-भंडारगृहों की संख्या	वर्ष 2006-07 से 30.09.13 तक रसोई-सह-भंडारगृहों के निर्माण हेतु आबंटित/जारी राशि (रुपये लाख में)	30.09.2013 तक रसोई-सह-भंडारगृहों की वास्तविक प्रगति: निर्मित		प्रगतिशील	
				संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	75283	58165.86	6578	9%	0	0%
2.	अरुणाचल प्रदेश	4131	2494.87	4085	99%	0	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	56795	46885.32	40593	71%	5460	10%
4.	बिहार	65977	44639.95	45142	68%	6763	10%
5.	छत्तीसगढ़	47266	30002.19	37107	79%	7360	16%
6.	गोवा	0	0.00	0	0%	0	0%
7.	गुजरात	19868	13787.43	18155	91%	374	2%
8.	हरियाणा	11483	11710.54	6434	56%	1505	13%
9.	हिमाचल प्रदेश	14959	9029.70	12954	87%	1701	11%
10.	जम्मू और कश्मीर	11815	8393.63	11442	97%	107	1%
11.	झारखंड	39001	40845.49	17430	45%	7514	19%
12.	कर्नाटक	36571	41953.83	25958	71%	5565	15%
13.	केरल	2450	2544.55	318	13%	484	20%
14.	मध्य प्रदेश	100751	62477.34	82743	82%	23789	24%
15.	महाराष्ट्र	71783	51448.01	31866	44%	4779	7%
16.	मणिपुर	3053	4283.42	1174	38%	0	0%
17.	मेघालय	9491	14677.08	6985	74%	2391	25%
18.	मिजोरम	2396	2623.75	2396	100%	0	0%
19.	नागालैंड	2223	2518.96	1777	80%	446	20%
20.	ओडिशा	69152	40579.81	36049	52%	22173	32%
21.	पंजाब	18969	11658.99	16248	86%	2197	12%
22.	राजस्थान	81436	49929.00	60795	75%	8597	11%
23.	सिक्किम	936	684.34	800	85%	59	6%
24.	तमिलनाडु	28470	45007.60	6415	23%	8062	28%
25.	त्रिपुरा	5144	7471.32	4260	83%	615	12%
26.	उत्तर प्रदेश	122572	75000.66	110177	90%	167	0%
27.	उत्तराखंड	16989	17293.27	8904	52%	3477	20%

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	81314	85818.44	52696	65%	13523	17%
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	251	1295.69	0	0%	0	0%
30.	चण्डीगढ़	10	23.34	0	0%	7	70%
31.	दादरा और नगर हवेली	50	65.52	0	0%	0	0%
32.	दमन और दीव	32	39.39	26	81%	0	0%
33.	दिल्ली	0	0.00	0	0%	0	0%
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0%	0	0%
35.	पुदुचेरी	92	55.20	92	100%	0	0%
	कुल	1000713	783404.49	649599	65%	127115	13%

शिक्षा की गुणवत्ता

2257. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अध्ययन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए "शिक्षक पात्रता परीक्षा" प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) ने जून, 2010 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस अध्ययन से शिक्षा तक पहुंच से संबंधित कूछ उपलब्धियां सामने आई हैं। 98% से अधिक नमूना ग्रामीण बस्तियों में 3 किमी के अंदर प्रारंभिक स्कूल थे जबकि सर्वेक्षण हेतु लिए गए 93% झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों की 1 किमी के भीतर पड़ोस के स्कूलों तक पहुंच है। अध्ययन ने स्कूल संरचना के सुदृढ़ीकरण, निःशुल्क वर्दियां प्रदान करने, शिक्षकों पर शिक्षा के अतिरिक्त कार्यों का भार कम करने, कक्षा में रोककर न रखने की नीति, अभिभावकों के प्रतिनिधित्व के साथ स्कूल प्रबंध समिति का गठन आदि की भी सिफारिश की। कई सिफारिशें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वयन संरचना के अंतर्गत पहले ही अनिवार्य मानक बन चुके हैं जिनमें पड़ोस में स्कूल, स्कूल अवसंरचना हेतु मानक और मानदंड, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और गरीबी रेखा से नीचे के बालकों को वर्दियों का वितरण, दशकीय जनगणना, आपदा राहत कार्यों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य विधान सभा अथवा संसद के चुनावों से संबंधित ड्यूटी के अलावा शिक्षणेतर उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की

तैनाती पर प्रतिबंध कक्षा VIII पूरी करने से पहले बच्चों को अनुतीर्ण न करना, सतत और व्यापक मूल्यांकन और अभिभावकों में से तीन-चौथाई सदस्यों के साथ सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंध समितियों का गठन आदि के प्रावधान शामिल हैं।

(ग) और (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् को अकादमिक प्राधिकरण अधिसूचित किया है जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने सहित प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हेतु न्यूनतम पात्रता अर्हताएं सुनिश्चित की हैं। अब तक 26 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की है।

(ङ) देश में प्रारंभिक शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं: सरकारी स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार और नए शिक्षक पदों की संस्वीकृति, सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को प्रति वर्ष 20 दिनों तक सेवा कालीन प्रशिक्षण का प्रावधान, ब्लॉक संसाधन केद्रों और क्लस्टर संसाधन केद्रों के माध्यम से शिक्षकों को नियमित अकादमिक सहायता, सभी सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों को स्कूल अनुदान और इन स्कूलों के शिक्षकों को सुसंगत अध्यापन सहायक उपस्करों के लिए शिक्षक अनुदान, सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय और संदर्भ विशिष्ट गुणवत्ता वृद्धि कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना में अन्य बातों के साथ-साथ इन सबका प्रावधान है: स्कूल अवसंरचना, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, स्कूल प्रयोगशालाएं, स्कूल पुस्तकालय और बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई, शिक्षकों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण, आईसीटी आधारित शिक्षा, पाठ्यचर्या सुधार आदि।

[अनुवाद]

डीडीए आवास योजना

2258. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा लायी गयी आवास योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितने फ्लैट बनाए गए;

(ख) क्या फ्लैटों को रहने योग्य बनाकर प्रत्येक योजना के फ्लैटों का कब्जा सफल आवंटियों को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एक आवास स्कीम नामत: "डीडीए आवास स्कीम 2010" प्रवर्तित की गई थी, जिसके अंतर्गत लाटरी द्वारा 16,118 फ्लैटों का आबंटन किया गया था।

(ख) और (ग) जी हां। सफल आबंटियों को फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया गया है, जिन्होंने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं।

(घ) उपर्युक्त उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीन की तुलना में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम

2259. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अंतरिक्ष अनुसंधान /कार्यक्रमों में चीन से पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में चीन की तुलना में भारत द्वारा हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतरिक्ष अनुसंधान में हमारी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारत और चीन भिन्न-भिन्न प्राथमिकताओं के साथ अपने-अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभ से राष्ट्रीय विकास हेतु बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण पर भारत का जोर रहा है।

चीन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए क्षमता सहित प्रमोचक राकेट के क्षेत्र में शक्ति अर्जित की है। भारत के पास 2.2 टन के नीतभारों को भूस्थिर अंतरण कक्षा में प्रमोचित करने की क्षमता विद्यमान है और प्रमोचन क्षमता को 4 टन तक बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत अंतरिक्ष उपयोगों के क्षेत्र में शक्तिशाली है और भारत के सुदुर संवेदन तथा संचार उपग्रहों के घरेलू समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र में बृहत्तम ताने जाते हैं।

भारत और चीन दोनों ने अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहीय खोज के क्षेत्र में चंद्रमा पर कक्षित्र भेजे हैं। नवंबर 05,2013 को प्रमोचित भारत के मंगल कक्षित्र ने भू परिक्रमा चरण पूरा किया है और दिसंबर 04,2013 को यह पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक निकल गया है। चीन ने भी इस तरह के प्रयास किए हैं, किंतु वे सफल नहीं रहे।

चीन के पास एक क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली प्रचालन में है। भारत अपने क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली (आइ आर एन एस एस) की स्थापना कर रहा है। इसके 2015 तक प्रचालनात्मक हो जाने की संभावना है और प्रथम उपग्रह को जुलाई 2013 में प्रमोचित किया गया।

(ग) इसरो ने लक्ष्यों, कार्यक्रम की दिशाओं और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं की पहचान करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु दीर्घावधि योजना बनाई है। इस योजना में पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेटों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए क्रांतिक प्रौद्योगिकियां शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण विकास तथा आपदा प्रबंध सहायता के क्षेत्रों में विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतरिक्ष संचार क्षमताओं के विकास; उपग्रह नौवहन आधारित स्थिति सेवाएं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध उपयोगों के लिए संवर्धित प्रतिबिंबन क्षमता सहित भू-पर्यवेक्षण प्रणालियों के संवर्धन; और अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं ग्रहीय अनुसंधान के क्षेत्रों में अग्रिम दर्जे के अनुसंधान आयोजित करने सहित उन्नत प्रमोचक राकेट प्रणालियों के विकास को आवृत करती है।

[अनुवाद]

फ्लैगशिप कार्यक्रम

2260. श्री शिवराम गौडा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि का वर्ष एवं कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवंटित निधियों में से बड़ी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार के विभिन्न प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि और निर्मुक्ति राशि का वर्ष एवं कार्यक्रम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चूंकि फ्लैगशिप कार्यक्रम अपने संबंधित क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण अन्त:क्षेप है, इनका कार्यान्वयन क्षेत्रकों में चुनौतियों को उजागर करता है। जैसा कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों के परिव्यय/आवंटन और निर्मुक्ति के विवरण में प्रदर्शित है, कुछ स्कीमों के संबंध में की गई निर्मुक्तियों बजटीय प्रावधानों के प्रतिशत के रूप में कम हैं और वे बजटीय परिव्यय से अधिक भी हैं जिसके कारण कई चुनिंदा स्कीमों जैसे आईसीडीएस, एसएसए और पीएमजीएसवाई में संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	फ्लैगशिप कार्यक्रम का नाम	2010-11 कुल परिव्यय (बीई)	2010-11 निर्मुक्ति	परिव्यय (बीई) की तुलना में % निर्मुक्ति	2011-12 कुल परिव्यय (बीई)	2011-12 निर्मुक्ति	परिव्यय (बीई) की तुलना में % निर्मुक्ति	2012-13 कुल परिव्यय (बीई)	2012-13 निर्मुक्ति	परिव्यय (बीई) की तुलना में % निर्मुक्ति	2013-14 कुल परिव्यय (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	40100	35793	89.3	40000	29189.77	73.0	33000	29879.94	90.5	33000
2.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	5710	5110	89.5	6107.61	6546.08	107.2	8382	7824.85	93.4	9541
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम)	15440	14236.51	92.2	17840	16071.24	90.1	20542	16319.02	79.4	20999
4.	आईसीडीएम	7806.71	9749	124.9	8964.19	14249.16	159.0	14250	15690.51	110.1	15912.2
5.	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	1580	1522.12	96.3	1650	1440.59	87.3	3500	2438.47	69.7	4260
6.	एमडीएम	9440	8846.32	93.7	10380	9797.03	94.4	11849.25	10834.6	91.4	13215
7.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	15000	19605.57	130.7	21000	20804.77	99.1	25555	23811.17	93.2	27258
8.	जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण अभियान	11619	5285.38	45.5	12522	7338.07	58.6	12522	5288	42.2	14000
9.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	8996	10329.45	114.8	10000	9864.82	98.6	11075	7240.09	65.4	15184
10.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	10886	22404.11	205.8	20000	19346.89	96.7	24000	8879.97	37.0	21700
11.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	11500	9010.22	78.3	12620	7448.2	59.0	14242	6503.58	45.7	12962
12.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	5500	4402	80.0	6000	3050	50.8	4900	697.94	14.2	4500
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	9000	8941.82	99.4	9350	8474.05	90.6	10500	10761.97	102.5	11000
14.	प्रतिबंधित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम	3700	2346.42	63.4	2034	1667.87	82.0	3114	1234.75	39.7	575
15.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6722	6718.91	100.0	7310.87	7738.6	99.1	9217	8399.28	91.1	9954
16.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान	2683	2634.26	98.2	2914	2375.48	81.5	3915	2149.67	54.9	4000
17.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	7300	8679.96	118.9	9890	11104.3	112.3	12040	9058.19	75.2	11500
	कुल	172982.71	175615.05	101.5	199082.67	176521.53	88.7	222603.25	162929.64	75.00	229560.2

[हिन्दी]

विभिन्न वेबसाइटों पर फर्जी एकाउन्ट

2261. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैवाहिक वेबसाइट सहित विभिन्न नेटवर्किंग वेबसाइटों द्वारा अपराध और धोखा-धड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी एकाउन्ट हैं जिनका प्रयोग धोखा-धड़ी/अपराध करने के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित वेबसाइटों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइटों और वैवाहिक साइटों के माध्यम से धोखा-धड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2012 के दौरान हैकिंग और अन्य अपराधों के 2464 मामले पंजीकृत किए गए। कम्प्यूटर प्रणालियों की हैकिंग के कारण कम्प्यूटर संसाधन/यूटिलिटी को हुई हानि/क्षति की रिपोर्ट से संबंधित 1440 मामले (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(2) के अंतर्गत हैकिंग के 435 मामले थे। वर्ष 2012 के दौरान ऐसे अपराधों के लिए 749 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सूचना प्रौद्यिगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के अंतर्गत अश्लील प्रकाशन/इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारण के 589 मामले प्रकाश में आए जबकि इस संबंध में 497 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत साइबर जालसाजी के 259 मामले और साइबर धोखाधड़ी के 118 मामले पंजीकृत किए गए। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013 में क्रेडिट/एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी के 6034 मामले रिपोर्ट किए गए।

संविधान के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और इस प्रकार राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन साइबर अपराध सहित मुख्यत: अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून प्रवर्तन तंत्र के जरिए अपराधियों पर अभियोग चलाने के जिम्मेदार हैं।

(ग) और (घ) ई-मेल पता रखने वाला कोई भी व्यक्ति सोशन नेटवर्किंग साइटों पर फर्जी नाम सहित किसी भी नाम से पंजीकृत हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइटों द्वारा किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि की जांच नहीं की जाती है, इसके कारण अपराधियों द्वारा अपराध/धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए फर्जी एकाउंट बनाए जाते हैं। इन नेटवर्किंग साइटों के सर्वर भी विदेशों में अवस्थित होते हैं।

विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (नवम्बर तक) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर फर्जी खातों/प्रोफाइलों से संबंधित क्रमश: कुल 3, 45, 37 और 36 मामले रिपोर्ट किए गए। सर्ट-इन ने फिर इन सोशल नेटवर्किंग साइटों से ऐसे फर्जी खातों को बंद करने और इन फर्जी खातों/प्रोफाइलों के प्रयोक्ताओं के अभिगम विवरण प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है। ज्यादातर मामलों में ऐसे फर्जी खातों को उन सोशल नेटवर्किंग साइटों के सहयोग से सफलतापूर्वक बंद किया गया, जिनके कार्यालय भारत में अवस्थित हैं। हालांकि ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइटों, जिनके कार्यालय विदेश में अवस्थित हैं, में मौजूद ऐसे खातों को बंद करने और उनसे सूचना प्राप्त करने की दर बहुत कम है।

(ङ) सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई की है:

(i) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया है। इसमें,

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग साइटों समेत माध्यस्थों से यह अपेक्षित है कि अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए वे उचित सावधानी बरतेंगें और कम्प्यूटर संसाधनों के प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधन, प्रकाशित, प्रेषण, अद्यतन और साझा नहीं करने की जानकारी देंगे, जो किसी भी प्रकार से हानिकारक, आपत्तिजनक, नाबालिगों को प्रभावित करने वाली और गैर-कानूनी है। इन नियमों में यह भी अपेक्षित है कि माध्यस्थ प्रयोक्ताओं तथा प्रभावित व्यक्तियों/संगठनों से शिकायत प्राप्त होने पर उनका समाधान करने के लिए शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे।

(ii) सरकार ने 17 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सोशल नेटवर्किंग साइटों समेत सभी माध्यस्थों को एक परामर्श जारी किया जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि वे अपनी वेबसाइटों पर होस्ट की गई हानिकारक और विद्वेषपूर्ण सूचना सामग्री को अशक्त करें।

(iii) सरकार प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान भी चलाती है।

(iv) सरकार ऐसी सूचना सामग्री को प्रभावी और सक्षम तरीके से अशक्त करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों समेत माध्यस्थों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

[अनुवाद]

प्रत्यर्पण संधि

2262. डॉ. मिर्जा महबूब बेग:
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यर्पित भगोड़ों की संख्या सहित किन-किन देशों के साथ भारत ने अपराधियों का परस्पर प्रत्यर्पण किया है; और

(ग) यूएई के साथ हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) भारत और निम्नलिखित देशों के बीच 37 प्रत्यर्पण संधियां प्रचलित हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, बुल्गेरिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मलेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैण्ड, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीटजरलैण्ड, ताजिकिस्तान, तुर्की, टयूनीशिया, यूके, यूएसए, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उक्रेन तथा वियतनाम।

भारत की निम्नलिखित 10 देशों के साथ पारस्परिक प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं मौजूद हैं: फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तन्जानिया, थाईलैंड, क्रोएशिया, तथा पेरू।

(ख) वर्ष 2011 में भारत ने सात भगौड़ों का प्रत्यर्पण किया संयुक्त राज्य अमरीका में चार तथा क्रोएशिया, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में एक-एक। एक भगौड़े को पेरू से भारत प्रत्यर्पित किया गया। वर्ष 2012 में भारत ने तीन भगौड़ों का प्रत्यर्पण किया–एक अमेरिका में तथा दो ऑस्ट्रलिया में। भारत में दो भगौड़ों का प्रत्यर्पण किया गया जर्मनी तथा सऊदी अरब से एक-एक–वर्ष 2013 में भारत से पाँच भगौड़ों का प्रत्यर्पण किया गया–चार संयुक्त राज्य अमरीका में तथा एक यू.के. में। संयुक्त राज्य अमरीका से तीन भगौड़ों को भारत प्रत्यर्पित किया गया।

(ग) भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच संपन्न प्रत्यर्पण संधि जो वर्ष 2000 में लागू हुआ, में दोनों संविदाकारी राष्ट्रों के कानूनों के तहत दण्डनीय अपराधों के दोषारोपित व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की व्यवस्था है जिन्हें कम से कम एक वर्ष का कारावास हो सकता है। इस संधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी व्यवस्था है कि अनुरोध प्राप्तकर्ता देश अपने नागरिकों के मामले में, यदि किया गया कृत्य दोनों संविदाकारी देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता है तो वह इस मामले को मुकद्दमे हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

इंडिया बैकबोन इंप्लिमेंटेशन नेटवर्क

2263. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पूरे देश में इंडिया बैकबोन इंप्लिमेंटेशन नेटवर्क शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त नेटवर्क के माध्यम से नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय ब्रॉडबैन्ड लाइनों का उपयोग करते हुए उक्त वर्णित नेटवर्क को जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) इंडिया बैकबोन इंप्लिमेंटेशन नेटवर्क (आईबीआईएन) संगठनों और व्यक्तियों का एक नेटवर्क है जो पणधारकों का पक्ष लेने और उन अड़चनों को, जिससे देश में परियोजनाओं और कार्यक्रमों का अपर्याप्त कार्यान्वयन होता है, दूर करने के लिए कौशल और साधन रखता है। आईबीआईएन के कार्यान्वयन के लिए, योजना आयोग ने नेटवर्क में उद्योग संघों, गैर-सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय संगठनों जैसे विभिन्न साझेदारों को नामांकित किया है। आईबीआईएन ने अपनी शुरूआत से नौ महीनों में कई परियोजनाएं प्रारंभ की हैं और पूरे देश में प्रचार के लिए सहयोग तथा समन्वयन हेतु तकनीकों और उपकरणों के विकास पर भी कार्य कर रहा है। कुछेक परियोजनाएं जो कार्यान्वयनाधीन हैं, में श्रम कानून और औद्योगिक संबंध, व्यवसाय विनियामक फ्रेमवर्क, वहनीय दवाइयां, मध्यम, लघु और सूक्ष्म औद्योगिक समूहों की उत्प्रेरक वृद्धि शामिल हैं।

(ख) आईबीआईएन का उद्देश्य कार्यान्वयन नेटवर्क में सुधार करना है। इससे 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में तय किए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, आईबीआईएन निवेश को बढ़ाने और इसके फलस्वरूप देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने हेतु समग्र व्यवसाय विनियामक वातावरण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए देश के व्यवसाय विनियामक वातावरण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए देश के व्यवसाय विनियामक फ्रेमवर्क में सहयोग आधारित कौशलों को लागू कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। चूंकि आईबीआईएन संगठनों और व्यक्तियों का कौशल और साधन आधारित एक नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड लाइनों का अपने में कोई विशिष्ट उपयोग नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को शिक्षा

2264. श्री पशुपति नाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी विद्यालयों में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान (एमएसए) की केन्द्र प्रायोजित योजना, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने का प्रमुख साधन है, में प्रावधान है कि सरकारी स्कूलों के ऑटिज्म से पीडित बच्चों सहित छः से चौदह वर्ष की आयुवर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसे बच्चों के लिए प्रमुख हस्तक्षेपों में उनकी पहचान, व्यावहारिक और औपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षणिक नियोजन, विशिष्ट शैक्षिक योजना तैयार करना, सहायता और उपकरणों का प्रावधान तथा ऑटिज्म और उपचारात्मक सहायता पर प्रशिक्षण शामिल हैं।

''माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)'' नामक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो सभी निःशक्त छात्रों को आठ वर्ष की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी

करने के पश्चात समावेशी और समर्थकारी वातावरण में चार वर्ष की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII तक) जारी रखने योग्य बनाती है। इस योजना में वे सभी बच्चे समाविष्ट हैं जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सरकारी; स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं और 14+ से 18+ वर्ष तक के आयु वर्ग में आते हैं एवं नि:शक्तजन अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) के तहत परिभाषित किसी एक या अधिक नि:शक्तता वाले हैं।

(ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कौशल विकास कार्यक्रम

2265. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जन-सांख्यिकीय स्थिति का लाभ लेने की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबध में देश विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 2009 में कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसमें देश में कौशल विकास के व्यापक स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस नीति के जरिए, सरकार ने कौशल विकास के लिए सांस्थानिक संरचना लागू की है। इस संरचना में, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (जिसमें तत्कालीन तीन संस्थाओं अर्थात् प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और कौशल विकास पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय) और राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) शामिल हैं। एनएसडीसी को सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन में देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के वर्तमान अंतराल को कम करने की परिकल्पना की गई है। एनएसजीसी का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत के 500 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करना/वर्तमान कौशल में वृद्धि के समग्र लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान करना है। विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई अनेक योजनाओं के जरिए कौशल विकास शुरू किया गया है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है जो अपने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे के जरिए कौशल विकास को गुणवत्तापरक शिक्षा से जोड़ता है।

(ग) जी, हां।

(घ) बारहवीं पचंवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और वैयक्तिक रोजगार की सुलभता में सुधार करने के लिए कौशल विकास की गुणता और संगतता मुख्य अंग होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। इनमें से, श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कौशल विकास, नियोजनीयता और शिक्षा को समेकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा मोड्यूलर नियोजनीयता कौशल (एमईएस) कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसमें सरकार और निजी अवसंरचना का उपयोग करते हुए भावी प्रशिक्षुओं को अल्प अवधि कोर्स मुहैया कराए जाते हैं। 60 से अधिक सैक्टरों को शामिल करते हुए कुल 1402 मोड्यूल तैयार किए गए हैं, मूल्यांकन करने के लिए 36 मूल्यांकन निकायों का पैनल बनाया गया, 6951 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, पंजीकृत किए गए और 13.53 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया/परीक्षा ली गई है। बहुउद्देशीय कोर्स आरंभ करके उत्कृष्टता केन्द्रों के उन्नयन और निर्माण के जरिए आईटीआई को बेहतर बनाया गया है। यह उन उद्योगों, सरकारी अकादमिक संगठनों

के प्रतिनिधियों के सहयोग से गठित संस्थान प्रबंध समितियों के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जाता है, जो स्थानीय उद्योगों में प्रायोगिक प्रशिक्षण मुहैया कराने और उभरती कौशल मांग की पहचान करने के संबंध में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) विशेषत: देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों की सुलभता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और 16 राज्य मुक्त विद्यालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रित है। इसमें यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई करने की परिकल्पना भी की गई है कि कौशल विकास के लिए पाठ्यचर्या सहित मांग आधारित तरीके से कौशल निर्माण होता है जिसका नियोक्ता/उद्योग जगत की मांगों को पूरा करने और इसे उपलब्ध स्व-रोजगार के अवसरों के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर आधार पर इसका पुन: अभिमुखीकरण किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने एनवीईक्यूएफ के लिए बाजार सामर्थ्य के घनिष्ठ संयोजन से 57 विशिष्ट दक्षताओं के साथ 13 सेक्टरों में विस्तृत सामान्य और व्यावसायिक सामग्री तैयार की है। 12वीं योजना के अनुसार, एक सक्षम ढांचा अपेक्षित है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए कौशल विकास में निजी निवेश को आकर्षित करेगा। आज तक एआईसीटीई ने एनवीईक्यूएफ कार्यक्रम के अंतर्गत 79 कौशल ज्ञान प्रदाताओं और 376 संस्थाओं का पंजीकरण किया है जो www.aicte-india.org/vocskp.html पर उपलब्ध है।

(ङ) क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। एनवीईक्यूएफ के घटकों में से एक घटक शिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना है। पॉलिटैक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास की योजना (सीडीटीपी) का उद्देश्य है समुदाय के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण, असंगठित तथा समाज के वंचित वर्गों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटैक्निकों के माध्यम से अनौपचारिक, अल्पकालिक, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना ताकि वे लाभकारी स्व/वैतनिक रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 518 पॉलिटैक्निकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। भारत सरकार की शैक्षिक सत्र 2013 से मौजूदा कॉलेजों/पॉलिटैक्निकों में 200 समुदाय कॉलेजों की स्थापना करने की योजना है। एआईसीटीई की एनवीईक्यूएफ योजना के अन्तर्गत छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, प्रत्येक में 35 मॉडल कौशल केन्द्रों की स्थापना की योजना है और इसने नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऑन द जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नियोजनीयता वृद्धि मिशन (एनईईएम) की एक नई योजना भी आरंभ की है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जिला एवं राज्य संस्थागत स्तर सहित स्कूल में स्थानीय प्रबंध समिति के भीतर क्षमता निर्माण का भी प्रावधान है। इस योजना में अध्यापकों के लिए 30 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण तथा 7 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान है। सीबीएसई ने व्यावसायिक अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए छह मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर 12वीं योजना में राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण संबंधी एक घटक रखा गया है। कृषि मंत्रालय कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केद्रित कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एसजीएसवाई को 26 जून, 2010 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (**एनआरएलएम**) के रूप में पुन: तैयार किया है जिसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। तद्नुसार सितंबर, 2012 में प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास की विशेष परियोजनाओं को आजीविका के अंतर्गत आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (**एएसडीपी**) के रूप में पुन: स्थापित किया है। मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना में एएसडीपी के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना है। एएसडीपी युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण निर्धनों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है।

अनधिकृत निर्माण

2266. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **प्रधान मंत्री** अनधिकृत निर्माण के बारे में दिनांक 07-8-2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा कालकाजी ब्लॉक "ए", नई दिल्ली के बहुत से घरों में व्यापक अनधिकृत निर्माण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सीवीसी, एमसीडी के पदाधिकारियों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ के विरुद्ध कदम उठाने और अनधिकृत निर्माण को ढहाने की कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी नारायणसामी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सूचित किया है कि आयोग को फ्लैट ए-442 और ए-444 कालकाजी, नई दिल्ली में अवैध निर्माण के संबंध में एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 15.04.2013 की एक शिकायत प्राप्त हुई है। आयोग ने 13.06.2013 को निदेशक (सतर्कता), दक्षिणी दिल्ली, नगर निगम (एसडीएमसी) से वास्तविक रिपोर्ट मांगी है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 02.09.2013 और 05.12.2013 को रिपोर्ट शीघ्र भेजने के संबंध में एसडीएमसी को स्मरण दिलाया गया।

[हिन्दी]

विदेशी जासूसी उपग्रह

2267. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान हमारे अंतरिक्ष में विदेशी जासूसी उपग्रह की उपस्थिति का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। तथापि, आसूचना और निगरानी के लिए विविध देशों द्वारा जासूसी उपग्रहों के प्रमोचन की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। वर्तमान संदर्भ में, नागरिक उद्देश्यों के लिए अत्यंत दक्ष उच्च-विभेदन सुदूर संवेदन उपग्रहों और जासूसी उपग्रहों के बीच का अंतर काफी बारीक है। ऐसे उच्च विभेदन सुदूर संवेदन उपग्रह अनेक देशों द्वारा प्रमोचित किए गए हैं और भू-पर्यवेक्षण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार बाह्य अंतरिक्ष किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरणों का आयात

2268. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार उपकरणों के आयात के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों के आयात हेतु कोई मानदंड और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) को मंजूरी दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में

दूरसंचार उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख है:-

i. कौशल एवं दक्षताओं में वृद्धि द्वारा नवोन्मेष, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को बढ़ावा देकर घरेलू और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करना।

ii. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का सृजन, उद्यमशीलता विनिर्माण, व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत निधि बनाना और अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।

iii. डिजाइन, अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण अर्थात दूरसंचार उपस्कर के स्वदेशी उत्पादन के लिए संपूर्ण वैल्यू चेन के लिए सुकर माहौल को बढ़ावा देना ताकि क्रमश: वर्ष 2017 और 2020 तक 45% और 65% के न्यूनतम मूल्य संवर्द्धन से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 60% और 80% तक की मांग पूरी की जा सके।

iv. देश की सुरक्षा से संबंधित दूरसंचार उत्पादों और सरकार के स्वयं के प्रयोग से संबंधित उत्पादों के प्रापण में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से की गई प्रतिबद्धताओं से संगत और घरेलू स्तर पर विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों को प्राथमिकता देना।

v. राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मानकों का विकास एवं स्थापना करना, आईपीआर सृजित करना तथा वैश्विक मानकों के निर्माण में योगदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं में सहभागिता करना, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में भारत को अग्रणी देश बनाना।

2. एनटीपी, 2012 ने दूरसंचार उपस्कर के अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और मानकीकरण के लिए विभिन्न कार्य नीतियों की रूपरेखा बनाई है। दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग ने एनटीपी-2012 की रेखांकित कार्यनीतियों के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर सिफारिशें देने के लिए दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण परिषद का गठन किया है।

3. इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईईटीवाई) ने दूरसंचार उपस्करों जिनमें विभिन्न अंग और घटक भी शामिल हैं, के विनिर्माण के लिए संपूर्ण वैल्यू चेन का विकास करने हेतु सुकर वातावरण प्रदान करने के विचार से विभिन्न योजनाओं जैसे "इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर" (ईएमसी), रूपांतरित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) तथा घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों (दूरसंचार उपस्कर भी शामिल) को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए नीतियों की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने स्वदेश-निर्मित होने की अर्हता प्रदान करने के लिए प्रत्येक उत्पाद की बाजार पहुँच प्रतिशतता के साथ-साथ मूल्य संवर्द्धन को विनिर्दिष्ट किया है तथा उन दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया है जिनका प्रापण सरकार द्वारा किया जाना है।

4. इसके अतिरिक्त, दूरसंचार उपस्कर के निर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। स्वचालित मार्ग में रायल्टी का भुगतान, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु एकमुश्त शुल्क और ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम के प्रयोग के लिए भुगतान शामिल है।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा आयात से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्तमान में दूरसंचार उपस्कर के आयात को विदेश व्यापार नीति 2009-2014 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

पाकिस्तानी जेलों में गंभीर रूप से बीमार भारतीय कैदी

2269. श्री पी. कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी जेलों में बहुत से भारतीय ऐसी बीमारियों, जिनके लिए बार-बार खून चढ़ाना अनिवार्य होता है, सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान से ऐसे कैदियों को मानवीय आधार पर छोड़ने को कहा है जिन्हें तत्काल चिकित्सा देख-भाल की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों से ऐसी कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिससे पता चलता हो कि वे ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनमें बार-बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती हो।

(ग) और (घ) सरकार पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की देखभाल एवं उनके साथ मानवीय व्यवहार किए जाने संबंधी मुद्दे जिनमें चिकित्सा सहायता दिए जाने संबंधी मामले भी शामिल हैं, को पाकिस्तान के साथ नियमित रूप से उठाती है। भारत-पाकिस्तान संयुक्त न्यायिक समिति, जिसमें भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायाधीश शामिल हैं, समय-समय पर भारत और पाकिस्तान में कैदियों से मुलाकात करती है और दोनों तरफ की सरकारों से सिफारिश करती है कि वे इन कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने और उन कैदियों जिन्होंने अपनी-अपनी सजा पूरी कर ली हो, की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के बाबत उपाय करे।

हाल ही में, सरकार के हस्तक्षेप से एक भारतीय मछुआरे श्री रमेश सुपुत्र राम भाई जो मालिर जेल, कराची में कैद थे और कैंसर से पीड़ित थे, को पाकिस्तान ने 17 जून, 2013 को रिहा करके भारत वापस भेज दिया। इसी प्रकार एक अनुरोध श्री सरबजीत सिंह पर कोट लखपत जेल, लाहौर में हुए घातक हमले के तत्काल बाद उन्हें रिहा करने के लिए किया गया, हालांकि, 2 मई, 2013 को उनकी मौत हो गयी।

परमाणु कार्यक्रम

2270. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हमारे परमाणु कार्यक्रम के पितामह डॉ. होमी जहांगीर भाभा द्वारा बनाए गए परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो दाबयुक्त गुरू जल रिएक्टर पर आश्रित थे, को अभी तक संस्थापित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं एवं इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार डॉ. भाभा की अवधारणा के अनुरूप परमाणु कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की प्रौद्योगिकी, जिसके संबंध में, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनि), द्वारा कार्य किया जा रहा है, दाबित भारी पानी रिएक्टरों पर आधारित नहीं है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मिश्रित ऑक्साइड (यूरेनियम ऑक्साइड तथा प्लूटोनियम ऑक्साइड) को ईंधन के रूप में, और द्रव सोडियम को शीतलक के रूप में काम लाते हैं। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर), कलपाक्कम में निर्माण की प्रगत अवस्था में है।

(ङ) और (च) जी, हां। भाभा की संकल्पना के अनुसार, भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, तथा यूरेनियम-233 (किरणित थोरियम से प्राप्त) को नाभिकीय ईंधन के मुख्य घटकों के रूप में प्रयोग में लाने की परिकल्पना की गई है, जिन्हें क्रमशः तीन क्रमवार चरणों में काम में लाया जाएगा। यह कार्यक्रम सुदृढ़ है और इसके अंतर्गत काम चल रहा है।

यूरोप-भारत शिखर वार्ता

2271. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में शहरों को हरा-भरा बनाने संबंधी छठी यूरोप-भारत शिखर वार्ता हैदराबाद में हुई है;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी नगरों पर बढ़ते बोझ से निपटने तथा लोगों को सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के बेहतर प्रबंधन हेतु शिखर वार्ता में क्या उपचारात्मक कदमों का सुझाव दिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हैदराबाद में 2 दिन के सम्मेलन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ भारत तथा यूरोप में हरित शहरों के विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ था। दोनों क्षेत्रों के शहर तीव्र शहरीकरण की चुनौती से जूझ रहे हैं, जिसके कारण, ऊर्जा, जल कचरा, आवागमन, संस्कृति तथा अन्य बातों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। कुल 8 सत्र पूर्ण आयोजित किए गए थे, जिनमें इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के विषय में विचार-विमर्श किया गया था। विचार विमर्श के दौरान कठिन चुनौतियों को उजागर करते हुए शहरों को स्थिर, निवास योग्य, सामाजिक दृष्टि से प्रौद्योगिकीय तथा प्रशासनिक स्वरूप के समाधानों के श्रेष्ठ व्यावहारिक उदाहरणों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अलावा वर्तमान एवं भविष्य के शहरी प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों अर्थात, "कचरा प्रबंधन, स्थिर शहरी आवागमन, ऊर्जा दक्षता, एवं सुरक्षा, मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक संदर्भ में हरित शहर: चुनौतियाँ तथा आवास एवं जल प्रबंधन" पर विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन के निष्कर्षों को स्थिर शहरी विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शहरी स्तर पर ठोस तथा परस्पर लाभदायक यूरो-इंडियन सहयोग परियोजनाओं में रूपांतरित करने के लिए सुझाई गई सम्भावित अनुवर्ती कार्य योजनाएं इस प्रकार है;

(i) वन टू वन मल्टीपल यूरो-इंडियन साझा हितों के लिए वर्तमान आनलाइन पूछताछ प्रणाली का निर्माण।

(ii) समस्त यूरोप तथा भारत के सभी इच्छुक शहरों को यूरो-इंडियन आदान प्रदान मंच की भांति सम्मेलन तक पहुंच का विस्तार।

(iii) राज्यों के साथ फ्रेमवर्क करारों के माध्यम से भारतीय शहरों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति।

(iv) भारत-आधारित विद्यमान उत्कृष्टता केन्द्रों का उन्नयन करने एवं यूरोपियन तकनीकी सहयोग से भारतीय सिविक प्रबंधकों को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करना।

(v) भारतीय संदर्भ के अनुकूल हरित शहरीकरण की नई पद्धति विकसित करने हेतु स्थिर शहरी विकास पर यूरो-इंडियन अनुसंधान कार्यक्रमों का पोषण।

रूसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान कार्य

2272. श्री एन. धरम सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बसवेश्वरा का अनुसंधान कार्य, जो कर्नाटक की महान विभूति हैं, रूसी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उनके आदर्शों पर अनुसंधान करने के लिए एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने तथा लोगों की मदद हेतु आधुनिक समाज में इन्हें क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्तमान में केन्द्र सरकार का बसवेश्वरा के नाम पर उनकी विचारधारा पर शोध कराने के लिए किसी अध्ययन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालय में शरण, सूफी और दासा, जिनमें बसावा

संबंधित अध्ययन शामिल है, अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा है।

देश में टेलीफोन घनत्व

2273. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री भीष्म शंकर *ऊर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग दूरसंचार घनत्व क्या है एवं टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत एक वर्ष या इससे ज्यादा समय के दौरान दूरसंचार प्रयोक्ता आधार में उल्लेखनीय गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है तथा अगले तीन वर्षों में नए टेलीफोन कनेक्शनों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है एवं इन पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में टेलीफोन कवरेज कम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं सरकार द्वारा अंतर को कम करने और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) अक्तूबर, 2013 के अंत में देश में टेलीघनत्व 73.32% था। देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या एवं टेलीघनत्व का दूरसंचार सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक तौर पर विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) टेलीफोन ग्राहकों की संख्या अक्तूबर, 2012 के अंत में 935.18 लाख थी जो अक्तूबर, 2013 के अंत में घटकर 904.57 लाख हो गई है। यह घटोत्तरी, अन्य बातों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में निष्क्रिय टेलीफोन कनेक्शनों को हटाना तथा उच्च टेलीघनत्व था। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व में कोई घटोतरी नहीं हुई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2017 तक 1200 मिलियन मोबाइल कनेक्शनों का प्रावधान भी शामिल है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार एवं निजी क्षेत्र के द्वारा दूरसंचार में प्रस्तावित निवेश 9,43,899 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) विभिन्न सेवा क्षेत्र तथा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य भी टेलीघनत्व में विविधताएं हैं। टेलीघनत्व में विविधता के लिए आय स्तर, साक्षरता दर, अवसंरचना की उपलब्धता तथा क्षेत्र की दूरस्थता कुछ कारक हैं। देश में दूरसंचार क्षेत्र विकास को प्रोत्साहन देने एवं दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सरकार ने 31 मई, 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-2012) को अनुमोदित किया जो दूरदर्शिता कार्यनीतिक दिशा और दूरसंचार से संबंधित विभिन्न, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के मामलों का समाधान करती है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण देश में वहनीय, विश्वसनीय, सुरक्षित दूरसंचार तथा ब्राडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराते हुए अधिकतम जनहिता करना है।

(ii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि-(यूएसओएफ) द्वारा देश में ऐसे विशिष्ट ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर कोई विद्यमान फिक्सड वायरलैस या मोबाइल कवरेज नहीं हैं, वहां उनको मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 27 राज्यों में फैले हुए 500 जिलों में 7353 अवसंरचना साइटों (टावरों) की स्थापना एवं प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम प्रारंभ की गई है। 30.11.2013 तक सेवा प्रदाताओं द्वारा 7317 टावर साइटों तथा 16254 बेस ट्रांसिवर स्टेशनों (बीटीएस) को चालू किया जा चुका है।

(iii) सरकार ने देश में सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन हेतु एक परियोजना को अनुमोदित किया है।

(iv) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) समय-समय पर जारी विनियमों के माध्यम से दिए गए सेवा परिमापों की विभिन्न गुणवत्ता के लिए मानदंड निर्धारित करता है तथा उनके दूरसंचार के प्रति विरुद्ध सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का अनुवीक्षण करता है। निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता है। निष्पक्ष अभिकरणों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा के ग्राहक के अनुभव का भी मूल्यांकन किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन तथा लेखापरीक्षा और सर्वेक्षणों के परिणामों को ट्राई की वेबसाइट के माध्यम से शेयर-धारकों की सूचना के लिए तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रकाशित किया जाता है। जहां कभी भी सेवा की गुणवत्ता प्राप्त करने में कमी पाई जाती है, ट्राई द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं को सुधारने के लिए मामला उठाया जाता है तथा सेवा प्रदाताओं पर ऐसा करने पर असफल रहने के कारण उन पर वित्तीय निरूत्साहित लागू किया जाता है।

विवरण

31.10.2013 की स्थिति के अनुसार सेवा क्षेत्र-वार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या एवं टेलीफोन घनत्व

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	टेलीघनत्व कनेक्शनों की संख्या (मिलियन में)			टेलीघनत्व (प्रतिशत में)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26.96	40.07	67.03	43.08	166.04	77.30
2.	असम	8.72	6.27	14.99	32.72	127.65	47.48
3.	बिहार	31.94	27.01	58.95	27.68	147.23	44.08
4.	गुजरात	19.99	34.46	54.45	54.98	135.58	88.14
5.	हरियाणा	9.94	10.71	20.65	57.56	115.45	77.80
6.	हिमाचल प्रदेश	4.67	2.66	7.33	75.76	335.72	105.39
7.	जम्मू और कश्मीर	3.53	4.15	7.68	40.17	125.28	63.47
8.	कर्नाटक	17.04	38.99	56.02	45.08	167.85	91.82
9.	केरल	16.81	17.23	34.03	63.92	192.11	96.52
10.	मध्य प्रदेश	23.61	31.48	55.09	32.22	116.22	54.89
11.	महाराष्ट्र	32.66	38.72	71.38	52.45	113.36	74.02
12.	पूर्वोत्तर	4.29	5.23	9.52	41.93	156.14	70.08
13.	ओडिशा	13.68	11.92	25.60	39.68	165.57	61.42

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पंजाब	11.97	19.57	31.54	69.24	152.73	104.78
15.	राजस्थान	24.63	26.40	51.03	45.91	155.44	72.25
16.	तमिलनाडु	20.87	55.57	76.44	69.98	138.03	109.07
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	35.40	38.70	74.10	33.24	130.49	55.21
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	21.31	26.25	47.56			
19.	पश्चिम बंगाल	27.25	14.52	41.77	41.12	131.05	54.00
20.	कोलकाता	1.57	20.99	22.55	#	#	145.93
21.	दिल्ली	2.34	41.95	44.29	#	#	222.50
22.	मुम्बई	0.36	32.21	32.57	#	#	146.99
	अखिल भारतीय	359.53	545.04	904.57	42.04	143.96	73.32

*उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम) की सेवा क्षेत्र-वार जनसंख्या के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।
कोलकाता, दिल्ली एवं मुम्बई सेवा क्षेत्रों के लिए जनसंख्या को ग्रामीण-शहर-वार आंकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

तहबाजारी संबंधी दिशानिर्देश

2274. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धार्मिक महत्व के स्थानों/धार्मिक स्थलों में तहबाजारी संबंधी कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों में तहबाजारी क्षेत्र निर्धारित करने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने तीर्थ स्थानों/धार्मिक महत्व के स्थानों में फेरीवालों के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए हैं। तथापि, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने शहरी पथ विक्रेताओं संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 बनाई है जिसका उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय करने के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया कराना और उन्हें प्रोत्साहन देना है।

चूंकि, वेंडिंग/फेरी जोन का निर्धारण करना राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का दायित्व बनता है कि वे शहरी पथ विक्रेताओं संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थानीय स्थितियों के सर्वोत्तम अनुकूल तरीके से वेंडिंग/फेरी जोन निर्धारित करे और किसी भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें जो इस मुद्दे पर टकराव उत्पन्न कर सकता है।

आईआईटी और आईआईएम की परियोजना रिपोर्टें

2275. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) खोलने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव (वों) को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) कर्नाटक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। संतुलन को ध्यान में रखते हुए तथा प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने 11वीं योजना के दौरान, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए हैं। इस समय देश में कोई नया आईआईटी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, अन्य राज्यों से प्राप्त अनुरोध अभी लंबित हैं। 12वीं योजना के अंतर्गत मुख्यतः उच्चतर शिक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने और नए संस्थान स्थापित करने के बजाय मौजूदा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के माध्यम से विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। इस समय कर्नाटक सरकार से भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध/परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

कौशल विकास

2276. श्रीमती कमला देवी पटले:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा कैम्पस प्लेसमेंट भी कराया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त संस्थानों द्वारा रोजगार प्रदान किए गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का 3 राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थानों (ईडीआई), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के 41 बहु-विषयक प्रशिक्षण केन्द्र (एमडीटीसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के 7 तकनीकी सेवा केन्द्र और 79 प्रौद्योगिकी उद्भवन केन्द्र (टीआईसी), केयर बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक संस्थान (एमजीआईआरआई) के अलावा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के तहत कार्य कर रहे 30 एमएसएमई-विकास संस्थानों, 28 शाखा एमएसएमई विकास संस्थानों, 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों (आरटीसी), 7 फील्ड परीक्षण स्थानों (एफटीएस), एमएसएमई प्रशिक्षण संस्थानों, 1 एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (हस्त औजार), 18 स्वायत निकायों जिसमें 10 टूल रूम शामिल हैं, 6 उत्पाद-सह-प्रकिया विकास केन्द्रों (पीपीडीसी), 2 केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थानों (सीएफटीआई) का नेटवर्क है जो देश के विभिन्न भागों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के तहत एमएसएमई-विकास संस्थान, रायपुर और रायपुर में इंडो डैनिश टूल रूम (आईडीटीआर) का विस्तार केन्द्र छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने फील्ड संस्थानों के माध्यम से मांग के अनुसार विभिन्न विषयों पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मंत्रालय के कुछ संस्थान विशिष्ट रूप से टूल रूम, प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र और राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास

संस्थान (ईडीआई) कैम्पस प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करते हैं।

(घ) टूल रूप, प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों और राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों द्वारा रोजगार प्रदान किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नोक्त है:

क्र.सं.	वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ	
		टूल रूमों और टीडीसी द्वारा	राष्ट्रीय स्तर के ईडीआई द्वारा
1.	2010-11	7542	18319
2.	2011-12	7364	17295
3.	2012-13	13285	30760

विवरण

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की राज्य-वार, वर्ष-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या	2011-12 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या	2012-13 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37848	49478	75044
2.	असम	24997	23527	28274
3.	अरुणाचल प्रदेश	3386	4158	4818
4.	बिहार	8762	10685	16055
5.	छत्तीसगढ़	4389	4272	2006
6.	दिल्ली	21346	24563	24293
7.	गोवा	724	497	521
8.	गुजरात	13494	17602	19623
9.	हरियाणा	3255	4565	3705
10.	हिमाचल प्रदेश	1678	2926	3596
11.	जम्मू और कश्मीर	1171	1796	2624
12.	झारखंड	8949	11856	19061
13.	कर्नाटक	15859	15850	17195

1	2	3	4	5
14.	केरल	10518	13485	13048
15.	मध्य प्रदेश	14998	14966	17554
16.	महाराष्ट्र	37379	42634	48456
17.	मेघालय	1476	2364	1401
18.	मणिपुर	1933	2592	1205
19.	मिजोरम	1660	3383	2212
20.	नागालैंड	4340	3757	3030
21.	ओडिशा	21994	27156	36862
22.	पंजाब	11922	15766	14790
23.	राजस्थान	8390	9570	7595
24	सिक्किम	1404	2420	1077
25.	तमिलनाडु	28698	36408	43795
26.	त्रिपुरा	3568	3636	2688
27.	उत्तर प्रदेश	64659	62938	60699
28.	उत्तराखंड	18008	21154	33963
29.	पश्चिम बंगाल	31829	29639	33543
	कुल	408634	463643	538733

[अनुवाद]

इंडिया ग्लोबल समिट

2277. श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडिया ग्लोबल समिट का आयोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समिट के परिणाम क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने कोई इंडिया ग्लोबल समिट आयोजित नहीं किया है। तथापि इस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपनी योजना के अंतर्गत 9-10 अक्टूबर, 2013 के दौरान नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर इंडिया ग्लोबल समिट आयोजित करने में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को सहयोग किया है।

बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम लाइसेंस

2278. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय अनुषंगी कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) हेतु आवेदन किया है और लाइसेंस प्राप्त किया है एवं प्रत्येक कंपनी को किन सर्किलों/शहरों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या क्वालकॉम, जिसे बीडब्ल्यूए हेतु लाइसेंस मिला है, ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कंपनी को किस प्रकार बीडब्ल्यूए लाइसेंस प्रदान किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) ब्रॉडबैण्ड वायरलैस एक्सेज (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम के लिए कोई पृथक दूरसंचार लाइसेंस नहीं है। "3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी हेतु" दिनांक 25.02.2010 के आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईए) संख्या पी 11014/13/2008-पीपी की शर्तों के अनुसार, यदि स्पेक्ट्रम के लिए सफल बोलीदाता, एक भावी नई कंपनी है तो उसके लिए ऐसी कंपनी को नामित करना अपेक्षित है जिसे यूएएस/श्रेणी "क" आईएसपी लाइसेंस प्राप्त करना हो अथवा जिसके पास ऐसा मौजूदा यूएएस/आईएसपी लाइसेंस हो जिसमें सफल बोलीदाता न्यूनतम 26 प्रतिशत हिस्से का धारक हो।

उपर्युक्त नीलामी में, भारतीय कंपनियों के अलावा, दो विदेशी कंपनियां अर्थात् मैसर्स क्वालकॉम इनकोरपोरेटेड यूएसए और मैसर्स ऑगिरी (मॉरीशस) लिमिटेड भी सफल बोलीदाता थीं। मैसर्स क्वालकॉम इनकोरपोरेटेड यूएसए ने दिल्ली, मुम्बई, केरल, हरियाणा सेवा क्षेत्रों के लिए बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम जीता था और मैसर्स ऑगिरी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र के लिए।

मैसर्स क्वालकॉम इनकोरपोरेटेड, यूएसए और मैसर्स ऑगिरी (मॉरीशस) लिमिटेड के नामिती अर्थात् क्रमश: मैसर्स वायरलैस बिजीनेस सर्विसेज प्रा.लि. (डब्ल्यूबीएसपीएल) और मैसर्स ऑगिरी वायरलैस ब्राडबैंड इंडिया प्रा.लि. ने बाद में श्रेणी "क" सेवा क्षेत्र का "अखिल भारत" आईएसपी लाइसेंस प्राप्त कर लिया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त एनआईए की शर्त संख्या 3.7 के अनुसार सफल बोलीदाता को स्वयं के सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के 3 महीनों के भीतर संगत सेवा लाइसेंस के लिए आवेदन करना था अथवा अन्यथा संगत सेवा लाइसेंस प्राप्त करना था। ब्रॉडबैंड वायरलैस सर्विसेज (बीडब्ल्यूए) की नीलामी का परिणाम दिनांक 12.06.2010 को घोषित किया गया था। मैसर्स डब्ल्यूबीएसपीएल ने दिनांक 9.8.2010 के अपने आवेदन द्वारा आईएसपी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। मैसर्स डब्ल्यूबीएसपीएल के दिनांक 09.08.2010 के आईएसपी आवेदन और दिनांक 05.09.2011 के पत्र, मैसर्स क्वालकॉम इनकोरपोरेटेड लिमिटेड के दिनांक 09.09.2011 के पत्र के आधार पर तथा टीडीएसएटी के आदेश के अनुपालन में मैसर्स क्वालकॉम इनकोरपोरेटेड लिमिटेड के नामिती मैसर्स डब्ल्यूबीएसपीएल को दिनांक 15.03.2012 को आईएसपी लाइसेंस प्रदान किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली मेट्रो में दुर्घटनाएं

2279. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो में दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली मेट्रो में मारे और घायल हुए लोगों की कुल संख्या कितनी है एवं गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को दिए गए हर्जाने की राशि कितनी है;

(ग) संरक्षा बनाए न रखने तथा गुणवत्तायुक्त कार्य सुनिश्चित न करने के लिए पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दिल्ली मेट्रो द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम/सुरक्षोपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) द्वारा सूचित किया गया है कि पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में मेट्रो परियोजनाओं के 36 मजदूर मारे गये/ घायल हुए हैं तथा 10 यात्री मारे गये/घायल हुए हैं। वर्ष 2010 से अब तक दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों की सूची तथा उनके परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2010 से अब तक दिल्ली मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान घायल कर्मचारियों तथा उन्हें दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

2010-11 से अब तक मृत/घायल यात्रियों की सूची तथा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) कोई भी स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया इसलिए किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। कार्य स्थलों पर सुरक्षा हेतु सांविधिक तथा संविदागत आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना ठेकेदार का पहला दायित्व है। डीएमआरसी स्थल इंजीनियरों तथा सुरक्षा दल एवं जनरल परामर्शदाता के सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।

(घ) निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना दर को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियां अपनाई गई हैं:-

(i) सुरक्षा हेतु ठेकेदारों का संगठन: प्रत्येक ठेकेदार अर्हता प्राप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) पेशेवरों के एक दल की नियुक्ति और तैनाती करता है। इनकी अपेक्षित संख्या, गठन और योग्यता तथा अनुभव का उल्लेख ठेका शर्तों में किया जाता है। प्रत्येक ठेकेदार के संगठन के भीतर यह दल अनन्य रूप से सुरक्षा संबंधी कर्त्तव्यों का पालन करता है। ठेकेदार का परियोजना प्रबंधक और उसका सुरक्षा दल सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हैं।

(ii) बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) निरीक्षण: डीएमआरसी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) संबंधी शर्तों के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक ठेकेदार को बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) निरीक्षण के लिए एक बाहरी एजेंसी (डीएमआरसी द्वारा अनुमोदित) नियुक्त करनी होती है। बाहरी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (एसएचई) निरीक्षण ठेके की पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक तीन महीने (तिमाही) में करनी होती है। उक्त निरीक्षण सुरक्षा संबंधी ठेका शर्तों के प्रत्येक अनुपालन बिन्दु पर आधारित एक व्यापक चेक लिस्ट के आधार पर की जाती है।

(iii) सामान्य परामर्शदाता सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा स्थल का निरीक्षण: सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए सामान्य परामर्शदाता सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से स्थलों का निरीक्षण किया जाता है। निर्माण स्थल पर अनुपालन नहीं की जा रही बातों पर अवलोकन रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और ठेकेदार को इस संबंध में डीएमआरसी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

(iv) डीएमआरसी निर्माण स्थल दलों द्वारा निगरानी: उपर्युक्त सभी निरीक्षण और निगरानी के निष्कर्ष डीएमआरसी द्वारा रिकार्ड किए जाते हैं, उनके अनुपालन और कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जाती है। उपर्युक्त 3 स्तरीय कार्य में जिस भी स्तर पर कार्य निष्पादन में कमी दिखाई देती है उसे ठीक करने के निदेश दिए जाते हैं तथा लगातार निगरानी की जाती है।

ट्रेन संचालन प्रणाली के मामले में सम्माननीय यात्रियों की अत्यंत सुरक्षा के मद्देनजर इसका डिजाइन किया गया है। डीएमआरसी संचालन के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए निम्नलिखित कार्रवाई/उपाय कर रहा है:

- तकनीकी विभागों द्वारा परिसंपत्तियों का नियमित निवारक रखरखाव
- भर्ती के बाद कार्य भार संभालने से पूर्व सभी कार्मिकों का संपूर्ण प्रशिक्षण।
- कर्मचारियों के लिए नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

- सुरक्षा के प्रति स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित सुरक्षा अभियान।
- संगठन की विभिन्न स्थापनाओं में नियमित सुरक्षा सेमिनार।
- स्टाफ द्वारा असामान्य घटनाओं से निपटने के लिए नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल।
- अधिक भीड़ वाली लाइनों पर कोचों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करना।
- स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इस आशय की नियमित घोषणा करना कि वे प्लेटफार्म पर पीली लाइन से हटकर खड़े हों।

विवरण I

दिनांक 1/1/2010 से (आज तक) डीएमआरसी परियोजना के निर्माण के दौरान अपना जीवन खोने वाले मजदूरों की संख्या और उनके परिवारों को भुगतान किये गये मुआवजे की धनराशि

क्रम संख्या	मृत कामगार का नाम (सर्व श्री)	दुर्घटना की तारीख	मुआवजा
1	2	3	4
1.	बिपिन एक्का	31.01.2010	6,33,820/-
2.	बलराज सिंह	7.02.2010	7,50,500/-
3.	घनश्याम	24.02.2010	5,28,260/-
4.	जय प्रकाश	11.08.2010	11,35,480/-
5.	परमानंद सा	21.09.2010	8,02,404/-
6.	रूस्तम आलम	03.11.2010	7,86,093/-
7.	इजहार	10.11.2010	9,29,039/-
8.	विजय राणा	29.05.2011	7,76,641/-
9.	सुरेन्द्र कुमार	13.06.2011	3,00,000 /-+ ईएसआईसी के अन्तर्गत शामिल
10.	मिट्ठू	30.09.2012	7,56,520/-
11.	इफ्तेखार	16.03.2013	10,73,880/-
12.	महेश सिंह	19.06.2013	मजदूर मुआवजा प्रक्रियाधीन है
13.	मदन सिंह	03.08.2013	2,00,000/- का भुगतान किया गया और मजदूर मुआवजा प्रक्रियाधीन है
14.	रमाशंकर	16.09.2013	मजदूर मुआवजा प्रक्रियाधीन है
15.	भगवान दास	11.10.2013	मजदूर मुआवजा प्रक्रियाधीन है
16.	सतीश कुमार	11.10.2013	मजदूर मुआवजा पक्रियाधीन है
17.	मोहन	23.10.2013	मजदूर मुआवजा पक्रियाधीन है

विवरण II

दिनांक 1.1.2010 से (आज तक) डीएमआरसी परियोजना के निर्माण के दौरान घायल मजदूरों की संख्या और मजदूरों को भुगतान किये गये मुआवजे की धनराशि

क्रम सं.	घायल कामगार का नाम (सर्व श्री)	दुर्घटना की तारीख	मुआवजा
1	2	3	4
1.	रणजीत	18.01.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।

1	2	3	4
2.	बबलू मुरमू	24.01.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया। डब्ल्यूसी भुगतान 2,58,336/-
3.	संतोष	24.02.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
4.	दीपक	17.05.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
5.	किशन सिंह	20.05.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
6.	संदीप	07.07.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
7.	महेश कुमार पंडित	12.07.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
8.	मो. इकबाल	03.11.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
9.	मुन्ना कुमार	10.11.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
10.	सम्सुद्दीन	24.11.10	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
11.	सुरेश	06.11.11	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
12.	मीकेश कुमार झा	23.06.12	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
13.	रामा नायक	07.08.12	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
14.	उपेन्द्र कुमार	27.09.12	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया भुगतान किये गये मुआवजे की धनराशि 2,83,198/-
15.	अजय कुमार सोनी	12.10.12	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।

1	2	3	4
16.	मो. सरीफुल	21.11.13	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
17.	विशाल ठाकुर	26.11.13	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
18.	प्रदीप वर्मा	29.11.13	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।
19.	राम किशोर	06.12.13	उपचार के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा व्यय वहन किया गया।

नोट: केवल क्र.सं. (2) और (4) के मामले आंशिक विकलांगता घटित हुई और अन्य मामलों में मजदूरों को किसी विकलांगता से नहीं गुजरना पड़ा और चिकित्सकीय देखभाल के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया।

विवरण III

2010-11 के बाद से (आज तक) मृत/घायल यात्रियों की संख्या और उनको भुगतान किये गये मुआवजे की धनराशि

वित्तीय वर्ष	मृत/घायल की संख्या	दी गई मुआवजे की धनराशि	मामलों का ब्यौरा		
			नाम	दुर्घटना की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
2010-11	4(3 घायल हुए और 1 की मृत्यु हुई)	40,000/- रुपए	श्रीमती पायल शर्मा	18.07.2010	राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर घायल हुईं। तथापि, डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
		40,000/- रुपए	श्री मनोज जैन	29.12.2010	राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पैर में चोट लगी। तथापि, डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
		40,000/- रुपए	श्री संजय नोटियाल	03.01.2011	सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर पैर में चोट लगी। तथापि डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
		मृत के उत्तराधिकारी को 4,00,000/- रुपए अदा किया गया	श्री राहुल थापा	05.03.2011	उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर मृत्यु हुई। तथापि, डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
2011-12	1 (मृत)	बीमाकर्ता (मैसर्स दि ओरिएंटल	श्री खान मोहम्मद	11.12.2011	चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन पर मृत्यु हुई। तथापि डीएमआरसी की गलती नहीं थी।

1	2	3	4	5	6
		इन्शोरेंस) के पास मामले लंबित हैं			
2012-13	2 (दोनों मृत)		श्री संजय कुमार	01.10.2012	छत्तरपुर मेट्रो स्टेशन पर मृत्यु हुई। तथापि डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
			श्री रामनिवास	06.03.2013	द्वारका सेक्टर-14 मेट्रो स्टेशन पर मृत्यु हुई। तथापि, डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
2013-14	3(सभी 3 घायल)	बीमाकर्ता (मैमर्स दि ओरिएंटल इन्शोरेंस) के पास मामला दर्ज किया गया।	सुश्री सुशीला	07.06.2013	चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर हाथ में चोट लगी। तथापि, डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
		बीमाकर्ता (मैसर्स दि ओरिएंटल इन्शोरेंस) के पास मामले को निपटाया जा रहा है।	श्री जगदीश आनन्द	20.06.2013	राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कुल्हे/घुटने में चोट लगी। तथापि, डीएमआरसी की गलती नहीं थी।
		1,536 रुपए दावा धनराशि	श्री सत्यम कुमार	22.10.2011	वैशाली मेट्रो स्टेशन पर सिर में चोट (हल्की) लगी। डीएमआरसी लिमिटेड द्वारा घायल व्यक्ति को 1,536 रुपए के दावे का भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन पर समझौता

2280. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा विभिन्न जलवायु समझौतों के एकमात्र बाधक देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) पर्यावरण परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचागत कनवेशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत पर्यावरण परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समझौता बातचीत में भारत ने बढ़चढकर भाग लिया था। भारत ने विकासशील देशों के साथ, मिल कर कार्य किया है, जिनमें 77 का समूह चीन सहित के परिप्रेक्ष्य में बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) समूह और एकमत विकासशील देशों का समूह की स्थितियों को

विकसित करने के दृष्टिकोण से कि विकासशील देशों की चिंताओं को समुचित रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

[हिन्दी]

रेल-परियोजनाएं

2281. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने नांगल डैम-तलवाड़ा रेलमार्ग, घनौली-बद्दी रेलमार्ग, कालका-बद्दी रेलमार्ग और भानुपाली-बिलासपुर बेरी रेलमार्ग के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु योजना आयोग के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त नए रेलमार्गों को सैद्धांतिक अनुमोदन देने में विलंब होने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): (क) से (ग) योजना आयोग को नांगल डैम-तलवाड़ा रेलमार्ग के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। विभिन्न अनुमोदन जिनमें योजना आयोग द्वारा दिए जाने वाले अपेक्षित अनुमोदन शामिल हैं, के प्राप्त हो जाने के बाद नांगल डैम और तलवाड़ा के मध्य एवं भानुपाली और बिलासपुर-बेरी के मध्य नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव पहले से कार्यान्वयन के अधीन है। मार्च 2012 में योजना आयोग में 385.45 करोड़ रुपये की लागत पर कालका से बद्दी के मध्य (19.90 कि.मी.) और 541.27 करोड रुपये की लागत पर घनौली से बद्दी के मध्य (26.30 कि.मी.) नए रेलमार्गों की परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, चूंकि रेल मंत्रालय पहले मंजूर कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारी संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है अत: अन्य प्रस्तावों के साथ इन दो प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए योजना आयोग के नए दिशानिर्देशों के अनुसार पुन: प्रस्तुत करने के लिए रेल मंत्रालय को वापस कर दिया गया था। उक्त प्रस्ताव अभी तक अनुमोदन के लिए योजना आयोग को पुन: प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश और अक्साई-चिन पर चीन का दावा

2282. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने अक्साई-चिन और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर अपना दावा फिर दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) चीन भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विवाद पैदा करता है। वर्ष 1962 से जम्मू व कश्मीर के भारतीय राज्य में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है। इसके अलावा, 1963 के कथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत, पाकिस्तान ने अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5,180 वर्ग किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र चीन को स्थानान्तरित कर दी है। पूर्वी क्षेत्र में, चीन अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र पर दावा करता है। यह तथ्य कि अरूणाचल पद्रेश और जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न तथा अभाज्य अंग है, सर्वोच्च स्तर सहित अनेक अवसरों पर चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है।

[अनुवाद]

हिंदी और संस्कृत को प्रोत्साहन

2283. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-स्थापित विश्वविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें हिंदी और संस्कृत विभाग नहीं हैं;

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों में हिंदी और संस्कृत विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी और संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार देश में 460 राज्य/राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं जो राज्य विधान मण्डलों द्वारा स्थापित किए गए हैं। यूजीसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों में से 232 में हिंदी विभाग नहीं हैं और 239 विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग नहीं हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) नए स्कूल और विभाग खोलने सहित शैक्षणिक मामलों में विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्राप्त है क्योंकि, वे ऐसे मामलों में अपने संबंधित अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों से अभिशासित होते हैं। तथापि, यूजीसी उस विश्वविद्यालय से अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान गैर-हिंदी भाषी राज्यों में स्थित 13 विश्वविद्यालयों को हिंदी विभाग खोलने के लिए अनुदान दिया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य/राज्य निजी विश्वविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय जिनमें हिंदी विभाग नहीं है	विश्वविद्यालय जिनमें संस्कृत विभाग नहीं है।
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	33	21	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0
3.	असम	11	4	3
4.	बिहार	15	3	4
5.	छत्तीसगढ़	17	9	9
6.	दिल्ली	5	4	4
7.	गोवा	1	0	1
8.	गुजरात	38	20	20
9.	हरियाणा	19	10	10
10.	हिमाचल प्रदेश	20	9	9
11.	जम्मू और कश्मीर	7	5	5
12.	झारखंड	10	3	3

1	2	3	4	5
13.	कर्नाटक	27	13	14
14.	केरल	11	3	5
15.	मध्य प्रदेश	28	9	11
16.	महाराष्ट्र	20	12	13
17.	मेघालय	8	4	4
18.	मिजोरम	1	1	1
19.	नागालैंड	2	1	1
20.	ओडिशा	14	9	8
21.	पंजाब	16	6	6
22.	राजस्थान	48	24	25
23.	सिक्किम	4	3	3
24.	तमिलनाडु	20	16	17
25.	त्रिपुरा	1	1	1
26.	उत्तर प्रदेश	43	22	21
27.	उत्तराखंड	16	8	8
28.	पश्चिमी बंगाल	21	12	9
29.	चंडीगढ़	1	0	0
	कुल	460	232	239

[हिन्दी]

निर्माणाधीन परमाणु-संयंत्र

2284. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कार्य की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इन स्थानों पर स्थानीय जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) वर्तमान में, देश में सात नाभिकीय विद्युत यूनिट निर्माणाधीन तथा कमीशनाधीन हैं। ककरापार गुजरात में ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीपी) यूनिट 3 तथा 4 (2×700 मेगावाट) तथा रावतभाटा, राजस्थान में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी) यूनिट 7 तथा 8 (2×700 मेगावाट) के संबंध में काम क्रमशः नवम्बर, 2010 तथा जुलाई, 2011 में प्रारंभ [पहली बार कंकरीट डालना (एफपीसी) परियोजना की शून्य तारीख] किया गया। 2×700 मेगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के मामले में गेस्टेशन अवधि, पहली बार कंकरीट डालने से लेकर, पहले यूनिट के मामले में साढ़े पाँच वर्ष और दूसरे यूनिट के मामले में छः वर्ष है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4, और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट 7 तथा 8 वर्ष 2016-17 में पूरे किए जाएंगे। तमिलनाडु में कुडनकुलम में, एक अन्य परियोजना, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) यूनिट 1 तथा 2 (2x1000 मेगावाट) के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। यूनिट 1 को पहले ही ग्रिड से जोड़ा जा चुका है, और यह अनिश्चित विद्युत उत्पादन कर रहा है। यूनिट 2 को कमीशन किया जा रहा है। 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर), जोकि भारत में अपनी किस्म का पहला रिएक्टर है, और जिसका निर्माण तमिलनाडु में कलपाक्कम में किया जा रहा है, की क्रांतिकता प्राप्त करने की प्रारंभ में अनुमोदित तारीख सितम्बर, 2010 थी। बाद में क्रांतिकता की तारीख को संशोधित करके सितम्बर, 2014 कर दिया गया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रौद्योगिकी एक नई प्रौद्योगिकी है, जोकि दाबित भारी पानी रिएक्टरों की प्रौद्योगिकी से भिन्न है। उपस्करों की सामग्री, विशिष्टताएं तथा आकार अनूठे हैं, और इनके संबंध में विगत में भारतीय उद्योगों को कभी अनुभव नहीं हुआ है। विभिन्न महत्वपूर्ण संघटकों की सुपुर्दगी की अवधि के आगे बढ़ जाने के परिणामस्वरूप, स्थापना तथा कमीशनिंग संबंधी कार्यकलापों की अवधि आगे बढ़ गई।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि, परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर ही पूरी करके कमीशन कर दी जाएं। परियोजनाओं की प्रगति का मानीटरन करने के लिए, एक बहुस्तरीय पुनरीक्षा प्रणाली, मानीटरन तथा नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना की गई है।

(घ) रावतभाटा तथा ककरापार स्थलों पर कोई विरोध नहीं हो रहा है। कुडनकुलम स्थल पर यह विरोध वर्तमान में कहीं-कहीं हो रहा है, और निकटवर्ती कुछ पॉकेटों तक ही सीमित है। कलपाक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में स्थानीय लोगों द्वारा किए गए कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा था।

(ङ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) तथा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनि) ने, एक बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण अपनाकर, और स्थानीय समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करके अपने आउटरीच कार्यक्रम को कई गुणा बढ़ा लिया है। इन प्रयासों के अंतर्गत, स्थानीय लोगों से संबंधित प्रत्येक मुद्दे का समाधान करते हुए साधारण स्थानीय भाषा में एक-एक पृष्ठ का वितरण किया जाना, दूरदर्शन पर लघु फिल्में दिखाना, रेडियो पर धुनें सुनाना, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में स्थानीय लोगों के समूहों के दौरे आयोजित करना, स्थानीय प्रैस और मीडिया को समझाना, और समुदाय के नेताओं तथा प्रतिनिधियों को संबोधित करना, शामिल था। शिक्षा, आधारभूत ढाँचे का विकास, स्वाथ्य की देखरेख और स्व.-रोजगार के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रतिवेश विकास कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। परियोजना स्थल पर और उसके आस-पास बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए गए।

बकाये का भुगतान

2285. श्री मकन सिंह सोलंकी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत समकक्ष संवर्गों के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान में आ रहे गतिरोध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सिलसिले में राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का 80 प्रतिशतांश देने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की सरकारों को अपने हिस्से की कोई धनराशि जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों को लागू करने के लिए 1.1.2006 से 31.3.2010 तक की अवधि के बकाया भुगतान पर वहन किए गए व्यय के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है। आज की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकर विभिन्न राज्यों को 2250 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 1789.56 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।

(ग) से (ङ) अब तक 11 राज्य सरकारों को वेतन बकाया के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है। शिक्षकों के संशोधित वेतनमानों के कारण केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मध्य प्रदेश द्वारा वेतनमानों के बकाया का भुगतान करने के लिए प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है और तदनुसार मध्य प्रदेश को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। राज्यों को केवल योजना की सभी शर्तें और निबंधन पूरा करने तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित सूचना और निर्धारित वायदा करने के पश्चात ही सहायता दी जा सकती है।

विवरण

केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा

संख्या	राज्यों का नाम	केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी राशि
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	1,27,75,00,000/- रुपये
2.	हिमाचल प्रदेश	1,96,45,69,474/- रुपये
3.	जम्मू और कश्मीर	43,17,60,800/- रुपये
4.	राजस्थान	2,51,13,60,000/- रुपये
5.	अरुणाचल प्रदेश	13,78,57,759/- रुपये
6.	त्रिपुरा	6,51,20,000/- रुपये
7.	पश्चिम बंगाल	3,13,93,08,508/- रुपये
8.	महाराष्ट्र	4,60,06,40,000/- रुपये
9.	तमिलनाडु	2,25,30,40,000/- रुपये
10.	उत्तर प्रदेश	2,09,88,57,600/- रुपये
11.	मिजोरम	39,78,03,000/- रुपये

[अनुवाद]

आई.आई.टी. की स्थापना

2286. श्री एस. एस. रामासूब्बू:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में चल रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के मोड के रूप में और अधिक आईआईटी की स्थापना करना है और यदि हां, तो सार्वजनिक निजी-भागीदारी के मोड के रूप में स्थापित किए गए आईआईटी यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा आई.आई.टी. संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का भी प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई नए आई.आई.टी. अस्थायी प्रांगण में चल रहे हैं जिनमें समुचित अवसंरचना और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में नए आई.आई.टी. को आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) देश में संचालनरत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	संस्था का नाम	राज्य
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	उत्तर प्रदेश
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे	महाराष्ट्र
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	उत्तराखंड
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	असम
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू, वाराणसी	उत्तर प्रदेश
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़	पंजाब
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधी नगर	गुजरात
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	ओडिशा
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	राजस्थान
14.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	बिहार
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर	मध्य प्रदेश
16.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	हिमाचल प्रदेश

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सरकार ने 11वीं योजना के दौरान यथेष्ठ बुनियादी ढांचे के साथ आंध्र प्रदेश, बिहार राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए हैं। उन्हें संसद के एक अधिनियम, जो 29.06.2012 को लागू हुआ, के माध्यम से "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में घोषित किया गया है। प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आईआईटी, बीएचयू में संपरिवर्तित किया गया था और संसद के अधिनियम, जो 29.06.2012 से लागू हुआ, के माध्यम से इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था।

सभी नए आईआईटी कक्षा कक्षों, प्रयोगशालाओं, उपकरण और छात्रावासों के प्रावधान सहित अस्थायी परिसर से कार्य कर रहे हैं, जिसमें से आईआईटी, मण्डी आंशिक रूप से स्थायी परिसर में शिफ्ट कर रहा है।

नए आईआईटी संस्थानों को संकाय, गैर संकाय और विद्यार्थी अनुपात के विहित मानदंडों के भीतर संकाय और गैर संकाय भर्ती करने की स्वायत्तता भी दी गई है। इन संस्थानों के लिए उत्तम संकाय तथा गैर-संकाय स्टाफ को आकर्षित करने के लिए पुराने केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों से नए केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में 10 वर्षीय दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति पर पुरानी पेंशन योजना के साथ कर्मचारी वर्ग की गतिशीलता की अनुमति देने की एक योजना अनुमोदित की गई है। मंत्रालय भी संस्थान के पानी/बिजली की समस्या, संकाय और विद्यार्थियों के लिए आवासीय/छात्रावासगत निवास स्थान के प्रावधान, सम्पर्क सड़क के प्रावधान इत्यादि को सुविधाजनक बनाने जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचागत मसलों को हल करने का उपाय करता है तथा संबंधित राज्य/सरकार और केन्द्र सरकार के अभिकरणों से पर्यावरणीय संस्वीकृति जैसी आवश्यक संस्वीकृति प्राप्त करने को सुसाध्य बनाता है। संस्थानों को पेश आ रही अन्य समस्याओं से संबंधित मसलों को संबद्ध राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

सी.बी.एस.ई. के अंतर्गत कार्पोरेट-प्रबंधन स्कूल

2287. श्री सज्जन वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने विभिन्न राज्यों में कार्पोरेट-प्रबंधन के अंतर्गत नए सी.बी.एस.ई. स्कूलों की मंजूरी का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) उन स्कूलों को संबंधन प्रदान करता है जो बोर्ड की संबंधन उप-विधियों में निर्धारित शर्ते पूरी करते हैं और नए स्कूल संस्वीकृत नहीं करता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें

2288. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आम वादी के लिए वाद-लागत कम करने इत्यादि के प्रयोजन से कुछ क्षेत्रों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वादियों पर वित्तीय भार कम करने हेतु वर्तमान प्रणाली को सुकर बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) उच्चतम न्यायालय में वकीलों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में यदि सरकार ने कोई विनियम बनाया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिनको भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे। उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए देश के विभिन्न भागों से विधि आयोग (229वीं रिपोर्ट) सहित, समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्होंने सूचित किया है कि 18 फरवरी, 2010 को हुई पूर्ण न्यायपीठ की उसकी बैठक में मामले पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करना न्यायोचित नहीं पाया गया था।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने, वादकारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का इंटरनेट के माध्यम से निराकरण करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में मामलों को फाइल करने के लिए अधिवक्ता-अभिलेख/याची-इन-परसन को समर्थ करते हुए एक प्रणाली आरंभ की है।

सरकार ने, समाज के सीमांत समूहों के लोगों को निःशुल्क तथा सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भी स्थापना की है। उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की भी स्थापना की गई है।

सरकार ने, ई न्यायालय परियोजना को क्रियान्वित किया है, जो मामलों के फाइल किए जाने, आदेशों और निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, वाद प्रास्थिति पर जानकारी आदि अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों, वादकारियों को आनलाइन सेवाओं को प्रदान करेगी, जिससे वादकारियों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

भारत और श्रीलंका के मछुआरा संघों की बैठक

2289. **श्री एम. कृष्णास्वामी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और श्रीलंका के मछुआरा संघों के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो यह बैठक कब तक आयोजित की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की 13-14 जनवरी, 2013 को हुई चौथी बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि निरंतर संवाद प्रक्रिया को जारी रखते हुए नियमित बैठकों के माध्यम से इसे बढ़ावा देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जल्द से जल्द बैठक की तिथियां बतलाने के लिए कहा है।

सरकार लगातार श्रीलंका सरकार से परस्पर बातचीत में यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि दोनों पक्षों के मछुआरे एक सुरक्षित, संरक्षित और सुसंगत तरीके से अपनी जीविकोपार्जन कर सकें।

[हिन्दी]

सार्वजनिक दूरभाष बूथ

2290. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आज की तिथि में अलग-अलग कितने सार्वजनिक दूरभाष बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त दूरभाष बूथ समुचित व संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कुछ सार्वजनिक दूरभाष बूथ बंद कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) रेलवे स्टेशनों/अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थित उक्त दूरभाष बूथों का समुचित व संतोषप्रद कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय में अनियमितताएं

2291. श्री पी. के. बिजूः
श्री ए. सम्पतः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल में पासपोर्ट जारी करने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होने की शिकायत सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) मल्लापुरम तथा कोझीकोडे में पासपोर्ट कार्यालयों में छोटी प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में लाई गई थीं। मंत्रालय द्वारा एक तथ्यान्वेषी दल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दल की रिपोर्ट में वैसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई जैसा कि आरोप लगाया गया था। मंत्रालय की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सहमत हो जाने के बाद इस मामले को बंद कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों का कार्य-निष्पादन

2292. श्री अब्दुल रहमानः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन और अन्य संबंधित विषयों के सिलसिले में नए विनियम तैयार करने के लिए सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का शैक्षणिक कार्य-निष्पादन सूचकांक को पूर्णतः समाप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो फिर सरकार का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षकों व प्राध्यापकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किस प्रकार करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण के उपाय विनियमन, 2010 द्वारा मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति को यह अधिदेश दिया गया था

कि वह उपर्युक्त यूजीसी विनियमन, 2010 में यथा निर्धारित शैक्षणिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) के साथ निष्पादन आधारित आकलन प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन करें और निष्पादन के मूल्यांकन में परिवर्तन अथवा वैकल्पिक पद्धतियों का, यदि कोई हों, सुझाव दें।

(ख) इस समिति ने 6.07.2012 को यूजीसी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी। समिति की मुख्य सिफारिशों में शैक्षणिक निष्पादन के आकलन के लिए प्वाइंट आधारित स्कोरिंग प्रणाली को समाप्त करना है किन्तु एक जांच एवं मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए इस कसौटी को कायम रखने, पीएच.डी विनियमन, 2009 की अनुरूपता की अपेक्षाओं को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा पीएच.डी पास करना, अवर स्नातक कॉलेजों में प्रोफेसरशिप पर सीमा/सीलिंग हटाना, कतिपय शिक्षण पदों का फिटमेंट वेतन बढ़ाना, कतिपय पदों की न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन, कॉलेज प्राचार्य की अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करना, शिक्षण पदों में प्रोन्नति के लिए जीविका उन्नयन योजना में परिवर्तन करना आदि।

(ग) यूजीसी ने दिनांक 10 मई, 2013 को हुई अपनी बैठक में इस मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर चर्चा की और फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के अनुरक्षण के उपाय विनियमन, 2010 (द्वितीय संशोधन) को 13 जून, 2013 को अधिसूचित किया। ये संशोधित विनियमन www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। इस संशोधन के अनुसार, शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (एपीआई) स्कोर को कायम रखा गया है। एपीआई स्कोर की गणना के लिए श्रेणियां और स्कोरिंग कार्यपद्धति उपर्युक्त संशोधन विनियमों के परिशिष्ट-iii में दी गई हैं। इस एपीआई स्कोर का उपयोग केवल जांच प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की सीधी भर्ती/आजीविका उन्नयन में उम्मीदवारों के विशेषज्ञ आकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चुनाव में 'नोटा' का विकल्प

2293. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों के विधान सभा चुनावों में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (नोटा) का विकल्प उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यदि किसी चुनाव-क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों के लिए विनिर्धारित मत-प्रतिशत से 'नोटा' वाले मतों का प्रतिशत अधिक हो तो वहां का चुनाव निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ईवीएम)/बैलेट पेपरों पर 'उपरोक्त में से कोई नहीं' के विकल्प को क्रियान्वित करने के लिए उसने अपने पत्र सं. 576/3/2013/एसडीआर तारीख 11 अक्तूबर 2013 द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि ईवीएम/बैलेट पेपरों में "उपरोक्त में से कोई नहीं" (नोटा) के विकल्प का बटन, हाल ही में आयोजित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली और मिजोरम में पहले से ही सम्मिलित किया गया था।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं से फारसी और अरबी भाषाओं का अपवर्जन

2294. श्रीमती तबस्सुम हसन:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से अरबी और फारसी भाषाओं को अपवर्जित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रतियोगी परीक्षाओं से इन दोनों भाषाओं के अपवर्जन के क्या कारण हैं; और

(च) भाषा-सूची में किसी भाषा को सम्मिलित करने या अपवर्जित करने के आधार या मापदण्ड का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) से (च) सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा की तत्कालीन मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा प्रो. अरूण एस. निगावेकर, पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2011 को एक समिति गठित की गई थी।

निगावेकर समिति की सिफारिशों और उन पर यूपीएससी की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाएं परीक्षा (सीएसई) 2013 से सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा की पद्धति में कुछ परिवर्तन किए गए।

अपनी सिफारिशों को भेजते हुए आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा की पद्धति में विकल्प के रूप में उपलब्ध विषयों की सूची में अंग्रेजी के अलावा, केवल उन भाषाओं के साहित्य को बनाए रखने का प्रस्ताव किया जो वर्तमान में भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। यूपीएससी की इस सिफारिश को सरकार ने अनुमोदित किया था।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल न होने के कारण फारसी और अरबी भाषाओं को भाषा विषयों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

वर्तमान में उपर्युक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैण्ड सेवाओं में भारतीय कंपनियां

2295. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ब्रॉडबैण्ड सेवाओं, जिनके अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्मार्ट-फोन, लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटरों की सुविधाएं मिलती हैं, के क्षेत्र में भारतीय दूरसंचार कंपनियां कहीं नहीं ठहरतीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारोपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) एशिया-प्रशांत देशों में ब्रॉडबैण्ड सेवाओं, जिनके अंतर्गत उभोक्ताओं को स्मार्ट-फोन, लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटरों की सुविधाएं मिलती हैं, के क्षेत्र भारतीय दूरसंचार कंपनियों का भी स्थान है क्योंकि भारतीय दूरसंचार कम्पनियां 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम सहित बेतार नेटवर्क का प्रयोग करके ब्रॉडबैण्ड सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बाजार में ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध स्मार्ट-फोन,

लैपटॉप, जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से ग्राहक ब्रॉडबैण्ड सेवाओं तक अपनी पहुंच बनाने में समर्थ हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जून, 2013 में जारी रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट और ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:

इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या	198.39 मिलियन
नैरोबैण्ड उपभोक्ता (उन उपभोक्ताओं को छोड़ते हुए जो इंटरनेट पर अपनी पहुंच मोबाइल साधनों के जरिए बनाते हैं)	6.69 मिलयन
ब्रॉडबैण्ड उपभोक्ता (उन उपभोक्ताओं को छोड़कर जो इंटरनेट पर अपनी पहुंच मोबाइल साधनों के जरिए बनाते हैं)	15.20 मिलियन
उपभोक्ता जो इंटरनेट पर अपनी पहुंच स्मार्ट फोन और लैपटॉप अर्थात् मोबाइल साधनों के जरिए बनाते हैं।	176.50 मिलियन

सकल नामांकन अनुपात

2296. श्री नवीन जिन्दल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक, अपर-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तरों में बच्चों का सकल नामांकन अनुपात राज्य-वार और वर्ष-वार कितना रहा है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्तरों में बच्चों की औसत उपस्थिति दर राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी रही;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति दर की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने विद्यार्थियों की उपस्थिति-दर में सुधार करने के लिहाज से, आर.टी.ई./सर्वशिक्षा अभियान के लाभों को न्यूनतम उपस्थिति से जोड़ने जैसे उपायों सहित, कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा के आंकड़ों के अनुसार, 2008-09 (अनंतिम), 2009-10 (अनंतिम) और 2010-11 (अनंतिम) के दौरान देश में प्राथमिक (कक्षा-I से V), उच्च प्राथमिक (कक्षा VI से VIII) माध्यमिक (कक्षा IX-X) और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा XI-XII) में विद्यार्थियों का राज्य-वार और लिंग क्रम से सकल दाखिला अनुपात क्रमश: संलग्न विवरण I, II, III और IV पर दिया गया है।

(ख) से (च) बच्चों की औसत उपस्थिति की दर पर आंकड़े मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के माध्यम से सामान्य प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रगति करती रही है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रवर्तन में आया था, यह उपबंधित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, प्राप्त करने का अधिकार है। क्रियान्वयन का एसएसए कार्य ढांचा आरटीई अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अनुरूप संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल करने, बच्चों के अवधारण और दाखिला बढ़ाने के लिए आरटीई अधिनियम के मानकों तथा मानदंडों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना स्कूल में बच्चों को आगे अवधारण और दाखिला बढ़ाने की दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जिसे सामान्य पहुंच के लिए प्रारंभ किया गया है, का लक्ष्य माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करना है।

विवरण I

प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V) में सकल नामांकन अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09(पी)		2009-10(पी)		2010-11 (पी)	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	95.9	96.8	98.0	98.3	99.7	99.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	161.2	153.7	170.0	163.4	184.5	176.9
3.	असम	136.3	134.8	91.7	94.1	93.1	95.6
4.	बिहार	123.2	102.9	125.7	109.2	131.3	123.6
5.	छत्तीसगढ़	143.2	138.9	126.3	120.5	125.6	120.0
6.	गोवा	133.1	132.3	93.4	91.7	106.9	101.5
7.	गुजरात	116.9	126.0	120.0	121.0	119.4	121.4
8.	हरियाणा	82.7	98.7	88.6	92.0	90.6	100.2
9.	हिमाचल प्रदेश	110.9	111.0	107.7	107.7	109.1	109.4
10.	जम्मू और कश्मीर	118.9	115.6	110.3	112.6	108.3	111.7
11.	झारखंड	149.5	152.6	157.5	158.2	145.9	148.5
12.	कर्नाटक	107.6	105.6	105.4	104.0	105.2	104.1
13.	केरल	90.7	92.2	93.4	93.9	91.4	91.5
14.	मध्य प्रदेश	150.0	150.0	149.3	150.0	131.2	139.7
15.	महाराष्ट्र	104.3	101.5	104.9	102.3	105.5	103.7
16.	मणिपुर	184.9	179.6	189.7	182.3	195.7	188.4
17.	मेघालय	160.7	166.5	170.0	174.1	193.7	196.3
18.	मिजोरम	206.5	198.9	173.9	162.2	191.7	180.0
19.	नागालैंड	124.7	128.8	99.6	98.9	103.7	102.8
20.	ओडिशा	120.6	121.5	118.4	119.3	118.7	120.1
21.	पंजाब	73.9	71.8	108.6	107.5	109.1	108.3
22.	राजस्थान	121.6	115.0	119.1	115.1	110.3	109.5

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	153.4	153.7	157.9	152.7	164.4	158.7
24.	तमिलनाडु	118.0	118.6	114.3	115.3	111.0	112.6
25.	त्रिपुरा	149.6	147.5	146.8	143.7	134.9	133.3
26..	उत्तर प्रदेश	106.3	115.3	106.6	114.7	123.8	130.4
27.	उत्तराखंड	107.0	115.0	108.6	111.8	107.9	110.2
28.	पश्चिम बंगाल	101.4	102.5	124.8	126.4	91.5	93.9
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.0	101.2	74.7	72.6	87.5	84.9
30.	चण्डीगढ़	108.3	98.2	61.1	64.8	78.6	78.1
31.	दादरा और नगर हवेली	164.7	166.2	107.4	107.5	104.3	107.0
32.	दमन और दीव	191.5	160.8	75.1	84.8	76.5	82.6
33.	दिल्ली	109.2	114.4	119.9	122.5	126.0	129.6
34.	लक्षद्वीप	58.1	59.3	82.3	82.3	81.4	80.8
35.	पुदुचेरी	155.3	139.1	96.0	102.0	104.8	102.3
	भारत	114.3	114.4	115.5	115.4	115.4	116.7

(पी): का आशय अनंतिम से है।
स्रोत:स्कूल शिक्षा और सांख्यिकी।

विवरण II

उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI-VIII) में समग्र नामांकन अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09(पी)		2009-10(पी)		2010-11 (पी)	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	77.5	77.1	77.9	77.4	80.3	79.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.8	93.9	106.1	96.2	108.5	102.6
3.	असम	39.7	34.1	67.3	70.3	67.2	68.7
4.	बिहार	55.7	42.2	60.8	49.7	68.4	60.4

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	96.7	88.9	87.2	81.1	90.2	84.7
6.	गोवा	93.1	86.6	81.2	77.1	99.2	92.2
7.	गुजरात	89.2	84.6	90.5	82.0	89.5	81.5
8.	हरियाणा	66.6	80.6	77.3	80.6	82.3	84.8
9.	हिमाचल प्रदेश	115.0	113.1	114.6	112.1	116.0	111.4
10.	जम्मू और कश्मीर	93.9	83.9	95.3	90.9	96.6	92.6
11.	झारखंड	68.5	63.8	71.2	49.7	81.7	81.0
12.	कर्नाटक	92.4	89.6	90.9	87.7	92.2	89.1
13.	केरल	102.6	100.2	107.1	102.4	106.5	101.3
14.	मध्य प्रदेश	105.6	98.6	106.1	97.4	100.2	102.6
15.	महाराष्ट्र	90.3	87.4	91.5	86.9	95.1	89.6
16..	मणिपुर	109.1	101.2	107.2	99.2	108.5	100.8
17.	मेघालय	67.7	79.4	80.5	91.4	85.9	96.2
18.	मिजोरम	97.9	94.6	100.8	95.0	108.2	101.3
19.	नागालैंड	82.0	84.7	59.1	60.7	59.4	60.7
20.	ओडिशा	87.2	82.2	85.4	82.0	83.3	80.7
21.	पंजाब	70.2	69.6	93.6	89.7	95.8	91.7
22.	राजस्थान	94.9	72.0	95.0	72.7	91.0	73.0
23.	सिक्किम	68.2	84.6	70.9	86.6	71.2	86.6
24.	तमिलनाडु	116.7	114.0	114.3	112.1	113.0	111.5
25.	त्रिपुरा	95.0	95.3	93.3	93.1	92.2	91.5
26.	उत्तर प्रदेश	52.5	56.0	74.3	65.9	84.1	75.5
27.	उत्तराखंड	102.4	111.2	101.0	107.9	102.6	109.2
28.	पश्चिम बंगाल	72.8	75.3	80.3	87.0	84.6	88.0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	108.1	97.8	77.1	73.7	89.4	86.4

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चण्डीगढ़	89.3	86.9	65.3	64.5	84.5	77.1
31.	दादरा और नगर हवेली	96.2	83.4	101.1	90.5	100.7	100.5
32.	दमन और दीव	156.1	138.1	67.5	81.0	72.4	81.3
33.	दिल्ली	99.3	102.0	110.8	106.9	110.9	106.4
34.	लक्षद्वीप	48.1	45.7	61.8	65.6	74.0	93.0
35.	पुदुचेरी	123.6	105.7	95.0	98.0	106.8	99.7
	भारत	77.9	74.4	84.5	78.3	87.7	83.1

(पी): का आशय अनंतिम से है।
स्रोत: स्कूल शिक्षा और सांख्यिकी।

विवरण III

माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) में समग्र नामांकन अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09(पी)		2009-10(पी)		2010-11 (पी)	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	65.6	64.6	67.5	66.9	67.1	67.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.9	62.8	69.2	63.9	73.3	67.9
3.	असम	48.4	42.6	51.9	46.8	52.0	46.9
4.	बिहार	38.0	26.2	39.9	30.0	46.3	37.0
5.	छत्तीसगढ़	76.0	65.4	55.5	47.3	63.6	58.9
6.	गोवा	76.9	74.2	62.4	64.0	67.8	64.7
7.	गुजरात	67.0	49.4	67.5	52.3	71.3	56.5
8.	हरियाणा	54.2	66.0	60.4	71.3	60.8	71.4
9.	हिमाचल प्रदेश	100.5	99.1	85.7	93.0	102.4	101.0
10.	जम्मू और कश्मीर	49.3	39.9	66.6	62.5	66.8	63.2
11.	झारखंड	34.0	24.8	33.1	24.0	47.4	43.1
12.	कर्नाटक	70.1	68.1	73.0	71.0	74.0	72.5

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	92.1	93.2	98.2	96.8	101.6	99.7
14.	मध्य प्रदेश	72.9	50.0	75.9	50.6	80.4	52.8
15.	महाराष्ट्र	72.9	68.2	75.9	69.6	76.0	71.2
16.	मणिपुर	78.1	75.7	78.0	79.1	83.5	80.1
17.	मेघालय	50.0	53.7	46.4	52.8	49.0	49.9
18.	मिजोरम	67.9	69.7	73.3	75.3	75.4	78.3
19.	नागालैंड	27.7	30.1	27.3	29.6	27.4	29.5
20.	ओडिशा	57.6	50.2	58.0	53.2	60.7	56.8
21.	पंजाब	55.1	56.2	54.0	56.2	64.8	65.8
22.	राजस्थान	69.2	42.8	69.4	45.4	72.4	50.1
23.	सिक्किम	43.6	45.9	44.8	50.4	44.9	50.3
24.	तमिलनाडु	81.7	84.9	80.6	83.8	81.4	83.3
25.	त्रिपुरा	61.2	59.7	68.8	68.3	73.0	73.3
26.	उत्तर प्रदेश	70.6	56.8	79.4	64.7	75.0	60.4
27.	उत्तराखंड	88.5	85.1	87.3	80.1	89.0	84.8
28.	पश्चिम बंगाल	53.0	45.2	52.8	57.1	58.3	59.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	83.5	87.5	65.1	63.4	84.7	79.7
30.	चण्डीगढ़	70.5	70.3	50.4	40.6	69.3	57.7
31.	दादरा और नगर हवेली	60.7	39.3	60.4	56.6	72.1	69.9
32.	दमन और दीव	81.5	113.3	52.4	65.8	60.7	65.7
33.	दिल्ली	70.5	71.8	82.0	79.7	101.9	98.4
34.	लक्षद्वीप	43.8	58.9	72.3	71.3	71.0	76.1
35.	पुदुचेरी	103.8	104.7	83.9	92.2	98.3	96.5
	भारत	64.2	55.0	66.7	58.4	69.0	60.8

(पी): का आशय अनंतिम से है।

स्रोत: स्कूल शिक्षा और सांख्यिकी।

विवरण IV

उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) में समग्र नामांकन अनुपात

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09(पी)		2009-10(पी)		2010-11 (पी)	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	46.88	40.18	47.47	40.36	50.1	44.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.77	35.95	44.43	41.48	49.1	45.7
3.	असम	13.31	10.25	13.62	12.61	18.2	14.6
4.	बिहार	15.23	9.85	17.38	13.33	24.1	18.0
5.	छत्तीसगढ़	32.20	25.20	32.94	25.52	36.9	30.0
6.	गोवा	43.40	46.28	46.33	50.86	57.2	59.2
7.	गुजरात	38.92	32.08	38.42	32.55	40.0	33.5
8.	हरियाणा	41.20	44.69	59.67	59.84	60.0	59.9
9.	हिमाचल प्रदेश	66.32	59.06	68.58	70.06	78.4	76.9
10.	जम्मू और कश्मीर	30.57	25.96	42.95	40.72	42.9	40.9
11.	झारखंड	7.63	5.86	7.39	5.63	13.3	11.8
12.	कर्नाटक	40.96	42.32	41.63	43.38	41.9	43.6
13.	केरल	9.39	9.85	45.57	55.34	64.1	72.1
14.	मध्य प्रदेश	44.91	30.37	47.23	31.07	54.4	37.5
15.	महाराष्ट्र	53.74	46.10	59.63	50.62	61.3	51.1
16.	मणिपुर	31.08	25.57	36.21	27.00	39.0	32.1
17.	मेघालय	9.04	10.43	10.10	12.45	13.7	17.3
18.	मिजोरम	34.01	32.58	38.39	37.74	41.2	40.2
19.	नागालैंड	18.63	17.20	18.26	16.74	18.3	16.7
20.	ओडिशा	25.32	20.69	25.03	20.44	26.4	21.6
21.	पंजाब	41.42	43.87	41.96	44.56	42.2	42.1
22.	राजस्थान	34.41	19.44	43.08	26.42	49.9	31.3

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	26.59	29.12	27.57	29.56	27.6	29.5
24.	तमिलनाडु	43.19	53.50	44.81	54.69	45.1	55.9
25.	त्रिपुरा	33.14	27.95	28.92	23.26	31.9	25.0
26.	उत्तर प्रदेश	44.94	36.04	36.47	30.90	40.2	30.8
27.	उत्तराखंड	50.97	47.73	57.53	54.13	59.0	57.4
28.	पश्चिम बंगाल	30.67	23.89	30.43	25.04	35.0	31.6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31.77	35.20	43.14	50.34	54.9	61.0
30.	चण्डीगढ़	57.94	58.82	53.33	61.57	62.6	68.5
31.	दादरा और नगर हवेली	45.46	28.94	32.20	28.25	35.2	31.0
32.	दमन और दीव	49.90	70.35	28.94	42.16	32.7	42.0
33.	दिल्ली	51.46	52.43	59.14	58.33	65.1	64.2
34.	लक्षद्वीप	33.73	51.70	79.02	77.97	76.7	85.7
35.	पुदुचेरी	60.97	61.72	51.76	65.68	55.4	65.5
	भारत	37.03	31.19	38.31	33.31	42.2	36.1

(पी): का आशय अनंतिम से है।
स्रोत: स्कूल शिक्षा और सांख्यिकी।

केन्द्रीय विद्यालय

2297. **श्री ए.टी. नाना पाटील:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विशेषकर संवेदनशील, नक्सलवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित तथा कठिन और अति-कठिन श्रेणी में आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन केन्द्रीय विद्यालयों में काम कर रहे ज्यादातर शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) स्थानांतरण/तैनाती नीति में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मानदंडों के अनुसार, 105 केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) का कठिन तथा 26 केवी को अति कठिन स्थान के रूप में वर्गीकरण किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इन के.वी. में तैनात वर्ग-वार शिक्षकों और शिक्षणेतर स्टाफ की कुल संख्या इस प्रकार है:

दिनांक 01.12.2013 की स्थिति के अनुसार कार्यरत शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या				दिनांक 01.12.2013 की स्थिति के अनुसार कार्यरत शिक्षणेतर स्टाफ की कुल संख्या			
अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अना.
537	270	631	1267	144	61	104	197

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों की सूची

क्षेत्रों के नाम	क्र.सं.	दुर्गम क्षेत्र	क्र.सं.	अतिदुर्गम क्षेत्र
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	1	धरंगधारा (सेना)		
	2	एएफएस समाना		
	3	एएफएस नालिया		
	4	एएफएस भुज		
	5	बीएसएफ दंतिवाड़ा		
	6	ओखा बंदरगाह		
	7	भुज छावनी		
	8	दीव		
	9	वलसुरा आईएनएस		
भोपाल	10	झबुआ		
	11	आईटीबीपी कारेरा		
	12	नर्मदानगर		
	13	सरनी		
	14	मुंगाओली		
	15	पंचमढ़ी		
भुवनेश्वर	16	रायगड़ा		
	17	गजापति		
	18	कंधमाल		

1	2	3	4	5
बंगलौर	19	डोनीमलाई		
	20	कुदरेमुख		
चंडीगढ	21	नादौन	1	आईटीबीपी सराहन
	22	नालेती	2	सैंज कुल्लू
			3	रीकोंग पीईओ (एचपी)
	23	कसौली एएफएस	4	लाहौल स्पीति
	24	सुबाथु		
देहरादून	25	उत्तरकाशी		
	26	एनएचपीसी धरचुला		
	27	जोशीमठ		
	28	आईवीआरआई मुक्तेश्वर		
	29	ग्वालडम		
	30	कौसानी		
	31	लैंसडोवने		
	32	आईटीबीपी मीरर्थी		
	33	मंसूरी		
	34	पिथौड़ागढ़		
	35	राजगढ़ी		
	36	सौरखंड		
	37	पौडी		
	38	गौचर		
	39	न्यू टिहरी टाउन		
	40	अलमोड़ा		
	41	अगस्तयामुनि		
	42	लोहाघाट		
दिल्ली	43	चांदीनगर एएफएस		

1	2	3	4	5
	44	हसीमारा	5	डिरांग
	45	कलिम्पोंग	6	तेंगा वैली
	46	तीस्ता, एलडीपी	7	तवांग
	47	बिनागुरी नं. 1		
	48	बिनागुरी नं. 2		
जबलपुर	49	डिंडूरी		
	50	बारूखी		
	51	सीधी		
जयपुर	52	नल बीकानेर		
	53	एएफएस उत्तरालई (बाडमेर)		
	54	जालीपा कैंट		
	55	बीएसएफ डबला		
	56	जैसलमेर एएफएस		
	57	पोखरन बीएसएफ		
जम्मू	58	आर्मी बकलोह	8	नुबरा
	59	डल हस्ती किस्तवाड	9	कारगिल
	60	एनएचपीसी चामेरा	10	लेह
	61	नं. 2 चामेरा	11	तंगधर
	62	बदर्वाह	12	बीएसएफ, बांदीपुर
	63	जिन्दराह		
	64	शिकारपुर		
	65	बीएसएफ राजौरी		
	66	बारामूला		
	67	उड़ी		
	68	एएफएस अवंतीपुर		
	69	पहलगांव		
	70	अनंतनाग		

1	2	3	4	5
	71	नं. 1 श्रीनगर		
	72	नं. 2 श्रीनगर		
	73	नं. 3 श्रीनगर		
	74	गुलमर्ग		
मुंबई	75	करंजा नाद		
	76	लोनावाला		
पटना	77	जवाहर नगर		
	78	मशरख		
	79	शियोहर		
सिलचर			13	चुरचांदपुर
			14	लुंगलेई
			15	तमेंगलांग
			16	उखरिल
आगरा	80	भिंड		
	81	तालबेहट		
एर्नाकुलम			17	कावरती
तिनसुकिया			18	अलोंग
			19	ट्युटिंग
			20	तुली
			21	खोंसा
रांची	82	लातेहर	22	एएफएस सिंघार्षी
	83	गढ़वा		
	84	मेघाहटब्रू		
रायपुर	85	कुतरा		
	86	कोरापुट		
	87	नाद सुनाबेदा		

1	2	3	4	5
	88	बोलांगीर नं. 1 ओएफ		
	89	मलकानगिरि		
	90	नबरंगपुर		
	91	भवानीपटना		
	92	बैंकुंठपुर	23	बैलाडिया (दंतेवाड़ा)
	93	झारखंड एसईसीएल	24	किरनदुल
	94	जमुना कालरी	25	बछेली
	95	जगदलपुर	26	जशपुर
	96	चिरमिरी		
	97	कांकेर		
सिरसा	98	सं. 3 एएफएस भटिंडा		
	99	जलालाबाद बीएसएफ		
	100	बीएसएफ अनुपगढ़		
	101	लालगढ़ जत्तन		
	102	सं. 1 एएफएस सूरतगढ़		
	103	सं. 2 एएफएस सूरतगढ़		
	104	सूरतगढ़ कैंट		
	105	एसटीपीएस सूरतगढ़		

प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रोत्साहनार्थ उपाय

2298. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पीएच.डी. डिग्री पूरी करने के बाद प्रतिभावान विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शिक्षण करने के प्रति प्रेरित नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षण-कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मापदंडों के अनुरक्षण के लिए उपाय) विनियम, 2010 जारी किया है, जिसमें उन अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु अनिवार्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) से छूट की व्यवस्था

है जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मापदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसरण में पीएच.डी डिग्री प्राप्त की है।

इन विनियमों के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रोजगार के लिए अधिकाधिक कुशल और योग्य युवा पुरुष और महिलाओं को आकर्षित करने के सघन प्रयास किए गए हैं। प्रारंभिक पहलों में पर्याप्त रूप से सुधार आया है। इन विनियमों में नए प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्य परिस्थितियों में सुधार की व्यवस्था है। इन विनियमों में अच्छी कार्य करने की परिस्थितियों, रोजगार में उन्नति की संभावनाओं, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को भी शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु को भी 65 वर्ष तक बढ़ा दिया है।

शिक्षा आयोग

2299. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शिक्षा-प्रणाली के सुधार हेतु गठित किए जाने वाले प्रस्तावित शिक्षा आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्तावित आयोग की संरचना और विचारार्थ-विषयों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) जी, हां। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2011 को की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार की सिफारिशों के लिए शिक्षा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। प्रस्तावित आयोग की संरचना और विचारार्थ विषयों को स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

'स्मार्ट' शहर

2300. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में 'स्मार्ट' शहरों के विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शहरी सेवाओं के विस्तार तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के आगामी चरण में स्मार्ट शहरों पर विचार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय सभी शहरों को स्मार्ट प्रौद्योगिकी उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यमान जेएनएनयूआरएम में स्मार्ट शहर घटक की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। फिर भी जेएनएनयूआरएम के विद्यमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत शहरी आधारभूत संरचना एवं शहरी परिवहन प्रबंधन से संबंधित 'स्मार्ट शहर' अवधारणा के निश्चित पहलुओं जैसे कि पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा आंकड़ों का अर्जन (एससीएडीए) एवं सूचनापरक परिवहन प्रणाली (आईटीएस) को लिया जा सकता है। जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत परियोजनाएं मिशन के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर हैं।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12:00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11:04 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12:00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन* हुईं]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब सभा में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार किया जाएगा।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं लंबित विधि आयोग प्रतिवेदनों (दिसम्बर, 2013) के बारे में नौवें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10205/15/13]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10206/15/13]

(ख) (एक) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10207/15/13]

(2) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एवं टेक्नालॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एंड टेक्नालॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10208/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10209/15/13]

(2) (एक) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10210/15/13]

(3) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10211/15/13]

(4) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2012-2013 के वाषिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10212/15/13]

(5) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2012-2013 के की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10213/15/13]

(6) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10214/15/13]

(7) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10215/15/13]

(8) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिण्डा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10216/15/13]

(9) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची, के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10217/15/13]

(10) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (भाग I और II), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10218/15/13]

(11) (एक) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10219/15/13]

(12) (एक) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10220/15/13]

(13) (एक) इंग्लिश एंड फॉरेन लेंग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंग्लिश एंड फॉरेन लेंग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंग्लिश एंड फॉरेन लेंग्वेजेज विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10221/15/13]

(14) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (भाग I और II), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10222/15/13]

(15) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10223/15/13]

(16) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10224/15/13]

(17) (एक) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10225/15/13]

(18) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10226/15/13]

(19) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10227/15/13]

(20) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10228/15/13]

(21) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10229/15/13]

(22) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10230/15/13]

(23) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10231/15/13]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10232/15/13]

(2) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेन्टर (फ्रग्रेन्स एंड फ्लेवर डेवलपमेन्ट सेन्टर), कन्नौज के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेन्टर (फ्रग्रेन्स एंड फ्लेवर डेवलपमेन्ट सेन्टर), कन्नौज के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10233/15/13]

(3) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेन्टर (सेन्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेन्टर (सेन्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10234/15/13]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटेग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटेग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10235/15/13]

(ख) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10236/15/13]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): मैं श्री वी. नारायणसामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10237/15/13]

(2) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10238/15/13]

(3) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10239/15/13]

(4) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10240/15/13]

(5) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेन्टर, उमियाम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेन्टर, उमियाम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10241/15/13]

(6) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10242/15/13]

(7) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10243/15/13]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10244/15/13]

(ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10245/15/13]

(ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10246/15/13]

(घ) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10247/15/13]

(9) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेस, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10248/15/13]

(10) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10249/15/13]

(11) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10250/15/13]

(12) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10251/15/13]

(13) (एक) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10252/15/13]

(14) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10253/15/13]

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10254/15/13]

(16) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10255/15/13]

(17) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) संशोधन विनियम, 2013 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10256/15/13]

(18) परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (1) और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व नियम, 2011 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2911(अ) जो 25 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें प्रत्येक परमाणुवीय प्रतिष्ठान के ऑपरेटर द्वारा उसके प्रतिष्ठापन में या परमाणुवीय सामग्री के परिवहन के दौरान, उसमें उल्लिखित प्रत्येक परमाणुवीय घटनाक्रम की सूचना प्रपत्र 'क' में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक और फैक्स दोनों माध्यम से घटना के 24 घंटों के भीतर दिए जाने संबंधी आदेश शामिल हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10257/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10258/15/13]

(2) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10259/15/13]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10260/15/13]

(4) (एक) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10261/15/13]

(5) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10262/15/13]

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10263/15/13]

(9) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10264/15/13]

(11) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10265/15/13]

(13) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस), गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस), गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10266/15/13]

(14) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10267/15/13]

(16) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10268/15/13]

(17) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अथॉरिटी) अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अथॉरिटी) अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10269/15/13]

(19) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10270/15/13]

(21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूटी मिशन अथॉरिटी) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूटी मिशन अथॉरिटी) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10271/15/13]

(23) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस) सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस) सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10272/15/13]

(25) (एक) ओडिशा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10273/15/13]

(27) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10274/15/13]

(29) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10275/15/13]

(31) डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10276/15/13]

(32) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10277/15/13]

(33) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10278/15/13]

(34) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10279/15/13]

(35) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10280/15/13]

(36) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10281/15/13]

(37) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10282/15/13]

(38) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10283/15/13]

(39) (एक) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10284/15/13]

(40) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10285/15/13]

(41) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10286/15/13]

(42) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10287/15/13]

(43) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10288/15/13]

(45) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10289/15/13]

(47) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10290/15/13]

(49) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू-कश्मीर, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10291/15/13]

(51) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10292/15/13]

(53) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10293/15/13]

(55) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10294/15/13]

(56) (एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10295/15/13]

(57) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10296/15/13]

(58) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10297/15/13]

(59) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10298/15/13]

(60) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10299/15/13]

(61) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I और II), दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10300/15/13]

(62) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10301/15/13]

(63) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10302/15/13]

(64) (एक) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10303/15/13]

(65) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10304/15/13]

(66) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10305/15/13]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10306/15/13]

(2) (एक) रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10307/15/13]

(3) नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 41 की उप धारा (2) के अंतर्गत नालन्दा विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2013 जो 22 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.आ. 3454(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10308/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10309/15/13]

(2)(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10310/15/13]

(3) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एंड मेन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10311/15/13]

(4) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10312/15/13]

(5) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10313/15/13]

(6) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10314/15/13]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10315/15/13]

(8) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10316/15/13]

(9) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10317/15/13]

(10) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10318/15/13]

(11) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मंडी, मंडी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10319/15/13]

(12) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10320/15/13]

(13) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10321/15/13]

(14) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10322/15/13]

(15) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10323/15/13]

(16) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10324/15/13]

(17) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10325/15/13]

(18) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10326/15/13]

(19) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10327/15/13]

(20) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10328/15/13]

(21) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10329/15/13]

(22) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10330/15/13]

(23) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10331/15/13]

(24) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10332/15/13]

(25) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10333/15/13]

(26) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10334/15/13]

(27) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10335/15/13]

(28) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10336/15/13]

(29) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दन रीजन), कानपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदनं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दन रीजन), कानपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10337/15/13]

(30) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दन यूनिवर्सिटी रीजन), मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दन रीजन), मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10338/15/13]

(31) (एक) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10339/15/13]

(32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10340/15/13]

(34) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानक अनुरक्षण हेतु उपाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 1-2/2009 (ईसी/पीएस) V(i) खंड II में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10341/15/13]

(35) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एंड मेन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10342/15/13]

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10343/15/13]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10344/15/13]

(ख) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10345/15/13]

(2) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10346/15/13]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2013 जो 4 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3022(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 3023(अ) जो 4 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 का कार्यान्वयन किया गया है।

(तीन) का.आ. 2033(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के परीक्षणाधीन गुड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 के लागू होने की तारीख बढ़ाए जाने के बारे में है।

(चार) इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता) संशोधन आदेश, 2013 जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2034(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) का.आ. 822(अ) जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इलेक्ट्रानिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 के लागू होने की तारीख बढ़ाए जाने के बारे में है।

(छह) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताएं) आदेश, 2012 जो 3 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2357(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10347/15/13]

(4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-4/2013-एनएसएल-II में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-27/2013-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-20/2009-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सेवा गुणवत्तामानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 23/1/2012-बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10348/15/13]

(6) (एक) सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10349/15/13]

(7) (एक) अरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10350/15/13]

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10351/15/13]

(9) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10352/15/13]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) "विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनी और ग्रामीण आबादी के लिए भवन विनियम 2010" जो 17 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ 97(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 954(अ) जो गैर अनुरूप क्षेत्रों/अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक जमावड़ा के कलस्टर

के पुनर्विकास हेतु विनियम के बारे में है तथा जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ. 683(अ) जो विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु विनियम और मार्गनिर्देश के बारे में है तथा जो 1 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का.आ. 6622(अ) जो दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितिकरण हेतु विनियम के बारे में है तथा जो 30 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) (भोजकक्ष की अनुमति) विनियम, 2010 जो 21 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का आ. 2272(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) का.आ. 1441(अ) जो एमपीडी-2021 (औद्योगिक प्लॉट के अतिरिक्त एफएआर हेतु दरों की कटौती) के फलस्वरूप उपयोग, संपरिवर्तन मिश्रित भूमि उपयोग एवं बढ़े हुए एफएआर के लिए अन्य प्रभार हेतु लागू होने वाली दरों को नियत किए जाने के बारे में है तथा जो 24 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(सात) का.आ. 202(अ) जो एमपीडी-2021 के फलस्वरूप उपयोग, संपरिवर्तन मिश्रित भूमि उपयोग एवं होटलों समेत बढ़े हुए एफएआर के लिए अन्य प्रभार हेतु लागू होने वाली दरों को नियत किए जाने के बारे में है तथा जो 1 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) का.आ. 1297(अ) जो दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु विनियमन के बारे में है तथा जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) का.आ. 1606(अ) जो शैक्षणिक संस्थाओं/न्यास/स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य समाज कल्याण सोसायटियां आदि जिन्हें आयकर से छूट दी गई है, को अतिरिक्त एफएआर प्रभार से छूट दिए जाने के बारे में है तथा जो 18 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दस) का.आ. 1542(अ) जो विभिन्न बाजारों (सरोजिनी नगर मार्केट, खान मार्केट और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आदि) की ऊपरि आवासीय तलों पर संपरिवर्तन प्रभार को नियत किए जाने के बारे में है तथा जो 11 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) का.आ. 2822(अ) जो दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण हेतु विनियमन के बारे में है तथा जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) का.आ. 2922(अ) जिसके द्वारा मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु बनाए गए विनियम और मार्ग-निर्देशों में कतिपय संशोधन/आशोधन किए गए हैं तथा जो 27 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) से (दस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10353/15/13]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10354/15/13]

(ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10355/15/13]

(ग) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10356/15/13]

(घ) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10357/15/13]

(4) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10358/15/13]

(5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10359/15/13]

(6) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10360/15/13]

(7) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत सहायकों की विनियमन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2013 (संशोधित) जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 644(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10361/15/13]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 19 नवंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 10362/15/13]

अपराहन 12:04 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरूम्बुदूर): मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): सभा पटल पर रखता हूं:

(1) 'गत पांच वर्षो के दौरान हुई बड़ी रेल दुर्घटनाएं-कारण और उपचारात्मक कदम' विषयक 21वां प्रतिवेदन।

(2) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2013-2014 के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सथा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12:04½

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

40वें से 43वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 40वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 41वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन से संबंधित समिति का 42वां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) से संबंधित 'कीटनाशकों का उत्पादन और उपलब्धता' विषयक की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में समिति का 43वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे: मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों का उत्पादन इसकी मांग और उपलब्धता तथा इसका वितरण' विषय पर 28वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबधित 'राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण' विषय पर 39वें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही विवरण।

अपराह्न 12:04¾

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

246वें से 252वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदया, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 239वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 246वां प्रतिवेदन।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विभान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 247वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 248वां प्रतिवेदन।

(4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 249वां प्रतिवेदन।

(5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 250वां प्रतिवेदन।

(6) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग (विभाग और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 251वां प्रतिवेदन।

(7) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 252वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12:05 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

78वां और 79वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(2) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013 के बारे में 79वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदास सीलम): मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम की ओर से आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग संबंधी अनुदानों की मांगों (2013-2014) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 67वां प्रतिवेदन 22 अप्रैल, 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। 67वां प्रतिवेदन अनुदानों की मांगों (2013-14) की जांच से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में, समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और चौदह (14) सिफारिशें की हैं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यतः मांग सं. 32 के विश्लेषण, निधियों के क्षेत्रक आवंटन, नई स्कीमों हेतु निधियों के आवंटन, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, स्वावलंबन स्कीम, कृषि, ऋषि छूट और ऋण राहत स्कीम, 2008, बैंक-रहित ब्लॉकों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए), विनिवेश लाभ के उपयोग आदि से जुड़े मामलों से संबंधित हैं।

इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण दिनांक 25 जुलाई, 2013 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। समिति द्वारा 67वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषयवस्तु पढ़कर सुनाने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-10363/15/13

अपराह्न 12.05¾ बजे

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 239वें और 244वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं माननीय अध्यक्षा लोक सभा के निदेश पर और लोक सभा बुलेटिन भाग-II, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 में अंतर्विष्ट लोक सभा कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 239वें और 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट सुविधाओं संबंधी समिति के 229वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही टिप्पणी पर 239वें प्रतिवेदन में केवल एक ही अतिरिक्त सिफारिश/अभ्युक्ति शामिल है। यह सिफारिश/अभ्युक्ति

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-10364/15/13

निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग से संबंधित है, जिसका अनुपालन एमएसएमई को ब्याज दरों में रियायत प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

244वें प्रतिवेदन में 45 सिफारिशें/अभ्युक्तियां शामिल हैं। ये सिफारिशें/अभ्युक्तियां मोटे तौर पर ज्ञापन दायर करने के लिए पंजीकरण को सरल बनाने, प्रधानमंत्री कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, सीजीटीएमएसई के तहत दावों के निपटान, क्रेडिट की उच्चतम सीमा को बढ़ाने, सिडबी की पुनर्वित्तपोषण क्षमता को बढ़ाने, एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई को प्रदन किए जा रहे विपणन समर्थन के लिए प्रणाली में सुधार लाने, 15 टूल रूमों की स्थापना, एमजीआईआरआई के ऋण संबंधी मुद्दों के समाधान, खादी क्षेत्र में हितधारकों के विचारों को शामिल करना, पुनरूज्जीवन योग्य रूग्ण पीएमजीईजीपी इकाइयों के लिए उप-योजना और कॅयर क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन हेतु इष्टतम संभावनाओं के उपयोग से संबंधित हैं।

मेरे मंत्रालय ने उपर्युक्त रिपोर्ट में निहित इन सिफारिशों/अभ्युक्तियों के संबंध में आवश्यकता कार्रवाई की है। की-गई-कार्रवाई टिप्पण, जिसमें 239वें और 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों में से प्रत्येक पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, समिति सचिवालय को क्रमशः 24.5.2013 और 20.9.2013 को भेज दिया गया है।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा इस वक्तव्य के अनुबंध I और II में दिया गया है जो सभा पटल पर प्रस्तुत है। मैं इस अनुबंध की विषयवस्तु को पढ़ने के लिए सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 20-श्री राजीव शुक्ला। उन्हें अनुमति दी गयी है।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-10365/15/13

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): महोदया मैं अपने सहयोगी श्री वी. नारायणसामी की ओर से दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा समाचार भाग-II (सं. 456) द्वारा लोक सभा में कार्य प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 389 के उपबंधों के अन्तर्गत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश 73क के अनुसरण में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगें 2013-2014 पर विज्ञान तथा औद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय स्थायी समिति ने 16 अप्रैल, 2013 को अुनदानों की मांगों, 2013-2014 पर विचार करते हुए अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये थे। समिति ने 8 मई, 2013 को राज्य सभा में प्रस्तुत तथा 8 मई, 2013 को लोक सभा के पटल पर रखे अपने 242वें प्रतिवेदन में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों की सिफारिश की।

स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में अठारह (18) सिफारिशें कीं। सिफारिशों में सुझाये गए कार्यों पर अन्तरिक्ष विभाग द्वारा जुलाई 2013 के दौरान की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जो स्थायी समिति के विचाराधीन है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों और इन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.06¼ बजे

(चार) (क) सूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73 (क) के अनुसरण में, दूरसंचार विभाग में संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर कार्यान्वयन स्थिति को दर्शाने वाला विवरण सभा का बहुमूल्य समय लिए बगैर सभा-पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-10366/15/13

अपराह्न 12.06½ बजे

(ख) इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): महोदया, राज्य परिषद में कार्य संचालन के नियमों तथा कार्यविधि के नियम 266 के तहत माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा जारी तथा दिनांक 28.09.2004 के राज्य सभा समाचार भाग-2 के जरिए जारी निर्देश के अनुसरण में, इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य रख रहा हूं।

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों की जांच की तथा प्रतिवेदन 30.04.3013 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया, इस प्रतिवेदन में 24 सिफारिशें/टिप्पणियां की गई हैं।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (अनुबंध) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी संसदीय समिति की सभी 24 सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए सभी संभावित कदम उठाए हैं

मैं सभा का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करते हुए विस्तृत अनुवर्ती-कार्रवाई-प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

अपराह्न 12.07 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण पूर्व प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत रूप से पर्ची सभा पर रख सकते हैं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-10367/15/13

**सभा पटल पर रखे माने गए।

(क) आंग्ल भारतीय समुदाय की शिकायतों का निराकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्दिष्ट): आंग्ल भारतीय समुदाय जो देश में एक मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक है आर्थिक और शैक्षणिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वे अपनी पहचान बनाए रखने और अपनी अनूठी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में संकट का सामना कर रहे हैं। इस सभा में कई अवसरों पर इस मामले को उठाकर सरकार का ध्यान आंग्ल भारतीय समुदाय की दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया गया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश में आंग्ल भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर अध्ययन किए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एक नोडल अधिकारी को आंग्ल भारतीयों से संबंधित मामलों का ध्यान रखने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन आंग्ल भारतीयों की शिकायतों के निपटारा के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इस समुदाय को आवास, शिक्षा के मामले में और सांस्कृतिक और सामुदायिक केन्द्रों तथा दक्षता विकास हेतु संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार से सहायता की आवश्यकता है। मैं सरकार से इस मामले में अविलंब ध्यान देने तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के शिकायतों के निपटारा हेतु उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(दो) प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस (इडुक्की): मैं सरकार का ध्यान प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में आई गिरावट के कारण केरल में रबड़ किसानों के संघर्ष की ओर शीघ्र आकृष्ट करना चाहता हूँ। अधिकांश रबड़ उत्पादक छोटे और सीमांत किसान हैं जो अपने जीवनयापन के लिए इस फसल पर पूरी तरह निर्भर हैं। ये किसान इस वर्ष फसल नुकसान के कारण पहले से ही मुश्किल में हैं और अब मूल्य में गिरावट ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। मूल्य गिरावट का मुख्य कारण प्राकृतिक रबड़ का आयात है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे रबड़ किसानों की रक्षा के लिए प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क में वृद्धि करें।

(तीन) देश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए सरकारी खरीद केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के कई राज्यों में खरीफ की फसल तैयार हो चुकी है। खरीफ के अंतर्गत धान

खेतों से कटाई करके खलिहान तक आ चुका है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित मात्रा में धान क्रय केन्द्रों की स्थापना न होने के कारण किसानों के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है। किसानों के पास भंडारण क्षमता न होने के कारण समर्थन मूल्य मोटे धान का 1310 रुपये एवं महीन धान का 1345 रुपये पर किसान 900 से 950 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। क्रय केन्द्रों के न खुलने से किसान अपनी छ: महीने की गाढ़ी कमाई को 350 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भारी नुकसान उठाकर मजबूर हो कर बिचौलियों के हाथों बेच रहा है। अत: इस गंभीर समस्या एवं किसानों के हित को देखते हुए तुरंत कार्यवाही की मांग करता हूं।

(चार) यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने और दिल्ली में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति इतनी बदत्तर है, जिसकी वतह से अनेकों बार वजीराबाद और चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ता है और परिणामस्वरूप दिल्ली को पानी का संकट झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, चूंकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य के पानीपत में स्थित फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट यमुना में मिलता है। यह वेस्ट ड्रेन 2 में आता है तथा यह ड्रेन सीधे यमुना में गिरता है। ड्रेन 6 घरेलू कचरा लेकर आती है और यह नजफगढ ड्रेन में जाकर मिलता है। इस प्रकार केमिकल कचरे यमुना में अमोनिया और क्लोराइड की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी के ट्रीटमेंट में अधिक समय लगता है। यदि तय सीमा से अधिक अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए इतने अधिक क्लोरीन की आवश्यकता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक खतरनाक है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना को प्रदूषण रहित बनाए जाने और दिल्ली निवासियों की पानी की समस्या के निदान हेतु एक कारगर योजना बनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वित किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें।

(पांच) तमिलनाडु में पलानी और तिरुचेन्दुर के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): पलानी से तिरूचेन्दुर तक नई यात्री रेलगाड़ी सेवा की चिर प्रतीक्षित मांग जिसकी गत रेलवे बजट में पूरी की गई थी, अभी तक शुरू नहीं की गई है। रेलवे की समय-सारिणी में यात्री रेलगाड़ी के आगमन प्रस्थान समय के बारे में भी मुद्रण कर दिया गया है। चूंकि यह दो पवित्र स्थानों के बीच दिन में चलने वाली सेवा है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय तबके के यात्री लाभान्वित होंगे। पलानी तिरुचेन्दुर रेल मार्ग में भगवान कार्तिक के दो पवित्र स्थान हैं। इसके अतिरिक्त इस रेल मार्ग पर भगवान कार्तिक के दो और पवित्र स्थान मदुरै के पलामूथिरसोली और तिरूप्पारन कुनरम भी शामिल हैं।

इस प्रकार यह एकमात्र रेलमार्ग है जो भगवान कार्तिक के 6 पवित्र स्थानों में से 4 स्थानों को जोड़ता है तथा जिसे श्रद्धालुओं द्वारा बेहद स्वागत किया जाएगा।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस वर्ष के अंत तक पलानी से तिरुचेन्दुर तक यात्री सेवा शुरू करें।

(छह) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए निधियां दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 17.01.2011, 17.05.2011 तथा 21.06.2011 को माननीय प्रधानमंत्री जी से सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत मिलने वाली पात्र केन्द्रीय सहायता डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार देने के बारे में लिखा था।

इस मामले में आयोजन पंच द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स ने सन् 2008 में सिफारिश की थी कि डेजर्ट डेवलपमेंट विस्तार के समान की केन्द्रीय सहायता रखकर इस विसंगति को दूर करें जबकि पंजाब तथा कर्नाटक को वर्ष 2010 में उपरोक्त 90 प्रतिशत सहायता प्रदान की गई है। पत्राचार के तहत केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने भी गुजरात की दरखास्त को स्वीकार किया है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त सहायता गुजरात राज्य को बिना विलंब आवंटित करके उचित न्याय दिलाएं।

(सात) गुजरात के हिम्मतनगर में केन्द्रीय विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने और साबरकांठा जिले में नए शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने तथा राज्य के अरावली जिले के मोडासा में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज भी हमारे क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाएं

पर्याप्त रूप से न मिलने के कारण बेरोजगारी व अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं।

हमारे संसदीय क्षेत्र में हिम्मतनगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय सीबीएसई कोर्स वाला एक से 12वीं कक्षा तक विज्ञान संकाय वाला स्कूल है, जिसमें 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, परन्तु साइंस स्ट्रीम के महत्व के जरूरी शिक्षकों की कमी है। जैसे कि पीजीटी (गणित), पीजीटी (बायोलॉजी), पीजीटी (फिजिक्स), यूडीसी, एलडीसी क्लर्क और सब स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। काफी समय से उपरोक्त विषयों के शिक्षक नहीं होने से शिक्षा प्रभावित हो रही है। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरे स्कूल के छात्रों से पिछड़ने के कारण इनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इस केन्द्रीय विद्यालय का हमारे क्षेत्र के बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पहले केन्द्रीय सरकार तथा बाद में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे क्षेत्र में दूसरा कोई भी सीबीएसई कोर्स वाला विद्यालय न होने से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हिम्मतनगर के इस केन्द्रीय विद्यालय में सैकिन्ड सेशन की मंजूरी दी जाए तथा पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की भर्ती की जाए ताकि शिक्षा प्रभावित न हो। दूसरा हमारे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा का दो जिलों में विभाजन हो गया है। साबरकांठा तथा अरावली दोनों जिले वैधानिक रूप से अलग हो गए हैं। अब अरावली जिले में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इसलिए मोडासा शहर में, जोकि जिला मुख्यालय है, वहां पर नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। साबरकांठा जिले में नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडर्न स्कूल नहीं है। अत: वहां पर नवोदय विद्यालय तथा मॉडर्न स्कूल की स्थापना की जाए तथा लड़कियों के लिए कस्तूरबा विद्यालय की सुविधा दी जाए ताकि हमारे पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

(आठ) बिहार के सीतामढ़ी जिले में मनुष्यमारा (पुरानीधार) नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरे संसदीय क्षेत्र के सीतामढ़ी जिला में अवस्थित रीगा चीनी मिल की डिस्टीलियरी इकाई द्वारा जहरीला एवं प्रदूषित काला पानी मनुष्यमारा नदी (पुरानीधार) में छोड़ा जा रहा है जिससे रीगा प्रखण्ड के उफरौलिया गांव से परसौनी एवं बेलसंड प्रखण्ड के गांवों से होते हुए मुजफ्फरपुर तक सैंकड़ों गांवों के लाखों लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। वर्षों से प्रदूषित इस जल के प्रयोग से, मच्छरों एवं मक्खियों से हजारों मनुष्य एवं मवेशी विभिन्न रोग से प्रभावित हैं। इसके पानी से किसानों की फसल खराब हो रही है तथा हजारों एकड़ भूमि की उर्वरता दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब इलाके की सारी कृषि योग्य भूमि बंजर हो जाएगी। यह पूरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन है। कभी मीठे पानी के नाम से विख्यात प्रकृति प्रदत्त स्वच्छ इस मनुष्यमारा नदी के पानी का उपयोग मानव एवं पशु नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टीलियरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कभी भी प्रयोग प्रदूषण मुक्त पानी निर्गत करने के लिए नहीं किया जाता।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वर्षों से जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों की मांग के साथ-साथ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आम लोगों के उपयोग के लिए मनुष्यमारा नदी (पुरानीधार) के पानी को प्रदूषण मुक्त कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए जिससे कि जान-माल की रक्षा हो सके। मैंने पूर्व में भी सरकार का ध्यान इस गंभीर संकट पर आकृष्ट किया था, किन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए स्थिति की भयावहता को देखते हुए जनहित में एक टीम गठित कर जांच कराकर कारगर कदम उठाए जाएं।

(नौ) दिल्ली के द्वारका, सेक्टर-21 में चलने वाली मेट्रो का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किए जाने और उत्तर प्रदेश में शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की द्वारका सेक्टर-21 से वैशाली/नोएडा लाइन पर प्रतिदिन होने वाली तकनीकी खराबी से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। द्वारका, सेक्टर-21 से पहले मेट्रो 4-5 मिनट के अंतराल में चलती थी वह अब 12-15 मिनट के अन्तर से चलाई जा रही है जिस कारण द्वारका, सेक्टर-21 से द्वारका स्टेशन पहुंचने में 15-16 मिनट का समय लगता था वहीं अब 35 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। पहले द्वारका स्टेशन से एक मेट्रो के बाद सेक्टर-21 से आने व जाने वाली एक मेट्रो चल रही थी परन्तु आज द्वारका से 4 व 5 मेट्रो चलाने के बाद सेक्टर-21 की मेट्रो चलाई जा रही है जिससे द्वारका स्टेशन के दोनों ओर मेट्रो गाड़ियां रूकी रहती है। द्वारका स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 3 का उपयोग नोएडा/वैशाली से आने और वहीं से वापस जाने वाली मेट्रो के लिए नहीं किए जाने से मेट्रो लेट होती है जिससे द्वारका के यात्रियों की ट्रेन व फलाइटें छूट जाती हैं। जब से एयरपोर्ट मेट्रो डीएमआरसी के अधीन आई है तब से यह दिक्कतें द्वारका, सेक्टर-14 से 21 तक के यात्रियों को सुबह व सायं ज्यादा हो रही हैं। सुबह व सायं व्यस्त समय पर जनकपुरी व कीर्तिनगर स्टेशनो की लाइन तीन से मेट्रो का परिचालन वैशाली/नोएडा तक आने व जाने के लिए मेट्रो का परिचालन करने से मेट्रो यात्रियों की भीड़ को कम किया जा सकता है तथा द्वारका लाइन में कम दूरी की मेट्रो के चलाये जाने से मेट्रो की इस लाइन में आये दिन तकनीकी खराबी होने से बचा जा सकता है।

अत: मेरी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से मांग है कि वह दिल्ली मेट्रो के परिचालन में सुधार करके जिससे द्वारका

सेक्टर 14 से 21 तक के यात्रियों को हो रही दिक्कतों को दूर किया जाए तथा द्वारका स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 3 का उपयोग द्वारका तक आने व जाने वाली गाड़ियों के लिए किया जाये जिससे सेक्टर-21 की आने व जाने वाली मेट्रो बगैर रूके चल सके। साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर शहरों में मेट्रो चलाये जाने की व्यवस्था शीघ्र की जाये।

(दस) उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत माजरों के विद्युतीकरण का अनुमोदन प्रदान किए जाने और उक्त योजना के अंतर्गत गांवों में और विशेषकर देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार ने लागू की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी माजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी उस समय केन्द्र सरकार ने कहा कि सभी प्रदेशों में सभी गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाये तो माजरों के विद्युतीकरण किये जाने को स्वीकृति दी जाएगी। केन्द्र सरकार ने कई प्रदेशों में माजरों के विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे दी है परंतु उत्तर प्रदेश को अभी तक यह मंजूरी नहीं दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वर्ष 2009 में 1,37,060 माजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया परन्तु केन्द्र सरकार ने अपने नेताओं के संसदीय क्षेत्र रायबरेली एवं सुल्तानपुर के अलावा किसी और जनपद की स्वीकृति नहीं दी है इन सबके कारण अनुसूचित जाति के कई हजार गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ट्रांसफार्मर बन गये हैं, परंतु उन पर से कनैक्शन नहीं दिये गये हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के लार इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है जहां पर दलित बस्तियां हैं जिनकी वजह से यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर खम्बे लग गये हैं परंतु उन पर तार नहीं बिछाये गये हैं।

सरकार से अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समुचित ढंग से एवं समय पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किये जाएं।

(ग्यारह) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के रखरखाव के लिए निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहती हूं कि वर्ष 2005 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में आ गया। इस वर्ष के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 सड़क के रखरखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 58 किलोमीटर के रखरखाव हेतु केवल 1.10 करोड़ रुपये स्वीकृत कर रहा है जो बिल्कुल अपर्याप्त है उपेक्षा के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 47 जनता की यात्रा हेतु असुरक्षित हो गया है। यद्यपि मेरे निर्वाचन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र और धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दी गई है लेकिन संपर्क सड़क यात्रा के लिए असुरक्षित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 एक व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की जर्जर स्थिति के कारण प्रतिदिन 4-5 दुर्घटनाएं हो रही हैं यहा तक कि गंतव्य स्थल तक समय पर पहुंचने के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई उप-मार्ग नहीं है।

करालकिनास और कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए लोगों के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 से होकर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वहां पहुंचने में लगभग 3-4 घंटे लगते है। जब भी पूछताछ की गयी है तो यही उत्तर दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के रखरखाव हेतु वार्षिक आधार पर पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।

हाल ही में जब मैंने इस संबंध में पूछताछ की, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के रखरखाव हेतु उन्होंने 20 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है। जिसे अकारण लंबित रखा जा रहा है।

इसलिए मैं सरकार से शीघ्र ही धनराशि जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता

श्री बैजयंत जे. पांडा (केन्द्रपाड़ा): मैं सरकार का ध्यान स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मौजूदा रूप में स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम और इसके नियम मरीजों को अत्यधिक दर्द की अवस्था में भी मॉर्फीन जैसी अनिवार्य स्वापक औषधि दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। इसके लिए लाइसेंस लेने की मौजूदा प्रणाली में भी बहुत समय लगता है। और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए अस्पताल इनका स्टॉक रखने से बचते हैं।

ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे अधिकांश राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध है और इसके लिए अस्पतालों को उत्पाद शुल्क, औषध नियंत्रण, स्वास्थ्य इत्यादि विभिन्न विभागों से लाइसेंस लेना पड़ता

है। ये लाइसेन्स बहुत छोटी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और जब तक उन्हें खरीदने की प्रक्रिया पूरी होती है तब तक इनका परमिट भी समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है।

इसीलिए दवाइयां बहुत कम मात्रा में खरीदी जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद रोगी उन्हें तेजी से दर्द से मुक्ति दिलाने वाली दवाओं से वंचित रह जाते हैं।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक का लक्ष्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान विनियमों का निर्माण करना और स्वायक औषधियों की खरीद के लिए एक ही स्थान से लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रणाली का विकास करना तथा इसके द्वारा देश भर में दर्द निवारक औषधियों की उपलब्धता में सुधार लाना है। इस विधेयक को शीघ्र पारित करने से कैंसर और एड्स जैसे रोगों से पीड़ित लाखों लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को लाने में जो मंशा है, उसका समर्थन करे और यह सुनिश्चित करे कि यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाए।

(तेरह) राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के मसौदे में किसानों के स्वामित्व वाली सिंचित और गैर-सिंचित भूमि पर भूमि की प्रस्तावित अधिकतम सीमा के प्रावधान को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्कुलर के माध्यम से राज्य सरकारों से राय मांगी गई है कि देश में 15 एकड़ वाली असिंचित भूमि एवं 10 एकड़ सिंचित भूमि से ज्यादा एक पविार के पास है तो सरकार द्वारा सीलिंग एक्ट के अंतर्गत उस जमीन का अधिग्रहण किया जाए जिसके कारण किसानों में बेचैनी एवं चिंता है। देश का किसान अपना निवेश भूमि पर ज्यादा करता है जिससे कि उनके बच्चों को अधिक से अधिक भूमि प्राप्त हो सके अगर एक किसान के पास दस एकड़ भूमि है तो अपने दो बेटों को पांच एकड़ भूमि दे पाएगा। इससे किसान और भूमि को खरीदता है जिससे अपने दो बेटों को दस दस एकड़ जमीन दे सके। सरकार के इस कानून से किसानों में आक्रोश है। सरकार का यह प्रयास देश के विकास एवं निवेश भावना के अनुकूल नहीं है। क्या इस प्रस्तावित कानून को सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर लागू करेगी जिनके पास कई सौ एकड़ भूमि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रस्तावित कानून में लोग अपनी फालतू जमीन को बेचने में लग गये हैं। जिसके कारण जिले के रजिस्ट्रार में अनियमितताएं भी फैल रही हैं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कानून के संबंध में राज्य सरकार से जो राय मांगी गई है उसको बंद किया जाये जिससे किसानों में व्याप्त हताशा को रोका जा सके।

(चौदह) प्याज के मूल्यों में गिरावट के कारण प्याज की खेती करने वाले किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): आज फिर एक बार देश का प्याज उत्पादक किसान गंभीर संकट से गुजरने को मजबूर हो गया है। एक ओर जहां किसान को प्याज उगाने में 1000/- रुपये कुंतल से भी ज्यादा खर्च आ रहा है, वहीं तीन महीने पहले 4 हजार रुपये कुंतल बेचे गये प्याज से पूरे देश में हड़कंप मच गया था एवं प्याज 100 रुपये प्रति किलो तक बिका। वही प्याज आज एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव जिला नाशिक (महाराष्ट्र) में 500 रुपये कुंतल से 1700 रुपये तक बिक रहा है। आज नाशिक जिले की सभी मंडियों में हर दिन कम से कम 1 लाख 50 हजार कुंतल खरीद प्याज बिक्री के लिए आ रहा है। नाशिक का किसान और एक बार आंदोलन के कगार पर खड़ा है। उन्होंने सोमवार दिनांक 16.12.2013 को एक दिन प्याज न बेचने का ऐलान किया है, इस वर्ष प्याज के लागत क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। पूरे महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों में विशेषकर नाशिक में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्याज की 1150 डॉलर तक बढ़ाई हुई एमईपी जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात पाबंदी जैसी है, को तुरंत हटाकर शून्य पर लाने की जरूरत है। इससे प्याज के गिरते हुए दामों में सुधार आ सकता है। दूसरी ओर, अगर प्याज के दाम दो हजार रुपये के उपर स्थित हो सके तो एमईपी के ऊपर सरकार तुरंत विचार करे। अगर ऐसा निर्णय तुरंत नहीं लिया तो किसानों की हालत बिगड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हमारे हाथ से चला जायेगा।

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(एक) अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे नियम 198 के तहत श्री सब्बम हरि और अन्य सदस्यों तथा कोनाकल्ला नारायण राव और अन्य सदस्यों की ओर से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की तीन सूचनाएं मिली हैं।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.08$^1/_4$ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, मैं 50 सदस्यों के नाम नहीं गिन सकूंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुझे 50 सदस्यों के नाम गिनने हैं। अत: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मुझे 50 सदस्यों के नामों की गिनती करनी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: चूंकि, सभा में व्यवस्था नहीं है, अत: मैं नोटिसों पर चर्चा आरंभ नहीं कर सकती।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08$^3/_4$ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री पोन्नम प्रभाकर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया: चूंकि सभा में व्यवस्था नहीं है, अत: मैं अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाओं को नहीं ले पाऊंगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको मालूम है कि लोक सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011 राज्य सभा ने संशोधनों समेत लौटा दिया है। राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर लोक सभा को विचार करना है। संशोधनों पर विचार को आज की अनुपूरक कार्यसूची में मद स. 22-क में शामिल किया गया है।

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए, मैं निदेश 2 के तहत निर्देश देती हूं कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा के समक्ष लाई जाने वाली अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचनाओं से पहले विचार किया जाये।

[अनुवाद]

अब मद संख्या 22क–माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): लोकपाल बिल क्या ऐसे ही पास हो जाएगा। अध्यक्षा जी, बिल खतरनाक है, हमें इस पर बोलने का मौका देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रो. सौगत राय का व्यवस्था का प्रश्न है। नियम क्या है? कृपया नियम का उल्लेख करें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, कृपया नियम 98 तथा 99 का सन्दर्भ लें।

नियम 98 धन विधेयकों के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक सभा को संशोधन सहित लौटाया जाए, तो वह प्राप्त होने पर पटल पर रखा जाएगा।

नियम 99—संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद, सरकारी विधेयक की अवस्था मे कोई भी मंत्री या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना या अध्यक्ष की सहमति से बिना सूचना दिए यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

अब, यह प्रस्ताव जिसे माननीय विधि मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं, इस विधेयक को यथासंशोधित रूप में सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इसे आज सुबह ही परिचालित किया गया था। इसे औपचारिक रूप से सभा पटल पर नहीं रखा गया है। आपको इसे पहले सभा पटल पर रखना चाहिए। दूसरे, किसी विधेयक को परिषद द्वारा सभा को भेजने से पहले दो दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। दो दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया। हमें आज सुबह ही यह विधेयक मिला।

क्या अध्यक्ष की अनुमति से, मंत्री जी विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं? परन्तु इस मामले में, आदेश पत्र में आपकी अनुमति का जिक्र कहां पर है? यदि आपने अनुमति नहीं दी है, तो नियम 388 के तहत किसी को इस नियम को समाप्त करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। कुछ भी नहीं किया गया है। हम लोकपाल विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं परन्तु महोदया, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभा के नियमों और प्रक्रियाओं का उचित रूप से पालन किया जाए और उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह दो दिन पूर्व सूचना देने की परम्परा क्यों छोड़ दी गई? क्या आपने विधेयक को आज सभा पटल पर रखने की अनुमति दी है? विधेयक को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया? जब श्रीमान सिब्बल जी पत्रों को सभा पटल पर रख रहे थे, तो उन्होंने राज्य सभा द्वारा यथापारित संशोधनों के साथ संशोधित विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा?

महोदया, मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं क्योंकि यदि हम उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत उदाहरण होगा। श्रीमान सिब्बल जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने से पहले भविष्य के लिए आज यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए।

अपराह्न 12.14 बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी और श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी अपने-अपने स्थान पर चले गए।

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मैं सहमत हूं कि परम्परा के अनुसार, लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों के साथ लौटाए जाने के उपरान्त विधेयक को लोक सभा में सभा पटल पर रखे जाने के बाद संशोधनों साहित सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

माननीय सदस्य इस बात का समर्थन करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के महत्वपूर्ण विधान होने के कारण कल हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह राय बनी थी कि लोक सभा आज राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैंने अपनी अनुमति दे दी है और नोटिस की दो दिन की समयावधि को भी समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्षा जी, माननीय मुलायम सिंह जी ने नोटिस दिया है, उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम माननीय मुलायम सिंह जी को बुलाएंगे आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: इसके अतिरिक्त, राज्य सभा द्वारा संशोधित विधेयक को आज सुबह सभा पटल पर रख दिया गया है। मैंने दो दिन की नोटिस की अनिवार्य अवधि को भी समाप्त कर दिया है। अत: मैं व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करती हूं।

श्री कपिल सिब्बल बोलेंगे।

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री राजगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.15¼ बजे

इस समय श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.15½ बजे

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक* में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 2 पंक्ति 1 में शब्द ''बासठवें'' के स्थान पर शब्द ''चौंसठवें'' प्रतिस्थापित किया जाए।

* यह विधेयक लोकसभा द्वारा 27 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया तथा राज्य सभा की सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 17 दिसम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 में अंक "2011" के स्थान पर "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए अर्थात्:–

"(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

खंड 3 लोकपाल की स्थापना

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 4 चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ङ) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेता–सदस्य।"

खंड 14 प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' अधिकारियों और पदाधिकारियों का लोकपाल की अधिकारिता के अंतर्गत होना

6. पृष्ठ 9, पंक्ति 18 में "या सहायता प्राप्त" शब्द का लोप किया जाए।

7. पृष्ठ 9, पंक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:

"(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपये के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।"

खंड 20 शिकायतों और प्रारंभिक जांच तथा अन्वेषण से संबंधित उपबंध

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित का प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"20.(1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो निम्नलिखित के संबंध में आदेश कर सकता है–

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करना; या

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण करना"

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 28 **के पश्चात्** निम्नलिखित परंतुक **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:

"परंतु यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है:

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हों, के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

10. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

11. पृष्ठ 12, पंक्ति 9 में "अपने निष्कर्षों की अन्वेषण रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों का लोप किया जाए।

12. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13. पृष्ठ 12, पंक्ति 14 में "लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्द के स्थान पर "उस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में "और" तथा पंक्ति 22 में शब्द **के स्थान पर** "विनिश्चय कर सकेगी" को "सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगी।" शब्द द्वारा **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र फाइल किए जाने की स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में निदेश देना:"।

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(क) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में सक्षम प्राधिकारी को निदेश देना।"

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में "सक्षम प्राधिकारी द्वारा" शब्द का लोप किया जाए।

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 में शब्दों तथा कोष्ठक "अभियोजन खंड को" **के पश्चात्** "या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाए।

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 में शब्दों तथा कोष्ठक "(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" का लोप किया जाए।

खंड 23 कतिपय मामलों में लोकपाल द्वारा अन्वेषण और अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक न होना

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

1973 का 2 — 1946 का 25 — 1988 का 49

23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी।

लोकपाल को धारा 20 की उप-धारा (7) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय दायित्व के निर्वहण में कार्य करते हुए या इस निमित्त, अधिनियम के प्रयोजन के कथित रूप से कारित किसी अपराध के दोषी लोक सेवक के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और कोई न्यायालय ऐसे कारित अपराध का, सिवाय लोकपाल की पूर्व मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।

खंड 25 लोकपाल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(3) लोकपाल द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को, लोकपाल की अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, से, सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित ऐसी निधियां उपलब्ध करा सकेगी और उक्त निदेशक ऐसे अन्वेषण की बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।"

खंड 37 लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और उनका निलंबन

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:

"(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को–

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या

ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस आधार पर उसके पद से हटाया जाए।''

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक और अंक ''उप-धारा (2)'' **से पूर्व** ''इस संबंध में सिफारिशों की प्राप्ति या उच्चतम न्यायालय **द्वारा किए** गए अंतरिम आदेश'' शब्द **अन्तःस्थापित** किये जाएं।

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 में शब्दों ''रिपोर्ट की प्राप्ति'' **से पूर्व** ''अंतिम'' शब्द **अन्तःस्थापित** किया जाए।

खंड 46 मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 और 31 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

''**स्पष्टीकरण**-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, ''सद्भावपूर्वक'' शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतर्कता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य की गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।''

खंड 63 परिभाषाएं

28. पृष्ठ 24 और 25 में, खंड 63 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"भाग 3

लोकायुक्त की स्थापना

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत न किये जाने की स्थिति में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगा।''

खंड 64 से 97 का विलोपन

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए।

अनुसूची

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 में अंक ''2011'' के स्थान पर ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 **के पश्चात्** निम्नलिखित को **अंतःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:

''2. धारा 4ख **के पश्चात्,** निम्नलिखित धारा **अन्तःस्थापित** की जाएगी, अर्थात्:

''4ख क. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून एक अधिकारी होगा, की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्ण अधीक्षण एवं नियंत्रणाधीन, कार्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

(4) ''अभियोजन निदेशक, उसकी सेवाशर्तों से संबंधित नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जब वह अपना पद धारण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा।''

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

[हिन्दी]

महोदया, इस बिल के बारे में चर्चा पिछले दो-ढाई वर्षों से चल रही है। सदन के अंदर भी चर्चा हुई है और सदन के बाहर भी चर्चा हुई है। ...*(व्यवधान)* इस सदन ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल, 2011 को 27 दिसम्बर, 2011 में पास किया था। उसके बाद यह बिल राज्य सभा भेजा गया। ...*(व्यवधान)* जब बिल राज्य सभा भेजा गया, तो राज्य सभा ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी

में भेजा और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए, उन्हें हमने स्वीकार किया तथा उन सुझावों को स्वीकार करने के बाद राज्य सभा में बिल पास हुआ। ...*(व्यवधान)* आज यह बिल सदन के सामने आ रहा है। इस बिल पर सदन में पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है और दूसरे सदन में भी इस बिल पर विस्तार से चर्चा हुई है। ...*(व्यवधान)* महोदया, इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल पर और चर्चा की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर यथासंशोधित रूप में विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में शब्द "बासठवें" **के स्थान पर** शब्द "चौंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

खंड 3

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 4

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ङ) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेता–सदस्य।"

खंड 14

6. पृष्ठ, 9, पंक्ति 18 में "या सहायता प्राप्त" शब्दों का लोप किया जाए।

7. पृष्ठ 9, पंक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपये के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।"

खंड 20

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"20(1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो निम्नलिखित के संबंध में आदेश कर सकता है–

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करना; या

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण करना:"

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 28 के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:

"परंतु यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया

जा सके कि क्या मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टता मामला विद्यमान है:

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हों, के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।''

10. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

11. पृष्ठ 12, पंक्ति 9 में ''अपने निष्कर्षों की अन्वेषण रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत करेगा'' शब्दों का लोप किया जाए।

12. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13. पृष्ठ 12, पंक्ति 14 में ''लोकपाल को प्रस्तुत करेगा'' **के स्थान पर** ''उस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में ''और''–तथा पंक्ति 22 में शब्द ''विनिश्चय कर सकेगी।'' शब्द **के स्थान पर** ''सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगी।'' शब्द **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

''(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र फाइल किए जाने की स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने की की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में निदेश देना;''।

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए:–

''(क) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में सक्षम प्राधकारी को निदेश देना।''

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में शब्द ''सक्षम प्राधिकारी द्वारा'' का लोप किया जाए।

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 में शब्दों तथा कोष्ठक ''अभियोजन खंड को'' **के पश्चात्** ''या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को'' शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाए।

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 में शब्दों तथा कोष्ठक ''(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)'' का लोप किया जाए।

खंड 23

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान करने के संबंध में लोकपाल की शक्ति।

1973 का 2 ''23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष
1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण
1988 का 49 अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी। लोकपाल को धारा 20 की उप-धारा (7) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय दायित्व के निर्वहण में कार्य करते हुए या इस निमित्त, अधिनियम के प्रयोजन के कथित रूप से कारित किसी अपराध के दोषी लोक सेवक के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और कोई न्यायालय ऐसे कारित अपराध का, सिवाय लोकपाल की पूर्व मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।

खंड 25

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

''(3) लोकपाल द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के

किसी अधिकारी को, लोकपाल की अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, से सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित ऐसी निधियां उपलब्ध करा सकेगी और उक्त निदेशक ऐसे अन्वेषण की बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।''

खंड 37

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

''(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को–

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाए।''

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक और अंक ''उप-धारा (2)'' **से पूर्व** ''इस संबंध में सिफारिशों की प्राप्ति या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम आदेश'' शब्द **अन्तःस्थापित** किये जाएं।

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 में शब्दों ''रिपोर्ट की प्राप्ति'' **से पूर्व** ''अंतिम'' शब्द **अन्तःस्थापित** किया जाए।

खंड 46

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 और 31 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

''**स्पष्टीकरण**–इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, ''सद्भावपूर्वक'' शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतर्कता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य की गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।''

खंड 63

28. पृष्ठ 24 और 25 में, खंड 63 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

''भाग 3

लोकायुक्त की स्थापना

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत न किये जाने की स्थिति में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगा।'' लोकायुक्त की स्थापना।

खंड 64 से 97 का विलोपन

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए।

अनुसूची

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' अंक द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए।

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित को **अंतःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

''2. धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा **अन्तःस्थापित** की जाएगी, अर्थात्:–

''4ख क. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून एक अधिकारी होगा, की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्ण अधीक्षण एवं नियंत्रणाधीन, कार्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवाशर्तों से संबंधित नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से

जब वह अपना पद धारण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा।''

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 में अंक ''2011'' **के स्थान पर** ''2013'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, अभी-अभी कानून मंत्री जी ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल पर राज्य सभा से जो संशोधन आए हैं, वे लोक सभा के सामने कंसीड्रेशन के लिए रखे हैं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, संसद का यह शीतकालीन सत्र 5 दिसम्बर को शुरू हुआ था और आज 18 दिसम्बर है। 13 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। *...(व्यवधान)* दुख और अचरज की बात यह है कि व्यवधान प्रतिपक्ष ने पैदा नहीं किया, प्रमुख प्रतिपक्षी दल के सांसद चुपचाप अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हैं, लेकिन व्यवधान पैदा कर रहे हैं सत्तापक्ष के लोग और उनके सहयोगी दलों के लोग। *...(व्यवधान)* 13 दिन से इस सदन में एक दिन भी कार्रवाई नहीं हुई और लगातार वे कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं और इस बार तो सारी हदें उस समय पार हो गईं, जब सत्ता पक्ष के सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिया। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.17 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

...(व्यवधान)

लेकिन आपको याद होगा कि सत्र के शुरू होने से पहले एक बैठक आपने बुलायी थी। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, एक बैठक उन्होंने भी बुलायी थी। दोनों बैठकों में अपनी पार्टी की तरफ से मैंने यह मांग रखी थी कि इस सत्र में हर हालत में लोकपाल बिल आना चाहिए। *...(व्यवधान)* मैंने कहा था कि राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं देकर बिल राज्य सभा को दे रखा है। वह बिल राज्य सभा से पारित हो कर लोक सभा में आए और हम उसे पारित करें। मुझे खुशी है कि सारे व्यवधानों के बावजूद भी आज लोकपाल बिल आया है और यह सत्र इतने व्यवधान के बाद भी एक यादगार सत्र हो जाएगा, यदि हम इस लोकपाल बिल को आज पारित कर देंगे।

अपराह्न 12.18 बजे

इस समय, श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

पिछली बार मानसून सत्र में भी बहुत व्यवधान आया था, लेकिन आपको याद होगा कि बाद में रात के दस-दस बजे तक बैठकर हमने एक दिन खाद्य सुरक्षा विधेयक और एक दिन भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया था। वह सत्र उसके लिए यादगार सत्र बन गया था। यह सत्र भी ऐतिहासिक सत्र हो जाएगा जब हम लोकपाल बिल यहां से पारित करेंगे। *...(व्यवधान)* लेकिन मैं चाहती थी कि सदन में शांति हो, हम आराम से अपनी बात कह सकें, सारा देश उसको सुने, लेकिन वह नहीं हो रहा है। अभी भी कार्रवाई बाधित हो रही है, पर मैं पांच मिनट में अपनी बात जरूर कहना चाहूंगी कि 27 दिसम्बर 2011 को जब यह बिल लोक सभा में आया था तो उस पर बोलते हुए मैंने क्या कहा था। . .*.(व्यवधान)* मैंने कहा था कि ''देश बहुत उत्सुकता से यह प्रतिक्षा कर रहा था कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आएगी, जिस बिल में से एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल निकलेगा जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल सरकार लेकर आयी है, उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी खामियां हैं कि उसने हम सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।'' *...(व्यवधान)* मैंने अध्यक्ष जी उस दिन उस बिल के

बारे में कहा था कि "यह बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है। ...*(व्यवधान)* यह बिल एक कमजोर और सरकारी लोकपाल पैदा करता है, यह बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और यह बिल इस सदन में बनी हुई सेन्स की अनदेखी करता है।" मैंने यह उस बिल के बारे में कहा था। उस बिल पर बोलते हुए अंत में मैंने कहा था "हमने चाहा था कि सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाए, उस दिन सेंस ऑफ दि हाउस भी आई थी। लेकिन हमने चाहा था कि वह ऐसा बिल लाए। ...*(व्यवधान)* ये नहीं चाहा था कि ऐसा बिल आए कि वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। ...*(व्यवधान)* जो आज तंत्र खड़ा है, उसको भी यह बिल विनाश कर रहा है। उसे भी ध्वस्त कर रहा है। ...*(व्यवधान)* हमें यह ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)* हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे, वह बिल चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप दो महीने और लगा लो, वापस इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दो, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर सरकार आए जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे।" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, उस दिन हमारी बात नहीं मानी गई थी। हमने बिल पारित कर दिया था लेकिन मुझे खुशी है कि जो काम लोक सभा नहीं कर पाई, वह काम राज्य सभा ने करने का काम किया। ...*(व्यवधान)* जब बिल यहां से राज्य सभा में गया, तो वहां के सदस्यों ने हमारी इस बात का संज्ञान लिया कि वह बिल एक सरकारी लोकपाल ला रहा था, वह बिल एक कमजोर बिल था और सशक्त लोकपाल लाने के लिए उन्होंने बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। ...*(व्यवधान)*

मैं राज्य सभा के उन सांसदों को और वहां की सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष का आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा करके, बहुत अच्छी अनुशंसाएं, 15 सिफारिशें उस बिल में देकर उस बिल को राज्य सभा को दिया लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि एक वर्ष पहले राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी ने वह बिल राज्य सभा में पेश कर दिया था लेकिन सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक साल तक सरकार बैठी रही। वह बिल लेकर नहीं आई। ...*(व्यवधान)* इस बार जब हमने दोनों बैठकों में कहा कि यह बिल आना चाहिए तो सरकार पर दबाव बना और कल वह बिल राज्य सभा में लेकर आए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 15 अनुशंसाओं में से 13 अनुशंसाएं सरकार ने मानी थीं। ...*(व्यवधान)* दो नहीं मानी थीं और वो दोनों अनुशंसाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं कि अगर वे नहीं मानी जातीं तो फिर लोकपाल प्रभावी नहीं हो सकता था। लेकिन कल चर्चा के बाद मंत्री जी ने वे दोनों अनुशंसाएं मान लीं। ...*(व्यवधान)* एक अनुशंसा यह थी कि सीबीआई जिसको अब हम लोकपाल के नीचे कर रहे हैं, इन्होंने यह कहा था कि अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान सरकार चाहे तो बदल सकती है। हम चाहते थे कि बदलने के लिए लोकपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। कल सरकार ने यह मान लिया कि अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान बदलना है तो लोकपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। दूसरी अनुशंसा जो सरकार नहीं मान रही थी, वह यह थी कि अगर कहीं रेड करनी है, अगर किसी व्यक्ति को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ना है तो उसे पूर्व नोटिस की जरूरत नहीं है। कल चर्चा के बाद यह भी सरकार ने मान लिया। इसलिए अब एक सशक्त लोकपाल वहां से बनकर आया है। ये जितने संशोधन आज मंत्री जी ने यहां रखे हैं, वे लोक सभा से पारित होने के बाद एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल देश को मिलेगा। इसके लिए मैं इनका समर्थन करती हूं।

अपराह्न 12.22 बजे

इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी अपने स्थान पर वापस चले गए।

लेकिन एक प्रश्न और यहां पर खड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)* कल से इस बिल को पारित करने के लिए श्रेय की होड़ लग गई है। इसका श्रेय कौन ले? कभी सरकार श्रेय लेना चाहती है, कभी अपने कांग्रेस के उपाध्यक्ष को यह श्रेय देना चाहती है। ...*(व्यवधान)* लेकिन मैं आज यहां खड़े होकर इस संसद के फर्श पर यह कहना चाहती हूं कि यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वह बूढ़ा व्यक्ति है जो बार-बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। उसके बाद अगर कोई श्रेय का अधिकारी है तो वह इस देश की जनता है जिसने हम सब पर दबाव बनाया है। इसलिए इस श्रेय की व्यर्थ होड़ में न पड़ें। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और जनभावना का सम्मान करते हुए हम इन तमाम संशोधनों को पारित करें जो राज्य सभा ने वहां से भेजे हैं और उससे इस लोकपाल को सशक्त बनाने का काम किया है। ...*(व्यवधान)* जो काम लोक सभा से अधूरा रह गया था, वह राज्य सभा ने कर दिखाया और आज तमाम संशोधन जो मंत्री जी ने पेश किये हैं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनका पुरजोर समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदया, मैं राज्य सभा के अपने सहयोगियों को उनके द्वारा कल लोकपाल विधेयक पारित करने के लिए बधाई देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 45 वर्ष पूर्व 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पुर:स्थापित किया गया था तथा हमारे पूर्व सांसद इसे पारित करने में असमर्थ

रहे। आज, हमें इसे पारित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लोकपाल विधेयक अधिनियमित करके हमें इतिहास रचने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी दलों से निवेदन करता हूं कि वे एक साथ आकर सर्वसम्मति से लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पारित करें।

अध्यक्ष महोदया, सूचना का अधिकार 2009 यूपीए सरकार का देश में भ्रष्टाचार पर पहला और अति महत्वपूर्ण हमला था। लोकपाल की स्थापना भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को सुदृढ़ करने और लोक अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। परंतु महोदया, केवल लोकपाल विधेयक पारित करना ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काफी नहीं है। हमें इस देश में एक व्यापक भ्रष्टाचार मुक्त संहिता की आवश्यकता है। यूपीए सरकार ने एक सशक्त भ्रष्टाचार रोधी ढांचा विकसित किया है जिसमें आठ नए केन्द्रीय विधान शामिल हैं। लोकपाल विधेयक के पारित होने के बावजूद भी चार विधेयक लोक सभा और दो विधेयक राज्य सभा में अभी भी लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई के अधूरे कार्य को पूरा करना हमारा ही दायित्व है। मेरा मानना है कि पन्द्रहवीं लोक सभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व सभी छह लंबित भ्रष्टाचार रोधी विधेयकों पर विचार करना और अधिनियमित करना पंद्रहवी लोक सभा का उत्तरदायित्व है। मैं उन सभी छह विधेयकों के नाम बताना चाहूंगा : भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013; राइट टू सिटीजन फार टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ गुडस एंड सर्विसेज एंड रिडरेसल ऑफ देअर ग्रेवेंसिस बिल, 2011; लोक उपापन विधेयक, 2012; बिल टू एड्रेस फॉरन ब्राइबरी एज रिक्वार्ड अंडर द आर्टिकल 16 ऑफ यूएनसीएसी; ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड एंड एकाउंटिबिलिटी बिल, 2010; सूचना प्रपाता संरक्षण विधेयक, 2011।

ये सभी विधेयक हैं जिन्हें हमें पारित करना है। यदि आवश्यकता हो तो अध्यक्ष महोदया क्या इन विधेयकों को पारित करने के लिए सदन के सत्र को बढ़ाया जा सकता है और इस देश को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक ढांचा प्रदान किया जा सकता है? यह केवल एक विधेयक के बारे में नहीं है यह इससे संबंधित ढांचे के बारे में है और हमें इस देश को यह ढांचा प्रदान करना है।

अध्यक्ष महोदया: वे सदस्य जो अपने लिखित भाषण रखना चाहते हैं, कृपया अपने भाषण सभा-पटल पर सौंप दें। श्री मुलायम सिंह यादव।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं लोकपाल बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश को चौपट कर दिया जाएगा। इतना भय हो जाएगा कि क्लर्क तक कोई दस्तखत नहीं करेगा। कोई भी अधिकारी कहीं दस्तखत नहीं करेगा। *...(व्यवधान)* देश में एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी क्योंकि सबको डर लगा रहेगा कि अगर हमने दस्तखत कर दिए और लोकपाल के कारण जांच हो गई तो दरोगा जांच करेगा। *...(व्यवधान)* कितनी गंभीर और खतरनाक स्थिति हो जाएगी। मुझे पता नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस को क्या हो गया है? इनसे उम्मीद है कि जिम्मेदारी के साथ देश को चलाएंगे। *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को दरोगा पूछेगा? प्रधानमंत्री की जांच दरोगा करेगा? हम लोग दरोगा का दरवाजा खटखटाएंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों ईमानदार हैं और बाकी सब बेइमान बैठे हैं। *...(व्यवधान)* केवल बीजेपी और कांग्रेस ईमानदार हैं और बाकी सब बेइमान हैं, क्या ये लोग यह साबित कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* आप जरा सोचिए। आडवाणी साहब, आप सोचिए। *...(व्यवधान)* सुषमा जी को छोड़िए, आप तो सोचिए कि देश को कहां ले जा रहे हैं। आपने देश के लिए इतने गंभीर सवाल उठाए हैं। बंटवारे से लेकर अब तक पूरे देश को समझा है। आडवाणी जी, आप इस बिल के खिलाफ बोलिए। *...(व्यवधान)* यह बिल खतरनाक है। आपको लगता है यह बिल आसमान पर देश को ले जाएगा, आप ले जाकर डुबो दोगे। मैं व्यावहारिक दृष्टि से कह रहा हूं कि देश में कोई कर्मचारी डर की वजह से काम नहीं करेगा कि वह फंस जाएगा।

सोनिया जी, आप व्यावहारिक दृष्टि से सोचिए। कोई भी क्लर्क दस्तखत नहीं करेगा। कोई काम नहीं होगा, देश में गंभीर अराजकता फैलेगी, देश में कोई काम होगा ही नहीं, प्रधान मंत्री को दरोगा पूछेगा, यह हालत होगी। इसलिए हम इसे नहीं चाहते हैं। यह क्या है कि हम लोगों की दस साल पीछे की जांच होगी। इसके पीछे जाने किसका दिमाग है, किसी नौकरशाह का दिमाग है। राजनीतिक दिमाग कभी नहीं कह सकता कि दस साल पीछे की जांच हो। हम लोगों की दस साल पीछे की जांच होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लाखों लोगों से वोट लेकर आते हैं और तब इस लोक सभा में आ पाते हैं और एक दरोगा आकर हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है, आप यह भूल गये कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे आप यह लगाये जा रहे हैं। इसका मतलब हम सब लोग बेइमान बैठे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि हम सब लोग बेइमान हैं, इसलिए हम लोगों की भी जांच होनी चाहिए। जांच कौन रोक रहा है और जांचें हुई हैं, क्या सांसदों को सजा नहीं मिली है, क्या विधायकों को सजा नहीं मिली है। वर्तमान

कानून गम्भीर है, उसके चलतें सबको सजाएं मिली हैं। विधायकों को भी सजा मिली है, सांसदों को भी सजा मिली है, फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई। क्या यह दिखाने के लिए है। दोनों दलों में हमें इस दल से उम्मीद थी कि यह तो ऐसा करेंगे, लेकिन विपक्षी दल सरकार का ऐसा पिछलग्गू बन गया, पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है। यह तो आप ही बता सकते हैं कि क्या स्वार्थ है। आप लोग मनमानी करेंगे, लेकिन ये इनके पीछे-पीछे लगे फिर रहे हैं, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। यह विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, हम लोगों की राय भी नहीं ले रहे हैं और ये सब यहां बैठे हैं, जाने इन्हें क्या हो गया है। ये इतने डरपोक हैं, पता नहीं अपने नेता से बात नहीं करते हैं। क्या आपका टिकट कट जायेगा, टिकट मैं दे दूंगा। टिकट की कौन सी बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे गंभीरता से लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, यह मैंने कल कहा था कि इंस्पेक्टर प्रधान मंत्री जी से पूछने जायेगा, उन्हें बुलायेगा, आप यहां आकर सफाई दीजिए, सबूत दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब भी समय है। मेरा विशेषकर सोनिया जी से आग्रह है, सोनिया जी, आप सुनिये, मेरा आपसे आग्रह है, आप इसे विदड्रा करिये। मैं आज बता रहा हूं कि यह देश के इतिहास मे एक कलंक के रूप में लिखा जायेगा, यह काले अक्षरों में लिखा जायेगा। क्या ऐसा कानून बनेगा, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। वर्तमान कानून कितना कड़ा है। उसके तहत फांसी दी जा रही है, सजा दी जा रही है, राजनैतिक लोग जेल भी जा रहे हैं, सब पर मुकदमे चल रहे हैं। ये किस बात के लिए है, क्या आप इनकी बात मानोगे। यह पूरे देश के बंटवारे के लिए काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आप इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, गुलाम बने क्यों बैठे हैं, गूंगे बने क्यों बैठे हैं? क्या ये कोई परमात्मा या देवता हैं। आप अपनी बात करिये। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया मैं कह रहा हूं कि आप ही मदद कर सकती हैं, आप लोकपाल बिल को वापस लीजिए, वरना देश में अराजकता पैदा हो जायेगी, कोई डर की वजह से कलम नहीं चलायेगा कि हम फंसेंगे और जनता परेशान होगी, कोई काम नहीं होगा, न विकास होगा, न आगे फाइल चलेगी। यह स्थिति देश के सामने आयेगी। इसलिए आप लोग विचार कीजिए और विचार करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी बात सुन लीजिए और दोबारा यही बिल लाइये। एक बार हम सब लोगों से मिलकर बातचीत करिये और बातचीत करने के बाद आप आगे सत्र में ले आना और अगर महत्वपूर्ण सुझाव लगे तो वह मान लेना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज इसे वापस लीजिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। ...*(व्यवधान)*

इस बिल के खिलाफ गंभीर रुख लेते हुए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.34 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदया: श्री दारा सिंह चौहान, आप बोलिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हम उस लोकपाल बिल पर बोल रहे हैं, जिसको लोक सभा ने पास किया, फिर राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी से आया, उसके बाद फिर राज्य सभा से तमाम संशोधनों के बाद पास होकर आया, मैं समझता हूं कि इस पर इस लोक सभा में केवल मुहर लगानी बाकी है, इसके लिए आज हम खड़े हुए हैं। मै समझता हूं कि इस पर बहुत विस्तार से बहस की कोई गुंजाईश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोकपाल बिल पर यह चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इसके पहले क्राइम और करप्शन से लड़ने के लिए कोई कानून नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर साहब ने जब संविधान का दस्तावेज हमें सौंपा था, तभी उन्होंने कहा था कि नीति चाहे जितनी भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो चाहे कितना भी बढ़िया कानून हम बना दें, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। मैं आज भी कहता हूं कि संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जिससे बहुत सारे करप्शन और क्राइम को हम रोक सकते हैं। बशर्ते हमारी नीयत ठीक हो और इच्छाशक्ति हो। केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को लेकर के देश में जो माहौल खड़ा किया गया कि शायद देश के लोग सवाल करना चाहते हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में ऐसे तमाम लोग हैं, जो इसे जानते होंगे। बाकी जो गरीब आदमी है, वह तो मंहगाई की मार से परेशान है, भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। आज मंहगाई से पूरे देश के किसान और नौजवान परेशान हैं। वह बेचारा तो लोकपाल को नहीं समझ पा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि लोकपाल से हमारी मंहगाई रुकेगी और हमें रोजगार मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं तो कहता हूं कि अगर समूल भ्रष्टाचार नष्ट करने की बात है, तो कई तरह के भ्रष्टाचार हैं। भाषायी भ्रष्टाचार हो या सामाजिक भ्रष्टाचार हो, मैं दावे से कहना चाहता हूं कि अगर इच्छाशक्ति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। आज अगर कानून का कानून से राज चलाया जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। मैं तो बधाई दूंगा खास करके सरकार पक्ष की तरफ से, आज जो सबसे बड़ी चीज ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, अब अपनी बात समाप्त कीजिए। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। जल्दी समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहानः मैडम स्पीकर, मैं केवल दो मिनट और लूंगा। अगर नीयत सही है, केवल श्रेय लेने की जो होड़ मची हुई है, मैं समझता हूं कि यह भी एक भ्रष्टाचार है। श्रेय लेने की होड़ में हमारी पार्टी को सूचना तक नहीं दी गई। मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने सूचना न देने के बाद भी प्रेस के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल के पक्ष में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः दारा सिंह जी, अब समाप्त कीजिए। इतनी लंबी बात कहने का अभी वातावरण नहीं है। जल्दी समाप्त कीजिए। श्री शरद यादव जी बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहानः मैडम स्पीकर, सिर्फ एक मिनट और कहना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय कानून मंत्री या सिलेक्ट कमेटी के जो भी चेयरमैन रहे कि आपने इसमें जो सर्च कमेटी है, जिसमें आपने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को शामिल किया है। लेकिन क्या आपने उधर देखा है, जो सामाजिक भ्रष्टाचार आजादी से लेकर अब तक होते रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः दारा सिंह जी, संक्षेप में बोलिए। आप देख रहे हैं कि अभी वातावरण ऐसा नहीं है कि लंबा भाषण दिया जाए।

श्री दारा सिंह चौहानः सरकारी नौकरियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और हर जगह जो भ्रष्टाचार होता रहा है, क्या आपने उस तरफ कभी ध्यान दिया है? स्पीकर मैडम, इसलिए मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो श्रेय लेने की होड़ खत्म होनी चाहिए और हमारी जो कानून है, उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से इस लोकपाल बिल के समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)* लेकिन इस बिल में, जो राज्य सभा से संशोधन करने के लिए पहुंचा है, मैं मानता हूं कि यह ...*(व्यवधान)* आप यह क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य आप यह क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, आप बोलिए।

श्री शरद यादवः माननीय सदस्य, आप कहां खड़े हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए। हमें आवाज आ रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः माइक में आ रहा है, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादवः महोदया, एक बात तो पक्की है कि इस देश के लोकतंत्र में लोगों ने यह सारा सदन चुना है। ...*(व्यवधान)* यह चुने हुए सदस्यों का सदन है। ...*(व्यवधान)* लेकिन इस लोकपाल के आने के बाद ...*(व्यवधान)* जो थोड़ा-बहुत काम देश में हो रहा था ...*(व्यवधान)* और जितने भी भ्रष्टाचार के केस हैं, वे किसी दूसरे आदमी ने नहीं किए, यही सदन है जिसने भ्रष्टाचार के मामले को उठाकर कई भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का काम किया है। ...*(व्यवधान)* आप इस सदन से बाहर एक ऐसी संस्था खड़ी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इसे नहीं मानता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं प्राइम मिनिस्टर का विरोध करता रहा हूं ...*(व्यवधान)* लेकिन प्राइम मिनिस्टर की संस्था को भी उनके हाथ में दे दिया। ...*(व्यवधान)* दुनिया में कोई प्रधानमंत्री यानी किसी दूसरी संस्था, वह पार्लियामेंट के लिए एकाउंटेबल है, लेकिन आपने उसे इस पार्लियामेंट के बाहर, मेरे पास लोकपाल बनाने वाले लोग आए थे, मैंने कहा कि इसको निकालो। ...*(व्यवधान)* यह देश ऐसी स्थिति में है कि प्राइम मिनिस्टर को उसमें मत रखो, लेकिन इन्होंने उसमें रख दिया। ...*(व्यवधान)* प्राइम मिनिस्टर रख दिया तो उसकी एकाउंटेबिलिटी इस हाउस से नहीं, कोई दूसरी जगह से हो जायेगी। ...*(व्यवधान)* आप एक बात पक्की जान लीजिए कि वर्ष 1991 से यह जो परिवर्तन आया है, उसने राजनैतिक रूप से चुने हुए आदमियों को इस तरह निकम्मा और पंगु बना दिया है कि कोई काम नहीं होता है। ...*(व्यवधान)* अब थोड़ा-बहुत जो काम हो रहा था, वह काम भी, आप जान लेना, इस गरीब देश में आप इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर रहे हो ...*(व्यवधान)* सूबों में लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, अब आप समाप्त कीजए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादवः यहां दिल्ली में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: आप लोग धड़ाधड़ एक के बाद एक इस देश में ऐसे कानून बना रहे हैं कि लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों का कोई मतलब नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद। अब आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: आपने निगरानी समिति बनायी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: वे सभी माननीय सदस्यगण, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, कृपया अपने लिखित भाषण सभा पटल पर भेज दें।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: निगरानी समिति जिलों में है, लेकिन उसके हाथ में किसी आदमी को सजा देने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)* लोकपाल को सब सजा देने का अधिकार दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने लिखित भाषण सभा पटल पर भेज दें। हम इस प्रकार सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि आपने इसमें गलत आरोप लगाने वाले पर एक साल की सजा का जो प्रावधान किया है, वह एक अच्छा प्रावधान है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि आज आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको फिर सोचना पड़ेगा। . ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: आज आप ऐसा काम कर रहे हो जो इस देश को, मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि समाज अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)* आप सबको एक समान नहीं बनाना चाहते। ...*(व्यवधान)* उसकी विषमता पर आप नहीं बोलना चाहते। ...*(व्यवधान)* देश में जो सभ्यता है, वह व्यक्ति-व्यक्ति को कैसे भ्रष्ट बनाती है, इन बुनियादी सवालों पर बहस किये बगैर आप इस सदन में इसको पास कर रहे हो। ...*(व्यवधान)* मैं नहीं चाहता कि मैं आपके काम में रुकावट डालूं, मैं दुख के साथ इसका समर्थन जरूर कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* लेकिन मेरी शंका है कि भ्रष्टाचार इस रास्ते से नहीं मिटेगा। ...*(व्यवधान)* इस रास्ते लोकतंत्र तबाह होगा। ...*(व्यवधान)*

***श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व):** आज लोकपाल बिल संशोधनों के साथ, जिसे राज्य सभा ने पारित किया है, उसे मैं हृदय से समर्थन देता हूं। लोकपाल की मांग जब देश में श्री अन्ना जी के नेतृत्व में की गई थी तब मैंने अहमदाबाद में इस बिल का समर्थन किया था। आज देश की जनता का भ्रष्टाचार को दूर करने का संकल्प सदन में पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं।

मैं फिर एक बार इस लोकपाल बिल को समर्थन देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री प्रेमदास राय (सिक्किम):** मैं अपने दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी और अपने प्रिय नेता श्री पवन चामलिंग की ओर से राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित लोकपाल विधेयक को पारित करने का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह एक ऐतिहासिक दिन है। मैं यह समझता हूं कि इसके पश्चात् इसके प्रावधानों के संबंध में आगे और चर्चा होगी। हम इसमें संशोधन जारी रख सकते हैं। तथापि, यह सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने के युग को और आगे ले जाएगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नि:सन्देह यह एक संपूर्ण विधेयक नहीं है। यह पहले से ही लचर संस्थागत ढांचे को कुछ हद तक सुधारने में सहायक हो सकता है। परन्तु अभी इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें इसे अभी करना होगा।

अत: इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, पंद्रहवी लोक सभा के इस ऐतिहासिक विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** मैं लोकपाल बिल के बारे में निम्नांकित सुझाव दे रहा हूं। कृपया ले करने की अनुमति प्रदान करें:

"भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक महत्वपूर्ण विधेयक तब सार्थक होगा जब इसकी क्रियान्विति की रिपोर्ट हर छ: माह के अंतराल में संसद में आने की व्यवस्था हो। संसद इस पर विस्तृत चर्चा कर लोकपाल को प्रभावी बनाने का प्रयास हो। संसद की चर्चा के अनुसार आवश्यक संशोधन हो तभी भ्रष्टाचार पर ब्रेक लग सकेगा।" क्रियान्विति पर पूरा जोर हो। भ्रष्टाचार को मिटाने का लोकपाल सशक्त माध्यम क्रियान्विति पर ही निर्भर करेगा।

***श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** लोकपाल बिल राज्य सभा से पास होकर आया है तथा इसे लोक सभा में सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए। जो संशोधन राज्य सभा की सलेक्ट कमेटी ने प्रस्तावित किये थे, वे सभी स्वीकार कर लिये गये हैं और वर्तमान स्वरूप में लोकपाल वास्तव में सशक्त होगा, निष्पक्ष होगा और यह सर्व अधिकार सम्पन्न है। भ्रष्टाचार को रोकने तथा भ्रष्टाचारी लोक सेवकों को सजा दिलाने में यह लोकपाल सक्षम होगा। सीबीआई को लोकपाल के अधीन किया गया है, इससे भ्रष्टाचार के मामलों में निष्पक्षता से जांच होगी। लोकपाल संगठन में नियुक्ति का प्रावधान ऐसा है, जिससे केवल योग्य व्यक्ति ही जगह पाएंगे। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। यह सही बिल है और पुरानी मांगों की इससे पूर्ति हो रही है। मैं सभी दलों को भी इस मौके पर बधाई देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर):** लोकपाल विधेयक संप्रग सरकार की देन है और हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि है। हमारी संप्रग-I और संप्रग-II की सरकारें सदैव इस महान राष्ट्र के आम आदमी के साथ खड़ी होती हैं। पूरे विश्व में केवल हमारी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो कि इस देश के आम आदमी के पक्ष में ऐसे कानून लाती है जिनसे वह (1) सूचना का अधिकार, (2) रोजगार का अधिकार, (3) शिक्षा का अधिकार, और (4) खाद्य सुरक्षा का अधिकार संबंधी कानूनी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होता है। जब इस लोकपाल विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार इस देश के आम आमदी को "भ्रष्टाचार और अत्याचारों के विरुद्ध न्याय का अधिकार" दिलाने का वादा कर रही है।

यह लोकपाल विधेयक आम आदमी को न केवल अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने का कानूनी अधिकार देता है। बल्कि सरकार को हमारे समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से लड़ने में समर्थ भी बनाता है। इस विधेयक के माध्यम से, सरकार आम आदमी के द्वार तक पहुंच रही है और उसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने में सक्षम भी बना रही है।

केंद्र सरकार की किन्हीं और परियोजनाओं/योजनाओं आदि की सफलता/उनका चलते रहना उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर होता है और इस लक्ष्य को केवल सत्यनिष्ठ भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यपालिका प्रणाली द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस महान राष्ट्र के आम आदमी को प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति केवल तभी होगी जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में होगी।

संप्रग-II सरकार लोकपाल विधेयक पुन:स्थापित करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु इस महान राष्ट्र के प्रति अपने वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह विधेयक कार्यपालिका प्रणाली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने में भी सरकार की सहायता करता है।

अत:, मैं लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके पक्ष में मतदान करता हूं।

[हिंदी]

***श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** लोकपाल विधेयक संशोधन के उपरांत पुन: लोक सभा में आया है। विगत 45 वर्षों से देश की जनता इस बिल की प्रतीक्षा कर रही थी राजनैतिक दलों द्वारा एवं जनता के द्वारा अनेकों आंदोलन किए गए। देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचारों पर रोक लगाने का तथा अफसरशाही पर अंकुश लगाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। इसके सर्वसम्मति से पारित होने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के बाद गरीब आदमी सम्मान एवं स्वाभिमान के साथ शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकेगा। जागरूक विपक्ष के नाते मुख्य विपक्षी दल ने भी शासन द्वारा लाये गये इस बिल का बढ़कर समर्थन दिया है वह स्वागत योग्य है क्योंकि प्रमुख विरोधी दल के सहयोग के बगैर यह पास नहीं हो सकता था अब प्रमुख बात है इसके क्रियान्वयन की क्योंकि इसके पूर्व भी कानून है किंतु उनका पालन ठीक से नहीं किया जाता था। अत: लोकपाल बिल का ठीक तरह से लाभ जनता को तभी मिल सकेगा जबकि इसका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जायेगा। मैं देश की जनता का धन्यवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट):** एक लंबे संघर्ष के पश्चात्, लोकपाल विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। परन्तु इसमें काफी समय लगा और यदि इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तत्काल पारित कर दिया जाता तो भ्रष्टाचार पर पहले ही रोक लगाई जा सकती थी। देर आए दुरुस्त आए। हमें एक प्रभावी लोकपाल विधेयक की आवश्यकता थी और आज हम इसे इस सभा में पारित करने ही वाले हैं। हर किसी ने इसको तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

परन्तु इसमें कतिपय खामियां हैं। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकारों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होगी, तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि राज्य इस उपबंध का उल्लंघन करते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी। यदि राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करने से बिल्कुल मना करते हैं तब भी कुछ नहीं किया जा सकता।

सदस्यों और अधिकारियों के साथ समिति गठित किए जाने का उपबंध है। इन अधिकारियों का एक निर्धारित कार्यकाल होगा और उनको 2 वर्षो से पूर्व हटाया अथवा स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

सरकारी निधि का उपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संगठनों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। पीपीपी एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों को भी लोकपाल की परिधि में लाया जाना चाहिए।

हमें चुनाव संबंधी सुधार करने की भी आवश्यकता है ताकि राजनीतिक दलों को कार्पोरेट क्षेत्र से मिलने वाले चंदों पर रोक लगाई जा सके।

* सभा पटल पर मूलत: बंगला में रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतरण।

भ्रष्टाचार देश में महंगाई का मूल कारण है और एक सशक्त लोकपाल मंहगाई को रोकने में मददगार होगा। अत:, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** मैं अपने दल की ओर से लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता-उत्तर):** मैं अपने दल की ओर से लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं।

***डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग):** मैं लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 के संबंध में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों का पूरे मन से समर्थन करता हूं और कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का भी समर्थन करता हूं तथा भ्रष्टाचार नामक खतरे से निपटने हेतु पारित किए जाने वाले विधेयक को अपने दल (जे एंड के नेशनल काफ्रेंस) की ओर से पूर्ण समर्थन देता हूं। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। यह सभी बुराइयों का एक बड़ा कारण है जिनका इस देश की जनता सामना कर रही है। घोटाले-दर-घोटाले के बाद लोग हमारे पूरे राजनीतिक वर्ग में दोष देखने लगे हैं। यह व्यंग्य की बात है कि पूरे राजनीतिक वर्ग, सभी राजनेताओं की एक नजर से ऐसे देखा जाता है मानो हम सब इस राष्ट्र के विकास के लिए निर्धारित सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। यदि इस देश में भ्रष्ट राजनेता और अधिकारी हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। सभी ईमानदार लोगों के नाम उजागर करके लोगों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए। सभी भ्रष्ट व्यक्तियों भले ही वे किसी भी राजनीतिक दल, जाति, पंथ और वर्ण के हों, की जवाबदेही तय करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

[हिंदी]

***श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानून की कमी नहीं है यदि कमी है तो भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने की नीयत की है। वर्तमान विद्यमान कानून से बहुत से भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के रहे हैं। असलियत में किसी भी मामले में जितने अधिकारी बढ़ते जाते हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। कहीं इस विधेयक का भी दुरुपयोग न हो, यह शंका है। भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो यह प्रत्येक नागरिक चाहता है और लोकपाल विधेयक से भ्रष्टाचार रुक जाएगा तो अच्छी बात होगी।

इस बिल में पारदर्शिता का पर्याप्त कानून नहीं है। यह अच्छा है कि हम लोकपाल बिल पास कर रहे हैं। जिस दिन इसके प्रभाव

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से भ्रष्टाचार रुकेगा उस दिन इस बिल का लक्ष्य पूरा होगा। एक महत्वपूर्ण शंका यह है कि 'चिंगारी आग लगाए तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए, उसे कौन बुझाए', यदि जनता में भ्रष्टाचार है तो लोकपाल विधेयक उसे मिटाएगा परंतु यदि लोकपाल भ्रष्टाचार करे तो उसे कौन मिटाएगा? चूंकि देश वर्तमान भ्रष्टाचार को खत्म करने के कानून से बच नहीं पाया तो क्या लोकपाल बिल से बचेगा, यह मुझे शंका है। मैं फिर भी लोकपाल बिल का समर्थन करता हूं।

***श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** भारत के कानून मंत्री द्वारा राज्य सभा से संशोधित लोकपाल विधेयक जो आज सदन में प्रस्तुत किया गया है, मै उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आज केन्द्र की कांग्रेस एवं यू.पी.ए. सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता इसी बात से प्रदर्शित होती है कि आज सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है जब लोकपाल का विधेयक सदन से पारित होकर कानून के रूप में प्रभावी होगा। पिछल 45 वर्षो से इस लोक सभा में कई बार लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल 2011 प्रस्तुत किया गया। विगत दिनों केन्द्रीय सरकार ने लगभग 9 बार इस विधेयक को प्रस्तुत करके पारित कराने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार द्वारा सभी दलों के बीच में सहमति बनाने का प्रयास किया जिसमें हमारी सरकार को सफलता भी मिली। पिछली बार लोक सभा के द्वारा लोकपाल विधेयक को पारित कराके जब राज्य सभा में उक्त विधेयक पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया, उस समय भाजपा एवं एन.डी.ए. के द्वारा लगभग 150 संशोधन प्रस्तुत किये गये जिसके कारण राज्य सभा से लोक पाल विधेयक पारित नहीं हो सका। इस समय ऐसी धारणा बनी थी कि शायद फिर लोकपाल बिल लम्बित रह जाएगा।

मैं सरकार को बधाई देना चहाता हूं कि आज प्रयास करके इस बिल को पारित करने में एक परस्पर सहमति बनाने में सफलता प्राप्त हो सकी। यहां तक कि इस विधेयक को लेकर जन आंदोलन चलाने वाले श्री अन्ना हमारे जी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं सांसद श्री राहुल गांधी को लोकपाल बिल को पारित कराने में जो पहल की, उसके लिए उन्होंने उनको बधाई दी। आज इस सदन के इतिहास में ऐसा दिन है कि इस बिल को पारित करने पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष तथा बाहर सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे सभी खुश हैं। मुझे विश्वास है कि भारत के लोकतंत्र में आज का दिन सदन के लिए ऐतिहासिक होगा। मैं इसी के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

***श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल):** देर आए दुरुस्त आए। संसद में लोकपाल विधेयक पर चर्चा करने और इसे पारित करने में लगभग 50 वर्ष लग गए। यह दुख की बात है। सरकार को चाहिए था कि कोई भूख हड़ताल करे। सरकार को चाहिए था कि आम चुनाव कराए जाएं। आपने निजी क्षेत्र को क्यों छोड़ दिया है। काले धन को क्यों छोड़ दिया गया है? काला धन और कार्पोरेट क्षेत्र भ्रष्टाचार के स्रोत हैं। आपने इन्हें छोड़ दिया। मैं थोड़े विरोध के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***डॉ. तरुण मंडल (जयनगर):** मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार विपक्षी पार्टियों, विशेषकर भाजपा के साथ साठ-गांठ कर इस लोकपाल विधेयक, 2011 को लोक सभा सदस्यों द्वारा अध्ययन करने और संशोधनों की जांच के लिए अवसर दिए बिना जल्दबाजी में संशोधनों के साथ लेकर आयी। यह बड़ा दुखद है और संसद की प्रथा से परे है।

मुझे इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से संशोधनों का पता लगाना पड़ा। सभी प्रमुख राजनीतिक पर्टियां श्री अन्ना हजारे द्वारा भूख हड़ताल की बाध्यता और दबाव तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों के रुख के कारण बिना किसी अधिक चर्चा के इस विधेयक को पारित कराने पर सहमत हो गई। न तो वर्तमान सरकार और न ही विपक्षी दल वास्तविक रूप में एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल विधेयक लाने के इच्छुक हैं जिसकी मैंने वर्ष 2011 में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मांग की थी जो केन्द्र और विभिन्न राज्यों में चल रही सरकारों से स्पष्ट है। सभी राजनीतिक दलों के कई नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। वे ऐसे भ्रष्टाचार-विरोधी विधेयक क्यों चाहेंगे।

मैं तत्काल एक मजबूत, प्रभावी लोकपाल विधेयक को तत्काल पारित कर अधिनियम बनाने की मांग करता हूं। किंन्तु मुझे विश्वास नहीं है कि इसे पारित कर अधिनियमित करने से देश में भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। सरकार और धनबल इतना मजबूत है कि इसका कार्यान्वयन केवल सरकार और इन धनबल वालों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।

मजबूत संगठित आन्दोलन और लोगों द्वारा सतत सतर्कता से भ्रष्टाचार को रोकने अपना नियंत्रित करने में यह प्रभावी हो सकता है। प्रधान मंत्री और सभी संसद सदस्यों को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। सीबीआई को भी लोकपाल के अधीन लाया जाना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार को जनहित में सूचना प्रपाता (विसलब्लोअर) का संरक्षण करना चाहिए।

***श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):** मैं अपनी पार्टी की ओर से इस लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं।

*** श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर):** डीएमके पार्टी की ओर से हम राज्य सभा द्वारा यथा पारित इन संशोधनों का समर्थन करते हैं। हमारे डीएमके पार्टी के नेता, डॉ. कलाइनार को विधेयक लाने का श्रेय जाता है, यह विधेयक इस लोकपाल विधेयक का अग्रदूत है जिसे 1970 की शुरुआत में लाया गया था।

अब जब सदन ने ऐसे कानून को विचारार्थ लिया है, तो हम पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

***श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती):** एनसीपी पूरे मन से इस लोकपाल विधेयक का समर्थन करती है मुझे गर्व है कि हम सभी एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कामना करते हैं। इस संसद में हम सभी आज एकमत से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए इस लोकपाल विधेयक को पारित कर रहे हैं।

***डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे):** मैं एनसीपी पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में पार्टी की ओर से इस लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को यह महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

***श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़):** हम लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए लोक सभा में एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। लगभग 45 वर्षों बाद भारत के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए हमने कल राज्य सभा में इस भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक को पारित करके पहले ही इतिहास रच दिया है। इससे संपूर्ण देश में लोगों में दो वर्ष पूर्व इसी महीने पनपी कड़वाहट इन घटनाओं के कारण अब दूर हो गयी है।

कल राज्य सभा में पारित होने के पश्चात् यह विधेयक विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए आज लोक सभा में लाया गया है। मुझे राज्य सभा में पारित किए गए इस संशोधित विधेयक पर अपने कुछ विचार रखने पर प्रसन्नता है। इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने के बाद मेरी पार्टी द्वारा कई संशोधन सुझाए गए थे जिन्हें सरकार ने कदाचित स्वीकार कर दिया है।

ये संशोधन निम्न प्रकार हैं:

1. वह खंड जिसमें यह कहा गया है कि सीबीआई के अधिकारियों द्वारा लोकपाल द्वारा भेजे गए मामले की जांच को लोकपाल के अनुमोदन के बिना हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2. उस खंड को हटाना जिसमें राज्यों के लिए लोकायुक्त को स्थापित करना अनिवार्य बनाया गया है, यह खंड 2001 में पारित किए जा रहे विधेयक के लिए अड़चन था।

3. प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदि को शामिल करते हुए एक समिति द्वारा लोक सभा के लिए एक नए चयन का प्रावधान आदि।

इसके अतिरिक्त, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्यों के लिए लोकायुक्त का सृजन भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यदि यह कार्य संघीय ढांचे के विपरीत हो तो कम से कम एक आधुनिक लोकायुक्त कानून राज्यों को भेजने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए और संबंधित राज्यों द्वारा इन कानूनों को स्वीकार कर लेने का सुझाव देना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों हेतु लोकपाल में आरक्षण संविधान के विरुद्ध है और इसका लोप किया जाए।

***श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण):** भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही लोकपाल विधेयक का समर्थन किया है और चाहा है कि राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करती रही है। श्री अन्ना हजारे जी की मृत्यु पर्यंत भूख हड़ताल ने राष्ट्रीय जागरूकता सृजित की है। अब हम अनुरोध कर सकते हैं कि उन्हें अपना उपवास समाप्त कर लेना चाहिए क्योंकि हम इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। लोकपाल भारतीय राजनीति की सफाई में एक सशक्त साधन बनेगा। हमारे नेता अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा जी और जेटली जी सदा ही सदन के भीतर और बाहर इस लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक कानून को पारित कराने के लिए भारत के लोगों की इच्छाशक्ति को भी विनम्रता से नमन करता हूं।

***श्री भक्तचरण दास (कालाहांडी):** मैं इस लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक, जिसे प्रवर समिति के सुझावों से संशोधित किया गया और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है, आज लोक सभा में पुन: प्रस्तुत किया गया है। चूंकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्री नेहरू जी ने 1963 में इसे शुरू किया था, इसलिए इसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 मे और अन्य उत्तरवर्ती प्रधान मंत्रियों ने भी पुन: पेश किया। 56 वर्षों बाद इस विधेयक को पारित किया जा रहा है। देश ने विभिन्न मंचों पर और दोनों सदनों में भी इस पर कई वर्षों तक चर्चा की। कई नेताओं, राजनीतिक दलों और सस्थाओं ने इस विधेयक में अपना योगदान दिया है। मैं धर्मयोद्धा, श्री अन्ना हजारे को धन्यवाद देता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हूं क्योंकि उन्होंने गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र को इस विधेयक को पारित करने की तात्कालिकता के बारे में स्मरण कराया।

मैं अपने नेता, श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में गति प्रदान की और देश से भ्रष्टाचार को पूर्णत: समाप्त करने के लिए इस विधेयक को पारित करने के प्रति अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। मैं सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

अंत में, मैं सभी संस्थाओं, प्राधिकारियों और लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक के पारित होने और अधिनियम बन जाने के बाद इसका सम्मान करें।

***श्री थोल तिरुमावलावन (चिदम्बरम):** जब इस विधेयक को वर्ष 2011 में पहली बार इस सदन में पेश किया गया था तो मैंने इसमें कुछ संशोधनों का सुझाव दिया था। मैं डॉ. अम्बेडकर के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं जो आज अधिक प्रासंगिक हैं। "आज की स्थिति में भारतीय राजनीति में जिसमें हिन्दुओं की भागीदारी है, ये आध्यात्मिक बनने के बदले कुल मिलाकर इतना अधिक व्यावसायिक बन गया है कि यह भ्रष्टाचार का उपनाम बन चुका है। कई सुसंस्कृत लोग इस मलकुण्ड के प्रति अपनी चिंता जताना छोड़ चुके हैं। राजनीति एक मलजल स्राव प्रणाली बन गयी है जो असहनीय रूप से अरुचिकर और अस्वस्थकर है। एक राजनीतिज्ञ बनना गंदी नाली में उतरने जैसा है।" डॉ. अम्बेडकर का कहना था।

1. इस विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल में 50 प्रतिशत से अन्यून आरक्षण अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व., अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों और महिलाओं को दिया जाए। मैं सामाजिक न्याय की भावना की रक्षा करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के इरादे की सराहना करता हूं। किन्तु इसकी अधिकतम सीमा के रूप में व्याख्या की जा सकती है तथा अन्य 50 प्रतिशत का अधिक्रमण ऊंची जातियों के लोगों द्वारा किया जा सकता है। तब यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए अनर्थकारी होगा। इसलिए मैं सरकार से इस बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

2. मैं राष्ट्रीय अ.जा. और अ.ज.जा. आयोग के अध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि लोकपाल की प्रवर समिति में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

3. विधेयक में खोजबीन समिति में अ.जा., अ.ज.जा., अल्पसंख्यकों और महिलाओं हेतु प्रावधान है। किन्तु यह जांच स्कंध और अभियोजन स्कंध के गठन के मामले में मौन है। इन दो स्कंधों में नियुक्ति के लिए भी यही मानदंड अपनाए जाएं।

4. इस विधेयक में लोकपाल के सदस्यों के धार्मिक, जाति और लिंग संबंधी पूर्वाग्रह की जांच के लिए एक खंड जोड़ा जाए। ऐसे पूर्वाग्रही व्यक्ति को लोकपाल में किसी भी पद के लिए चयन नहीं किया जाए।

5. मैं लोकपाल के दायरे में एनजीओ को शामिल करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता है। 4 लाख 30 हजार पंजीकृत एनजीओ में से 70 प्रतिशत से अधिक धार्मिक पृष्ठभूमि वाले हैं। अधिकांश धार्मिक एनजीओ राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। मैं सभी एनजीओ, जिन्हें विदेशों से पैसा मिलता हो या न मिलता हो, को लोकपाल के अंतर्गत शामिल करने हेतु संशोधन करने का सुझाव देता हूं।

6. हमारे विधि मंत्री ने राज्य सभा में कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक, जो लोकसभा में लंबित है और यह कारपोरेट क्षेत्र में भ्रष्ट प्रचलनों की समस्या को दूर करने के लिए, में एक धारा जोड़ी गयी है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे लोकपाल मे भी जोड़ा जाए। न्यायाधीश संतोष हेगड़े जो अन्ना हजारे आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ने भी इस पर बल दिया था। किन्तु "टीम अन्ना" ने इसे जन लोकपाल में शामिल करने से मना कर दिया है। कार्पोरेट घरानों को शामिल किए बिना हम भ्रष्टाचार को कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कार्पोरेट घरानों को भी लोकपाल के दायरे में लाए।

7. आज मीडिया समाज में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उनके पास बड़ी शक्ति है। हमारे पास मीडिया की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। इसलिए मैं जोर देता हूं कि कारपोरेट मीडिया को लोकपाल के दायरे में शामिल किया जाए। कई वरिष्ठ पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसकी मांग की है।

8. इस विधेयक में न्यायिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। हमारे देश में न्यायपालिका की भूमिका की निगरानी के लिए हमारे पास कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। 'न्यायिक सक्रियता' के नाम पर कई अवसरों पर विधायिका की शक्ति की अनदेखी की गई है। आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का निपटान न्यायपालिका कैसे करती है, वह एक उदाहरण है। चूंकि न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर कोई आरक्षण नहीं है तो हम देखते हैं कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अ.जा., अ.ज.जा., अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

हम देखते हैं कि कम प्रतिनिधित्व होने से कई निर्णय पूर्वाग्रह से भरे हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोकपाल के कुछ सदस्यों में से एक तिहाई पद पर ही न्यायिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शामिल किया जाए।

9. इस विधेयक में क्षेत्रीय दलों की चिंता का सम्मान किया गया है और विधानसभाओं में ऐसे विधेयकों को पारित करने का विकल्प राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। किंतु मैं इस पर बल देता हूं कि मुख्य मंत्री को इस विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के लगभग दो वर्ष पश्चात् आज लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित संशोधित स्वरूप में इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस बिल में जो संशोधन लोक सभा से पारित बिल में राज्य सभा की चयन समिति द्वारा किये गये, वे संशोधन पहले भी हो सकते थे तथा यह बिल काफी पहले कानून बन सकता था, परन्तु अध्यक्षा जी यूपीए-टू सरकार की आदत रही है कि बिल प्रस्तुत करने से पहले वह पर्याप्त एवं आवश्यक विचार-विमर्श नहीं करती। बहुत बार श्रेय लेने के चक्कर में भी ऐसा होता रहा है तथा इस कारण सदन के बहुमूल्य समय के कितने दिन, घंटे बर्बाद हो गये। यह जांच का विषय है। इस कारण लोकतांत्रिक मर्यादाओं तथा व्यवहार की जो अवहेलना होती रही है, वह भी अत्यंत चिंताजनक है।

बहरहाल अब यह संशोधित विधेयक प्रस्तुत हुआ है, तो मुझे आशा है कि भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगेगा। आज सम्पूर्ण देश के शासकीय तंत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उससे पीड़ित आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी तथा तंत्र के प्रति उसका भरोसा बहाल होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर):** इस विधेयक को लोक सभा ने दो वर्ष पूर्व 2011 में पारित किया था। जिस रूप में इस विधेयक को लाया गया था, उसके बारे में हमने कई आपत्तियां व्यक्त की थीं, सरकार ने इस पर एक नहीं सुनी और वह इसे पारित करने की हड़बड़ी में थी और पारित करा लिया।

किन्तु उसके बाद जब यह विधेयक राज्य सभा में गया तो सदन के कई वर्गों द्वारा इसका विरोध किया गया और सरकार को इसे ठीक करना पड़ा। उसके पश्चात् इसे प्रवर समिति के पास भेजा गया। उसने अपनी सिफारिशें दीं और राज्य सभा द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया गया। अत: अब हम इसे लोक सभा में पारित करने जा रहे है।

हमारे देश के स्वस्थ विकास के लिए भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिक महत्वपूर्ण है।

यदि सरकार ने दो वर्ष पूर्व हमारे द्वारा कही गई बातों के पीछे के कारणों को समझा होता, तो यह विधेयक उस समय ही पारित हो गया होता।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं उसी बात को दुहराऊंगा जिसे हमारे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने पूर्व में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं लाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही सरकार के अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का मामला उन अधिनियमो के अंतर्गत निपटा जाएगा। इसलिए, उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है।

उसी प्रकार राज्य के मुख्य मंत्रियों को भी राज्य लोकायुक्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसे संबंधित राज्यों पर विचार हेतु और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए।

इसलिए, केन्द्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्य मंत्रियों को लोकपाल और लोकायुक्त विधेयकों के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

दूसरा, सरकार को संदिग्ध लोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। इसी प्रकार, उन लोगों के प्रति बड़ी उदारता दिखाई गई है जो गलत और आधारहीन शिकायतें करते हैं। इसलिए यह पता लगाना कठिन है कि उक्त शिकायत नेक-नीयती से की गयी है। कोई भी यह कह कर फायदा उठा सकता है कि उसने उक्त शिकायत नेक-नीयती से की है। इसलिए, इस पहलू को देखे जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिंदी]

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** मैं लोकपाल बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इसका स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि विश्व मे सबसे प्राचीन संविधान ब्रिटेन का है और अधिकतर मौखिक है, लेकिन वहां की जनता उसका पालन करती

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। लिखित प्राचीन संविधान अमेरिका का है और वहां भी लोग संविधान का पालन करते हैं, किंतु भारत का संविधान लिखित भी है और मौखिक भी है, किंतु पालन कोई भी नहीं करना चाहता। ऐसे में हमें कड़े कानून की आवश्यकता है। लोकपाल बिल वैसे तो 44 वर्ष पुराना है और इसे पिछले वर्ष ही पास कर दिया जाना चाहिए था, किन्तु आज किया जा रहा है। देर आये दुरुस्त आये।

लोकपाल बिल के आने से लोगों में कानून के प्रति डर होगा। लोग भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अन्याय, रिश्वतखोरी तथा अन्य अपराधों को करने से डरेंगे, उनमें कानून का डर होगा। न्याय व्यवस्था सुधरेगी, लोग खुशहाल होंगे। अगर इस बिल में किसी प्रकार की खामियां उत्पन्न होंगी तो समय-समय पर उन्हें संशोधित किया जाएगा।

***श्री बदरुद्दीन अज़मल (धुबरी):** सबसे पहले, तो मैं लोकपाल विधेयक का समर्थन करने के लिए यूपीए सरकार तथा मुख्य विपक्षी दल राजग को धन्यवाद देता हूं और मैं स्वयं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से लोकपाल विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं लोकपाल विधेयक, 2013 के संशोधित संस्करण के बारे में कुछ बिन्दु उठाना चाहता हूं।

नए विधेयक में राज्यों को 365 दिन के अन्दर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश है। मेरे विचार में यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जो इसके लिए अपनी सहमति देंगे।

पुराने विधेयक में केन्द्र सरकार को राज्य लोकायुक्त नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी जबकि नए विधेयक में यह शक्ति राज्यों को दी गई है।

लोकपाल एक अध्यक्ष तथा अधिकतम आठ सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल में पचास प्रतिशत सदस्य अ.जा., अ.ज.जा., अपिव, अल्पसंख्यक वर्गों तथा महिलाओं में से होंगे।

प्रधान मंत्री लोकपाल के दायरे में आएंगे, इसमें विषय सूची से निकाले गए विषय और प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया से सम्बन्धित मामले आएंगे।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है "कि कतिपय लोक कृप्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में शब्द "बासठवें" **के स्थान पर** शब्द "चौंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

2. पृष्ठ 2 पंक्ति 4 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए अर्थात्:

"(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

खंड 3

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 4

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ङ) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेत्ता–सदस्य।"

खंड 14

6. पृष्ठ 9, पंक्ति 18 में "या सहायता प्राप्त" शब्द का लोप किया जाए।

7. पृष्ठ 9, पंक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपये के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।" 2010 का 42

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

खंड 20

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"20. (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो निम्नलिखित के संबंध में आदेश कर सकता है–

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करना; या

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण करना:"

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"परंतु यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है:

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हों, के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

10. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

11. पृष्ठ 12, पंक्ति 9 में "अपने निष्कर्षों की अन्वेषण रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों का लोप किया जाए।

12. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13. पृष्ठ 12, पंक्ति 14 में "लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों **के स्थान पर** "उस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।" शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में "और" तथा पंक्ति 22 में "विनिश्चय कर सकेगी।" शब्द **के स्थान पर** "सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगी।" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित को **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र फाइल किए जाने की स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में निदेश देना;"।

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए।

"(क) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में सक्षम प्राधकारी को निदेश देना।"

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में "सक्षम प्राधिकारी द्वारा" शब्दों का लोप किया जाए।

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 में शब्दों तथा कोष्ठक "अभियोजन खंड को" **के पश्चात्** "या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को" शब्दों को **अन्तःस्थापित** किया जाए।

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 में शब्दों तथा कोष्ठक "(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" का लोप किया जाए।

खंड 23

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान करने के संबंध में लोकपाल की शक्ति।

1973 का 2 "23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष
1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण
1988 का 49 अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

लोकपाल को धारा 20 की उप-धारा (7) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय दायित्व के निर्वहण में कार्य करते हुए या इस निमित्त, अधिनियम के प्रयोजन के कथित रूप से कारित किसी अपराध के दोषी लोक सेवक के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और कोई न्यायालय ऐसे कारित अपराध का, सिवाय लोकपाल की पूर्व मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।"

खंड 25

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"(3) लोकपाल द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को, लोकपाल की अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, से, सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित ऐसी निधियां उपलब्ध करा सकेगी और उक्त निदेशक ऐसे अन्वेषण की बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।"

खंड 37

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को-

राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस आधार पर उसके पद से हटाया जाए।"

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (2)" **से पूर्व** "इस संबंध में सिफारिशों की प्राप्ति या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम आदेश" शब्द **अन्तःस्थापित** किये जाएं।

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 में शब्दों "रिपोर्ट की प्राप्ति" **से पूर्व** "अंतिम" शब्द **अन्तःस्थापित** किया जाए।

खंड 46

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 और 31 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "सद्भावपूर्वक" शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतर्कता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य की गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।"

खंड 63

28. पृष्ठ 24 और 25 में, खंड 63 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"भाग 3

लोकायुक्त की स्थापना

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत न किये जाने की स्थिति में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगा।" लोकायुक्त की स्थापना।

खंड 64 से 97 का विलोपन

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए।

अनुसूची

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 में अंक "2011" **के स्थान पर** "2013" अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"2. धारा 4ख **के पश्चात्,** निम्नलिखित धारा **अन्त:स्थापित** की जाएगी, अर्थात्:– नई धारा 4ख क का अन्त:स्थापन।

"4ख क. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून एक अधिकारी होगा, की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा। अभियोजन निदेशक

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्ण अधीक्षण एवं नियंत्रणाधीन, कार्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवाशर्तों से संबंधित नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जब वह अपना पद धारण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा।"

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 से 36 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 1 में शब्द "बासठवें" **के स्थान पर** शब्द "चौंसठवें" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 4 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 7 से 12 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।"

खंड 3

4. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

खंड 4

5. पृष्ठ 5, पंक्ति 21 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ङ) उपर्युक्त खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा यथा अनुशंसित, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेत्ता–सदस्य।"

खंड 14

6. पृष्ठ, 9, पंक्ति 18 में "या सहायता प्राप्त" शब्दों का लोप किया जाए।

7. पृष्ठ 9, पंक्ति 23 से 29 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी 2010 का 42 विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपये के आधिक्य में या ऐसी उच्चतर राशि, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्तिसंगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है।"

खंड 20

8. पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 18 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"20.(1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त करने पर, यदि मामले में आगे कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो निम्नलिखित के संबंध में आदेश कर सकता है–

(क) यह अभिनिश्चित करने के संबंध में कि क्या मामले में कार्यवाही किए जाने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, अपने जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना भी है) द्वारा किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने की कार्यवाही करना; या

(ख) जिस मामले में प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है तो किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण करना:"

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 28 **के पश्चात्**, निम्नलिखित परंतुक **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"परंतु यह भी कि खंड (ख) के अन्तर्गत किसी अन्वेषण का आदेश देने से पूर्व, लोकपाल इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण की मांग करेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या मामले में अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है:

परंतु यह भी कि अन्वेषण से पूर्व, इस संबंध में लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया से, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हों, के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

10. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

11. पृष्ठ 12, पंक्ति 9 में "अपने निष्कर्षों की अन्वेषण रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों का लोप किया जाए।

12. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13. पृष्ठ 12, पंक्ति 14 में "लोकपाल को प्रस्तुत करेगा" शब्दों **के स्थान** पर "उस धारा के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

14. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 में "और"–तथा पंक्ति 22 में "विनिश्चय कर सकेगी।" शब्दों **के स्थान पर** "सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगी।" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

15. पृष्ठ 12, पंक्ति 18 तथा 19 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र फाइल किए जाने की स्वीकृति देना या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल किए जाने के बारे में निदेश देना;"।

16. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 तथा 21 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए।

"(क) संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के बारे में सक्षम प्राधिकारी को निदेश देना।"

17. पृष्ठ 12, पंक्ति 20 में "सक्षम प्राधिकारी द्वारा" शब्दों का लोप किया जाए।

18. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 में शब्दों तथा कोष्ठक "अभियोजन खंड को" **के पश्चात्** "या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को" शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाए।

19. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

20. पृष्ठ 12, पंक्ति 24 तथा 25 में शब्दों तथा कोष्ठक "(जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है)" का लोप किया जाए।

खंड 23

21. पृष्ठ 13, पंक्ति 9 से 20 में, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

अभियोजन प्रारंभ करने के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान करने के संबंध में लोकपाल की शक्ति।

1973 का 25 "23(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष
1946 का 25 पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण
1988 का 49 अधिनियम, 1988 की धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

लोकपाल को धारा 20 की उप-धारा (7) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) लोक सेवक द्वारा अपने शासकीय दायित्व के निर्वहण मे कार्य करते हुए या इस निमित्त, अधिनियम के प्रयोजन के कथित रूप से कारित किसी अपराध के दोषी लोक सेवक के विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और कोई न्यायालय ऐसे कारित अपराध का, सिवाय लोकपाल की पूर्व मंजूरी के, संज्ञान नहीं ले सकेगा।"

खंड 25

22. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

23. पृष्ठ 14, पंक्ति 4 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"(3) लोकपाल द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किसी मामले के अन्वेषण के लिए नियत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को, लोकपाल की अनुमति के बिना, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामले के संचालन के लिए, लोकपाल की सहमति, से सरकारी अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकेगी।

(5) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त लोकपाल द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के प्रभावी अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा समय-समय पर यथा-अपेक्षित ऐसी निधियां उपलब्ध करा सकेगी और उक्त निदेशक ऐसे अन्वेषण की बाबत हुए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।"

खंड 37

24. पृष्ठ 18, पंक्ति 5 से 14 में निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को- राष्ट्रपति द्वारा संसद के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने पर कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाए।"

25. पृष्ठ 18, पंक्ति 15 में शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (2)" **से पूर्व** "इस संबंध में सिफारिशों की प्राप्ति या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम आदेश" शब्द **अन्तःस्थापित** किये जाएं।

26. पृष्ठ 18, पंक्ति 16 में शब्दों "रिपोर्ट की प्राप्ति" **से पूर्व** "अंतिम" शब्द **अन्तःस्थापित** किया जाए।

खंड 46

27. पृष्ठ 21, पंक्ति 30 और 31 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "सद्भावपूर्वक" शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक सावधानी, सतर्कता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए या उसके द्वारा कारित या उसके द्वारा विश्वास करने योग्य तथ्य की गलती से कारित कृत्य होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन विधि द्वारा न्यायानुमत हो।"

खंड 63

28. पृष्ठ 24 और 25 में, खंड 63 को निम्नलिखित द्वारा **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

"भाग 3

लोकायुक्त की स्थापना

63. प्रत्येक राज्य कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधि द्वारा स्थापित, गठित या नियत न किये जाने की स्थिति में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगा।" लोकायुक्त की स्थापना।

खंड 64 से 97 का विलोपन

29. पृष्ठ 26 से 38 में, खंड 64 से 97 का लोप किया जाए।

अनुसूची

30. पृष्ठ 39, पंक्ति 8 में अंक "2011" **के स्थान पर** "2013" अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

31. पृष्ठ 39, पंक्ति 20 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाए, अर्थात्:–

"2. धारा 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा **अन्तःस्थापित** की जाएगी, अर्थात्:– नई धारा 4ख क का अन्तःस्थापन।

"4ख क. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन के लिए, एक निदेशक, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून एक अधिकारी होगा, की अध्यक्षता में एक अभियोजन निदेशालय होगा। अभियोजन निदेशक।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के संपूर्ण अधीक्षण एवं नियंत्रणाधीन, कार्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवाशर्तों से संबंधित नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से जब वह अपना पद धारण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा।"

32. पृष्ठ 40, पंक्ति 16 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

33. पृष्ठ 40, पंक्ति 21 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

34. पृष्ठ 40, पंक्ति 26 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

35. पृष्ठ 40, पंक्ति 30 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

36. पृष्ठ 41, पंक्ति 20 में अंक "2011" **के स्थान पर** अंक "2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.45 बजे

इस समय, श्री अनंत गंगाराम गीते, श्री अर्जुन चरण सेठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि राज्य सभा द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.46 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013 को भी विचार और पारित किए जाने के लिए अनुपूरक कार्यसूची में शामिल किया गया है। इस विधेयक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 2007 के अधीन बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी-शिबपुर, पश्चिम बंगाल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर, पश्चिम बंगाल बनाए जाने का प्रावधान है। यह विधेयक संस्थान में बड़ी संख्या में अध्ययनरत छात्रों से जुड़ा हुआ है।

कल कार्यमंत्रणा समिति की हुई बैठक में सदस्य इस बात पर एकमत थे कि इस विधेयक को सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए।

अत: मेरा प्रस्ताव है कि सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाओं को लाए जाने से पहले इस विधेयक को भी लिया जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.46½ बजे

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2013

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) महोदया, मैं श्री एम.एम. पल्लम राजू की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 13 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

...(व्यवधान)

डॉ. शशी थरूर: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.50 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय उप-महाकौंसल के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में

[हिंदी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागडे के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, हम इसकी निन्दा करते हैं। इस संबंध में हम नेता विपक्ष से यह चाहेंगे कि इस महिला के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ है, इसकी निन्दा का प्रस्ताव लाइए, हम लोग निन्दा प्रस्ताव पास करेंगे। भाषण तो बहुत होते रहते हैं, बाहर जाकर बयान भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप निन्दा का प्रस्ताव कीजिए। यह डरपोक है और आप अमेरिका से डरते हो। *...(व्यवधान)* हमारे देश को डरपोक बना दिया। उनको गिरफ्तार किया गया और कपड़े उतरवा कर

उनकी जांच की गई। इससे हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। ...*(व्यवधान)* इससे पहले भी हमारी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खां को वहां मुसलमान के नाम पर रोका गया था। उनको एक घंटे तक बैठाए रखा गया। ...*(व्यवधान)* उनकी जांच करायी गयी। कुम्भ के मेले के आयोजन के इंचार्ज होने के कारण उनको खुद अमेरिका ने बुलाया था, यह जानने के लिए कि इतनी भीड़ ने कुम्भ मेले में किस तरह से स्नान किया था। ...*(व्यवधान)* उस मेले के आयोजन के इंचार्ज आज़म खां को निमंत्रण देकर बुलाया गया और वहां बुलाकर उनको अपमानित किया गया। ...*(व्यवधान)* इसी तरह से भारत सरकार के मंत्री को अपमानित किया गया, आज़म खां जी को अपमानित किया, कलाम साहब को अपमानित किया। क्या अमेरिका की हिन्दुस्तान पर दादागिरी चलेगी? क्या है अमेरिका? अमेरिका बुरी तरह से डरता है। छोटा सा धमाका अमेरिका में कर दिया तो थर-थर कांपते रहते हैं। उस अमेरिका से हिन्दुस्तान इतना डरता है कि हमारे बड़े-बड़े नेताओं का, हमारे देश के राष्ट्रपति का अपमान हो, हमारे मोहम्मद आजम खां का अपमान हो। जॉर्ज फर्नांडिस का अपमान किया गया। हमारी सरकार के मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल पटेल का अपमान किया गया। कोई बचा नहीं है, जिसका अपमान न किया गया हो। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि अमेरिका के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाइए। अमेरिका की दादागिरी कहां है, उसे तो एक नौजवान ने ठीक कर दिया। ...*(व्यवधान)* अरब कंट्रीज से अमेरिका थर-थर कांपता है। ...*(व्यवधान)* लेकिन हिन्दुस्तान का अपमान होता चला जा रहा है। ...*(व्यवधान)* इसलिए अध्यक्ष महोदया मैं कहना चाहता हूं कि हमारी महिला राजनयिक के कपड़े उतरवा कर जो अपमान किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह महिला का अपमान नहीं है, देश का अपमान है। ...*(व्यवधान)* इसलिए यहां निंदा का प्रस्ताव पास कीजिए ...*(व्यवधान)* और हमेशा के लिए अमेरिका को वार्निंग दीजिए, नहीं तो अमेरिका के लोगों को भी नंगा कीजिए, अगर हिम्मत हो तो। ...*(व्यवधान)* अमेरिका हिन्दुस्तान से माफी मांगे। ...*(व्यवधान)* निंदा का प्रस्ताव पास कीजिए और मांग कीजिए कि अमेरिका हिन्दुस्तान से माफी मांगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए हमारी आपसे यह अपील है इसे गम्भीरता से लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, जो विषय भाई मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में रखा है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उसमें संबद्ध करने के लिए खड़ी हुई हूं। ...*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि यह दलों का विषय नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी भारतीय संसद इसमें एक है क्योंकि जो कुछ देवयानी के साथ घटा, वह पहली घटना नहीं है। बहुत-सी शख्सियतों का जिक्र भाई मुलायम सिंह जी ने किया है। ...*(व्यवधान)* जार्ज फर्नांडिस से जो सिलसिला शुरू हुआ, वह एपीजे अब्दुल कलाम से होते हुए, पहले मीरा शंकर तक पहुंचा था। ...*(व्यवधान)* वे भी वहां हमारी राजदूत थीं। उसके बाद अब यह सिलसिला देवयानी तक पहुंचा है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो वे कहना भूल गए कि वह अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल गई थी और वहां उसे हथकड़ी डालकर गिरफ्तार किया गया। ...*(व्यवधान)* जब हमारे किसी राजनयिक पर इस तरह की घटना घटती है, तो पूरा देश अपमानित होता है। इसलिए जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं उन तमाम भावनाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं, लेकिन इसके साथ में मैं एक और विषय भी उठाना चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग, डॉ. तरुण मंडल और श्री अर्जुन राम मेघवाल श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, यह अमेरिका की भर्त्सना है ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो अमेरिका में घटा उसके बारे में तो मुलायम सिंह जी ने विस्तार से कहा और मैंने दो वाक्य जोड़ कर अपने आपको उससे संबद्ध किया है। लेकिन हम एक और घटना की अनदेखी कर रहे हैं। हमारे एक नौसैनिक सुनील जेम्स इस समय टोगो की जेल में बंद है।

उन पर आरोप है कि वे वहां के जलदस्युओं से मिल गए थे। उनकी मिलीभगत के कारण उन्हें बंद करके रखा गया है। अध्यक्ष महोदया, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहां उनके 11 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई है और उसके मृत शरीर को उनके घर के लोगों ने रखा हुआ है कि उसका पिता आएगा और उस मृत बच्चे का अंतिम बार मुंह देखे और उसका अंतिम संस्कार करे। उनके माता-पिता प्रधानमंत्री जी से मिले भी हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि इटली के दो नौसैनिक केरल में हमारे दो मछुआरों को मार करके उनकी हत्या के आरोप में भारतीय जेल में कैदी थे। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि हमें वोट डालने के लिए इटली जाना है। ...*(व्यवधान)* भारतीय अदालतों ने उनके इस अधिकार का सम्मान करते हुए उन्हें इटली भेजने की बात की। ...*(व्यवधान)* लेकिन यह तो बहुत बड़ी मानवीय संवेदना का मामला है। ...*(व्यवधान)* उसका ग्यारह महीने का बच्चा मर गया और यहां पर उसका मृत शरीर इम्बाम करके रखा गया है कि वह आए, बच्चे का मुंह देखे और उसका अंतिम संस्कार करे। ...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहती हूं भारत भारत से, हमारे विदेश मंत्री जी यहां बैठे हैं कि टोगो जैसे छोटे देश हमें आंख दिखाते हैं। ...*(व्यवधान)* आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, छोटे-छोटे देश हमें आंख दिखाते हैं। ...*(व्यवधान)* भारत इतनी बड़ी पावर है। ...*(व्यवधान)* आप टोगो की सरकार से कहिए कि सुनील जेम्स को तुरंत यहां भेजें ताकि वे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करके वापस लौटें। ...*(व्यवधान)* अगर हमारी भारतीय अदालतें वोट के अधिकार का सम्मान करते हुए इटली के नौसैनिकों को वापस भेज सकती हैं तो वह व्यक्ति जिसका बच्चा मर गया है और यहां उसके परिवार के लोग उसका मृत शव रख कर बैठे हैं, इस बारे में भारत सरकार बात करे और सुनील जेम्स को तुरंत वापस लेकर आए। ...*(व्यवधान)*

अमेरिका के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव करने की बात है तो भारतीय संसद एक सुर में बोले कि भारत अमेरिका के द्वारा किया गया ऐसा अपमान स्वीकार नहीं करेगा। ...*(व्यवधान)* यह एक सुर से संसद से जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए विषय के साथ श्री बी.वाई. राघवेन्द्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री शिवराम गौड्डा, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी, श्री श्रीपाद येसो नाईक, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री हरिन पाठक, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्री नारनभाई काछडिया, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री सी.आर. पाटिल, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डॉ. तरूण मंडल और डॉ. मेहबूब बेग स्वयं को संबद्ध करते हैं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदया, भारत की एक राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार अमेरिका प्रशासन ने किया है, मैं उसकी निंदा करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया गया। ...*(व्यवधान)* हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी ने अमेरिकी प्रशासन के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)* इसके बावजूद अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। ...*(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि उस राजनयिक के साथ जिस प्रकार से कानून के नाम पर अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ भारत सरकार सख्त कार्रवाई करे और जितनी जल्दी हो, देवयानी खोबरागड़े के साथ जो अन्याय हुआ, उसका हिसाब करे। ...*(व्यवधान)*

दूसरी बात, सुनील जेम्स के बार में सुषमा स्वराज जी ने जो अपनी बात रखी है, सुनील जेम्स मेरी कंस्टीट्यूएंसी के रहने वाले एक नौजवान कैप्टन हैं। ...*(व्यवधान)* वे जब टोगो में शिप पर थे तो वहां पर जो वहां के समुद्री डाकू होते हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाते हुए टोगो के प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। ...*(व्यवधान)* टोगो के प्रशासन की तरफ से उस कैप्टन की तारीफ करने के बजाए उसको पिछले छः महीने से टोगो की सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है। ...*(व्यवधान)* जब उसके परिवार के लोगों ने मुझ से संपर्क स्थापित किया तो मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी से बात की। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी ने उसके परिवार को बुलाया, बैठे, बातचीत की। कानूनी कार्रवाई चल रही है। ...*(व्यवधान)* इसके बावजूद सुनील जेम्स को अभी तक नहीं छोड़ा गया

है जबकि उसका ग्यारह महीने के बच्चे का देहांत हुए पन्द्रह दिनों से ज्यादा हो गये हैं। उस बच्चे की बॉडी अभी भी अंधेरी की मॉर्ग में पड़ी है। ...*(व्यवधान)*

मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं टोगो के राष्ट्राध्यक्ष से बात करें या विदेश मंत्री महोदय टोगो के विदेश मंत्री से बात करें और जितनी जल्दी हो, सुनील जेम्स को छुड़ाया जा सके। ...*(व्यवधान)*

इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के साथ विदेशों में जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उस दुर्व्यवहार के खिलाफ भारत सरकार को सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए ताकि भारत के नागरिकों के साथ दूसरे देशों में किसी प्रकार का अत्याचार न हो, अनाचार न हो। ...*(व्यवधान)*

मैडम, मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे ही क्षेत्र के एक नौजवान हैं जिनकी कतर के एयरपोर्ट पर हत्या कर दी गयी और कतर के अस्पताल में उनकी बॉडी पिछले बीस दिनों से पड़ी है। ...*(व्यवधान)* बार-बार उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस एयरपोर्ट पर उनकी हत्या हुई है, कम से कम वहां का सीसीटीवी फुटेज दीजिए क्योंकि उनको ऐसा अंदाज है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि उनकी हत्या की गयी है। ...*(व्यवधान)* वहां की सरकार सीसीटीवी की फुटेज नहीं दे रही है। ...*(व्यवधान)* वहां की सरकार से हमारी सरकार को बात करनी चाहिए ताकि भारतीय नागरिकों के साथ हमेशा जो दुर्व्यवहार होता है, वह दुर्व्यवहार खत्म हो और भारत सरकार को विदेशी सरकारों के साथ सख्त ढंग से बात करनी चाहिए ताकि हमारे नागरिकों को राहत मिले, उनको न्याय मिले। ...*(व्यवधान)*

महोदया, आपने देवयानी खोबरागड़े के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से जो मना किया, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना लिया। ...*(व्यवधान)* हमारे गृह मंत्री जी ने मिलने से मना किया। ...*(व्यवधान)* भारत को सॉफ्ट स्टेट की नहीं, बल्कि एक हार्ड स्टेट की भूमिका में खड़ा रहना पड़ेगा ताकि हम अपने नागरिकों की हिफाजत कर सकें।

अध्यक्ष महोदया: श्री संजय निरुपम द्वारा उठाए गए विषय के साथ श्री एस.एस. रामासुब्बू स्वयं को संबद्ध करते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दम दम): मैं न्यूयार्क के महावाणिज्यक दूतावास में तैनात 39 वर्षीय युवा राजनयिक को अमरिकी सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई की भर्त्सना करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अमेरिकी प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के साथ अनुबंध रोंजगार के मुद्दे पर युवा राजनयिक के हाथों में हथकड़ी लगाई। उन्होंने उनके कपड़े उतरवाये और उनकी तलाशी ली और उन्होंने उन्हें नशा करने वाले और अन्य अपराधियों के साथ रखा। यह केवल देवयानी का अपमान नहीं है यह भारतीय नारित्व और सभी भारतीयों का अपमान है। हम कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और यह मांग करते हैं कि सभा एक संकल्प पारित कर इसकी भर्त्सना करे। मुझे खुशी है कि भारतीय सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चाणक्यपुरी स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने से सभी बैरिकेड हटा दिए और दिल्ली में रह रहे सभी अमरिकी राजनयिकों से उनके पहचान पत्र मांगे तथा अमरिकी राजनयिकों के पास कार्यरत भारतीय नागरिकों के रोजगार का ब्यौरा मांगा।

मैं आपके द्वारा अमरिकी संसद के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इन्कार करने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा भी अमेरिकी संसद प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार करने के लिए उनकी भी प्रशंसा करता हूं। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए की ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने प्रतिष्ठित भारतीयों का अपमान किया है और इस बार एक महिला राजनयिक का मामला है।

जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर हमारे लोकप्रिय अभिनेता सलमान खान, शाहरूख खान और आमिर खान तक अमरीका जाने वाले भारतीयों का अमरीका वासियों ने बार-बार अपमान किया है। हमें यह दिखा देना चाहिए कि हम सब अमरीका के इस रवैये की भर्त्सना करते हैं। अमरीका विश्व का सर्वोपरि देश नहीं है और भारत को एक राष्ट्र के रूप में इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का समर्थन करता हूं जो कि भारतीय नाविक सुनील जेम्स की टोगो में नजरबंदी से सम्बन्धित है। बनाना रिपब्लिक जैसे छोटे देश ने भी भारत के साथ ऐसा करने का दु:साहस

किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को इन दोनों घटनाओं– न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक के अपमान तथा टोगो में सुनील जेम्स को हिरासत में लेने की भर्त्सना करते हुए उसकी रिहाई के लिए एकजुट प्रयास करने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदया, मैं अपने सभी साथियों के बचाव तथा उनके साथ अपने आप को सम्बद्ध करती हूं जो देवयानी खोबरागडे के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। मैं सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों की सराहना करती हूं। मेरा विचार है कि यह वास्तव में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पिछले कुछ महीनों मैं यह पढ़कर सच में थक चुकी हूं कि यदि कुछ गलत होता है तो उसके पीछे राजनैतिक वर्ग ही होता है और कुछ अच्छा होता है तो इस सभा से बाहर होता है। परन्तु आज, लोकपाल विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके तथा भारतीय होने के नाते देवयानी खोबरागडे का पक्ष लेकर, मेरे विचार में, भारत की पूरी राजनीतिक बिरादरी ने राष्ट्र के समक्ष यह साबित कर दिया है कि हम सब भारत के हित और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: शरद जी, कृपया बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, भाई मुलायम सिंह जी, सुषमा स्वराज जी और सारे सदन के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, मैं इन सारे माननीय सदस्यों के साथ अपनी भावना सम्बद्ध करता हूं।

मैं भारत सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, यह एक घटना नहीं है, आपके पूर्व राष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, जार्ज फर्नांडीज, प्रफुल्ल पटेल, पी, शंकर, सारे लोगों के साथ ये निरंतर हो रहा है। ...*(व्यवधान)* इस समस्या का विदेश मंत्री जी ठीक से जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब आप समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: यह जवाब नहीं है कि आप अमेरिकन एम्बेसी के सामने ...*(व्यवधान)* बैरीकेड हटा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आज जो बैरीकेड हटा रहे हैं, यह एक तरह से आपकी कमजोरी को दिखाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): अमेरिका में हमारी भारतीय राजनयिक सुश्री देवयानी खोबरागडे को गिरफ्तार करने तथा उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की भर्त्सना करने में मैं भी अपने सहयोगियों के साथ हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री शरद यादव: लेकिन असली बात यह है कि अमेरिकी सरकार से आप, इतने समय से निरन्तर इस देश के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या नीति है... ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात पूरी करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तंबिदुरै: अमरीका में जो कुछ हो रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। जब पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम अमेरिका गए थे, तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया था। ...*(व्यवधान)* हमें इसकी भर्त्सना करनी होगी तथा इस पर भारत सरकार की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। केन्द्र सरकार ने इस पर जो भी कार्रवाई की है, वह पर्याप्त नहीं है। हमें इस पर गम्भीर होना होगा तथा अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हमें अपने सम्बन्धों पर पुनर्विचार करना होगा। अतः मैं अपनी अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से हमारी भारतीय राजनयिक का अपमान करने के लिए अमरिकी अधिकारियों की कड़ी निंदा करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: शरद जी, आप कृपया बैठ जाइये। आपकी बात हो गई।

श्री शरद यादव: आप निन्दा करिये। यहां से सदन से निन्दा का प्रस्ताव पास करिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: वे बोल रहे हैं, यह क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं? आप अपनी बात समाप्त करिये। आप बैठ जाइये। श्री दारा सिंह चौहान।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, जिस तरीके से अमेरिका में एक महिला राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो अमेरिका के लोगों ने वहां के प्रशासन के द्वारा किया है, उसकी निन्दा इससे पहले राज्य सभा में हो चुकी है। ...*(व्यवधान)* यह केवल एक राजनयिक का सवाल नहीं है, यह तो बड़ी अच्छी तरह से पेपर में आ गया है, हमारे हिन्दुस्तान और खास करके उत्तर के तमाम जो गरीब लोग हैं, चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों, जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं या दूसरे छोटे-छोटे मुल्कों में जाते हैं, जिस तरीके से उनके साथ अन्याय, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार होता है, उसकी भी हम निन्दा करते हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए राज्य सभा में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने पूरी विदेश नीति की समीक्षा की बात कही है कि जिस तरीके से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात समाप्त हो गई। श्री नामा नागेश्वर राव।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: आज तो महिला के साथ आंसू बहाते हैं और जिस महिला के साथ, राजनयिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, भारत सरकार को अमेरिका के साथ इतना ही नहीं, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदया, आज मुझे यह अवसर देने के लिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक राष्ट्र के रूप में हम, अमरिकी सरकार द्वारा हमारे डिप्टी काउन्सल-जनरल के साथ दुर्व्यवहार करने पर बहुत चिन्तित हैं।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: आप समाप्त करिये। श्री नामा नागेश्वर राव।

श्री दारा सिंह चौहान: हम इस हाउस में आज पूरे सदन की तरफ से यह कहना चाहते हैं। धन्यवाद। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: चिन्ता का विषय यह नहीं है कि वे एक महिला हैं। अपितु यह है कि जो देश अमरीका के साथ लम्बे समय से मित्रवत करने का प्रयास कर रहा है उसका उनकी सरकार द्वारा लगातार और नियमित आधार पर अपमान किया जा रहा है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में, तत्कालीन रक्षा मंत्री के कपड़े तक उतारे गए तथा उनकी जांच की गई कि वह क्या ले जा रहे हैं। इसी तरह, यूपीए-I तथा यूपीए II के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: श्री नामा नागेश्वर राव जी, आप बोलिये।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम, देवयानी जी को, भारत देश को जिस तरीके से अमेरिका ने अपमानित किया है, उसको इस गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि, यह एक दफा नहीं हुआ है। पहले भी श्री अब्दुल कलाम से लेकर प्रफुल्ल पटेल जी से लेकर बहुत से लोगों को जिस तरह से अपमानित किया है, उसकी हम लोग निन्दा करते हैं। हम लोग विदेशियों को बहुत रैस्पैक्ट देते हैं, अमेरिकन्स को देते हैं, इटेलियंस को देते हैं, इटली वालों ने भारत देश में आकर दो मछुआरों का मर्डर किया, उनको वोट डालने के लिए हमने छूट दी है, हम इटली वालों को छोड़ देते हैं, मगर सुनील जेम्स का जो बच्चा है, जिसकी डैथ हुई है, उस बच्चे को देखने के लिए उसको लेकर नहीं आ रहे हैं, उसको बहुत तकलीफ है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये। बस, हो गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी तो आप अपनी भावना व्यक्त करिये। आपकी बात हो गई, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर): मैं, हमारी राजनयिक, सुश्री देवयानी खोबरागडे के खिलाफ अमरिकी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विभिन्न राजनीतिक नेताओं द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। ऐसा बार-बार हो रहा है। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया है कि जब किसी अन्य देश के उच्चायुक्त, जो कि भारत में कार्यरत है, ने हमारे नेताओं की आलोचना की है। भारत में कार्यरत श्रीलंका के उच्चायुक्त ने हमारे राजनेताओं की आलोचना की है। ऐसी गतिविधियां तुरन्त बन्द होनी चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया को अमरिकी कांग्रेस के सदस्यों को मिलने का समय न देने के लिए धन्यवाद करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): अध्यक्षा जी, राजनयिक अधिकारी श्रीमती खोबरागड़े के साथ अमेरिका ने जो दुर्व्यवहार किया है, उस दुर्व्यवहार की हम निंदा करते हैं। ...*(व्यवधान)* शिव सेना की ओर से इसकी कड़ी निन्दा करते हैं। ...*(व्यवधान)* जो भारतीय डिप्लोमैट्स जाते हैं, उनके साथ भी लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है। ...*(व्यवधान)* हमारे जो मंत्री जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ...*(व्यवधान)* मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस संदर्भ में कड़ा और सख्त से सख्त कदम उठाए।

अध्यक्ष महोदया: असादुद्दीन ओवेसी जी, खड़े होइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप नहीं बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री ए. सम्पत।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी सी.पी.आई.(एम) की ओर से अमरिकी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिक विशेषकर महिला राजनयिक के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सख्त भर्त्सना करता हूं। यह पहली बार नहीं है जब हम इस सम्मानित सभा में इस प्रकार की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप भी जानती हैं कि अमेरिका में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के साथ दुर्व्यवहार किया गया, फिल्म स्टार शाहरूख खान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, प्रसिद्ध सिने स्टार कमल हासन के साथ भी अमरिका में दुर्व्यवहार किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पास अधिक समय नहीं है। आप जानते हैं कि सभा में क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदया, मैं बहुत ही भारी मन से तथा साथ ही विश्वास के साथ आज इस सभा में खड़ा हो रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

हमारे सम्मानित सदस्यों ने आग्रह किया है, यह एक भावनात्मक विषय है, भारत के सम्मान का एक विषय है और हम सबकी भावना को ठेस लगी है। ...*(व्यवधान)* भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नौजवान महिला, एक वह व्यक्ति जिसको हम बड़े सम्मान से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भारत का संदेश ये लोग, हमारे अधिकारीगण वहां तक पहुंचायेंगे, उसके सम्मान में गुस्ताखी हुयी है। ...*(व्यवधान)* उसके सम्मान पर यह प्रश्नचिह्न लगाने की किसी ने कोशिश की है, हम इसकी निन्दा करते हैं, घोर निन्दा करते हैं। ...*(व्यवधान)* हम यह जानते हैं कि इस विषय पर हमारा पूरा देश एक ध्वनि और एक भावना के साथ और यह पूरा सदन एक भावना के साथ अपनी बात कह रहा है। ...*(व्यवधान)*

मेरे दिल में यह दर्द है कि जब हम ऐसे संवेदनशील समय पर खड़े होकर एक ध्वनि में अपनी बात कहना चाहते

हैं, हमारे कुछ सम्मानित साथी इस बात को सुन नहीं पा रहे हैं और दूसरों को कहने में यह बाधा डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इनसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि कम से कम आज के इस समय पर और इस घटनाक्रम के बाद एक ध्वनि में हम सब लोगों को बोलने दें। ...*(व्यवधान)*

मैडम, मैं यह बताना चाहता हूं, इस घटना के संबंध में यह मैं कह सकता हूं कि जो हमारी समझ है, जो कार्रवाई हमारे अधिकारी के साथ की गयी, उस कार्रवाई की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। ...*(व्यवधान)* वह निर्दोष है। ...*(व्यवधान)* बल्कि अगर कुछ किया तो यह किया कि गलत काम करने से इन्कार किया। ...*(व्यवधान)* उससे यह कहा गया और यह दुख का विषय है कि कुछ लोग, हमारे ही पासपोर्ट के लोग जो यह जाकर कहते हैं कि हम आपके यहां काम करना चाहते हैं और वह फिर षड्यन्त्र रचाकर दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपमानित करना चाहते हैं, उन्होंने यह चाहा कि दबाव डालकर किसी तरह से वह यह हस्ताक्षर करवा लें और यह सहमति ले लें कि उनको कहीं और काम करने का भी अधिकार है। ...*(व्यवधान)* जब इस पर कार्रवाई करने के लिए हमने वहां के अधिकारियों से कहा तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुयी। ...*(व्यवधान)* हमने परामर्श दिया कि यहां पर हाईकोर्ट में कार्रवाई के लिए आप याचिका पेश करें। ...*(व्यवधान)* हमने यह भी कहा कि पुलिस के सामने आप याचिका पेश करें। ...*(व्यवधान)* यहां से मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट वारंट उन लोगों के लिए दिया जो यह षड्यन्त्र कर रहे थे। ...*(व्यवधान)* वह अरेस्ट वारंट हमने यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार को प्रस्तुत किया। ...*(व्यवधान)* जो हमारा उनको प्रस्तुत करने का उचित तरीका है, उस तरह से किया। ...*(व्यवधान)* इसके बावजूद उसको न पकड़कर, उसको हिरासत में न लेकर हमारे अधिकारी को हिरासत में लिया। ...*(व्यवधान)* उसके बाद उन पर क्या-क्या गुजरा है, मैं समझता हूं कि वह दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)* उसी का हमें विशेष खेद है, उसी की हमें पीड़ा है और उसी का का हमें दर्द है। ...*(व्यवधान)* मैं यह बताना चाहता हूं कि सतर्कता के साथ उसके सहयोग में जुलाई से लेकर अब तक हमें जो करना था, वह हम करते रहे। ...*(व्यवधान)* अब जो घटना घटी है, हम यह मानते हैं कि सबसे पहले हमारा प्रयत्न और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको उस स्थिति से बाहर निकालें, उसको सुरक्षित करें और उसके बाद हमको जो विस्तार से चर्चा यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के साथ करनी है, हम वह चर्चा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

लेकिन, मैं जानता हूं कि अभी हमारे सारे सदस्यगण अपनी-अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 13 तारीख को कुछ कार्रवाई शुरू की है। हमने अमेरिका के राजदूत को मिनिस्ट्री में बुला कर ...*(व्यवधान)* अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। हम लोगों ने क्या-क्या किया है, उसे सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की है। ...*(व्यवधान)* उस तत्काल कार्रवाई में प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने स्टेट के सभी डिपार्टमेंट्स को यह कहा है कि काउंसलर आईडेन्टिटी कार्ड मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में विदड्रॉ कर दिए जाएं। ...*(व्यवधान)* हम उन पर पुनर्विचार करेंगे और जब तक उन पर पुनर्विचार नहीं होता है, वे काउंसलर कार्ड उनको उपलब्ध नहीं होंगे। ...*(व्यवधान)* हमने यह भी कह दिया है कि भारत के एयरपोर्ट्स में जो पासेज काउंसलर स्टाफ को दिए जाते हैं, वे प्रोटोकॉल तत्काल 19 दिसम्बर तक विदड्रॉ कर लें, ताकि हमने जो उनको सुविधाएं दी हैं। ...*(व्यवधान)* जो सुविधाएं हमने उनको उदारता से दी थीं, हम समझते हैं कि वे सुविधाएं अब उनको लेने का अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)* स्टेट प्रोटोकॉल को हमने यह भी कहा है कि अमेरिकी काउंसलेट्स में हमारे देश के जो लोग काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उनके किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनकी पूरी सूची हमें 23 दिसम्बर तक दी जाए। ...*(व्यवधान)* उसके साथ-साथ हमें सूची में यह बताया जाए कि वह क्या कार्य करते हैं? ...*(व्यवधान)* उनका क्या दायित्व है? उनको कितनी तनख्वाह मिलती है और किस एकाउंट में वह तनख्वाह जमा की जाती है। ...*(व्यवधान)* इनके बारे में हमें तत्काल बताएं। ...*(व्यवधान)* इनके साथ हमने यह भी निर्णय लिया है कि अब कहीं स्टेट प्रोटोकॉल के सामने अगर कोई याचिका आती है या कोई निवेदन आता है कि वह किसी एप्लिकेशन के माध्यम से कोई क्लीयरेंस या अप्रूवल दें, जिसका संबंध आई.डी. कार्ड से हो। ...*(व्यवधान)* कोई पर्सनल इफैक्ट्स, जो वे लोग बाहर से मंगाते हैं, उससे संबंध हो या किसी चार पहिए गाड़ी या अन्य गाड़ी के खरीदने या बेचने का प्रश्न हो। ...*(व्यवधान)* कोई

एग्जम्पशन सर्टीफिकेट ड्यूटी पर हो। ...*(व्यवधान)* इम्पोर्ट फ्री लीकर के लिए हो। ...*(व्यवधान)* वे कोई खाने का सामान मंगाते हैं। ...*(व्यवधान)* इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* इनके अलावा हमने कुछ कदम उठाए हैं। ...*(व्यवधान)* अगर आज सदस्य मुझे इजाजत दें। ...*(व्यवधान)* हम कार्रवाई कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमने तत्काल कदम उठाए हैं। ...*(व्यवधान)* ताकि, हम पूरी सुरक्षा दे सकें। ...*(व्यवधान)* हम उस अधिकारी को पूरी सुरक्षा दे सकें। ...*(व्यवधान)* यह कानून का विषय है। ...*(व्यवधान)* अमेरिका का कानून क्या है? ...*(व्यवधान)* हमारा कानून क्या है? ...*(व्यवधान)* इन दोनों में टकराव हो सकता है। ...*(व्यवधान)* लेकिन, इसमें हम जो कुछ भी समझते हैं। ...*(व्यवधान)* आज मानवता का तकाजा है। ...*(व्यवधान)* आज हमारे सम्मान का तकाज़ा है। ...*(व्यवधान)* आज हम और आप सबकी सामूहिक भावना का तकाज़ा है। ...*(व्यवधान)* हमारे देश का तकाज़ा है कि आज हम देश के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए, उस व्यक्ति को जो आज सांकेतिक स्थान पर है, जिसको अत्यंत पीड़ा हुई है। ...*(व्यवधान)* जिसकी पीड़ा में हम शामिल हैं। ...*(व्यवधान)* उसको हम सुरक्षित करें। ...*(व्यवधान)* उसके बाद जो उचित कार्रवाई की आवश्यकता है वह उचित कार्रवाई हम करेंगे। ...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम राष्ट्र गीत के लिए खड़े होंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी जगह पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जब तक आप अपने स्थान पर नहीं जाएंगे, राष्ट्र गीत नहीं बजा सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया सभी अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप राष्ट्र गीत के लिए शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.19 बजे

इस समय श्री एल. राजगोपाल, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.20 बजे

राष्ट्र गीत

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गयी।

अध्यक्ष महोदया: सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. सम्पत श्री पी.के. बिजू	181
2.	श्री पशुपति नाथ सिंह	182
3.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल श्रीमती सुमित्रा महाजन	183
4.	श्री तूफानी सरोज श्री आनंद प्रकाश परांजपे	184
5.	श्री कमलेश पासवान श्री खगेन दास	185
6.	श्री नरेनभाई काछादिया श्री जी.एम. सिद्देश्वर	186
7.	श्री अशोक कुमार रावत	187
8.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री महाबली सिंह	188
9.	श्री पी.टी. थॉमस श्री सोमेन मित्रा	189
10.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला श्री उदय सिंह	190
11.	श्री पन्ना लाल पुनिया श्री गोपीनाथ मुंडे	191
12.	श्री शिवराम गौड़ा श्री निखिल कुमार चौधरी	192
13.	श्री एम. आनंदन कैप्टन जय नारायण प्रसाद परिषद	193
14.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेडी श्री आधि शंकर	194
15.	श्री संजय सिंह चौहान	195
16.	श्री ए.के.एस. विजयन श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	196
17.	श्री पी. विश्वनाथन	197
18.	श्री अजय कुमार श्री ओम प्रकाश यादव	198
19.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्री संजय दिना पाटील	199
20.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग श्री एस. सेम्मलई	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	2152
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	2273, 2288
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2087, 2254, 2255, 2268
4.	श्री आनंदराव अडसुल	2087, 2225, 2254, 2255, 2268
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2085, 2267
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2094, 2171, 2256
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	2107, 2282
8.	श्री सुल्तान अहमद	2180
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2192, 2235
10.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2200
11.	श्री एम. आनंदन	2239

1	2	3
12.	श्री अनंत कुमार	2146
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2147
14.	श्री घनश्याम अनुरागी	2181
15.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2182
16.	श्री कीर्ति आजाद	2166
17.	श्री गजानन ध. बाबर	2087, 2254, 2255, 2268
18.	श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेल	2209, 2213, 2238, 2256
19.	श्री थांगसो बाइते	2130, 2249
20.	डॉ. बलीराम	2214
21.	श्री पवन कुमार बंसल	2148
22.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	2209, 2213, 2256
23.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2199, 2238
24.	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	2235, 2241, 2262
25.	श्री अवतार सिंह भडाना	2084, 2266
26.	श्री सुदर्शन भगत	2224
27.	श्री ताराचन्द भगोरा	2120, 2235, 2241, 2253
28.	श्री संजय भोई	2205
29.	श्री समीर भुजबल	2132
30.	श्री पी.के. बिजू	2291
31.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2191
32.	श्री हेमानंद बिसवाल	2093, 2274
33.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2220
34.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2149, 2239, 2284, 2293
35.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	2222

1	2	3
36.	श्री सी. शिवासामी	2192, 2255
37.	श्री हरीश चौधरी	2186, 2200, 2238, 2248
38.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	2209, 2213, 2256
39.	श्री हरिभाई चौधरी	2210, 2257
40.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2103, 2216
41.	श्री संजय सिंह चौहान	2235
42.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2223, 2242
43.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2163, 2172, 2243
44.	श्री भूदेव चौधरी	2158, 2226
45.	श्री निखिल कुमार चौधरी	2258
46.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2124, 2193, 2295
47.	श्री खगेन दास	2240
48.	श्री राम सुन्दर दास	2150
49.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	2162, 2242
50.	श्री रमेन डेका	2211
51.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2158
52.	श्रीमती रमा देवी	2099, 2248
53.	श्री के.पी. धनपालन	2106
54.	श्री संजय धोत्रे	2229, 2230, 2254
55.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2074, 2092, 2273
56.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2163, 2238, 2247
57.	श्री चार्ल्स डिएस	2206
58.	श्री निशिकांत दुबे	2096, 2126, 2235, 2252
59.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2203
60.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2215

1	2	3
61.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2243
62.	श्री वरुण गांधी	2151
63.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2172, 2191
64.	श्री राजेन गोहैन	2187
65.	श्री शिवराम गौडा	2192, 2260
66.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2090, 2270
67.	श्री महेश्वर हजारी	2076, 2175, 2235
68.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2113
69.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2112, 2227
70.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2201
71.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2099, 2146, 2186, 2208
72.	श्री बद्रीराम जाखड़	2141
73.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2162, 2172
74.	श्री हरिभाऊ जावले	2137, 2173, 2239
75.	श्री नवीन जिन्दल	2125, 2170, 2296
76.	श्री प्रहलाद जोशी	2102, 2274, 2280
77.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2194, 2235, 2239
78.	श्री सुरेश कलमाडी	2140, 2240
79.	श्री पी. करुणाकरन	2116, 2189, 2239
80.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2123, 2150
81.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2158, 2243, 2257
82.	श्री नलिन कुमार कटील	2182, 2244
83.	श्री चंद्रकांत खैरे	2204, 2249
84.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2136, 2251, 2253, 2276
85.	श्री विश्व मोहन कुमार	2217, 2235, 2236

1	2	3
86.	श्री पी. कुमार	2088, 2174, 2269
87.	श्रीमती पुतुल कुमारी	2209, 2213, 2256
88.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	2095, 2119, 2253
89.	श्री यशवंत लागुरी	2248, 2251, 2252
90.	श्री एम. कृष्णास्वामी	2073, 2074, 2243, 2289
91.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2159, 2283
92.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2251
93.	श्री सतपाल महाराज	2239
94.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2221
95.	श्री भर्तृहरि महताब	2229, 2254
96.	श्री प्रदीप माझी	2177, 2195
97.	श्री मंगनी लाल मंडल	2189, 2233
98.	श्री जोस के. मणि	2155
99.	श्री दत्ता मेघे	2219, 2245
100.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2071, 2138, 2171, 2256, 2259
101.	श्री भरत राम मेघवाल	2250
102.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2165
103.	श्री महाबल मिश्रा	2080
104.	श्री पी.सी. मोहन	2134
105.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2188, 2235, 2279
106.	श्री विलास मुत्तेमवार	2117
107.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2138, 2239
108.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2239, 2240
109.	श्री नामा नागेश्वर राव	2189
110.	श्री नरेनभाई काछादिया	2237, 2238

1	2	3
111.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2236
112.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2091, 2235, 2271
113.	श्री पी.आर. नटराजन	2169, 2262
114.	श्री विन्सेंट एच. पाला	2149
115.	श्री वैजयंत पांडा	2154, 2245
116.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2198
117.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2109, 2239, 2284
118.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2253
119.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2243
120.	श्री देवजी एम. पटेल	2238
121.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2114, 2145
122.	श्री बाल कुमार पटेल	2251
123.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2177, 2195
124.	श्री हरिन पाठक	2161
125.	श्री संजय दिना पाटील	2239
126.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2128, 2242, 2297
127.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2203
128.	श्री सी.आर. पाटिल	2114, 2250, 2256
129.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2243
130.	श्रीमती कमला देवी पटले	2096, 2276
131.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2073, 2092, 2273
132.	श्री अमरनाथ प्रधान	2100
133.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2089
134.	श्री प्रेमदास	2236
135.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2261, 2294
136.	श्री एम.के. राघवन	2193, 2247
137.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2142, 2189, 2192
138.	श्री अब्दुल रहमान	2118, 2192, 2292
139.	श्री प्रेम दास राय	2190
140.	श्री रमाशंकर राजभर	2160
141.	श्री सी. राजेन्द्रन	2108
142.	श्री एम.बी. राजेश	2249
143.	श्री पूर्णमासी राम	2159, 2218, 2236
144.	प्रो. रामशंकर	2138, 2171, 2256
145.	श्री कादिर राणा	2086
146.	श्री निलेश नारायण राणे	2139
147.	श्री रमेश राठौड़	2207
148.	श्री रामसिंह राठवा	2082, 2172, 2237
149.	श्री अशोक कुमार रावत	2290
150.	श्री अर्जुन राय	2147
151.	श्री रुद्रमाधव राय	2183, 2253
152.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2083, 2180, 2247, 2265
153.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2168
154.	प्रो. सौगत राय	2228
155.	श्री एस. अलागिरी	2104, 2146
156.	श्री एस. सेम्मलई	2166
157.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2077, 2121, 2286
158.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2118, 2167, 2245
159.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2111, 2286
160.	श्री ए. सम्पत	2291
161.	श्री तकाम संजय	2235
162.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2196
163.	श्री तूफानी सरोज	2235, 2236
164.	श्री हमदुल्लाह सईद	2129, 2174, 2257, 2258, 2298
165.	श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	2246
166.	श्री एम.आई. शानवास	2164
167.	श्री नीरज शेखर	2157, 2240, 2245
168.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2196, 2216
169.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2097, 2231, 2277

1	2	3
170.	श्री राजू शेट्टी	2242
171.	श्री एंटो एंटोनी	2131, 2299
172.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2199, 2235, 2300
173.	डॉ. भोला सिंह	2234, 2245
174.	श्री गणेश सिंह	2235, 2252
175.	श्री इज्यराज सिंह	2196, 2210, 2238
176.	श्री जगदानंद सिंह	2208
177.	श्री महाबली सिंह	2250
178.	श्रीमती मीना सिंह	2158, 2226, 2232
179.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2242, 2264
180.	श्री राधा मोहन सिंह	2257
181.	श्री राकेश सिंह	2174
182.	श्री रतन सिंह	2098, 2200, 2235
183.	श्री रवनीत सिंह	2079
184.	श्री सुशील कुमार सिंह	2159, 2236
185.	श्री यशवीर सिंह	2157, 2240, 2245
186.	चौधरी लाल सिंह	2247
187.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2153
188.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2184, 2227, 2235, 2248
189.	श्री एन. धरम सिंह	2081, 2244, 2272
190.	डॉ. संजय सिंह	2112, 2127, 2251
191.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2097, 2243, 2277
192.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2110, 2285
193.	श्री ई.जी. सुगावनम	2143, 2179
194.	श्री के. सुगुमार	2072
195.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2179, 2239, 2240
196.	श्री डी.के. सुरेश	2144
197.	श्रीमती तबस्सुम हसन	2122, 2162, 2186, 2212, 2294
198.	श्री मानिक टैगोर	2137
199.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2078, 2238, 2263
200.	श्री लालजी टन्डन	2188
201.	श्री अशोक तंवर	2133, 2241
202.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2170
203.	श्री जगदीश ठाकोर	2101
204.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2077, 2105, 2281
205.	श्री आर. थामराईसेलवन	2135, 2185
206.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2177, 2241
207.	श्री मनोहर तिरकी	2168
208.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2174, 2193, 2197, 2248, 2273
209.	श्री लक्ष्मण टुडु	2082, 2184
210.	श्री शिवकुमार उदासी	2178, 2252
211.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2076, 2175, 2235
212.	श्री हर्ष वर्धन	2076, 2175, 2235
213.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2077, 2082, 2208
214.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2212
215.	श्री सज्जन वर्मा	2115, 2287
216.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2202
217.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	2095, 2178, 2275
218.	श्री पी. विश्वनाथन	2245, 2278
219.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2075
220.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2077, 2098, 2104, 2127, 2237
221.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2087, 2254, 2255, 2268
222.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	2245
223.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2156
224.	श्री मधुसूदन यादव	2176

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	197
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	184, 185, 189, 199
विदेश	:	191
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	187, 200
मानव संसाधन विकास	:	181, 188
विधि और न्याय	:	183, 190
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	186
प्रवासी भारतीय कार्य	:	193
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	195, 198
योजना	:	182, 192, 194
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	196.

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2072, 2113, 2116, 2134, 2149, 2164, 2168, 2239, 2270, 2284
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2089, 2098, 2112, 2120, 2132, 2133, 2141, 2146, 2154, 2161, 2177, 2187, 2193, 2195, 2196, 2224, 2225, 2243, 2244, 2245, 2261, 2268, 2273, 2278, 2290, 2295
विदेश	:	2071, 2107, 2124, 2143, 2147, 2165, 2167, 2179, 2194, 2211, 2212, 2226, 2249, 2262, 2269, 2280, 2282, 2289, 2291
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2125, 2151, 2182, 2188, 2205, 2219, 2247, 2274
मानव संसाधन विकास	:	2073, 2074, 2076, 2078, 2080, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2101, 2103, 2108, 2110, 2114, 2115, 2117, 2121, 2122, 2123, 2129, 2130, 2131, 2140, 2142, 2145, 2148, 2155,

		2166, 2173, 2174, 2178, 2186, 2190, 2192, 2198, 2199, 2201, 2202, 2203, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2215, 2217, 2220, 2221, 2222, 2223, 2227, 2231, 2233, 2234, 2240, 2252, 2256, 2257, 2264, 2265, 2272, 2275, 2283, 2285, 2286, 2287, 2292, 2296, 2297, 2298, 2299
विधि और न्याय	:	2075, 2083, 2095, 2119, 2135, 2162, 2163, 2171, 2172, 2185, 2214, 2228, 2235, 2237, 2241, 2242, 2246, 2253, 2288, 2293
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2096, 2137, 2138, 2158, 2181, 2204, 2238, 2276, 2277
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2077, 2160, 2180, 2232
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2079, 2084, 2099, 2100, 2105, 2106, 2127, 2128, 2139, 2153, 2157, 2169, 2176, 2183, 2200, 2218, 2251, 2266, 2294
योजना	:	2081, 2082, 2094, 2097, 2102, 2104, 2109, 2126, 2136, 2144, 2150, 2152, 2170, 2175, 2184, 2189, 2216, 2248, 2255, 2260, 2263, 2281
अंतरिक्ष	:	2259, 2267
शहरी विकास	:	2085, 2111, 2118, 2156, 2159, 2191, 2197, 2213, 2229, 2330, 2236, 2250, 2254, 2258, 2271, 2279, 2300.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., दिल्ली द्वारा मुद्रित।